राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या : 16

शुक्रवार;

21 मार्च, 2003

राजस्थान विधान सभा की बैठक

11.00 बजे विधान सभा भवन,

जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री हरजीराम बुरड़क।

राजस्थान हैण्डलूम प्रोसेस हाउस के अन्यत्र समायोजित कर्मियों की बकाया राशि

386. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान हैण्डलूम प्रोसेस हाउस द्वारा मई, 2001 को कुछ कर्मियों का समायोजन अन्य विभागों/निगमों/बोर्डों में किया गया है? यदि हां, तो किस-किस का कब-कब एवं समायोजन के समय इनकी कितने समय की सेवा अवधि हो चुकी थी व किस-किस को नौ वर्ष की सेवा अवधि का चयनित वेतनमान दिया गया और किस-किस को नहीं दिया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मियों में से किन्हीं का मार्च व अप्रैल, 2001 माह का वेतन भुगतान एवं अन्य परिलाभ की राशि भी बकाया है? यदि हां, तो किस-किस की कितनी व क्यों एवं अब कब तक उक्त भुगतान कर दिया जाएगा?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रोसेस हाउस के कर्मियों को भी पांचवें वेतन आयोग का लाभ दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस को एवं कब से? उक्त कर्मियों की उक्त वेतन आयोग की बकाया राशि कितनी है एवं अब उक्त राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मियों को पूर्ण उपार्जित अवकाशों का नकद भुगतान किया गया है जबकि अन्यत्र समायोजित कर्मियों को उक्त अवकाशों का समायोजन उचित ढंग से न किया जाकर उन्हें हानि पहुंचाई गयी है? यदि हां, तो किस-किस को? क्या सरकार उक्त कर्मियों को उक्त अवकाशों की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उद्योग मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) जी हां, विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। प्रोसेस हाउस के कर्मियों ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने की निगम से मांग की, जिसे प्रोसेस हाउस बन्द होने के कारण निगम ने स्वीकार नहीं किया। निगम के उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रोसेस हाउस इकाई के कर्मचारियों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में याचिका दायर कर दी जो विचाराधीन है। प्रोसेस हाउस के चार कर्मचारी जोधपुर विद्युत वितरण निगम में सेवा समायोजन पर जा रहे थे तथा इन चार कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन वाद से अपना नाम वापस लेने के उपरान्त उन्हें पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश अनुसार लाभ दिया गया जिसका विवरण परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध है।

(4) यह सही है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मियों को उपलब्ध उपार्जित अवकाशों को पूर्ण भुगतान किया गया है। लेकिन यह सही नहीं है कि निगम के अन्यत्र समायोजित हुए कर्मियों के उपार्जित अवकाशों का उचित ढंग से समायोजन न करके उन्हें हानि पहुंचाई गयी। प्रचलित नियमों के अनुसार निगम के अन्यत्र समायोजित हुए समस्त कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में अंतिम बकाया उपार्जित अवकाशों का इन्द्राज करके, सम्बन्धित विभागों जहां सेवाएं समायोजित की गयी हैं, को सेवा पुस्तिकाएं प्रेषित की गयी हैं। इस निगम द्वारा राजकीय उपक्रम ब्यूरो, राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत नियमानुसार निगम सेवाकाल के अवकाशों का भुगतान, सेवाएं लेने वाले विभाग को निगम में राशि उपलब्ध होने पर किया जाएगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हरजीराम बुरड़क : मंत्री महोदय, आपने परिशिष्ट "क" जो दिया है उसमें चार कर्मचारियों के नाम दिये हैं। सेवा अवधि बराबर होते हुए भी एक कर्मचारी को 9 वर्ष सेवा पश्चात् चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है और बाकी 3 को नहीं दिया गया है जबकि उनमें सेवा अवधि करीब-करीब बराबर है और 9 वर्ष से सभी की ज्यादा है, पहला तो आप यह बताएं।

दूसरा आपने यह कहा है कि निगम में राशि उपलब्ध होगी तब आप इनको भुगतान करेंगे। अभी हाल ही में आपने 11 तारीख को एक सवाल के जवाब में यह उत्तर दिया था कि राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ को जनता कपड़ा

(श्री हरज़ीराम बुरड़क)

अनुदान के पेटे केन्द्र सरकार से 51.04 लाख व राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन को 17.10 लाख रुपये की राशि प्राप्त होना बकाया है। तो एक तरफ तो आपकी बकाया राशि आप वसूल नहीं कर रहे हैं दूसरी तरफ कर्मचारियों को पूरा लाभ नहीं दे रहे हैं। लाभ देने में भी जो सारा विवरण आपने दिया है; जिनमें 4 कर्मचारियों के नाम हैं, इस एक को ही कैसे दिया, शेष 3 के बारे में आपका क्या कहना है?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, 9,18 और 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ देने का सरकार का निर्णय हुआ और उस निर्णय को निगम ने भी लागू किया। जहां तक ये 4 कर्मचारी हैं जिनका समायोजन जोधपुर विद्युत वितरण निगम में हुआ–प्रभुसिंह, मनोहर सिंह, मालूम सिंह और घासीलाल शर्मा, इन चारों की सेवा अवधि करीब-करीब बराबर है। प्रभुसिंह की 11 वर्ष 9 माह, मनोहर सिंह की 11 वर्ष 6 माह, मालूम सिंह की 10 वर्ष 9 माह और घासीलाल शर्मा की 11 वर्ष 9 माह है। यह 9 वर्ष से ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, ये सब प्रोसेस हाउस के कार्मिक हैं। इनको जहां तक चयनित वेतनमान देने का सवाल है, इस क्रम में मैं कहना चाहूंगा कि श्री प्रभूसिंह जिन्हें चयनित वेतनमान दिया गया, इनकी कार्य एवं व्यवहार की जो उत्तम रिपोर्ट थी वह प्रोसेस हाउस से 14 अगस्त, 1998 को प्रेषित कर दी गयी और फिर इन्हें 17.9.1998 को चयनित वेतनमान देने के आदेश जारी कर दिये गये। शेष जो कार्मिक हैं मनोहर सिंह; मालूम सिंह और घासीलाल शर्मा, इनकी कार्य एवं व्यवहार की रिपोर्ट निगम को प्राप्त नहीं हुई। शेष कार्मिकों की रिपोर्ट निगम को 2 जुलाई, 2001 को प्राप्त हुई, इस बीच में निगम की आर्थिक हालत भी खराब हो गयी और निगम के संचालक मण्डल ने मितव्ययता के कारण चयनित वेतनमान का लाभ स्थगित करने का एक प्रस्ताव कर दिया जो पहली बार तो मैं कहना चाहूंगा कि डैफर हो गया। फिर उसके बाद 15.9.1999 को जो दुबारा मीटिंग हुई उसमें यह फैसला हो गया "The agenda regarding the benefit of selection scale payments on completion of 9-18-27 years service is deferred by the Board." पहले तो यह हो गया और उसके बाद में दुबारा बोर्ड की मीटिंग हुई। यह 29.6.2001 को हुई, उसमें फिर वह फैसला कर लिया गया–"It was further resolved that no benefit of selection scales is to be given till the decision in this regard by the Board." फिर इसके बाद में 2001 में सितम्बर के महीने में 28 सितम्बर को

(डा. चन्द्रभान)

बोर्ड की फिर मीटिंग हुई उसमें स्पष्ट रूप से फैसला कर लिया गया, "9,18,27 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर दिये जाने वाले चयनित वेतनमान के लाभ को निगम के पुनरुत्थान तक स्थगित करने पर विचार हुआ व फैसला हो गया कि चयनित वेतनमान के लाभ को निगम के पुनरुत्थान तक स्थगित रखा जाए। अध्यक्ष महोदय, ये जो 3 कर्मचारी प्रभावित हुए इन्हें सलेक्शन स्केल इसलिये नहीं मिल पायी कि 29.6.2001 को यह फैसला हो गया कि चयनित वेतनमान देने के मामले को अभी स्थगित रखा जाए, अगली बोर्ड की मीटिंग तक। फिर मीटिंग हो गयी सितम्बर, 2001 में, उसमें निर्णय यह हो गया कि नहीं देना है। इन 3 कर्मचारियों– मनोहर सिंह, मालूम सिंह और घासीलाल शर्मा, इन तीनों की जो कार्य और व्यवहार की रिपोर्ट प्राप्त हुई वह जुलाई, 2001 में हुई। इसलिये इन तीनों कर्मचारियों की कार्य एवं व्यवहार की रिपोर्ट उत्तम होने के बावजूद भी इन्हें चयनित वेतनमान नहीं दिया जा सका।

जैसा दूसरा माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है कि इन लोगों की जो बकाया राशि है फिफ्थ-पे कमीशन के चलते और दूसरी उसका भुगतान करने की बात है, निगम की स्थिति सुधरने पर निश्चित रूप से उसका भुगतान किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि निगम घाटे में है और घाटा भी कोई कम नहीं है, तीस करोड़ रुपये का है। जहां तक बुनकर संघ और हैण्डलूम कारपोरेशन को मदद की बात है, जैसा आपने बताया कि 17 लाख रुपये की मदद की गई है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस है कि करीब दो करोड़ रुपये का भुगतान निगम कर्मियों को करना शेष है। अभी एक आर्डर मिला है, समाज कल्याण से तो कुछ कर्मियों को तनखाह वगैरह बांटने का काम हुआ है। मैं यकीन दिलाता हूं कि जब भी निगम की स्थिति में थोड़ा सुधार होगा, इन कर्मियों के जो भी ड्यूज वगैरह हैं, इनका भुगतान कर दिया जाएगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर दिया इससे यह साफ हो गया कि इन तीन कर्मचारियों की कोई गलती नहीं थी जिनको वेतन का लाभ देने से वंचित रखा गया। यह आपके अधिकारी जिसने रिपोर्ट देरी से भेजी, दो-तीन साल बाद में रिपोर्ट भेजी, उसकी गलती है, उसका खामियाजा ये कर्मचारी क्यों भुगतें? आपने यह भी साफ कर दिया कि इनकी भी रिपोर्ट बढ़िया है, जिसमें आपने एक को चयनित वेतनमान का लाभ दिया, उसकी और इनकी कार्य के सम्बन्ध में रिपोर्ट एक है। आपके अधिकारी के कारण जो इनको लास हुआ है, उसके सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

डा. चन्द्रभान : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना निश्चित रूप से सही है और यह जांच का विषय है, चूंकि इन कर्मियों को सबको ही दो–दो, ढाई–ढाई वर्ष ज्यादा हो गये, नौ साल से और प्रोसेस हाउस से जो रिपोर्ट आनी थी कार्य–व्यवहार की, वह आ जानी चाहिए थी। लेकिन इसमें मैं मानता हूं कि दो कारण रहे होंगे। एक तो यह कि प्रोसेस हाउस 1997 में बन्द हो गया और इसमें 62 कर्मचारी/अधिकारी थे। अब तो खैर सभी को वी.आर.एस. भी दे दिया और दूसरी जगह समायोजित भी कर दिया, इसलिए वहां पर कोई काम वगैरह नहीं होता था। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा, मैंने जांच की बात इसलिए कही है, मैंने इसकी पूरी जानकारी प्राप्त की तो यह जो प्रभुसिंह है इसकी तो कार्य और व्यवहार की रिपोर्ट 1998 में ही उत्तम होकर आ गयी थी और उसके बाद बाकी जो तीन हैं इनकी आई है जुलाई, 2001 में इस बीच बोर्ड ने फैसला कर लिया कि यह हमको देना नहीं है। लेकिन यह बात भी सही है कि जो जुलाई में रिपोर्ट आई है इसमें घासीलाल शर्मा की भी आई है, मालूम सिंह की भी आई है, मनोहर सिंह की भी आई है और प्रभुसिंह की भी दुबारा आई है कि प्रभुसिंह की भी उत्तम है। इसका मतलब प्रभुसिंह की रिपोर्ट दो बार आई है, प्रभुसिंह की रिपोर्ट पहले भी आ गयी। उसकी चूंकि 1998 में पहले आ गई थी तो इसलिए उसको तो लाभ मिल गया और इन तीनों को नहीं मिल पाया बोर्ड के डिसीजन से, तो इस मसले की, अध्यक्ष महोदय, मैं जांच करवाऊंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि यह इसलिए रिपोर्ट नहीं आई कि प्रोसेस हाउस 1997 में बन्द हो गया जबकि एक कर्मचारी की रिपोर्ट 1998 में आई है। बन्द होने के बाद उसकी आ गई और इनकी नहीं आई। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि मैं जांच करवाऊंगा, जांच क्या करवाओगे? आपने सारा बता दिया, यह जांच तो हो गई, इसमें अब जांच क्या है? अब तो आप कार्यवाही करने की बात करो कि जिस अधिकारी ने गलती की है उसके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करेंगे। जांच तो हो गयी, आपने सारी बात बता दी, अब जांच में और अलग से क्या होगा?

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दो बात पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री हेमन्त कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनकी रिपोर्ट आ गई...

श्री अध्यक्ष : पहले इनका है।

डा. चन्द्रभान : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आने में डिले हुआ उसमें सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। जो भी कार्यवाही सम्भव है, वह करेंगे। लेकिन, मैंने अभी आपके माध्यम से माननीय सदस्य से और पूरे सदन से निवेदन किया कि इस प्रोसेस हाउस में 62 कर्मचारी और अधिकारी थे, कुछ का तो समायोजन हो गया, करीब 21 या 22 हैं, बाकी सब वी.आर.एस. लेकर चले गये। जो मैनेजर वहां पर लगे हुए थे वह भी अब रिटायर हो गये, वी.आर.एस. लेकर चले गये, फिर भी जो इनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है वह करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हेमन्त कुमार।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शेष तीन कर्मचारी हैं, जो लाभान्वित नहीं हो पाये हैं, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि हमारे पास में बजट उपलब्ध होगा, पैसा उपलब्ध होगा तब दे पाएंगे। वे तीन सफर हो रहे हैं, या तो उनकी निश्चित समय सीमा आप तय कर दो कि इनको कब तक लाभान्वित कर दिया जाएगा।

दूसरा, एक व्यक्ति को तो लाभान्वित किया है, उसको किस तरह से? उसकी रिपोर्ट पहले आ गई और तीन की नहीं आई, यह भी एक जांच का विषय है। एक व्यक्ति के साथ तो पक्षपात किया गया, उसको तो लाभान्वित किया गया और तीन व्यक्तियों की रिपोर्ट देर से भेजी, तो उस एक व्यक्ति की रिपोर्ट पहले कैसे मिल गई, उसकी रिपोर्ट पहले कैसे गई, इसके बारे में भी मंत्री महोदय बताएं।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूं। ये दो अलग-अलग मसले हैं। एक तो जांच का, जांच का सीधा-सीधा मसला यह है कि एक आदमी की रिपोर्ट दुबारा भेज दी उन्होंने नार्मलसी का आवरण पहनाने के लिए। पहले एक रिपोर्ट क्यों भेजी? आप जांच करके उसको दण्ड देंगे, यह एक अलग आस्पैक्ट है। Whatever your financial constraints, आप इन तीन आदमियों को कैसे डिनाई कर सकते हो? एक को दे दिया न, आल टुगैदर, एक क्लास को तो आप हो सकता है कि डैफर कर सकते हो पेमेंट, पूरी क्लास को कि अभी उसमें पेमेंट नहीं करेंगे या इसको इन्क्रीमैंट नहीं देंगे, लेकिन जब आपने एक को लाभ दे दिया तो क्या यह बाध्यकारी नहीं है आपके लिए कि आप तीनों को लाभ दोगे? आपकी चाहे कोई भी वित्तीय परिस्थिति हो, यह एक वैधानिक स्थिति है, मंत्री महोदय, आपको वह समझना चाहिए। आपका यह उत्तर कानून के अन्दर बिलकुल कोई जवाब नहीं है कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। जब आपने एक को दे दिया तो आपको

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

चारों को देना पड़ेगा। आप कब तक देंगे, आपको यह हाउस के अन्दर कमिट करना चाहिए। यह नैकेड डिस्क्रिमिनेशन है तीन कर्मचारियों के साथ। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि इसकी पहले आ गई और उनकी बाद में आई, यह तो मैंने खुद ने ही स्वीकार किया कि इनकी लेट हुई है, इसके कारण और बाद में बीच में बोर्ड का एक फैसला हो गया, इस कारण इनको लाभ नहीं मिल सका। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन तीन कर्मियों को चयनित वेतनमान का लाभ देने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया कि अभी तो निगम की ऐसी स्थिति है नहीं और प्रोसेस हाउस तो एकदम बन्द पड़े हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह तो कभी भी स्थिति ठीक नहीं होगी आपकी।

डा. चन्द्रभान : पहले नहीं थी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कभी भी नहीं होगी। नहीं, कभी भी नहीं होगी।

डा. चन्द्रभान : आप सुन तो लीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप कोर्ट में जवाब दे सकते हो यह? अगर आप हर आदमी को, हर एम्प्लाई को कोर्ट में भेजना चाहते हो, आप लिटिगेशन एनकरेज करना चाहते हो, यानि आप अपने एम्प्लाइज को इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि वे कोर्ट में जाएं। आप इंसाफ खुद ही करो न बैठकर। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : जो यह फिफ्थ पे कमीशन है इसको लेकर तो लोग गये हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा तो नहीं है कि चयनित वेतनमान किसी कर्मचारी को मिला ही नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि...

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, वह और भी खराब है।

डा. चन्द्रभान : इस प्रोसेस हाउस में...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप पूरे वर्ग को नहीं दें, वह तो समझ में आती है। पर आप एक को दे दें और तीन को नहीं दें, वह बिलकुल अनुचित है।

डा. चन्द्रभान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि उनकी जो कार्य और व्यवहार की रिपोर्ट है वह यदि उस समय-समय पर आ जाती तो निश्चित रूप से उनको भी मिल जाता। बाकी इस प्रोसेस हाउस में तो 22 कर्मचारियों को मिला। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : फिर एक की कैसे आ गई? अध्यक्ष महोदय, एक की रिपोर्ट आ गई और तीन की नहीं आई, इसमें पार्शिलटी दिख रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं–नहीं, वह उनकी जिम्मेदारी थोड़े ही थी? रिपोर्ट उनको खुद थोड़े ही देनी थी, प्रोसेस हाउस से रिपोर्ट आनी थी। मंत्रीजी, यह आपका कोई जवाब नहीं हुआ। आप वित्तीय स्थिति का उल्लेख नहीं करेंगे, आप वैधानिक स्थिति का उल्लेख करिये।

डा. चन्द्रभान : एक मिनट, सुनो तो सही। हां, नहीं करेंगे, वित्तीय स्थिति का नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, चयनित वेतनमान लागू हुआ उसके बाद में कुल 62 कर्मचारियों में से 22 को इसका लाभ मिला। निश्चित रूप से चयनित वेतनमान देने का भी क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के अन्तर्गत जो आ गया उसको यह मिल गया और बाकी को हो सकता है कि नहीं मिला हो। जहां तक सवाल यह है, कार्य एवं व्यवहार की रिपोर्ट जब तक नहीं आती और वह उत्तम नहीं होती तो इनको नहीं मिल सकता था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने तो कह दिया, उत्तम है।

डा. चन्द्रभान : और वह नहीं आई। बीच में निगम के संचालक मण्डल ने निर्णय ले लिया कि आर्थिक स्थिति खराब है इसलिए अपन इनको नहीं देंगे। अब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि रिपोर्ट डिले हुई है इसका खामियाजा ये लोग क्यों उठाएं। आपका सीधा-सा सवाल यही है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : जी।

डा. चन्द्रभान : मैं इस प्रकरण को माननीय अध्यक्ष महोदय, दुबारा निगम की बोर्ड की मीटिंग में रखवाऊंगा और उनको निर्देश दूंगा कि इस पर आपको फैसला करना चाहिए। पहले तो मैंने कह दिया कि इसकी जांच करवाऊंगा कि डिले क्यों हुई इनकी रिपोर्ट और फिर कहेंगे कि इनके प्रकरण में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, सहानुभूति नहीं, All the 4 employees are similarly placed.

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चारों कर्मचारी एक स्थान के ऊपर हैं, एक-सी परिस्थिति है। सेवाकाल उनका बराबर है, रिपोर्ट सबकी बढ़िया है इसलिए यह बाध्यकारी है, मंत्रीजी, आपके लिए। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : वह बोर्ड में ले जाएंगे और बोर्ड ही फैसला करेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, पर आप उसको यह एडवाइज करें कि करना पड़ेगा। यह नहीं है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

श्री अध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी।

खाटू श्यामजी खादी परिषद् द्वारा अनियमित आपूर्ति

387. श्री केसाराम चौधरी (खारची) **एवं डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खाटू श्यामजी खादी परिषद् की पंजीयन अवधि वर्ष 1996 में ही समाप्त हो गई? यदि हां, तो क्या उक्त अवधि समाप्ति पश्चात् उक्त संस्था खादी की बिक्री नहीं कर सकती?

(2) क्या यह भी सही है कि अवधि समाप्ति के पश्चात् भी अधिकारियों की मिलीभगत से उक्त संस्था राज्य के सभी विभागों को ग्रामोद्योग के उत्पादों की सरकारी आपूर्ति करती रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त संस्था द्वारा घटिया आपूर्ति की शिकायतें माननीय मुख्य मंत्री को प्राप्त हुई? यदि हां, तो उक्त पर क्या–क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग (श्री रतन लाल ताम्बी) : (1) जी नहीं, खादी संस्थाओं का प्रमाण पत्र अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रमाण पत्र समिति, मुम्बई द्वारा जारी किया जाता है। उक्त संस्था का प्रमाण पत्र वर्ष 1996 से 2001 तक नवीनीकरण हेतु राज्य खादी ग्रामोद्योग कार्यालय, बीकानेर द्वारा मय शुल्क के अभिशंसा कर केन्द्रीय प्रमाण पत्र समिति, मुम्बई को भिजवाया गया। खादी आयोग राज्य कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्र नवीनीकरण हेतु अभिशंसा के बाद कोई भी संस्था उत्पादन व बिक्री का कार्य कर सकती है।

(2) जी नहीं। खादी संस्थाओं द्वारा संचालित खादी भण्डारों पर खादी के साथ–साथ ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री भी की जाती है। ग्रामोद्योग उत्पाद की बिक्री के लिये खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है।

(3) यह सही नहीं है। खाटू श्यामजी खादी परिषद् संस्था के सम्बन्ध में समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारों के आधार पर राज्य सरकार के स्तर पर उप शासन सचिव उद्योग (द्वितीय) के द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय प्रमाण पत्र समिति, मुम्बई द्वारा जारी खाटू श्यामजी खादी परिषद् का पंजीयन किन–किन वस्तुओं के विक्रय हेतु किया गया था तथा पंजीयन की अवधि किस वर्ष एवं किस तारीख तक थी? आपने प्रश्न के जवाब में बताया है कि अभिशंसा के बाद कोई भी संस्था खादी उत्पादन व बिक्री कर सकती है, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें। आपने प्रश्न तीन के जवाब में

(श्री केसाराम चौधरी)

कहा है कि सम्बन्धित समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उप शासन सचिव उद्योग (द्वितीय) द्वारा प्रकरण की जांच कराई जा रही है। यह जांच कब से करायी जा रही है और जांच का निर्णय कहां तक पहुंचा है? कोई जांच हुई है तो इस सम्बन्ध में कहां तक हुई और जांच के बिन्दु क्या-क्या हैं, यह स्पष्ट करें।

श्री रतन लाल ताम्बी : जहां तक जांच का सवाल है, उप शासन सचिव को केवल समाचार पत्रों की कतरनों के आधार पर जांच के आदेश दिये गये थे और यह जांच लगभग सम्पूर्ण हो चुकी है।

श्री केसाराम चौधरी : बिन्दु क्या-क्या हैं?

श्री रतन लाल ताम्बी : जितने पाइंट्स समाचार पत्रों में आये, हमने सारे दे दिये उसमें। उसमें मूल जांच का आधार यह था कि प्रमाण पत्र के बिना अनुशंसा के कैसे काम किया जा रहा है। ये सारी बातें हमने की। उसके बाद उसमें खरीद में क्या अनियमितताएं हुई, उसके बाद में जांच के बिन्दु का आधार बनाया तो यह सारी विस्तृत जांच की जा रही है। करीब-करीब जांच हो गयी है और मैं समझता हूं अगले महीने इसकी जांच रिपोर्ट सरकार के सामने आ जाएगी।

श्री केसाराम चौधरी : क्या यह भी जांच करवाएंगे कि खाटू श्यामजी की खादी परिषद् की कार्यकारिणी में अध्यक्ष के अलावा मंत्री और सारी कार्यकारिणी में सदस्य सुरेश माथुर ने अपने सब मिलने वालों को बनाकर खाटू श्यामजी की कार्यकारिणी को भी बदला गया?

श्री रतन लाल ताम्बी : इसमें तो आपने क्वेश्चन पूछा नहीं, जांच करवा लेंगे, दिक्कत क्या है?

श्री केसाराम चौधरी : यह तो समाचार पत्रों में है आपके।

श्री रतन लाल ताम्बी : हां, तो मैंने जांच का सारा ले लिया कि समाचार पत्र की कटिंग साथ लगाकर पाइंटवाइज विस्तृत जांच की जाए और इसकी रिपोर्ट छह महीने में भेजी जाए। इस आधार पर ही सारी जांच करवायी है।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि अक्टूबर, 2001 में आयोग के सीनियर लेखाधिकारी ने जांच कर इस संस्था के अस्तित्व को ही नहीं माना, बल्कि इस संस्था को फर्जी जाहिर कर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? दूसरा, क्या यह सही है कि इस संस्था द्वारा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग में घटिया स्तर की गाज एवं बैण्डेज आपूर्ति की शिकायत माननीय मुख्य मंत्री महोदय को 28 अप्रैल,

(डा. किरोड़ी लाल)

2000 को की गयी थी, जिस पर मुख्य मंत्रीजी ने घटिया सामग्री वापस किये जाने के निर्देश दिये थे? भविष्य में ड्रग्स एवं कास्मैटिक अधिनियम के मानकों के विपरीत कोई आपूर्ति नहीं की जाएगी, ऐसे उच्चाधिकारियों को निर्देश देने के बावजूद भी 80 लाख रुपये की आपूर्ति कर दी गयी? तीसरा, माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा, आप अगर इस संस्था को सही बता रहे हैं तो क्या इस संस्था की 1996 के बाद में कोई आडिट करायी गयी? इस संस्था ने 1996 के बाद में किसी प्रकार बिक्री कर जो लिया जाता है, जो छूट मिलती है वह किस कारण से नहीं ली? क्या यह भी सही है कि इस संस्था का कार्य क्षेत्र केवल सीकर ही था, जबकि इसने जोधपुर और जयपुर में भी बिक्री की है? इनका जवाब देने का कष्ट करें।

श्री रतन लाल ताम्बी : जहां तक खादी प्रमाण पत्र का सवाल आता है उसमें कार्य क्षेत्र निर्धारित होता है। ग्रामोद्योग के लिये कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं है, कोई भी संस्था कहीं भी ले सकती है।

डा. किरोड़ी लाल : इसका तो खाटू श्यामजी और सीकर का इलाका था, इसने जोधपुर और जयपुर में भी काम किया उत्पादन और बिक्री का।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारे प्रमाण पत्र में लिखा हुआ रहता है। कार्य क्षेत्र खादी के लिये निर्धारित है।

डा. किरोड़ी लाल : आप बताओ न, इस प्रमाण पत्र में क्या लिखा है?

श्री रतन लाल ताम्बी : इसमें भण्डारों में बिक्री कहीं भी कर सकते हैं।

डा. किरोड़ी लाल : आप तो यह बताओ, इस प्रमाण पत्र में क्या लिखा है जिसको आपने इश्यू किया है?

श्री रतन लाल ताम्बी : उस प्रमाण पत्र में लिखा है...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : मुम्बई में जारी किया, मेरा जवाब नहीं आया है। पहले मुम्बई का...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, खादी प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है वह मुम्बई से होता है खादी आयोग से। उसमें जो जारी किये गये हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह सुन लिया हमने। आपने अभिशंसा की उसमें क्या तथ्य थे, वह बताओ। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : खादी बोर्ड ने कोई अनुशंसा नहीं की। राज्य सरकार ने नहीं की, खादी आयोग ने की। आयोग ने यह अनुशंसा की है कि जो प्रमाण पत्र जारी किया गया, अगले पांच वर्षों के लिये और इसका नवीनीकरण किया जाए।

डा. किरोड़ी लाल : एरिया आफ वर्क कौनसा होगा? अध्यक्ष महोदय, उनके क्रय और उत्पादन का एरिया केवल सीकर था जबकि उसने जोधपुर और जयपुर में भण्डारण किया। यहां पर भी काम किया।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैंने आपको यह निवेदन किया है कि खादी की बिक्री के लिये कोई एरिया निर्धारित नहीं है। असीमित है, कहीं भी कर सकते हैं।

डा. किरोड़ी लाल : आप तो प्रमाण पत्र में क्या दिया है और जो नवीनीकरण किया है, वह बता दो।

श्री रतन लाल ताम्बी : प्रमाण पत्र में, यह जो एक्ट है, बता रहा हूं, प्रमाण पत्र में यह दिया हुआ है कि खादी बिक्री के भण्डार प्रदेश में कहीं भी स्थापित कर सकते हैं बिक्री की दृष्टि से, इसमें कार्य क्षेत्र का झगड़ा नहीं आएगा।

डा. किरोड़ी लाल : हमारे सवालों का जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : मंत्रीजी, राजस्थान में खादी की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वे बिलकुल बन्द होने के कगार पर हैं। राज्य सरकार क्या कोई प्रस्ताव रखती है कि इसको किसी से रिट्राइव करके वापस मदद करके किसी तरह का काम मिले?

श्री रतन लाल ताम्बी : इन संस्थाओं को सम्बल प्रदान करने के लिये राज्य सरकार ने दो लाख रुपये तक का, राज्य सरकार के जो विभाग हैं उसमें खरीद के लिये अनिवार्यता कर दी है, और भविष्य में हम इसको और बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : अच्छा, आप यह बता दो, सीनियर लेखाधिकारी ने जांच रिपोर्ट दी थी कि यह संस्था फर्जी है और आप कह रहे हो कि वह फर्जी नहीं है। उसके बाद में वह काम करती रही और फिर उसने घटिया स्तर की गाज और बैण्डेज सप्लाई किये और मुख्य मंत्रीजी ने जांच करवाई वह मानकों के अनुकूल नहीं पायी गयी।

श्री रतन लाल ताम्बी : माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश और अखबारों में आई कतरनों पर मेरे निर्देश पर ही तो जांच जारी की है हमने।

श्री केसाराम चौधरी : आपने यह "जी नहीं" कैसे कहा प्रश्न के तीसरे खण्ड में? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : संस्था फर्जी है कि नहीं? (व्यवधान) संस्था फर्जी है कि नहीं, आप यह बताओ? (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : संस्था फर्जी हो, इसकी तो हमारे सामने कोई स्थिति आयी नहीं। (व्यवधान) संस्था अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन करता है अलग से विभाग उसकी ओर से, आज तक फर्जी संस्था का कोई मामला सामने नहीं आया।

डा. किरोड़ी लाल : आपका सीनियर लेखाधिकारी यह कह रहा है कि इस नाम की कोई संस्था खाटू श्यामजी में नहीं चलती, यह पूरी तरह से फर्जी है। आप उसको सही मानते हो कि नहीं मानते हो?

श्री रतन लाल ताम्बी : इस सम्बन्ध में जांच का जो तथ्य है उसमें सारी बातें शामिल हैं और जांच आने के बाद इस पर हम निश्चित कार्यवाही करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड-3 में मंत्रीजी ने कहा है कि संस्था द्वारा घटिया आपूर्ति की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि जिला परिषद सीकर के सी.ई.ओ. ने 23.7.1999 को सचिव, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग को पत्र क्रमांक 2153 के माध्यम से शिकायत की कि संस्था ने राजीव गांधी पाठशाला में जो 52,050 नग दरियां भेजी, वे घटिया स्तर की थीं? क्या यह भी सही है कि किसी संस्था की शिकायत झालावाड़ के जिला कलक्टर और सी.एम.एच.ओ. झालावाड़ ने की कि इस संस्था ने जो बिल भेजा उसके मुताबिक सामान भेजा नहीं, बिल्टी में सामान कम निकला? क्या यह भी सही है कि इस संस्था की आपके ए.ए.ओ. ने जांच की जिला कलक्टर और सी.ई.ओ. सीकर के पत्र के आधार पर और पूरी जांच करने के बाद में कहा कि खाटू श्यामजी में इस नाम की कोई संस्था नहीं है? क्या यह भी सही है कि आपके विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेन्द्र कुमार व सहायक निदेशक प्रमोद शास्त्री ने इस संस्था को वैध माना, जबकि सारी जांच के पश्चात् यह संस्था बिलकुल अप्रमाणिक थी, संस्था फ़र्जी थी और एक-दो नहीं बीस करोड़ का घपला इस संस्था ने किया?

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, 24.5.2002 को राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कहा कि शिकायत प्राप्त नहीं हुई। मैं टेबल करना चाहता हूं सी.ई.ओ. सीकर और जिला कलक्टर झालावाड़ का वह पत्र जो आपके सचिव को इन्होंने लिखा है कि इस संस्था ने घटिया माल दिया, इस संस्था ने पूरे माल की आपूर्ति नहीं की। आप तथ्यों को क्यों छिपा रहे हैं? यह पत्र में टेबल करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हमने 24.5.2002 को आदेश जारी कर दिये हैं कि इस संस्था के बारे में गम्भीर शिकायतें हैं और इसमें रोक लगा दी खरीद की और उसके बाद जांच की कार्यवाही जारी कर दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर आपने राजस्थान के इस पवित्र सदन में यह उत्तर कैसे दिया खण्ड तीन में कि आपके पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई? अध्यक्ष महोदय, यह सदन की गरिमा पर एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तरह से ठेस लगायी है। यह उत्तर यह देते हैं...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं आज भी कह रहा हूं शिकायत प्राप्त नहीं हुई। हम आज भी कह रहे हैं शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

श्री केसाराम चौधरी : तो मुख्य मंत्रीजी को सपना आ गया कि आपको निर्देशित कर दिया?

श्री अध्यक्ष : बैठिये। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : मुख्य मंत्रीजी की कतरन के आधार पर, हमारी कतरन के आधार पर ही जांच हुई है। शिकायत कहीं से प्राप्त नहीं हुई।

श्री केसाराम चौधरी : आपने अभी पहले अपने जवाब में कहा है कि मुख्य मंत्रीजी के निर्देश से, तो फिर मुख्य मंत्रीजी का निर्देश अपने सपने सामने से हो गया?

श्री अध्यक्ष : श्री केसारामजी।

श्री रतन लाल ताम्बी : नहीं, मुख्य मंत्रीजी के पास में अखबार की कतरन का आधार है और हमारी कतरन का आधार है। यही आधार है दोनों का ही, दोनों के ऊपर जांच के आदेश दिये हैं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : यह जो शिकायत है, आप कहें, टेबल कर देते हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इसमें जांच के आदेश हैं।

श्री अमराराम (धोद) : सी.ई.ओ., सीकर ने जो शिकायत खादी बोर्ड को भेजी है उसको आप शिकायत नहीं मानते, प्रशंसा पत्र मानते हैं?

श्री रतन लाल ताम्बी : खादी बोर्ड को शिकायत बिलकुल नहीं आयी।

श्री अमराराम (धोद) : जो शिकायत सी.ई.ओ., सीकर ने भेजी है और इस संस्था ने...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं वह पत्र। पत्र है सचिव, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर को। पत्र का नम्बर है–क्रय/992153/तारीख 27.7.1999 और उसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, चूरू लिख रहे हैं–"इस कार्यालय के आदेश क्रमांक इतने-इतने के तहत 14.7.1999 द्वारा राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला हेतु खादी ग्रामोद्योग भण्डार, खाटू श्यामजी द्वारा जो संचालित है, उसमें 5250 नग दरी-पट्टियों का क्रयादेश जारी किया। प्राप्त शिकायतों की छाया प्रतिलिपि भेज कर लेख है कि उक्त क्रयादेश के बारे में पूर्ण जांच करने का कष्ट करिये।" यह शिकायत नहीं है?

श्री अमराराम (धोद) : यह शिकायत है। यह शिकायत है या प्रशंसा पत्र है, यह बता दो?

श्री केसाराम चौधरी : यह आप का, ताम्बीजी का प्रशंसा पत्र है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह जमीन घोटाला है।

श्री रतन लाल ताम्बी : जो मैंने आपसे निवेदन किया, बार-बार मैं वही कर रहा हूं कि राज्य सरकार के पास शिकायत कोई आयी नहीं थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप छिपाना क्यों चाहते हो?

श्री रतन लाल ताम्बी : और जो शिकायत आयी अखबार के आधार को मानकर, सारी जांच करवायी है। जांच रिपोर्ट अगले महीने तक आपके समक्ष आ जाएगी। न तो कोई हम बचाना चाहते हैं। हमारे स्तर पर इतनी गम्भीरता से लिया कि मुख्य मंत्रीजी ने भी आदेश दिये और मैंने भी आदेश दिये। अब उसी आधार पर जांच हो रही है। उसमें ये सारे बिन्दु जितने आपने शामिल किये हैं, इसी आधार पर 24 तारीख को आदेश जारी कर दिये गये हैं 24 मई को ही। सरकारी विभागों में खादी परिषद्, खाटू श्यामजी, सीकर द्वारा की जाने वाली अनियमित आपूर्ति के क्रम में समस्त जिला कलक्टर राजस्थान को, समस्त उनके अधिनस्थ जितने विभाग हैं, उनको निर्देश जारी कर दिये हैं कि जब तक इस संस्था की जांच नहीं हो जाए, इस पर आरोप गम्भीर मानते हुए हम लोग यह चाहते हैं कि इस पर बिलकुल रोक हो जाए खरीद की। ये आदेश ज़ारी किये हुए हैं।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक क्वेश्चन है। जब उस पर आरोप गम्भीर हैं तो उसके बाद भी आपने 70-80 लाख के आदेश कैसे दे दिये?

श्री रतन लाल ताम्बी : नहीं, हमने तो कोई आदेश दिये नहीं।

डा. किरोड़ी लाल : दिये हैं, मैं बताऊं?

श्री रतन लाल ताम्बी : समस्त विभागों ने दिये हैं जो हमारे ध्यान में आया है। रोक दिया हम ने। इसी की जांच करवा रहे हैं हम। 24.5 को आदेश जारी करके रोक लगा दी कि खरीद कोई नहीं करे इससे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बता दो कि जो ए.ए.ओ. फजलुर्रहमान ने जांच की, जो जांच आपकी है, जिसमें यह कहा कि इस संस्था का अस्तित्व नहीं है, यह जांच किसके आदेश से की? ए.ए.ओ. खुद जांच करने के लिए सक्षम नहीं है, इसके जांच के आदेश किसने दिये? जांच की प्रतिलिपि क्या आपको प्राप्त हुई है? अगर आपके पास प्रतिलिपि नहीं है तो वह भी मैं टेबल कर दूं? जिस तरह से आपने कहा न कि शिकायत नहीं है, यहां टेबल कर देता हूं।

डा. किरोड़ी लाल : जवाब दो, इसका जवाब दो।

श्री रतन लाल ताम्बी : ये जितने भी बिन्दु आप बता रहे हैं, सारे जांच के विषय में शामिल कर दिये गये हैं और इसकी पूरी जांच आपके सामने अगले महीने तक आ जाएगी।

श्री केसाराम चौधरी : तो फिर आप खुला क्यों नहीं बताते?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बता दें कि खाटू श्यामजी में यह जो संस्था रजिस्टर्ड है, क्या भौतिक रूप से खाटू श्यामजी में है क्या?

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं यह निवेदन कर चुका हूं कि आयोग द्वारा यह संस्था मान्यता प्राप्त है मुम्बई से।...(व्यवधान)... अब यह है या नहीं है, ये सब जांच के विषय हो गये। आयोग से जांच ही प्रमाण देने के बाद जारी करवा दी गयी है।

श्री अमराराम (धोद) : रजिस्ट्रेशन तो है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो संस्था रजिस्टर्ड है, क्या भौतिक रूप से खाटू श्यामजी में इस नाम की कोई संस्था है? कोई नहीं है। असली बात तो यह है कि भौतिक रूप से खाटू श्यामजी में कोई संस्था नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : अब अस्तित्व में है क्या, यह बताओ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो बता दो है कि नहीं है? आप बता दो कि खाटू श्यामजी में जहां से इस संस्था का रजिस्ट्रेशन है, वहां संस्था है क्या? एक सवाल का जवाब दे दो।

डा. किरोड़ी लाल : अब है क्या फिजिकली?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और ए.ए.ओ. की रिपोर्ट ने इस संस्था को फर्जी बताया या नहीं बताया? इन दो बातों का जवाब दे दो, हम संतुष्ट हैं।

श्री अमराराम (धोद) : है ही नहीं संस्था।

श्री रतन लाल ताम्बी : आप फर्जी मान रहे हैं, संस्था तो है।

श्री अमराराम (धोद) : फर्जी नहीं, संस्था है ही नहीं।

श्री रतन लाल ताम्बी : इसकी यही तो जांच करवा रहे हैं। हम जांच यही करवा रहे हैं। (व्यवधान) जांच यही हो रही है कि यह संस्था फर्जी है, इसने गलत सप्लाई की है, यह किया जा रहा है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : संस्था खाटू श्यामजी में नहीं है, सीनियर ए.ओ. की रिपोर्ट है।

श्री अमराराम (धोद) : भौतिक रूप से कोई संस्था नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह रिपोर्ट है। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : नहीं, तो जांच में आ जाएगा, कार्यवाही की जाएगी उनके खिलाफ।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह आपकी जेब में है...(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह कहना कतई गलत है कि वह संस्था खाटू में नहीं है।

श्री रतन लाल ताम्बी : रिपोर्ट भी आयी हुई है पहले की।

श्री नारायण सिंह : खाटू में संस्था तो है, अब उसने किस तरह का माल बेचा है, किया है, वह अलग बात है। मैंने मेरी आंखों से देखा है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में है और वह है वहां। आप यह नहीं कह सकते कि वह संस्था वहां है ही नहीं।

श्री धर्मपाल चौधरी : तो मंत्रीजी जवाब दें। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : है कहां? मंत्रीजी को तो पता ही नहीं, आपको पता है। आपको क्या पता?

डा. किरोड़ी लाल : आप मंत्री हो गये क्या? आप मंत्री बन जाओ। आप मंत्री नहीं हो। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आप मंत्री नहीं हो। मंत्रीजी से कहला दो।

श्री सांवर लाल : आप बता दो खड़े होकर। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आप मंत्रीजी से कहला दो। मंत्रीजी, यह बात कह दो आप जो कह रहे हो।

श्री नारायण सिंह : आपको तो जानकारी ही नहीं है। आप तो यों ही हवा में तीर मार रहे हैं। मैंने तो मेरी आंखों से देखा है, बोर्ड लगा हुआ है, संस्था है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको तो मंत्री बनने का इन्तजार है।

श्री नारायण सिंह : वह कैसे चलती है, क्या करती है इसके लिए... (व्यवधान)...मैं कुछ नहीं कहता हूं।

श्री अमराराम (धोद) : आपके विधान सभा क्षेत्र में है तो यह बता दो कि वह संस्था गाज पट्टी बनाती है क्या खाटू में?

श्री नारायण सिंह : मैं यह कब कह रहा हूं? मैं नहीं कह रहा हूं। (व्यवधान) वह क्या बनाती है, क्या नहीं करती है, लेकिन संस्था तो वहां है। मैम्बर उस संस्था के दूसरे लोग हैं, यह तो सही है।

श्री अमराराम (धोद) : वहां कोई निर्माण नहीं होता है। (व्यवधान) रजिस्ट्रेशन है, लोग हैं, किसी तरह का निर्माण नहीं होता। केवल रजिस्ट्रेशन कर के खादी के नाम पर चीटिंग की जा रही है।

श्री नारायण सिंह : आप यह कह रहे हैं कि संस्था नहीं है, वह तो है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जिस जांच का मैंने जिक्र किया उस जांच का आदेश उसके अध्यक्ष ने दिया। आप कहो तो मैं टेबल करूं। उस जांच में उन्होंने लिखा है-उपरोक्त बिन्दुओं की जांच के सम्बन्ध में निम्नांकित स्थिति पायी गयी-खाटू श्यामजी में जानकारी करने पर स्पष्ट हुआ कि वर्तमान में खादी परिषद् संस्थान का अस्तित्व नहीं है और न ही यह संस्था कार्यरत है। यह तथ्य सरपंच द्वारा पुष्ट किया गया। यह कागज सरपंच के द्वारा पुष्ट किया गया। यह जांच रिपोर्ट है। यह जांच रिपोर्ट यह कहती है कि संस्था नहीं है। और यह जांच और किसी ने नहीं, आपके अध्यक्ष के निर्देशानुसार बोर्ड के वित्त सलाहकार और मुख्य लेखाधिकारी महोदय की टिप्पणी दिनांक 4.10.2001 के अनुसार यह जांच की गयी।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। श्री नारायण सिंहजी।

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें दरअसल झगड़ा है। वहां जो श्याम मन्दिर कमेटी है, इस माथुर ने उनकी शिकायत की। इस आधार पर ही वह दूसरी शिकायत करते हैं। दोनों तरफ ही घोटाले हैं, मन्दिर में भी है। मन्दिर वाले इनकी शिकायत करते हैं और यह इसलिए कर रहे हैं कि मन्दिर के घोटाले को छिपाने के लिए...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : आपका चुनाव क्षेत्र है, सब तरफ घोटाले हैं, आप मान रहे हैं इस बात को। मंत्रीजी को बोलने दो न, मंत्रीजी कह दें यह बात। आप जो कह रहे हैं सब तरफ घोटाले की बात, मंत्रीजी कह दें। ताम्बीजी, आप कहो जो इनके क्षेत्र में घोटाले बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : अब माल कैसा है...(व्यवधान) क्या हुआ, कहां हुआ, घटिया था, अच्छा था, यह जांच का विषय है और जांच हो जानी चाहिए। किसी एक के घोटाले को दबाने के लिए दूसरे पर लांछन लगा रहे हो, यह उचित नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : +++ आप बताओ। जमीन घोटाला हुआ और अब इस घोटाले के बारे में बताओ। (व्यवधान) घोटाले के एक्सपर्ट हो आप तो। अपने बेटे के लिए (व्यवधान) अब बताओ इसमें है कि नहीं है।

श्री केसाराम चौधरी : मंत्रीजी, आप बता दो खड़े होकर।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं आया। मेरा प्रश्न है कि केन्द्रीय प्रमाण-पत्र समिति मुम्बई द्वारा जारी खाटू श्यामजी खादी परिषद् पंजीयन किन वस्तुओं के विक्रय हेतु किया गया तथा पंजीयन की अवधि किस वर्ष एवं तारीख तक थी? वह वर्ष और तारीख बताएं कि खाटू श्यामजी का

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री केसाराम चौधरी)

पंजीयन कितने वर्ष तक था? आपने प्रश्न के जवाब में बताया है कि अभिशंसा के बाद कोई भी संस्था खादी उत्पादन व बिक्री कर सकती है, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें। यह रजिस्ट्रेशन तो खादी का करते हैं, उनके नियम क्या हैं, किस तरह से उनकी बिक्री करेंगे और किसके लिए यह संस्था रजिस्टर्ड होती है, यह आप बता दें। (व्यवधान) घोटाले तो हैं ही, घोटाले की तो आप जांच करवाएंगे।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ललित के. पंवार, तत्कालीन निदेशक, प्राइमरी एजुकेशन निदेशालय, बीकानेर ने यह जो माथुर नाम ले रहे हैं इसके खिलाफ एक एफ.आई.आर. दर्ज करायी है। इसका नम्बर है 73/97, 420 की, और उसके बाद भी इस संस्था को वही चला रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसके बाद भी संस्था को वही चला रहा है और फिर आप कहते हो कि यह संस्था ठीक है।

श्री नारायण सिंह : मंत्रीजी ने कह दिया न, जांच करा लेंगे, इसके बाद क्या बात हो गयी? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : संस्था फर्जी है, एफ.आई.आर. दर्ज करायी है।

श्री रतन लाल ताम्बी : माननीय सदस्य, आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही तो इन सारी बातों को लेकर जांच करवायी जा रही है। आप जांच का इन्तजार करो न।

श्री केसाराम चौधरी : फिर काहे की जांच है? किस बात की जांच है?

श्री रतन लाल ताम्बी : और प्रमाण पत्र जारी करना या निरस्त करने का आयोग को अधिकार है, राजस्थान को अधिकार नहीं है किसी को।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्री महोदय, संस्था ही नहीं है।

श्री रतन लाल ताम्बी : संस्था नहीं है तो वह आयोग को सारी कार्यवाही जांच में लेकर लिखेंगे हम कि समाप्त करें इसको। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : फिर आप क्या पूछ रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने परिपत्र के नवीनीकरण की अभिशंसा किस आधार पर कर दी? क्या आधार था कि आपने अभिशंसा कर दी? जिसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज है...(व्यवधान) क्या आधार था कि आपने अभिशंसा कर दी?

श्री रतन लाल ताम्बी : हम लोगों ने नहीं की है। आयोग के अन्तर्गत है, आयोग ने अभिशंसा की है।

श्री केसाराम चौधरी : आयोग आपके अण्डर में है या नहीं? (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आयोग हमारे अण्डर में नहीं होता। आयोग भारत सरकार के अण्डर में होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रतन लाल ताम्बी : उसके अन्तर्गत अभिशंसा की गयी है। जांच हमारे यहां हो रही है, अगर जांच में अनियमितता पायी जाएगी तो राजस्थान सरकार ऐसे लोगों को नहीं बख्शेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। अलाउ नहीं। बैठिए। (व्यवधान) नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब ही नहीं आया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है, आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं। अंकित नहीं हो। कृपया बैठिए। नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठिए। अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री केसाराम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा, मैं पहले कह चुका हूं।

श्री केसाराम चौधरी : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री केसाराम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। माननीय सदस्य, आप सदन के अन्दर अव्यवस्था मत फैलाइये। श्री अमराराम।

श्री केसाराम चौधरी : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री अध्यक्ष : डा. किरोड़ी लालजी, बैठिए। अगला क्वेश्चन।

श्री केसाराम चौधरी : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री अध्यक्ष : नहीं। मैं आपको काल करता हूं। मैं आपका नाम ले रहा हूं। नैक्स्ट क्वेश्चन।

प्राथमिक विद्यालय, जाना (सीकर) का क्रमोन्नयन

388. श्री अमराराम (धोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शैक्षणिक सत्र 2002-03 में विधान सभा क्षेत्र धोद में कितने प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है?

(2) सरकार द्वारा विद्यालय क्रमोन्नति में क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं?

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अमराराम)

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय जाना पंचायत समिति दांतारामगढ़ के विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं करने के क्या कारण हैं?

(4) अब उक्त विद्यालय को कब तक क्रमोन्नत कर दिया जाएगा?

शिक्षा मंत्री (डा. बी.डी. कल्ला): (1) शैक्षणिक सत्र 2002–03 में विधान सभा क्षेत्र धोद के एक प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा विद्यालय क्रमोन्नति हेतु निर्धारित मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) पंचायत मुख्यालय जाना का प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नति के निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति नहीं करता है।

(4) क्रमोन्नति हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति एवं गुणवत्ता के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किया जाएगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपने एक विद्यालय क्रमोन्नत करने का बताया है, यह विद्यालय तो प्राइमरी से सीधा सैकण्डरी हुआ है। इसमें केवल एक दिन पहले मिडल स्कूल का आदेश दिया गया है, मुख्य मंत्रीजी द्वारा शहीद अनावरण के वक्त किया गया है। केवल वह विद्यालय किया गया है।

आपने जो मापदण्ड बताये हैं, अध्यक्ष महोदय, जाना के बारे में आपने कहा कि मापदण्ड नहीं होते हैं। आपने जो ये मापदण्ड दिये हैं, आबादी का एक हजार का दिया है, पांचवीं कक्षा के बीस विद्यार्थियों को दिया है, एक से पांच तक सौ विद्यार्थी होने का दिया है और फीडर स्कूल दो होने का दिया है। आखिरी आपने दिया है दो किलोमीटर और उसके बाद दिया जन प्रतिनिधियों का केवल यह जन प्रतिनिधि वाला ही नहीं है, बाकी तो कौनसा मापदण्ड है जो जाना पंचायत मुख्यालय का स्कूल पूर्ति नहीं करता है? और क्या निर्धारित मापदण्ड पूरे नहीं करते हैं? सीकर जिले में जो उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं प्राइमरी से, क्या वे तमाम मापदण्ड पूर्ण करते हैं?

डा. बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राज्य में पिछले वर्ष जो उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय खोले गये, उनमें बराबर इस बात का ध्यान रखा गया कि कहां पर जनसंख्या, विद्यार्थियों उनमें की संख्या, फीडर इंस्टीट्यूशन और इसी के साथ-साथ जो अन्तिम कक्षा है, जैसे मान लीजिए, जहां पर पांचवीं से आठवीं करनी है, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक करनी है तो पांचवीं की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या उस स्कूल में कितनी है, उन आधारों को लेकर किया था। उसमें यह जो जाना का प्राथमिक विद्यालय था, वह एक तरीके से पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता था।

श्री अमराराम (धोद) : कौनसा, यह तो बताओ?

डा. बी. डी. कल्ला : उसमें विद्यार्थियों की संख्या मेरे ख्याल से पूरी नहीं थी।

श्री अमराराम (धोद) : पूरी है।

डा. बी. डी. कल्ला : नहीं है। उन्नीस थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में...(व्यवधान) एक मिनट, मैं मेरा उत्तर पूरा कर लूं।

पिछले वर्षों में आपके यहां आठ उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं और बारह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं। मेरे पास पूरी सूची है, सूची के अनुसार आपके क्षेत्र धोद में कुल मिलाकर बारह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खुले हैं। सीकर में 12 खुले हैं, लक्ष्मणगढ़ में दस खुले हैं, दांतारामगढ़ में 12 खुले हैं, खण्डेला में 10 खुले हैं और श्रीमाधोपुर में 10 खुले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमने आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और जो माननीय सदस्य हैं, आपके यहां उनसे ज्यादा खोले हैं। फिर आपको यह प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए कि आपके यहां स्कूल्स नहीं खोले गये। हमने मंत्रियों के क्षेत्रों में स्कूल्स कम खोले हैं और आपके यहां ज्यादा स्कूल्स खोले हैं। (व्यवधान) एक मिनट, मुझे पूरा कर लेने दीजिए।

श्री नारायण सिंह : जाना का नाम तो इस लिस्ट में लिखा ही नहीं था, इन्होंने ही नहीं लिखा। वह तो आप वाहवाही के लिए कर रहे हैं।

डा. बी.डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने आपके यहां जो स्कूल्स खोले–1993-94 में एक भी स्कूल नहीं खोला, 1996-97 में एक भी नहीं खोला, 1997-98 में एक भी स्कूल नहीं खोला, 1994-95 में आपके यहां एक स्कूल खोला।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जाना पंचायत समिति और दांतारामगढ़ विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं करने के क्या कारण हैं, आप तो यह बताओ न?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ ही नहीं रहा हूं कि 1996 में कितनी खुलीं, 1995 में कितनी खुलीं और आप उत्तर दे रहे हैं। मैंने जो पूछा है, आप उसका उत्तर दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा है कि मानदण्ड पूरे नहीं करते हैं। जाना पंचायत मुख्यालय में एक हजार से ज्यादा की आबादी है। वहां पांचवीं कक्षा में 23 विद्यार्थी हैं, एक से पांच तक 159 विद्यार्थी हैं। वहां फीडर विद्यालय दो से ज्यादा हैं। रिकमण्ड का जहां तक सवाल है, मैंने एक नम्बर पर किया है। आप तो मुझे यह बताइये कि 19 कहां हैं? आप 19 की कह रहे हैं। पिछली साल जिस स्कूल का आपने किया है उस विद्यालय में 23 विद्यार्थी थे, सौ विद्यार्थी थे और पंचायत मुख्यालय है। जहां तक जन

(श्री अमराराम)

प्रतिनिधि का सवाल है, क्या आप कांग्रेस जन प्रतिनिधि को ही जन प्रतिनिधि मानते हैं? (व्यवधान) मैं पूछ रहा हूं, मिडल स्कूल की...

श्री नारायण सिंह : अमराराजी, आपके विधान सभा क्षेत्र में लोसल में...

श्री धर्मपाल चौधरी : आप मंत्री हो क्या? आप कौन हो? (व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : छांगल्या में, फूड में और गोठड़ा में चार सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल इस साल हुई हैं और आप कह रहे हैं कि आपके यहां हुआ ही नहीं। आप इसके लिए तो कहो, इसके लिए धन्यवाद दो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को मुख्य मंत्रीजी ने मंत्री लायक समझा नहीं, अब जबरदस्ती उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्रीजी, मुझे यह बताइये कि क्या केवल कांग्रेस के जन प्रतिनिधि को प्रतिनिधि मानते हैं? मैंने तो पांच स्कूल्स को इस विधान सभा क्षेत्र में उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करने के लिए लिखा था, क्या ये तमाम मापदण्ड पूरा करती हैं? मैलासी, परड़ोली बड़ी, देवगढ़, अर्जुनपुरा और जाना– क्या ये सब एक हजार से ज्यादा की आबादी के हैं? दो किलोमीटर नहीं, चार किलोमीटर तक कोई मिडल स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और उसके बाद भी आपने नहीं खोले जितने भी आपने बाकी खोले हैं उनमें आप यह बता दें, डेढ़–डेढ़ किलोमीटर पर दूसरी उच्च प्राथमिक विद्यालय है वहां आपने खोल दिये। धोद विधान सभा क्षेत्र में केवल इसलिए नहीं खोला गया कि वहां आपके विरोधी के रूप में सी.पी.एम का जन प्रतिनिधि है। मेरा आरोप है कि सरकार ने राजनीतिक आधार पर स्कूलें खोलने का काम किया है। यह कतई अनुचित है। कब यह आपका पूर्ण होगा? आपने कहा है गुणावगुण के आधार पर, कौनसा गुणावगुण है? जाना पंचायत हैडक्वार्टर है, सीकर में एक भी पंचायत हैडक्वार्टर आप ऐसा बता दीजिए कि जिसमें मिडल स्कूल नहीं है?

डा. बी. डी. कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक आधार पर हमने कोई स्कूल नहीं खोले हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : खोले हैं, खोले हैं।

डा. बी. डी. कल्ला : दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि आपके यहां इसी वर्ष 2002–2003 में दो माध्यमिक और तीन उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले हैं। जो मैं समझता हूं...

श्री अमराराम (धोद) : मैं मिडल पूछ रहा हूं।

श्री सांवर लाल : आपसे, मंत्रीजी, यह सवाल नहीं किया जा रहा। आपसे तो जो

(श्री सांवर लाल)

पूछा है वही जवाब दीजिए... (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : जवाब दे रहा हूं न।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप तो यह बता दो। (व्यवधान) पूरे दौसा विधान सभा क्षेत्र का...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : भेदभावपूर्ण खोले हैं और उसके बाद कोई अध्यापक नहीं लगाये स्कूलों में। आज तक गणित, अंग्रेजी पढ़ाने वाला लगाया क्या आपने? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : केवल धोद के बारे में प्रश्न किया गया। मैं सारी बात...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप क्यों बता रहे हो तो? जो पूछे वहीं जवाब दो।

डा. बी. डी. कल्ला : दे रहा हूं। (व्यवधान) आप जैसा निवेदन करेंगे वैसा जवाब तो दूंगा नहीं मैं।

श्री अमराराम (धोद) : ये जो पांच हैं इनमें कौन कौनसे मापदण्ड नहीं हैं, आप तो यह बताइये?

डा. बी. डी. कल्ला : बता रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद) : दो किलोमीटर, बीस से ज्यादा संख्या, एक हजार से ज्यादा आबादी...

डा. बी. डी. कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताया कि वहां विद्यार्थियों की संख्या पांचवीं में पूरी नहीं थी, इसके कारण ये स्कूलें नहीं खुलीं। जनसंख्या की दृष्टि से, फीडर इंस्टीट्यूशन की दृष्टि से और अन्य जो आपने बताये हैं वह क्राइटेरिया वह फुलफिल करता था, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या वहां पूरी नहीं थी, ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। जहां तक आपका यह कहना है कि इस पंचायत में कोई स्कूल नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगरासी में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय जो जाना पंचायत क्षेत्र में है, वहां पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय पहले से है।

अब रहा सवाल तो आपको सीनियर सैकण्डरी स्कूल तीन मिल गयीं। आप बताइये, इन माननीय सदस्यों में किन किन को तीन सीनियर सैकण्डरी स्कूल मिली? दो सैकण्डरी स्कूल आपको दी है, इसके बावजूद आप राजनीतिक आधार पर कह रहे हैं। तब तो सब भी कहेंगे कि हमारे साथ भेदभाव किया गया। यह उचित नहीं है। जहां जो आवश्यकता थी, अध्यक्ष महोदय, उन आवश्यकताओं के अनुरूप चार सौ सीनियर सैकण्डरी स्कूल... (व्यवधान) तीन सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलना...(व्यवधान) और फिर वह यह कहें कि हम भेदभाव कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

महोदय, मंत्रीजी कह रहे हैं कि राजनीतिक भेदभाव से स्कूल नहीं खोले गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि डांग क्षेत्र में जहां बीस–बीस किलोमीटर तक कोई हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं हैं, मैं बार बार चिन्ता सदन में व्यक्त करता रहा हूं, शिक्षा के अभाव में...

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न नहीं है। धोद का प्रश्न है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप तो, मंत्रीजी, यह बता दीजिए कि जाना से मदरासी कितने किलोमीटर है? (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के अभाव में वहां आये दिन क्राइम होते रहते हैं और दिनों दिन वृद्धि हो रही है...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : स्कूलें खोलने में आपने पूरी तरह राजनीतिकरण किया है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जाना से कितने किलोमीटर है?

डा. बी. डी. कल्ला : चार किलोमीटर।

श्री अमराराम (धोद) : चार किलोमीटर (व्यवधान) इसको असुविधा बता रहे हैं। (व्यवधान) आप तो मुझे यह बता दीजिए, देवगढ़ और अर्जुनपुरा...(व्यवधान) पांच किलोमीटर में कोई मिडल स्कूल की सुविधा नहीं है। मंत्री महोदय, आप तो यह बता दें कि ऐसे कितने पंचायत मुख्यालय हैं?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से ही खड़ा हुआ हूं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, एक सैकण्ड जरूर मुझे दें।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो यह बता दें, ऐसे कितने पंचायत मुख्यालय हैं सीकर जिले में जो मिडल स्कूल की सुविधा नहीं रखते हैं? ये जो पांच स्कूल मैंने बतायी हैं इनमें यह क्राइटेरिया कौनसा पूरा नहीं करती है, यह बता दीजिए? धोद विधान सभा क्षेत्र के हैं...

डा. बी. डी. कल्ला : जैसा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में बताया...

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वास्तव में दूरी के हिसाब से लड़कियों की संख्या कम हो सकती है, आप रेकार्ड के आधार पर कहते हैं। पंचायत मुख्यालय है और उसकी दूसरी जो फीडर स्कूलें हैं मिडल, आप मगरासी की कह रहे हैं वह चार किलोमीटर से दूर है। इसलिए मेहरबानी करके अगले सत्र में जब आप बने तो जाना का ध्यान रखिएगा। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको खतम कर देता हूं। दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप तो लालसोट में, महुवा में कितनी स्कूलें खोली, इसका जवाब दें? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : भविष्य में जब भी खोलेंगे...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : लालसोट में, महुवा में और दौसा में कितनी खोली, इसका जवाब दे दें आप?

श्री अमराराम (धोद) : भविष्य में कब खोलेंगे? भविष्य में आपके बजट में प्रोविजन नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, बीस बीस किलोमीटर तक एक भी हाई स्कूल नहीं है...(व्यवधान) राजनीतिक भेदभाव की बात करते हैं...

श्री अमराराम (धोद) : भविष्य में कोई प्रोविजन है नहीं, आप तो आज कीजिए। ये जो पांच स्कूल हैं...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह क्राइटेरिया बता रहे हैं वह पूर्ण करते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ब्रजट काहे में चाहिए इनको?

श्री अध्यक्ष : शिक्षा की मांग है इसलिए अपने विचार आप सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न आ गया, आपके आदेश से मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : यह धोद का प्रश्न है...(व्यवधान) यह धोद का प्रश्न है, धोद क्षेत्र का।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : बीस बीस किलोमीटर तक एक भी स्कूल नहीं है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : लालसोट में पांच खोलीं, महुवा में छह और दौसा में दो भी नहीं। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, वहां पर क्राइम हो रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी यह बताएं कि मैलासी, देवगढ़, परड़ोली, अर्जुनपुरा में आपके मापदण्ड पूरे होते हैं या नहीं होते हैं? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वहां पर इन्होंने जाना में स्कूल नहीं खोली।

डा. बी. डी. कल्ला : आपने केवल जाना का प्रश्न पूछा है, इसको अलग से उठाकर पूछ लेना।

श्री अमराराम (धोद) : मैंने धोद विधान सभा क्षेत्र का पूछा है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : पूरी तरह से राजनीतिकरण किया है आपने स्कूलें खोलने में, क्रमोन्नत करने के अन्दर। (व्यवधान) राजनीति की है, पूरी आपने राजनीति की है...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : जहां हमने उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले हैं वहां राजनीतिक भेदभाव बिलकुल नहीं किया है हमने।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मंत्रियों के क्षेत्र में चार-चार, पांच-पांच स्कूलें... (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आप राजनीतिक भेदभाव की बात नहीं कर रहे हैं तो मुझे बता दें कि डांग क्षेत्र में आपने एक भी स्कूल...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि लालसोट में कितनी खोली और महुवा में कितनी खोली और दौसा में कितनी खोली, इसका जवाब दे दो? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : यह केवल धोद का प्रश्न है, आप अलग से प्रश्न कर लें, मैं बता दूंगा। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मैं धोद का ही पूछ रहा हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह प्रश्न धोद का नहीं है, इसमें आपसे पूछा है कि मापदण्ड क्या हैं? (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया मुझे बताएं कि ऐसे...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : देवगढ़ जिसकी आबादी दो हजार की है, पांच किलोमीटर में कोई मिडल स्कूल की व्यवस्था नहीं है, दो सौ से ज्यादा विद्यार्थी हैं, मुझे तो आप बताइये, अर्जुनपुरा, देवगढ़, परड़ोली और मैलासी ये धोद विधान सभा क्षेत्र के गांव हैं, इनके लिए जो आपने क्राइटेरिया बताया है, इनमें कौनसा क्राइटेरिया पूर्ण नहीं होता है?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : लालसोट में चार खोल दी, महुवा में चार खोल दी महेन्द्रजी के क्षेत्र में खोली नहीं एक भी।

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी, जहां आवश्यकता है वहां तो देखो।

डा. बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राज्य में बहुत–से ऐसे क्षेत्र हैं जो यह क्राइटेरिया पूरा करते हैं। (व्यवधान) बजट में एक हजार स्कूलें हमको उपलब्ध करायी गयी थीं और जो प्राथमिकताएं तय की गयी थीं, जो वरीयता तय की गयी थी उसके आधार पर स्कूलें खोल दी गयीं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, दौसा में एक भी नहीं खोली।

डा. बी. डी. कल्ला : बहुत–से ऐसे स्कूल हैं जो निर्धारित क्राइटेरिया को पूरा करते हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह शर्म की बात है कि स्कूलें क्रमोन्नत करने के अन्दर राजनीतिकरण किया जा रहा है...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जितना बजट उपलब्ध होता है उस बजट के आधार पर हम स्कूल खोल देते हैं। हजार स्कूल हमको मिली, हजार स्कूल हमने राजस्थान में खोल दीं। और बजट मिलेगा और स्कूलें मिलेंगी। हम क्राइटेरिया के आधार पर, गुणावगुण के आधार पर

(डा. बी. डी .कल्ला)

स्कूलें और खोलेंगे। बाकी माननीय सदस्य प्रश्न से अलग कोई लालसोट का, कोई महुवा का...(व्यवधान) कोई अलग अलग स्थानों का प्रश्न कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह अपना प्रश्न अलग से करें। (व्यवधान) केवल धोद विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न पूछा गया है, उसका मैंने उत्तर दे दिया है। आपके क्षेत्र में भी और जल्दी स्कूल खोलेंगे। जाना के बारे में गुणावगुण के आधार पर...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरी पीड़ा सुनना बहुत जरूरी है। आये दिन डकैती...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मंत्रियों के क्षेत्र में पांच–पांच, सात–सात...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : बीस–बीस किलोमीटर तक एक भी हाई स्कूल नहीं है, डांग इलाका है। अध्यक्ष महोदय, डेली डकैत पैदा होते हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बाबूलालजी के एरिये में दो किलोमीटर पर स्कूलें हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : एक भी स्कूल नहीं खोली आपने।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : महुवा साहब के एरिये में दो किलोमीटर पर स्कूलें हैं। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : आप लोगों ने भेदभाव किया। हमारी पार्टी कांग्रेस सरकार...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह राजनीतिक भेदभाव है, मंत्रीजी। बामनवास में तो कोई स्कूल नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बहुत लम्बा घपला किया है इन्होंने। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : दो–दो किलोमीटर के अन्दर इन्होंने मंत्रियों के क्षेत्र में स्कूलें खोल दीं...(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : यह काम आप करते हो, हमारी सरकार भेदभाव नहीं करती है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, महेन्द्र मीणा भी कांग्रेस का एम.एल.ए. है उसके क्षेत्र में नहीं खोली। परसादीलालजी के चार हरिसिंहजी के पांच, हमारे क्षेत्र में एक भी नहीं। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मंत्रीजी कह रहे हैं कि मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कनकमलजी, बैठिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बीस–बीस किलोमीटर में, दो–दो किलोमीटर में खुलवा कर बैठ गये, यह मंत्री लोग। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नन्दलालजी, बैठिये। आप।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहुत भेदभाव किया है, राजनीतिकरण किया है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मिडल की पूछ रहा हूं और मंत्री महोदय सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी की बता रहे हैं। पंचायत समिति धोद में सीनियर गर्ल्स स्कूल कौनसी है, यह बता दें?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मेरा पुनः आपके माध्यम से निवेदन है कि आखिर क्या कारण है? मंत्रीजी, कृपया मेरी सुन लें, बीस-बीस किलोमीटर तक एक भी डांग क्षेत्र में आपने क्रमोन्नत नहीं किया, आखिर क्या कारण हैं? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : मूल प्रश्नकर्ता ने जो अभी प्रश्न पूछा है उनके यहां 1998-99 में एक, 1999-2000 में तीन, 2000-2001 में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : (व्यवधान) वहां डकैत और चोर पैदा होते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो महुवा और लालसोट का हिसाब देखो। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह राजनीतिक भेदभाव नहीं है तो क्या है?

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्रीजी, आप तो लालसोट और महुवा का बता दो हमारे को। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : 2002-03 में दो माध्यमिक और तीन उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : और दौसा में कितनी खोलीं?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, कारण क्या है, बताएं तो सही? क्या डकैत पैदा करना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है? आप चोर पैदा करना चाहते हैं? (व्यवधान) आपकी मंशा क्या है?

एक माननीय सदस्य : बहुत भारी भेदभाव किया है आपने। (व्यवधान)

(12.00 बजे)

डा. बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर बारह स्कूल खोले हैं। (व्यवधान) आपके यहां दो-दो स्कूलें खुली हैं, यह सच है। (व्यवधान) आपको मान लेना चाहिये। आपको नैतिक रूप से यह स्वीकार करना चाहिये कि आपके यहां स्कूलें ज्यादा खुली हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : क्रमोन्नत करने का आपने राजनीतिकरण किया है। मंत्रियों के क्षेत्र में पांच-पांच स्कूल मिले, इनके दो भी नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त... (व्यवधान) आर्डर प्लीज...(व्यवधान) श्री जसवन्त सिंह, आर्डर। (व्यवधान)

(प्रश्नकाल समाप्त)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पेंशनरों की पेंशन का पुनः स्थिरीकरण

586. श्री शिवनारायण (बारां): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के विभिन्न आदेशों के तहत दिनांक 1 सितम्बर, 1988 से पूर्व व पश्चात् के पेंशनरों की पेंशन का पुनः स्थिरीकरण किया जाना था? यदि हां, तो अब तक कितने प्रकरण प्राप्त हुए तथा कितनों का निपटारा किया जा चुका है और अब कितने प्रकरण किन कारणों से बकाया है? स्थिरीकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कौनसी अन्तिम तिथि है? क्या उसे बढ़ाने का विचार है?

(2) उक्त बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिये जिला तथा राज्य स्तर पर क्या-क्या प्रयास किये गये? क्या पेंशनर प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पेंशन विभाग में दिनांक 1.9.1988 से पूर्व पेंशनरों का पेंशन रेकार्ड नष्ट कर दिया बताया और अब रेकार्ड के अभाव में स्थरीकरण के प्रकरण बकाया है? उक्त गम्भीर समस्या के निवारण के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए तथा राज्य स्तर पर कब-कब पेंशनर प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 1.9.1988 से पूर्व के पेंशनरों की पेंशन के पुनर्निर्धारण हेतु 62425 प्रकरण प्राप्त हुए एवं 61225 प्रकरण निस्तारित किए गए। शेष 1200 प्रकरण सेवा का आवश्यक रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण बकाया हैं। दिनांक 1.9.1996 से पूर्व के पेंशनरों की पेंशन पुनर्निर्धारण हेतु प्राप्त 163372 प्रकरणों में से 163345 प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं एवं 27 प्रकरण बकाया हैं।

दिनांक 1.9.1988 से पूर्व के पेशनरों की पेंशन के पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन की अन्तिम दिनांक 31.12.2002 थी। दिनांक 1.9.1988 के बाद के पेंशनरों की पेंशन पुनर्निर्धारण के आवेदन की अन्तिम तिथि नहीं है।

आवश्यकतानुसार ऐसे आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

(2) बकाया प्रकरणों के निस्तारण हेतु पेंशनर एवं उनसे सम्बन्धित विभाग व कार्यालय से जानकारी प्राप्त की जा रही है। राज्य स्तर पर पेंशनर समाज के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया है।

(3) दिनांक 1.12.1979 से पूर्व की कुछ पत्रावलियां महालेखाकार राजस्थान से प्राप्त नहीं होने एवं कतिपय प्रकरणों से सम्बन्धित रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण पुनर्निर्धारण के प्रकरण बकाया हैं।

(वित्त मंत्री)

इस समस्या के निवारण के लिए पेंशनर प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया है तथा नियमानुसार बकाया प्रकरणों की पेंशन के पुनर्निर्धारण की कार्रवाई की जा रही है।

जयपुर में नकली स्टाम्प में छपाई में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही

587. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजधानी जयपुर में नकली स्टाम्प बिक्री एवं जाली रजिस्ट्री के मामले प्रकाश में आये हैं? यदि हां, तो वर्ष 1999 से 2002 तक कुल कितने प्रकरण उजागर हुए?

(2) उक्त नकली स्टाम्प छपाई-बिक्री एवं जाली रजिस्ट्री में कौन-कौन सरकारी अधिकारी/कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति दोषी करार दिय गये?

(3) अब तक सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजधानी जयपुर में नकली स्टाम्प बिक्री का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है, किन्तु जाली रजिस्ट्री के मामले प्रकाश में आये है। वर्ष 1999 से 2002 तक कुल दो प्रकरण उजागर हुए हैं।

(2) जाली रजिस्ट्री के दोनों प्रकरणों में किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति को अभी तक दोषी करार नहीं दिया गया है, किन्तु पुलिस अन्वेषण के आधार पर बाहरी व्यक्तियों, श्री श्याम माहेश्वरी व श्री अनुराग गुप्ता, को अभियुक्त बनाकर चालान न्यायालय में पेश किया गया है।

(3) उक्त दोनों प्रकरणों में से एक प्रकरण में उप पंजीयक, सांगानेर द्वारा थाना सांगानेर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 194/2002 दिनांक 2.5.2002 को एवं दूसरे प्रकरण में उप पंजीयक, जयपुर-तृतीय द्वारा थाना जालूपुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 139/2002 दिनांक 3.7.2002 को दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा दोनों प्रकरणों में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

अन्य राज्यों में राज्य के पेंशनरों को देय चिकित्सा भत्ता

588. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान के बाहर अन्य राज्यों में राज्य के कितने पेंशनर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं? क्या दिनांक 1.9.1996 से पूर्व व बाद के पेंशनरों का पुनः स्थिरीकरण हो चुका है? विवरण सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा योजना के पैरा 4 एफ के तहत कितने पेंशनरों से 100 रुपये मासिक चिकित्सा भत्ता देने के लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए

(श्री धर्मपाल चौधरी)

एवं कितनों को भत्ता दिया जा रहा है तथा कितने प्रकरण विचाराधीन हैं?

उत्तर

(1) राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों में राज्य के 8703 पेंशनर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। दिंनाक 1.9.1996 से पूर्व के ऐसे पेंशनरों की पेंशन के पुनर्निर्धारण हेतु सम्बन्धित राज्य के सम्बन्धित कोषाधिकारी अधिकृत हैं। दिनांक 1.9.1996 के बाद के पेंशनरों को नये वेतनमान में निर्धारित वेतन के आधार पर पेंशन देय है। राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की राज्यवार परिशिष्ट-I पर संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायती योजना के पैरा 4 एफ के तहत 501 पेंशनरों से रुपये 100/-मासिक चिकित्सा भत्ता देने के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। 462 पेंशनरों को भत्ता दिया जा रहा है तथा 39 प्रकरण विचाराधीन हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

राज्य में चिकित्सा निधि के घाटे की जांच

589. श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी (लक्ष्मणगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या राज्य सरकार ने "चिकित्सा निधि" में लगातार हो रहे घाटे के कारणों व उसकी पूर्ति की किसी स्वतंत्र जांच, जिसमें पेंशनर प्रतिनिधि भी हो द्वारा जांच कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी नहीं। आवश्यक नहीं है। पेंशनर चिकित्सा निधि की वित्तीय स्थिति पर न्यासी मण्डल व उप समिति की विभिन्न बैठकों में जिनमें पेंशनरों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे हैं, विस्तृत विचार विमर्श हुआ है।

जी नहीं।

जिला भरतपुर के कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकारों को चयनित वेतनमान

590. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भरतपुर के कितने कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकारों को चयनित वेतनमान दिया जाना है?

(2) उक्त में ऐसे कितने कर्मी हैं जिन्होंने सन्तोषजनक सेवा प्रमाण-पत्र तथा विभागीय जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र देने के उपरान्त भी उन्हें चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

(3) उक्त कर्मियों को अब तक चयनित वेतनमान जारी नहीं करने के लिये कौन उत्तरदायी है?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में कार्यरत 12 कनिष्ठ लेखाकारों को चयनित वेतनमान दिया जाना शेष है। इस जिले में कार्यरत लेखाकारों को चयनित वेतनमान देने सम्बन्धी कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(2) इस विभाग में भरतपुर जिले के किसी भी ऐसे लेखाकार का चयनित वेतनमान का प्रकरण लम्बित नहीं है जिसका संतोषजनक सेवा का प्रमाण, विभागीय जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ हो एवं जिनकी वांछित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध है उसको चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है।

निम्नांकित 3 कनिष्ठ लेखाकारों के उपरोक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध होने के उपरान्त भी चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है:

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार	मेरिट नम्बर	निर्धारित समयावधि के 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में से उपलब्ध प्रतिवेदनों की संख्या
1.	भगवान सिंह	391/83	01
2.	सुशील कुमार भटनागर	438/83	0
3.	मोहन सिंह	669/88	02

(3) चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि कर्मचारी की सेवा अवधि 9 वर्ष की हो चुकी हो तथा कर्मचारी पदोन्नति के योग्य हो। पदोन्नति के समय विगत 7 वर्ष के संतोषप्रद वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन होने आवश्यक हैं। संतोषजनक सेवा के प्रमाण पत्र का प्रावधान उन्हीं प्रकरणों में मान्य है जहां पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त करना सम्भव नहीं हो जैसे कि सेवानिवृत्ति इत्यादि। इसी प्रकार विभागीय जांच होने, नहीं होने का प्रमाण पत्र उन अधिकारियों से लिया जाता है, जिनके अधीन लेखाकार या कनिष्ठ लेखाकार कार्यरत होते हैं। चयनित वेतनमान के लिए विभागीय जांच लम्बित नहीं होने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।

इन प्रकरणों में विभाग द्वारा लिखे जाने के बावजूद कर्मचारियों द्वारा उनके स्तर पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की वांछित कार्यवाही नहीं की गई। अत: इसके लिए सम्बन्धित कर्मचारी ही दोषी है।

तकनीकी कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला में अनियमितता

591. श्री रेवतराम पंवार (नोखा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति ही नवीन वेतनमान

(श्री रेवतराम पंवार)

राज्य के तकनीकी कैडर समस्त विभागों के ड्राफ्टमैनों पर भी लागू किया गया है? यदि हां, तो समस्त विभागों के कनिष्ठ ड्राफ्टमैनों के लिए लागू किए वेतन श्रृंखला का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार में कनिष्ठ ड्राफ्टमैनों/ड्राफ्टमैन ग्रेड II का वेतनमान 5000-150-8000 तथा राज्य सरकार द्वारा 4000-100-6000 वेतनमान ही स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार केन्द्र के ड्राफ्टमैनों की भांति राज्य में भी उक्त वेतनमान लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। समस्त विभागों के कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के पदों के वेतनमान का विवरण निम्नानुसार है:

उपनिवेशन विभाग

कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन/ड्राफ्ट्समैन 3050-4590 (6)

सार्वजनिक निर्माण विभाग

आर्विटेक्चरल कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन 4000-6000 (9)

अन्य विभिन्न विभागों में समान पद

कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन 4000-6000 (9)

(2) उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन/ड्राफ्टसमैन ग्रेड-II हेतु भिन्न भिन्न वेतनमान स्वीकृत हैं। सामान्य श्रेणी के ड्राफ्ट्समैनों पर लागू वेतनमान निम्नानुसार है:

1. ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-III 4000-6000
2. ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-II 5000-8000
3. ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-I 5500-9000

राज्य सरकार में उपनिवेशन विभाग को छोड़ कर अन्य सभी विभागों के ड्राफ्ट्समैनों हेतु निम्न वेतनमान स्वीकृत हैं:

1. कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन 4000-6000(9)
2. वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन 5000-8000(10)
3. हैड ड्राफ्ट्समैन 5500-9000(11)

ड्राफ्ट्समैनों के वेतनमानों में संशोधन किए जाने हेतु वेतन विसंगति निराकरण समिति को विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। समिति द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों का परीक्षण किया जाकर रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है, जो वर्तमान में परीक्षणाधीन है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा में विलम्ब

592. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

(1) जनवरी, 2002 से फरवरी, 2003 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कौन–कौनसी प्रतियोगी परीक्षाएं कितने कितने पदों के लिए आयोजित की गई?

(2) उक्त में से किन–किन परीक्षाओं के परिणाम कब–कब घोषित किये गये और किन–किन परीक्षाओं के परिणाम घोषित किया जाना शेष है तथा अब उक्त परिणामं कब तक घोषित कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जनवरी, 2002 से फरवरी, 2003 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षा, पदों की संख्या एवं उनके घोषित परीक्षा परिणामों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में अवैध शराब की रोकथाम

593. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील क्षेत्र आसीन्द(भीलवाड़ा) में वर्ष 2000 से 2002 तक कहां–कहां पर कितनी–कितनी अवैध शराब किन–किन से पकड़ी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त तहसील का ठेका कितनी–कितनी राशि में छोड़ा गया?

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में 2000 से 2002 तक निम्न स्थानों पर एवं निम्न व्यक्तियों से निम्नानुसार अवैध शराब जब्त की गई :-

क्र. सं.	दिनांक	ग्राम/स्थान	बरामदगी	अभियुक्त जिससे बरामदगी की गई
1	2	3	4	5
1.	23.5.2के.	आमेशर	15 बोतल ना.श.	ओमप्रकाश/सुरजमल जायसवाल नि. आमेशर
2.	22.7.2के.	आकड़सादा	50 पाउच दे.म.	भंवरलाल/नन्दलाल खटीक नी.आकड़सादा
3.	5.8.2के.	भाटीखेड़ा	11 बोतल ना.श.	गोवर्द्धन सिंह/राजसिंह नि. भाटीखेड़ा
4.	31.8.2के.	काछियों का बाडिया	5 बोतल ना.श.	देवीसिंह/पोंचूसिंह रावत नि. काछियों का बाडिया
5.	31.8.2के.	देवला	4 बोतल ना.श.	भंवरसिंह/रामसिंह रावत नि. देवला

(आबकारी मंत्री)

1	2	3	4	5
6.	31.8.2के.	सग्रामगढ़	3 बोतल ना.श.	तेजमल/लालूबलाई नि. सग्रामगढ़
7.	2.9.2के.	नायला	6 बोतल ना.श.	ओमसिंह/रूपसिंह रावत नि. नायला
8.	18.10.2के.	बक्ताकाखेड़ा	1 बोतल ना.श.	बाबूलाल/सवदान कलाल नि. बक्तोकाखेड़ा
9.	22.2.01	केरिया	20 पाउच दे.म.	राजू/हिरालाल टांक नि. केरिया
10.	22.7.01	खेड़ला	5 बोतल ना.श.	देवीसिंह/मानसिंह नि. खेड़ला
11.	29.8.01	बदनोर	2 बोतल ना.श.	चमनसिंह/देवीसिंह नि. भीम
12.	29.8.01	शीतलाकाचौरा	1 बोतल ना.श.	प्रेमसिंह/गिरधारी रावत नि. शीतलाकाचौरा
13.	4.9.01	अन्टाली	5 बोतल ना.श.	किशनसिंह/प्रेमसिंह राजपूत नि. अन्टाली
14.	11.10.01	अन्टालीचौराह	2 बोतल ना.श.	श्यामसिंह/मोहनसिंह राजपुत नि. अन्टाली चौराहा
15.	13.12.01	सिंहपुर	6 बोतल ना.श.	मोहन/लक्ष्मण नायक नि. सिंहपुर
16.	27.12.01	झालरिया	5 बोतल ना.श.	गीरधारीसिंह/मोतीसिंह राजपुत नि. झालरिया
17.	27.12.01	झालरिया	6 बोतल ना.श.	गंगासिंह/भंवरसिंह राजपूत नि.झा
18.	9.4.02	केरियाखेड़ा	2554पव्वे अग्रे.श. 336 बोतल 120 बोतल के.के. 3200 पाउच दे.म.	भेरूलाल/जोधा नायक नि. केरियाखेड़ा जगवेश/गोपीलाल मेवाड़ा नि. लुहार
19.	9.5.02	इरास(फतेहपुर)	45 पव्वे अग्रे.श.	रामकरण/धन्ना माली नि. ईरास
20.	12.9.02	पापड़िया	6 बोतलना श.	गोकुलसिंह/दलासिंह राजपूत नि. पा
21.	17.9.02	मोतीपुरकीढ़ाणी	2160पव्वेअ,श. 300पाउच दे.श.	गोपीलाल/घीसालाल नि. मोत
22.	19.9.02	अन्टाली	3630 " "	नाम ना मालूम
23.	7.12.02	धोलीभाटा	1 बोतल ना.श.	नारायण/कल्याण खटीक धोलीभाटा
24.	7.12.02	नारायणपुरा	9 बोतल ना.श.	रामप्रसाद/नाथु खटीक नि. नारायणपुरा

(आबकारी मंत्री)

(2) वित्तीय वर्ष 1999–2000 व 2000–2001 के लिए आसीन्द तहसील का ठेका मदिरा समूह भीलवाड़ा सहाड़ा–रायपुर–आसीन्द समूह में तथा बदनोर उप तहसील क्षेत्र का ठेका मदिरा समूह माण्डलगढ़–शाह जहाजपुर–बदनोर–हुरड़ा समूह में सम्मिलित रूप से हुआ है जिसकी ठेका राशि:

		राशि(लाखों में)
भीलवाड़ा समूह	1999–2000	1472.17
	2000–2001	1693.00
माण्डलगढ़ समूह	1999–2000	1100.77
	2000–2001	1265.90

वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए राजस्व जिला भीलवाड़ा का ठेका भीलवाड़ा समूह के रूप में हुआ है। आसीन्द तहसील क्षेत्र भी सम्मिलित हैं जिसकी राशि रुपये 2693.07 लाख थी।

वित्तीय वर्ष 2002–2003 हेतु भी राजस्व ज़िला भीलवाड़ा का ठेका भीलवाड़ा समूह के रूप में हुआ है आसीन्द तहसील क्षेत्र भी सम्मिलित हैं जिसकी राशि रुपये 2679.00 लाख है।

चूरू में सैनिक बस्ती में भू-खण्ड आबंटन

594. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या चूरू में सैनिकों की बस्ती बनी हुई है? यदि हां, तो उक्त बस्ती में सैनिकों के अतिरिक्त अन्य कितने राज्य कर्मियों को आवासीय भू-खण्ड आबंटित किये हैं एवं किन नियमों के तहत?

(2) वर्ष 2000–2001 में राज्य सरकार के कितने अधिकारी/कर्मचारियों को उक्त बस्ती में आवासीय भू-खण्ड किस दर पर कब-कब दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अन्य राज्य कर्मियों को भी उक्त बस्ती में भू-खण्ड आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। चूरू कस्बे में सैनिकों की बस्ती बनी हुई है। सैनिक बस्ती चूरू में सैनिकों के अतिरिक्त राज्य कर्मचारियों को 250 प्लाट आबंटित हुए है। सैनिक बस्ती में सैनिक बस्ती समिति की बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों के अधीन भूखण्ड आबंटित किये जाते रहे हैं।

(2) वर्ष 2000–2001 में राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारियों को सैनिक बस्ती में कोई भूखण्ड आबंटित नहीं हुआ है।

(3) सैनिक बस्ती समिति की बैठक दिनांक 31.10.2002 में लिए गये निर्णयानुसार शेष आबंटन से बची भूमि

(राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण)

निलामी द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

पंचायत समिति हिण्डौली (बूंदी) के बेरोजगारों को स्वीकृत ऋण का भुगतान

595. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1999 से 2002 तक पंचायत समिति हिण्डौली (बूंदी) के कितने बेरोजगार युवक/युवतियों को ऋण स्वीकृत किया गया?

(2) क्या उक्त सभी को स्वीकृत ऋण का बैकों के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है?

(3) क्या यह सही है कि अधिकांश आवेदकों को स्वीकृत ऋण का बैकों द्वारा भुगतान नहीं दिया गया है? यदि हां, तो उक्त को ऋण कब तक उपलब्ध करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1999 से 2002 तक पंचायत समिति हिण्डौली जिला बूंदी में स्वीकृत ऋण वितरण निम्नप्रकार से है:

क्र.सं.	वर्ष	ऋण स्वीकृत संख्या
1.	1999-2000	36
2.	2000-2001	30
3.	2001-2002	29
		95

(2) उक्त अवधि में बैकों द्वारा भुगतान का विवरण निम्नप्रकार है:

1.	1999-2000	28
2.	2000-2001	21
3.	2001-2002	27
		76

(3) जी नहीं। बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात् ही बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ष 1999-2000 में ऋण स्वीकृत 36 युवाओं में से 3 युवाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया, एक युवा द्वारा स्वयं के स्तर से ही अन्य व्यवसाय स्थापित कर लिया तथा 4 युवाओं द्वारा बैंक की वांछित आपचारिकताएं पूरी नहीं की गई। इस प्रकार 8 युवाओं को ऋण वितरण नहीं किया जा सका, शेष 28 युवाओं को ऋण वितरित कर दिया गया है। वर्ष 2000-2001 में 30 युवाओं को ऋण स्वीकृत किया गया था जिसमें से 2 युवाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया, 2 युवाओं ने ग्रामीण बैंक से अन्य योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त कर लिया तथा 5 युवाओं द्वारा ऋण वितरण नहीं हेतु आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई। इस प्रकार 9 युवाओं को ऋण वितरण नहीं हो सका, शेष 21 युवाओं को ऋण

(उद्योग मंत्री)

वितरण कर किया गया। वर्ष 2001-2002 में स्वीकृत 29 युवाओं में से 27 को ऋण वितरण कर दिया गया है। शेष 2 युवाओं द्वारा बैंक की निर्धारित औपचारिकताएं पूरी नहीं करने के कारण ऋण वितरण नहीं किया जा सका। इस प्रकार गत तीन वर्षों में स्वीकृत 95 युवाओं में से 76 युवाओं को ऋण वितरण कर दिया गया है।

जिला जैसलमेर में लवण क्षेत्रों का विकास

596. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 15 एकड़ से अधिक लवण क्षेत्रों की सीमा बढ़ाने के लियें लवण नियमों में संशोधन के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला जैसलमेर के काणोधरण में लवण की उपलब्धता है?

(3) क्या सरकार लवण नियमों में संशोधन कर के जैसलमेर जिले के पोकर, गुड़ी, काणोधरण लवण क्षेत्रों का विकास करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। राज्य सरकार लवण नियमों में संशोधन एवं जैसलमेर जिले के पोकरण गढ़ी, काणोधरण लवण क्षेत्रों के विकास का विचार रखती है।

विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत युवाओं को रोजगार

597. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2000 से 2002 तक कितने-कितने युवाओं को लक्ष्यानुसार रोजगार दिया गया? वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2002 तक निम्नानुसार ऋण उपलब्ध कराया गया:

वर्ष	लक्ष्य	ऋण स्वीकृत संख्या	ऋण वितरण संख्या
2000-01	160	160	126
2001-02	165	157	105
2002-03	164	90	24
(माह दिसम्बर 2002 तक)		(माह दिसम्बर 2002 तक)	

जिला उद्योग केन्द्र बाड़मेर द्वारा नवीन उद्योग को देय अनुदान

598. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला उद्योग केन्द्र बाड़मेर में नये उद्योगपतियों को नये उद्योग लगाने हेतु दिये गये ऋण पर अनुदान की राशि स्वीकृत की थी? यदि हां, तो वर्ष 1998-99 में उक्त राशि किन-किन को स्वीकृत की गई? क्या उक्त राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अब जिला उद्योग केन्द्र बाड़मेर उक्त राशि को मय ब्याज लौटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा कितनी राशि पर दिये गये ब्याज के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं?

उत्तर

(1) जी हां। जिला उद्योग केन्द्र, बाड़मेर द्वारा वर्ष 1998-99 में चार इकाइयों को अनुदान स्वीकृत किया गया था तथा स्वीकृत राशि का विवरण उक्त अवधि में नियमानुसार किया गया था। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	इकाई का नाम	अनुदान स्वीकृत		अनुदान वितरण	
		दिनांक	राशि	दिनांक	राशि
1.	मै. मारुति इण्ड. बाड़मेर	6.1.10.1999	117958/-	6.1.1999	19990/-
				18.1.1999	58979/-
				24.2.1999	29490/-
2.	मै. मारुति प्लास्ट एण्ड माइनकेम	6.1.1999	342177/-	6.1.1999	55344/-
				18.1.1999	171089/-
				24.2.1999	85544/-
3.	मै. मदनलाल केसरीमल, बालोतरा	6.1.1999	397437/-	18.1.1999	380200/-
4.	मै. मिलन मिल्स, बालोतरा	6.1.1999	630275/-	20.1.1999	626733/-

(2) जी नहीं। नियमों में औद्योगिक इकाइयों को अनुदान मय ब्याज लौटाने का प्रावधान नहीं है। उल्लेखनीय है कि जिला उद्योग केन्द्र, बाड़मेर द्वारा वर्ष 1998-99 में उक्त इकाइयों को समय पर अनुदान स्वीकृत कर वितरण किया जा चुका है।

ग्राम पंचायत लाम्बा, टौंक में सिंचाई विभाग की भूमि का अवैध आबंटन

599. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत लाम्बा, तहसील टोडारायसिंह, जिला टौंक में सिंचाई विभाग की पेटा काश्त खसरा नम्बर 799/653, 1462/0.19, 1408/2291, 1184/1079, 1183/0.18, 1186/0.12, 1194/2432 कुल किता 10 रकबा, 47.50 बीघा भूमि को निजी खातेदारी में आबंटित कर दिया गया है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत?

(2) क्या सरकार ने उक्त नियम विरुद्ध आबंटन करने वाले अधिकारी तथा आबंटन अपने पक्ष में कराने वाले पक्षकारों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार दोषी पक्षकारों के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त आबंटन को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) प्रश्न में ग्राम पंचायत लाम्बा अंकित है। प्रश्न में वर्णित खसरा नम्बर किस ग्राम के है, अंकित नहीं है। किन्तु तहसील टोडारायसिंह जिला टौंक के ग्राम गेंदिया की आराजी खसरा नम्बर 799/6.53, 1462/0.19, 1393/0.12, 1408/2291/0.20, 1184/2424/0.26, 1079/3.50, 1183/0.18, 1571/0.33, 1186/0.12, 1194/2432/0.38 किता 10 रकबा 11.81 हैक्टेयर, जो तालाबी थी, और पूर्व में सिंचाई विभाग के नाम दर्ज थी, को तत्कालीन तहसीलदार टोडा ने उक्त भूमि पर विपक्षी एवं उसके पूर्वज का 13.1.1958 से पूर्व से खातेदारी एवं खुदकाश्त मानते हुए दिनांक 16.9.1983 की विपक्षी शिवराज सिंह की गैर खातेदारी में जरिये ना.सं. 602 से दर्ज कर दी गई थी। उक्त ना.सं. 602 अवैधानिक होने के कारण इसे निरस्त करने हेतु तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर टौंक में दिनांक 20.3.2002 को रेफरेंस प्रस्तुत किया गया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, टौंक ने दिनांक 6.3.2003 को निर्णय पारित करते हुए उक्त ना.सं. 602 को अवैध मानते हुए रेफरेंस स्वीकार करने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया है।

(2) जिला कलक्टर को सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(3) बिन्दु संख्या-1 के उत्तर अनुसार।

तहसील गिरवा, वल्लभनगर तथा मावली में जाति नाम में संशोधन

600. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री हीरासिंह चौहान)

वर्ष 1998 से फरवरी, 2003 तक तहसील क्षेत्र गिरवा, वल्लभनगर, धरियावाद तथा मावली में जाति नाम में त्रुटि सुधार के कितने प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए तथा उक्त में से कितनों का निस्तारण किया गया एवं कितने शेष रहे? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1998 से फरवरी, 2003 तक तहसील क्षेत्र गिर्वा वल्लभनगर, धरियावाद तथा मावली में जाति नाम में त्रुटि सुधार के प्राप्त प्रार्थना–पत्रों, उनका निस्तारण एवं शेष रहे प्रार्थना पत्रों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	नाम तहसील	कुल प्राप्त प्रार्थना पत्र	कुल निस्तारण	शेष रहे कुल प्रार्थना पत्र
1.	गिरवा	529	52	477
2.	वल्लभनगर	306	283	23
3.	धरियावाद	1	1	—
4.	मावली	—	—	—
	योग	**835**	**335**	**500**

नायब तहसीलदार, श्री धर्मदास गौरी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति

601. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार के राजस्व विभाग ने यह माना है कि नायब तहसीलदार, श्री धर्मदास गौरी के तहसीलदार, सेवा में चयन पश्चात् भी इसके विरुद्ध 8 प्रतिकूल टिप्पणियों के कारण आज भी ये नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने उक्त नायब तहसीलदार का नाम अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु इसलिये शामिल नहीं किया कि वे दिनांक 1.4.2000 तक योग्यात्मक सेवा पूर्ण नहीं कर पाये थे?

(3) क्या सरकार अब श्री गौरी को वर्ष 1985 में नियुक्ति वर्ष से 15 वर्ष सेवाकाल पूर्ण न होने के कारण सेवानिवृत्त नहीं किया गया था, को अब योग्यात्मक सेवा अवधि पूर्ण होने पर और 8 प्रतिकूल प्रविष्टियों के मद्देनजर अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) अब योग्यात्मक सेवा पूर्ण कर लेने के आधार पर इन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु विचार के लिये शीघ्र स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाकर कार्यवाही करने के निर्देश राजस्व मण्डल को जारी किये गये हैं।

ग्राम बापी (दौसा) में कृषकों की भूमि का सीमाज्ञान

602. श्री घनश्याम जैन (बेगूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बापी (दौसा) की चरागाह भूमि रीको को बेचान की गई है? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा कब? उक्त भूमि की दर क्या व कितनी रही तथा कुल कितनी भूमि बेचान हुई? वर्तमान में उक्त गांव की अलग-अलग किस्म की विगत 10 वर्षों की भूमि की रजिस्ट्री दर क्या है?

(2) गत 10 वर्षों में उक्त गांव के किस-किस खातेदार ने, कब-कब अपनी काश्त भूमि का सीमाज्ञान, पैमाइश कराने हेतु तहसील स्तर पर आदेश कराये थे और उक्त की आज क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त गांव की कृषि भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग 11-ए में अवाप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त गांव के काश्तकारों को सड़क सीमा से किस-किस की, कितनी-कितनी भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त तरमीम शुदा नक्शे से अवाप्ति अधिकारी के द्वारा तय किये अनुसार शेष कितना रकबा व भूमि किस-किस खसरा संख्या की बची है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में बिन्दु संख्या 4 के अनुसार शेष उक्त गांव के खातेदारों की भूमि का कब-कब, किस-किस के द्वारा किस-किस खसरा नम्बर का सीमाज्ञान कराया गया? विवरण मय नक्शा के सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सीमाज्ञान भूमि अवाप्ति पश्चात् प्राप्त तरमीम नक्शे के द्वारा किया गया था? यदि हां, तो उक्त की स्थिति तरमीमशुदा नक्शे सहित सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त गांव के काश्तकारों की भूमि का अब तक भी सही प्रकार से सीमाज्ञान नहीं किया जाकर सड़क सीमा के बाद शेष बची भूमि की सही जानकारी कृषकों को नहीं कराई गई है? यदि हां, तो अब सीमाज्ञान कराकर कब तक उक्त कृषकों को उनकी भूमि उपलब्ध करा दी जावेगी?

उत्तर

(1) ग्राम बापी तहसील दौसा स्थित चारागाह भूमि खसरा नम्बर 259 रकबा 65.65 हैक्टर में से 64.65 हैक्टर भूमि को तत्कालीन जिला कलक्टर, दौसा के आदेश क्रमांक आर. 18बी( )91/आई/2994 दिनांक 12.12.1991 द्वारा नवीन औद्योगिक क्षेत्र, दौसा हेतु आरक्षित (सैट अपार्ट) की गई तथा भूमि की कीमत (प्रीमियम) तत्समय प्रचलित बाजार दर के आधार पर 18,000/-रु. प्रति बीघा निर्धारित की गई थी। इसके आधार पर उप शासन सचिव, उद्योग (ग्रुप-I)

(राजस्व मंत्री)

विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक प.4(50)उ./1/78 दिनांक 9.1.1992 द्वारा कीमतन निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधि पर रीको को 99 वर्ष की लीज पर आबंटित की गई एवं रीको द्वारा प्रीमियम की कुल राशि रुपये 46,00,904–90 राज कोष में जमा करा दी गई है।

उक्त ग्राम बापी की विगत दस वर्षों की भूमि की रजिस्ट्री की दर संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(2) गत 10 वर्षों (1992 से 2002) में ग्राम बापी तहसील, दौसा के 22 खातेदार कृषकों द्वारा अपनी–अपनी काश्त की भूमि का सीमाज्ञान/पैमाइश कराने हेतु तहसील स्तर पर आवेदन कर आदेश कराये थे। इन सभी आदेशों की पालना में सीमाज्ञान/पैमाइश करा दी गई है। विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट "ब" पर अंकित है।

(3) जी हां। यह सही है कि ग्राम बापी के काश्तकारान की कृषि भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग 11 एक में अवाप्त हुई है। भूमि प्रवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त जयपुर के द्वारा पारित अवार्ड आदेश दिनांक 23.3.1993 के अनुसार 4.45 हैक्टेयर तथा अवार्ड आदेश दिनांक 4.12.1998 के अनुसार 3.13 हैक्टेयर कुल 7.58 हैक्टेयर कृषि भूमि अवाप्त की गई है। सड़क प्रयोजनार्थ अवाप्त की गई भूमि एवं अवाप्ति के बाद शेष रही भूमि की कृषकवार, खसरा नम्बरवार, क्षेत्रफल विवरण सूचना संलग्न सूची परिशिष्ट "स" में अंकित है।

(4) कृषकों की सड़क में अवाप्त हुई भूमि के बाद शेष रही खातेदारों की भूमि के सीमाज्ञान हेतु 5 कृषकों के द्वारा आवेदन किये गये हैं। जिन सभी का सीमाज्ञान करवा दिया गया है। विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट "द" संलग्न है।

(5) राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भूमि का सीमाज्ञान भूमि अवाप्ति पश्चात् भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड के संलग्न तरमीमी नक्शे एवं मौजूदा राजस्व नक्शे के अनुसार कराया गया है। तरमीमी नक्शे की छाया प्रति परिशिष्ट "ई" संलग्न है।

(6) जी नहीं। अब तक प्राप्त हुए आवेदनों से सम्बन्धित कृषकों की भूमि का सीमाज्ञान मुताबिक रेकार्ड व नक्शे के कराया जा चुका है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

ग्राम पंचायत मुण्डनवाडा कलां (अलवर) द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण–पत्र की जांच

603. श्री अरुण सिंह (डीग) एवं श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री अरुण सिंह)

(1) क्या यह सही है कि सहायक कलक्टर मुण्डावर जिला अलवर के क्रमांक 401 दिनांक 1.9.2000 व रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत मुण्डनवाडा कलां (मुण्डावर) द्वारा दिनांक 5.9.2000 को बिना जांच किये श्री सुलतान पुत्र श्री चेता यादव का मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया? यदि हां, तो किस आधार पर? उक्त सम्बन्ध में प्राप्त शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बाबत सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुण्डनवाडा कलां के हल्का पटवारी द्वारा भी दैनन्दिनी (डेली डायरी) का संधारण उचित रूप से नहीं किया गया? यदि हां, तो सम्बन्धित पटवारी द्वारा संधारित दिनांक 20.7.2000 की दैनन्दिनी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त गलत जारी किये गये मृत्यु प्रमाण–पत्र के आधार पर खोले गये फर्जी नामान्तरण की जांच तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर, के समक्ष काफी समय से विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त जांच से सम्बन्धित आवेदन पत्र/शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे गलत/फर्जी/मृत्यु प्रमाण–पत्र/खोले जा रहे नामान्तरण को रोकने व सम्बन्धितों द्वारा दैनन्दिनी के उचित संधारण कराने बाबत कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सहायक कलक्टर, मुण्डावर ने प्रार्थी बलवीर पुत्र बिहारी लाल अहीर नि. हुलमाना खुर्द के शपथ–पत्र के आधार पर सचिव ग्राम पंचायत को विलम्ब शुल्क लेकर मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी करने के आदेश दिए थे। नकल शपथ–पत्र (परिशिष्ट "अ") एवं जन्म मृत्यु रजिस्टर के पृष्ठ की प्रति (परिशिष्ट "ब") संलग्न है।

(2) तत्कालीन ग्राम पंचायत मुण्डनवाडा कलां पटवारी श्री नारायण मीणा का स्थानान्तरण तहसील रामगढ़ जिला अलवर में हो जाने के कारण उनके द्वारा दिनांक 20.7.2000 को डेली डायरी न तो वर्तमान पटवारी हल्का के चार्ज में दी गई तथा न ही तहसील कार्यालय में जमा कराई गई। इस बाबत दोषी पटवारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(3) विरासत नामान्तकरण की जांच हेतु प्रार्थी उदय सिंह द्वारा दिनांक 16.12.2002 को जिला कलक्टर, अलवर को केवल आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार, मुण्डावर से प्राप्त हो गई है। नामान्तकरण में विरासत गलत दर्ज होना पाया गया है।

तहसीलदार (भू.अ.) मुण्डावर को इसकी अपील सक्षम न्यायालय में करने

(राजस्व मंत्री)

के निर्देश दिये गये है। आवेदन पत्र की प्रति (परिशिष्ट ''स'') पर संलग्न है।

(4) गलत/फर्जी मृत्यु प्रमाण–पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोले जाने की कार्यवाही नहीं की जाती है। कोई नामान्तकरण गलत दर्ज होता है उसकी जानकारी प्राप्त होने पर जांच कर दोषी राज्य सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। पटवारीगण द्वारा लैण्ड रेवेन्यु (लैण्ड रेकार्डस) रूल्स, 1957 के नियम 55 एवं 56 के प्रावधानों के अन्तर्गत दैनिक डायरी का संधारण किया जाता है। नहीं करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील सांगानेर (जयपुर) की सिवाय चक भूमि का किस्म परिवर्तन

604. श्री अरुण सिंह (डीग): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रशासन गांवों के संग अभियान के अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला–जयपुर के गांवों की एक्शन प्लान के अन्तर्गत आरक्षित भूमि पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान के अन्तर्गत तहसील सांगानेर में ग्राम पंचायतों द्वारा चरागाह व सिवाय चक भूमि से आबादी भूमि में परिवर्तन हेतु क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रशासन गांवों के संग अभियान के अन्तर्गत तहसील सांगानेर के गांवों का एक्शन प्लान के अन्तर्गत औषधालय, अस्पताल, उप स्वास्थ्य केन्द्र, पशु चिकित्सालय, सामुदायिक केन्द्र, सी.डी.पी.ओ. पुलिस थाना, मन्दिर, आंगनबाड़ी, नवयुवक मण्डल, श्मशान, कब्रिस्तान, विद्युत विभाग, वृक्षारोपण, डिग्री कालेज, प्राथमिक शाला, राजीव गांधी पाठशाला, उ.प्रा. शाला, स्टेडियम, खेल मैदान, समाज कल्याण विभाग, आबादी विस्तार आदि विभिन्न कार्यों हेतु भूमि आरक्षण आबंटन के 135 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें 62 का निस्तारण हो चुका है तथा 71 प्रकरण जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के होने में से प्राधिकरण को निस्तारण हेतु प्रेषित किये गये हैं। दो प्रस्ताव पंचायत स्तर पर वांछित औपचारिकताएं एवं आक्षेपपूर्ति हेतु विचाराधीन है।

(2) प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत उक्त 135 प्रस्तावों में से 60 प्रकरण सिवाय चक/चरागाह से आबादी हेतु आबंटन/आरक्षण हेतु प्राप्त हुए थे। उनमें 9 का निस्तारण हो चुका है। 49

(राजस्व मंत्री)

प्रस्ताव जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में होने से प्राधिकरण को प्रेषित किये गये हैं व 2 प्रस्ताव पंचायत स्तर पर वांछित औपचारिकताएं एवं आक्षेप पूर्ति हेतु विचाराधीन हैं।

ग्राम गैगल (अजमेर) में वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण

605. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गैगल, जिला आमेर की खसरा नं. 1043 में से 1-15-0 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर कब्रिस्तान बना लिया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि जिसकी भूमि थी उसके पक्ष में न्यायालय द्वारा डिक्री भी जारी की गई है? क्या डिक्री-धारी को जिला प्रशासन ने वादग्रस्त भूमि के बदले अन्य भूमि देने का प्रस्ताव किया है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा किये गये पत्र व्यवहार की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सम्बन्धित को भूमि के बदले भूमि देने के प्रस्ताव को जिला कलक्टर ने राज्य सरकार को भिजवाया है? यदि हां, तो उक्त भूमि कब तक आबंटित कर दी जावेगी और नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त विलम्ब के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम गैगल तहसील अजमेर के खसरा नम्बर 1043 में से 1-15-00 बीघा भूमि पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कब्रिस्तान व रास्ता बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया है।

(2) जी हां। बिन्दु संख्या 1 के उत्तर में उल्लिखित मुस्लिम समुदाय द्वारा 1.15 बीघा भूमि पर कब्रिस्तान व रास्ता बनाकर अतिक्रमण कर लिये जाने के कारण खातेदार द्वारा ग्राम गैगल के ही ख. नं. 572 चरागाह में से 1.15 बीघा भूमि अदला-बदली का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी अजमेर के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इसके सम्बन्ध में हुए पत्राचार सम्बन्धी छाया प्रतियां संलग्न है।

(3) आवेदिका को काबिल काश्त भूमि के प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है। अतः प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर ही कार्यवाही सम्भव होगी।

(4) खसरा नम्बर 1043 पर कब्रिस्तान व रास्ते के रूप में मुस्लिम समुदाय द्वारा अतिक्रमण किया गया है। जिसे तहसीलदार अजमेर के माध्यम से हटवाने के प्राथमिक प्रयास किये गये, किन्तु तहसीलदार ने

(राजस्व मंत्री)

मौके की जांच एवं समझाईश के बाद अवगत कराया है कि इस मामले को लेकर साम्प्रदायिक तनाव होने की पूरी सम्भावना हैं। अतः कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस व्यवहारिक स्थिति के मध्य नज़र ही खातेदारी भूमि की एवज में सरकारी भूमि से अदला बदली हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। प्रार्थी के द्वारा ही खातेदारी भूमि पर कब्जा होने व साम्प्रदायिक स्थिति बनने से अन्यत्र भूमि प्राप्त करने के निवेदन से भी विलम्ब हुआ है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

ग्राम चन्दपुरा, (सीकर की भूमि) पर अतिक्रमण

606. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चन्दपुरा, तहसील व जिला सीकर की आराजी खसरा नम्बर 315 रकबा 0.17 खसरा नम्बर 317 रकबा 0.15, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.85 हैक्टेयर भूमि पर श्री पन्नाराम का कब्जाशुदा पक्का मकान है? यदि हां, तो कब से बना हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि खसरा नम्बर 417 रकबा 0.85 हैक्टेयर में से सवा बीघा भूमि को श्री जवाहर मल ब्राह्मण को दिनांक 27.3.1956 को संकल्प करके श्री बोदू पुत्र श्री उदा जाट निवासी चन्दपुरा द्वारा दान में दी गई थी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत चन्दपुरा, पंचायत समिति पिपराली के पंचायत समिति सदस्य प्रधान, पंचायत समिति पिपराली व जिला प्रमुख, जिला परिषद् सीकर ने प्रमाण-पत्र जारी कर उक्त भूमि को श्री पन्ना लाल की होनी बताई है? यदि हां, तो उक्त पत्रों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? उक्त पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त भूमि के सम्बन्ध में श्री पन्ना लाल ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष पेश किया था? यदि हां, तो किस तिथि को?

(5) क्या उक्त वाद निपटारा न्यायालय द्वारा कर दिया गया है? यदि हां, तो कब और क्या फैसला दिया गया? फैसले की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त वाद में वादी ने विक्रय/दान सम्बन्धी दस्तावेजात की प्रति भी न्यायालय में प्रस्तुत की थी? यदि हां, तो क्या-क्या और उक्त पर क्या निर्णय दिया गया? उक्त दस्तावेज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1)श्री पन्नाराम ने ग्राम चन्दपुरा तहसील व जिला सीकर के ख.नं. 315,

(राजस्व मंत्री)

317, 417 के सम्बन्ध में एक राजस्व वाद सं. 311/1996 (84/1999) बाबत खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा तथा रिकार्ड दुरुस्ती का न्यायालय सहायक कलक्टर सीकर के यहां दायर कर रखा है। जिसके साथ एक अस्थाई निषेज्ञालय का प्रार्थना पत्र भी दायर कर रखा है। जिसका क्रमांक 136/1999 (39/99) है। जिसमें प्रार्थी ने इन भूमियों की खातेदारी अपने हक में घोषणा करानी चाही है तथा मौके पर अपना मकान होना बताया है। इस वाद का कभी निर्णय होना शेष है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में श्री पन्नाराम ने मौके की स्थिति को रेकार्ड पर लेने के लिये एक प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर नियुक्त करने का दिनांक 31.3.1999 को दायर किया है। जिस पर अभी निर्णय होना शेष है। ऐसी सूरत में मौका कमिश्नर से अलग व समानान्तर रिपोर्ट तैयार करने से राजस्व वाद की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है। अतः मौके पर कब्जे व मकानात इत्यादि की रिपोर्ट किया जाना उचित नहीं है।

(2) खसरा नम्बर 417 ग्राम चन्दपुरा तहसील सीकर जिसके भू-प्रबन्ध से पहले के ख.नं. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 206/297/1 थे, से सम्बन्धित कोई दान पत्र नहीं है।

(3) जी हां। श्री पन्नाराम द्वारा उक्त राजस्व वाद में न्यायालय में प्रमाण पत्रों की अप्रमाणित फोटो प्रतियां पेश की है, जिसमें उक्त भूमियों को पन्नालाल का होना बताया है।

(4) जी हां। श्री पन्नालाल ने एक राजस्व वाद बाबत खातेदारी घोषणा, अस्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 27.9.1996 को दायर किया गया।

(5) जी नहीं। कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया में है। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.4.2003 नियत है।

(6) वादी ने इस सम्बन्ध में न्यायालय में कोई दान पत्र पेश नहीं किया है। एक अपंजीकृत लिखा पढ़ी की अप्रमाणित फोटो प्रति न्यायालय में पेश की है। जिसके ऊपर 19.4.1962 की तिथि अंकित है। प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

ग्राम रालावास (दौसा) में पत्थर गढ़ी

607. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) एवं **श्री ललित भाटी** (अजमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गांव रालावास, तहसील लालसोट, जिला दौसा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 289 व 263

(श्री संयम लोढ़ा)

एवं अन्य 13 व्यक्तियों की विभिन्न खसरा नम्बरान की भूमि पर पत्थर गढ़ी कराने के लिए उक्त गांव के कोली समाज के व्यक्तियों द्वारा जिला कलक्टर, दौसा अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा व एस.डी.ओ. लालसोट को प्रार्थना–पत्र दिनांक 25.9.2002 को पेश किया गया था? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पत्थर गढ़ी सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया गया? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 9.10.2002 को तहसीलदार लालसोट के यहां सीमाज्ञान शुल्क की राशि पुस्तक संख्या 00015 से 00026 तक किन–किन काश्तकारों ने कितनी–कितनी राशि, किस–किस खसरा नम्बरान के सीमाज्ञान के लिए जमा कराई है? वर्तमान में सीमाज्ञान शुल्क जमा कराने के कितने दिवस में सीमाज्ञान कराने का प्रावधान है? प्रावधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या खण्ड तीन के अनुसार सीमाज्ञान करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? सीमा ज्ञान के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि में सीमाज्ञान नहीं कराने के लिए कौन दोषी है और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही का प्रावधान है?

(5) क्या यह सही है कि उक्त बारे में राजस्व (ग्रुप–3) के आदेश क्रमांक प.4 (131) राज–3/01 दिनांक 20.3.2002 के अनुसार यह आदेश दिया गया है कि अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा 183 बी के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के द्वारा उक्त खसरा नम्बरान के आबंटन अधिनियम के अन्तर्गत धारा 14(4) में उक्त 13 व्यक्तियों के पक्ष में दिनांक 2.8.2002 को फैसला सुनाते हुए दिनांक 1 मई, 1965 को किये भू–आबंटन को यथावत रखा? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम रालावास तहसील लालसोट जिला, दौसा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 289 व 263 के खातेदार कोली समाज के 13 व्यक्तियों द्वारा जिला कलक्टर, दौसा को दिनांक 24.9.2002 को, अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा को दिनांक 25.9.2002 को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये थे। जिनको उपखण्ड अधिकारी, लालसोट को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की गई थी। प्रार्थना पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट–"अ" संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि जिला कलक्टर दौसा एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर उपखण्ड अधिकारी लालसोट ने दिनांक 30.9.2002 को तहसीलदार लालसोट को नियमानुसार सीमाज्ञान कराने के आदेश दिये थे।

(3) जी हां। यह सही है कि दिनांक 8.10.2002 एवं दिनांक 9.10.2002 को संलग्न सूची परिशिष्ट "ब" में वर्णित काश्तकारों द्वारा पटवारी हल्का सलेमपुरा के यहां सीमाज्ञान शुल्क की राशि पुस्तक संख्या 016877 रसीद संख्या 15 से 26 के जरिये जमा कराई गई थी। पूर्ण विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट "ब" में अंकित है।

नागरिक अधिकार पत्र के अनुसार वर्तमान में सीमाज्ञान कराने हेतु सामान्यतया 7 दिवस व अधिकतम 15 दिवस का समय निर्धारित किया हुआ है।

(4) खण्ड 3 के अनुसार दिनांक 9.10.2002 को सीमाज्ञान शुल्क जमा होने के पश्चात् दिनांक 10.10.2002 को भू.अ. निरीक्षक कल्लावास व पटवारी हल्का सलेमपुरा, खटवा व किशोरपुरा एवं ग्राम प्रतिहारी सलेमपुरा की गठित टीम ने ख.नं. 289 व 263 वाके रालावास मौके पर पहुंच कर सीमाज्ञान की कार्यवाही प्रारम्भ की। ग्राम रालावास के लोगों द्वारा भारी विरोध कर सीमाज्ञान नहीं कराने दिया एवं टीम को अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में प्रकरण न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां विचाराधीन है।

(5) राजस्व (ग्रुप-3) विभाग के आदेश दिनांक 20.3.2002 के पूर्व ही आर.टी.ए. की धारा 183 बी के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार लालसोट में तीन प्रकरण संख्या 4/2001, 5/2001, 6/2001 दर्ज किये जाकर बाद विधिवत कार्यवाही दिनांक 11.12.2002 को बेदखली का निर्णय पारित कर दिया गया। निर्णय की पालना में अतिक्रमियों द्वारा मौके पर कब्जा नहीं हटाने पर उन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183सी के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये हैं।

(6) जी हां। यह सही है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा उनके यहां भू-आबंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत दायर प्रकरण संख्या 44/2001 में दिनांक 2.8.2002 को प्रार्थीगण मीणा जाति के प्रा. पत्र को खारिज कर अप्रार्थीगण को दिनांक 1.5.1965 को किये गये भू-आबंटन को यथावत रखा गया निर्णय की प्रति परिशिष्ट "स" संलग्न है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला सिरोही में आपरेशन मोक्ष के अन्तर्गत आबंटन

608. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने आपरेशन मोक्ष के नाम से कार्यक्रम/योजना बनाई थी?

(श्री संयम लोढ़ा)

(2) जिला सिरोही में आपरेशन मोक्ष के अन्तर्गत क्या-क्या प्रस्ताव तैयार किये गये थे और उक्त के अन्तर्गत कितने-कितने आबंटन हो गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अभियान के अन्तर्गत अब तक कार्यवाही न होने के लिये कौन ज़िम्मेदार है और उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) तत्कालीन सम्भागीय आयुक्त द्वारा 1997 में आपरेशन मोक्ष के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों की अनुपालना में श्मशान व कब्रिस्तान की भूमियों का राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करवाने के 45 आदेश जारी कर भूमि सुरक्षित/आबंटित की गई।

(3) इस प्रयोजन हेतु भूमियों का आरक्षण/आबंटन करना एक सतत प्रक्रिया है। अतः आवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में सीमा क्षेत्र की विवादित भूमि

609. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की ग्राम पंचायत माण्डवा के गुजरात सीमा से लगे ग्राम में कोई जमीन का विवाद चला था? क्या उक्त में गुजरात व राजस्थान सीमा के लोग थे? यदि हां, तो किस गांव की कितनी भूमि किस खसरा नम्बर की है और उक्त भूमि किस जिले में किसके नाम दर्ज है?

(2) क्या वर्तमान में माण्डवा पंचायत के जांजवासियों को एवं गुजरात सीमा से लगे हुये उदयपुर जिले में आने वाले व्यक्तियों को कोई परेशानी है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा पंचायत माण्डवा के ग्राम झांझर (राजस्थान (ग्राम आंजनी) गुजरात) से लगी सीमा में जमीन का विवाद चल रहा है। उक्त भूमि में राजस्थान व गुजरात सीमा के लोग थे। ग्राम झांझर की कुल 200 बीघा 08 बिस्वा भूमि विवादाग्रस्त है जिसके खसरा नम्बर 632, 667, 674 से 676, 678 से 691, 700, 705 से 711, 714 से 800, 801 से 832, 841/830, 844/832 है। उक्त भूमि उदयपुर जिले में होकर 70 बीघा वन विभाग, राजस्थान की, 71 बीघा 01 बिस्वा राजस्थान के कृषकों के खातेदारी की एवं 59 बीघा 07 बिस्वा भूमि बिलानाम राजकीय भूमि है।

(राजस्व मंत्री)

(2) वर्तमान में ग्राम झांझर के ग्रामवासियों को एवं गुजरात सीमा से लगे हुए उदयपुर जिले में ग्रामवासियों को आने जाने की कोई परेशानी नहीं है।

उपखण्ड प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में संचालित उचित मूल्य की दुकानों हेतु गठित सतर्कता समितियां

610. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ की तीन सौ बरानवें ग्राम पंचायतों व नगरों में केवल छह सौ तेरह उचित मूल्य की दुकानें हैं? यदि हां, तो प्रत्येक पंचायत समिति में अनुपात के आधार पर कितनी जनसंख्या अथवा घनत्व के आधार पर चलाई जा रही है? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपखण्ड प्रतापगढ़ में चलाई जा रही उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन कितने पंचायत क्षेत्र में नगरीय व्यक्तियों को किया गया है? क्या नियमानुसार प्राथमिकताओं के आधार मानकर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को एवं नगरीय क्षेत्र में नगरवासियों को नहीं दी गई? ग्रामीण क्षेत्र में चल रही दुकानों का आबंटन क्या ग्राम पंचायतों की सहमति से किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर सतर्कता समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं? यदि हां, तो पंचायत समिति प्रतापगढ़ और अरनोद में चलने वाली उचित मूल्य की दुकानों की सतर्कता समिति में कौन–कौन सदस्य हैं? स्थाई पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद में कितने परिवार निवास करते हैं और कितने परिवारों ने अपने राशन कार्ड बनवा लिये हैं? पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समितियों में राशन कार्ड चार वर्गों में विभक्त किया जाकर अन्नपूर्णा योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. के पृथक रंग के राशन कार्ड वितरित किये गये हैं?

(6) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने जनवरी, 2002 तक सभी जिला कलक्टरों को आदेशित किया है कि "राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञा–पत्र एवं नियंत्रण) आदेश, 1990" के अन्तर्गत द्रवित पेट्रोलियम गैस के लिये तीस किलोमीटर कारोबार क्षेत्र की परिधि तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की है? यदि हां, तो जिला उदयपुर में चल रही "भारत गैस" कानोड एजेंसी तीस किलोमीटर का क्षेत्र में जिला चित्तौड़गढ़ के कौन–कौन से गांव सम्मिलित किये गये हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में जिला चित्तौड़गढ़ में 391 ग्राम पंचायतों तथा 8 नगरपालिकाओं में 630 उचित मूल्य की दुकाने चल रही हैं इनमें से 123 दुकानें 8 नगरपालिकाओं में तथा 507 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में हैं सूची संलग्न हैं परिशिष्ट–1 प्रत्येक पंचायत समिति में औसतन कितनी जनसंख्या पर दुकान हैं सूची संलग्न हैं, औसतन 3260 जनसंख्या पर दुकान है। प्रत्येक पंचायत समिति में दुकानों की संख्या एवं जनसंख्या व प्रत्येक पंचायत में कितने युनिट पर दुकान है सूची संलग्न हैं। (परिशिष्ट–2)

(2) उपखण्ड प्रतापगढ़ में दो ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानें ग्राम पंचायत वीरपुर तथा अमलावद की दुकान शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को वर्ष 1986–87 में आबंटित हुई। वर्ष 1988 के बाद किसी भी नगरीय निवासी को ग्रामीण क्षेत्र की दुकान आबंटित नहीं की गई है। वर्ष 2002 में ग्रामीण क्षेत्र पांचइमली की दुकान शहरी क्षेत्र के व्यक्ति को आबंटित की गई उसे निरस्त कर दिया गया हैं।

पूर्व में दुकानों की कमेटी का अध्यक्ष जिला रसद अधिकारी होता था, वर्तमान में खाद्य विभाग के आदेश क्रमांक–एफ 97(8) खा.वि./सा.वि./99 II दिनांक 15.5.2002 से सरपंच सम्बन्धित ग्राम की दुकान के लिए आबंटन कमेटी का अध्यक्ष बनाया है तथा वर्तमान में आबंटन कमेटी की अनुशंसा पर दुकान आबंटित की जाती है।

(3) यह सही है कि प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर सतर्कता समिति के गठन के निर्देश हैं। प्रतापगढ़ तथा अरनोद में चलने वाली उचित मूल्य की दुकानों की सतर्कता समितियों की सूची दुकान वाइज संलग्न हैं। (परिशिष्ट–3)

(4) पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद में 67743 परिवार निवास करते हैं तथा सभी 67743 परिवारों ने अपने राशन कार्ड बनवा लिए हैं। पंचायतवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–4)

(5) यह सही है कि पंचायत समितियों में राशन कार्ड चार वर्गों में विभक्त किये हुए है। अन्नपूर्णा योजना, अन्त्योदय योजना, बी.पी.एल. ए.पी.एल. के पृथक–पृथक राशन कार्ड जारी किये हुए है। ग्राम पंचायत वार प्रत्येक वर्ग के जारी राशन कार्डों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–4)

(6) खाद्य विभाग के आदेश क्रमांक एफ.17(13)खा.वि./विधि/91 दिनांक 12.1.2001 से जिला रसद अधिकारी सवाई माधोपुर को पत्र लिख कर एक प्रति जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ को दी जाकर उसमें एल.पी.जी. अनुज्ञा पत्र धारको की 30 किलोमीटर तक ग्राहक सेवा

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये थे। प्रति संलग्न है। परिशिष्ट–5 खाद्य विभाग के पुनः आदेश क्रमांक एफ.17(13) खा.वि./विधि/92 दिनांक 4.6.2001 द्वारा एल.पी.जी. अनुज्ञा पत्रधारियों को अपना कारोबार 30 किलोमीटर क्षेत्र में वितरण करने तथा विस्तार पटल खोलने की अनुमति दी गई। साथ ही यह आदेश दिया गया कि वर्तमान नियमों में राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञा पत्र एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के अन्तर्गत अनुज्ञापन अधिकारी का अनुज्ञा पत्र अधिकार क्षेत्र तक प्रभावी हैं इसलिए जिले के बाहर एल.पी.जी. डीलर के कार्य विस्तार की व्यवस्था नियम विरुद्ध है। पत्र की प्रति संलग्न हैं। (परिशिष्ट–6)

नई एल.पी.जी. एजेंसियों खोलने पर कनेक्शन पुराने डीलर से नये डीलर को ट्रांसफर करने तथा दोनों के कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में मिनिस्ट्री आफ पैट्रोलियम द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 17.9.2001 भी इस सम्बन्ध में संलग्न है। (परिशिष्ट–7)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान के परिपत्र क्रमांक/एफ.17(13) खा.वि./विधि/91 दिनांक 20.6.2002 द्वारा अब 30 कि.मी. विस्तार पटल की व्यवस्था समाप्त कर केवल 15 किमी. उनके निर्वाह के लिए निर्धारित कोटे से 50 प्रतिशत से भी कम उपभोक्ता पंजीकृत होने पर अनुमति दी जायेगी तथा अब 15 कि.मी. तक छूट दी गई हैं जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए मान्य हैं। स्टेट लेवल कोर्डिनेटर के पत्र क्रमांक/दिनांक 21.5.2000 एवं खाद्य विभाग के उक्त परिपत्र की फोटो कापी संलग्न है जिसमें खाद्य विभाग के आदेश दिनांक 16.11.2000 एवं 12.1.2001 को प्रभावहीन घोषित किया गया है। (परिशिष्ट 8ए तथा 8बी)

कानोड गैस एजेंसी के 30 कि.मी. के क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ जिले के निम्न मुख्य गांव कि.मी. की परिधि में आते हैं, डूंगला, मंगलवाड़, बान्सी, बोहेड़ा, बड़वल, बड़ीसादड़ी आदि है परन्तु खाद्य विभाग के उपरोक्त आदेश दिनांक 20.6.2002 द्वारा उक्त 30 कि.मी. परिधि के विस्तार पटल की सुविधा उपरोक्तानुसार बन्द कर 15 कि.मी. की परिधि उपरोक्त सीमा के साथ लागू है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति कोटड़ा में राशन कार्ड वितरण में अनियमितता

611. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायतों के उपभोक्ताओं को नियमित वस्तुएं उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त करने हेतु बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. के अलग अलग राशन कार्ड राज्य स्तर पर तैयार कर उपलब्ध कराये गये हैं? यदि हां,

(श्री मांगीलाल गरासिया)

तो पंचायत समिति कोटड़ा में पंचायतवार कितने-कितने परिवार हैं तथा कितने-कितने परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति कोटड़ा में राशन कार्डों की कीमत पंचायतों द्वारा अलग-अलग निर्धारित कर वसूली जा रही है और आवेदकों को रसीदें भी नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कोटड़ा में परिवार राशन कार्ड दिये जाने बकाया हैं? यदि हां, तो राशन कार्डों की कीमत राज्य स्तर पर क्या निर्धारित की गई है और शेष परिवारों को कब तक राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समितियों में ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. के अलग-अलग राशन कार्ड तैयार कर उपलब्ध कराये गये है। पंचायत समिति कोटड़ा में पंचायतवार ए.पी.एल. के कुल 17101 परिवारों को एवं. बी.पी.एल. के समस्त 17702 परिवारों को राशन कार्ड जारी किये जा चुके हैं। पंचायत समिति कोटड़ा में पंचायतवार जो राशन कार्ड तैयार किये गये हैं उनकी सूची परिशिष्ट-(अ) पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति कोटडा में स्थित पंचायतों द्वारा अलग-अलग राशन कार्ड पर कर वसूली नहीं की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दो रुपये प्रति राशन कार्ड पर निर्धारित शुल्क की वसूल किया जा रहा है जिसकी प्रत्येक कार्डधारी को रसीद उपलब्ध कराई गई है।

(3) पंचायत समिति कोटड़ा में बी.पी.एल. परिवारों को राशन कार्ड वितरण किये जा चुके हैं एवं ए.पी.एल. परिवारों के कुल 9426 राशन कार्ड वितरण किये जाने शेष है। राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड की कीमत दो रुपये निर्धारित दर ही वसूल की जा रही है। शेष परिवार 9426 के तैयारशुदा राशन कार्ड 15 दिन के अन्दर-अन्दर वितरण करा दिये जावेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

प्रश्न संख्या-612

(स्थगित)

रैफरल अस्पताल बहरोड का क्रमोन्नयन

613. डा. करण सिंह यादव (बहरोड): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2001-02 व 2002-03 में रेफरल अस्पताल, बहरोड में कितने मेजर व माइनर आपरेशन किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. करण सिंह यादव)

(2) उक्त अस्पताल में कितनी डिलीवरी हुई व कितने सिजेरियन आपरेशन हुए?

(3) उक्त अस्पताल में परिवार नियोजन सम्बन्धी महिला व पुरुषों के कितने आपरेशन हुए हैं?

(4) क्या सरकार बहरोड के रैफरल अस्पताल को सौ बिस्तर के अस्पताल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या सरकार बहरोड में "ब्लड बैंक" खोलने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहरोड में वर्ष 2001 एवं 2002 में किये गये मेजर एवं माइनर आपरेशन की संख्या का विवरण निम्नप्रकार है:

वर्ष	आपरेशनों की संख्या	
	मेजर	माइनर
2001	1039	2215
2002	1103	2400

(2) उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कुल प्रसूति एवं आपरेशन से की गई प्रसूति की संख्या का विवरण निम्नप्रकार है:

वर्ष	कुल प्रसूति	आपरेशन से की गई प्रसूति
2001	940	29
2002	952	27

(3) उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवार नियोजन सम्बन्धी महिला एवं पुरूषों के आपरेशनों की संख्या का विवरण निम्नप्रकार है:

वर्ष	पुरुष नसबन्दी	महिला नसबन्दी
2001	3	2334
2002	2	2081

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। भारत सरकार (एन.ए.सी.ओ.) के दिशा निर्देशों के अनुसार ब्लड बैंक जिला स्तर पर ही खोले जा सकते हैं, चूंकि बहरोड जिला नहीं है, अत: वहां ब्लड बैंक खोलना सम्भव नहीं है।

अस्थायी चिकित्सकों की नियुक्ति पर देय स्थिर वेतन

614. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जून, 1998 से मार्च, 1999 के बीच सरकार ने अस्थायी चिकित्सकों की नियुक्ति स्थिर वेतन 8000 रुपये प्रति माह पर की थी और अब भी वही चली आ रही है?

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

(2) क्या यह भी सही है कि इसके बाद अस्थायी चिकित्सकों की नियुक्ति 8000–13500 के वेतन श्रृंखला में की गई थी?

(3) क्या सरकार इसे विसंगति नहीं मानती है? यदि हां, तो क्या इसे दूर करने का प्रस्ताव विचाराधीन है?

(4) अब कब तक इसे दूर कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1998 से 305 एवं वर्ष 1999 से 290 अभ्यर्थियों को समेकित वेतन रुपये 8000/– प्रति माह की दर पर अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति दी गई थी उनमें से वर्तमान में वर्ष 1998 के 9 एवं 1999 के 10 अभ्यर्थी कुल 19 अभ्यर्थी समेकित वेतन पर कार्य कर रहे है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। इस विसंगति को दूर करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(4) निर्णय होने ही तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में आपातकालीन मरीजों हेतु व्यवस्था

615. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सवाई मानसिंह हास्पिटल, जयपुर में गम्भीर अवस्था में भर्ती होने वाले मरीजों की क्या व्यवस्था है? उक्त आपातकालीन मरीजों को किस स्तर के चिकित्सक देखते हैं?

(2) क्या यह सही है कि सायंकाल को गम्भीर मरीजों को आपातकाल में देखने के लिये वरिष्ठ चिकित्सक की ड्यूटी लगाई जाती है? यदि हां, तो दिनांक 18.11.2002 को किन–किन चिकित्सक की ड्यूटी थी?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 19.11.2002 को सायंकाल एक मरीज को गम्भीर स्थिति में हास्पिटल में लाया गया? यदि हां, तो उक्त का किस–किस चिकित्सक द्वारा इलाज किया गया?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय की आपातकालीन इकाई में गम्भीर अवस्था में आने वाले गम्भीर मरीजों को तत्काल रेजीडेंट व वरिष्ठ चिकित्सक मिलकर देखते हैं। गम्भीर मरीजों को प्राथमिक उपचार के लिए सी.पी.आर.यू. रूम में रखा जाता है। मरीज की स्थिति नियंत्रित होते ही सम्बन्धित यूनिट में भर्ती कर दिया जाता है।

(2) जी हां। सायंकाल में इमरजेंसी में आये गम्भीर मरीज को देखने के लिये

(चिकित्सा मंत्री)

वरिष्ठ चिकित्सक ड्यूटी पर उपलब्ध रहता है। दिनांक 10.11.2002 को निम्नलिखित चिकित्सक आपालकालीन सेवाओं में ड्यूटी पर थे:

1. डा. डी.एम.मीणा, सहा. आचार्य अस्थि
2. डा. आलोक तिवाड़ी, एम.एन. अस्थि
3. डा. रणधीर सिंह, एम.एन. सर्जरी
4. डा. आर. एम. चौहान, एम.डी. मेडिसीन
5. डा. एम. के. मीणा, एम.डी. मेडिसीन
6. डा. सीताराम गुप्ता, निश्चेतन विभाग

(3) इस चिकित्सालय में सभी गम्भीर मरीजों को वरिष्ठ चिकित्सक एवं रेजीडेंट डाक्टर मिल कर देखते हैं तथा आवश्यकतानुसार उनका उपचार किया जाता है।

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में अव्यवस्थाएं

616. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में मरीजों हेतु कार्यरत कितनी लिफ्ट कितने समय से खराब है? क्या सरकार इन्हें ठीक कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में थायराइड का टेस्ट होना काफी समय से बन्द है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अब इसे पुनः चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त चिकित्सालय में स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला में कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? सूची मय नाम, पद एवं उनको आबंटित कार्य के सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रयोग शाला के प्रभारी अधिकारी की योग्यता क्या है एवं उक्त के अन्तर्गत कौन-कौन से विभाग आते हैं?

(5) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में सैंट्रल इमरजेंसी लैब भी है? यदि हां, तो उक्त के प्रभारी कौन है?

उत्तर

(1) वर्तमान में सवाई मानसिंह चिकित्सालय में चार लिफ्ट स्थापित हैं जिनमें से तीन लिफ्ट कार्यरत हैं। उक्त तीनों लिफ्ट ए.एफ.सी. में हैं तथा इनमें तकनीकी खराबी होने पर ओटीआईएस कम्पनी द्वारा ठीक करा दी जाती है। इनके अतिरिक्त। सी वार्ड के समीप स्थित एक लिफ्ट ईसीई कम्पनी की है, जो कंडम हो चुकी है। इसके स्थान पर एक नई लिफ्ट स्थापित कराने का कार्य प्रक्रिया में

(चिकित्सा मंत्री)

है, जो लगभग दो माह में पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) जी हां, सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्थापित थाइराइड जांच की मशीन खराब हो जाने के कारण थाइराइड का टैस्ट नहीं किया जा रहा है। यह मशीन कंडम की जा चुकी है। पुनः थाइराइड जांच हेतु नई मशीन (हारमोन एनेलाइजर) क्रय किया जाना प्रक्रिया में है। आगामी 1-2 माह में उक्त मशीन क्रय किये जाने पर थाइराइड जांच आरम्भ की जा सकेगी।

(3) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) सवाई मानसिंह चिकित्सालय की केन्द्रीय प्रयोगशाला के खण्ड बायोकेमिस्ट्री के प्रभारी डा. प्रवीण शर्मा, आचार्य बायोकेमिस्ट्री हैं। माइक्रोबायोलोजी के प्रभारी डा. सुमन ऋषि, आचार्य, माइक्रोबायोलोजी हैं। पैथोलोजी खण्ड की प्रभारी डा. बीना सक्सेना, सह आचार्य, पैथोलोजी है। यह तीनों खंण्ड पृथक एवं अपने आप में स्वतंत्र खण्ड हैं एवं अलग-अलग प्रभारी अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं। इस हैसियत में सैम्पल कलेक्शन एवं जांच रिपोर्ट वितरण उन्हीं के देखरेख में होता है। डा. प्रवीण शर्मा, आचार्य, बायोकेमिस्ट्री है और वे अपने पद के लिये मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुरूप पूर्ण योग्यता रखते हैं।

(5) जी हां। इस चिकित्सालय में सैंट्रल इमरजेंसी लैब स्थापित है। जिसमें होने वाले विभिन्न परीक्षण सम्बन्धित अलग-अलग विशिष्टता के विभागों के अधीन किये जाते हैं। उक्त सैंट्रल इमरजेंसी लैब डा. प्रवीण शर्मा, बायोकेमिस्ट्री के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

कालोजियट ब्रांच में पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन

617. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कालोजियट ब्रांच में किन-किन विशिष्टताओं की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई? रिक्तियों की सूची वर्षवार विशिष्टतानुसार सदन की मेज पर रखें।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के बाद किन-किन विशिष्ठताओं में कितने-कितने पद रिक्त रहे और रिक्त रखने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर रिक्त पदों

(श्री केसाराम चौधरी)

को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त पदोन्नति न होने से कुछ चिकित्सकों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी? यदि हां, तो क्या निर्णय हुए एवं न्यायालय के निर्णय पर क्या कार्यवाही की गई?

(5) वर्ष 2002-03 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न करने के क्या कारण हैं एवं ऐसे कितने मात्र चिकित्सक हैं जिन्हें पदोन्नति नहीं दी गई?

उत्तर

(1) कालोजियट ब्रांच में वर्षवार विशिष्टवार आयोजित की गई विभागीय पदोन्नति समितियों की सूचना व रिक्तियों की वर्षवार विशिष्टतावार सूचना परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(2) विभागीय पदोन्नति समितियों के आयोजन के पश्चात् रिक्त रहे पदों की सूचना परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 7 पर अंकित है।

(3) जी हां। विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक यथासम्भव शीघ्र आयोजित की जाकर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही लगातार जारी है।

(4) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(5) वर्ष 2002-2003 के लिए उपलब्ध पदों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की अब तक 37 बैठकें हो चुकी हैं एवं बाकी बैठकें निरन्तर आयोजित की जा रही हैं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

मेडिकल कालेजों हेतु आबंटित राशि

618. श्री ललित भाटी (अजमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में राज्य के छह मेडिकल कालेजों के लिए नान प्लान व प्लान में कितनी राशि का प्रावधान किया गया?

(2) बजट आबंटन के लिए क्या कोई मानदण्ड यथा बैड संख्या, छात्र संख्या, आबादी या अन्य कोई निर्धारित किए हुये हैं? यदि हां, तो क्या? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बजट आबंटन समिति अपने स्वविवेकानुसार बजट आबंटित करती है?

उत्तर

(1) राज्य के छह मेडिकल कालेजों के लिए आयोजना भिन्न व आयोजना में वर्ष 1998-99 से वर्ष 2002-03 तक रखी गई राशि की वर्षवार एवं कालेजवार सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) मेडिकल कालेजों के लिए बजट आबंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं। इसके लिए गत वर्षों के व्यय को ध्यान में रखते हुए ही विभिन्न अधीक्षकों से प्राप्त प्रस्तावों को वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करते हुये बजट निर्णायक समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं।

(3) जी हां। बजट प्रावधान की सीमा आयोजना विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा तय की जाती है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

सामुदायिक चिकित्सालय रानी (पाली) में महिला चिकित्सक की नियुक्ति

619. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सामुदायिक चिकित्सालय, रानी स्टेशन पाली में महिला चिकित्सक की मांग की जा रही है? यदि हां, तो रानी में सरकार कब तक महिला चिकित्सक लगाने का विचार रखती है?

(2) क्या राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय, सादड़ी में 30 शैय्या को बढ़ाकर 50 शैय्या की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक क्रियान्वित करा दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानी स्टेशन पाली में महिला चिकित्सक का पद पृथक से स्वीकृत नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से महिला चिकित्सा अधिकारी के चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर ही उक्त केन्द्र में स्वीकृत चिकित्सा अधिकारी के पद पर महिला चिकित्सा अधिकारी को लगाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में विधायक कोष से स्वीकृत कार्य

620. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1999 से जनवरी, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में विधायक कोष से किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है? यदि हां, तो कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घासीलाल मेघवाल)

(3) क्या उक्त कार्यों में अनियमितता के लिए जिम्मेदार अभियन्ताओं के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त क्षेत्र में उक्त कोष से किस–किस कार्य के लिए स्वीकृत राशि शेष बची है तथा शेष राशि का कब तक उपयोग कर लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से जनवरी, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में विधायक कोष से स्वीकृत कार्यों एवं राशि का विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। कोई अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है।

(4) उक्त कोष से स्वीकृत राशि में से शेष बची राशि का कार्यवार विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है। शेष राशि का उपयोग माह मार्च, 2003 तक किया जाना सम्भावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

ग्राम खोहर (अलवर) के विस्थापित किसानों को भूमि का मुआवजा

621. डा. करण सिंह यादव (बहरोड): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बहरोड कुंड से खोहर तक सड़क निर्माण के लिए वर्ष 1992 में खोहर गांव के निवासियों की भूमि अवाप्त की गई थी?

(2) क्या उक्त विस्थापित किसानों के लिए कोई मुआवजा राशि निर्धारित की गई थी? क्या उक्त राशि अधिशासा अभियंता (खण्ड द्वितीय), अलवर द्वारा दी जानी थी?

(3) क्या उक्त विस्थापित किसानों को मुआवजा राशि दे दी गई है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार का उक्त देरी के लिए दोषी कार्मिकों को दण्डित किये जाने का विचार है? यदि हां, तो अब पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। विस्थापित किसानों की राशि का भुगतान काश्तकारों को बैंक की वैद्यता अवधि समाप्त होने के कारण नहीं हो सका।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) जी नहीं। पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान शीघ्र कर दिया जावेगा।

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में विधायक अनुशंसा पर स्वीकृत सड़क का कार्य

622. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बंताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में विधायक की अनुशंसा पर स्वीकृत गांवों के आवासीय क्षेत्र में पेवर सड़का कार्य नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों और उक्त शेष कार्य कब तक करा दिया जावेगा?

(2) क्या कोशिथल से मोखुन्दा सड़क पर पटरियों का कार्य किया गया है? यदि हां, तो कितना–कितना कार्य किया गया व कितना भुगतान उठाया गया?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गांवों के आवासीय क्षेत्र में जल निकास की समुचित व्यवस्था न होने के कारण पेवर सड़क का कार्य नहीं किया गया। गांवों के आवासीय क्षेत्रों में पेवर सड़क का कार्य पंचायत अथवा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष में से जल निकास व्यवस्था करवाये जाने के उपरान्त कराया जा सकेगा।

(2) जी हां। कोशिथल से मोखुन्दा पेवर सड़क पर किमी. 0/0 से 4/0, 5/0 से 17/0 तक आर.यू.पी. प्रथम के तहत पटरियों की आवश्यकतानुसार पटरियों का कार्य किया गया है। पटरियों पर किये गये कार्य का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है, जिसका कि अभी भुगतान कराना शेष है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

जयपुर–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल टैक्स वसूली में छूट

623. डा. के. सी. चौधरी ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 80 को चार लेने करने के पश्चात् उक्त पर टोल टैक्स हेतु बेरियर स्थापित किये गये हैं? यदि हां, तो कुल कितने एवं किन–किन स्थानों पर।

(2) उक्त बेरियर्स पर किन–किन श्रेणी के लोगों को टोल–टैक्स में छूट दी गई?

उत्तर

(1) राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं। जयपुर–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो भारत सरकार का उपक्रम है, के अधीन है।

(2) उपरोक्तानुसार।

ग्राम शहर से बागौर (करौली) तक सड़क निर्माण

624. श्री ललित भाटी (अजमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम बागौर तहसील नादोती जिला करौली में ग्राम शहर से बागौर तक की सड़क निर्माण कार्य किस वर्ष में कराया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़क पर निर्माण के पश्चात् कब-कब मरम्मत सम्बन्धी कार्य करवाये गये? क्या उक्त की मरम्मत के सम्बन्ध में कई बार सम्बन्धित अधिकारियों को कई ज्ञापन प्राप्त हुये? यदि हां, तो किस वर्ष में और उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) अब उक्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य कब तक करा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) ग्राम बागौर तहसील नादौती जिला करौली में ग्राम शहर से बागौर तक की सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 1989-90 में पूर्ण करवाया गया था। उक्त कार्य एम.एन.पी. योजना अन्तर्गत था।

(2) वर्ष 1993-94 से दिसम्बर, 2002 तक इस सड़क पर साधारण मरम्मत का कार्य ही हुआ। वर्ष 2002-2003 में इस सड़क के कि.मी. 0/0 से 2/0 तक की लम्बाई में पेच मरम्मत कार्य करवाया गया है। जी हां, वर्ष 2000 में।

शेष 8.0 किलोमीटर लम्बाई में आर.यू.पी. द्वितीय योजना में सम्बन्धित विधायक महोदय द्वारा प्रस्तावित किये जाने के कारण पेच रिपेयर प्रस्तावित नहीं की गई थी। मगर विधायक महोदय द्वारा प्राथमिकता बदले जाने के कारण शेष 8 किलोमीटर नवीनीकरण कार्य आर.यू.पी. में नहीं कराये जा सके।

(3) राज्य में अकाल की भयंकर स्थिति के मद्देनजर नजर वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल मरम्मत/पुनर्निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र कठूमर (अलवर) व ग्राम इन्टाली से फतहनगर (उदयपुर) तक सड़क निर्माण

625. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम इन्टाली से फतहनगर (उदयपुर) सड़क एवं विधान सभा क्षेत्र कठूमर (अलवर) में कितनी सड़कें कब एवं कितनी लागत से किस एजेंसी के द्वारा बनाई गई थी? उक्त सड़कों पर अब तक कितनी-कितनी राशि कब-कब व्यय की गई है और वर्तमान में उक्त सड़कों की स्थिति क्या है?

(श्री रमेश खींची)

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु राशि की स्वीकृति भी हो चुकी है? यदि हां, तो कब कितनी राशि की? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम इन्टाली से फतहनगर (उदयपुर) सड़क एवं विधान सभा क्षेत्र कठूमर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कुल 196.60 किलोमीटर एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 120 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें विभिन्न वर्षों में बनवाई गई है। उक्त सड़कों पर वर्ष 1999 से व्यय की गई राशि का विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त सड़कों में से मरम्मत हेतु स्वीकृत सड़कों एवं स्वीकृत राशि एवं स्वीकृति आदेशों का विवरण क्रमशः प्रपत्र "ब" एवं "स" पर संलग्न है।

(3) मरम्मत हेतु स्वीकृत सड़कों पर कार्य प्रगति पर है। शेष मरम्मत योग्य सड़कों का कार्य राज्य में अकाल की स्थिति के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम रायथल (जयपुर) में बाइपास सड़क निर्माण

626. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रायथल (जयपुर) में बाइपास सड़क का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो उक्त सड़क की स्वीकृति किस योजनान्तर्गत एवं कितनी राशि की प्राप्त हुई और उक्त सड़क की लम्बाई कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बाइपास सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क निर्माण कुछ लोगों द्वारा बीच में ही रुकवा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या उक्त बाइपास सड़क के निर्माण कार्य को कुछ भू–माफियाओं ने झगड़ा करके रोक दिया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त कार्य को पुलिस मदद से पुनः शुरू करवाकर पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) उपरोक्तानुसार।

ग्राम जसवन्तगढ़ (नागौर) में निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान

627. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कुछ ऐसी शिक्षण संस्थाएं निजी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हैं जिसमें मोंटेसरी पद्धति से पढ़ाई कराई जा रही है और उनको राज्य सरकार सहायता प्रदान कर रही है? यदि हां, तो उक्त पद्धति क्या है तथा उक्त में सहायता प्राप्त करने के लिये क्या-क्या शर्तें हैं और कितना प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकार की संस्था ग्राम जसवन्तगढ़ तहसील लाडनूं जिला नागौर में चल रही है? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा उक्त के संचालक कौन-कौन हैं एवं कितने प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है और गत तीन वर्षों में कितना अनुदान उक्त संस्था को दिया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्थाओं में कौन-कौन अध्यापक कब-कब से कार्यरत हैं तथा यह किस प्रकार की प्रशिक्षण योग्यता कब-कब से प्राप्त किये हुये हैं और उक्त को मासिक वेतन कितना-कितना दिया जा रहा है?

(4) उक्त प्रकार की संस्थाओं को कौन-कौन से खर्चों पर अनुदान दिया जाता है तथा उक्त संस्था को कौन-कौन से खर्चे पर अनुदान दिया जा रहा है?

(5) क्या सरकार ने उक्त संस्था द्वारा जो छात्रों से फीस वसूल की जा रही है उसका अनुमोदन किया है? यदि हां, तो किस-किस कक्षा के लिये कितनी कितनी फीस निर्धारित है और कितनी कितनी वसूल की जा रही है?

(6) क्या उक्त संस्था द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/शर्तों की पालना बराबर की जा रही है? यदि हां, तो किस प्रकार से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मैडल मोंटेसरी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की इस पद्धति में खेल द्वारा बालकों का बौद्धिक विकास किया जाता है। गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 से नियम 19 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। राज्य में संचालित इस प्रकार के विद्यालयों को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

(2) जी नहीं। अपितु मोंटेसरी शिक्षा सदन के नाम से प्राथमिक विद्यालय जसवन्तगढ़ तहसील लाडनूं में संचालित है। इस संस्था को 90 प्रतिशत अनुदान

(शिक्षा मंत्री)

दिया गया है। गत 3 वर्षों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	राशि
1999–2000	2,54,207=00
2000–2001	1,57,081=00
2001–2002	3,78,773=00

उक्त संस्था के संचालक मण्डल का विवरण परिशिष्ट–क पर संलग्न है।

(3) उक्त संस्था में कार्यरत अध्यापक, उनकी शैक्षिक योग्यता तथा वेतन का विवरण परिशिष्ट–ख पर संलग्न है।

(4) संस्थाओं को खर्चे पर दिये जाने वाले अनुदान का विवरण परिशिष्ट–ग पर संलग्न है।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां। संस्था द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/शर्तों की पालना की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

पंचायत समिति कुचामन (नागौर) के विद्यालय भवनों का निर्माण

628. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन (नागौर) में डी.पी.ई.पी. के भवन निर्माण के वर्ष 2002–03 के वार्षिक प्लान में किस–किस विद्यालय के लिए भवन निर्माण कराना प्रस्तावित कर रखा था?

(2) वर्ष 2002–03 के उक्त वार्षिक प्लान में कितनी राशि उपलब्ध थी और उक्त राशि का खर्च किस–किस प्रकार कितना–कितना हुआ है?

(3) क्या वर्ष 2002–03 में मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु उक्त कार्य में 21.42 लाख रुपये की राशि स्वीकृत थी? यदि हां, तो उक्त राशि को किस–किस विद्यालय के लिए कितनी–कितनी व्यय की गई है?

(4) क्या वर्ष 2001–2002 व 2002–2003 में डी.पी.ई.पी. के पास नवीन कमरे निर्माण हेतु कुल राशि 28.35 लाख उपलब्ध थी? यदि हां, तो उक्त राशि को किस–किस प्रकार कहां–कहां, पंचायत समिति कुचामन क्षेत्र में व्यय की गई है?

(5) क्या उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में 24 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला तथा 3 शिक्षा कर्मी पाठशालाएं भवन रहित है? क्या उक्त विद्यालयों के लिए भूमि आबंटन का कार्य कर दिया गया है? उक्त विद्यालय किस वर्ष से संचालित हैं और उक्त के लिए भूमि आबंटन की कार्यवाही कब तक किस–किस विद्यालय की क्यों पूरी नहीं हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डी.पी.ई.पी. नागौर के वार्षिक प्लान 2002–03 में भवन निर्माण हेतु किसी भी विद्यालय का भवन निर्माण करना प्रस्तावित नहीं था।

(2) वर्ष 2002–03 के उक्त वार्षिक प्लान में निर्माण कार्य के लिये 168.49 लाख की राशि स्वीकृत थी। उक्त राशि का पदवार व्यय विवरण परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(3) वर्ष 2002–03 में मरम्मत एवं रख रखाव हेतु स्वीकृत 21.42 लाख रुपये की राशि का विद्यालयवार व्यय परिशिष्ट ''ब'' संलग्न है।

(4) वर्ष 2001–02 में 60 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण के लिए कुल रुपये 75.00 लाख का प्रावधान था जिसमें से वर्ष 2002–03 में अतिरिक्त कक्षा कक्ष के लिए Spill over बजट 28.35 लाख रुपये की राशि सम्पूर्ण नागौर जिले की समस्त पंचायत समितियों के लिये थी। पंचायत समिति कुचामन में अतिरिक्त कक्षा कक्षों पर किया गया व्यय परिशिष्ट ''स'' संलग्न है।

(5) जी नहीं। उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में 18 राजीव गांधी पाठशालाएं एवं 2 शिक्षाकर्मी विद्यालय भवन रहित है। विद्यालयों का संचालन वर्ष एवं भूमि आबंटन कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट ''क'' संलग्न है। भूमि आबंटन कार्यवाही सम्बन्धित ग्राम पंचायत नगरपालिका में प्रक्रियाधीन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु संचालित योजनाएं

629. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कौन–कौनसी योजनाएं चलाई जा रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं से वर्ष 1999 से 2002 तक कितनी बालिकाओं को प्रोत्साहित किया? विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में किस–किस योजना में कितनी बालिकाओं को प्रोत्साहित किया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बालिकाओं को शिक्षा पुरस्कार तथा किताब बैंक व निर्धन बालिकाओं को राशि आबंटित की जा रही है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी बालिकाओं को पुरस्कार, किताबें व राशि दी गई? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये चलाई जा रही योजनाओं की सूची परिशिष्ट "क" पर सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त योजना में वर्ष 1999 से 2000 तक प्रोत्साहित बालिकाओं का विवरण परिशिष्टं "ख" सदन की पटल पर रख दी गई है।

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में जिन-जिन योजनाओं में बालिकाओं को प्रोत्साहित किया गया है। उनकी सूची परिशिष्ट "ग" सदन की पटल पर रख दी गई है।

(3) बालिकाओं को दिये जाने वाले पुरस्कारों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन की पटल पर रख दी गई है। गत-दो वर्षों में बालिकाओं को वितरित पुरस्कारों का विवरण परिशिष्ट "ख" एवं "ग" पर सदन की पटल पर रख दी गई है। गत दो वर्षों में उपलब्ध कराई गई निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष/सत्र	लाभान्वित छात्राएं
2000-01	14,915
2001-02	15,792

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

माध्यमिक विद्यालय नाहरी (भीलवाड़ा) का क्रमोन्नयन

630. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक विद्यालय नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा को अभी तक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया गया है?

(2) अब उक्त विद्यालय को सरकार कब तक क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वित्तीय वर्ष 2002-03 में प्रावधित विद्यालय क्रमोन्नत किये जा चुके हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विद्यालय क्रमोन्नति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर प्रशासकीय आधार क्षेत्रीय शैक्षिक आवश्यकता भौगोलिक परिस्थितियों, गांव की जनसंख्या, अन्तिम कक्षा की छात्र संख्या, क्षेत्र में संचालित अन्य विद्यालयों के आपसी अनुपात व गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार किये जाते समय रा.मा.विद्यालय नाहरी तहसील रायपुर (भीलवाड़ा) के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ उक्त विद्यालय को क्रमोन्नति के लिये विचारार्थ रखा जा सकेगा।

प्रशिक्षित विधवा महिलाओं को रिक्त पदों पर नियुक्ति

631. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य में प्रशिक्षित विधवा महिला को नौकरी दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो प्रशिक्षित विधवा महिलाओं को आवेदन कहां करना चाहिए?

(2) वर्तमान में विधवाओं हेतु कितने रिक्त पद किस-किस जिले में आरक्षित हैं? उक्त में आवेदन व नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर

(1) राज्य में प्रशिक्षित विधवा महिला के लिये नौकरी हेतु अलग से कोई प्रावधान नहीं है।

(2) वर्तमान नियमों में प्रशिक्षित विधवाओं के लिये जिले अनुसार कोई आरक्षण नहीं है।

श्रीबालिका माध्यमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय नोहर (हनुमानगढ़) की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कार्यवाही

632. श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या श्री बालिका माध्यमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय, नोहर (हनुमानगढ़) की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने जांच कर प्रबन्ध समिति को दोषी पाया है? यदि हां, तो प्रबन्ध समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

(2) उक्त संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीबालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, नोहर (हनुमानगढ़) की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ के पास अन्वेषणाधीन है।

(2) विद्यालय की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ के पास अन्वेषणाधीन है। चूंकि संस्था 07/2001 से है तथा संस्था द्वारा अनुदान हेतु आवेदन नहीं करने के कारण वेतन भुगतान की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के विद्यालयों में रिक्त पद

633. श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी (लक्ष्मणगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के अध्यापकों

(शिक्षा मंत्री)

के पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के श्रेणीवार रिक्त पदों की स्थिति इस प्रकार से है:

पदनाम	रिक्त पद
प्राचार्य	02
प्रधानाध्यापक	04
व्याख्याता	21
वरिष्ठ अध्यापक	21
अध्यापक	11

विद्यालयवार रिक्त पदों के विवरण का परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याताओं के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रधानाध्यापक 529 पद तथा व्याख्याताओं के 1281 पदों हेतु अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी हैं। प्राचार्य, प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याताओं के डी.पी.सी. के रिक्त पदों की डी.पी.सी. के आयोजन करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वरिष्ठ अध्यापकों के सीधी भर्ती के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान कार्मिक के परिपत्र दिनांक 22.7.1998 के द्वारा किया गया है, अतः उक्त अनुसार नियमों के आवश्यक संशोधन करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें)

जयपुर शहर के विद्यालयों में पोषाहार मिड डे मील कार्यक्रम

634. श्री कय्यूम खां (मसूदा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर शहर के कितने विद्यालयों में पोषाहार मिड डे मील कार्यक्रम चल रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर के विद्यालयों को कितना-कितना गेहूं और राशि आबंटित की गई है?

(3) क्या जयपुर शहर में घूघरी वितरण में अनियमितताएं पाई गई हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे विद्यालयों में तथा उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

(4) क्या राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोमेश्वरपुरी, जयपुर में घूघरी वितरण हो रहा है? यदि हां, तो जुलाई से अब तक कितना गेहूं और राशि आबंटित

(श्री कय्यूम खां)

की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त विद्यालय में घूघरी में अनियमितता की किसी स्तर पर जांच चल रही है? यदि हां, तो कब से?

(6) क्या उक्त विद्यालय में घूघरी बनाने वाली की भी कोई शिकायत की है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही हुई?

उत्तर

(1) जयपुर शहर के 367 विद्यालयों में पोषाहार मिड–डे–मील कार्यक्रम चल रहा है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

(2) जयपुर शहर के उक्त विद्यालयों में आबंटित गेहूं व राशि का विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(3) जी हां। राउप्रावि., सीतारामपुरी में घूघरी वितरण में अनियमितता पाये जाने पर विद्यालय में प्रधानाध्यापक को निलम्बित किया जा चुका है।

(4) जी हां। राउप्रावि, सोमेश्वरपुरी में माह जुलाई, 2002 से अब तक 7874 किलो गेहूं तथा राशि 39370/–रुपये आबंटित की गई है।

(5) जी हां। राउप्रावि, सोमेश्वरपुरी जयपुर में घूघरी में अनियमितता की जांच जिला शिक्षाधिकारी प्रार. शिक्षा जयपुर द्वारा 2 जनवरी, 2003 के आदेश से ब्लाक जि.सि.अ. सांगाने से करवाई जा रही है।

(6) जी नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामूबाई (बाड़मेर) के अध्यापक के आश्रित को ग्रेच्युटी व पेंशन का भुगतान

635. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक स्व. श्री जगन्नाथ जोशी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामूबाई, नेहरू नगर, बाड़मेर में पदस्थापित थे एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित को देय ग्रेच्युटी एवं पेंशन की राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। स्व. श्री जगन्नाथ जोशी, अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय (मूल पद) रामूबाई, नेहरू नगर, बाड़मेर में कार्यरत थे। अध्यापक को प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। अध्यापक की मृत्यु उपरान्त उनके आश्रितों द्वारा

(शिक्षा मंत्री)

न्यायालय में वाद दायर कर डिक्री प्राप्त की गई। जो कि राजस्थान सिविल पेंशन नियम 1996 के नियम 56 व 70 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण न्यायालय निर्णय की पालना की स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जवाहर सागर डेम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों का परीक्षा परिणाम

636. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जवाहर सागर डैम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पांच शिक्षक और चार छात्र रहे हैं? यदि हां, तो कब से तथा परीक्षा परिणाम क्या रहा?

(2) उक्त प्रकरण सरकार के ध्यान में कब आया और उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं। अपितु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जवाहर सागर डेम में सत्र 2000-2001 में 255 छात्र तथा सत्र 2001-2002 में 205 छात्र अध्ययनरत रहे हैं। सत्र 2001-02 में कक्षा 12 में 04 छात्र अध्ययनरत थे तथा कक्षा 11 एवं 12 के छात्रों को अध्ययन कराने हेतु 04 व्याख्याता कार्यरत थे तथा बोर्ड की कक्षा-12 का सत्र 2001-2002 में परीक्षा परिणाम शून्य रहा।

(2) परीक्षा परिणाम शून्य रहे सम्बन्धित विषय अध्यापक को सी.सी.ए. नियम-17 के तहत दिनांक 02.08.2002 को ज्ञापन दिया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर द्वारा राज्यादेश से स्थानान्तरण

637. **श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर ने राज्यादेश की पालना में स्थानान्तरण किये हैं? यदि हां, तो राज्यादेश संख्या क.5 (17) प्राशि/2002 व निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा के पत्र क्रमांक शिविर/प्रार./संख्या/एफ.4/998/दोष-II/2002 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अधिकारी ने अपने स्तर पर भी स्थानान्तरण किये हैं? यदि हां, तो कब और क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त की जांच करवाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्यादेश संख्या प.5(17)प्राशि./2002 व निदेशक, प्रार. शिक्षा का पत्रांक शिविरा/प्रार./संस्था/एफ-

(शिक्षा मंत्री)

4/998/वोल-II/2002 की प्रति परिशिष्ट "क" व "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। उक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 31.10.2002 को एक अध्यापिका का स्थानान्तरण अपने स्तर पर किया गया है। जिसकी जांच के आदेश दियें जा रहे हैं।

(3) जी हां। जांच के आदेश दिये जा रहे हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के विद्यालयों में रिक्त पद

638. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के कितने कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेजं पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) अब तक उक्त पद रिक्त रहने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ में संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के रिक्त पदों एवं कब से रिक्त है, का विवरण का परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। व्याख्याताओं के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को विभिन्न विषयों की 1281 अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी है। वरिष्ठ अध्यापक के सीधी भर्ती के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने की परिधि में आने के परिणामस्वरूप नियमों में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पद भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। डी.पी.सी. पर लगाया गया प्रतिबन्ध 28.12.2002 को हटा लिये जाने के परिणामस्वरूप डी.पी.सी. से भरे जाने वाले पदों हेतु डी.पी.सी. की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) पद रिक्त रहने का मुख्य कारण सेवानिवृति, निधन, पदोन्नति, पदोन्नति का परित्याग, नये पदों का सृजन आदि है तथा यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बनेड़ा के प्राथमिक विद्यालय में मानदण्ड के अनुसार शिक्षकों का पदस्थापन

639. श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बनेड़ा में प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन पंचायत समितिवार कुल कितने शिक्षक कार्यरत हैं? उक्त में पंचायत समितिवार महिला शिक्षक कितने हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के कई प्राथमिक स्कूलों में मानदण्ड के अनुसार शिक्षक कार्यरत नहीं है? यदि हां, तो उक्त में शिक्षक कब तक पदस्थापित कर दिये जावेंगे।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन विधान सभा क्षेत्र बनेड़ा में कार्यरत शिक्षक एवं महिला शिक्षकों का पंचायत समिति वार विवरण इस प्रकार है:

पं.सं. का नाम	कार्यरत कुल अध्यापक			महिला अध्यापक		
	II ग्रेड	III ग्रेड	योग	II ग्रेड	III ग्रेड	योग
बनेड़ा	22	341	363	02	124	126
हुरड़ा	26	351	377	04	123	127
योग	48	692	740	06	247	253

(2) यथासम्भव आवश्यकतानुसार पदस्थापन की कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

जिला नागौर के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन

640. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में कुल कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालयों में विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के अनेक पद काफी लम्बे समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि लम्बे समय से चले आ रहे रिक्त पदों के कारण उक्त शालाओं में अध्ययन कार्य बाधित हो रहा है तथा परीक्षा परिणाम भी प्रभावित हुए हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला नागौर में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों की स्थिति इस प्रकार से है:

(शिक्षा मंत्री)

माध्यमिक स्तर पर			उच्च माध्य. स्तर पर		
छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
161	16	117	85	15	100

(2) उक्त विद्यालयों में विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों के विवरण का परिशिष्ट–"क" सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(3) छात्रों के अध्ययन में तथा बोर्ड परीक्षा परिणाम प्रभावित ना हो, इस हेतु गैस्ट–फैकल्टी योजना के तहत राज्य में 1715 व्याख्याओं के पद पर तथा 2046 वरिष्ठ अध्यापकों के पदों पर एवं नागौर जिले में 87 व्याख्याताओं तथा 113 वरिष्ठ अध्यापकों के पदों पर शैक्षणिक व्यवस्था की गई है। व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को विभिन्न विषयों की 1281 पदों हेतु अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी हैं। वरिष्ठ अध्यापकों की वर्तमान वेतन श्रृंखला 5500–9000 है तथा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.7.1998 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की परिधि में आने के परिणामस्वरूप नियमों में संशोधन करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभागीय पदोन्नति समिति पर लगाई गई रोक 28.12.2002 को हटाये जाने के फलस्वरूप विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित करने एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पाठ्य पुस्तक मण्डल में आशुलिपिक की नियम विरुद्ध पदोन्नति

641. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल में आशुलिपिक ग्रेड–II के पदों पर भर्ती हेतु क्या प्रावधान है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा फरवरी, 2003 में आशुलिपिक ग्रेड–II के पदों पर पदोन्नति की गई है? यदि हां, तो जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति नियमानुसार आशुलिपिक की गति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है? यदि हां, तो फिर अयोग्य व्यक्ति को किस आधार पर पदोन्नति दी गई है?

(4) क्या सरकार नियम विरुद्ध उक्त पदोन्नति दिये जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री संजीव कुमार)

(5) क्या सरकार उक्त पदोन्नति को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल में आशुलिपिक II ग्रेड के पदों पर भर्ती हेतु नियमों एवं संशोधन की प्रति परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। क्यों पदोन्नति नियम विरुद्ध नहीं दी गई है।

(5) जी नहीं। क्योंकि पदोन्नति नियम विरुद्ध नहीं दी गई है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सागर जैन उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ (अजमेर) की बकाया अनुदान राशि

642. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सागर जैन उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ जिला अजमेर की अनुदान की राशि बकाया है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अनुदान की राशि का कब तक भुगतान कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री सागर जैन उच्च प्राथमिक विद्यालय, की नियमित अनुदान राशि बकाया नहीं है।

(2) नियमित अनुदान राशि बकाया नहीं है।

जिला चूरू के प्राथमिक विद्यालयों में समानीकरण

643. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला चूरू के प्राथमिक शालाओं में विद्यालयवार पद भरे हुए हैं? यदि नहीं, तो सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति चूरू के प्राथमिक शालाओं के सभी पद भरे हुए हैं फिर भी तीन ऐसे विद्यालय हैं जो आज भी एकल अध्यापकीय विद्यालय हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या समानीकरण से पूर्व उक्त पंचायत समिति की प्रशासनिक एवं स्थापना समिति की बैठक दिनांक 9.12.2002 के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रस्ताव संख्या 5 में एकल अध्यापकीय विद्यालयों में पदों को भरने का प्रस्ताव पारित किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त की पालना हो चुकी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। नव पद सृजन एवं नियुक्तियों की स्वीकृति मिलने पर रिक्त पद भरे जाएंगे।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। उक्त प्रस्ताव की पालना हो चुकी है।

चित्रकला अध्यापकों की पदोन्नति

644. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी चित्रकला अध्यापकों को पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में समय समय पर निर्णय लिये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या एवं कब-कब?

(2) उक्त निर्णयों की अनुपालना में अब तक पदोन्नति देने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है? की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा सेवा नियमों के लिए कोई समिति गठित की गई थी? क्या उक्त समिति की बैठकों में चित्रकला/संगीत अध्यापकों की योग्यता के सम्बन्ध में किसी प्रकार के निर्णय लिए गये? यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट में राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई सिफारिशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि चित्रकला/उद्योग एवं संगीत के तृतीय श्रेणी अध्यापकों को सामान्य अध्यापक तृतीय श्रेणी के साथ अन्तरलयन कर पदोन्नति हेतु पात्रता सूचियां बनाई गई हैं? यदि हां, तो जयपुर जिले की पात्रता सूची में पदोन्नति पाने योग्य तृतीय श्रेणी चित्रकला अध्यापकों के नाम व योग्यता क्या-क्या हैं? क्या उक्त में सामान्य अध्यापक की योग्यता रखने वालों को ही पदोन्नत किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार के आदेश संख्या शिक्षा क्रमांक एफ.11 (187) शिक्षा–2/87, दिनांक 25.1.1988 के अनुसार चित्रकला विषय के शिक्षकों को बी.एड./शिक्षा शास्त्री की डिग्री अनिवार्य नहीं है? यदि हां, तो क्या जो चित्रकला तृतीय श्रेणी अध्यापक बी.एड./शिक्षा शास्त्री नहीं है और प्राध्यापक चित्रकला पद की पात्रता 05 वर्ष की अवधि का कला डिप्लोमा रखते हैं क्या उन्हें वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमों के सैक्शन "ई" के अनुसार चित्रकला अध्यापक (तृतीय श्रेणी) से व.अ. (चित्रकला) पद पर पदोन्नति के प्रावधान है तथा उक्त प्रावधानानुसार पदोन्नति की कार्यवाही मण्डल उप निदेशक द्वारा की जाती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रभावी होने के कारण आदेश क्रमांक शिविरा/संस्था–एफ–1/12440/7/73 दिनांक 4.11.1992 के अनुसार द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी (चित्रकला) अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं की जा रही हैं।

पत्र क्रमांक प.5(168)शिक्षा–2/1999 दिनांक 8.9.1999 एवं 18.7.2002 द्वारा चित्रकला/उद्योग/संगीत अध्यापक (तृतीय श्रेणी) की वरिष्ठता सामान्य अध्यापक के साथ अन्तर्लियन वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान करने के निर्देश होने के कारण निदेशालय के पत्र क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/वरि/के–41/11356/आरईएसएस/1992 पार्ट दिनांक 28.8.2002 द्वारा नियुक्ति अधिकारियों को निर्देशित किया गया हैं। नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) क्रमांक:प.4(2)कार्मिक/क–2/अप्र/1991 दिनांक 28.12.2002 द्वारा पदोन्नति पर लगा प्रतिबन्ध हटाये जाने के फलस्वरूप पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोज्य करने के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में मण्डल उप निदेशकों (नियुक्ति अधिकारी) द्वारा कार्यवाही की जा रही हैं।

(3) विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता में नियम संशोधन हेतु समिति का गठन किया हुआ हैं। उक्त समिति में चित्रकला/उद्योग/संगीत अध्यापकों के पदोन्नति वरिष्ठता के सम्बन्ध में नियमों में संशोधन की कार्रवाई विचाराधीन है।

(4) जी हां। योग्य चित्रकला अध्यापकों की सूची संलग्न है। व. अ. सामान्य अध्यापकों के पद पर पदोन्नति की योग्यता स्नातक/बी.एड. योग्यताधारक को पदोन्नति नियमानुसार देय होगी। पात्रता सूची संलग्न है।

(5) राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.11 (187) शिक्षा–2/1987 दिनांक 25.1.1988 जो चित्रकला/उद्योग अन्तर वर्ग के अध्यापकों को बी.एड. योग्यता अर्जित करने पर अग्रिम वेतन–वृद्धि नहीं दिये जाने से सम्बन्धित है।

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमों के सैक्शन सी.डी.ई. के अनुसार उद्योग/संगीत/चित्रकला के लिए बी.एड. की योग्यता आवश्यक नहीं है। इन्हीं नियमों के अनुसार उद्योग/चित्रकला/संगीत के वर्ग अनुसार ही पदोन्नति दी जा सकती है।

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के सेक्शन एफ (सामान्य वर्ग) में सम्मानित वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु स्नातक के साथ में शिक्षा

(शिक्षा मंत्री)

उपाधि की योग्यता निर्धारित की गई है तथा पदोन्नति हेतु भी सेक्शन "एफ" सामान्य वर्ग में अध्यापक/प्रयोगशाला सहायक पद हेतु नियुक्ति आशार्थी पदोन्नति के पात्र है। इस प्रकार उक्त नियमों के प्रावधानानुसार राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम के सैक्शन सी.डी.ई. उद्योग, संगीत, चित्रकला अध्यापक के पद पर नियुक्ति कार्मिक सेक्शन "एफ" के वरिष्ठ अध्यापक पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं है। चाहे उसकी योग्यता स्नातक एवं शिक्षा में उपाधि हो अथवा नहीं। नियमों में संशोधन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

विधान सभा क्षेत्र कठूमर (अलवर) व ग्राम सुथारी खेडा (चित्तौड़गढ़) में भवन रहित राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं

645. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सुथारी खेड़ा (पारलिया) ग्राम पंचायत लेसवा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में एवं विधान सभा क्षेत्र कठूमर (अलवर) के ग्रामों में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो उक्त पाठशालाओं में कितने-कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों को प्रस्ताव पास कर भेजा है? यदि हां, तो कब एवं उक्त प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(3) क्या सरकार अब उक्त पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों हेतु भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम सुधारी खेड़ा (पारलिया) ग्राम पंचायत लेसवा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ की राजीव गांधी पाठशाला में 53 विद्यार्थी अध्ययरत हैं। विधान सभा क्षेत्र कठूमर में संचालित राजीव गांधी पाठशालाओं में 3176 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

(2) राजीव गांधी पाठशाला सुथारी का खेड़ा (पारलिया) तहसील भदेसर चित्तौड़गढ़ के भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत लेसवा ने प्रस्ताव पास कर दिनांक 11.6.2001 को प.सं. भदेसर को भेजा। उक्त प्रस्ताव अनुसार 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पाठशाला भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। विधान सभा क्षेत्र कठूमर की राजीव गांधी पाठशाला पीरू का नगला के भवन निर्माण हेतु प.सं. कठूमर में दिनांक 21.12.2002

(शिक्षा मंत्री)

को प्रस्ताव पास किया परन्तु इस प्रस्ताव को ग्राम पंचायत को नहीं भेजा गया।

(3) जी हां। विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं में उपलब्ध वित्तीय प्रावधानान्तर्गत राजीव गांधी पाठशाला के भवन निर्माण करवाये जाते हैं।

पंचायत समिति सांगानेर (जयपुर) के अधीन कार्यरत शिक्षकों के स्थानान्तरण

646. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक विद्यालयों में स्थानान्तरण ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं प्रशासन स्थायी समितियों द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो क्या अन्य उच्चाधिकारी भी सीधे ही स्थानान्तरण आदेश जारी कर सकते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति सांगानेर (जयपुर) के विद्यालयों में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर द्वारा सीधे ही स्थानान्तरण किये गये? यदि हां, तो उक्त स्थानान्तरण आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त स्थानान्तरण की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायती राज अधिनियम की धारा 89 के तहत राज्य सरकार द्वारा सीधे ही स्थानान्तरण आदेश जारी किए जा सकते हैं।

(2) जी हां। स्थानान्तरण आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) जी हां। जांच के आदेश दिए जा रहे हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–19 देखें)

पंचायत मुख्यालय अमरसागर (जैसलमेर) में प्रवेशिका विद्यालय का सामान्य उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तन

647. **श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जैसलमेर के पंचायत मुख्यालय गांव अमरसागर में पंचायत समिति का सामान्य प्राथमिक विद्यालय था जिसे संस्कृत में उच्च प्राथमिक तथा बाद में प्रवेशिका में क्रमोन्नत किया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि अध्यापकों की कमी के कारण इस वर्ष अमरसागर विद्यालय की प्रवेशिका को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया?

(3) क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षा मंत्री ने स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर संस्कृत उच्च प्राथमिक

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

विद्यालय को सामान्य शिक्षा में परिवर्तित करने का नोट दिनांक 22.7.2002 को शिक्षा सचिव को भिजवाया था?

(4) क्या सरकार अमरसागर संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय को सामान्य उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) प्रकरण विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में अध्यापकों के रिक्त पद

648. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किस–किस विषय के अध्यापकों के कितने–कितने पद किस–किस विद्यालय में कितने समय से रिक्त हैं? विद्यालय वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में संचालित माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट ''क'' में सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। व्याख्याताओं के विभिन्न विषयों की 1281 पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी हैं। वरिष्ठ अध्यापक के सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पद भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने की परिधि में आ जाने के परिणामस्वरूप नियमों में आवश्यक संशोधन करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। डी.पी.सी. के आयोजन पर लगाया गया प्रतिबन्ध आदेश दिनांक 28.12.2002 के द्वारा हटा लिये जाने के परिणाम स्वरूप डी.पी.सी. की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–20 देखें)

तकनीकी परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित छात्र/छात्राएं

649. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 2002–03 में कितने प्री मेडिकल टेस्ट व प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, प्री. बी.एड. परीक्षा में मेरिट से उत्तीर्ण होने वाले

(श्री हीरासिंह चौहान)

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं का चयन सामान्य सूची की मेरिट में किया है?

(2) क्या उक्त में तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक प.1(6)त.शि./99 दिनांक 30.5.2000 की पूर्णतः पालना की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान प्री-मेडिकल टेस्ट वर्ष 2002 में सरकारी, निजी मेडिकल व दन्त महाविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राओं को कुल 203 सीटें आबंटित की गई। इस प्रकार 55 सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को इनके आरक्षण से अधिक सीटे आबंटित की गई। प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट 2002 के माध्यम से राज्य के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के 433 छात्र/छात्राओं को सामान्य वर्ग की मेरिट सूची में प्राप्त मेरिट अनुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया गया। प्री–बीएड परीक्षा 2002 में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थी जो सामान्य मेरिट में आये उनका चयन सामान्य सूची की मेरिट में किया गया था। ऐसे सामान्य सूची में चयन होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1166 थी।

(2) तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1(6)त.शि./99 दिनांक 30.5.2000 की पूर्णतः पालना की जा रही है।

राजसमन्द में आई.टी.आई केन्द्र की स्थापना

650. श्री बंशीलाल गहलोत (राजसमन्द) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राजसमन्द में आई.टी.आई. सेंटर खोलने की स्वीकृति जारी हो चुकी है? यदि हां, तो उक्त की कब तक स्थापना कर दी जावेगी?

उत्तर

राजसमन्द में आई.टी.आई. खोले जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर आई.टी.आई. की स्थापना कर दी जावेगी।

प्रतापगढ़ एवं अरनोद (चित्तौड़गढ़) में सिंचाई परियोजनाओं से डूब में आये किसानों को मुआवजा

651. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 2002–03 में तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद (चित्तौड़गढ़) में निर्मित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में कितने काश्तकारों की जमीन डूब में आ गई है? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रभावित कृषकों को

(श्री नन्दलाल मीणा)

मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है? उक्त विस्थापितों को किस-किस को कहां-कहां बसाया गया? परियोजनावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना से किन-किन गांवों के कृषकों को कितने क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी?

उत्तर

(1) वर्ष 2002-2003 में तहसील प्रतापगढ़ में किसी परियोजना का निर्माण नहीं हुआ है। तहसील अरनोद में केवल हमजाखेड़ी सिंचाई परियोजना का निर्माण हुआ है। इसमें 133 काश्तकारों (खातों) की भूमि, मकान एवं कुएं डूब क्षेत्र में आते है। नामजद सूची प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रभावित 133 खातेदारों के मुआवजा प्रकरणों में से भूमि अवाप्ती अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा रुपया 57.71 लाख के अवार्ड जारी करने के फलस्वरूप राशि 35.71 लाख रुपये उनको भेजे गये थे जिसमें से 74 खातेदारों को (76 अवार्ड संख्या) 34.83 लाख का भुगतान किया जा चुका है (सूची प्रपत्र "अ" पर संलग्न है) डूब क्षेत्र में आये 83 मकानों के विस्थापितों को ग्राम जेटियाखेड़ी एवं बेडमा में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार आवासीय भू-खण्ड आबंटित किये गये हैं:

क्र.सं.	नाम ग्राम	आबंटित भूखण्ड
1.	बेडमा	33 नं.
2.	जेठियाखेडी	50 नं.
	कुल	83 नं.

नामजद सूची प्रपत्र "ब" पर संलग्न है।

(3) इस परियोजना के पूर्ण होने पर ग्राम जाजली, नाथूखेड़ी, उचवानिया, आटिनेरा एवं जेठियाखेड़ी की कुल 643 हैक्टर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में खारी बांध की मुख्य नहर पर व्यय राशि

652. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

गत पांच वर्षों में तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) के खारी बांध की दाहिनी व बायीं मुख्य नहर पर कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत पांच वर्षों में तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) के खारी बांध की दाहिनी व बायीं मुख्य नहर पर क्रमशः 42.26 लाख एवं 6.67 लाख रुपये की राशि व्यय की

(सिंचाई मंत्री)

गई। व्यय की गई राशि के कार्यों की सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

जिला नागौर के प्रस्तावित नये बांध

653. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत चार वर्षों के दौरान जिला नागौर में कुल कितने सिंचाई के बांधों का नवनिर्माण किया गया? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वित्तीय वर्ष 2002-03 के दोरान कितने नये बांध बनाने की योजनाएं कहां-कहां पर प्रस्तावित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में कुल कितने बांध वर्तमान में कार्यरत हैं और उक्त की कुल भराव क्षमता कितनी-कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पिछले चार वर्षों में 1998-99 से 2001-2002 तक नागौर जिले में कोई भी सिंचाई के नये बांध का निर्माण नहीं करवाया गया है।

(2) नागौर जिले में वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2002-03 में कुल दो लघु सिंचाई परियोजना निर्माण की योजना प्रस्तावित है। उक्त परियोजनाएं क्रमशः पालड़ी सिंचाई परियोजना एवं माताजी का बाला द्वितीय परियोजना है जो कि क्रमशः ग्राम पालड़ी तहसील नावां एवं ग्राम सुरियास तहसील डेगाना में है।

(3) नागौर जिले में वर्तमान में कुल 93 बांध बने हुए हैं तथा इनकी कुल भराव क्षमता का विवरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

रावतभाटा में राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना से प्राप्त राजस्व का उपयोग

654. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राणा प्रताप सागर बांध सिंचाई खण्ड, रावतभाटा ने राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना को उपयोग में लेने वाले पानी का बिल दिया है? यदि हां, तो किस वर्ष से कहां तक?

(2) कुल कितनी राशि राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना से इस वर्ष प्राप्त हुई?

(3) क्या उक्त राशि का उपयोग उक्त डूब विस्थापितों की सुविधा के लिए करने का प्रावधान है? यदि हां, तो किस मद पर, और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राणा प्रताप सागर बांध, सिंचाई खण्ड, रावतभाटा ने राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना को माह 4/97 से दिसम्बर, 2002 तक का 2,22,41,956/- रुपये तथा उससे सम्बन्धित भारी पानी परियोजना को 99,29,513/- रुपये के बिल भेजे गये हैं।

(2) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना एवं उससे सम्बन्धित भारी पानी परियोजना से इस वर्ष 3,21,71,469/–की राशि प्राप्त हुई।

(3) जी नहीं। क्योंकि विस्थापितों को मूलभूत सुविधा राज्य सरकार द्वारा आज से करीब 40 साल पूर्व से ही दी जा चुकी है और यह राशि राजस्व में जमा करवा दी गई है।

प्रश्न संख्या–655

(स्थगित)

पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन (नागौर) में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

656. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना लागू कर रखी है? यदि हां, तो उक्त योजना कब से लागू है?

(2) पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन के किन–किन विद्यालयों में कितने–कितने छात्रों को कितनी–कितनी राशि का भुगतान 2002–03 में किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त छात्रवृत्ति राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला/शिक्षाकर्मी पाठशाला में पढ़ने वाले छात्रों को दी जा रही है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह छात्रवृत्ति योजना अभी तक राज्य में प्रारम्भ नहीं की जा सकी है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

जिला पाली में अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों हेतु योजनाएं

657. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला पाली में कौन–कौन सी योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

समाज कल्याण विभाग एवं राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा जिला पाली में वर्ष 2002–2003 में निम्न योजनाओं

(समाज कल्याण मंत्री)

के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं:

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

1. छात्रावास
2. छात्रवृत्ति
3. अत्याचार उत्पीड़न पर सहायता

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा संचालित योजनाएं

अ. विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं:

1. पोप योजना (ग्रामीण व शहरी)
2. उन्नत नस्ल गाय/भैंस
3. कूप ब्लास्टिंग योजना
4. कूप विद्युतीकरण योजना
5. कार्यशाला योजना
6. कृषि यंत्र योजना
7. कुटीर ज्योति योजना

ब. राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजना:

1. स्वच्छकार पुनर्वास योजना
2. स्वच्छकार कियोस्क योजना
3. सेनेट्री मार्ट योजना

स. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु ऋण योजनाएं:

1. आटोरिक्शा (डीजल)
2. फुटवीयर योजना
3. लघु ऋण योजना
4. इंटरनेट ढाबा विथ 2 कम्प्यूटर

द. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत सफाई कर्मचारी के व्यक्तियों हेतु ऋण योजनाएं:

1. आटोरिक्शा (डीज़ल)
2. लोड कैरियर (डीज़ल)
3. इलैक्ट्रिक मोटर बाईंडिंग
4. स्टील फैब्रीकेशन
5. शटरिंग
6. सीड्स एण्ड पेस्टीसाइड
7. जनरल शॉप

य. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु ऋण योजनाएं:

1. लोड कैरियर (पिकअप)
2. स्माल बिजनैस

र. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के आर्थिक सहयोग से जनजाति हेतु योजना:

(समाज कल्याण मंत्री)

1. जनजाति स्वरोजगार योजना

जिला पाली में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं देय हैं।

जिला पाली के विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति

658. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला पाली के उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचिज जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति समय-समय पर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां।

विभागीय रसायनशालाओं में च्यवनप्राश निर्माण के बाद भी बाजार से खरीद

659. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभागीय रसायन शालाओं में जो दवाओं का निर्माण किया जा रहा है उसमें च्यवनप्राश का भी निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितना च्यवनप्राश किन किन रसायन शालाओं में बनाया गया और उक्त में से किस-किस औषधालय को कितना-कितना दिया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में च्यवनप्राश खरीदा भी गया? यदि हां, तो किस-किस से कितना-कितना, कब कब कितने मूल्य का था? उक्त को किस किस औषधालय को कितना-कितना वितरित किया गया? उक्त औषधालयों में उक्त का क्या-क्या उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में कितने औषधालय हैं और उक्त में से कितने औषधालयों में च्यवनप्राश दिया गया?

(4) जब च्यवनप्राश निर्माण सरकारी रसायन शालाओं में किया जा सकता है तो क्रय बाहर से क्यों किया गया और उक्त की आवश्यकता क्यों पड़ी?

उत्तर

(1) च्यवनप्राश का निर्माण केवल राजकीय आयुर्वेद रसायन शाला, अजमेर में किया जाता था। गत दो वर्षों में किये गये च्यवनप्राश निर्माण का विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	निर्माण (किलोग्राम में)
2000-01	1470
2001-02	2294

औषधालय सप्लाई किये गये च्यवनप्राश का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर है।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(2) जी नहीं। उक्त अवधि में विभाग द्वारा बाजार से च्यवनप्राश नहीं खरीदा गया है।

(3) वर्तमान में कुल 3733 औषधालय/चिकित्सालय संचालित है, इनमें से जिन औषधालयों/चिकित्सालयों को च्यवनप्राश दिया गया है, उनकी सूची परिशिष्ट "क" पर है।

(4) विभाग द्वारा बाजार से च्यवनप्राश क्रय नहीं किया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कोटा जिले की मण्डावरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों की मजदूरी का भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में।

(2) डा. किरोड़ी लाल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जिला दौसा की पंचायत समिति महवा की ग्राम पंचायत नौरंगवाड़ा में हुए गबन की राशि की वसूली के सम्बन्ध में।

(3) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य बीज निगम, जोधपुर द्वारा बीज वितरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं है, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(4) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हुए कथित लाठीचार्ज के सम्बन्ध में

(5) श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य की ओर से सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा पुलिस प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा।

(12.02 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : यह जो आपने व्यवस्था दी है कि माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने का समय दिया जाएगा...

श्री उपाध्यक्ष : विचार किया जाएगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : विचार किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी स्थगन प्रस्ताव अब तक इस सदन में प्रस्तुत हुए, वापस हमें तो कभी किसी दिन भी कोई जानकारी राज्य सरकार से जो मिली उसके बारे में नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : की है न जानकारी। परसों उनको बुलवाया है। पूछो सुरेन्द्रजी को, बुलवाया है परसों।

श्री मानिक चन्द सुराना : इनको तो बुलवाया है, अभी कल बुलवाया है। मैं निवेदन करता हूं गंगानगर में जो लाठी चार्ज हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : कल आपको भी बुलवायेंगे। आपका जवाब आ जाने दीजिये, फिर आपको बुलावा देंगे। माननीय सदस्य, आप इतने...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : वह सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं कराने के कारण हुआ। माननीय सिंचाई मंत्रीजी बैठी हैं, वहां आर.पी. ब्रांच में कोई पानी नहीं चला। दो बारियां किसानों की मारी गयीं, तीसरी बारी उसी दिन मारी गयी जिस दिन लाठी चार्ज हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये प्लीज। अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। आप अब बोल रहे हो तो फिर क्या बोलोगे? (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अभी बोल लोगे...(व्यवधान) अब बिराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। हां, हां, लगी है, इसीलिये तो...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बिराजिये प्लीज। बोले जाओ, बोले जाओ, आदत पड़ गयी आपकी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, इस बात से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। आप इस बात को समझिये, पांच स्थगन प्रस्ताव हैं...(व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये। पांच स्थगन प्रस्ताव थे, आपके स्थगन प्रस्ताव को इतना महत्व दिया गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जानकारी प्राप्त होने के बाद आपके बोलने पर विचार किया जाएगा। फिर क्या... (व्यवधान) आपको बोलने दिया जाएगा। इससे और ज्यादा गम्भीर बात...(व्यवधान) और क्या चाहते हो आप? लास्ट टाइम सुरेन्द्रजी को बोलने को कहा है तो बोले हैं। सरकार की ओर से सूचना आने के बाद उनको बुलवाया है, आपको भी बुलवायेंगे। अब बैठो आप। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से जोधपुर जेल में पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिये गये आजीवन कारावासी के परिजनों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(2) श्री ललित भाटी, सदस्य की ओर से राज्य के मण्डल मुख्यालयों पर स्थित विद्यालय पुस्तकालयों को नगर शाखा सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित करने के सम्बन्ध में।

(3)डा. के. सी. चौधरी, सदस्य की ओर से ब्यावर शहर की गरीब बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(4) श्री घनश्याम जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बेगूं में बिजली की समस्या के सम्बन्ध में।

(5) श्री भरोसी लाल, सदस्य की ओर से विद्युत वितरण निगम के श्रीमहावीरजी सहायक अभियन्ता कार्यालय को हिण्डौन के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय के अधीन करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायपुर में अकाल राहत कार्यों के तहत नाड़ी निर्माण कार्य करवाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री कनकमल कटारा, सदस्य की ओर से नगरपालिका सागवाड़ा का विस्तार करते हुए कुछेक गांवों को शामिल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना में अकाल राहत के अधूरे कार्यों को पूरा करवाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से जवाई बांध की भराव क्षमता से अधिक पानी को जवाई नदी में छोड़े जाने के सम्बन्ध में।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (अनुपस्थित) श्री ललित भाटी।

डा. श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को सारी बात की पूरी जानकारी है कि किस कारण से यह स्थिति बिगड़ी और उसके कारण आगे की कार्यवाही करनी पड़ी। बाकी आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, आसन ने जो निर्देश दिये हैं वह जब भी समय तय करेंगे, मैं पूरा विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगी।

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी।

डा. श्रीमती कमला : इसके बाहर का क्या रह जाता है, वह बताइए न? वह

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. श्रीमती कमला)

समय तय कर दें, मैं विवरण दे दूंगी। इसमें आगे और क्या बात हो गयी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री मानिक चन्द सुराना : XXX

डा. श्रीमती कमला : आपको चिन्ता हो रही है क्या खेती की, हमको नहीं है? आपको ही चिन्ता है खेती की, और किसी को चिन्ता नहीं है? बाकी यह व्यवस्था कायम रखना भी सरकार का दायित्व है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

डा. श्रीमती कमला : अब मैं सारा विवरण दे दूंगी वहां लाठीचार्ज पर। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप हाउस चलाना चाहते हो कि नहीं चलाना चाहते हो? (व्यवधान) तो प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) आप बैठिये फिर। आप कोई व्यवस्था...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ने व्यवस्था दे दी उसके बाद भी आप चैलेंज कर रहे हो उसको। अध्यक्ष महोदय ने...(व्यवधान) और क्या चाहते हो आप? (व्यवधान) आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री सांवर लाल : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : XXX

श्री अमराराम (धोद) : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

डा. श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, शाम का समय दे दीजिये, मैं जवाब दे दूंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं दूंगा, अध्यक्ष महोदय देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। आप बैठिये। अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : नो (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मामला है। आप बिराजिए, माननीय मंत्रीजी ने...(व्यवधान) आप बैठिये। माननीय मंत्रीजी ने कहा कि शाम का समय दे दीजिए, अध्यक्ष महोदय से विचार विमर्श करके इजाजत देंगे तो मैं आपको समय दे दूंगा।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए प्लीज। श्री ललित भाटी...(व्यवधान) विपक्ष के माननीय नेता महोदय, आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? क्या है यह? कैसे बुलाएं इनको? (व्यवधान) व्हाट इज दिस?

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री रामप्रताप : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कैसे चलाएं हाउस को? कोई खड़ा हुआ, कोई इश्यू कैसे आएगा? ऐसा कैसे चलेगा? यह कोई तरीका है क्या? आप अगर आसन से सहयोग नहीं करेंगे तो हाउस नहीं चल सकता।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : क्या बोलो? आप बैठिए। क्या कह रहे हो आप? मर्जी आए जो बोल लोगे? आपकी मर्जी आए जो थोड़े ही बोलना है। (व्यवधान) आप बिराजिए प्लीज। यह नहीं कि आप मर्जी आए जो बोल दो। यह कौनसा तरीका हुआ? श्री ललित भाटी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

राज्य के विद्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : महोदय, उपरोक्त विषय में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा सन् 1956 के बाद पुस्तक वर्ष 2001-2002 में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रसार में क्रान्तिकारी कदम उठाते हुए 237 पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालयों को सार्वजनिक घोषित कर जुलाई, 2001 से ग्रामीण जनता को सुविधा उपलब्ध कराने पर आप एवं राज्य सरकार को बधाई एवं अभिनन्दन।

आगामी 5 वर्षों में ग्राम पंचायत स्तर पर यह सुविधा समस्त ग्रामीणों को मिल जाएगी। इसी सन्दर्भ में आपसे अनुरोध है कि आप मण्डल मुख्यालयों (जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा) पर स्थित विद्यालय पुस्तकालयों को सिटी ब्रांच लाइब्रेरी घोषित कराने की सुविधा उपलब्ध कराएं तो नगरीय जनता को अवश्य लाभ मिलेगा। आप यदि पचास हजार की आबादी पर एक नगर शाखा पुस्तकालय खोलने की नीति बनवाकर उसकी क्रियान्विति करावें, उस कार्य हेतु सरकार पर पुस्तकालय एवं कर्मचारियों के व्यय का कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।

अजमेर नगर में निम्नांकित विद्यालय पुस्तकालयों की सूची प्रस्तावित करता हूं जिनमें पुस्तकें, पुस्तकालय कक्ष एवं प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष उपलब्ध हैं :

महिला पुस्तकालय

1. राजकीय केन्द्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुरानी मण्डी, अजमेर।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ललित भाटी)

2. राजकीय माडल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बापूनगर, अजमेर।

3. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलाबबाड़ी, अजमेर।

4. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्श नगर, अजमेर।

सिन्धी भाषी पुस्तकालय

5. राजकीय सिन्धी उच्च माध्यमिक विद्यालय, खारीकुई, अजमेर।

सामान्य पुस्तकालय

6. राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर।

7. राजकीय राजेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर।

8. राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर।

9. राजकीय ओसवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर।

10. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वैशाली नगर, अजमेर।

आशा है, आप अजमेर में नगर शाखा सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित कराकर नागरिकों एवं नव साक्षरों को लाभान्वित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : डा. के. सी. चौधरी।

ब्यावर शहर की बस्तियों में पेयजल सुविधा का अभाव

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन है कि ब्यावर में इन्दिरा नगर, बाकोलिया कालोनी, हीरानगर, अभिषेक नगर, जनता कालोनी, सांखला कालोनी, गौमाता कालोनी तथा रूकमणि नगर क्षेत्र में व्याप्त भीषण पेयजल समस्या की ओर माननीय जलदाय मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, ब्यावर शहर में राष्ट्रीय राज मार्ग पर सतपुलिया से मसूदा रोड चुंगी नाके तक करीबन 15–20 आवासीय बस्तियां बसी हुई हैं जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति व दलित वर्ग बहुल क्षेत्र हैं। मान्यवर, करीबन 15 हजार की आबादी को ब्यावर शहर में उचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध होने के बावजूद इन गरीब लोगों को वितरण प्रणाली के अभाव में पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पेयजल विभाग ने उक्त आवासीय बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार इस 15 हजार आबादी के लिये करीबन 45 लाख की योजना, मय टैंक व उचित प्रणाली डालने हेतु बनाई है। मान्यवर, इन सम्पूर्ण बस्तियों में हैण्ड पम्प का पानी खारा है, जो पीने योग्य

(डा. के. सी. चौधरी)

नहीं है। पेयजल एक–दो किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है।

मेरा माननीय जलदाय मंत्रीजी से निवेदन है कि शहर की इस बड़ी आबादी की गरीब बस्तियों में आगामी ग्रीष्म ऋतु से पूर्व ही पेयजल उपलब्ध कराने की कृपा कर ब्यावर की जनता को राहत प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : घनश्याम जैन।

बेगूं में विद्युत समस्या

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बेगूं की तहसील बेगूं व रावतभाटा में इस वर्ष सदी का सबसे भयंकर अकाल है। ऐसी स्थिति में सामान्य नागरिक पानी चारे व बिजली की अव्यवस्थाओं की वजह से परेशान है। बिजली की समस्या सबसे भयावह होती जा रही है, इससे आम काश्तकार बहुत परेशान है।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में अफीम की काश्त बहुत होती है, लेकिन चूंकि पानी का स्तर सात सौ फुट नीचे चला गया है, अफीम की फसल को यदि समय पर पानी नहीं मिलता है तो अफीम का नुकसान तो होगा ही, अफीम कम बैठने पर उसका पट्टा निरस्त होने का डर सबसे ज्यादा है। अफीम की फसल को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने वाले कुएं सूख चुके हैं, धड़ाधड़ ट्यूबवैल खोद लिए गये है, ऐसी स्थिति में विद्युत कनेक्शन हो या न हो, काश्तकार मजबूरी में अपनी फसल को बचाने हेतु सीधे आंकड़े डालकर सिंचाई व्यवस्था ट्यूबवैल से करता है। इससे ट्रांसफार्मर पर लोड कैपेसिटी से ज्यादा लोड पड़ने की वजह से ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। इससे सरकार को आर्थिक हानि हो रही है, सरकार को राजस्व नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार का धन भी जा रहा है व धर्म भी। इस समस्या के समाधान हेतु हमने कई बार निवेदन किया कि अस्थाई कनेक्शन दे दिये जाएं, ताकि किसान अस्थाई कनेक्शन लेकर रेवेन्यू भी अदा कर सके व इससे बढ़े हुए लोड का अंदाज होने पर ट्रांसफार्मर भी उसी कैपेसिटी के लगाने पर ट्रांसफार्मर भी नहीं जलेंगे। अतः अस्थाई कनेक्शन दिलाने का कष्ट करें।

दूसरी समस्या रात्रि के समय सिंगल फेस बिजली के विषय में है। काश्तकार के खेत से अफीम निकल रही है, निकली हुई अफीम को घर पर वह रखता है। वहां भी चौकीदारी करनी पड़ती है एवं खेत पर भी बराबर चौकसी रखनी पड़ती है। मगर रात्रि में लाइट की व्यवस्था नहीं होने की वजह से चोरों का आये दिन खतरा रहता है।

इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए भी परीक्षा का समय है। रात्रि में बिजली नहीं

(श्री घनश्याम जैन)

मिलने की वजह से परीक्षा की तैयारी करने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकार को चोरों के आतंक व विद्यार्थियों के परीक्षा के समय को ध्यान में रखते हुए रात्रि में बिजली बराबर मिले, ऐसी व्यवस्था करना अत्यावश्यक है। काश्तकार व विद्यार्थियों में इस समस्या से गम्भीर आक्रोश है। गांवों में जाने पर सबसे ज्यादा नाराजगी ही इस समस्या के प्रति है।

तीसरी समस्या नये मीटर्स की है। मीटर की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसके अलावा रीडर के समय पर नहीं आने की वजह से व कम्प्यूटर में भी गलत बिल आने की वजह से आम नागरिकों में बिजली के बाबत सबसे ज्यादा नाराजगी है।

अतः काश्तकारों को बिजली के अस्थाई कनेक्शन दिलावें, काश्तकारों व विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए रात्रि में बिजली उपलब्ध करावें व मीटर व्यवस्था सही कराने का आदेश प्राथमिकता के आधार पर दिलाने का कष्ट करावें ताकि काश्तकारों, विद्यार्थियों व आम नागरिकों की इस वाजिब समस्या का समाधान हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : भरोसी लाल।

श्री महावीरजी सहायक अभियन्ता कार्यालय की अधीनता

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन सिटी में विद्युत वितरण निगम का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय स्थापित है, जिसके अधीन हिण्डौन शहर एवं हिण्डौन ग्रामीण तथा श्री महावीरजी सहित तीन सहायक अभियन्ता कार्यालय स्थापित थे। लेकिन 01 अप्रैल, 2002 से श्री महावीरजी सहायक अभियन्ता कार्यालय को हिण्डौन अधिशासी अभियन्ता कार्यालय से हटाकर अधिशासी अभियन्ता कार्यालय करौली के अधीन कर दिया गया, जिससे गरीब किसानों को कृषि कनेक्शन एवं डी. पी. जल जाने के बाद अधिशासी अभियन्ता कार्यालय करौली के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। हिण्डौन अधिशासी अभियन्ता कार्यालय श्री महावीरजी के मध्य में है एवं करौली 45 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जबकि हिण्डौन महावीरजी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है।

मैंने ऊर्जा मंत्रीजी को भी करौली अधिशासी अभियन्ता कार्यालय के बजाय हिण्डौन में रखने का लिखित पत्र दिया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः गरीब किसानों की भावनाओं को देखते हुए श्री महावीरजी सहायक अभियन्ता कार्यालय को हिण्डौन अधिशासी अभियन्ता के अधीन रखा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

रायपुर में अकाल राहत के तहत नाड़ी निर्माण कार्यों की स्वीकृति की आवश्यकता

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रायपुर में ग्राम पंचायतें क्रमशः कोट-किराना, बगड़ी, कलालियां, बासबकलां, पचानपुरा, सबसपुरा, दीपावास, कानूजा झाला की चौकी, सैंदड़ा, अमरपुरा, चांग, चिनाड़ नानणा गिरी, सेलड़ा बूटीवास, खोड़िया, बीजागुडा, रायराकलां तथा बिराटिया खुर्द अरावली पर्वत श्रेणियों में आबाद हैं। जहां पर इस वर्ष अत्यधिक कम वर्षा होने के कारण चारा, पानी के अभाव हैं तथा सभी लोग अकाल राहत कार्यों पर लगना चाहते हैं। लेकिन जिला सहायता विभाग, पाली द्वारा जनसंख्या के अनुपात से भी कम श्रमिक संख्या स्वीकृत होने के कारण प्रति पखवाड़ा 1, 11 तथा 21 तारीखों को प्रत्येक कार्य स्थल पर जबरदस्त विवाद पैदा होता है तथा कहीं-कहीं लाठी-भाटा जंग होकर मुकदमे पुलिस थाने में दर्ज हो रहे हैं। इस कारण से इस भयंकर अकाल में जिला प्रशासन पाली द्वारा पूर्व वर्षों की भांति पांच हजार श्रमिक संख्या इन पंचायत क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों से अधिक स्वीकृत की जाए।

विधान सभा क्षेत्र रायपुर में पिछले तीन-चार माह से पंचायत समिति रायपुर द्वारा ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव अनुसार लगभग सौ नाड़ी कार्यों की मरम्मत, निर्माण एवं खुदाई के महत्वपूर्ण स्थानों के तखमीने भेज रखे हैं, लेकिन रायपुर क्षेत्र की अकाल राहत समिति के मनोनीत सदस्य के विरोध के कारण नाड़ी कार्य स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं क्योंकि बहुतायत सरपंच उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन श्रमिकों के नियोजन की वर्तमान में जिला प्रशासन ने जो व्यवस्था कर रखी है उससे अब सरपंच की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं रह गयी है, इस कारण से इस जिले के अन्य क्षेत्रों में नाड़ी निर्माण व मरम्मत कार्य स्वीकृत हो रहे हैं। रायपुर में नाड़ी कार्य स्वीकृत नहीं होने से लोगों में आम चर्चा का विषय बन गया है कि जिला सहायता विभाग, पाली किस आधार पर रायपुर में नाड़ी कार्य स्वीकृत नहीं कर रहे हैं क्योंकि अधिक श्रमिक नाड़ी कार्यों के अलावा स्वीकृत नहीं हो सकेंगे। इस कारण भविष्य में स्वीकृत होने वाले राहत कार्यों में नाड़ी कार्यों को प्राथमिकता से स्वीकृत कराने की व्यवस्था की जाए।

नेशनल हाई-वे पटरी मरम्मत कार्यों की कोई उपयोगिता नहीं है। पिछले तीन माह से श्रम शक्ति का बबूल कटाई के अलावा कोई उपयोग नहीं हो रहा है। नेशनल हाई-वे के पटरी निर्माण कार्य से कोई नया निर्माण नहीं हो रहा है, जबकि

(श्री हीरासिंह चौहान)

नाड़ी निर्माण से वर्षा में पानी का भराव होता है जिसका 7-8 माह तक जल भण्डार सार्वजनिक रूप से ग्रामीण जनता के उपयोग में आता है।

अतः निवेदन है कि नेशनल हाई-वे पटरी निर्माण कार्य अब बन्द करने की व्यवस्था की जाए तथा मगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पूर्व वर्षों की भांति अधिक श्रमिक संख्या स्वीकृति की व्यवस्था के साथ नाड़ी कार्य रायपुर विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत नहीं करने के कारणों से अवगत कराएं, जबकि जिले की सभी तहसीलों में नाड़ी कार्य स्वीकृत हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कनकमल कटारा। माननीय सदस्य, आप बिराजिए। श्री कनकमल कटारा।

(अध्यक्षपीठ द्वारा संकेत से अंकित न करने के निर्देश)

माननीय सदस्य, यह बहस का विषय नहीं है। अंकित न हो। यह 295 है। कोई अंकित नहीं हो रहा है। आप बिराजें।

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने सीनियर मैम्बर हो, आप नियम से वाकिफ हो, फिर भी आप बोल रहे हो।

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बैठो न तो फिर। श्री कनकमल कटारा।

सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र विस्तार से उत्पन्न स्थिति

श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में सागवाड़ा नगरपालिका में स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ/सीमा/एल.एस.जी. 89/4/88-99, दिनांक 4.11.1998 से सीमा विस्तार कर पालिका सीमा में कुछ गांवों को मिलाया गया। सीमा वृद्धि विस्तार कार्य इस प्रकार किया गया कि इससे पूर्ववर्ती सीमा चारों ओर से प्रभावित होती है। जनगणना 1991 के अनुसार जनसंख्या 22240 थी तथा सीमा वृद्धि से 3148 की जनसंख्या और सम्मिलित होने से कुल जनसंख्या 25388 होगी। स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 8/3/35, चुनाव स्वा. शा/94/3879-4100, क्रमांक 2.7.1994 से 25000 से ऊपर जनसंख्या होने से 25 वार्ड बनाये गये जबकि पूर्व में 20 वार्ड थे।

स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 12417 दिनांक 21.8.2002 के

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कनकमल कटारा)

अनुसार सम्मिलित किए गए गांवों को बाहर निकाल दिया गया है। ऐसी स्थिति में 1991 की जनसंख्या के अनुसार सी.डी. सैक्टर को यथावत रखने पर 22365 रहती है। इस प्रकार 20 वार्ड ही शेष रहते हैं। इससे 5 पार्षद निर्वाचित एवं 1 पार्षद मनोनीत कम हो जाएंगे तथा इससे पालिका पर वित्तीय भार 4200/- रुपए प्रति माह कम होगा, जो पालिका पर अनावश्यक पड़ रहा है। अतः पांचों पार्षदों को हटाया जाए।

सागवाड़ा नगरपालिका में सम्मिलित किए गए गांव हड़माला, लक्ष्मणपुरा, मानकपुरा, मडकोला, शिवपुरी, माविता के कुछ खसरा नम्बर तथा जेठाना के कुछ खसरा नम्बर एवं सम्पूर्ण क्षेत्र की जनता को जो राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 12417 दिनांक 21.8.2002 के अनुसार बाहर निकाले गए हैं, उन्हें ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाकर एवं सम्बन्धित प्रक्रिया अपना कर ग्राम पंचायतों के लाभ दिलाए जाएं, अन्यथा गांव के लोग आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। अभी हाल ही में उक्त गांवों को न तो नगरपालिका का लाभ मिल रहा है और न ही ग्राम पंचायतों का लाभ मिल रहा है। ये लोग अधर-झूल में पड़े हुए हैं।

अतः माननीय नगरीय विकास मंत्री एवं राज्य सरकार शीघ्रातिशीघ्र ही इसका निर्णय कर अधिशेष पांचों पार्षदों को हटाकर नगरपालिका, सागवाड़ा पर वित्तीय भार कम करें एवं हटाये गये ग्रामों के सभी लोगों को ग्राम पंचायतों में चुनाव करवाकर इसका लाभ दिलाएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रिछपाल मिर्धा। बिराजिए आप।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप उठो, वह बैठ जाएंगे। आप उठो जो बैठ जाएं। आप बैठ जाएं प्लीज। हो गया बस। हो गया न, आप बिराजो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी नहीं हैं। हमारा तो अकाल से सम्बन्धित मामला था।

श्रीमती बीना काक (वन, राज्य मंत्री) : हम बैठे हैं न।

डेगाना विधान सभा क्षेत्र के अधूरे अकाल राहत कार्य

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आपसे सम्बन्धित वन विभाग का मामला नहीं है, आप तो बिराजो।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना जिला नागौर के ग्राम पंचायत

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

मुख्यालय टेहला में पंचायत भवन बना हुआ नहीं है तथा दूसरे भवन निर्माण हेतु जिला कलक्टर (सहायता) नागौर के आदेश संख्या 9687 दिनांक 20.11.1998 द्वारा 2.36 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी परन्तु खेद का विषय है कि अभी तक पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। इसके अतिरिक्त ग्राम टहला की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की चारदीवारी, टेहला से कोड ग्रेवल सड़क, टेहला से सूदवाड़ ग्रेवल सड़क जो अकाल राहत में स्वीकृत हो गई थी, अभी तक अधूरी पड़ी है। अत: इनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र डेगाना की अनेकों अधूरी ग्रवेल सड़कें जो अकाल राहत में स्वीकृत की गई थीं, अभी तक पूर्ण नहीं की गई है। अत: अकाल राहत के अधूरे कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं।

मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर मांग करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना के गांवों के अकाल राहत के अधरे कार्यों को पूरा कराया जाए तथा ग्राम पंचायत टेहला के पंचायत भवन का निर्माण कार्य जो 1998 में स्वीकृति जारी हुई थी, बनवाया जाए तथा निर्माण कार्य में हुई देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : आई एम आन ए पाइंट आफ इंफार्मेशन, सर।

श्री उपाध्यक्ष : हां, फर्माओ।

श्री मानिक चन्द सुराना : इस विधान सभा के सामने आज दसों हजार दलितों का प्रदर्शन आया हुआ है। दलितों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, उनके साथ जो जातीय अत्याचार किए जाते हैं, अकाल राहत में उनको समुचित मजदूरी नहीं दी जाती है...

श्री उपाध्यक्ष : इंफोर्मेशन क्या है, आप तो यह बताओ?

श्री मानिक चन्द सुराना : जबकि राज्य सरकार ने उनको सर्वप्रथम रोजगार देने का कह रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : इंफार्मेशन क्या है?

श्री मानिक चन्द सुराना : इंफार्मेशन यह है कि माननीय उप मुख्य मंत्रीजी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण का ठेका सरकार ने उनको दे रखा है, वह जाएं और उनसे बात करें।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री मानिक चन्द सुराना : और उनकी बातों को सुनें। उनके खुद के क्षेत्र में दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया। राजस्थान के दलित उद्वेलित हो चुके हैं और वे उद्वेलित होकर आये हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : यह सुनेगी क्या सरकार?

श्री मानिक चन्द सुराना : जोशीजी, यदि उप मुख्य मंत्री उपलब्ध नहीं हैं तो आपका फर्ज है आप जाएं और उनसे बात करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सरकार गम्भीर नहीं है दलितों के प्रति।

श्री उपाध्यक्ष : नीचे बैठिए आप।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं तो बैठ जाऊंगा। मेरी सीट से ही बोल रहा हूं आज तो।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाओ। बुलवाऊंगा आपको, आ रहा है समय आपका।

जवाई बांध से जवाई नदी में पानी छोड़ने का फैसला

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि जवाई नदी के किनारे बसे कस्बों व गांवों में जल स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया है। इससे जवाई नदी के किनारे बसे सिरोही, जालौर व पाली जिले के किसानों के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। गत कुछ वर्षों से लगातार नीचे जा रहे जल स्तर से खेती करना मुश्किल हो गया है। यह सही है कि जिस समय जवाई बांध का निर्माण हुआ, कमाण्ड क्षेत्र के किसानों को लाभ हुआ लेकिन अब यही पानी का रोका जाना किसानों की बरबादी का कारण बन गया है। इतना ही नहीं, जवाई नदी में गत कई वर्षों से पानी नहीं आने के कारण पीने के पानी का भयंकर संकट पैदा हो गया है। शिवगंज व सुमेरपुर जैसे कस्बे भी पीने के पानी के संकट का सामना कर रहे हैं। यहां तक कि मुझे जवाई बांध–शिवगंज जलप्रदाय योजना स्वीकृत करवानी पड़ी है।

जवाई बांध से पानी निश्चित स्तर पर भरने के बाद जवाई नदी में छोड़ने का फैसला करने पर बड़गांव, गलथणी, शिवगंज–सुमेरपुर, कैराल, लकयावा, भैंसवाड़ा व जालौर जिले के काफी बड़े इलाके के लोगों को लाभ मिलेगा। इस सम्पूर्ण इलाके में कुओं का जल स्तर बढ़ेगा और किसानों को खेती का अवसर मिल सकेगा।

मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जवाई बांध की भराव क्षमता में प्रत्येक बीस फीट पर दो–दो फीट बांध का पानी जवाई नदी में छोड़ने का फैसला किया जाए। इसके लिए राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाकर तुरन्त फैसला किया जाए जिससे सिरोही, जालौर व पाली जिले के किसानों की खुशहाली लौटाई जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

लोढ़ा आयोग के प्रतिवेदन का सदन पटल पर उपस्थापन

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सेंटर फार दलित ह्यूमन राइट्स, अभी जो लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, उन लोगों ने धरना दिया हुआ है। विधान सभा के यहां तो धरने की अनुमति नहीं है, वे स्टेच्यू सर्कल पर बैठे हुए हैं। मैं इस सदन को उनका जो चार्टर आफ डिमाण्ड्स है, उससे अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहली प्रमुख बात तो यह है कि आज इस समय दलितों को अपने अधिकारों के लिए एक आंदोलन करना पड़ता है, धरना देना पड़ता है। यह अपने आप में बहुत दुःखद घटना है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी की इस देश को एक बहुत बड़ी देन प्रीवेंशन आफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब एक्ट, 1989 है। उन्होंने जब आफिस रिज्यूम किया तब यह एंटी डिफैक्शन ला दिया, एण्ड बिफोर डेमिटिंग आफिस यह हिस्टोरिकल लैजिस्लेशन उन्होंने बनाया। उसकी पालन किस प्रकार से कांग्रेस शासित राज्यों में हो रही है, यह बड़ी चिन्ता का विषय है। होम मिनिस्टर आन रेकार्ड यह कह चुके हैं कि प्रीवेंशन आफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब एक्ट के अन्दर गलत मुकदमा दर्ज होता है, इसका दुरुपयोग होता है। उनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि इन मुकदमों के अन्दर प्रकरण सही प्रकार से होना चाहिए, जैसे भरथला, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी के निर्वाचन क्षेत्र में हुआ। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मानिक चन्दजी सुराना से सहमत नहीं हूं, दलित समाज जब तक ऊपर नहीं आएगा जब तक समाज के अपर कास्ट के लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती है। हम यह समझे कि बनवारी लालजी बैरवा दलितों की रक्षा करेंगे, बल्कि दलितों की रक्षा के लिए सी.पी. जोशी को आगे आना पड़ेगा। जब तक समाज का ऊपर का वर्ग अपना दिमाग साफ करके सोशल हारमनी क्रीएट करके उनको ऊपर नहीं लाएगा, तब तक नहीं होगा। लेकिन हो क्या रहा है, उपाध्यक्ष महोदय? अब कुम्हेर काण्ड है, लोढ़ा कमीशन की रिपोर्ट आज तक टेबल नहीं की गई।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : पुलिस पदक से सम्मानित कर दिया गया कुम्हेर काण्ड वालों को।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी दिक्कत बढ़ी है। पोलिटिकल पार्टियों के सामने दिक्कत क्या है कि ये जो नया...खड़ा हुआ है, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, यह ओ.बी.सी. का इमिजिएट ए प्रैशर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आफ शिड्यूल्ड कास्ट...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, ओ.बी.सी. अपर कास्ट नहीं है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आपको क्या तकलीफ है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : देखिए, आप नाराज मत होइए।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : बोल क्या रहे हैं आप? आप दलितों के बहुत बड़े हिमायती हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप ***शब्द का इस्तेमाल न करें, माननीय सदस्य। *** क्या, ओ.बी.सी.? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आई एम सारी। मैं विथड्रा करता हूं। मैं विवाद पैदा ही नहीं करना चाहता, मैं विथड्रा करता हूं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आप दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों के हिमायती हैं तो दलितों की बात कहो आप। आपको कहां ओ.बी.सी. आड़े आ रही है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं इस बात को बहुत गम्भीरता से सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : माननीय व्यासजी, ओ.बी.सी. वालों का *** तो मत कहो कम से कम।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजो प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने विथड्रा कर लिया।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : जसवन्तजी, सुन तो लो, क्या कह रहे हैं वे। दलितों के बारे में क्या कह रहे हैं, सुन तो लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : *** शब्द एक्सपंज कराओ।

श्री उपाध्यक्ष : विथड्रा कर लिया, एक्सपंज क्या करें?

श्री सुरेन्द्र व्यास : विथड्रा कर लिया मैंने।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सरकार भी गम्भीर नहीं है और आप भी गम्भीर नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रेकार्ड में आ गया न विथड्रा कर लिया, एक्सपंज किसको कराएं?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सरकार तो गम्भीर ही नहीं है, दलितों के प्रति आप भी ऐसी बात कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : विथड्रा कर लिया है मैंने।

श्री उपाध्यक्ष : He has withdrawn, क्या तकलीफ है?

*** शब्द माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपसे शांति की प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे बहुत विनम्रता से माफी चाहता हूं, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं मुझे समझने की कोशिश कीजिए। *** शब्द मैंने विड्रा कर लिया और आपको कोई बात बुरी लगेगी, विथड्रा करूंगा। लेकिन यह अपने आप में तथ्य है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब, खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कौन लोग जमीन का कब्जा नहीं करने देते, कौन लोग उनके आड़े आते हैं। इसमें क्या कर सकते हो आप? आप कुम्हेर काण्ड की रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं करते हो? वही वोट का चक्कर आता है। अब उसके अन्दर मैं कोई बात कहता हूं तो आपको एकदम नाराजगी पैदा होती है। नाराज मत होइए, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन कुछ वर्ग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके अन्दर निश्चित रूप से आते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपने देखा, अपने विचार की अभिव्यक्ति जिसकी मुझे स्वतंत्रता है उसमें मुझे रुकावट पैदा हो सकती है, अगर वाकई मैं अपने विचार पूरे यहां प्रकट करूं तो कर नहीं सकता। उपाध्यक्ष महोदय, आप समझते हैं इस बात को। (व्यवधान) वह आप छोड़िए, परसादी लालजी, गम्भीर विषय है। यह ऐसा नहीं है जैसा कल सवाल उठाया था।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ये एस.टी. के लिए भी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं, आप जो बात कहना चाहते हैं और जिस तरह से इशारे कर रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से, पहले तो इन्होंने विथड्रा कर लिया ओ.बी.सी. के***की बात कह कर देखिए, यह संविधान में व्यवस्था है, रिजर्वेशन की व्यवस्था है, सोशली, एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं...

श्री उपाध्यक्ष : इसमें सवाल क्या है?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : *** कहकर इन्होंने क्या गुनाह कर दिया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इनकी बात को सुना है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : क्या गुनाह कर दिया ***कह कर। प्रदेश का होम मिनिस्टर बोलता है एस.सी., एस.टी. एक्टजी का जंजाल बन गया, कोई बात नहीं है। इन्होंने *** कह दिया तो बवाल हो गया। होम मिनिस्टर यह बोले एस.सी., एस.टी. एक्ट जी का जंजाल बन गया।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अगर इस तरह की बात, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो कुछ लोग हैं वे कब्जा कर लेते हैं, ये लोग कब्जा करना नहीं चाहते तो आपका इशारा किनकी तरफ है, कोई व्यक्ति का नाम बताइए।

*** शब्द माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, लैट हिम फिनिश। उनको समाप्त कर लेने दीजिए।

श्री राजेन्द्र चौधरी : कौन व्यक्ति, कौन समाज के लोग, कौन लोग, किसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : इनको समाप्त करने दीजिए। बिराजिए प्लीज।

श्री राजेन्द्र चौधरी : जब तक सरकार की तरफ इंगित नहीं करेंगे, कोई व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, उसका क्या मतलब है? यह कौनसा संदेश है इनका?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जमीन पर कब्जा वो करेगा जो काश्त करेगा। क्या बात करते हो आप? समझो न इस बात को। जो दुकान करेगा वो जमीन पर कब्जा करेगा क्या? जो पूजा-पाठ करेगा वो जमीन पर कब्जा करेगा क्या?

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति काश्त कर सकता है। काश्त के लिए कौनसी जाति की बात आ गई? यह काश्त की कैसे बात कर रहे हो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : जमीन का कब्जा वह करेगा जो काश्त करेगा।

श्री राजेन्द्र चौधरी : काश्त तो राजस्थान के अन्दर और देश में किसी भी जाति, धर्म का व्यक्ति कर सकता है। इसमें क्या मतलब है? कोई भी जाति या धर्म का व्यक्ति काश्त कर सकता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जमीन का कब्जा वो करेगा जो भू-माफिया होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्राजी, आप इनको सपोर्ट कर रही हो या अपोज कर रही हो? आप क्या बोले? सुमित्राजी क्या बोली? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज पहली बार यह दो हंसों की जोड़ी बिछुड़ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी को अपोज नहीं कर रहा हूं, किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सरकार के अन्दर इच्छा शक्ति की कमी है। कुम्हेर काण्ड की रिपोर्ट क्यों नहीं आप प्लेस करते? चकवाड़ा, फागी के अन्दर क्या हुआ? मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं, यहां वरिष्ठ मंत्री लोग बैठे हुए हैं, एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है, एफ.आई.आर. दर्ज होने में विलम्ब होता है। बड़ी मुश्किल से ऊपर के इंटरवेंशन से एफ.आई.आर. दर्ज होती है। एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद जो लोग एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करते, आपने कोई उनके खिलाफ कार्यवाही की? किसी पुलिस आफिसर को कभी गिल्टी होल्ड किया आपने? उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है। राजस्थान गवर्नमेंट ने

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

एक नोटिफिकेशन निकाला। इस गवर्नमेंट ने निकाला है 29.9.2000 को। जो कम्पनसेशन की स्केल्स हैं वो इन्होंने रिवाइज की। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं, सराहनीय है, लेकिन आप इसको फालो कर रहे हो क्या? जब एफ.आई.आर. रजिस्टर हो जाती है, पीड़ित व्यक्ति को...(व्यवधान) अब मैं आपको बताता हूं छोटी देवी है, तारी देवी है, लक्ष्मणी देवी है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं लम्बा नहीं जा रहा।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : इन लोगों के साथ रैप हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप ह्यूमन राइट्स वालों की मांग पर बात कर रहे हो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, ह्यूमन राइट्स की बात।

श्री उपाध्यक्ष : What are you trying to say?

श्री सुरेन्द्र व्यास : This is the demand. उपाध्यक्ष महोदय, यही उनकी डिमाण्ड है।

श्री उपाध्यक्ष : डिमाण्ड क्या है, यह बता दो न आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डिमाण्ड यही तो है कि इनको टाइमली कम्पनसेशन नहीं मिलता।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, बस।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि एक तो मुकदमा दर्ज नहीं होता, प्रीवेंशन आफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब एक्ट, आप कांग्रेस के सम्मानित सदस्य हो, राजीव गांधी की देन है, मेहरबानी करके इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कीजिए। राजीव गांधी तो हम सबके पूजनीय थे, उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठायाँ हैं। इसमें तो मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : इम्प्लीमेंट किया हुआ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं किया। नहीं किया।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप मेरी बात मानो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चकवाड़ा में किया आपने? कितना आंदोलन हुआ, क्या हुआ?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : चकवाड़ा में तो एफ.आई.आर. ही दर्ज नहीं की। ये एस.सी., एस.टी. के लोग ही जी का जंजाल कांग्रेस के लिए हो जाएंगे अगर कांग्रेस ने गम्भीरता से नहीं सुना तो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप शिड्यूल्ड कास्ट को जिंदा रहने देते हो यही मेहरबानी है आपकी। फिर मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कांग्रेस के लिए जंजाल हो जाएंगे एस.सी., एस.टी. के लोग। माननीय उपाध्यक्षजी, बिलकुल गम्भीर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक डिमाण्ड इनकी यह है कि लैण्ड ट्रिब्यूनल...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : होम मिनिस्टर यह कह दें कि एस.सी., एस.टी. जी का जंजाल बन गये, बड़े शर्म की बात है यह।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : लैण्ड ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कनक्लूड कीजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, शिडयूल्ड कास्ट तो हमारी वजह से ही...(व्यवधान) हमारी वजह से ही जिन्दा है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एस.सी, एस.टी. के लोग कांग्रेस के लिए जंजाल बन जाएंगे बता रहा हूं मैं आपको, आने वाले चुनावों में। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : शिड्यूल्ड कास्ट तो हमारी वजह से ही जिन्दा है। (व्यवधान) बाकी आपकी मेहरबानी होती तो कभी की चली गई होती। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : इसमें आपकी क्या मेहरबानी है जिन्दा रहने में?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : वे इस देश के हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उनको बोलने दीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत एतराज की बात है। (व्यवधान) मुझे इसमें एतराज है। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने कहा था।

श्री अमराराम (धोद) : न आपकी मेहरबानी से, न हमारी मेहरबानी से, वे नागरिक हैं इस देश के। (व्यवधान) उनका सब का अधिकार हैं और अपनी मेहनत से जिन्दा हैं, न आपकी और न हमारी मेहरबानी से जिन्दा हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कमा–कमा कर खिलाते हैं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यासजी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपके मकान में रहते हैं। (व्यवधान) आपकी खेती करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी व्यास, आप अपनी बात कहें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह बात आप शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए कहकर भेदभाव करते हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अनुसूचित जाति के लोग किसी की मेहरबानी पर, किसी की कृपा पर जिन्दा नहीं हैं, संविधान ने उनको अधिकार दिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : हमारा अधिकार है और माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि इनकी कृपा पर जिन्दा हैं। आपकी कृपा पर जिन्दा हैं अनुसूचित जाति के लोग? क्या कृपा हुई आपकी? यह मंत्रीजी कह रहे हैं कि इनकी कृपा पर अनुसूचित जाति के लोग जिन्दा हैं। (व्यवधान) इनमें योग्यता नहीं है?

मोहम्मद माहिर आजाद : सुरेन्द्र व्यासजी ने इनको टोंट में कहा कि आपकी तो यही बहुत परेशानी है कि आप इनको जिन्दा रहने देते हो।

श्री मदन दिलावर : आप लोगों ने हमको अवसर नहीं दिया था, हमारे संविधान ने हमको अवसर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप तो कह दो कि आपकी सरकार एस.सी., एस.टी. विरोधी हैं, कह दो आप तो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हम अनुसूचित जाति के लोग आगे बढ़ रहे हैं, श्रीमान्।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप तो कह दो, एस.सी., एस.टी. विरोधी सरकार है यह। कह दो आप तो।

श्री मदन दिलावर : मंत्री महोदय माफी मांगें इस बात के लिए कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए इन्होंने कहा कि ये हमारी कृपा पर जिन्दा हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप ही की बात कह रहे हैं इनकी सुनो।

श्री मदन दिलावर : हम इनकी कृपा पर जिन्दा नहीं हैं। अनुसूचित जाति के लोग इनकी कृपा पर जिन्दा नहीं हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह सरकार हमारे पीछे जिन्दा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह सरकार एस.सी., एस.टी. के लोगों के पीछे जिन्दा है।

श्री मदन दिलावर : हम इनकी कृपा पर जिन्दा नहीं है। माफी मांगें इस बात के लिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कह दो आप, नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : माफी मांगें इस बात के लिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : क्यों बैठ जाऊं?

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गम्भीर है यह मामला।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप बिराजो।

श्री मदन दिलावर : हमको अपमानित करने का षड्यंत्र किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : गम्भीर है इसलिए सुनो इनको।

श्री मदन दिलावर : अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अपमानजनक शब्द हैं कि इनकी इच्छा पर जिन्दा हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अपमानजनक शब्द क्या हैं?

श्री मदन दिलावर : माफी मांगें माननीय मंत्री महोदय इस बात के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : अपमानजनक शब्द क्या हैं?

श्री मदन दिलावर : इन्होंने कहा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहा?

श्री मदन दिलावर : कि अनुसूचित जाति के लोग हमारी कृपा के कारण से जिन्दा हैं। इसको उचित मानते हो क्या?

श्री उपाध्यक्ष : यह अंकित नहीं, यह कोई नहीं कहा।

श्री मदन दिलावर : इसको आप उचित मानते हो क्या?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं कहा।

श्री मदन दिलावर : कोई भी किसी की भी कृपा पर जिन्दा नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : रेकार्ड पर कहा है।

श्री मदन दिलावर : कोई भी किसी की भी कृपा पर जिन्दा नहीं है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : 18 जाटवों को जिन्दा जलाने वालों को तो पुलिस पदक से सम्मानित कर दिया इस सरकार ने। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हमको लोकतंत्र ने अवसर दिया है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सुरेन्द्रजी को इंगित करके कहा है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को जिन्दा जलाने वाले को सम्मानित कर दिया पुलिस पदक से। (व्यवधान) यह क्या न्याय करेगी सरकार?

श्री अमराराम (धोद) : अनुचित है।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात को गम्भीरता से लें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एस.सी. के लोगों को जिन्दा जलाने वालों को पुलिस पदक से सम्मानित कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी, प्लीज कनक्लूड कीजिए।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, अवसर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, इसको कार्यवाही से निकलवाया जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उसको देख लूंगा। I will expunge it यदि उन्होंने कृपा शब्द यूज किया है तो।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, आप सुनिये बात को।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कही ही नहीं न?

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो न।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरी बात सुनो।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कही ही नहीं न?

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने कहा नहीं हैं, मैंने कहा है इनके कहने से।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो, आपने कहा ही नहीं।

श्री रामसिंह विश्नोई : इन्होंने पैरवी की है कि हमको कहा कि जो बात शिड्यूल्ड कास्ट के नाम से...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो, आपने कहा ही नहीं है, आप क्यों जिद कर रहे हो?

श्री रामसिंह विश्नोई : धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप एक्सपंज क्यों करवाते हो? अखबार में छपने दो कि राजस्थान का मंत्री कहता है कि हमारी वजह से जिन्दा हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : राजस्थान का मंत्री नहीं कहता है, सुरेन्द्र व्यास कहता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सुरेन्द्र व्यास कहता है जो दुनिया जानती हैं। सुरेन्द्र व्यास क्या कहता है और क्या नहीं कहता है, यह तो दुनिया जानती है।

श्री मदन दिलावर : मंत्री महोदय ने यह कहा कि अनुसूचित जाति के लोग उनकी कृपा पर जिन्दा हैं, उनकी मेहरबानी पर जिन्दा हैं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : शेम।

श्री मदन दिलावर : हम जिन्दा किसी की मेहरबानी पर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, नहीं हैं। नहीं हैं, आप अपनी खुद की ताकत पर हो।

श्री मदन दिलावर : हां, संविधान ने ताकत दी है हमको।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बिराजो।

श्री मदन दिलावर : संविधान ने ताकत दी है हमको, नहीं तो हमारे में ताकत नहीं थी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कांग्रेस एस.सी. के पीछे जिन्दा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको यह ताकत डाक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी है, आपको अम्बेडकर के गुणगान करने चाहिए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कांग्रेस जिन्दा है एस.सी., एस.टी. के लोगों के पीछे।

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) सरकार ने जीतने के लिए आपको ताकत दी इसलिए यहां आये हो। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : चुनाव में हवा निकल जाएगी अगर इस तरह से कहोगे तो (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कांग्रेस के लोग इस प्रकार से अपमानित करें अनुसूचित जाति के लोगों को, बहुत शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये।

श्री मदन दिलावर : आये हुए हैं एस.सी. एस.टी. के लोग हमारे लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : पर यह हमारे अपमान का बदला कैसे आएगा?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप प्लीज।

श्री मदन दिलावर : हमारे अपमान का बदला कैसे होगा?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये।

श्री मदन दिलावर : मैं तो बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब बहुत हो गया, बैठ जाइये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : आपकी बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, आप बैठ जाइये।

श्री मदन दिलावर : मैं बैठ गया था, श्रीमान्, आपके कहने से। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि क्या अनुसूचित जाति के लोग इस कांग्रेस में बैठे मंत्रियों की कृपा पर जिन्दा हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, मैं यह व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री मदन दिलावर : आप एक सवाल का जवाब देवें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह व्यवस्था दे चुका हूं, आप बैठिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : मैं बैठ गया था न आपके कहने से।

श्री उपाध्यक्ष : Please, don't irritate me.

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इनको अधिकार है ऐसा कहने का?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कोई ऐसा अधिकार है क्या इनको कहने का? क्या शिड्यूल्ड कास्ट के लोग कांग्रेस की मेहरबानी पर जिन्दा हैं? कांग्रेस जिन्दा हैं शिड्यूल्ड कास्ट की मेहरबानी से। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहली मांग तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ऐसे अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोग जिन्दा हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप किसकी बात कर रहे हो?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कांग्रेस शिड्यूल्ड कास्ट के पीछे जिन्दा है, एस.सी. के पीछे जिन्दा है। गलतफहमी निकल जाएगी आपकी, अगर इस तरह की बातें करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप कनक्लूड कीजिए प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहली मांग तो यह है कि...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बहुत शर्म की बात है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बैठिये न, मांग आने दो न आप।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय इस सरकार ने बहुत सारे स्पेशल एक्ट्स प्रोमलगेट किये हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के इस तरह की बातें करते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और बहुत सारे स्पेशल एक्ट्स बनाये हैं। मेरा निवेदन यह है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बैठ जाओ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपके कहने से बैठूंगा क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : फिर काहे के हितैषी हो, नाटक करते हो अखबार में छपवाने के लिए। हितैषी हैं तो बैठो फिर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कौन होते हो?

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्षजी, यह कौन होते हैं डांटने वाले? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ये कैसे उपदेश दे रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आप जो कहते हो, यह क्या होता है? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ये बैठें, नहीं बैठें, ये कौन होते हैं डांटने वाले? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : क्यों निकाल रहे हैं अपनी भावना? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अभी कांग्रेस से गये हुए तो चार दिन हुए हैं, माहिर साहब।

श्री हीरासिंह चौहान : यह तो हरेक को लाने करने का अधिकार दे रखा है, जाते हैं लेकर आते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय माहिर आजादजी, वो नाटक करते हैं, ये नाटक दिखा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा अनेक स्पेशल ला प्रोविजन किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई सीमा है इसकी?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उपाध्यक्षजी, यह किस तरह की किसकी बातें कर रहे हैं?

श्रीमती बीना काक : ओम शांति शांति।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कि शिड्यूल्ड कास्ट के इतने मरे हुए हैं? क्या कोई इनसे कमजोर पड़ते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज कनक्लूड कीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहली डिमाण्ड तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कनक्लूड कीजिए, कहना क्या चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, कनक्लूड कर रहा हूं। बोलने दो, साहब, उनकी डिमाण्ड क्या क्या हैं।

श्री उपाध्यक्ष : What do you want to say?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उनकी डिमाण्ड्स क्या-क्या हैं, जो डिमाण्ड्स उनकी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। माननीय मंत्रीजी ने किस मामले में कैसे टिप्पणी की, पर उसका आशय कुछ ऐसा लगा कि कई माननीय सदस्यों की भावना आहत हुई है। मंत्रीजी को बड़ा मन रखते हुए अपने शब्द वापस लेने चाहिए।

श्री मदन दिलावर : सदन में क्षमा मांगनी चाहिए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : शांति से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको क्षमा मांगनी चाहिए।

श्रीमती बीना काक : किसी की मंशा खराब नहीं है, खतम करें बात।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : शांति से काम नहीं चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान के अन्दर यह मैसेज नहीं जाना चाहिए।

श्रीमती बीना काक : किसी की मंशा खराब नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान के अन्दर अगर यह मैसेज गया कि आपकी दया पर...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : उन्होंने कह दिया मैंने नहीं कहा, उनके कहने से बात हुई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यहां शांति से काम नहीं चलने वाला। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, आप बिराजिये, इधर देखो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के स्वाभिमान से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह कहा है, यदि उन्होंने कृपा शब्द यूज किया है तो उसको एक्सपंज करूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको माफी मांगनी चाहिए सदन में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कार्यवाही में नहीं लिखने से मिट नहीं जाता है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : क्या दलित कांग्रेस के भरोसे जिंदा हैं क्या? (व्यवधान) दलित क्या कांग्रेस की मेहरबानी से जिंदा हैं इस प्रदेश के अन्दर? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक मंत्री तो कहता है अनुसूचित जाति के लोग हमारे ऊपर बोझा हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहले मेरी बात को क्लीयर करने दें। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : एस.सी., एस.टी. जी का जंजाल बन गया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : (व्यवधान)... राजस्थान के अनुसूचित जाति के लोगों को कितना प्रताड़ित करोगे?

श्री रामसिंह विश्नोई : आप बैठो तो कहूं मैं। (व्यवधान) सुरेन्द्र व्यासजी ने किसी वर्ग, किसी जाति के बारे में कहा, उसके बाद में मैंने पूछा। उन्होंने कहा, कुछ जाति, कुछ वर्ग कुछ समुदाय के द्वारा अनुसूचित जाति के साथ में व्यवहार करते हैं। जिस तरह की बात उन्होंने कही वह हाउस में ओ.बी.सी. का नाम लिया और किसी जाति का नाम लिया, तब मैंने जाकर कहा। मैंने कहा, हम इस तरह का नहीं करते हैं, केवल आप लोगों के कारण ही इस तरह की स्थिति प्रदेश में

(श्री रामसिंह विश्नोई)

पैदा हुई है। यही मामला था, मैंने कोई यह कहने का प्रश्न ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपने कहा, हमारे कारण जिंदा हैं, आप कार्यवाही उठाकर देख लीजिए। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपको माफी मांगनी चाहिए, जो शब्द उपयोग किया है वह निंदनीय है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप कार्यवाही उठाकर देख लीजिए, जो शब्द उपयोग किया है वह उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह गम्भीर बात भी है। इसको आप मेहरबानी करके एक्सपंज मत कीजिए। मंत्रीजी ने जो कहा है वह आप प्रेस छाप देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इतने सारे स्पेशल लाज प्रोमलगेट हुए हैं, ट्रिब्यूनल का गठन आप करते हैं, एक ट्रिब्यूनल शिड्यूल्ड कास्ट के केसेज के लिए अलग से गठित कीजिये ताकि एक्सपीडि्यस इनकी ट्रायल हो सके, जमीनों पर जो कब्जे हो चुके और वो स्पेशली जितने पैंडिंग केसेज हैं वो उसमें ट्रांसफर किये जा सके।

दूसरा, यह एस.सी., एस.टी., एक्ट के लिए मैं आलरेडी कह चुका हूं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा तरीके से हो, सख्ती से हो। इसके अन्दर आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति की आप एक नजीर पेश करो और एग्जम्पलरी आपका इम्प्लीमेंटेशन हो, यह करें।

तीसरा, लोढ़ा कमीशन की जो रिपोर्ट है वह आप इसी सत्र के अन्दर सदन में टेबल कीजिये अगर आपकी नीयत साफ हो। फिर आप नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर वर्ग संघर्ष था, मैं वहां पर मौजूद नहीं था, वर्ग संघर्ष के अन्दर अगर किसी की गलती निकलती है और यह जुडिशियल कमीशन है, जुडिशियल रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ने अपाइंट किया हुआ है, आप उसकी रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं करते हैं? उस रिपोर्ट के अन्दर जो रिकमंडेशंस हैं उनको आप क्यों नहीं एक्अपॉन करते हैं, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं? यह एक प्रमुख सवाल है।

अस्पृश्यता के खिलाफ आप पूरा एक कैम्पेन चलाएं और जो दलित का, यह मैं दुबारा कहता हूं, एक जगह इनके रिप्रेजेंटेशन में बहुत ही अच्छी बात लगी वह मैं आपकी अनुमति से पढ़कर सुनाना चाहता हूं :-

"...to constitute a district level vigilance and menitering committee to ensure adequate representation of committed dalit human rights activists." मतलब दलित होना ही अपने

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आप में पर्याप्त नहीं है, दलित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होना जरूरी है। हो सकता है वह ब्राह्मण भी हो, जाट भी हो, गूजर भी हो। कोई भी हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी मानसिकता यह होनी चाहिए कि वह दलित के लिए, उनके राइट्स के प्रति जागरूक हो, उनको ऊपर लाना चाहता हो। इसी प्रकार से इनके आरक्षण का पिछले दफा आपको ध्यान है कि आई.ए.एस आई.पी.एस. के प्रमोशन के अन्दर कितना डिले गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, बैकलाग इकट्ठा होता है। फिर इनके जो बजटरी एलोकेशंस हैं वे प्रापरली यूटिलाइज हों। आपके सैंट्रल स्पांसर्ड स्कीम से बहुत पैसा सब जगह बचता है, पर कम से कम जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के वैलफेयर के लिए फण्ड्स हैं वो प्रापरली यूटिलाइज हों। अब मैं अंत में एक बात निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : अंत करो अब आप इसका।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अंत कर रहा हूं, यह लास्ट बात है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आप शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब को बहुत खुश रखते हैं और अच्छा रखते हैं, पर उपाध्यक्ष महोदय, 50–55 साल के बाद भी शिड्यूल्ड कास्ट वहीं की वहीं हैं। उसकी वजह यह है कि आप अच्छा रखते हैं, लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट के अन्दर प्रिविलेज्ड क्लास हो गई है जो शिड्यूल्ड कास्ट के एम.एल.एज. और एम.पीज. हैं। आप मुझे यह बता दीजिये कि कौनसा पैट्रोल पम्प और कौनसी केरोसिन की एजेंसी कौनसे शिड्यूल्ड कास्ट को मिलती है? टोटल शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब में एल.एल.एज., एम.पीज ले लेते हैं। और किसी को नहीं मिलता है, उसको ही मिलती है। टोटल जो शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब का जो एम.पी हो गया, एम. एल. ए. हो गया, आई.ए.एस. हो गया, आर.ए.एस. हो गया, यह एक प्रिविलेज्ड क्लास हो गई और उसी को आप राजी रखते हो और उसीको आप समझते हो कि हमारा वोट बैंक है। उपाध्यक्ष महोदय, यह टूटना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर रामप्रताप। समाप्त कीजिये प्लीज। बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं फिर कहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है, दिल्ली में इसका रेशनलाइजेशन होना चाहिए। जो शिड्यूल्ड कास्ट नीचे पड़ी हुई है उसको ऊपर लाने का जब हो कि जिन लोगों ने रिजर्वेशन का उपयोग कर लिया उनको नहीं मिलना चाहिए। कम से कम राज्य स्तर पर कई चीजें जो देश के स्तर पर तय नहीं होती हैं, हमारे मुख्य मंत्रीजी प्रदेश के स्तर पर निर्णय लेकर लागू करते हैं। आप पहल कीजिये इसके अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर रामप्रताप। कृपया समाप्त कीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुझे इनकी इच्छाशक्ति में कोई कमी नजर नहीं आती है। यह मेरा एक सुझाव है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपेक्षा करता हूं। अंत में मैं आपको यह धन्यवाद देते हुए आग्रह करता हूं, बहुत जबरदस्त हमारे प्रभावशाली धारीवालजी से कहता हूं कि आप इतनी मगजपच्ची करते हो तो लोढ़ा कमीशन, वो भी ओसवाल हैं और आप भी ओसवाल हो, ओसवाल रिपोर्ट तो सब्मिट करवाओ, वह तो भेदभाव कर ही नहीं सकता। लोढ़ा कमीशन की रिपोर्ट तो यहां सब्मिट करवाओ, टेबल करवाओ, यह मेहरबानी करना।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर रामप्रताप।

जयपुर डेयरी के वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध आरोपों पर कार्यवाही नहीं

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम सराज्य सरकार का ध्यान आज एक ऐसे प्रकरण की ओर खींचना चाहता हूं जो एक लम्बे समय से अखबारों में आ रहा है, और चूंकि लम्बे समय से अखबारों में आ रहा है इसलिए राजस्थान की जनता ने भी इसको पढ़ा है। यह ऐसा मामला है जो भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है। कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पर तो जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर कह रहा हूं कि जो विश्वास हम काफी कुछ हद तक खो चुके हैं, ऐसे प्रकरण अगर अखबारों में साया होंगे और उस पर कार्यवाही नहीं होगी तो राजस्थान की जनता का जो थोड़ा बहुत विश्वास हमारे ऊपर है वह भी उठ जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण जयपुर डेयरी के प्रबन्ध निदेशक श्री सी.के. राय से सम्बन्धित है जिनका तकरीबन 20-22 वर्ष का सेवाकाल नहीं कह कर अगर उसको घोटालाकाल कहें तो ज्यादा सही होगा। लगातार यह आदमी, कभी इसको आरोप पत्र मिले हैं, कभी इंक्रीमेंट रोके गये हैं, मतलब हर ऐसी जगह जहां इसने नौकरी की है, सेवा तो मैं नहीं कह सकता, वहां पर ये अछूते नहीं रहे ऐसे कारनामों से। मैं आपके सामने केवल 2-3 उदाहरण ही देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस आदमी के अलवर डेयरी संयंत्र के प्रबन्धक के पद पर रहते हुए 1986-87 के दौरान 40 मीट्रिक टन घी खराब हो गया। खराब नहीं हुआ, खराब किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, यह घी जब अलवर डेयरी संयंत्र में था तो उस वक्त नाथद्वारा मन्दिर की तरफ से कम से कम 800 टिन की मांग आई थी। अगर मांग नहीं हो और किसी वजह से कोई चीज खराब हो जाए तो शायद जंचने वाली बात है, पर उसी वक्त 800 टिन की मांग नाथद्वारा मन्दिर से आई और उनको नहीं देकर खराब घोषित करके इसको सस्ते दाम पर बाजार में बेचा गया। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जब जांच

(श्री रामप्रताप)

की गई तो जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री राय को आरोप पत्र एवं दोषारोपण विवरण पत्र 17.3.1999 को देकर, मामला 1986–87 का है, 17.3.1999 को इनसे जवाब मांगा गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस आदमी ने जवाब देना तो दूर, जो पत्रावलियां थीं उनको भी गायब कर दिया। गायब करने के बाद में बाकी की जो करस्पोंडेंस हुई है उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन श्री जी.एस. संधु, चेयरमैन एण्ड एम.डी., मेरे ख्याल से काफी वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी हैं, इन्होंने एक इनको पत्र लिखा है 18 नवम्बर 2002 को–"Sub : A.C.D. inquiry file.

"In reply to this Office letter no. 9846 dated 8.10.2002, vide your letter no. 15561 dated 16th October, 2002, you had requested to give another 10 day's time to submit inquiry file and related papers of A.C.D. inquiry. But this period has already elapsed.

"You are, therefore, once again given this final opportunity to submit the required file, documents by 28th November, 2002 failing which it will be viewed seriously and ex-parte decision shall be taken." यह इतने बड़े अधिकारी द्वारा लिखा गया और उस आदमी ने इसकी परवाह नहीं की। अब आखिर में जाकर इन्होंने 30.1.2003 को मेहरबानी की है उस पत्रावली को लौटाने की। जवाब आज तक भी नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से यह आदमी जब यहां जयपुर में पदस्थापित थे तब आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि काफी इनके बारे में आ रहा था कि घी खा गये। जब ए.सी.डी. को इसकी जानकारी मिली तो जो तथ्य सामने आये उस आधार पर 19 सितम्बर, 2002 को तो छापा डाला गया और 19 सितम्बर के बाद में 1 अक्टूबर, 2002 को भी एफ. आई. आर. नहीं, पी. ई. दर्ज की गई। पी. ई. दर्ज करने के बाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद में, यहां तक ही नहीं, इस आदमी ने कम से कम 150 पदोन्नतियां पायीं। जबकि राज्य सरकार की नौकरियों पर रोक लगी हुई है और ये पदोन्नतियां दिये जा रहे हैं। संचालक मण्डल से कोई अनुमति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये सज्जन अभी कहां पर हैं?

श्री रामप्रताप : ये यहीं बिराजें हुए हैं, साहब। उसके बाद में संचालक मण्डल से अनुमति नहीं ली गयी और पदोन्नति दे दी गई।

इन्होंने एक काम और किया कि इन्होंने एक कम्प्यूटर खरीदा जो 18.11.2001

(श्री रामप्रताप)

से लेकर 21.5.2002 तक इन्होंने अपने घर पर रखा। अब ये सारी बातें सामने होने के बावजूद भी इस आदमी पर कार्यवाही नहीं होती और पूरे प्रदेश की जनता को इसका पता है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ऐसे आदमी पर कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन कार्यवाही करते वक्त इस किस्म की बात जब सामने आती है, जो मैं आपको अभी निवेदन कर रहा हूं, तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी कि इस आदमी के खिलाफ कार्यवाही हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार इसका सर्विस रिकार्ड इस किस्म का रहा है इसके बावजूद जब ये श्रीमान्जी बीकानेर डेयरी में एम.डी. थे, वहां से इनके आदेश हुए हैं :–

"C.K. Roy may be placed as M.D., Jaipur in place of Shri Himmat Singh. This bears approval of..."none else than."...the Hon'ble Chief Minister."

(13.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय इस किस्म के आदमी को लगाते हैं। इतना बड़ा मामला आपके सामने आता है और पूरे प्रदेश की जनता को पता चल रहा है, उसके बाद में कार्यवाही नहीं होगी तो चाहे यह हमारी सरकार हो या चाहे आपकी सरकार हो, मुद्दा इस चीज का नहीं है, पूरे प्रदेश की जनता का जो हम विश्वास खोते जा रहे हैं, यह कहां तक हम जाकर रुकेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे आदमी को, बहुत जल्दी ही यह आदमी रिटायर होने वाला है, हम कार्यवाही नहीं करके क्या करना चाहते हैं? इसलिए आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इस आदमी पर कार्यवाही इस मेहरबानी के साथ करें कि राजस्थान की जनता इस बात को जान सके कि यह राज्य सरकार है और भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकती तो कम से कम अंकुश लगा रही है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : मदन दिलावर।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है। गांव के सदस्य बनते हैं, सोसायटी में दूध देते हैं, उनका विश्वास खतम हो जाएगा अगर इस तरह के अधिकारी होंगे। परसादी लालजी मंत्रीजी बिराजमान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे सहमत हूं।

श्री सांवर लाल : तो इसमें कोई कार्यवाही तो हो, सर। मंत्रीजी, कुछ तो बताओ। सहकारिता से लोग जुड़ते हैं, एक-एक किलो दूध डेयरी में देते हैं। उसका विश्वास कैसे कायम रखोगे अगर इस प्रकार के अधिकारी करोड़ों रुपयों का घपला कर देते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये डेयरी के मंत्री नहीं हैं।

श्री सांवर लाल : कोआपरेटिव में सब आ जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर वहां पर कोई अनियमितता होती है तो मंत्रीजी को पूरा अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी के पास जाएगी तो वे कर लेंगे जांच।

श्री सांवर लाल : कर लेंगे, आप हिम्मत करके बताओ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, शुरू करो। (व्यवधान)

दूनी थाने में दर्ज एफ.आई.आर. पर कार्यवाही

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं टौंक जिले के दूनी पुलिस स्टेशन पर 18.12.2002 को दर्ज एफ.आई.आर. नं. 248/2002 की ओर ध्यान दिला रहा हूं। श्रीमान् एफ.आई.आर. यह है।

सेवा में, श्रीमान् उप निरीक्षक महोदय,

थाना दूनी (टौंक)

विषय : कानूनी कार्यवाही हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आज से 5-6 दिन पहले दूनी के अस्पताल में नियुक्त डाक्टर के घर मेरा बेटा उमेश बीमार होने पर दिखाने गया था। यह शाम के लगभग पांच पी.एम. की बात है। बेटे को दिखाते समय उनके टेबल पर "दयाभाव और मांसाहार" नामक पुस्तक देखी। मैंने पुस्तक का टाइटल देखकर मांसाहार के बारे में डाक्टर साहब से जानना चाहा तो उन्होंने किताब पढ़ने का सुझाव दिया। मैं पुस्तक मेरे साथ ले गया और पढ़ी तो पाया कि हमारे ग्रंथों, चार वेदों, महाभारत, उपनिषद् के श्लोकों का अर्थ का अनर्थ कर रखा है तथा हिन्दुओं के गौ-मांस के भक्षण के बारे में लिखा गया है। यह पढ़कर मुझे बड़ा दुःख हुआ और मेरी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। अतः कृपया डाक्टर और पुस्तक के लेखक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएं। और भी दोषी हो तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। पुस्तक श्रीमान् की सेवा में पेश है। प्रार्थी रामसागर मीणा।

कार्यवाही पुलिस : प्रमाणित किया जाता है कि उक्त रिपोर्ट तहरीरी रामसागर मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा, उम्र 28 वर्ष, ज्योतिपुरा थाना घाड़ हाल अध्यापक माध्यमिक विद्यालय बालिका कस्बा दूनी में हैं, श्री भंवरलाल चौधरी, सरपंच साहब दूनी और श्री शिवजी लाल पुत्र कल्याण जाति खाती, उम्र 62वर्ष थाना में उपस्थित होकर प्रस्तुत की जिसकी नकल एफ.आई.आर. रजिस्टर में अक्षरशः अक्षर की गई, पेश की गई, पुस्तक के जरिए फर्द जब्त किया जाएगा। मजमून रिपोर्ट से मामला 295-क आई.पी.सी. का वकू में आना पाया जाता है। अतः मुकदमा 248/2002 आई.पी.सी. 295 से कायम कर मय एस.एच.ओ. मशरूप, तशरीफ, हुआ। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार जारी की गई।

(श्री मदन दिलावर)

यह एफ.आई.आर. है और यह एफ.आई.आर. दर्ज की। जैसा मैंने बताया कि एक वहां पर अध्यापक हैं उन्होंने थाना दूनी में दर्ज कराई। इस एफ.आई.आर. के दर्ज होने के बाद प्रशासन को पता नहीं क्या परेशानी हुई, जिला कलक्टर ने मौखिक आदेश किये जिला शिक्षा अधिकारी को कि इस अध्यापक का ट्रांसफर बीकानेर कर दिया जाए। पहले तो कहा कि इसको जिला हैडक्वार्टर पर लाया जाए, फिर डेढ़ महीने बाद कहा कि इस अध्यापक को बीकानेर लगा दिया जाए। बीकानेर उनको भेज दिया गया। खैर, अध्यापक को जो भी सरकार दण्ड देगी, वह भुगतेंगे। मेरा निवेदन यह था कि पुस्तक में क्या लिखा था। पुस्तक में यह लिखा था, मैं पढ़कर सुनाता हूं। वृहदारण्यक उपनिषद् मण्डल 6, सूक्त 4, मंत्र 18 का उन्होंने उद्धरण किया। उसका जो अर्थ है, मैं आपको सुना रहा हूं। जो चाहता हो कि मेरा पुत्र प्रख्यात पण्डित, विद्वानों की सभा में निर्भय प्रवेश करने वाला तथा सदा सुखद वाणी बोलने वाला हो, सम्पूर्ण वेदों का स्वाध्याय करे और पूरे 100 वर्षों तक जीवित रहे, वह पुरुष और उसकी पत्नी औषधि का गूदा और चावल पका कर उसमें घी मिलाकर खाएं तो इससे उक्त योग्यता वाले पुत्र को जन्म देने में समर्थ होते हैं अथवा ऋषा नामक औषधि में गूदे के साथ खाने का नियम है। कृपा करें इसका अर्थ इस पुस्तक में, मेरा जैसा निवेदन है, जिसके लिए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, उस पुस्तक में लिखा है। विवादित पुस्तक में जो उन्होंने लिखा है, जो यह चाहेगा कि उसका बेटा सभा में धाराप्रवाह बोलने वाला हो और सब वेदों का ज्ञानी हो, 100 वर्ष की आयु वाला हो सके, उसे चाहिए कि वह और उसकी पत्नी बैल और सांड का गोश्त पका कर घी और चावल मिलाकर खाए। यह उपनिषद् में 6 मण्डल, 4 सूक्त, और मंत्र 18 में लिखा है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कहना क्या चाह रहे हो? आप चाहते क्या हो, वह बताएं? आप चाहते क्या हो?

श्री मदन दिलावर : आप मेरा निवेदन सुन लें, मैं बहुत विनम्र...

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी आपको बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, यह कोई डिबेट नहीं है। नहीं, आप बोलें। आप बोलो न, चाहते क्या हो? कनक्लूड करें।

श्री मदन दिलावर : आप हुक्म करें तो मैं बैठ जाता हूं। थोड़ा-सा दो मिनट में आपको बता देता हूं कि कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है, क्या लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गई न बात। ठीक है कार्यवाही करो, कह दिया आपने।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, फिर उन्होंने उस पुस्तक का नाम लेकर

(श्री मदन दिलावर)

एफ.आई.आर. दर्ज कराई है। उस पुस्तक में क्या लिखा था, अभी एक पढ़ा है मैंने। दूसरा इसमें लिखा है, ऋग्वेद का हवाला दिया है, उसमें 10-85-13, 10 मण्डल, 85 सूक्त, 13 मंत्र में जो लिखा है, उसका मंत्र नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि देर हो जाएगी...

श्री उपाध्यक्ष : अब तो देर हो रही है, आप तो समाप्त करो।

श्री मदन दिलावर : उसका अर्थ तो पढ़ रहा हूं। उसका वास्तविक अर्थ यह है कि सूर्य से दहेज रूप में किरण रूपी गायें जो मिली हैं, वे मघा नक्षत्र में सूर्य से दुर्बल हो जाती हैं। फाल्गुन नक्षत्र में सूर्य से फिर ठीक होने लगती हैं। विवादित पुस्तक जो बांटी जा रही है, श्रीमान्, उसमें लिखा गया है, दूल्हा और बारात के लोग दुल्हन के घर जाते हैं, यहां दुल्हन बारात के साथ मिलकर खाना खाती थी, मेहमानों को इस मौके पर गायों का गोश्त परोसा जाता है, यह उल्लेख किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी इस पर्ची से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, इसी प्रकार से, मैंने जो एफ.आई.आर. का हवाला दिया है और एफ.आई.आर. में पुस्तक सब्मिट की है, यह पुस्तक में लिखा है। यह पुस्तक एफ.आई.आर. के साथ जुड़ी है...

श्री उपाध्यक्ष : आपकी इस पर्ची का कोई सम्बन्ध नहीं है। आप अपनी पर्ची को देखिये पहले। नहीं, नहीं।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, यह नहीं, आप मेरी पर्ची पढ़ें। श्रीमान् मैं बैठ जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं।

श्री मोहन लाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन माननीय सदस्य को बैठाइये। ये हमेशा इस हाउस में इस तरह का वातावरण पैदा करना चाहते हैं कि ये हिन्दुत्व के ठेकेदार हो रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं। ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं कि सच्चे आदमी को कभी महसूस नहीं होता कि ये सही कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। आपकी पर्ची में सिर्फ एफ.आई.आर. नम्बर फलां-फलां के सम्बन्ध में है, दैट इज आल। आप कहां से पुस्तक ले आये, कहां से किताब ले आये, कहां से क्या ले आये?

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, नहीं, इसमें आप एफ.आई.आर. पढ़िये। ऐसा एफ.आई.आर. में पढ़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह एफ.आई.आर. में दर्ज नहीं है।

श्री मदन दिलावर : इसमें "दयाभाव" व "मांसाहार" नाम की पुस्तक का उल्लेख किया गया है और उस पुस्तक का उद्धरण मैं पेश कर रहा हूं। मैंने एफ.आई.आर. पढ़कर सुनाई है। अभी दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय से हटकर बोल रहे हैं। नहीं, नहीं। नो प्लीज। नहीं, श्रीमान् अब आप बिराजिये। श्री अमरारामजी।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यजुर्वेद में लिखा है, उन्होंने किस तरह से इसको तोड़ मरोड़ कर लिखा है। श्रीमान् यजुर्वेद में जो...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। अंकित नहीं हो। श्री अमरारामजी।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। एक तो तकलीफ यह है कि आपकी पर्ची रोज कैसे आ जाती है?

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, प्लीज। अंकित ही नहीं हो रहा, आप बोल रहे हो, क्या फायदा है? अंकित ही नहीं हो रहा है, बिराजिए प्लीज। कोआपरेट करिये प्लीज। बिराजें।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मेरे जितना तो आपको कोआपरेट कोई कर ही नहीं सकता।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : मेरे जितना तो आपको कोई कोआपरेट कर ही नहीं रहा है।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिय प्लीज। श्री अमरारामजी। (व्यवधान) बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में...

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, प्लीज बिराजिए। अंकित ही नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हो, क्या फायदा है? आप बिराजें न। आप बिराजें।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। माननीय अमरारामजी। बिराजिए प्लीज।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सीमाएं तोड़ेंगे तो आपको तकलीफ होगी। आप बिराजिए।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये। अंकित ही नहीं हो रहा।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अमराराम (धोद) : अब मैं कैसे बोलूं, साहब?

श्री उपाध्यक्ष : आप तो अपना शुरू करो।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का और सदन का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां राजस्थान में एक ओर भयंकर अकाल है...

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए प्लीज। आप बिराजिए। आप बिराजिए, अब नहीं। बैठिये अब आप। Please, don't take liberty.

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, आप बैठिये। नहीं, अब नहीं बोलने दूंगा।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो भयंकर अकाल है, जहां राजस्थान में एक तरफ इस भयंकर अकाल की मार से, भूख से लोगों की...

(माननीय सदस्य श्री मदन दिलावर सदन कूप में आकर बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये, बोलिये।

श्री अमराराम (धोद) : मौतों की खबर आ रही है, कुपोषण की खबरें आ रही हैं, जहां यह स्थिति है वहां अकाल राहत...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से आपत्तिजनक यह किसी ने छपवाया है उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की? जिसने सूचना दी उसको बीकानेर भेज दिया, यह पक्षपात चल रहा है। ग्रंथों के बारे में, महाभारत के बारे में जिस ढंग की आपत्तिजनक बात माननीय सदस्य कर रहे हैं उसको सुनने पर टाइम नहीं दे रहे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप बिराजिए। इश्यू यह नहीं हैं, आप बिराजिए। आप बिराजिए। इश्यू यह नहीं है। इश्यू यह है कि इन्होंने जो पर्ची दी है, जिस सम्बन्ध में दी है उसी पर बोल सकते हैं। यह कोई भाषण थोड़े ही दे रहे हैं, कोई डिबेट थोड़े ही है? कुछ नहीं दिया आपने, नहीं दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह एफ.आई.आर. इसके मुतल्लिक है।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : एफ.आई.आर. नम्बर को कोट कर दीजिये आप। इस किताब से, रामायण से इसका कोई लेना देना नहीं है। (व्यवधान) नहीं, कोई नहीं दिया।

श्री कन्हैया लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस एफ.आई.आर. में सारा हवाला है। इस एफ.आई.आर. के अन्दर पूरा हवाला है, किताब बरामद की गई है, डाक्टर को दोषी माना गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हानि आपकी होगी, किसकी होगी, यह मुझे पता नहीं। I will not allow. अमरारामजी, बोलिये। (व्यवधान) अब अंकित ही नहीं हो रहा, आप बोले जा रहे हो। बोलो मर्जी आये जो। आप बोलो। आप बोलिये।

श्री अमराराम (धोद) : बोलूं कहा, साहब, यह बैठे हैं न। इतनी ऊंची तो मेरी आवाज़ है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी, क्या है, यह क्या है? What do you want? आप आसन को कोआपरेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? They don't try... यह बन्द कराइये आप। बंद करिये आप। नहीं, I will not allow. आप रोज यही काम करते हो। (व्यवधान) नहीं सुनूंगा मैं। आप बोलिये, अमरारामजी।

श्री रामप्रताप : बात सही है माननीय सदस्य की, उपाध्यक्ष महोदय। आप इनको आधा मिनट सुन लो, आपके समझ में आ जाएगी, बहुत सही फरमा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

डा. किरोड़ी लाल : पर इतनी गम्भीर घटना है, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अपने वहां से बोल लेंगे।

श्री रामप्रताप : आप इसको देख लो।

डा. किरोड़ी लाल : आप वहां से बोले, वहां से ले आओ। आप आकर सीट से बोलो।

श्री रामप्रताप : यह गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं बोलेंगे। सीट से क्या बोलेंगे?

श्री रामप्रताप : आप आधा मिनट का समय दे दो, यूं ज़िद्द न करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्षजी, घड़ी की सुई के साथ पांच मिनट, सिर्फ पांच मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं–नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यह बोल इस पर रहे हैं जिसका कोई इश्यू ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पांच मिनट, पांच मिनट।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री रामप्रताप : गम्भीर मामला है, साहब।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारी संस्कृति पर हमला है यह। यह हमारी संस्कृति पर हमला है।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : I am not saying मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं। आप इसको लाइये ढंग से, बोलने दूंगा।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री कनकमल कटारा : नहीं, बोल रहे हैं न। आप पांच मिनट का समय दे दीजिये, पूरा कर लेंगे, माननीय उपाध्यक्षजी। (व्यवधान) विषय ही खतम हो जाएगा। पांच मिनट अभी तो हो गये होंगे, सर। यह गम्भीर विषय है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जन्म से लेकर मरण तक जिस गाय को पूजते हैं उस गाय के गौ मांस की बात इस पुस्तक में की गई और माननीय सदस्य उठाना चाहते हैं, मेरा निवेदन इतना-सा है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्लीज, आप लाओ न उसको, मैं कहां मना कर रहा हूं?

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप कोई दूसरे तरीके से लाओ।

श्री उपाध्यक्ष : Bring it in a proper way.

श्री रामप्रताप : नहीं, एक मीणा जाति के अध्यापक को बिना मतलब की सजा दी गई है और धर्म के साथ में इस तरीके से किया जा रहा है, उस बात को आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री मदन दिलावर : XXX (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : उपाध्यक्षजी, समय दे दीजिये, बहुत गम्भीर विषय है, बहुत अच्छी बात को बोलना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोलो, बोलो न आप। बिराजें, बिराजें।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, माननीय, क्या? काहे का बिराजें?

श्री रामनारायण विश्नोई : मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अमरारामजी, बिराजें। आप बैठिये, दिलावरजी, बैठिये।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : माननीय सदस्य यह कहना चाहते थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके कहने का मुख्य मुद्दा यह है कि एक अध्यापक रामचरण मीणा ने एक एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है कि यह 295 ए का मुकदमा दर्ज हो गया। हिन्दुओं की भावना भड़काने के लिए एफ.आई.आर. दर्ज हो गई...

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : हो गई।

श्री रामनारायण विश्नोई : उस अध्यापक का तबादला वहां से उठाकर बीकानेर कर दिया गया, मुख्य मुद्दा यह है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

डा. किरोड़ी लाल : जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं और उस अध्यापक को बीकानेर भेज दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अपराधी के खिलाफ कार्यवाही नहीं और जो एफ.आई.आर. दर्ज कराये...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : यह तो तबादले का मामला है सारे का सारा। एक इस तबादले के ऊपर कितना बड़ा हंगामा हो रहा है?

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह छोटी बात है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री रामनारायण विश्नोई : कुछ भी कहें, न कहें, हमारा मुद्दा यह है कि उस अध्यापक ने क्या जुल्म किया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अध्यापक का तबादला कर दिया तो इससे क्या लेना-देना है? (व्यवधान)...क्या बात है...

डा. किरोड़ी लाल : उसने आपत्तिजनक दस्तावेज छपवाये...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपत्तिजनक जो पुस्तक है इसकी एफ.आई.आर. दर्ज कराई...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आपत्तिजनक दस्तावेज की जिसने एफ.आई.आर. लिखाई उसको बीकानेर भेज दिया और जो अपराधी है वह टौंक में अपराध कर रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो अपराधी था जिसकी एफ.आई.आर. भी है, रिकार्ड पर है, परसादी लालजी को सारा पता है उस मीणा के साथ किस तरह का अन्याय हुआ है...

श्री रामनारायण विश्नोई : एफ.आई.आर. देने वाले को उलटी सजा दी जा रही है, यह कोई बात थोड़े ही है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप तरीके से आइये न, कोई विषय लेकर। दूसरा प्रस्ताव लेकर आइये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं?

श्री हरिसिंह (महुवा) : इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है आपका, पर्ची के माध्यम से क्यों आये?

श्री मदन दिलावर : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए, बिराजिए। आप इश्यू को इतना डाइल्यूट क्यों करना चाहते हैं? आप इसको बहुत गम्भीर मानते हैं तो bring it in some other way. आप लाओ न, मना कौन कर रहा है? मना थोड़े ही कर रहा हूं?

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। पर्ची में आपने यह लिखा है, पुलिस थाना दूनी, टौंक में दर्ज एफ.आई.आर. नम्बर 248/2002 की कार्यवाही नहीं होने के सम्बन्ध में।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कार्यवाही नहीं हुई तो कह दें कार्यवाही करानी है, इसमें क्या है?

डा. किरोड़ी लाल : कार्यवाही नहीं हो रही है, कार्यवाही उलटी हो गई। जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : कार्यवाही नहीं हो रही, इस पर बोल दो।

श्री कनकमल कटारा : एफ.आई.आर. में क्या दर्ज हुआ है वह पढ़ रहे हैं। उसके अन्दर जो लिखा है वही पढ़ रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जिसने एफ.आई.आर. दर्ज करवाई उसको तो बीकानेर भेज दिया...

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया तो फिर?

डा. किरोड़ी लाल : और जो इसमें अपराधी है, जिसने आपत्तिजनक दस्तावेज पब्लिक में बांटे, छपवाये हैं उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अलग इश्यू है, इस पर बोलो। इसको अलग से लाओ इश्यू को। तबादला कर दिया इसका इससे क्या लेना-देना?

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कोई सवाल ही नहीं है सुनने का, नो क्वेश्चन। अमरा रामजी।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये।

श्री अमराराम (धोद) : आप इनको बन्द करेंगे तो बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित हो नहीं रहा, आपका तो रिकार्ड हो जाएगा।

श्री अमराराम (धोद) : इनसे ज्यादा आवाज तो मेरी तेज है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो रिकार्ड होगा।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, रिकार्ड तो होगा लेकिन सुनेगा कौन? इससे ज्यादा मेरी तो आवाज है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हो जाएगा वह तो। आप बोलेंगे तो रुक जाएंगे। बिराजें, एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, यह जरूर है कि पर्ची के माध्यम से विषय लाये, लेकिन विषय बहुत गम्भीर है। जिस तरह की वह पुस्तक है और उसमें जो चीजें लिखी गयीं, उससे लोगों की नाराजगी हुई और किसी एक व्यक्ति ने जाकर उसके खिलाफ एक एफ.आई.आर. दर्ज करा दी। मैं सोचता हूं, अगर आप स्वयं ही उस किताब को पढ़ेंगे तो आप स्वयं भी यह एहसास करोगे कि उसने पता नहीं, सारे हिन्दुस्तान को ही उसमें लपेट लिया। जो-जो वह उसके बारे में कह सकता था उससे ज्यादा उस पुस्तक में है, वह पब्लिश्ड पुस्तक है। वह पुस्तक सहित भेंट करते एफ.आई.आर. दर्ज कराई, वह कापी देते हुए और उसको बांट रहा था वह डाक्टर। उस डाक्टर के खिलाफ यह एफ.आई.आर. लिखाई। माननीय सदस्य का कहना है कि इस प्रकार की आपत्तिजनक किताब को जो बांट रहा था, जो डाक्टर है वहां, उस डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही होना तो कहीं रहा, जिसने उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई, एक विधिवत डाकूमेंट के आधार पर कराई, प्रशासन ने उसको इसके लिए दण्डित करने के लिए वहां से बुलाकर पहले तो कहा कि एफ.आई.आई. विथड्रा करो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह पर्ची में कहां लिखा हुआ है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह एफ.आई.आर. विथड्रा नहीं की। उसने कहा, साहब मैं विथड्रा नहीं करूंगा। एफ.आई.आर. विथड्रा नहीं करने के कारण से...उसको मजबूर करके बीकानेर ट्रांसफर इसलिए किया कि वो एफ.आई.आर. उठा ले। सरकार का दबाव यह है कि एफ.आई.आर. उठ जाए तो यह सारा का सारा जो प्रकरण सामने आया यह दफन हो जाए। यह है मंशा उसकी, ये इस बात को कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मान ली आपकी बात। लेकिन एफ.आई.आर. के...। एक मिनट, आप बिराजिये। Transfer is a separate question या तो ट्रांसफर हुआ है तो उस ट्रांसफर के आधार पर आप कुछ बात लाइये। आपने सिर्फ एफ.आई.आर. के आधार पर यह कहा कि एफ.आर.आर दर्ज हुई उस आदमी के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई और वो जो अध्यापक था उसका ट्रांसफर कर दिया गवर्नमेंट ने।

डा. किरोड़ी लाल : उलटा हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : जो भी हुआ है, हो गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ट्रांसफर हो जाना कोई पाप नहीं है, ट्रांसफर तो सरकारी नौकरी में हो सकता है। कलक्टर ने अपने चैम्बर में बुलाकर उसको मजबूर किया, दो घंटे तक बैठाये रखा कि तू यह एफ.आई.आर. विथड्रा करता है कि नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष : This is a matter of enquiry. This is a matter of enquiry. आपने कह दिया। माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसने कहा कि मैं एफ.आई.आर. विथड्रा नहीं करता इस कारण से उसका ट्रांसफर किया। सरकारी प्रशासन का दबाव यह है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, This is a matter of enquiry. यही तो कह रहा हूं मैं। इसको किसी दूसरे तरीके से लाइये, हमको कहां एतराज है? मना थोड़े ही कर रहा हूं?

श्री मदन दिलावर : आप मुझे दुबारा अनुमति देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : We are not saying, no. हम इन्कार नहीं कर रहे हैं आप लाइये न इसको। We will take it up. You cann't disturb...

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह कहां है? सवाल यह है कि ये आपत्तिजनक जो साहित्य है जिससे लोगों की भावनाएं भड़कायी जा रही हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है यहां।

श्री देवीसिंह भाटी : देखिये, साहब, जो विषय हमारे सामने आया है, सरकार के सामने आया है उसको तो रोकना दूर...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : जो एक हिम्मत करके एफ.आई.आर. दर्ज कराये उसको दण्डित आप करो वो अलग और उसमें कार्यवाही नहीं हो तो आखिर सरकार की संवेदनशीलता कहां दफन हो गयी है?

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न, कार्यवाही के लिए तो कह दिया सरकार को आपने।

श्री देवीसिंह भाटी : हां, कह दिया ये तो +++ है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार ने सुन लिया।

श्री मदन दिलावर : आप मुझे बाद में अनुमति देंगे?

श्री देवीसिंह भाटी : ये तो +++ हैं, कितना भी कह दो। जब आग लगती है, जब इस प्रकार से दंगे भड़कते हैं तो आप इस बात के लिए लाठियां भाजते हैं। यह नौबत क्यों आने देते हैं?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री केसाराम चौधरी : उपाध्यक्ष... (व्यवधान) आपत्तिजनक है दस्तावेज के सम्बन्ध में। सभी बोल रहे हैं। बोलने दीजिये। क्या हो गया? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री देवीसिंह भाटी : साहब, अगर इतना आपत्तिजनक साहित्य है मामला भड़काने के लिए, तो उसको जब्त करने के लिए आप सरकार को निर्देश दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये, अमरारामजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया, अब आप क्यों बोल रहे हैं? काहे के लिए बोल रहे हैं आप?

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसीलिए बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : What for? No, I will not allow. आप काहे को बोलेंगे इस पर?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों बोलेंगे इस पर, मुझे बताओ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, बात सुनिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, ऐसे नहीं। आप बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे, Where is the end?

श्री देवीसिंह भाटी : यह हाउस की सम्पत्ति है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सब बोल रहे हैं, आप मेरी बात सुनिये।

श्री देवीसिंह भाटी : यह सदन की सम्पत्ति हो गयी है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची पर आप नहीं बोल सकते।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप एक बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची पर आप नहीं बोल सकते।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, पर्ची पर नहीं बोल रहा हूं, मैं एक बात बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : और काहे पर बोल रहे हैं। नहीं, मैं सुनना ही नहीं चाहता। What for? क्या बात क्या है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह एफ.आई.आर. तो विथड्रा हो नहीं सकती।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इस पर नहीं बोलने दूंगा आपको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह एफ.आई.आर. तो विथड्रा हो नहीं सकती। वो तो विथड्रा हो नहीं सकती, एफ.आई.आर. में एफ.आर. लगती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह कोई डिबेट नहीं है, I will not allow. मैं अलाउ कभी नहीं करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह काग्जीनेबल आफेंस है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कभी अलाउ नहीं कर रहा हूं दूसरे माननीय सदस्य को बोलने के लिए नहीं, नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आप अनावश्यक उत्तेजना पैदा कर रहे हैं सदन में। यह गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं अलाउ करूंगा। अंकित नहीं हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न इन्होंने, कार्यवाही नहीं हुई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कहा न इन्होंने।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : और क्या कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं। इन्होंने कहा कि कार्यवाही नहीं हुई तो इन्होंने तो कह दिया कि गवर्नमेंट कार्यवाही करे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्रीमती सुमित्रा सिंह : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप इन्टरवीन क्यों कर रहे हैं, मुझे तो यह बताइये? Why are you intervening in this?

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप और कोई बात हो तो, माननीय सदस्य, कह दें। You cann't intervene. I will not allow. आप बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। माननीय दिलावरजी, आप यह कह दीजिये भले ही कि कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? गवर्नमेंट कराना चाहती है कि नहीं? आप यह कह दीजिये, इसमें क्या बात है? I will allow you. बात खतम हो गयी।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : किताब बन्द करें, आप तो सीधी बात करें।

श्री मदन दिलावर : मैं सीधी बात कर रहा हूं। यह आरोप है। पूरे हमारे ग्रंथों को अपमानित करने वाली और हिन्दुओं के लिए यह कहने वाली इन्होंने गलत तरीके से किताबें छाप कर दी है कि हिन्दू गौमांस खाते थे। यह उनके

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

महापुरुषों ने ग्रंथों में कहा है इसलिए उल्लेख उसमें किया है। इस पर जो एफ.आई.आर. दर्ज करायी है, सागरमल मीणा जो अध्यापक है एक तो उनकी दर्ज एफ.आई.आर. पर कार्यवाही कब तक हो जाएगी? और वह जो दुष्ट लेखक है और वो दुष्ट जो डाक्टर है उस दुष्ट डाक्टर को कब तक गिरफ्तार करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न बात।

डा. रतन लाल जाट : क्या नाम है डाक्टर का?

श्री मदन दिलावर : डाक्टर का नाम उसमें उल्लेख है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं, डाक्टर कोई 5-4 थोड़े ही हैं वहां। 5-4 डाक्टर थोड़े हैं वहां, एक ही होगा।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, अभी बात नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको अलाउ कर दिया न, फिर आप?

श्री मदन दिलावर : इस गम्भीर बात पर सरकार को आश्वासन देना पड़ेगा। यह कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उलटी बात मत करो आप।

श्री मदन दिलावर : भूचाल आ सकता है। राजस्थान में, भूचाल। आपको-हमको बचने के लिए जगह नहीं मिलेगी। सरकार इस बात पर अपना जवाब दे। यह कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मां को मैं गाली दे दूं, आपके धर्मग्रंथों को गाली दे दूं, आपको यह कह दूं कि आप गौमांस खाते हैं, यह आपको अच्छा लगेगा? या इन लोगों के लिए कोई यह कह दे कि ये गौमांस खाते हैं, यह हमको अच्छा लगेगा? गौमाता है, 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास उसमें होता है। गौमूत्र मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं छिड़कने से, जिसके बाद इस प्रकार की चर्चा करना ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये आप। माननीय अमरारामजी।

श्री मदन दिलावर : मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह अरेस्ट होगा या नहीं होगा? कब तक होगा, उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी बात। माननीय अमरारामजी।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ :...(व्यवधान) मंशा रखते हैं कि नहीं? डाक्टर मोहम्मद हुसैन जिसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई है और फारुख खान...

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, प्लीज। अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय अमरारामजी।

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : काहे को? नोट कर लिया न?

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न उन्होंने।

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : हां, गम्भीर है इसीलिए बोलने दिया।

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, गम्भीर है इसीलिए बोलने दिया।

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, गम्भीर है इसीलिए बोलने दिया।

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते क्या हो?

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप यों ही बोलना चाहते हो उसका तो कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : जवाब काहे का दें? कोई जवाब नहीं आता इसमें।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। माननीय अमरारामजी।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब। Please don't...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : हां, हो गयी। यह सारी बात उन्होंने कह दी, आप क्या रिपीट कर रहे हो? सारी कह दी उन्होंने।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब नहीं आता इस पर। नहीं, नहीं आता इस पर। मैं इतनी बार कह चूंका हूं, आप इसको और तरीके से लाइये अगर जवाब चाहते हैं तो। लाइये, जवाब दिलवाएंगे। उसमें क्या बात है।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री हीरासिंह चौहान : XXX

अकाल राहत कार्यों व चयनित परिवारों को वितरण-योग्य गेहूं की खुले बाजार में कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं जहां एक तरफ राजस्थान में भयंकर अकाल है, जहां इस अकाल की मार से कुपोषण के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं, काम के लिए लोग दर-दर भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। सरकार के द्वारा अकाल राहत में काम दिया जा रहा है, और अकाल राहत के काम के अलावा जो बी.पी.एल. के परिवार हैं, चयनित परिवार हैं जिनको सब्सिडाइज्ड रेट पर जो खाद्यान्न गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, उसका नमूना मैं दो नमूने के रूप में आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। अकाल राहत में लगे हुए मजदूरों को मजदूरी के रूप में 75% जो गेहूं दिया जाता है, बी.पी.एल. के परिवार को जो गेहूं दिया जाता है, उन गरीबों तक जो काम पर लगे हुए हैं, काम लगाने के नाम पर बी.पी.एल. के गरीब को मदद के रूप में जो गेहूं जा रहा है वो उन गरीबों तक नहीं पहुंच कर बाजार में क्विंटल-दो क्विंटल नहीं, ट्रकों के रूप में पहुंच रहा है। चित्तौड़ की मण्डी हो, कपासन की क्रय-विक्रय सहकारी समिति हो, उपाध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर की मण्डी हो, चाहे कोटपूतली तमाम जगह ट्रकों के ट्रक पहुंच रहे हैं। यह कोई अकेली एक मण्डी का उदाहरण नहीं है। जो कार्यकारी एजेंसी है, तहसील उसका पेमेंट करती है, डीलर बी.पी.एल. को बांटता है। क्रय-विक्रय सहकारी समिति हैं जो दोनों पकड़ी गई हैं। 80 प्रतिशत थोक सप्लायर के रूप में राजस्थान की क्रय-विक्रय सहकारी समितियां उसके मुख्य एजेंट के रूप में है। ये जो घोटाले हो रहे हैं यह तो एक नमूना है, बाकी बहुत बड़ा हिस्सा जो अकाल सहायता के नाम से गेहूं आ रहा है, बी.पी.एल. के नाम से जो गेहूं आ रहा है वह ब्लैक मार्केट में बाजार में जाकर बिक कर उनके पास नहीं आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, उनका हौसला यहां तक है कि सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उन गोदामों

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अमराराम)

को, जिन पर गेहूं पकड़ा जाए, उनको सील किया जाए, पुलिस का पहरा लगाया जाए, पुलिस के पहरे में उनकी इतनी हिम्मत हो कि पुलिस पहरे के बावजूद भी उन गोदामों की सील और ताले तोड़ने का प्रयास किया जाएं। राजस्थान में ब्लैक मार्केटियर और प्रशासनिक अधिकारी सब मिलकर पूरी तरह से गरीब जनता के हिस्से में आने वाला गेहूं, बी.पी.एल. का गेहूं, अकाल का गेहूं, ट्रकों के ट्रक के रूप में चाहे वह कपासन का गेहूं हो, चाहे चित्तौड़ का, बाजार में बेच रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, तीन ट्रक पकड़े गये, गोदाम सील किया गया। गोदाम की सील को पुलिस की उपस्थिति में तोड़ने का प्रयास हुआ, इन माफियाओं को इतना हौसला बढ़ा हुआ है। यह हौसला तब तक नहीं बढ़ता जब तक सत्ता पक्ष की ओर से उनको प्रश्रय नहीं हो। बानसूर से लाकर कोटपूतली में बेच रहे हैं। हमारे यहां नीमकाथाना में महावा पंचायत के पकड़े गये, रफा-दफा हो गया, आज तक उसका कोई अता-पता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अफसोस है कि यह जो ट्रकों के ट्रक गेहूं मण्डियों में काला बाजारी में जाकर बिक रहा है, यह कोई एक एजेंसी-क्रय-विक्रय सहकारी समिति नहीं है, पूरा का पूरा रैकिट है। उसमें तहसील शामिल है, प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं और जो कार्यकारी एजेंसी है वह शामिल है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये जो 2-3 तथ्य सामने आये हैं, जो ट्रकों के ट्रक ब्लैक हो रहे हैं, उनमें सख्त से सख्त कार्यवाही हो, उच्च स्तरीय पुलिस, सी.आई.डी., सी.बी. के द्वारा जांच हो। यह केवल पुलिस में मुकदमों का सवाल नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। वह गेहूं, जिसकी कालाबाजारी हुई है, उस मुकदमे पर तो एक्शन पुलिस करेगी। लेकिन इस कालाबाजारी में कौन-कौन लोग शामिल हैं? तहसील शामिल है, क्रय-विक्रय सहकारी समिति शामिल है, जो कार्यकारी एजेंसी है, जो काम करा रही है, वह उसमें शामिल है। तहसील उसके कूपन बांटती है, वह उसमें शामिल है। एफ.सी.आई. से जो उठाता है, रसद विभाग उसमें शामिल है। रसद विभाग के बाद जो भी मुख्य एजेंट क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं, वे उसमें शामिल हैं। और इन तमाम को जो प्रश्रय देने वाला है वह उसमें शामिल है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन दो केसों में आप सी.आई.डी.सी.बी. से या प्रशासनिक उच्च अधिकारियों से जांच कराएं कि इस रैकिट में कौन-कौन शामिल हैं। एक उदाहरण के रूप में, पूरे रैकिट में जो शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करके सजा देंगे तो पूरे राजस्थान की साढ़े चार करोड़ जनता जो अकाल से पीड़ित है, जो 21 लाख बी.पी.एल.

(श्री अमराराम)

परिवार हैं, जिनके हिस्से में आने वाला अनुदान ये ब्लैक मार्केटियर बड़े-बड़े अधिकारी मिलकर जो खा रहे हैं, उसको निजात मिल सकेगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन दोनों की उच्च स्तरीय जांच कराएं कि जो इसमें संलिप्त हैं, गरीब का गेहूं जो उनके पेट तक निवाले के रूप में जाना चाहिये उसे छीन कर अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं, उन पर सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है। एक सबक के रूप में आने वाले पांच महीने में राजस्थान में जो भयंकर अकाल का मुकाबला है, वह आने वाला गेहूं, सरकार की राहत उस गरीब के घर तक, उसके पेट तक पहुंचे, इसका इंतजाम करेंगे, यह मुझे सरकार को कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत, श्री मांगीलालजी गरासिया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

गोगुन्दा के धार्मिक पर्यटन स्थलों पर सड़क सुविधा

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के धार्मिक और पर्यटक स्थलों को सड़कों से जोड़ने बाबत माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी एवं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी।

श्री दयाराम परमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण) : उपाध्यक्ष महोदय, उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बिन्दुवार टिप्पणी निम्नानुसार है :-

पलासमा से जरगाजी तक सड़क निर्माण 4 किलोमीटर तहसील गोगुन्दा-पलासमा गांव डामर सड़क पर स्थित है। पलासमा गांव से जरगाजी 7 किलोमीटर लम्बा कच्चा रास्ता है। जरगाजी धार्मिक स्थल है जहां वर्ष में दो बार मेला भरता है। लगभग 10,000 भक्तजन इस मेले में एक बार में आते हैं। इस प्रकार दो बार मेले में 20,000 व वर्ष के अन्य दिनों में भी भक्तजन आते हैं। उक्त धार्मिक स्थल की आदिवासियों द्वारा रामदेवजी स्वरूप भगवान की मान्यता है। यह सड़क किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं है। इस सड़क के निर्माण पर 7 किलोमीटर में लगभग 105 लाख रुपये लागत आएगी।

मजावदा से उबेश्वरजी तक सड़क निर्माण 5 किलोमीटर-दोनों ही गांव पृथक-पृथक डामर सड़कों से पूर्व में ही जुड़े हुए हैं। मजावद से उबेश्वरजी के बीच की लम्बाई 10 किलोमीटर है। उबेश्वरजी धार्मिक स्थल है जहां वर्ष में दो बार मेला लगता है। एक बार में 7,000 भक्तजन आते हैं। इस प्रकार दो बार में 14,000 व वर्ष में अन्य दिनों में 1,000 भक्तजन आते हैं। इस प्रकार वर्ष में 15,000 भक्तजन आते हैं। मजावद से

(श्री दयाराम परमार)

उबेश्वरजी सड़क निर्माण हेतु 120 लाख रुपये की लागत आएगी।

मुख्य सड़क से तिलरवा के लिए 5 किलोमीटर कच्चा रास्ता है। यह आदिवासियों के आराध्य देव भैंरूजी का स्थल है। तिलरवा बावजी स्थान पर वर्ष में दो बार मेले लगते हैं। एक बार में 6,000 भक्तजन आते हैं, इस प्रकार वर्ष में 12,000 व वर्ष के अन्य दिनों में 1,000 भक्तजन आते हैं। इस प्रकार वर्ष में कुल 13,000 भक्तजन आते हैं। इस सड़क का मार्ग वन क्षेत्र में होकर है। इस स्थल के लिए सड़क निर्माण किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं है। इस सड़क निर्माण की अनुमानित लागत 100 लाख रुपये आएगी।

मेवाड़ों का मठ से तिरकेश्वर महादेव तक–डामर सड़क से तिरकेश्वर महादेव तक की कुल लम्बाई 12 किलोमीटर है जिसमें से मेवाड़ों का मठ की डामर सड़क निर्माण के प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज–1–बी में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित कर दिये गये हैं। स्वीकृति अपेक्षित है। इसमें मेवाड़ों का मठ तक 8 किलोमीटर लम्बाई में डामर सड़क का निर्माण उपरोक्तानुसार स्वीकृति उपरान्त सम्भव हो सकेगा। मेवाड़ों का मठ से तिरकेश्वर महादेव तक 4 किलोमीटर कच्चा रास्ता हैं। यह एक धार्मिक स्थल है। इस स्थान पर वर्ष में दो बार मेले लगते हैं व एक बार में 5,000 के लगभग भक्तजन आते हैं। इस प्रकार वर्ष में दो बार में 10,000 भक्तजन दर्शन के लिए आते हैं। शेष 4 किलोमीटर सड़क निर्माण किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं है तथा इसके आगे कोई अन्य गांव भी नहीं है। मेवाड़ों के मठ से तिरकेश्वर महादेवजी तक डामर सड़क निर्माण पर लगभग 60 लाख रुपये की लागत आएगी।

पर्यटन महत्व की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 500 तक की आबादी के सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़े जाने के बाद महत्व दिये जाने पर विचार किया जाएगा। राज्य सरकार की सड़क नीति, 1994 के तहत भी धार्मिक व पर्यटक स्थलों को जोड़ने बाबत प्राथमिकता देना तय किया गया है, परन्तु बड़ी संख्या में 500 व ज्यादा आबादी की सड़कें व पंचायत मुख्यालय भी बिना जुड़े होने व राज्य की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर फिलहाल इन प्रस्तावों पर विचार सम्भव नहीं है।

श्री मांगीलाल गरासिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्याना इसलिए आकर्षित किया कि वास्तव में गोगुन्दा महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली होने के नाते और विशेष तौर से भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो माउण्ट आबू के बाद दूसरा नम्बर हमारे गोगुन्दा का आता है। ऐसी राजतिलक स्थली जहां पर महाराणा प्रताप स्वतंत्रता

(श्री मांगीलाल गरासिया)

संग्राम के नायक के रूप में माने जाते हैं, वंदनीय और तपोभूमि का जो स्थान है वहां पर सड़कों की इस प्रकार की स्थिति होने से पर्यटकों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री महोदय ने बताया कि पलासना से जरगाजी 6 किलोमीटर का स्थान है, 7 किलोमीटर पलासना से जरगाजी का जो स्थान है यहां पर मारवाड़ और मेवाड़ का संगम स्थान है और माउण्ट आबू के बाद दूसरे नम्बर का पहाड़ जरगाजी पड़ता है। यहां पर आपने 10 हजार मेलार्थी और पर्यटकगण आते बताये हैं, यह 10 हजार नहीं है एक लाख एक दर्शनार्थी और पर्यटकगण आते हैं इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि पलासमा से जरगाजी सड़क आवश्यक रूप से जुड़कर पक्की हो, उसका डामरीकरण हो।

दूसरी मजावद से उबेश्वर महादेवजी की जो बात मैंने कही, यहां भी दो बार मेला भरता है वह बहुत ही पौराणिक स्थान है। यहां पर आपने केवल 14,000 बताया है, इसमें मैं निवेदन करूंगा कि 50,000 से कम लोग नहीं आते। यदि यह भी जुड़ जाता है तो सीधा ही 15 किलोमीटर का रेडियस एरिया पार करके उदयपुर से मिल सकते हैं। उधर हमें 32 किलोमीटर का रन करना पड़ता है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसमें पूरा ध्यान दें ताकि हमारा यह हो। मेवाड़ों का मठ तिरकेश्वर महादेव का मामला है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मांगीलाल गरासिया : मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इसलिए थोड़ा निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एकाध सड़क बोल दें तो बना दें, 25 नहीं बनेंगी। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो 15 में से केवल...

श्री उपाध्यक्ष : इम्पोर्टेंट हैं जो बोल दीजिए, जो आप चाहते हैं।

श्री मांगीलाल गरासिया : 15 में से केवल 6 सड़क के लिए निवेदन कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ये 4 सड़कें तो आपके आशीर्वाद से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी घोषणा भी करेंगे और कहेंगे कि वास्तव में बन जाएंगी। मैं निवेदन कर रहा हूं, मेवाड़ों के मठ का जो मामला है, तिरकेश्वर महादेव का जो मामला है। हमारे आदिवासी एरिया का तिरकेश्वर महादेव, यह धार्मिक और संगम स्थान है, यहां पर मंत्री महोदय ने बताया कि कोई गांव नहीं जुड़ता है। मैं आपसे निवेदन करूं कि यहां पर सापा की नाल हमारा रेवेन्यू विलेज है वह यहां से जुड़ता है।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

सापा की नाल रेवेल्यू विलेज तिरकेश्वर महादेव से जुड़ा हुआ है, उससे आगे जब हम पार करते हैं तो भिवाना, मारवाड़ का स्थान जुड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। कच्ची सड़क के रूप में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। बिराजिये।

श्री मांगीलाल गरासिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट के लिए निवेदन करूंगा। तिलरवा मुख्य सड़क से तिलरवा–कोटड़ा यहां भी एक भैंरूजी का स्थान है, यहां पर हजारों पर्यटक और हजारों दर्शनार्थी आते हैं। पूरे ही टाडा क्षेत्र का एरिया जुड़ता है। टाडा क्षेत्र में भी आपके महाराष्ट्र पैटर्न के रूप में हो, टाडा क्षेत्र में पड़ने से यह निवेदन करूंगा कि हमारे दोनों स्थान जुड़ें। आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मेवाड़ों के मठ को जोड़ने के लिए कहा है। यह तो जुड़ेगा, क्योंकि तिरकेश्वर महादेव और ये दोनों ही टाडा में पड़ते हैं और दूसरा मेरे माडा क्षेत्र में पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि आप निश्चित रूप से चारों सड़कों को जोड़कर गोगुन्दा अंचल की तरफ ध्यान देंगे। लास्ट में मेरा निवेदन था, धार्मिक की जहां बात आई है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सड़क की बात कीजिए, धर्म बाद में करना।

श्री मांगीलाल गरासिया : सामने बैठे हुए कई भाई धर्म की रोटियां सेंकने का काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री मांगीलाल गरासिया : यह तो मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इम्पोर्टेंट स्थान है और माननीय मंत्रीजी ध्यान रखकर हमारा उद्धार करेंगे।

श्री दयाराम परमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार सड़कों में एक सड़क 105 लाख रुपये की है, दूसरी 120 लाख रुपये की है, तीसरी 100 लाख की है और चौथी 60 लाख रुपये की है, अगर माननीय सदस्य कोई एक सड़क प्राथमिकता के आधार पर बता दें...

श्री उपाध्यक्ष : यही तो कहा है मैंने। यही तो बताया है, और क्या कहा?

श्री दयाराम परमार : उसको पहले कर दें। इसके लिए सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी कि जल्दी से जल्दी उसका काम किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : अभी बता दो। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया : पहली सड़क पलासना से जरगाजी है वह बनाने के लिए कर दें, मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री दयाराम परमार : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : बात खतम हुई। याचिका का उपस्थापन, श्री कन्हैया लाल, सदस्य, विधान सभा याचिका का उपस्थापन करेंगे। (अनुपस्थित) आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2003-2004 द्वितीय अवस्था अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान। श्री बुलाकीदासजी कल्ला।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

डा. बी. डी. कल्ला (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,84,63,75,000/-(अड़तीस अरब चौरासी करोड़ तिरेसठ लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी। माननीय सदस्य, एक मिनट। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि इस डिमाण्ड का 6 मंत्री उत्तर देंगे और करीब 18 सदस्य बोलने वाले हैं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो यही निवेदन है कि कल की तरह डिमाण्ड पास नहीं करवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रहे हैं?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कल डिमाण्ड पास कराई वैसे नहीं कराएं हुल्लड़ में। (व्यवधान) हम भी कुछ बोलना चाहते थे।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप पर डिपेंड करता है, हाउस किस तरह से चलाना चाहते हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : हम भी कुछ बोलना चाहते थे।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : ये तो आप लोगों के कारनामे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : हम भी कुछ सुझाव देते।

श्री उपाध्यक्ष : अभी से शुरू हो गये, चालू तो होने दीजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : हमारे बहुमूल्य सुझाव...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो अभी से शुरू कर दिया, बिराजिए। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी बात 10 मिनट में समाप्त करें। जो भी पीठासीन माननीय सदस्य होंगे, 10 मिनट में घंटी बजाएंगे, आप तुरन्त बिराजने की कृपा करें। श्री ललित भाटी।

मांग संख्या-24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री अमीन खान (शिव)

1. राज्य के बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में लगातार अध्यापकों की कमी के कारण जनता में भारी असंतोष पर चर्चा के लिए।

2. राज्य के रेगिस्तानी जिले बाड़मेर, जैसलमेर में चार वर्षों से कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को स्थायी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

3. विभाग द्वारा शिक्षा के सम्बन्ध में बाड़मेर जिले में समानीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4. बाड़मेर जिले की उच्च प्राथमिक पाठशाला खारीयाराठौड़ान लकंडीमाली में अध्यापक न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

5. बाड़मेर जिले के गांव देतोनी में सैकण्डरी स्कूल खुलने के बाद भी प्राइमरी स्कूल न खुलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

6. राज्य के बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्टेशन रोड पर प्राचार्य (प्रिंसिपल) का पद 3 वर्षों से रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

7. बाड़मेर जिले में तृतीय, द्वितीय श्रेणी के अध्यापक, व्याख्याताओं, मुख्य अध्यापकों विज्ञान एवं गणित विषय एवं प्राचार्यों के रिक्त पद होने के कारण शिक्षा का स्तर गिरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

8. विभाग द्वारा नैतिक शिक्षा पर बल देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

9. राज्य में विभिन्न स्कूलों में रिक्त शिक्षाविदों के पदों को तुरन्त भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. राज्य में कला व संस्कृति के नष्ट होते स्वरूप को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

11. राजकीय जौहरी उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनूं के नजदीक ही उच्च प्राथमिक विद्यालय होने के उपरान्त भी इसी विद्यालय में छठीं से आठवी कक्षा के विद्यार्थियों को शामिल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

12. राजकीय जौहरी उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनूं जिला नागौर में छात्रों की संख्या के अनुपात के अनुसार अध्यापकों की संख्या नहीं बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

13. ग्राम पंचायत फोगड़ी पंचायत समिति डीडवाना जिला नागौर में खोली गई राजीव गांधी पाठशालाओं में भवन एवं पानी की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

14. माध्यमिक विद्यालय सिलनवाद और हुडास तहसील लाडनूं जिला नागौर में कई वर्षों से प्रधानाध्यापकों व अध्यापकों के पद रिक्त होने से छात्रों की पढ़ाई में हो रही हानि पर चर्चा के लिए।

15. जे.बी. उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनूं जिला नागौर में बन्द की गई संकाय के कर्मचारियों के नाम से फर्जी अनुदान देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

16. जयपुर संग्रहालय की भूतल दीर्घा में राजस्थान की संस्कृति के दिग्दर्शन हेतु जन जातियों के माडल्स तथा त्यौहारों तथा वाद्यों की जो स्वचालित ध्वनि प्रसारण व्यवस्था की गई थी उसे समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

17. स्वीडन और इंग्लैण्ड से मिलने वाली वित्तीय सहयोग के आधार पर राज्य में चलाई जा रही लोक जूम्बिश परियोजना में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताएं होने के सम्बन्ध में दो अलग-अलग जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

18. प्राइमरी शिक्षा का विस्तार किसी भी समाज की आर्थिक, मानसिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक चेतना की परिपक्वता का प्रतीक मानते हुये भी इसके मूल स्वरूप में विसंगतियों के कारण इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से नजर नहीं आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

19. विधान सभा क्षेत्र नगर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

20. दांतारामगढ़ (सीकर) की माध्यमिक शाला में दो साल से प्रधानाध्यापक के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

21. राज्य में शालाओं में अध्यापकों के रिक्त पद होने के कारण शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है तथा शिक्षा का स्तर प्रतिदिन गिरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

22. संस्कृत की शालाओं में अध्यापकों के रिक्त पद होने तथा संस्कृत शिक्षा पर कम धनराशि देने के कारण संस्कृत शिक्षा में हो रही गिरावट पर चर्चा के लिए।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

23. रा. उ. प्रा. बालिका विद्यालय आभावास पं. सं. श्रीमाधोपुर (सीकर) का

(श्री महादेव सिंह)

नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम होने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिए।

24. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय गुहाला (सीकर) में दो साल से प्रधानाध्यापक का पद रिक्त होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना)

25. विभाग द्वारा सिवाना क्षेत्र के विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, व्याख्याताओं एवं व. अ. व अध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

26. विभाग द्वारा झुंझुनूं जिले के ग्राम भुकाना की उच्च प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. झुंझुनूं जिले में सभी स्तर की सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के लम्बे समय से रिक्त पड़े स्थानों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

28. विभाग द्वारा बोनस अंकों के आधार पर शिक्षा विभाग में की गई नियुक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित करने के उपरान्त भी वरीयता के आधार पर नियुक्ति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

29. राजस्थान विश्वविद्यालय में राजकीय धन से सरस्वती मन्दिर का निर्माण एवं उद्घाटन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

30. विभाग द्वारा राज्य में सरकारी विद्यालयों में कम्प्यूटर की व्यवस्था नहीं होने के बाद भी विद्यार्थियों से कम्प्यूटर फीस जबरन वसूलने की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

31. विभाग द्वारा विनोदिनी महाविद्यालय प्रबन्धकों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच होने के बाद भी अग्रिम कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

32. राज्य में विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

33. विभाग द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की रिट 6940/2000 के फैसले को लागू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा)

34. विभाग द्वारा भादरा क्षेत्र के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के नियम विरुद्ध किए गए समानीकरण को निरस्त करवाने एवं रा.उ.मा.वि. डाबड़ी के निलम्बित शिक्षा

(श्री संजीव कुमार)

कर्मचारियों को डाबड़ी चोरी प्रकरण में निर्दोष साबित हो जाने के बावजूद भी अभी तक बहाल नहीं कि जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

35. विभाग द्वारा हनुमानगढ़ जिले के बिहानी राजकीय महाविद्यालय नोहर को स्नातकोत्तर के रूप में क्रमोन्नत करने एवं भादरा में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. विभाग द्वारा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर राजकीय महिला महाविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. विभाग द्वारा भादरा क्षेत्र के विभिन्न उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्राध्यापकों, अध्यापकों एवं अन्य रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. विभाग द्वारा भादरा क्षेत्र के एक मात्र बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गौरादेवी गर्ल्स सीनियर सैकण्डरी स्कूल भादरा में जीव विज्ञान विषय (बायोलाजी संकाय) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

39. जैसलमेर जिले में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

40. विभाग द्वारा जैसलमेर जिले में बालिका शिक्षा के विस्तार हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

41. विभाग द्वारा राजस्थान प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा के विकास हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अरुण सिंह (डीग)

42. विभाग द्वारा शिक्षा निदेशालय को जयपुर स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. राज्य में प्र.अ.मा.शि. में रिक्त पदों एवं स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

44. विभाग द्वारा पैराटीचर्स को स्थायी करने के मापदण्ड बनाये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

45. शिक्षा विभाग में नई भर्ती की योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)

46. विभाग द्वारा राजस्थान में श्री राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के भवन रहित भवनों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. विभाग द्वारा राजस्थान में श्री राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में शिक्षा सहयोगी एवं पैराटीचर्स को तृतीय

(श्री मोहन लाल चौहान)

श्रेणी के अध्यापक मानने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. विभाग द्वारा परबतसर निर्वाचन क्षेत्र में रा.बा.उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. विभाग द्वारा जिला नागौर में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्य, व्याख्याताओं एवं विषय के अध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. विभाग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र नीम का थाना में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नये सब्जेक्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में ढानी पूंछलावाली ग्रा.पं. गोडावास में स्थित राजकीय विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सांवर लाल (भिनाय)

53. विभाग द्वारा राजस्थान के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने में भेदभाव बरतने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

54. विद्यालयों में अध्यापकों/प्राध्यापकों व अन्य पद रिक्त होने के कारण छात्रों को होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा)

55. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा जिला बांसवाड़ा में राजीव गांधी पाठशालाओं में पढ़ने वाले बालकों को खेल एवं पाठ्य सामग्री नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की पं. सं. आनन्दपुरी में द्वितीय चरण में राजीव गांधी पाठशालाओं के चयन प्रक्रिया में भारी अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी)

57. डूंगरपुर जिले के उपखण्ड सीमलवाड़ा में छात्रों का कालेज खुलवाने एवं जिले की प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर रा.उ.प्रा.वि. को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

58. बाली विधान सभा क्षेत्र में बालिका प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई)

59. नदबई विधान सभा क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों हेतु प्रशासनिक दृष्टि से उप–जिला शिक्षा अधिकारी का पद सृजित

(श्री यशवन्त सिंह)

करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. नदबई विधान सभा क्षेत्र की सभी माध्यमिक शिक्षा स्कूलों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. नदबई विधान सभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में अध्यापन कार्य में हो रही उदासीनता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

62. विभाग द्वारा नदबई विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा की कमी को दूर करने हेतु नये कालेज की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. विभाग द्वारा नदबई विधान सभा क्षेत्र के गांवों एवं शहरों में शिक्षा का प्रसार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

64. विभाग द्वारा छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों के अध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. विभाग द्वारा छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों के खेल मैदानों पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. विभाग द्वारा बारां जिले की कला एवं संस्कृति को जिंदा रखने के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. विभाग द्वारा कला एवं संस्कृति की रक्षा के लिये राज्य के सरकारी स्कूलों में वार्षिकोत्सव मनाने हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. विभाग द्वारा कम्प्यूटर-उच्च प्राथमिक स्कूलों से ही शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड)

69. विभाग द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के महिला महाविद्यालयों को आर्थिक अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विभाग द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बहरोड़ में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. विभाग द्वारा स्व वित्त पोषित विषयों को पढ़ाने के लिए गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति में बेरोजगार प्रशिक्षित व. अध्यापकों एवं व्याख्यातों को प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. राज्य में स्व-वित्त पोषित विषयों एवं संकायों के संचालन हेतु विधायक कोष से शाला विकास समिति को राशि दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. विभाग द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय में गत वर्षों में अस्थाई शिक्षकों के चयन में आरक्षित वर्ग को चयनित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी)

74. विधान सभा क्षेत्र बस्सी की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्कूलों में छात्रों के अनुपात में अध्यापकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. बस्सी विधान सभा क्षेत्र के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पी.टी.आई/अध्यापक/व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. विभाग द्वारा रा.सी.हा. सैकण्डरी स्कूल, बस्सी में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

77. राजकीय सी. हा. सैकण्डरी स्कूल (बालकों) बस्सी में विज्ञान संकाय बार-बार मांग के बावजूद भी नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

78. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी में लम्बे समय से बालिका महाविद्यालय की आवश्यकता के बावजूद भी नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)

79. विभाग द्वारा पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ जिला अलवर के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. विभाग द्वारा जवाहर कला केन्द्र का निजीकरण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

82. विभाग द्वारा अलवर में रंगकर्मियों, नाटक, ड्रामों हेतु इंडोर स्टेडियम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. विभाग द्वारा भीलवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किये गये गबन, घोटाला, गड़बड़ियों की जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर)

84. विभाग द्वारा मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम जिन्दौली में माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में तथा ग्राम भातोर में उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. विभाग द्वारा मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2002-2003 में स्कूल क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

87. विभाग द्वारा मुण्डावर सब डिवीजन हैडक्वार्टर होने के बाद भी बालिका माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय (बालिका) में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

88. विभाग द्वारा कातलवास धुणी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर की कला की जीर्ण-क्षीण हालत पर आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. विभाग द्वारा पानोता उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने एवं मुख्य परीक्षा सेंटर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विभाग द्वारा धनला बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. विभाग द्वारा कला एवं सांस्कृतिक धरोहर कोटवाली नाल पर बने हुए किले को गिरने से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. विभाग द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय निपल व प्राथमिक विद्यालय गावाड़ा तथा राडझालरा स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

93 प्रदेश में सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली होने से छात्रों का भविष्य अंधकारमय होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

94. राज्य में नये खोले गये विश्वविद्यालयों को आवश्यकतानुसार राशि आबंटित नहीं करने से विश्वविद्यालयों के अस्तित्व के औचित्य पर चर्चा के लिए।

95. विभाग द्वारा राज्य में कार्यरत राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती के शिक्षा सहयोगी, पैराटीचर्स, डी.पी.एपी. के कार्यरत पैराटीचर्स व अन्य ऐसे अध्यापकों का अमानवीय मानदेय का शोषण करने पर चर्चा के लिए।

96. विभाग द्वारा प्रदेश में ख्याति प्राप्त कलाकारों को प्रोत्साहन नहीं देने एवं अन्य नयी प्रतिभा नहीं तलाशने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी)

97. विभाग द्वारा राजीव गांधी पाठशालाएं भौतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना स्वीकृति जारी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

98. विभाग द्वारा पैराटीचर्स, शिक्षा सहयोगियों की नियुक्ति में किये गये नियम विरुद्ध आदेशों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

99. विभाग द्वारा नये विद्यालय खोलने, क्रमोन्नत करने में भेदभाव बरतने एवं विद्यालयों में रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर)

100. शिक्षित बेरोजगार योग्यताधारी आशार्थियों को विषय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. प्राथमिक विद्यालय मोंक, पंचायत

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

समिति जालौर, प्राथमिक विद्यालय कुड़ाखेड़ा (सुमेरगढ़) रा. प्रा. वि. रामदेव कालोनी, जालोर को रा. उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. विभाग द्वारा रा. उच्च प्राथमिक विद्यालय आलासन एवं रा. उच्च प्राथमिक विद्यालय भागली सिंधलान को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. विभाग द्वारा बी.पी.एल. परिवारों के 8 एवं 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में मानते हुए बेरोजगार भत्ता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. विभाग द्वारा मिडल, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली)

105. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के माध्यमिक विद्यालय, भैसलाना, रामसिंहपुरा, कारोखी को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के विद्यालयों में शिक्षक छात्रों के अनुपात (नार्म्स) के अनुसार न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

107. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र रामपुर (पाली) में कक्षा 6 से 12 तक अत्यधिक छात्र संख्या वाले माध्यमिक विद्यालयों यथा-कुशालपुरा, सैंदड़ा व गिरी को वर्ष 2003 व 2004 में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. विभाग द्वारा राज्य में अनिवार्य शिक्षा लागू करने हेतु आवश्यक कानूनी प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विभाग द्वारा नव क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय गजनाई (खोजन) सीरमा, ओडामगरी, लावाचा, आधेली में पर्याप्त मात्रा में अध्यापकों के पदस्थापन कर अध्ययन कार्य को व्यवस्थित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विभाग द्वारा पाली जिले के माध्यमिक विद्यालय यथा-कानूजा, कानासिया कोटा किराणा, रायराकमो, चिलड, वीजागुड़ा गिरी तथा रामपुरा के विद्यार्थियों हेतु फर्नीचर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

111. विभाग द्वारा राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय कालन्दी में वरिष्ठ अध्यापिकाओं (गणित, विज्ञान व सामान्य) के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. विभाग द्वारा राजकीय माध्यमिक

(श्री हीरासिंह चौहान)

विद्यालय मनादर (जिला सिरोही) में रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

113. राज्य में शिक्षा के गिरते स्तर पर चर्चा के लिए।

114. विभाग द्वारा सिरोही जिले के कैलाश नगर, वराड़ा व मोहब्बत नगर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

115. विभाग द्वारा जवाहर कला केन्द्र जयपुर में कार्यरत कर्मचारी जो स्थिर वेतन पर नियुक्त किये गये थे नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

116. विभाग द्वारा नगर रानी स्टेशन, नाडोल, खौड़ बिजोवा में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. विभाग द्वारा देसूरी विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

118. उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

119. विभाग द्वारा पारल, कानाना और असाडा माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. विभाग द्वारा उच्च प्राथमिक पाठशालाएं चाँदेसरा, सरवडी गिडा जागसा सणतरा औपरेऊ को माध्यमिक पाठशाला में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. राज्य में संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अरुण सिंह (डीग)

122. विभाग द्वारा अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों एवं अध्यापकों के वेतन का भुगतान राजकीय कोष से करवाने एवं उनकी पी.एफ. कटौती 12 प्रतिशत करवाने एवं नियुक्त शिक्षा कर्मियों को चयनित वेतन दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

123. विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा प्रसार करने एवं निजी (प्राइवेट) प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पंजीकरण की अनिवार्यता पर छूट प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र दीगोद जिला कोटा के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री हेमन्त कुमार)

125. विभाग द्वारा कोटा जिले के बड़ौद उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि विषय प्रारम्भ कर ग्रामीण कृषक छात्रों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. विभाग द्वारा कस्बा सांगोद, जिला कोटा में डिग्री कालेज खोलकर गरीब साधनहीन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

127. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. विभाग द्वारा पंचायत समिति दूदू में पर्याप्त स्थानों पर राजीव गांधी पाठशाला खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र दूदू के विद्यालयों में म्यूजिक अध्यापकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र दूदू के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों को अविलम्ब करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र दूदू में प्राथमिक, मिडल, सैकेण्डरी, हायर सैकण्डरी विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित भाटी (अजमेर)

132. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम संचालित नहीं करने एवं संचालित पाठ्यक्रमों का स्वरूप बिगाड़ कर विश्वविद्यालयी शिक्षा को अप्रासंगिक करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

133. विभाग द्वारा अनुदानित शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन व भत्तों का भुगतान राज्य कोषागार से करवाने की स्थायी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

134. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय की अपनी हैण्डबुक व आर्डिनेंस नहीं होने से शैक्षिक एवं वित्तीय अनियमितताएं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

135. कालेज व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देकर गैस्ट फैकल्टी योजना से उत्पन्न विषमता व रोष पर चर्चा के लिए।

136. राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर तथा सावित्री कन्या महाविद्यालय दोनों को एकीकृत कर दोनों महाविद्यालयों

(श्री ललित भाटी)

को संसाधनों एवं अन्य परेशानियों से मुक्ति दिलवाने एवं छात्राओं को शहर के ही मध्य उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु स्थान उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश चन्द पंड्या (बांसवाड़ा)

137. विभाग द्वारा शिक्षा में नैतिक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाने एवं विद्यालय परिसरों और मैदानों को सुरक्षा प्रदान कर अतिक्रमण से बचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

138. विभाग द्वारा उर्दू अकादमी एवं ब्रजभाषा अकादमी के वार्षिक बजट में बढ़ोतरी करने एवं मेवाती भाषा अकादमी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. विभाग द्वारा उर्दू अध्यापकों के रिक्त पद नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

140. विभाग द्वारा जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा आयोजित परीक्षाओं यथा-मोआल्लिम-ए उर्दू (बी.एड.) अदीब-ए कामिल (बी.ए.) अदीब-ए माहिर (इंटर) अदीब-ए अदीब (मैट्रिक) एवं इब्तेदाई (मिडल) तक की समकक्ष मान्यता नहीं देने एवं उक्त डिग्रीधारियों को न्यायालय के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

141. विभाग द्वारा (भरतपुर) के मण्डिया, सेमली, पालका, बेरू में सीनियर सैकण्डरी व तरोडर, पापडा, सेमला, लाड़मका आदि विद्यालयों को सैकण्डरी स्तर तक क्रमोन्नत करने एवं विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर)

142. विभाग द्वारा राजीव गांधी पाठशालाओं के पैराटीचरों को नियमित करने एवं अनुदानित निजी शिक्षण संस्थाओं में रोस्टर प्रणाली लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

143. विभाग द्वारा शिक्षण सुधार एवं शिक्षकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

144. विभाग द्वारा विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती न करने से छात्रों को अध्ययन में हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

145. विभाग द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों को केन्द्र सरकार के समान वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान स्वीकृत न करने से अध्यापकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

146. विभाग द्वारा राज्य में अध्यापकों के स्थानान्तरण नीति के न बनाने एवं शिक्षा सत्र के मध्य अध्यापकों के स्थानान्तरण किये जाने से विद्यार्थियों के अध्ययन में पड़ रहे कुप्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

147. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित योग पाठ्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

148. विभाग द्वारा जयपुर शहर के अनुदानित विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पद रिक्त होने पर भी उन्हें अनुदान देने एवं जिन विद्यालयों का अनुदान रोक दिया है उन्हें अनुदान का भुगतान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

149. विभाग द्वारा रेगिस्तान, आदिवासी क्षेत्र में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक बालक/बालिका शिक्षा सुविधाओं की अतिरिक्त व्यवस्था/सुविधा का प्रावधान नहीं करने से प्रदेश के अन्य जिलों से शिक्षा में पिछड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता)

150. विभाग द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेण का भवन भूकम्प के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाने के बावजूद कोई कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

151. विभाग द्वारा जिला नागौर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेण एवं रियाबडी में जीव विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. विभाग द्वारा जिला नागौर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोकाला गगराना, बग्गड़ को उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दत्ताणी, चावण्डिया कलां, टालनपुर, खेडली, सोगावास, अरनियाला, सथाला कलां को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. राज्य में विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

154. विभाग द्वारा मेड़ता सिटी में महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेशानुसार गागर में सागर भरने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन शिक्षा जैसे विषद् मामले में 10 मिनट में कुछ कहा जाए, इतनी विद्वता मेरे पास...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यही तो तारीफ है।

श्री ललित भाटी : इतनी विद्वता

(श्री ललित भाटी)

मैंने अभी हासिल नहीं की है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। शिक्षा की मांग यहां पर शिक्षा मंत्री महोदय ने रखी।

(13.46 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

कल्ला साहब, मेरी बात लार्ड मैकाले से शुरू करना चाहता हूं। भारत को लार्ड मैकाले की दी गई...(व्यवधान) लार्ड मैकाले के भूत से स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस देश को मुक्ति दिलाई। नई शिक्षा नीति उन्होंने हमारे देश के सामने रखी, देश को दी। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : भाटीजी, मैं व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहता। (व्यवधान)

श्री सभापति : इनके 10 मिनट क्यों ले रहे हो? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सभापतिजी, शिक्षा के मामले को लेकर मैकाले के भूत से राजीव गांधीजी ने मुक्ति दिलाई, मैं सोचता हूं आपके मुंह से यह उपयुक्त नहीं लगता, क्योंकि शिक्षा तो, जब से देश आजाद हुआ है, जवाहरलाल नेहरूजी ने क्या किया था? जितने भी राष्ट्र के बड़े-बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने 40 साल भट्टी झोंकी थी इस देश के लिए? प्लीज थोड़ी तो कृपा कीजिए, हाउस में बोल रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : मैं हाउस के अन्दर बहुत सोच-समझकर बोलता हूं और मैं मेरी बात पर अभी भी स्टैण्ड कर रहा हूं। सभापति महोदय, हमारे दूसरे भी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने भी शिक्षा के ऊपर काम किया, मगर शिक्षा का स्वरूप बदलने की जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, सिर्फ भावार्थ को समझने की आवश्यकता है। हम सिर्फ अर्थों को पकड़ कर बैठ जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। माननीय सदस्य, मैं जो कहना चाहता था वह यह कि जो शिक्षा का स्वरूप चलता आ रहा था उस शिक्षा के स्वरूप को बदलने का बड़ा साहसिक काम अगर इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने किया तो उसके लिये राजीव गांधी हमेशा याद किये जाएंगे। नयी शिक्षा नीति संसद के अन्दर देश के शिक्षकों के ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए पेश की गयी थी उसके बाद पूरे देश के अन्दर परम्परावादी शिक्षा में परिवर्तन आया, जिसके रेफरेंस में मैंने लार्ड मैकाले की बात की। उसके बाद में पूरे देश के अन्दर और इसके साथ-साथ हमारे राजस्थान के अन्दर शिक्षा के अन्दर हमने उत्तरोत्तर तरक्की की है। 1991 के अन्दर हमारा जो साक्षरता का प्रतिशत 38.55 था वह 2001 में 61.03 प्रतिशत हो गया। और वह भी किन परिस्थितियों में? सभापति महोदय, राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखिये, हमारे यहां पर आबादी दूर-दूर फैली हुई है, बिखराव के अन्दर है।

(श्री ललित भाटी)

हम यहां बराबर संसाधनों की कमी की बात करते रहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं हैं। अकाल की मार हमारा प्रदेश झेल रहा है। उसके बाद हमने इतना प्रतिशत अचीव किया है तो मैं उसके लिये सरकार को बधाई और साधुवाद दोनों प्रेषित करता हूं, शिक्षा और साक्षरता दोनों का वातावरण प्रदेश में अच्छा बनाने के लिये इन 4 सालों के अन्दर बहुत बढ़िया काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने तो शिक्षा को तिजारत बनाकर घिनौना काम किया था कि जब तलक लोग पैसा नही देवें, वहां पर न तो उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा, न माध्यमिक विद्यालय होगा, न मिडल स्कूल होगा। शिक्षा की तिजारत का जो उदाहरण पूर्व सरकार पेश करके गयी है, मैं सोचता हूं कि उसको राजस्थान के इतिहास के अन्दर हमेशा एक काले अध्याय के रूप में देखा जाएगा। उस अध्याय का समापन किया है कांग्रेस की सरकार ने, अशोकजी के नेतृत्व वाली सरकार ने। क्षेत्र की जितनी आवश्यकता थी, लोगों की जितनी मांग थी उसको हिसाब से भरपूर मात्रा में पिछले 4 सालों के अन्दर नये स्कूल खोले हैं, हमने स्कूलों को क्रमोन्नत किया है, हमने कालेजों को खोला है। हमने तकनीकी शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दिया है। जिस भी तरह से राजस्थान के अभिभावकों को लाभ पहुंचे। नहीं तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिये राजस्थान के विद्यार्थियों को दूसरे प्रदेशों के अन्दर जाना पड़ता था और अभिभावकों की जेब के ऊपर जबरदस्त आर्थिक भार पड़ता था। उन तमाम चीजों के ऊपर जो क्रान्तिकारी निर्णय इस सरकार ने किये हैं, निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं।

आज उच्च शिक्षा और रोजगार राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुके हैं। हम लोगों को सिर्फ शिक्षित करें और उनको रोजगार उपलब्ध नहीं हो तो उस शिक्षा का आज समाज के अन्दर कोई स्थान नहीं है। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे राज्य के अन्दर शिक्षा का माहौल बढ़िया हुआ है, उसी हिसाब से सामाजिक परिणाम भी हमको प्राप्त होने चाहिए। आज हम यूनिवर्सिटीज को देखें तो वे सिर्फ डिग्री डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर रही हैं। लोग अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा पास करके, डिग्रियां लेकर सड़कों के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन उनको रोजगार उपलब्ध नहीं है। ये यूनिवर्सिटीज डिग्री डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में नहीं रह जाएं, इसके लिए जो आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट

(श्री ललित भाटी)

ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको उनमें समय के साथ में परिवर्तन करना चाहिए। जिस प्रकार राजीवजी ने वक्त की बात को पहचानते हुए, वक्त की नजाकत को देखते हुए शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन का प्रयास किया और उसके अच्छे परिणाम पूरे देश में मिले, उसी तरीके से राजस्थान के अन्दर प्रयास होने चाहिए। जो भी नार्मल हमारा पैटर्न रहा है कि यूनिवर्सिटीज भी डिग्री कोर्सेज को पढ़ाएंगी, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज को पढ़ाएंगी, इनसे अब आप हटा दीजिए। कालेजों और यूनिवर्सिटीज के अन्दर आपको सिर्फ जॉब ओरियंटेड कोर्सेज की शिक्षा देनी चाहिए। इन सारे कोर्सेज की डिस्टेंस लर्निंग के हिसाब से या तो एक अलग यूनिवर्सिटी बना दें। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी जिसका नाम अभी हमने बदलकर श्री वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय रख दिया है, आप या तो यह सारा का सारा भार उनको दे दीजिए। ऐसा कई प्रान्तों ने लागू कर दिया है राजस्थान अभी इस मामले के अन्दर पिछड़ रहा है। हम उसी परिपाटी के ऊपर चले आ रहे हैं। जो कोर्सेज यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही हैं वही आपके डिग्री कालेजेज के अन्दर हो रहा है, वही आपके पोस्ट ग्रेजुएट कालेजेज के अन्दर हो रहा है। मैं आपको हमारी एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी का उदाहरण देना चाहता हूं, एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी जिन कोर्सेज को चला रही है, जैसे एम.ए. इकोनोमिक्स की मैं आपसे बात करता हूं, यह गवर्नमेंट कालेज के अन्दर भी है, दयानन्द कालेज के अन्दर भी है। एम.ए. पोलिटिकल साइंस को आप लीजिए, यह जी.सी.ए. में भी है और दयानन्द कालेज के अन्दर भी है। एम. काम. है, बोटनी है, जूलोजी है, इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बहुत सारे कालेजों में एक साथ पढ़ाये जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाये जा रहे हैं। और परिस्थितियां ये हो गयी हैं कि वहां जो सीटें आपने उनके लिये रखी हुई हैं वे सीटें वेकेंट रह रही हैं और हम वही परम्परावादी डिग्री देकर छात्रों को सड़कों के ऊपर खड़ा करते रह रहे हैं।

हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी ने यह सेहरा बांधने की कोशिश की थी। उन्होंने देश के नौजवानों को यह सपना दिखाया था कि वह एक करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। मगर मैं सोचता हूं कि इस शिक्षा पद्धति के चलते हुए आज उनकी भी विवशता रही है कि देश के नौजवानों को एक करोड़ रोजगार के अवसर मुहैया कराने में कहीं भी उदाहरण पेश नहीं कर पा रहे हैं। कहीं भी नौजवानों को यह नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्रीजी ने कहा,

(श्री ललित भाटी)

भारत सरकार ने कहा तो हमारे को रोजगार मिल जाएंगे। इसलिये मैं, मंत्री महोदय, आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बेरोजगारों की संख्या के अन्दर वृद्धि होती चली जा रही है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी परम्परा के अनुसार जो कोर्सेज चलाते आ रहे हैं उसके अन्दर आपको सोचना पड़ेगा। जो वक्त के साथ निर्णय करते हैं, जनता उनके पीछे खड़ी नजर आती है। हमारे सामने जो लोग विराजमान हैं इन्होंने इस तरीके के कोई निर्णय नहीं किये। इन्होंने शिक्षा की तिजारत की, इसलिये आज वे वहां पर बैठे हुए हैं। हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उन अच्छे कामों के अन्दर और बढ़ते हुए प्रयास हम करें।

वक्त की नजाकत को पहचान कर जिस तरीके से मैंने निवेदन किया, आप जाब ओरियंटेड कोर्सेज चलाइये। जाब ओरियंटेड कोर्स, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं वे इस तरीके के हों कि हमारी जो ग्रामीण और एग्रो बेस्ड पोटेंशियल है वह गांव के अन्दर खपे, सारे लोगों को रोजगार अवसर मिले। वह सिर्फ शहरों के अन्दर ही नजर आए, इस तरीके की अगर हमारे यहां शिक्षा होगी तो उससे शहरों के अन्दर भार बढ़ेगा और उससे हमारे शहर और ग्राम का जो संतुलन है वह असंतुलन बिगड़ेगा। आवश्यकता इस बात की है, मैं कुछ सजैस्ट कर सकता हूं आपको कि फैशन डिजाइन आज के जमाने की बहुत बड़ी डिमाण्ड है। उसके अन्दर बहुत बड़ा सैक्टर खुला है। फैशन डिजाइनिंग और क्लोथिंग टैक्नोलोजी के अन्दर आप कर सकते हैं। निटवियर डिजाइनिंग और टैक्नोलोजी के अन्दर आप कर सकते हैं। सुइंग मशीन आपरेटर्स के कोर्सेज को आप चला सकते हैं। शू–डिजाइनिंग और पैटर्न कटिंग के आप इसके अन्दर काम कर सकते हैं। फुटवियर मैन्यूफैक्चरिंग के कर सकते हैं। लैदर गुड्स के अन्दर अपन कर सकते हैं। प्लास्टिक मोल्डिंग इण्डस्ट्री, सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा सैक्टर उभर कर सामने आ रहा है। इसके अन्दर बहुत गुंजाइश है लोगों को नौकरियां प्राप्त होने की। प्लास्टिक मोल्डिंग के ऊपर यहां कोर्सेज शुरू किये जाने चाहिए। सिरेमिक जो टैक्नोलोजी है, हमारे अजमेर की मैं बात करना चाहता हूं, सभापति महोदय, 90 प्रतिशत रा–मटीरियल सिरेमिक इण्टस्ट्रीज के लिये अजमेर जिला सप्लाई करता है। मगर सरकार ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वहां उसको डवलप करने के लिये अगर कोई इण्डस्ट्री हो और वहां इस तरीके की लोगों को एजुकेशन अवेलेबल हो तो हम वहां के लोगों को वहीं पर रोजगार उपलब्ध करवा देंगे। हमें इस तरीके की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको सैक्टोरियल डिजानिंग तैयार करनी पड़ेगी कि राजस्थान के किस एरिये की

(श्री ललित भाटी)

क्या डिमाण्ड है और वहां किस तरीके के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं वहां पर उस तरीके के पाठ्यक्रमों का संचालन करिए। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। ज्वैलरी डिजाइनिंग की बात है, पोलीमर टैक्नोलोजी की बात है, प्रिंट, फिनिशिंग और पैकेजिंग की बात है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं ओरियंटेशन के अन्दर कि जो छात्र–छात्राएं पढ़कर आते हैं उनको सीधे रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। तो मेरा यह कहना है कि सरकार जितने भी अपने संसाधन हैं उन संसाधनों को सिर्फ बेसिक एजुकेशन के ऊपर खर्च करे। हायर एजुकेशन के ऊपर हम अपनी नीति के अन्दर थोड़ा बदलाव लेकर आवें और जिस तरह से मैंने निवदेन किया है उसमें आप यह करें।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, हमने बहुत से इंजीनियरिंग कालेज खोल दिये राजस्थान के अन्दर, अब आवश्यकता इस बात की है कि हमारी एक टैक्निकल यूनिवर्सिटी अलग से हो। प्रबन्ध अभियांत्रिकी की बात है, नगर नियोजन की बात है, भवन निर्माण की बात है, फार्मेसी प्रौद्योगिकी की बात है और कई प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्स हैं, उन तमाम चीजों को आप टैक्निकल एजुकेशन और टैक्निकल यूनिवर्सिटी के अण्डर कर दीजिए। अभी आपने सभी तरीके से खिचड़ी चला रखी है कि एम.डी.एस. के कंट्रोल में भी है जयपुर यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में भी है और ओपन यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में भी है। अलग–अलग तरीके से जो सामने खिचड़ी बनाकर राजस्थान के लोगों के सामने पेश की है, मैं चाहता हूं कि उसमें आप इसी तरीके से करें।

(14.00 बजे)

एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी के बारे में, माननीय सभापति महोदय, मैं बड़े अफसोस के साथ इस सदन के अन्दर कहना चाहता हूं, जब हमने यह कल्पना की थी और तीन यूनिवर्सिटी उस साल के अन्दर जब बनाई गई थी तब यह कल्पना नहीं थी कि हमारे को आगे पछताना पड़ेगा। एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी बनने के बाद भी आज हमारे को सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। शिक्षा का स्वरूप बिगाड़ने के अन्दर जितना उस विश्वविद्यालय का रौल नजर आ रहा है, जितनी उनकी भूमिका नजर आ रही है, मैं सोचता हूं कि उसको देखकर सर शर्म से नीचे होता है। 18 साल हो गये, 18 साल हो जाने के बावजूद भी अब तक इनका आर्डिनेंस नहीं बना है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के आर्डिनेंस को उन्होंने अपनी मैनेजमेंट कमेटी के अन्तर्गत सिर्फ इस बात से एंडोर्स किया हुआ है कि जब तक हम अपना आर्डिनेंस नहीं बना लेते, अपना एक्ट नहीं बना लेते, तब तक हम इससे

(श्री ललित भाटी)

काम चलाएंगे। यह काम चलाऊ महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय हो गया। 18 साल से सिर्फ इसी से काम चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय, इस बात के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि उनकी अपनी एक हैंडबुक हो, उनके अपने रूल्स हों। इनके अभाव में जिस तरीके से खुला स्वछंद विचरण किया जा रहा है वाइस चांसलर के द्वारा, वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। वक्त-वक्त के ऊपर वह सब आपके नोटिस में भी आया है। गर्वनर साहब के पास भी इस बात की शिकायतें पहुंची हैं। इस सदन के अन्दर भी अनेक बार आवाजें उठी हैं, मगर अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री ललित भाटी : मैं बिलकुल तेजी के साथ, कनक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट आपके चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे स्टेट्यूट्स का उसके अन्दर उल्लंघन हो रहा है। अगर आप मुझे इजाजत देंगे या अगर मुझे यहां पर बोलने की इजाजत नहीं दी जाए तो मैं लिखकर मंत्री महोदय को दे दूंगा, सभापति महोदय, वहां पर सूरतनाम कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी ने नये वेतनमान और भत्ते देने की बात लागू कर दी। जबकि एक सीधी-सीधी-सी बात है, द राजस्थान रैगुलेशन आफ अपाइंटमेंट्स टू पब्लिक सर्विसेज एण्ड रेशनलाइजेशन आफ स्टाफ एक्ट 1999 प्रोविजंस हैं, सभापति महोदय, कि यूनिवर्सिटी भी बगैर राज्य सरकार की अनुमति के किसी भी प्रकार के वित्तीय भार को लागू नहीं कर सकती है। न कोई नये वेतनमान दे सकती है, न कोई भत्ते दे सकती है। इसके अन्दर लिखा हुआ है लोकल अथोरिटी और उसकी डेफिनिशन के अन्दर यूनिवर्सिटी को शामिल किया हुआ है। इसलिए, मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सूरतनाम कमेटी 17.5.2002 को, इसके अन्दर इन्होंने कैरियर एडवांसमेंट की स्कीम्स को ले लो, उनकी वेतन वृद्धियों को ले लो, उनके भत्तों को ले लो, इन्होंने अनाप-शनाप, जिनका तुष्टिकरण करना चाहिए था उन सबके तुष्टिकरण को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले लिया और उसको लागू भी कर दिया। राज्य सरकार की खुली अवहेलना करके यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी करे, अपने मर्जीदानों को आब्लाइज करे, इस तरीके से हम राजस्थान की जो आने वाली पीढ़ी है उसको किस तरह की शिक्षा का वातावरण देना चाहते हैं, इसके ऊपर बहुत गम्भीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, कालेज शिक्षकों की, यूनिवर्सिटी शिक्षकों की आचार संहिता भी लागू की जानी चाहिए। आज आचार

(श्री ललित भाटी)

संहिता नहीं होने की वजह से, मंत्री महोदय, हो क्या रहा है? राजस्थान के अन्दर ट्यूशनखोरी की आदतें बढ़ रही हैं। आपने इनका वार्षिक कार्य-मूल्यांकन लागू किया हुआ नहीं है, तो इनका वार्षिक कार्य मूल्यांकन हो, उसके बाद में इनके वेतनमान की बातें हैं, जो सीधी जुड़ी हुई हैं यू.जी.सी. से, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी के अन्दर एक मिस्टर वी. पी. सारस्वत है, कोड आफ कंडक्ट नहीं होने की वजह से, और फैकल्टी में अपने डिपार्टमेंट के अकेले अध्यापक हैं। सभापति महोदय, जितने भी छात्र वहां पर हैं, उन छात्रों की पढ़ाई का हर्जा आज किसलिए हो रहा है? कि इन्होंने एक अभी मिशन चला रखा है। बजरंग दल के वे प्रान्तीय अधिकारी हैं। कोड आफ कंडक्ट नहीं होने की वजह से आप उनको रोक नहीं सकते और वे त्रिशूल दीक्षा के लिए हर जगह पर तोगड़ियाजी के साथ घूमते फिर रहे हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। शिक्षकों को या तो आप यह कर दें कि उन्हें अगर कोई गैर राजनीतिक संगठन में...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : तोगड़ियाजी के साथ घूमते हैं तो इसमें आपत्तिजनक क्या है?

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : मैं यह पूछना चाह रहा हूं माननीय सदस्य से कि तोगड़ियाजी का मित्र होना, तोगड़ियाजी के साथ घूमना आपत्तिजनक है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप कब बिराजेंगे? आप बिराजिये। माननीय सदस्य, बिराजिये। अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, बिराजिये। बिराजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री सभापति : मेरी बात सुन लीजिए। आप बिराजिये। मेरी बात सुन लीजिए, बिराजिये।

श्री रामलाल गुर्जर : XXX

श्री सभापति : बिराजिये आप। माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री रामलाल गुर्जर : XXX

श्री ललित भाटी : मैं यह कह रहा हूं कि तोगड़ियाजी का, सारस्वतजी का, आपका, तीनों का...(व्यवधान) आपत्तिजनक है आचार संहिता का नहीं होना।

श्री सभापति : अंकित नहीं हो रहा है।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामलाल गुर्जर : XXX

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री ललित भाटी : आचार संहिता नहीं होने की वजह से...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय दिलावर साहब।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री सभापति : आप बिराज जाओ। (व्यवधान) आप बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री रामलाल गुर्जर : XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री ललित भाटी : पैसा कहां से आया? यह राजस्थान सरकार का पैसा है, यू.जी.सी. ग्रांट का पैसा है, उस पैसे का...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री सभापति : नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप बिराजिये।

श्री ललित भाटी : उस पैसे को त्रिशूल की दीक्षाएं देने के अन्दर उनको दिया जाता है कि वह छात्रों को त्रिशूल प्रदान करें? (व्यवधान)

श्री सभापति : भाटी साहब, आप अपनी बात कहिये। इनकी बात का जवाब मत दीजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री सभापति : आप बिराजिये। बिराजिये। कितनी मधुर भाषा में आपसे निवेदन कर रहा हूं फिर भी नहीं, आप बिराजिये।

श्री ललित भाटी : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कालेज शिक्षक और विश्वविद्यालय शिक्षक हैं, वेतन उन्हें दिया जाता है कि शिक्षा प्रदान करें छात्रों को। वेतन लेवें और त्रिशूल दीक्षा का वितरण करें, त्रिशूल दीक्षा के समारोह के अन्दर जाएं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इससे राज्य के छात्रों को जो नुकसान हो रहा है, मैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि अगर कालेज शिक्षकों की, यूनिवर्सिटी शिक्षकों की आचरण-संहिता लागू की हुई होती तो...

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, त्रिशूल के सिवाय माननीय सदस्य को कुछ नजर नहीं आ रहा है, मैं तो कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ही त्रिशूल धारण कर लें तो समस्या ही नहीं रहेगी।

श्री ललित भाटी : त्रिशूल तो शिव और शक्ति के अलावा किसी ने धारण ही नहीं किया है। (व्यवधान)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : भाटी साहब, इनकी बात का जवाब मत दो, आप तो अपनी बात करो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : त्रिशूल ही तो है, श्रीमान्, जो...(व्यवधान)

श्री ललित भाटी : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि जो कालेज शिक्षक और विश्वविद्यालय शिक्षक हैं उनकी आचरण संहिता लागू की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से अवसरों का समय आ गया है, अपर्चुनिटी जहां पर अच्छी होती है, लोग वहां पर जाते हैं। जहां पर अच्छा माहौल होता है लोग वहां पर जाते हैं। मैं समाप्त करने की पूरी तैयारी कर रहा हूं, सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के अन्दर जो उच्च शिक्षा का एक वातावरण बनना शुरू हुआ है, उस वातावरण में कोई बिगाड़ नहीं आ जाए, उसमें कोई कमी नहीं रह जाए। हमारे सीमावर्ती प्रदेश गुजरात के अन्दर कालेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 बढ़ाकर कर दी गई है। वहां पर उनको नये वेतनमान और भत्ते देने की बात की गई है। इस आपाधापी के युग में अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए आदमी को जहां पर बेहतर अवसर मिलेंगे वह वहां पर जाएगा। इससे पलायन की स्थिति नहीं बन जाए कि आपके यहां पर जो आप प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों को सिर्फ इस वजह से करारा झटका लगे कि जो हमारे सीमावर्ती प्रदेश हैं, वहां वातावरण अच्छा है इसलिए शिक्षक वहां पर जा रहे हैं। यहां आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप कर लेने के बाद में केवल शिक्षकों की कमी की वजह से प्रदेश के छात्रों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाएं, इस दिशा के अन्दर भी आप देखें। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब मैं भी निवेदन कर रहा हूं, आप बिराजिये।

श्री ललित भाटी : अब दो मिनट में मेरी बात ही समाप्त कर देता हूं।

श्री सभापति : दो-दो मिनट तो बहुत हो गये।

श्री ललित भाटी : नहीं, बस दो मिनट के अन्दर मेरे कट मोशन के ऊपर बोल देता हूं। सभापति महोदय, वैसे तो मैंने अर्ज किया था कि इतना बोलने के लिए दस मिनट का समय कम है।

सभापति महोदय, बालिका शिक्षा को राजस्थान के अन्दर हम बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने यह बात वैसे नियम 295 के माध्यम से भी उठाई थी कि राजकीय माडल बालिका माध्यमिक विद्यालय अजमेर के

(श्री ललित भाटी)

अन्दर है, इसमें करीब 600 बच्चियां पढ़ती हैं। 95 और 96 परसेंट उसके अन्दर एस.टी., एस.सी. और माइनोरिटी की बच्चियां हैं, आज उस स्कूल भवन के ऊपर संकट आ खड़ा हुआ है। उस स्कूल भवन को अवाप्त करने की बात है, किराये की बिल्डिंग के अन्दर वह चल रहा है। राज्य सरकार उसके ऊपर पहल करे। हमने पहले भी उसके ऊपर बात की है। नहीं तो आप एक तरफ तो प्रयास कर रहे हैं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और दूसरी तरफ 30 जून के बाद 600 बच्चियों के ऊपर संकट आएगा क्योंकि दो किलोमीटर के रेडियस के अन्दर कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाने की उनकी स्थिति नहीं है क्योंकि सब अल्प आय वर्ग के लोग हैं। आप उस निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर जा चुके हैं, वहां पर मुड्डागंज का इलाका दरगाह से पहले जो पड़ता है, उस इलाके की 80 परसेंट बच्चियां हैं, सब मुड्डा बनाने का काम करते हैं। मुड्डा उद्योग पर वैसे ही संकट आया हुआ है। वे सरकारी स्कूलों के अन्दर अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, तो इसको आप देखकर इस पर ध्यान करें।

एक कालेज एजुकेशन पर बड़ा संकट आया हुआ है। सावित्री कालेज और गर्ल्स गवर्नमेंट कालेज, इन दोनों के ऊपर मैंने अपना कटौती प्रस्ताव यह रखा है कि आप इन दोनों का विलय कर दीजिये। सावित्री कालेज के ऊपर तनखाह बांटने का संकट है, उनके ऊपर मैनेजमेंट का संकट है। अजमेर में बच्चियों को पढ़ने के लिये कोई बिल्डिंग अवेलेबल नहीं है। गर्वनमेंट कालेज बायज है, उसके बायज होस्टल के अन्दर जो खाली पड़ा हुआ है, कबूतरनुमा कमरे हैं छोटे-छोटे, उस पिजन हाल के अन्दर बच्चियों को बैठकर पढ़ना पड़ता है। कोई वातावरण नहीं है, कोई वहां का माहौल नहीं है, उसके अन्दर वे पढ़ रही हैं। आपको करोड़ों रुपये की सम्पत्ति मिलेगी। माननीय मंत्री महोदय, जो बिल्डिंग है, जो असैट है सावित्री कालेज के पास, वह आपको मिलेगी। आपके ऊपर कोई वित्तीय भार पड़ने वाला नहीं है। आप इसके अन्दर प्रयास करिये कि दोनों कालेज को मिला दें जो शहर के बीचों-बीच में है। अभी गवर्नमेंट कालेज

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अजमेर जो गर्ल्स का है, उसको शहर के बाहर जमीन का अलाटमेंट हुआ है। जमीन की बाउंड्रीवाल बनाने के लिये भी पैसा नहीं है, बिल्डिंग बनाना तो दूर की बात है। हर अभिभावक की चिन्ता अपनी बच्चियों को लेकर लड़कों से ज्यादा होती है, तो शहर के बीच में एक बिल्डिंग मिलेगी, एक माहौल मिलेगा। इस काम को आप आसानी के साथ कर सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री ललित भाटी)

मैं, सभापति महोदय, एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि जो अनुदानित शिक्षाकर्मी हैं, जो अनुदानित शिक्षा स्कूल के अन्दर चल रहे हैं, उनके भी वेतन और पी.एफ. को लेकर बड़े झगड़े हैं। आप पी.एफ. के मामले तो सुलटाते रहना, मगर उनके वेतन और भत्तों की व्यवस्था करावें। आप इसको दिखवाइये, मंत्री महोदय, कि किसी तरह से राजकीय कोषागार के माध्यम से उनको भी पेमेंट मिलने लग जाए। उसमें अनुदान देने में राज्य के ऊपर भार कम पड़ेगा, क्योंकि उनकी फीस का कलेक्शन हो रहा है जो आपके नोटिस के अन्दर नहीं है। वह ट्रैजरी के अन्दर फीस जमा होती है, उस आधार पर राजकोष के ऊपर अनुदान से जो भार आता है उस भार में भी बहुत कमी आएगी।

श्री सभापति : माननीय डा. रतन लाल जाट।

श्री ललित भाटी : माननीय सभापति महोदय, अन्तिम रूप से मेरी बात, कुछ बेरोजगारों के लिये आपने जो गैस्ट फैकल्टी शुरू की है। अन्तिम वाक्य है, मैं बेरोजगार लोगों के लिये कुछ कहना चाहता हूं। गैस्ट फैकल्टी कालेज एजुकेशन के अन्दर शुरू की गयी है, आर.पी.एस.सी. ने जो इंटरव्यू लिये थे उन इंटरव्यूज में उन्होंने एक आरक्षित सूची रखी थी। आप गैस्ट फैकल्टी तो लागू कर रहे हैं, उसके अन्दर उन आरक्षित सूची वाले लड़कों को अगर आप पहले अवसर प्रदान कर देंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि आरक्षित सूची में आने के बावजूद भी वे बेरोजगार के बेरोजगार हैं और जो लोग बाहर की लिस्ट में हैं वे गैस्ट फैकल्टी के अन्दर जाकर अपने ताल्लुकात से नौकरी प्राप्त कर लेते हैं।

श्री सभापति : अब बिराजें।

श्री ललित भाटी : मैं सोचता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं इनके ऊपर आप विचार करेंगे। आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री सभापति : माननीय डा. रतन लाल जाट।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 24–शिक्षा, कला और संस्कृति पर आपकी आज्ञा से अपने विचार इस सदन में पेश करना चाहूंगा। वास्तव में हमारे उपाध्यक्षजी ने जब इस मांग पर चर्चा शुरू हुई, और माननीय भाटी साहब ने शुरूआत की, तो कहा था कि आज इस मांग पर लगभग छह मंत्री अपना जवाब देने वाले हैं। यानि एक-एक मंत्री के बारे में अगर हम बात करें तो डेढ़ मिनट भी नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरा, सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि मांग बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए पर्याप्त समय इसमें दिया जाए।

(डा. रतन लाल जाट)

शिक्षा के बारे में जो बात कही गयी थी, स्वामी विवेकानन्दजी ने इसके बारे में कहा है, "मनुष्य की अन्तर्निहित गुणवत्ता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।" प्राचीनकाल से ही हमारे देश में ऋषि-मुनियों के आश्रमों में, मठों में और मुस्लिमकाल में मदरसों में गुरु-शिष्यों की, शिक्षा सदैव एक पवित्र और पुण्य कार्य रही है। गुरु-शिष्य की परम्परा से ही खास तौर पर हमारे देश के बारे में यह है कि भारतवर्ष जगत्गुरु रहा है। "सा विद्याया विमुक्तये"-गुरु और शिष्य के सम्बन्ध में गुरुब्रह्मा, गुरुविष्णु गुरु देवो महेश्वरः की एक अवधारणा हमारे देश में रही है। लेकिन सबसे बड़ी कमी इस देश में यह रही है कि यहां सार्वजनिक शिक्षा का अभाव रहा है। शिक्षा पहले शासक वर्ग और सम्भ्रान्त वर्ग के लोग ही प्राप्त कर सकते थे, बहुजन के लिये शिक्षा के द्वार करीब-करीब बंद थे। लार्ड मैकाले की बात कही गयी, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान जो शिक्षा पद्धति उन्होंने डवलप की थी, वास्तव में दुर्भाग्य की स्थिति है कि वह पद्धति शिक्षा और संस्कृति को इस देश में विखण्डित करने का एक प्रमुख औजार सिद्ध हुई। जब देश आजाद हुआ उस समय से सामान्य जन के मन में एक बहुत बड़ी भावना थी कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान के साथ हमारी मौलिक आवश्यकता की पूर्ति शिक्षा में मिलेगी। उसी के नाते जब हमारा संविधान लागू हुआ जनवरी, 1950 में, उस संविधान में आर्टिकल-39 और 45 में नीति-निर्देशक तत्वों में एक प्रकार की आशा और अपेक्षा यह रखी गयी थी कि आगे आने वाले 10 सालों में 6 से 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं को फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाएंगी। मैं सोचता हूं कि संविधान के चौथे खण्ड में, प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी में जो निर्देश दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन संविधान के लागू होने के तुरन्त बाद प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी, अगर इस निर्देश का राज्य सरकारें सख्ती से पालन कर लेतीं तो आज सम्पूर्ण भारतवर्ष निश्चित रूप से साक्षर हो गया होता। राजस्थान में यह फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमारे दो जिलों राजसमन्द और झुंझुनूं में शुरू की गयी थी। इन पायलट प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के आधार पर सम्पूर्ण प्रदेश में फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन की व्यवस्था को लागू करना चाहिये।

साक्षरता की जो बात कही गयी है, वास्तव में हमारे देश के आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक पिछड़ेपन का एक मात्र कारण हमारी साक्षरता में कमी होना रहा है। बहुत खुशी की बात है कि पिछले

(डा. रतन लाल जाट)

दशक में 1991 की जनगणना में साक्षरता का प्रतिशत 38.55 से बढ़कर 61.03 हो गया है। वास्तव में काफी अच्छी बढ़ोतरी, लगभग 22.48 प्रतिशत की, इस दशक में हुई और महिला साक्षरता का प्रतिशत भी 20.44 से बढ़कर 44.34 हो गया है जो कि शत-प्रतिशत अधिक है और इस साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हमारे प्रदेश में जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं-शिक्षाकर्मी योजना, लोक जुम्बिश योजना, डी.पी.ई.पी., उत्तर साक्षरता व सतत् साक्षरता, मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे इस साक्षरता के कार्यक्रम के लिये लगभग 18,716.96 लाख रुपये की एक महती परियोजना का अनुमोदन किया था और उस योजना में केन्द्र सरकार का 14,518.59 लाख रुपया खर्च हुआ है और राज्य सरकार का अनुदान इसमें 4,198.37 लाख रुपये खर्च हुआ है। न केवल यह अनौपचारिक शिक्षा की दृष्टि से भी हमारे वित्तीय वर्ष 2000-2001 में भारत सरकार द्वारा 1630.80 लाख रुपये का प्रावधान इसमें रखा गया है जो स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान में शिक्षा के पिछड़ेपन के बारे में इसका सबसे बड़ा कारण मैं यह मानता हूं कि शिक्षा पर बजट का जितना प्रावधान देश की आजादी के बाद के वर्षों में होना चाहिये था, वह नहीं हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, 1989-90 में जब बी.जे.पी. ने सत्ता सम्भाली तो राजस्थान में शिक्षा पर केवल 663 करोड़ रुपये खर्च हो रहे थे। उस बजट को बढ़ाते-बढ़ाते 2,895 करोड़ रुपये लाया गया। यह जो बढ़ोतरी हुई, यह कोई सामान्य बढ़ोतरी नहीं थी। यह लगभग चार गुना बढ़ोतरी थी और इस चार गुना बढ़ोतरी से राजस्थान में शिक्षा का स्तर बढ़ा, शिक्षा की उपलब्धियां आने लगीं और राजस्थान में शिक्षा का फैलाव हुआ। शिक्षा का फैलाव जब हुआ और इसकी तुलना में पिछले साक्षरता के प्रतिशत देखें तो 1951 से 61 के 10 सालों में 9.17 साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है, 1961-71 में 4.12 प्रतिशत वृद्धि हुई है, 1971 से 1981 में 0.4 प्रतिशत साक्षरता में वृद्धि हुई है, 1981-91 में 7.56 प्रतिशत साक्षरता बढ़ी है, जबकि 1991 के दशक में 22.48 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उसके पीछे कारण जैसा कि मैंने निवेदन किया, यह रहा कि भाजपा द्वारा बजट में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि की गयी थी। शिक्षा के क्षेत्र में जिन उपलब्धियों की बात हम कर रहे हैं, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री कटारियाजी, आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत इसके लिये बहुत बधाई के पात्र हैं।

जैसा कि मैंने बजट के प्रावधान की बात की थी, उन्होंने 1994 में अपना पहला

(डा. रतन लाल जाट)

बजट शिक्षा को समर्पित किया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जितना पैसा खर्च किया गया, आठवीं पंचवर्षीय योजना में उसको चौगुना कर दिया गया और नवीं पंचवर्षीय योजना में बजट में सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुकाबले में लगभग दस गुना वृद्धि की गयी।

सभापति महोदय, जहां हम शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, शिक्षा में संख्यात्मक और गुणात्मक सुधार की बात करते हैं उस दिशा में दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि अध्यापकों की संख्या में वृद्धि करने की रही। 1990 से 1997 तक जो अध्यापकों की भर्ती की गयी थी, सभापति महोदय, अगर उसके आंकड़ों को देखें तो निश्चित रूप से वे आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि किस प्रकार से उस समय अध्यापकों की संख्या में वृद्धि की गयी थी। 1990 से 1997 तक 87009 अध्यापकों की भर्ती की गयी। 1990 से पहले अध्यापक केवल 1 लाख 56 हजार थे, महिला अध्यापिकाएं केवल 50309 थीं, जो बढ़कर 1998 में 2 लाख 11 हजार तो अध्यापक हो गये और महिला अध्यापिकाओं की संख्या हो गयी 82316, यानी इन आंकड़ों को देखकर पता लगता है कि 1990 से अब तक लगातार 63 प्रतिशत महिलाओं का इस नौकरी में सलेक्शन हुआ है जो बहुत बड़ी उपलब्धि महिला साक्षरता और उनको इस पद पर नियुक्ति देने के सम्बन्ध में हुई है। यह अध्यापकों में संख्या वृद्धि के बारे में मैंने निवेदन किया।

जहां तक स्कूलों की संख्या की बात करते हैं, हमने 1994–95 से 1998–99 तक जो बजट में प्रावधान बढ़ाये थे, उनसे प्राइमरी स्कूल 5004 खोले, मिडल स्कूल 3212 क्रमोन्नत किये, सैकण्डरी स्कूल 758 क्रमोन्नत हुए, सीनियर सैकण्डरी स्कूल 507 क्रमोन्नत यानी 70 प्रतिशत स्कूल केवल इन चार सालों में 10+2 बने थे। खास तौर से 250 की आबादी वाले जितने रेवेन्यू विलेजेज थे, उन सब में प्राइमरी स्कूल खोले गये और 150 की आबादी वाले जो मरु और जनजाति क्षेत्र के गांव थे उनमें विद्यालय खोले गये। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर कम से कम एक मिडल स्कूल की भी बढ़ोतरी की गयी थी।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि पिछले किये गये प्रयत्नों की वजह से ही आज हम साक्षरता और शिक्षा की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। उस समय बालिका शिक्षा पर खास तौर से ध्यान दिया गया और एक करोड़ रुपये का कोरपस बना कर बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गयी। उसी वजह से बालिकाओं की शिक्षा में बढ़ोतरी हुई। उस समय सरस्वती योजना स्टार्ट की गयी, दत्तक ज्ञान योजना स्टार्ट की गयी। समय की कमी है इसलिए मैं इन योजनाओं

(डा. रतन लाल जाट)

का विस्तृत विवरण नहीं कह कर केवल उनके नाम गिना रहा हूं। उस समय नामांकन में निश्चित रूप से वृद्धि हुई थी। प्रवेशोत्सव मना कर बालकों के नामांकन में 19 लाख की वृद्धि का कीर्तिमान पिछली सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित किया गया था। सभापति महोदय, आज हम शिक्षा में जिस बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, वह कोई रातों–रात अलादीन के चिराग से नहीं हुआ, पिछले कई सालों के प्रयत्नों से शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है। उसमें खास तौर से गरीब बालक–बालिकाओं के लिए माननीय भैरोंसिहजी शेखावत जो राजस्थान के मुख्य मंत्री रहे हैं, क्योंकि वे खुद एक ग्रामीण परिवेश से थे, उनके मन में सोच थी कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें नहीं मिलेंगी तब तक वो शिक्षा प्राप्त करने में पीछे ही रहेंगे यही कारण था कि 1994 से 1998 तक 53 करोड़ रुपये की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें पांचवीं तक के बालक को और आठवीं तक की बालिकाओं को उपलब्ध करायी गयी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि उस समय स्थिति यह थी कि बच्चा किताब लेने जाए तो किताब मिले नहीं। उसके गांव में तो मिलती ही नहीं, अगर वह और जगह भी जाए, उसके पिताजी या कोई रिश्तेदार लेने जाएं तो आज साइंस की किताब नहीं मिल रही, आज गणित की किताब नहीं मिल रही, आज दूसरी नहीं मिल रही। इस तरह से एक प्रकार की निराशा की स्थिति थी, उसको समाप्त कर गरीबों के छात्र–छात्राओं को कि वास्तव में वे अध्ययन कर सकें, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयीं।

शिक्षाकर्मी योजना स्टार्ट की गयी और उसके माध्यम से लगभग 2700 स्कूलों में शिक्षा शुरू की गयी केवल मात्र 10 हजार रुपये सालाना के खर्चे में, जबकि एक स्कूल का 10 हजार रुपये महीने का खर्चा हो जाता है।

सभापति महोदय, राजस्थान उत्तर भारत में पहला राज्य है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शासन में बीमा योजना को लागू किया गया। 80 लाख विद्यार्थियों का बीमा कराया गया। 25 लाख रुपये से इस स्कीम की शुरूआत की गयी। यह वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि बच्चों के लिये की गयी।

सभापति महोदय, स्थानान्तरण नीति बनायी गयी। राजनीतिक द्वेषतावश किसी प्रकार से स्थानान्तरण नहीं हो, उस नाते नीति बनायी गयी। उस स्थानान्तरण नीति में यह नहीं कि साल भर स्थानान्तरण कर दिये जाएं, जैसा सभापति महोदय, आजकल हो रहा है। उस नीति में साल में दो माह तय कर दिये गये कि ट्रांसफर या तो जून में या अक्टूबर माह में होंगे

(डा. रतन लाल जाट)

ताकि बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान नहीं आए। उस स्थानान्तरण नीति के तहत जो अध्यापक 90 प्रतिशत परीक्षा परिणाम देता था उस अध्यापक को यह आप्शन दिया गया था कि वह इच्छा से जहां कहीं भी स्थानान्तरण चाहे, इच्छित स्थान पर उसकी पोस्टिंग की जाएगी। जिन अध्यापकों का रिजल्ट जीरो प्रतिशत रहता था उन अध्यापकों के उस समय और जिलों में स्थानान्तरण किये गये थे। सभापति महोदय, जो अच्छा प्रतिशत लाएगा उसको इच्छित स्थान पर लगाया जाएगा और जो जीरो प्रतिशत रिजल्ट लाएगा उसकी अन्य जिलों में पोस्टिंग की जाएगी, नीति के तहत ऐसा किया भी गया था ताकि अध्यापकों पर इसका प्रभाव हो और वो स्कूल के अच्छे परिणाम ला सकें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस शासन के आने के बाद जिन अध्यापकों का जीरो प्रतिशत रिजल्ट के आधार पर अन्य जिलों में स्थानान्तरण किया गया था, उनको तुरन्त उनकी इच्छा के स्थान पर लगाया गया जो शिक्षा के साथ एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि, कुठाराघात वाला कदम है।

श्री मदन दिलावर : यहां तो राष्ट्र भक्त राम सागर मीणा का ट्रांसफर किया गया है।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये। माननीय दिलावर साहब, आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : नहीं, मैं तो बैठ जाऊंगा, लेकिन इतना भेदभाव, इतनी द्वेषता, कितना अन्याय, कितना अत्याचार सहेंगे हम लोग?

श्री सभापति : आप बिराज जाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, इसका जवाब हम और किसी से नहीं चाहते, हम रामस्वरूपजी से चाहते हैं। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि श्री रामस्वरूपजी की तबीयत ठीक नहीं है, जब से मंत्री बने हैं, खड़े होकर एक शब्द भी नहीं बोले। आप खड़े होकर श्रीमुख से कुछ तो बोल कर बताओ, एक मीणा पर अत्याचार।

डा. महेश जोशी : यह आपकी तरह नहीं हैं, यह मंत्री हैं।

श्री मदन दिलावर : मैं पूछ रहा हूं, राम सागर मीणा का ट्रांसफर क्यों किया गया?

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो हमारा समय उसी में निकल जाएगा। मैं शार्ट में ही कह रहा हूं।

श्री सभापति : हां, इसलिए कह रहा हूं, आप तो बोलो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मंत्री हैं तो आदमी नहीं रहे अब?

डा. महेश जोशी : आप की तरह बेलगाम नहीं हैं।

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, उस समय एक महत्वपूर्ण योजना भामाशाह योजना चलायी गयी, 1995 में इस योजना को प्रारम्भ किया गया और 28 जून से यह योजना प्रारम्भ हुई। जो कोई व्यक्ति राज्य स्तर पर शिक्षा में एक लाख रुपये का सहयोग प्रदान करता है उसको राज्य स्तर पर, 50 हजार हजार एक सम्भागीय स्तर पर और 25 हजार तक जिला स्तर पर इस भामाशाह योजना के तहत सम्मानित करने का प्रावधान किया गया। संस्था प्रधानों को भी अच्छा परिणाम आने पर प्रोत्साहित करने की योजना रखी गयी।

सभापति महोदय, जो गैर–सरकारी शिक्षण संस्थाएं थीं उनमें काफी वृद्धि की गयी। लगभग 64 प्रतिशत वृद्धि इन गैर–सरकारी शिक्षण संस्थाओं की हुई है। कम से कम 90 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाओं 252 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा की जो राष्ट्रीय नीति है, खास तौर से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की, उस उद्देश्य से राजस्थान में राजीव गांधी प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता मिशन का जो गठन किया गया है और पंचायती राज संस्थाओं को जो उसमें सम्मिलित किया गया है, वास्तव में यह अच्छा कदम है। प्रारम्भिक शिक्षा के दृष्टिकोण से 21222 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं हैं, 32331 प्राथमिक शालाएं हैं, 21956 उच्च प्राथमिक शालाएं कार्यरत हैं और उनमें 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 110.33 लाख बालक–बालिकाएं अध्ययनरत हैं। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी 18003 माध्यमिक विद्यालय हैं, 2915 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं और उनमें लगभग 52.42 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

सभापति महोदय, स्कूल क्रमोन्नत करने के दृष्टिकोण से 414 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है और 386 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है।

सभापति महोदय, मैं प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में वास्तव में सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर हुई है तो वर्तमान सरकार के इस काल में हुई। इसके लिए मैं कुछ आंकड़े निवेदन करना चाहूंगा। राजकीय विद्यालयों की कक्षा 11 व 12 के छात्र–छात्राओं की संख्या 1998–99 की तुलना में 5000 से भी ज्यादा कम हो गयी है। फिर हम शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बालिका माध्यमिक विद्यालयों में 1997–98 की तुलना में वर्ष 2001–2002 में 8376 अध्यापकों की कमी माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर कमी होना। और ये उल्लेखनीय वृद्धि की बात कर रहे हैं। सरकार ने विद्यालय तो क्रमोन्नत कर दिए और वाहवाही लूटने की निश्चित रूप से कोशिश की...

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

(डा. रतन लाल जाट)

सभापति महोदय, हमने तो शुरूआत की है। अभी जो आकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं, किस प्रकार से इस सरकार ने शिक्षा को आगे बढ़ाया...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब आपने मुझे क्या निर्देश दिए थे?

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, थोड़ा सुनने का साहस रखें। इन्होंने विद्यालयों को क्रमोन्नत करके वाहवाही लूटने की कोशिश की, लेकिन मैं सोचता हूं कि एक भी नवीन पद सृजित नहीं करके छात्रों और जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है।

सभापति महोदय, समानीकरण की आड़ में शिक्षकों के अनियमित स्थानान्तरण इन्होंने किये हैं। कक्षा में बैठने की व्यवस्था को नजरअन्दाज करके 1:40 के अनुपात को इन्होंने बदलकर 1:70 कर दिया जो वास्तव में शिक्षा की गुणवत्ता के क्षेत्र में बहुत बड़ी बाधा है।

सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर सबसे बड़ा धोखा राजस्थान में इस सरकार के समय हुआ। छह सौ रुपये प्रति विद्यार्थी वसूल किये गये और उन विद्यालयों में कम्प्यूटर के नाम पर किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी गयी। 2001-2002 में कक्षा 11 और 12 में एक साथ कम्प्यूटर शिक्षा लागू कर दी गयी और प्रति विद्यार्थी उनसे विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में 600 रुपये वसूल किये। 600 रुपये के हिसाब से अस्सी हजार छात्रों के चार करोड़ अस्सी लाख रुपये वसूल कर लिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए।

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, यह तो सुनना पड़ेगा। यह किस प्रकार से खुली लूट है। छात्रों और जनता के साथ तथा विभाग के साथ धोखा किया गया है इस कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर राजस्थान में।

श्री कनकमल कटारा : सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और वास्तव में यह सही है इसलिए इनको थोड़ा समय और दिया जाए।

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, यह तो हुई चार करोड़ अस्सी लाख की बात। अस्सी हजार छात्रों से 11वीं और 12वीं की बात। इसके अलावा 9 व 10 के छात्रों को भी बाध्य करके एक लाख छात्रों से 600 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से छह करोड़ रुपया उनसे वसूल किया गया।

सभापति महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम मात्र पाठ्यक्रम को निर्धारित करने का होता है, शिक्षा और प्रशिक्षण

(डा. रतन लाल जाट)

की व्यवस्थाओं सम्बन्धी काम शिक्षा विभाग का होता है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारों पर अतिक्रमण करके कम्प्यूटर का काम बोर्ड ने अपने हाथ में लिया है। उसने किस-किस प्रकार से अनियमितताएं की हैं, मैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। निविदा के अन्दर जो शर्तें थीं उन शर्तों के प्रतिकूल "कम्प्यूकाम" को करोड़ों रुपयों का भुगतान-उनके द्वारा उल्लंघन करने के बाद भी और स्कूल्स में किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाने के बाद भी उस कम्पनी को भुगतान कर दिया।

श्री हीरासिंह चौहान : किसके कार्यकाल में? मंत्री कौन थे?

डा. रतन लाल जाट : कांग्रेस सरकार के समय में। जब से कम्प्यूटर लागू किया है, आप सभी को पता है, मंत्री कौन हैं। कम्प्यूटर कक्ष के लिए एयरकंडीशन की बात थी उसकी भी पालना नहीं की गयी।

श्री मदन दिलावर : इन्होंने ही गड़बड़ी की थी क्या वह? कम्प्यूटर का गड़बड़ आपने ही किया था क्या?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए। माननीय दिलावर साहब, पहले आप बिराजो।

श्री मदन दिलावर : इन्होंने कहा है कि उन्होंने गड़बड़ी की है। आखिर में इतना गड़बड़ क्यों किया? राजस्थान का इतना पैसा बरबाद क्यों करवाया, सी.पी. जोशी साहब।

श्री सभापति : बिराजो।

डा. रतन लाल जाट : यह कम्प्यूटर वाला मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कितने करोड़ रुपये छात्रों से वसूल करके किसी प्रकार की सुविधा उनको नहीं दी जो कि निविदा की शर्त थी। कम्प्यूकाम कम्पनी के बारे में कहते हैं कि उसके बहुत लम्बे हाथ हैं। उन्होंने पहले भी कम्प्यूटर शिक्षा में अनियमितताएं की हैं उसके बावजूद भी कम्प्यूटरकाम साफ्टवेयर और 19 एजेंसियों को ठेका एक साल के लिए और बढ़ा दिया। गड़बड़ियों की शिकायत हुई, महालेखाकार, मूल्यांकन, संगठन शिक्षा विभाग द्वारा अपनी-अपनी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, ठेका आगे और नहीं बढ़ाया जाए, लेकिन इन सबके बावजूद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने मीटिंग बुलायीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आसन की मजबूरी है, अब आप समाप्त कीजिए।

डा. रतन लाल जाट : उसके जो-जो भी सदस्य थे उन सबने अनियमितताओं के बारे में अपनी बात कही कि इस कम्पनी को आगे ठेका और नहीं बढ़ाना चाहिए,

(डा. रतन लाल जाट)

लेकिन इतना कहने के बावजूद अधिकारियों को लताड़ पिलायी गयी और यह कहा गया कि कम्प्यूटर कोर्स को वापस चालू करें। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और करोड़ों रुपयों का नुकसान कर दिया।

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खान।

डा. रतन लाल जाट : मैं समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, सरकार से करोड़ों रुपये लेकर भी इस कम्पनी ने कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी, इसके लिए मैं कह रहा हूं।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, माननीय सदस्य, उच्च शिक्षा के बारे में तो बोले ही नहीं अभी।

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, हम तो कम ही बोलते हैं।

श्री सांवर लाल : लम्बे समय तक चलने दो, किसको जल्दी है? कल फिर असेम्बली चलेगी।

श्री सभापति : आप दो मिनट में खतम कीजिए।

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक छोटा-सा उदाहरण अनियमितता का देना चाहूंगा। 1999 की जो परीक्षा हुई थी, गोपनीय प्रश्न पत्र छपने के बाद जब बोर्ड को सौंपे गये थे उसके बाद सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी के कुछ प्रश्न पत्र आउट हो गये थे और आउट होने के बाद उन प्रश्न पत्रों को पुनः छपवाना पड़ा। यानी पहले छपवाये और आउट होने के बाद दुबारा छपवाने में 75 लाख रुपये का खर्चा हुआ। दो बार छपवाने पर 75 लाख रुपये का खर्चा हुआ। दुर्भाग्य की बात यह और है कि दूसरी बार 2002 में प्रश्न पत्र एक ही बार छपे और उस पर भी 73 लाख रुपये का खर्चा किया गया, जबकि पेपर का कागज और लिफाफों का कागज हल्की क्वालिटी का काम में लिया गया था। कहां तो दो बार छपवाने पर 75 लाख रुपये का खर्चा हुआ और कहां मात्र एक बार छपने पर, हल्का कागज प्रयोग करने के बाद उस पर खर्चा हुआ 73 लाख रुपये। सभापति महोदय, यह बोर्ड किस प्रकार से कार्य कर रहा है?

श्री सभापति : अब सहयोग कीजिए, माननीय सदस्य।

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा उच्च शिक्षा के बारे में।

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खान।

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। उच्च

(डा. रतन लाल जाट)

शिक्षा के क्षेत्र में निवेदन करना चाह रहा हूं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में धन के अभाव की वजह से अन्य विश्वविद्यालयों में लगातार उनकी साख बढ़ाने की बात कही गयी...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

डा. रतन लाल जाट : उनको राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया। मैं उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूं। शिक्षकों को पदोन्नति...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

डा. रतन लाल जाट : शिक्षकों को पदोन्नति बिना इन्टरव्यू के पूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने और प्रदेशाध्यक्ष स्वयं ने प्रोफेसर के रूप में करवा दी उच्च शिक्षा की यह हालत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिना साक्षात्कार के प्रोफेसर। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजो, आपका नाम आएगा।

श्री सांवर लाल : जितने भी एलिजिबल कैंडीडेट्स थे, क्या उन सबके प्रमोशन हो गये? आपने तो बिना साक्षात्कार के करवा लिये।

श्री सभापति : यह मैं आपके लिए बात कहना रिजर्व रखना चाहता हूं।

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए आप।

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आधा घंटा हो गया। मेरे पास पर्ची है।

डा. रतन लाल जाट : बीच में इंटरप्शन हो गया तो मेरा तो टाइम खराब हो गया। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, अब टाइम तो लगेगा। ये मंत्री भी रहे हुए हैं।

श्री सभापति : अब बिराजिए। माननीय राठौड़ साहब।

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि कालेजों में व्याख्याताओं के पद रिक्त पड़े हुए हैं उनके लिए आर.पी.एस.सी. ने सलेक्शन कर लिया है। 1100 कालेज शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं–लगभग चार सौ तो मेन लिस्ट में हैं और लगभग तीन सौ रिजर्व लिस्ट में हैं। पहले जब कालेज शिक्षकों को अपाइंटमेंट देते थे, गैस्ट फैकल्टी के आधार पर उनको देते थे। उस गैस्ट फैकल्टी को हाई कोर्ट

(डा. रतन लाल जाट)

ने आदेश से निरस्त कर दिया। एडवरटाइज करवाकर आर.पी.एस.सी. के माध्यम से सलेक्शन करवाने प्रक्रिया में एक डेढ़ साल निकल जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि तीन सौ की जो रिजर्व लिस्ट है उस रिजर्व लिस्ट में से उनको निश्चित रूप से लिया जाए। रिजर्व लिस्ट के बारे में गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया है, पहले किस प्रकार से डिफरेंसेज थे कि उनको दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, उसमें खुद ने माना है कि उनको अपाइंटमेंट रिजर्व लिस्ट में से दिया जा सकता है।

अन्त में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों में जो एडहॉक लैक्चरर्स हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, लगभग 15-15, 20-20 साल से लोग वहां पर अध्यापन में लग रहे हैं। यू.जी.सी. के सब नार्म्स को पूरा करने के बाद उनको अपाइंटमेंट दिया गया है। ये जो व्याख्याता हैं उसमें ज्यादा नहीं 18 तो केवल एम.एल. सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर में हैं और इसके बाद सभी यूनिवर्सिटी में मिलाकर तीन सौ के आसपास हैं। इन व्याख्याताओं की जो चयन प्रक्रिया थी उसको विधिवंत फालो करके उनको अपाइंटमेंट दिए गये थे, स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से उनको अपाइंटमेंट दिये गये है। इनके साथ जो गवर्नमेंट लैक्चरर्स हैं उनको तो उन्होंने 1995 में आदेश निकालकर नियमित कर दिया लेकिन यूनिवर्सिटी के जो अध्यापक हैं उनके बारे में विचार नहीं किया गया है। उसके बारे में अभी वर्तमान में माननीय गृह मंत्री गुलाब सिंहजी शक्तावत की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक कमेटी बनी है, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फेवर में दी है। उस रिपोर्ट में कहा कि क्योंकि इनको यू.जी.सी. की सभी क्वालिफिकेशन और नार्म्स को पूरा करने के बाद, प्रापर स्क्रीनिंग के बाद अपाइंटमेंट दिया गया है, ऐसे अध्यापकों का निश्चित रूप से आर्डिनेंस के माध्यम से स्थानान्तरण किया जाना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला लम्बे समय से अटका पड़ा है

श्री सभापति : अब बिराजें।

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, अब मैं तकनीकी शिक्षा के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : अब बिराजिये, आप बिराज जाइये।

डा. रतन लाल जाट : धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) : सभापति महोदय, शिक्षा, कला और संस्कृति की मांग पर मेरे से पूर्व अच्छे-पढ़े लिखे

(श्री अमीन खान)

विद्वानों ने अच्छे–अच्छे सुझाव दिये। मैं इस सदन में आपकी मार्फत सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे एरिया में सरकार की नीति और कायदे कानून जितने भी बने हुए हैं, हमारे सीमावर्ती रेगिस्तानी इलाकों को आज तक उनके असली हकों से वंचित रखा जा रहा है। यही पद्धति और नियम कायदे लागू रहेंगे तो हमें आशंका है कि भविष्य में हम पचास साल तक भी शिक्षा के मार्ग को आगे बढ़ा नहीं सकते। आप और हम सब जानते हैं हमारे यहां शिक्षा का स्तर नीचा है। रेगिस्तानी इलाके हैं, दूर–दराज के गांवों में, ढाणियों में लोग बसे हुए हैं और शुरूआत में स्कूल खोलने की भी वहां व्यवस्था बहुत कम थी। पिछले चार साल में और उसके कुछ पहले अरसे से राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं ढाणी–ढाणी खुलीं, उससे गरीब ढाणी में दोहाती, पिछड़े हुए लोगों में पढ़ने का थोड़ा–सा वातावरण पैदा हुआ। परन्तु जिला झुंझुनूं, सीकर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, अलवर, करौली के मास्टर हमारे यहां अधिक लगे हुए हैं, जब तक ये मास्टर वहां रहे तब तक तो इन मास्टरों की पढ़ाई हमारे लोकल से भी अच्छी रही, अच्छा पढ़ाया और कभी गैर हाजिर नहीं रहे। पर ये लोग ज्यों–ज्यों इनके जिलों में वेकेंसी रिटायर होने से या नयी स्कूल खुलने से होती हैं, इनके एम.एल.ए. मंत्रियों की सिफारिश से, शिक्षा का कोई भी मंत्री किसी भी वक्त रहा है, तबादले करता है और मास्टर सब यहां आ जाते हैं।

आज भी बाड़मेर जिले में कम से कम 900 अध्यापकों के पद खाली हैं। जब इस तरह से 800–900 पद खाली रहेंगे, 400 से कम तो किसी वक्त भी खाली नहीं रहे, तो वहां के लोगों की क्या हालत होगी, यह सरकार को विशेष तौर से विचार करना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी को इस तरह स्कूलें खाली रहने से, मास्टरों के पद खाली रहने से शिक्षा से वंचित रहना पड़ेगा, यह सरकार को मानना चाहिए। कुछ वक्त पहले यह तय था कि जिले के लोकल नम्बर बोनस के रूप में दिये जाएंगे और उस आधार पर अध्यापकों का अपाइंटमेंट होगा। उससे तो फिर भी लोकल अध्यापकों की भर्ती हुई। लेकिन बाद में फिर इन्होंने वही लागू किया कि काम्पीटीशन में कोई भी आदमी कहीं का भी आएगा, उसका सलेक्शन होगा। उस सलेक्शन में बिहार से यू.पी. से जो फर्जी डिग्री लाये, 85 परसैंट से ऊपर नम्बर लाने वाले आदमियों को वहां चयन हो गया। हमारे यहां के गरीब बच्चों को जो बड़ी मुश्किल से 60 परसेंट नम्बर लाते हैं, न तो नौकरी मिलने की कभी उम्मीद और न वहां स्कूल में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की व्यवस्था है। मास्टर वहां लगे और नौकरी आकर अलवर और

(श्री अमीन खान)

भरतपुर में करें, यह हमारे साथ अन्याय है। सरकार इसके लिए, हम तो यह कहते हैं कि बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला और पहाड़ी इलाके का एक कैडर अलग कायम करे और नियम इनके लिए अलग बनाए। वहीं के आदमियों की भर्ती इनके लिए की जाए, तभी हमारे वहां के बच्चे-बच्चियों पढ़ पाएंगे और हमारे लड़के योग्यता के आधार पर वहां अध्यापक भी बनेंगे। नहीं तो हमारे साथ, सभापति महोदय, बहुत ज्यादती है। इसकी सुनवाई भी हम महसूस करते हैं कि कोई नहीं करता है। कानून में समान रूप से सभी को अधिकार है, उस अधिकार से हम वंचित हैं, इसलिए हमारे को बड़ा नुकसान हो रहा है। देश की 55 साल की आजादी के बाद भी हमारे बच्चों को पढ़ने से भारी वंचित रखा जा रहा है। इस व्यवस्था को सरकार को बदलना चाहिए, नहीं तो तबादले रोकने चाहिए।

दूसरे लोग तो तबादलों की लिस्ट साथ लेकर यहां घूमते हैं, हम तो तबादला रुकवाने की लिस्ट की कोशिश करते हैं। डाक्टर साहब भी हमारे यहां से कई मास्टर ले गये, उससे हमारा नुकसान हुआ। इसलिए, सभापति महोदय, हमारा सरकार के सारे मंत्रियों से और इस सदन के हमारे सारे साथी माननीय सदस्यों से, हमारे किसी भी पार्टी के बैठे हों निवेदन है कि अगर हमारे एरिया की शिक्षा आप चाहते हो तो मेहरबानी करके रेगिस्तान के सीमावर्ती शिक्षकों का कैडर अलग कायम करके वहां भर्ती उस कैडर के अनुसार की जाए ताकि हम लोगों के बच्चे पढ़ सकें। अन्यथा इस व्यवस्था में अभी भी हमें अंदेशा है कि हमारे बच्चे बीस-पच्चीस साल नहीं पढ़ने जाएंगे।

श्री सभापति : बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अमीन खान : दूसरी बात मुझे थोड़ी-सी यह भी कहनी है कि समानीकरण में जो जिला शिक्षा अधिकारी, यहां सरकार आदेश देती है समानीकरण का, इसमें वहां का एक क्लर्क और एक जिला शिक्षा अधिकारी भी हजारों रुपये वसूल करके जिस स्कूल में पोस्टें सैंक्शन नहीं हैं वहां छह-छह मास्टर रख देते हैं और जिस स्कूल में सैंक्शन पोस्ट चार की हैं उसमें एक भी मास्टर नहीं भेजते हैं। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। बेईमानी की वजह से भी कुछ ग्रामीण गरीब लोगों का नुकसान होता है। मैं सही बात कहकर यही सभी से अपील करता हूं, कटारिया साहब शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने पता नहीं क्या किया लेकिन इनके आदेश से हमारा काफी भला हो गया। इन्होंने जो बदमाश मास्टर गैर हाजिर थे, जहां बच्चे पास नहीं हुए उनके जिला आउट तबादले किये, उससे अच्छा हुआ। मेरी सरकार से यही अर्ज है कि जो बेईमानी होती है, गरीबों के बच्चों को शिक्षा से महरूम रखना चाहते

(श्री अमीन खान)

हैं, इस तरह के गलत आदेश देते हैं उन आदेशों के ऊपर सख्ती से एक सजा का अमली जामा पहनाने की सरकार की सूझबूझ हो ताकि बेईमानी कम से कम पढ़ने वाले बच्चों की व्यवस्था में आड़े नहीं आए।

मैं इतनी ही बात कहकर, सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे समय दिया। सरकार हमारे लिए स्पेशल व्यवस्था करें, नहीं तो हमारे बच्चे महरूम रहे हैं और भविष्य में भी महरूम रहेंगे।

श्री सभापति : श्री हीरासिंहजी चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सम्माननीय सभापति महोदय, आज सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की मांग पर चर्चा हो रही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में नीति निर्देशक तत्व बनाकर एक आशा और विश्वास व्यक्त किया था कि देश के आजाद होने के बाद बहुत शीघ्र ही अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी जाएगी। लेकिन आजादी के 55 वर्ष बाद भी हम हमारे राज्य में प्राइमरी एजुकेशन को कम्पलसरी नहीं बना पाये हैं। यह हमारे सामने एक चुनौती बनी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा का प्रचार-प्रसार मैं सोचता हूं 1990 से लेकर 2000-2003 तक जितना हुआ-राजीव गांधी स्कूलें, शिक्षाकर्मी स्कूलें, अन्य प्रकार की शिक्षण संस्थाएं-प्राथमिक एजुकेशन देने के लिये एक-एक किलोमीटर, दो-दो किलोमीटर की दूरी पर स्कूल स्थापित होनी चाहिये। मेरा जहां तक अपना अनुभव है, मेरा फील्ड का अनुभव है, अध्ययन है, उसके अनुसार सभी जगह विद्यालय कमोवेश स्थापित हो चुके हैं। लेकिन पता नहीं सरकार की मानसिकता क्या है, सरकार इसको लागू क्यों नहीं कर पा रही है। अभी माननीय रतनलालजी ने दो ज़िले बताये झुंझुनूं और राजसमंद, जहां पर एक स्कीम लागू की है, लेकिन आज प्राइमरी एजुकेशन को कम्पलसरी बनाने के लिये आपको अलग प्रकार का सोच डवलप करना पड़ेगा। दुःख और तकलीफ की बात है कि इस सम्बन्ध में सरकार अपना कोई मानस नहीं बना पायी है अभी तक। प्रारम्भिक तैयारी कर रही है लेकिन जिस स्टेज पर इसको पहुंचना चाहिये, जब तक दण्डात्मक कार्यवाही, कि प्रत्येक मां-बाप 6 से 14 साल के बच्चे-बच्चियों को स्कूल भेजें, इस प्रकार का कानूनी प्रावधान नहीं करेंगे, यह काम आगे नहीं बढ़ेगा। कानूनी प्रावधान के साथ-साथ इस प्रकार की व्यवस्था के लिये प्रारम्भिक स्तर के ब्लाक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति में हैं, उनको भी कोई खण्ड बांट कर दिये जा सकते हैं। इसमें ज्यादा अड़चन आने वाली नहीं है, लेकिन सरकार इस तरफ मानसिकता बनाकर काम करेगी तभी पूरा

(श्री हीरासिंह चौहान)

हो सकता है। मैं सोचता हूं कि आजादी के 55 साल बाद भी अगर हम प्राइमरी एजुकेशन को कम्पलसरी नहीं कर सकते तो इससे ज्यादा पीड़ा और दुःख की कोई बात हो नहीं सकती।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि एक तरफ तो हम विद्यालय बहुत तेज गति से, द्रुत गति से जहां-जहां होने चाहिये वहां पर हम खोलने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। पिछली सरकारें भी करती रहीं और आप भी करते रहे हैं। लेकिन शिक्षा का कितना हम गुणात्मक स्तर बढ़ा पाये हैं, यह एक चिन्तन और सोच का विषय है। आज स्थिति यह बनी हुई है कि पांचवीं का लड़का किताब तक नहीं पढ़ सकता। जो मां-बाप साधनशील हैं, आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं, वे अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ा देते हैं लेकिन हजारों लाखों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में किसान, मजदूर, श्रमिक अपने बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, अपनी विद्वता के कारण से कोई बच्चा इंटेलीजेंट हो सकता है लेकिन अध्यापन का गिरा हुआ स्तर इतना भिन्न हो गया कि इसके लिये आपको और हमको गम्भीर रूप से चिन्तन करना होगा। जब तक शिक्षा का गुणात्मक स्तर नहीं बढ़ेगा, गांव में बैठा गरीब का बच्चा जो सामान्य बुद्धि से अच्छा बच्चा है, उसका आई क्यू भी ठीक है लेकिन उसको ठीक प्रकार की शिक्षा नहीं मिलने के कारण आज भी वह अच्छी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता। कंपीटीशन का जमाना है, हर परीक्षा के लिये प्रतियोगिता होती है, जब तक ग्राम के बच्चे को ठीक प्रकार की शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक आप और हम कल्पना करें कि गांव का बच्चा अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर प्रतियोगी परीक्षा में आ सके, प्रवेश कर सके, अच्छी सेवाएं प्राप्त कर सके, ऐसा सम्भव नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले चार साल से सम्माननीय सी.पी. जोशी साहब बैठे हैं, इन्होंने समानीकरण का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया कि समानीकरण के आधार पर हम सभी जगह अध्यापकों को भेज देंगे। मैं, माननीय कल्ला साहब, आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अध्यापकों की संख्या कितनी है? मैं प्राइमरी स्तर आठवीं तक की पूछना चाहता हूं। आज भी कम से कम पचास-साठ हजार अध्यापकों की कमी है। अब समानीकरण से आप कितने अध्यापकों को इधर से उधर करेंगे? समानीकरण के आधार पर जितने रिक्त स्थान हैं, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने कटमोशन दिये, सबने इस बात को गम्भीरता से बताया है कि अध्यापकों की कमी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए। अब आप हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। राजीव गांधी स्कूल के अलावा जो मिडल स्कूल चल रहे हैं, माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं, केवल समानीकरण के आधार पर आप पूर्ति नहीं

(श्री हीरासिंह चौहान)

कर सकते। आपको बहुत पहले चिन्तन करके जहां-जहां कमी थी, नयी भर्ती प्रारम्भ करनी चाहिये। जब तक नयी भर्ती प्रारम्भ नहीं कर सकते तब तक बच्चों को अच्छी शिक्षा आप नहीं दे सकते। केवल विद्यालय खोल कर गुणगान गा लें, किसी विद्यालय में एक हैडमास्टर बैठा है, दो मास्टर प्राइमरी के पहले बैठे हैं, कक्षाएं आठ पढ़ रही हैं, आठ कक्षाओं को तीन मास्टर कैसे पढ़ाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस स्थिति को हम ठीक नहीं कर सकते। स्थिति को ठीक करना है तो आपको नयी भर्ती, नये अध्यापकों को लेना पड़ेगा। जब तक नये अध्यापक नहीं लेंगे, समानीकरण के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं कर सकते और राज्य में जितनी गुणात्मक शिक्षा हमको देनी चाहिये, हम दे नहीं पाएंगे। इसलिये इस बात पर चिन्तन करना चाहिये।

मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि पिछले चार साल में आपने केवल पैराटीचर्स और राजीव गांधी स्कूल के अलावा कोई नये अध्यापकों की भर्ती नहीं की है। भर्ती नहीं होने से कई स्कूल खाली पड़े हैं। किसके सामने कहें? कहते हैं, सरकार को लिख लिख कर देते हैं। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य जो शिक्षा मंत्री भी थे, धारीवाल साहब, इन्होंने एक लैटर हम सबको लिख कर यह पूछा कि आपके कौन कौनसे विद्यालयों में कितने कितने अध्यापकों की कमी है। हमने उसका उत्तर दे दिया, लेकिन उसकी कोई पूर्ति नहीं हुई। आज मेरे एरिये में चार स्कूल ऐसे हैं जहां पर प्रिंसिपल नहीं हैं। अभी चार दिन पहले मैं बर से गुजर रहा था तो मेरे ही गांव के माध्यमिक विद्यालय का हैडमास्टर मुझे मिला, मैंने कहा आप यहां क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि आज कल बर में प्रिंसिपल नहीं है, मैं बोर्ड के एग्जाम देख रहा हूं। चंडावल में मेरे यहां कोई प्रिंसिपल नहीं है, विषय अध्यापकों की कमी है। इस प्रकार की गम्भीर स्थिति राज्य में पैदा हो गयी है, संकट की स्थिति पैदा हो गयी है। जब तक इसे आप पूरा नहीं करोगे, राज्य में ठीक प्रकार से नहीं चल पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं। मेरी पंचायत समिति रायपुर में पिछले तीन साल से शिक्षा प्रसार अधिकारी नहीं है। एक ब्लाक शिक्षा अधिकारी है, वह किस किस स्कूल का इंस्पेक्शन करेगा? बिना स्कूल का निरीक्षण किये आप चाहते हो आपका अध्यापक ठीक प्रकार से शिक्षा देगा? हर काम के ऊपर किसी न किसी प्रकार अंकुश चाहिये। मैंने विधान सभा में भी तीन बार सवाल किये, लेकिन यही उत्तर आता है कि पद उपलब्ध होंगे तब भर दिये जाएंगे। तीन साल में शिक्षा प्रसार अधिकारी के तीन की जगह एक भी पद नहीं भरा गया, आप कब पद भरोगे?

(श्री हीरासिंह चौहान)

पहले सी.पी. जोशीजी शिक्षा मंत्री थे, बीच में धारीवाल साहब आ गये, अब कल्ला साहब आ गये, इस प्रकार लगातार रद्दोबदल करने से भी आदमी जिस सोच से अध्ययन करके इस विभाग को सुधारना चाहता है, उसकी कार्य विधि को ठीक करके काम करना चाहता है कि किस प्रकार की नीति शिक्षा में सफल होनी चाहिये, किस प्रकार एक मंत्री को अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए ठीक प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये, वह नहीं कर पाता। आज कोई उत्तरदायी नहीं है। कल्ला साहब उत्तर दे देंगे लेकिन वह इसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अभी-अभी विभाग सम्भाला है। विभाग सम्भाल कर, कर भी क्या सकते हैं दो-तीन महीनों में? हम भी जबरदस्ती जोरदार शब्दों में उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, प्रशंसा भी कर सकते हैं। लगातार विभाग को वह सम्भालकर बैठा रहता है तो उसका एक दायित्व बन जाता है कि वह सभी प्रकार के कामों की ठीक देख-रेख करे। इसलिये यह बड़ी चिन्ता की बात है। जब तक आप नयी नियुक्तियां नहीं करेंगे, गुणात्मक वृद्धि की ओर आपको और हमारा चिन्तन नहीं होगा तब तक जितनी अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, वह नहीं दे सकेंगे।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपके पास समय थोड़ा रह गया है, फिर भी मेरी ओर से निवेदन है, कर सको तो अभी भी वक्त है। अभी परीक्षा का समय आ गया है, बहुत सारी जगह बोर्ड की परीक्षा में विद्यार्थी बैठ रहे हैं। पूरे साल भर उनके पास विषय अध्यापक नहीं हैं, कभी कोई प्रिंसिपल नहीं हैं, कभी कोई हैडमास्टर नहीं है, कभी कोई देखने वाला नहीं है, ठीक प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई है।

(15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, अब मैं उच्च शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उच्च शिक्षा के लिये पूरे राज्य का सर्वे ठीक प्रकार से नहीं किया हुआ है। कहीं-कहीं विद्यालयों के और कालेजों के ढेर पड़े हुए हैं। हमारे पाली जिले में पाली से लेकर ब्यावर और ब्यावर से लेकर राजसमंद तक 100-150 किलोमीटर का एरिया है, ब्यावर से पाली के बीच में 120 किलोमीटर है, उधर जोधपुर हमारे से 120 किलोमीटर है और कुछ एरिया हमारा राजसमंद के पास है वह भी राजसमंद 120 किलोमीटर पड़ता है, सभापति महोदय, हम उच्च शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन इस पूरे क्षेत्र में, इतने लम्बे-चौड़े एरिये में कोई भी कालेज नहीं है जहां पर गरीब मां-बाप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे सकें। इसलिए राज्य का कौनसा ऐसा हिस्सा है जहां पर गरीब लोग रहते हैं और वहां पर किसी न किसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी

(श्री हीरासिंह चौहान)

चाहिए, वह अभी हुई नहीं है। मेरा विधान सभा क्षेत्र रायपुर जो कि बिलकुल सेंटर में पड़ता है, कालेज के लिए हम जमीन देने के लिए तैयार हैं और कालेज का भवन भी हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वहां पर कालेज खोलने की व्यवस्था की जाएं।

अभी माननीय कल्ला साहब एक प्रश्न के उत्तर में कह रहे थे कि हमने कहीं भी विद्यालय क्रमोन्नत करने में पक्षपात नहीं किया। मैं, माननीय कल्ला साहब, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सैनड़ा, गिरि, कुशालपुरा जहां एक–एक विद्यालय में 500 से 600 विद्यार्थी हैं, और कक्षा 10 में किसी में 40, किसी में 60 और किसी में 70 विद्यार्थी हैं, हमने तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी से भी निवेदन किया, मुख्य मंत्रीजी को कहा, मुझे आश्वासन दिया गया कि आपके विद्यालय क्रमोन्नत कर देंगे। वे 20-20 साल के विद्यालय हैं, आज के नहीं हैं, सन् 1970 से खुले हुए विद्यालय हैं जहां पर छात्र बहुत बड़ी संख्या में हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 35 साल से पड़े हुए हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : 35 साल से पड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे मापदण्ड तय हैं, हम मापदण्ड से खोलते हैं। इसमें बड़ा पक्षपात हो रहा है। मैं इस मामले में हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री और विपक्ष के नेता गुलाब चन्दजी कटारिया साहब की तारीफ करूंगा, हमारे बहुत सारे विद्यालय रह गये, हमने इनसे बहुत आग्रह किया, लेकिन यह चार्ट खोलकर रखते थे, कहते थे कि देख लीजिये, आपका विद्यालय इसमें कहां टिकता है। चार्ट के हिसाब से होता था। इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, आखिर हमें राजस्थान के बच्चों को शिक्षा देते हैं। उन्न बच्चों को ज्यादा शिक्षा दें जहां पर संख्या अधिक है। शहरों में आजकल विद्यालय खोलने की कोई जरूरत नहीं है, कई अनुदानित विद्यालय हैं, कई प्रकार के विद्यालय यहां पर चल रहे हैं। लेकिन आज भी शहरों में हम और विद्यालय खोल रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो कांग्रेसी विद्यालयों को शिक्षा देंगे, हमको शिक्षा नहीं देंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : हमको नहीं देंगे, मैडम ठीक कह रही हैं। ऐसे क्षेत्र जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं और जहां पर छात्रों की संख्या भी अधिक है, हम अनुपात देखें, राजस्थान में कौन बच्चा कांग्रेसी है और कौन बच्चा जनता पार्टी का है, कौन कांग्रेस का विधायक जीत कर आया है और कौन भाजपा का विधायक जीत कर आया है, इसमें दोगलापन नहीं करना चाहिए। लेकिन विद्यालय खोलने में दोगली नीति अपनाई

(श्री हीरासिंह चौहान)

गयी इसलिए मैं इस बात की बड़ी निन्दा करता हूं। कोई भी सरकार रहे लेकिन विद्यालय खोलने में हमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए। छात्र संख्या के अनुपात में जो आपका मापदण्ड बैठता है कि इतनी दूरी पर मिडल स्कूल है, इतनी दूरी पर हाई स्कूल है, उस मापदण्ड को देखकर खोलिये। जहां पर नजदीक है, स्कूल पर स्कूल नहीं खोलना है लेकिन जहां पर दूरी पर है वहां पर खोलना चाहिए।

इसी प्रकार से मेरे यहां प्राथमिक विद्यालय है, दो गांवों के बीच में कालेकुआं में खोलना चाहिए, खोड़िया के लिए कहा, करमावास पट्टा वाले में तो 700 विद्यार्थी पढ़ते हैं लेकिन लगातार प्रयास के बावजूद और हमारे मंत्री हैं पाली से दीवान साहब, उन्होंने भी करमावास को लेकर बहुत कोशिश की, हमने आस लगायी थी कि यह करमावास विद्यालय तो खुल जाएगा लेकिन केवल मात्र रामपुरा और देवली कलां ये दो विद्यालय खुले हैं। वे भी और प्रभाव से खुले हैं, मेरे कहने से नहीं खुल गये। चाहे किसी के भी प्रभाव से खुलें, इससे मेरा लेना–देना नहीं है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : करमावास में नहीं, घूमना में है।

श्री हीरासिंह चौहान : वह दूसरा होगा। लेकिन यहां पर विद्यालय नहीं खोले गये। मैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कालाकुआं, खोड़िया, करमावास पट्टा, नान्दणा और बूटीवास ये सब 20–25 साल पूर्व के उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जहां पर पर्याप्त से भी अधिक छात्र संख्या है लेकिन पिछले कई वर्षों से विद्यालय क्रमोन्नत नहीं हो रहे हैं, इसलिए इन विद्यालयों को यदि आपका अवसर लग जाता है तो देखिये और इनको खोलने की कोशिश कीजिये।

सभापति महोदय, इस वर्ष सरकार ने स्कूलें तो नहीं खोली, लेकिन कुछ विद्यालयों के स्वरूप को सुधारने के लिए फर्नीचर देने की व्यवस्था की है कि हम फर्नीचर सप्लाई करेंगे, विद्यालयों को ठीक प्रकार से संचालित करने में सहयोग करेंगे। मेरा निवेदन है, माननीय शिक्षा मंत्री, माध्यमिक विद्यालय कानोजा, कलालिया, बीजागुढ़ा, रायड़ा कलां, चित्ताड़, सैनड़ा गिरि, सान्य और केलवास, रामपुरा इस साल ही खुला है, ये माध्यमिक विद्यालय मेरे क्षेत्र में हैं, ये सारे ऐसे इंटीरियर बैल्ट में आये हुए हैं जहां पर नवीं, दसवीं के बच्चों को जितना फर्नीचर उपलब्ध होना चाहिए। वह नहीं हो रहा है, इसलिए इन विद्यालयों में फर्नीचर आप उपलब्ध कराएं। अभी उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली कलां जो रेज किया है उसमें और बड़ में भी फर्नीचर सप्लाई करने का काम करें।

(श्री हीरासिंह चौहान)

सभापति महोदय, मैं तकनीकी शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, दो साल पहले के बजट भाषण में यह घोषणा की गयी थी कि हरेक पंचायत समिति मुख्यालय पर कोई न कोई औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किया जाएगा। हमने आस लगायी थी कि मेरी पंचायत समिति के मुख्यालय रायपुर में भी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र राज्य सरकार खोल देगी। लेकिन बड़े दुःख और पीड़ा के साथ मुझे यहां कहना पड़ता है कि बजट घोषणा के बावजूद, बजट घोषणा तो पिछले साल चिकित्सालय भी खोलने की थीं, साल भर में नहीं खुले और वह बजट भी लैप्स हो गया, इसी प्रकार से यह है। या तो आप घोषणाएं मत कीजिये, अगर आप घोषणा करते हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है। हर तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय पर आपने ऐसी घोषणा की थी तो उस व्यवस्था को पूरा करना चाहिए ताकि आपके बजट में तो विश्वास किया जा सके।

सभापति महोदय, एक चिंता का विषय है, पूर्व शिक्षा मंत्रीजी से कहूंगा, और वर्तमान से भी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए कक्षा एक और दो में जहां प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में बड़ी छात्र संख्या रहती है, आपने छात्रों का अनुपात निकाला, उसमें कक्षा एक और दो के लिए कोई टीचर नहीं रखा है। अब कक्षा एक और दो के विद्यार्थियों को पढ़ाएगा कौन? मैं मानता हूं कि शहरी मां-बाप पढ़े-लिखे होंगे, उनके बच्चे कक्षा एक और दो तक बैठने ही जा रहे होंगे, उनकी पढ़ाई मां-बाप करा देते होंगे। लेकिन गांव में जो क, ख नहीं जानता, उसकी किसी प्रकार की एजुकेशन नहीं है, गिनती नहीं जानता, उन बच्चों के लिए जब तक आप अध्यापक नहीं देंगे, क्या तीसरी में आकर बच्चा होशियार हो जाएगा? मैं अपने जीवन में बारह साल अध्यापक रहा हूं, पढ़ाई का मूल आधार ही वही है। वहीं से बच्चा इंटेलिजेंट होता है, वहीं उसके आई.क्यू. की परीक्षा होती है कि किस प्रकार उसको आगे पढ़ना होता है तो कक्षा एक और दो के लिए अध्यापक का नहीं रखना बड़ी चिंता का विषय है। आप किस प्रकार से प्राइमरी एजुकेशन को सुदृढ़ बनाना चाहते है? या गांव वालों को डफर ही रखना चाहते हैं? आप में आप पर आरोप लगता हूं, कक्षा एक और दो के लिए किसी भी हालत में व्यवस्था करें। इस जुलाई में जो नया शिक्षा सत्र शुरू होता है, आप छात्रों का अनुपात निकालकर, अध्यापकों का समानीकरण करके अध्यापक दे रहे हैं, उसका ठीक प्रकार से पुनःपरीक्षण करें और इस बात का अच्छी तरह से अंदाज लगाएं। आपने बहुत ही विद्वान डायरेक्टर बैठा रखे हैं, ये क्या करते हैं? ये तो आपको राय देते होंगे।

(श्री हीरासिंह चौहान)

पहली और दूसरी के लिए अध्यापक नहीं रखना और छात्र अनुपात तय कर रहे हैं, यह कैसे सम्भव है? इसलिए इसका भी आप वापस अध्ययन कीजिये ताकि ठीक हो सके।

सभापति महोदय, शिक्षाकर्मी योजना के प्रति मेरा अच्छा अध्ययन रहा है। राज्य में शिक्षाकर्मी योजना 1987 से लागू की गयी थी और मैं इस योजना की बहुत तारीफ करता हूं। इसकी तारीफ करने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि ऐसे इंटीरियर इलाके, ऐसी ढाणी जहां पर अध्यापक का ठहराव नहीं होता है तो उसी लोकल से ही शिक्षा कर्मी बोर्ड का टास्क फोर्स जाता है और जो भी दस-पन्द्रह बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनसे आठ-दस सवाल पूछते हैं और जो सबसे अच्छे मार्क्स लाता है उसका चयन किया जाता है। वह उसी ढाणी का आता है, दूर का नहीं आता है। एक क्राइटेरिया होता है, उसी ढाणी से दो बच्चे लिये जाते हैं। उसका ध्येय यह है कि वहीं ढाणी के ही बच्चे, ढाणी का ही मास्टर आगे जाकर वहां पर अच्छी शिक्षा देगा। सभापति महोदय, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, मेरे यहां पर 61 स्कूलें चल रही हैं आज की तारीख में, प्राइमरी स्कूलों का हम कभी कापीटीशन कराते हैं तो शिक्षाकर्मी के विद्यालय सबसे अच्छी तो शिक्षा देते हैं और हर 15 स्कूल के ऊपर एक एस. डी. आई. रखा हुआ है इनका जिसको शिक्षाकर्मी सी.ई.ओ. भी कहते हैं, ठीक प्रकार से इनका इंस्पैक्शन होता है और शिक्षा का गुणात्मक स्तर भी बहुत अच्छा है। लेकिन वे अध्यापक जो लम्बे समय से सेवा में हैं, उनकी सेवा शर्तों के बारे में सरकार किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती। वे सब के सब शिक्षाकर्मी आंदोलित हैं। एक साल में उनको 120 दिन की ट्रेनिंग मिलती है, बाकायदा राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड उनको ट्रेनिंग देता है और उसका कैडर तय किया हुआ है कि वो पहली क्लास कैसे पढ़ाएगा, दूसरी कैसे, तीसरी कैसे। इस प्रकार से उनको इतना ट्रेन करते हैं कि बी.ए. बी.एड. और एस.टी.सी. जो हैं उनसे भी ज्यादा वो होशियार बच्चे हो जाते हैं। लेकिन बड़े दुःख और पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि बार-बार मांग के बावजूद भी ऐसे हजारों अध्यापकों को नियमित करने के बारे में यह सरकार चिंतित नहीं है। पैराटीचर के बारे में तो यह है कि पैराटीचर तो आपके राज में लगाये गये हैं, लेकिन 1987 से चल रहे हैं। उनको परमानेंट करने के लिए उनकी कोई सेवा शर्तें जब तक नियमित नहीं करते हैं तब तक उनको विश्वास नहीं होता है कि यह सरकार कब किस प्रकार का व्यवहार करेगी या निकाल देगी। इसलिए, सभापति महोदय, शिक्षाकर्मी अध्यापक, पैराटीचर, राजीव गांधी वाले, हम तो सब के लिए मांग करते हैं कि

(श्री हीरासिंह चौहान)

सभी प्रकार की या तो आप स्पेशल नीति बना दीजिये, उनका कैडर तय कर दीजिये लेकिन उनकी सेवा शर्तें तो तय कीजिये। आज दैनिक मजदूर बने हुए हैं, किसी को 1200 रुपये मिलते हैं, किसी को 1800 रुपये मिलते हैं। एक मजदूरी करने वाला भी ठीक प्रकार से इनसे अच्छी मजदूरी प्राप्त करके मासिक वेतन प्राप्त कर सकता है, लेकिन जिनको आपने सरकारी सेवा में लिया है उनकी बहुत कम तनखाह है। महीने भर वो क्या पढ़ाएगा? हमारे सांवर लालजी उदाहरण देते हैं, एक अध्यापक पढ़ा रहा था कि गंगा नदी किस खाड़ी में गिरती है, तो उसने अरब सागर में गेर दी। उसने पूछा कि अध्यापक, यह क्या कर रहा है, यह तो बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो उसने कहा कि मुझे तनखाह ही इतनी ही मिलती है। जितनी तनखाह दोगे उतना ही पढ़ाऊंगा। मेरी गंगा नदी तो अरब सागर में गिरेगी, मैं तो इसको बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जा सकता। इस प्रकार शिक्षा के स्तर में गिरावट आई हुई है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम यह जो शिक्षाकर्मी अध्यापक हैं राजस्थान के, उन सब को नियमित किया जाए और उनकी सेवा शर्तें तय की जाएं। आप इन सेवा शर्तों पर नहीं रख सकते, मैं तो मांग कर रहा हूं कि थर्ड ग्रेड के अध्यापक की जो सैलेरी है उतनी दी जानी चाहिए। अगर सरकार पर आर्थिक भार ज्यादा पड़ रहा है तो अलग प्रकार की सेवा शर्तें बना सकते हैं। यह कोई संख्या कम नहीं है, हजारों की संख्या है। आपके पैराटीचर वाले, राजीव गांधी वाले भी हैं। आप इसमें थोड़ा बहुत करना चाहते हो तो कोई दूसरी पालिसी घोषित करके कम से कम उनकी सेवाएं नियमित तो की जाएं जिससे उनमें विश्वास तो हो आप इस कैडर को तो सबको गिनाते हो, कि हमने इतनी नयी भर्ती कर दी, 1200 रुपये वालों को भी आप गिनाते हो, 1800 रुपये वालों को भी आप गिनाते हो, सबको संख्या में तो आप बता रहे हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी सेवा नियमित की जाए। इनकी सेवा शर्तों के साथ में जो भी है, यह सरकार बाउंड होकर इनकी सेवा शर्तों को ठीक प्रकार से करके इनको नियमित करे। माननीय सभापति महोदय, यह सारा जो मैंने शिक्षाकर्मियों के बारे में आपसे निवेदन किया है, सरकार अपना जवाब देवे तब इस बारे में निश्चित तौर से क्या पालिसी अपनाएंगे, क्या करेंगे, यह सदन को अवगत कराये, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती शांति पहाड़िया।

श्रीमती शांति पहाड़िया (बैर) : श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से शिक्षा पर बोलना चाहती हूं। वास्तव में हमारे मास्टरों का बुरा हाल है। स्कूलों में कभी जाते

(श्रीमती शांति पहाड़िया)

हैं, कभी नहीं जाते हैं। पेपर चलते रहते हैं तब भी कभी जाते हैं तो कभी नहीं जाते हैं। देहात में तो यह हालत है। और जो कस्बे या नगरपालिका हैं उनमें यह हाल है कि कई जगह खाली पड़ी हुई हैं और बच्चे परेशान हैं। बच्चों पर खास तौर से वो ध्यान देते भी नहीं हैं। जैसे अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि शिक्षाकर्मी काफी अच्छी तरहं से बच्चों को पढ़ाते हैं और काफी मैरिट में आते हैं, हमारे सरकारी स्कूलों की तरफ से बच्चे उधर भागे जा रहे हैं। इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए, एक तो मैं इसको बताना चाह रही थी।

दूसरा, मेरा मंत्रीजी से अनुरोध है कि शिक्षा के साथ-साथ यह टैक्निक भी सिखाई जाए, जैसे हमारी बुक में यह छपना चाहिए कि पानी की हमें इतनी परेशानी आ रही है। बुक्स में बच्चे पढ़ेंगे तो शायद उस पर ध्यान देंगे। आपके बड़े बड़े पढ़े-लिखे इंजीनियर, डाक्टर घूमते हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है। वो गलत-गलत जगह में जाते हैं : कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई कुछ करता है। इसलिए आप टैक्निकल कोई चीज उनको सिखाएं जैसे लकड़ी को लेकर, कील, सुई, ताले या कोई भी चीज बनाने का उसमें रखना चाहिए। एक एक विषय हर किताब में इस प्रकार का रखना चाहिए जिससे बच्चों में जैसी रूचि हो वैसा वह करने लग जाएं। नहीं तो बहुत-से बच्चे हैं जो पढ़ तो जाते हैं, मां-बाप बड़ी मुश्किल-से पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत पढ़-पढ़ कर इधर उधर जाते हैं। मानती हूं कि सब को तो नौकरी नहीं मिल सकती, नौकरी तो है भी कहां? इन चार सालों में इस अकाल ने जो झिंझोड़ कर रख दिया है कि अब तो पानी और खाने की भी परेशानी आएगी, पढ़ाई की तो दूर रही।

इसके साथ साथ कुछ स्कूलों को क्रमोन्नत भी किया जाना चाहिए जिनमें बच्चे अच्छी विद्या पा लें। इसके अलावा लड़कियों के ज्यादा स्कूल होने चाहिए। हालांकि हमारी लड़कियों पर देहात में अभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है लेकिन अगर स्कूल लड़कियों का होगा तो शायद मां की समझ में आ जाएगी कि लड़कियां ही लड़कियां हैं, चलो पढ़ने को भेज दो। बहुत-सी बहनें हैं जो लड़कों के साथ पढ़ने के लिए नहीं भेजती हैं।

मैं बोलना तो बहुत चाहती थी लेकिन थोड़ा-सा कह कर समाप्त करना चाहती हूं। हमारे मंत्रीजी यह जो मैंने कहा है इस पर ध्यान देंगे। बच्चों की पढ़ाई में हरेक काम सीखने के लिए दिया जाए ताकि अपनी पढ़ाई के साथ अपने छोटे-छोटे धंधे कर सकें। आपने लोन तो कर दिया कि बच्चा अगर कोई काम करेगा

(श्रीमती शांति पहाड़िया)

तो लोन मिलेगा, लेकिन उनकी रूचि किसी काम में है ही नहीं। इसलिए उनको ऐसा सिखाया जाए, ऐसा पढ़ाया जाए कि जरूर घर घर में कारखाना खोले। यह थोड़े ही है कि कहीं फैक्ट्री बनाओ और खोलो। कोई सुई बनाए, कोई कैंची बनाए, कोई घड़ी बनाएं, कोई और चीज बनाएं, कोई लकड़ी का काम करे, कोई कील बनाए। तरह तरह के घर में भी धंधे हो जाते हैं। पढ़ाई में तो आप हाई-हाई पढ़ाई करवा देते हैं फिर उनको नौकरी मिलती नहीं है और फिर तरह तरह के, अभी मैं होली पर इलाके में गई थी तो उधर देखा कि बुजुर्ग खुद भी जुआ खेलते हैं और पढ़े-लिखे हैं उनको भी खिलाते हैं। तो इस पर कुछ भी अकुंश लगाना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। अभी जैसे हमारे चौधरी बंशीवालजी ने और अब चौटालाजी ने भी किया कि यह शराब है यह भी बन्द हो जाए तो हमारे पढ़े-लिखे बच्चे शायद शराब पीकर तो नहीं पड़े रहे। शराब पीकर पड़े रहते हैं। मैं तो आपसे यही अनुरोध करती हूं कि शिक्षा देनी है तो ऐसी शिक्षा दो जिससे बच्चे तरक्की पर पहुंचे और अच्छे नागरिक बने। आपने देखा होगा कि हर जगह यह पुड़ी लटकी रहती है, गुटखा कहते हैं या क्या कहते हैं भगवान जाने उसको, मैंने देखा है कि 2-2, 3-3 साल के बच्चे खाते हैं। और शर्म की बात तो यह है कि हमारी महिलाएं भी खाती हैं। यह जहर है, यह खा-खाकर आप लोगों से हास्पिटल खुलवाते हैं क्योंकि इससे कैंसर होता है, तरह-तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए किताबों में यह भी दिया जाए कि यह खतरनाक चीज है, ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए। मैं यही कह कर समाप्त करना चाहती हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय सुमित्रा सिंहजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, साक्षरता का मतलब किसी भी भाषा को पढ़ने की, लिखने की और समझने की क्षमता रखना है। शिक्षा इंसान को अपने जीवन में एक ऐसी पद्धति सिखाती है

(15.20 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

जिससे वो ज्यादा समझ सके। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की बुनियादी नींव है। मैं प्रारम्भिक शिक्षा से शुरू करती हूं। प्रारम्भिक शिक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, मैं उन योजनाओं का नाम लेना चाहूंगी। सबसे पहले तो शिक्षाकर्मी योजना है। शिक्षाकर्मी योजना में प्रारम्भिक साक्षरता है। जो प्रारम्भिक शिक्षा है वही साक्षरता है, उसके लिए शिक्षाकर्मी योजना है। वो ब्रिटिश सरकार के सहयोग से फिफ्टी-फिफ्टी के आधार पर चल रही है, 50 राजस्थान सरकार

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

का, 50 उनका। जिसमें प्रहर पाठशाला है, आंगन पाठशाला है। इसमें पांच साल के लिए रुपये मिले थे 240 करोड़। अब तक चार साल में मिल पाये हैं 123 करोड़, और आपने खर्च क्या किया? बिजली बचाओ, पानी बचाओ, सबको पढ़ाओ, सारी दीवारें रंग दीं और खर्चा किया है। 123 करोड़ में से 98 करोड़। यह तो सबको पढ़ाओ का हाल है, और योजनाएं कितनी? यह तो हुई शिक्षाकर्मी योजना उसके बाद लोक जुम्बिश। लोक जुम्बिश स्वीडन सरकार और भारत सरकार दोनों के सहयोग से है जिसमें 60 परसेंट स्वीडन सरकार का, 40 परसेंट भारत सरकार का और 20 परसेंट राजस्थान सरकार का है। इसमें 400 करोड़ रुपया था। उस में से 98 करोड़ खर्च हुआ। इस 400 करोड़ में से 200 करोड़ स्वीडिश सरकार का है, 122 करोड़ भारत सरकार का है, 78 करोड़ राजस्थान सरकार का है। इसमें कितने ही है-मुक्त आंगन, शिक्षा आपके द्वार, शिक्षा मित्र केन्द्र, जनशाला कार्यक्रम और भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षाकर्मी के साथ लोक जुम्बिश, दो तो हैं ही, सतत् साक्षरता, सरस्वती योजना, गुरुमित्र योजना, डी.पी.ई.पी., राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला और आखर सेतु, इतनी सब योजनाओं के बाद हमारी हालत क्या है? हमारी हालत यह है कि रीता वर्मा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री हैं, उन्होंने लोक सभा में एक बयान दिया था, एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि राजस्थान के अन्दर 3578 गांव और बस्तियां ऐसी हैं जहां विद्यालय खोलने के लिए केन्द्र सरकार विभिन्न प्रायोजित योजनाएं, जिला प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम, डी.पी.ई.पी., लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी परियोजना, जनशाला के माध्यम से यद्यपि हम सहायता दे रहे हैं, लेकिन 3573 गांव और ढाणियां ऐसी हैं जहां न प्राथमिक और न उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। यह जवाब भारत सरकार की मानव संसाधन राज्य मंत्री का है। इतनी योजनाओं के बाद, इतना करोड़ रुपया खर्च करने के बाद हम कहां पर स्टैण्ड करते हैं, यह इससे जाहिर होता है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगी, यह बात तो सही है कि इन योजनाओं के जरिये साक्षरता की दर पिछले 10 साल में हमने बढ़ायी। जो भारतीय औसत परसेंटेज शिक्षा का है, आज हम पुरुष साक्षरता के अन्दर उससे आगे चले गये हैं, आगे बढ़ गये हैं, हमने बहुत प्रगति की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज भी इतनी स्कूलों के बाद कितनी कमी है? कई स्कूलें ऐसी हैं, आदर्श स्कूलें हैं, आदर्श स्कूलें कुछ ही जिलों में हैं-कोटा, बूंदी झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर और करौली जिले हैं जहां पर हमारी आदर्श स्कूलें चलती हैं 1011 वहां पर स्कूल टीचर्स की कितनी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

कमी है? 1590 स्कूल टीचर्स की कमी है। तो स्कूल खोलने का क्या मतलब है? यदि हम वहां पर अध्यापक नहीं रख सकते तो मात्र खोल देने से क्या मतलब निकलने वाला है?

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी, जैसा मैंने कहा, महज स्कूल खोल देने से साक्षरता की दर नहीं बढ़ जाएगी, उससे कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। अभी स्कूल आठवीं तक है और अध्यापक एक। कितने दिन से? तीन साल से, कोई एक साल से भी नहीं, तीन साल से एक अध्यापक के भरोसे आठवीं तक की स्कूल चल रही है। कहां चल रही है? वह विधायिका यहां पर बैठी हैं, उनके इलाके में चल रही है। जयपुर शहर से मात्र 20 किलोमीटर दूर सांगानेर पंचायत समिति के सिरोही गांव में उच्च प्राथमिक स्कूल पिछले तीन वर्ष से एक ही अध्यापिका के भरोसे चल रहा है। इस दौरान कई शिक्षाधिकारी निरीक्षण करने आये, लेकिन शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो पाई। जबकि साल भर पहले ये मंत्री भी रह चुकी हैं सांगानेर से आने वाली विधायिका। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही हूं कि यह सब करके भी प्रारम्भिक शिक्षा जिसको आप प्राथमिक शिक्षा कह रहे हैं, वह आपके गले की हड्डी बन गई है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी। कैसे बन गई है? पैराटीचर्स के साथ तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी ने 13 नवम्बर, 2001 को एक समझौता किया था और उस समझौते की शर्त है, मैं पहले भी यह बात कह चुकी हूं, उस समझौते की शर्त थी कि चार साल की अवधि के बाद 4500–7000 की वेतन श्रृंखला के अन्दर आपको नियमित कर दिया जाएगा। आपने क्या किया? यहां पर प्रदर्शन करने आये, जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार था, प्रदर्शन करने आये तो लाठियां भाजीं। कई महिलाओं को आपने सड़क पर गिरा दिया और लोगों की हड्डियां तोड़ डालीं। फिर परेशान होकर क्या किया? मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी, बड़े अदब के साथ आपको निवेदन करना चाहती हूं कि आपके पांच पैराटीचर्स, जो 1200 रुपये पर आपने नियुक्त किये थे, महज इसलिए कि उनका गुजारा नहीं हो रहा था, परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली।

डा. बी.डी. कल्ला (शिक्षा मंत्री) : मैं पहले भी खण्डन कर चुका हूं कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की। वे अपने कोई सामाजिक कारणों से, लिखकर गये हैं कि मैंने अपने पारिवारिक कारणों से आत्महत्या की है। आप उस दिन अनुपस्थित थीं, मैंने आपकी अनुपस्थिति में सबका खण्डन कर दिया था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बिराजिए, मैं बताऊंगी। मैं अब भी कह रही हूं।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आपको जवाब का मौका मिलेगा तब आप अपनी पूरी बात कहिएगा। मैं आपको चुनौती दे रही हूं-मिश्रीमल गर्ग जिन्होंने जालौर में अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं इसलिए परेशान होकर कि जहां मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आज मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं मेरे परिवार का भरण-पोषण कर सकूं, इसलिए मैं इसी प्रशिक्षण आवास के अन्दर, डाइट के अन्दर अपने आपको फांसी के तख्ते पर लटकाया हूं, और वे मरे। मैं आपको चुनौती दे रही हूं यदि यह बात गलत हो। आज भी उसके सुसाइड नोट के अन्दर यह लिखा हुआ है, यदि यह बात गलत हो तो आप जो कुछ कहेंगे वह परिणाम भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। वरना आप मेरी इस चुनौती को स्वीकार कीजिए। मैं आपसे कह रही हूं, एक नहीं पांच, एक टांके में कूद कर मरा है, पांच व्यक्ति हैं। तीन के तो मैं आपको नाम बता सकती हूं और दो के नाम मैं आपको बाद में दे सकती हूं, अभी मेरे पास नाम नहीं हैं। लेकिन तीन के नाम आपको बताती हूं, एक मिश्रीमल गर्ग है। मिश्रीमलजी गर्ग ने 7 अगस्त, 2002 को जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में अपनी आत्महत्या की थी। उस दिन मुझे बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि वह अस्पताल में भर्ती हुए, मरे नहीं। मैं कहती हूं वह मर गये। चौहटन, बाड़मेर के शिक्षा सहयोगी राजेन्द्र चौधरी और ओसियां, जोधपुर के शिक्षा सहयोगी देवेन्द्र ने भी इसी वजह से अपनी इहलीला समाप्त की है। इन तीनों बातों के बारे में मैं आपको चुनौती दे रही हूं, आप पता लगाइये, उनका सुसाइडल नोट देखिये और उसके बाद आप यहां पर मुझे बताइएगा कि मेरी बात गलत है क्या।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं बोनस अंकों के आधार पर आपने कुछ अध्यापकों की नियुक्ति की थी। जिन अध्यापकों की नियुक्ति की थी, जो उनसे मैरिट में आगे थे, मैरिट में वरिष्ठ थे वे लोग गये कोर्ट में। राजस्थान के हाई कोर्ट ने फैसला दिया। जो लोग कोर्ट में गये थे उनको आपने नियुक्ति दी थी। सुप्रीम कोर्ट में गये, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोनस अंकों के आधार पर नियुक्ति करने का आपको अधिकार नहीं है। आपने बोनस अंक रख दिये 15 परसेंट, 10 ग्रामीण के और 5 जिले के और उस आधार पर आपने लोगों को नियुक्ति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया। मैंने इसी सदन के अन्दर, आज तो मेरे पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आपरेटिव पार्ट पढ़कर सुनाया था। उसमें कहा गया है कि बोनस अंकों के आधार पर दी हुई नियुक्ति गलत है, एक महीने के भीतर भीतर इन अध्यापकों की बोनस अंकों को

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हटाते हुए मैरिट के आधार पर सूची बनाकर इनको सर्विस दी जाए। एक महीने के बजाय आज 5 महीने बीतने आये हैं, उनको रोजाना बीकानेर डाइरेक्टर के यहां पर जाना पड़ता है। आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो शेष 8 महीने हैं वे आज और कल करते करते आप यों ही निकाल दोगे। आपके गले की हड्डी बनी हुई है प्राथमिक शिक्षा के पैराटीचर्स और बोनस अंकों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जो अवहेलना कर रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की, दोषी तो बनेगी ही सरकार, लेकिन साथ में आपने मखौल बना रखा है। जो लोकतंत्र का आधार है न्यायपालिका, इसकी अवमानना करने में भी आपको गुरेज नहीं है, माननीय सभापति महोदय, यह बात मुझे अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है।

माननीय सभापति महोदय, इसके बारे में तो बहुत कुछ कहा जा चुका है कि हमारे स्कूल खाली पड़े हैं। हमने क्रमोन्नति कर दी-प्राथमिक से उच्च प्राथमिक बना दिये, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक बना दिये, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक बना दिये लेकिन आज भी स्टैंडिंग आर्डर है सरकार का कि जिनको माध्यमिक से उच्च माध्यमिक बनाया गया है उनमें यही हैडमास्टर काम करते रहेंगे। प्रिंसिपल नहीं आये, जबकि कायदे से, जैसा कि आप भी कह रहे थे, वहां प्रिंसिपल आने चाहिए थे। लेकिन किसी भी स्कूल के अन्दर प्रिंसिपल नहीं लगाये गये और एक-एक, दो-दो अध्यापकों के भरोसे सालों से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल चल रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब उच्च शिक्षा पर कुछ निवेदन करना चाहती हूं। यह तो बात सही है कि राजस्थान में 47-48 के अन्दर केवल 25 कालेज थे और 5 व्यावसायिक (प्रोफेशनल) कालेज थे। यह हमारी 1947-48 की हालत थी। 1951 के अन्दर राजस्थान के अन्दर केवल एक ही यूनिवर्सिटी थी और वह थी यूनिवर्सिटी आफ राजपूताना। राजपूताना के नाम से यूनिवर्सिटी आफ राजपूताना थी। 1962 के अन्दर, 1951 के 11 साल बाद में दो यूनिवर्सिटी और बनाई जोधपुर और उदयपुर। दो यूनिवर्सिटी 1962 में और बनाई थी, लेकिन एक साल के अन्दर अन्दर कितनी यूनिवर्सिटी बनाई हैं? आज 11 यूनिवर्सिटीज इस राजस्थान में काम कर रही हैं। यूनिवर्सिटीज की हालत क्या है? नाम की तो खोलने को यूनिवर्सिटी खोल दो, 10-10 लाख का प्रावधान कर दिया, यूनिवर्सिटीज हो गईं, लेकिन एक निवेदन जरूर आपसे करना चाहूंगी कि महज यूनिवर्सिटी खोल देने से काम नहीं चलेगा। 1971 से लेकर 1981 तक हिन्दुस्तान के अन्दर 4-5 चोटी की यूनिवर्सिटीज में जिस राजस्थान यूनिवर्सिटी का नाम आया करता

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

था, आज उस यूनिवर्सिटी की क्या हालत है, यह कोई काम आपसे छिपा हुआ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, क्या हालत हमने आज यूनिवर्सिटी की बना दी? क्या महज यूनिवर्सिटी खोल देने से सारा समुदाय शिक्षित हो जाएगा? क्या करना चाहते हैं? हमने शिक्षा में यूनिवर्सिटी तो बहुत खोल दीं, कालेज भी आज इतने हमारे पास हो गये हैं-राजकीय कालेज हैं 111 और गैर राजकीय हैं, (प्राइवेट) 223, सामान्य विश्वविद्यालय हैं 7, विधि विश्वविद्यालय है एक संस्कृत विश्वविद्यालय है एक और डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं चार डीम्ड मतलब समकक्ष, यूनिवर्सिटी के समकक्ष, ऐसी चार यूनिवर्सिटी हैं जिस राजस्थान के अन्दर 1951 और 52 के अन्दर केवल 12 हजार विद्यार्थी थे आज उसमें 2 लाख 62 हजार 64 विद्यार्थी हैं। संख्या तो हमने बहुत बढ़ा दी 1951 में एक विश्वविद्यालय ही था, लेकिन वहां शिक्षक और छात्र का अनुपात था 1:8 मतलब एक लैक्चरार के पीछे 8 स्टूडेंट। और आज क्या हैं? आज है 22:1 22 विद्यार्थियों के पीछे एक लैक्चरर नतीजा क्या? पर्सनल अटेंशन जो अध्यापक को देना चाहिए अपने स्टूडेंट्स पर, वह नहीं दे पाता है। इसलिए महज प्रचार-प्रसार करके शिक्षा की गुणवत्ता को नष्ट होने से बचाया जाना चाहिए। आप तो खुद शिक्षाविद् हैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, इसलिए गुणवत्ता की तरह भी आपका ध्यान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर हम चाहते हैं। जाब गारंटी है नहीं, पढ़ने वाले फर्स्ट क्लास आने वाले के पास भी कोई जाब गारंटी नहीं है, यूनिवर्सिटी को टाप करने वाले के पास भी कोई गारंटी नहीं है कि उसे जाब मिल ही जाएगा और फिर क्या चाहते हैं इन बेरोजगारों की संख्या को बढ़ाकर हम? जिस कदर यूनिवर्सिटीज, जिस कदर कालेजेज खोल रहे हैं, क्या चाहते हैं? समाज में अराजकता, समाज के अन्दर विध्वंसक प्रवृत्ति ? क्या करेगा वह बच्चा यूनिवर्सिटी में जिसने टाप किया है, जो गोल्ड मैडलिस्ट है और जिसको जाब नहीं मिल रहा हो? समाज के प्रति नफरत और एक ऐसी भावना जिसका भविष्य सुरक्षित नहीं है, वह आखिर विद्रोही नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? इन सब बातों की तरफ भी यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो हम अपने प्रदेश को अराजकता की तरफ धकेल रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ शब्द कला और संस्कृति के बारे में कहना चाहूंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नहीं, मैं अपनी बात को समाप्त ही कर रही हूं आप घंटी न बजाएं तो अच्छा रहेगा। मैं एक निवेदन और करूंगी शिक्षा के बारे में, फिर कला और संस्कृति पर जाऊंगी।

माननीय सभापति महोदय, मुझे याद आता है मैं पढ़ा करती थी जब की बात है। आज आपके कालेज का जो निदेशक है उसको आपने महज एक बाबू बनाकर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

छोड़ दिया है। मुझे याद आते हैं शंकर सहायजी सक्सैना, मथुरालालजी शर्मा और बी. बी. जॉन जो किसी जमाने में कालेज एजुकेशन के निदेशक हुआ करते थे, कितने स्वाभिमानी, कितने दबंग, कितनी सूझबूझ वाले और कितनी निष्ठा से काम करने वाले व्यक्ति थे लेकिन आज आपने कालेज के निदेशक को महज एक बाबू बनाकर छोड़ दिया। मैं निवेदन कर रही हूं इसलिए, कि पहले यूनिवर्सिटी में कहते थे कि आप हमारे यहां पर वाइस चांसलर बनकर आइये और राजनीतिज्ञों के आगे-पीछे खुशामद करके चलते हैं जिन्हें वी. सी. बनना होता है, यह फर्क पड़ गया है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन कर रही थी कि आखिर यह सब क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है। कुछ तो जिनको आगे भविष्य नजर नहीं आ रहा है उन छात्रों का असंतोष, उनकी अनुशासनहीनता और कुछ हमारे प्राध्यापकों और प्रोफेसर्स की भी जिसे कहना चाहिए उद्दण्डता। पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वी.सी. के सामने जाकर या कालेज का प्रिंसिपल खड़ा हो और कोई स्टूडेंट उनके सामने से सिगरेट पीता हुआ या किसी तरह से यों ही करता हुआ चला जाए। आज तो वी.सी. के सिर पर ही सिगरेट बुझा दें, ऐसे विद्यार्थी हैं। इन सबने, कुल मिलाकर हमारी शिक्षा का वातावरण ऐसा बना दिया है जिस पर हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम इसमें आमूलचूल परिवर्तन करके कैसे इसकी गुणवता को कायम रख सकें।

सभापति महोदय, कला और संस्कृति के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि किसी भी देश की पहचान कला और संस्कृति के द्वारा ही होती है और कला और संस्कृति ही किसी देश और प्रदेश की बुनियाद होती है कला और संस्कृति मिनिस्टर गायब हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान अपनी कला और संस्कृति, अपने रंग-बिरगें त्यौहार, मेले, अपनी तीज-त्यौहारों के कारण, अपनी अनूठी शौर्य गाथाओं के कारण याद किया जाता है, एक पहचान रखता है। (व्यवधान) कौन जवाब देगा, सभापति महोदय, मेरी बात का?

श्री शैलेन्द्र जोशी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : मुझे अधिकृत किया गया है।

श्रीमती ममता शर्मा (संसदीय सचिव): सभापति महोदय, कला-संस्कृति से जुड़ी हुई मंत्री यहां बैठी हुई हैं, विजय लक्ष्मीजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : वह भी लिख रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्री नहीं हैं, पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी जवाब नहीं देती कभी। नो, नो, नो, नोट एट आल पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी कभी जवाब नहीं देती है।

श्रीमती ममता शर्मा : इस विभाग से जुड़ी हुई हैं इसलिए वह बैठी हैं, वह लिख रही हैं इसलिए मैंने कहा कि वह लिख रही हैं। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला (चिकित्सा मंत्री): यह आप क्या बात करते हैं, मैं पुराना रेकार्ड निकाल कर बता सकता हूं ।

श्रीमती ममता शर्मा : वह लिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी बात को यहां कोई सुन नहीं रहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : पहले गलती हुई है तो...

डा. बी. डी. कल्ला : पहले गलती नहीं हुई है। पार्लियमिंट्री सैक्रेटरी क्वेश्चन का जवाब दे सकता है।

श्री सभापति : माननीय जिम्मेदार मंत्रीगण बैठे हैं, नोट करेंगे, जवाब देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कौन बैठे हैं बताइए तो सही आप मुझे?

श्री सुरेन्द्र व्यास : सबका जवाब कल्लाजी देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: बोलना चाहिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): आपके मंत्री की परिभाषा में लिखा हुआ है रूल्स में उसमें पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी को मंत्री ही माना है। इसमें क्या हुआ?

श्री सभापति : माननीय सचेतकजी, कोई डिस्प्यूट नहीं है इसमें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि नारी हमारी कला और संस्कृति की संरक्षक होती है और जब तक..

श्री सुरेन्द्र व्यास : जवाब देने के लिए वह बैठे हैं सुबह से, वह कहीं जा ही नहीं रहे टैक्निकल एजुकेशन पर बोलो न आप, वह बैठे हैं तैयार।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : उच्च शिक्षा मंत्री बिराजे हुए हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा ही नहीं हाउस छोड़कर, जवाब दूंगा मैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने न कोई सुझाव दिया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उच्च शिक्षा पर कोई बोलो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा ही नहीं हाउस छोड़कर जवाब दूंगा मैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह बोल दिए मिसेज पहाड़ियाजी बोल दी टैक्निकल एजुकेशन के बारे में, सभापति महोदय आसन पर विराजमान हैं, वह बोल दिये। मैं तो कला और संस्कृति को टच करना चाहूंगी। मैं निवेदन करना चाहूती हूं कि नारी होती है कला और संस्कृति की संरक्षक। वह अपनी कला और संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपती है।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

कला और संस्कृति उसी की थाती है। इसलिए जब तक सुमेरपुर से आने वाली माननीय सदस्या कला और संस्कृति की मंत्री थी तब तक तो बात थी लेकिन अब तो कला और संस्कृति को भी पुरुषों के भरोसे छोड़ दिया। मुझे उम्मीद नहीं है कि वह इस थाती को बनाए रख सकेंगे। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि कला और संस्कृति तो अब हमारी इनके पास आ गई...(व्यवधान) आप कौन हो बनाने वाले? मैं यह निवेदन कर रही थी कि कला और संस्कृति की जो धरोहर है...

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं।

श्री सभापति : माननीय पारीक साहब, बिराजो। आप अपना कम्प्लीट कीजिए स्पीच। (व्यवधान) कोआपरेट प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इतने सारे हमारे संग्रहालय हैं, किसी को यह भी पता नहीं आज दिन तक मेरी समझ में कि वे कहां- कहां पर स्थित हैं। केवल हमें लिस्ट दे दी गई है लेकिन यह पता नहीं है कि कहां पर है मेरी समझ में डिपार्टमेंट को भी नहीं मालूम है। एक तो मैं यह चाहूंगी कि आपके जो कुछ भी इस तरह के संग्रहालय हैं कला और संस्कृति के, विरासत के, क्योंकि यह प्रदेश तो वीरों की शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा है, यहां के तो कण-कण में कला और संस्कृति है। आपने जो लम्बी चौड़ी लिस्ट उन कलात्मक संग्रहालयों की दी हैं, झुंझुनूं में मुझे खुद नहीं मालूम है मुझे उस दिन दी थी, मैंने कहा कि मुझे खुद नहीं मालूम कि यह कहां पर है। यह लम्बी-चौड़ी लिस्ट मेरी समझ में डिपार्टमेंट भी नहीं जान पाएगा कि कौनसी चीज कहां पर है। किस रूप में दी गई थी और आज उसका क्या स्वरूप है। इनमें से कौनसी चीज कहां से गायब हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई हैं मेरी समझ में नहीं है। न इस डिपार्टमेंट में किसी तरह के कोई स्थानान्तरण के नियम हैं, न कोई दूसरे यहां पर सर्विस रूल्स हैं। मैं यह चाहूंगी कि इस प्रकार आपके पास कौनसे स्थान कला और संस्कृति के अद्‌भुत जिसे कहना चाहिए हैं...(व्यवधान) तो उस हिसाब से मैं चाहूंगी कि आप उसकी पूरी सूची बनाकर ठीक तरीके से उनका रखरखाव करें ताकि हमारी यह धरोहर जिसके लिए राजस्थान जाना जाता है, वह हमारी अक्षुण्य रह सके।

अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह और निवेदन करना चाहूंगी कि शिक्षा, कला और संस्कृति पर जितना पिछले वर्षों में खर्चा होता रहा है, उससे धीरे-धीरे परसेंटेजवाइज आप कम करते जा रहे हैं। यह आपका ही दिया हुआ आय-व्ययक अध्ययन है, साल दर साल का आपके बता देती हूं कहां तो आप बात कर रहे

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हैं शिक्षा, सतत् शिक्षा, साक्षरता , सबको पढ़ाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ की और कहां शिक्षा का बजट धीरे–धीरे कम होता जा रहा है। सामाजिक सेवाओं पर आपका व्यय 1999–2000 में होता था 40.85 प्रतिशत, वह 2001 में हो गया 40.76 प्रतिशत, 2001–2002 में हो गया 40.16 प्रतिशत 2002–2003 में 38.93 और अब आप करने जा रहे हैं 38.38 कम बजट के जरिये सबको पढ़ाओ, कैसे हो पाएगा, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ? अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव सदन में पेश करती हूं।

श्री सभापति : माननीय गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24–शिक्षा, कला और संस्कृति पर अपने विचार रख रहा हूं। मान्यवर, भारतवर्ष जब आजाद हुआ, हमारा संविधान बना। संविधान में हमने अपने नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रावधान रखा कि 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। यह हमारे सिद्धांतों में था हमारा संकल्प था मुझे याद है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना बन रही थी उस समय के कर्णधारों ने अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा का प्रस्ताव रखा और देश में एक हल्ला मचा था कि साम्यवादी विचार के लोग देश को अधिनायकवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं कम्पलसरी एजुकेशन की चर्चा करते हैं। वह धक्का लगा जिसे हम 53 वर्ष की आजादी के बाद आज भी महसूस कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि नागरिक अशिक्षित होगा तो वह लोकतंत्र सही तरीके से नहीं चल सकता। तभी केन्द्र और राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि 2003 तक हम सब बच्चों को शिक्षालय पहुंचाएं 2007 तक प्राइमरी स्कूल, 2010 तक हम मिडल स्कूल की शिक्षा दें, ऐसा संकल्प केन्द्र और राज्य सरकार ने लिया है। उसके प्रावधान में हम देख रहे कि इस बजट में सारी समीक्षा की जा रही है। अब संकल्प तो हमने लिया, परन्तु जो हालात हैं आपके–हमारे सामने और बजट के प्रोविजन हैं गत वर्ष के और इस वर्ष के, उसकी ओर ध्यान दें तो हमें लगता है कि हमारी आयोजना में कुछ कमी है। गत बजट के समय भी मैंने कहा था कि हमने विद्यालय तो खोल दिये विद्यालयों का प्रोविजन रखा बजट में पर जब अर्थ की चर्चा आई तो विद्यालय खाली रहे जैसा हमारे सभी माननीय सदस्यों ने कहा।

हमने शिक्षा नीति बनाई हैं देश में, 1986 की शिक्षा नीति, 1992 की शिक्षा नीति, शिक्षा नीति के बाद में भी हम आज कहां हैं? हमारा शिक्षित नौजवान युवक चौराहे पर खड़ा है, उसको भ्रांति है कि वह जाएगा कहां तो हमें लगता

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

है कि हमारी शिक्षा में कमियां हैं, हमारी शिक्षा नीति को कम्प्लीट परिवर्तन की आवश्यकता है।

हमारे राष्ट्रपति गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा की चर्चा की थी, हम उस बुनियादी शिक्षा को भूल गये आज। बीच में व्यावसायिक शिक्षा की चर्चा हमने की। हमने स्कूलों में कई व्यवसाय खोले पर परिणति क्या हुई आज क्या हो रहा है? आज मैट्रिक पास, सीनियर सैकण्डरी पास, कालेज के लड़के चौराहे पर खड़े हैं। वे चाहते हैं रास्ता, वे चाहते हैं लेकिन जाएं कहां? नौकरी की तलाश में? नौकरी है नहीं। जो व्यवधान है उसमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए और उसके अनुसार हमारी शिक्षा नीति में परिवर्तन करने की अति आवश्यकता है। देश और राष्ट्र के सामने बहुत बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहां सिर्फ जनसंख्या है। हमारा मानव आज अशिक्षित है उस ओर हम चिंता नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य बहुत अंधकारमय होने जा रहा है। इसलिए कृपया शिक्षा नीति के बारे में मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कहूंगा जो बिराजे हुए हैं कि बैठकर चिंता करें कि हम अपनी शिक्षा को कैसे ऐसी बनाएं जिससे हमारे युवक बेरोजगार और चौराहे पर नहीं आएं।

मान्यवर, निश्चित रूप से शिक्षा में परिवर्तन आया है। जब देश आजाद हुआ हम 8 प्रतिशत शिक्षित थे और आज 61 प्रतिशत हमारी साक्षरता हो चुकी है। मेरे जिले की चर्चा करता हूं कि हमारे स्टेट में, जैसलमेर रिसायत का मैं आदमी हूं शिक्षा कुछ लोगों के लिए होती थी । हमारे पूरे स्टेट में हम 20 आदमी पढ़ते थे और मैट्रिक परीक्षा देने पर मैं अकेला पास हुआ था मैट्रिक में मुझे ध्यान में है परन्तु आज जब गांव गांव में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि हमारी ग्रामीण जनता पढ़ाई में आगे आ रही है और शिक्षा का विस्तार हो रहा है। शिक्षा के विस्तार में यदि हम गुणात्मक दृष्टि की देखें तो जैसा अभी सब साथियों ने चिंता की, कि हम विद्यालय तो अवश्य खोलें पर जो वेकेंसीज हैं, जैसा शिव से आने वाले साथी ने कहा कि सीमांत क्षेत्र में डैजर्ट में आपने अलग प्रोविजन कर रखे हैं। इस्टर्न राजस्थान के नौजवान वहां आकर एस.टी.सी. ट्रेण्ड होकर रोजगार पा लेते हैं और बाद में ट्रांसफ़र कराके अपने ज़िलों में चले जाते हैं तो मैं उनकी मांग का समर्थन करते हुए यह कहूंगा कि सीमांत क्षेत्र का अलग कैडर बनाएं ए.एन.एम. का और बुनियादी शिक्षकों का, ताकि वहां पर शिक्षक केवल बाड़मेर जैसलमेर के लिए एम्प्लाय करेंगे। तो जो वेकेंसीज हैं, जैसे 900 वेकेंसीज इन्होंने बाड़मेर जिले के लिए कही हैं, मेरे जिले में 400–500 तृतीय श्रेणी अध्यापकों की वेकेंसीज

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

हैं वे वेकेंसीज नहीं रहेंगी। तो स्पेशल कैडर बनाने की यहां पर चर्चा करूंगा।

निश्चित रूप से देश में और राजस्थान में अभी राजीव गांधी पाठशालाओं का हमने एक्सपेरिमेंट किया है। 21,000 पाठशालाएं आज गांवों में खुली हैं। इससे निश्चित रूप से ढाणी के बच्चों को हमने एक एहसास दिया है कि वे पढ़ सकते हैं। साक्षरता के माध्यम से जो वातावरण बना देश में, हर गांव से मांग आ रही है कि हमारे यहां विद्यालय खोले जाएं। हम प्राइमरी स्कूल नहीं खोल सकते तो राजीव गांधी पाठशालाएं खोली हैं। मेरा निजी मत है, राजीव गांधी पाठशालाएं जो हमने खोली हैं प्राइमरी स्कूल तक किया है कि प्राइमरी स्कूल को हमने मिसिंग लिंक बना दिया है। राजीव गांधी पाठशाला पांचवीं क्लास तक पास करके मिडल स्कूल में बच्चे जाएंगे तो मुझे बड़ी शंका है कि हमने जो पहले टीचर्स आठवीं क्लास पास लगाये थे या अभी जो वर्तमान में टीचर्स लगे हुए हैं शिक्षाकर्मी क्या वे पांचवीं क्लास के बच्चों को पढ़ा पाएंगे? क्या उनका स्तर रख पाएंगे, मुझे बहुत बड़ी शंका है। इसलिए मैं तो माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा, थोड़ी चिंता करें कि राजीव गांधी पाठशालाओं को तीसरी क्लास तक रखकर चौथी और पांचवीं में प्राइमरी स्कूल खोलकर बच्चों को पास में ले जाएं। मैं शुरू से यह विचार रख रहा हूं और आज मैं इस विचार के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजीव गांधी पाठशाला, शिक्षाकर्मी पाठशाला तीसरी क्लास तक हो, प्री–प्राइमरी तक हो जहां वह केवल ज्ञान प्राप्त कर सके और चौथी और पांचवीं निश्चित रूप से प्राइमरी स्कूल में जाएं जहां वह गुणात्मक दृष्टि से अपनी शिक्षा को ऊंचा उठा सके और तभी जाकर मिडल स्कूल में पास में जाएं।

श्री मदन दिलावर : इसका मतलब तो यह है कि पहली, दूसरी और तीसरी तक शिक्षा गुणात्मक नहीं है। कक्षा एक, कक्षा दो,कक्षा तीन तक में फर्जीवाड़ा चल रहा है, यह साफ जाहिर हो गया है, माननीय सदस्य यह कहना चाह रहे हैं। मैं भी आपका समर्थन करता हूं।

श्री गोवर्द्धन कल्ला: आप मेहरबानी करके इंटरप्ट नहीं करें ।

श्री सभापति : माननीय दिलावरजी, बिराजिये आप।

श्री मदन दिलावर : यह जो घालमेल किया है सरकार ने राजीव गांधी पाठशालाओं के नाम पर, यह सत्यानाश किया है।

श्री सभापति : वह अपनी बात कह रहे हैं, प्लीज।

एक माननीय सदस्य : अच्छी बात कह रहे हैं ।

श्री मदन दिलावर : हां, अच्छी बात कह रहे हैं और मैं समर्थन कर रहा हूं।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : दिलावरजी बोलिये, फिर आप बोलिये। मैं कह रहा हूं आज हमारे 3200 प्राइमरी स्कूल हैं, 21956 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं निश्चित रूप से हमने बड़ी तरक्की की है। शिक्षा के बारे में, साक्षरता के बारे में मैं कहूंगा कि साक्षरता, उत्तर साक्षरता और सर्व शिक्षा अलग-अलग हमने प्रोविजंस रखे हैं भिन्न आंकड़े हमने दिये हैं। हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय आये थे तब उन्होंने रजिस्टर देखें, वे अंगूठे दिखाये अंगूठे देख कर वे चिंतित हो गये, प्रश्न किया हमको कि यह क्या है। यह एक प्रश्नवाचक है कि क्या वास्तव में ये आंकड़े हमने प्राप्त किये हैं। सतत् शिक्षा के माध्यम से, अभी चेतना केन्द्र के माध्यम से हम चाहते हैं कि पूर्ण शिक्षित हो जाएं उस ओर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और उसकी समीक्षा करना अति आवश्यक है।

शिक्षाकर्मी के बारे में, माननीय आपने चर्चा की, मुझे यहां इन पुस्तिकाओं से ज्ञान हुआ कि शिक्षाकर्मी की टर्म 2003 में समाप्त हो रही है। तीसरा चरण शिक्षाकर्मी का समाप्त हो रहा है 2003 में जो फंडिंग एजेंसी थी शायद आदर्श शिक्षाकर्मी नहीं बनने वाली है। शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिश और डी.पी.ई.पी., ये तीनों संस्थाएं जो काम कर रही हैं राजस्थान में लोक जुम्बिश और डी.पी.ई.पी. के माध्यम से हमने 32 जिलों को कंवर कर दिया शिक्षाकर्मी बोर्ड के माध्यम से जो चल रहा है, निश्चित रूप से उन्होंने काम किया होगा तीसरे चरण में पर जब हम लोक जुम्बिश के माध्यम से डी.पी.ई.पी. के माध्यम से प्राइमरी शिक्षा को गांव में 10 जहां छात्र हैं वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो शिक्षाकर्मी बोर्ड का क्या भविष्य होगा? जो बंदिशें हैं शिक्षाकर्मी में स्पेशली मेरे क्षेत्र में, कि पुरुष और महिला दोनों होने चाहिए। हमारे गांव में तो महिला मिडल पास तो क्या, प्राइमरी स्कूल पास भी नहीं होती हैं। हमारे क्षेत्र में शिक्षाकर्मी खुलने के बाद में भी हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो शिक्षाकर्मी बोर्ड के बारे में माननीय मंत्री महोदय देखें कि आया वह एक्सटेंड होने वाली है 2003 के बाद में या वह समाप्त होने वाली है। समाप्त होने वाली है तो मिडल स्कूल सृजित किये हैं शिक्षाकर्मी में, उन मिडल स्कूलों का क्या भविष्य होगा? कौन उनको टेक-ओवर करने जा रहा है? क्या आप टेक-ओवर करने जा रहे हैं, लोक जुम्बिश को हैण्ड ओवर कर रहे हैं? सारी व्यवस्थाओं को अभी से आप तय करें कि उसकी 2003 में टर्म खतम हो चुकी है या एक्सटेंड हुई है। आपने अपने प्रतिवेदन में इन बातों को नहीं बताया कि शिक्षाकर्मी बोर्ड क्या आगे भी 2003 के बाद में भी चलेगा या नहीं, कृपया उस ओर देखें। मेरा जैसा

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

मानना है, डी.पी.ई.पी. लोक जुम्बिश जैसे कार्यक्रम आखिर शिक्षा के कार्यक्रम है क्यों नहीं इनमें एकरूपता लाए? लोक जुम्बिश अलग से व्यवस्था कर रहा है, डी.पी.ई.पी. की अलग से व्यवस्था है। यदि हमने 32 जिलों को कवर कर दिया है दोनों के माध्यम से तो दोनों के प्रोग्राम्स एक जैसे होने चाहिए। विशेष कर जो बच्चियां स्कूल नहीं जा पायी, नौ साल से ऊपर की बड़ी बच्चियां, उनके जो छात्रावास चल रहे हैं, लोक जुम्बिश के माध्यम से मेरे क्षेत्र में बहुत लाभकारी हुए हैं और बहुत अच्छी शिक्षा में वे बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। ऐसे कुछ कार्यक्रम हों, कुछ होस्टल्स हों, जहां बच्चियां नहीं पढ़ सकती सुदूर क्षेत्र में। लोक जुम्बिश के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें एकरूपता लाकर डी.पी.ई.पी. और इन दोनों को एक करें तो बड़ी आपकी कृपा होगी, उस ओर भी आप ध्यान दें।

बजट के बारे में निवेदन है कि निश्चित रूप से बजट में कुछ प्रोविजंस अच्छे किये हैं। आपका राजस्व व्यय 19098 करोड़ रुपये का है उसमें 4092 करोड़ रुपये दिये हैं वर्तमान में जो आपने नये विद्यालय नहीं खोलकर, पुराने आपको विद्यालयों में फर्नीचर्स आदि की व्यवस्था का बजट में प्रोविजन किया है, साधुवाद दूंगा। अभी आप नहीं खोले नये स्कूल, पर जो भी स्कूल खुले हैं उनमें पूरे टीचर्स रखें और पूरे साधन देकर गुणवत्ता बढ़ाए जिससे कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएं।

एक मदरसा बोर्ड में जो केवल 50 लाख रुपये का प्रोविजन किया है, कृपया इसको बढ़ाकर एक करोड़ करें। मेरा जिला माइनोरिटी जिला है, यदि माइनोरिटी जिले में बच्चों को विशेष शिक्षा देना चाहते हैं उनको राष्ट्र की धारा से जोड़ना चाहते हैं तो उस ओर अपना बजट बढ़ाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, केवल माध्यमिक शिक्षा के बारे में और कहूंगा। 400 माध्यमिक विद्यालयों को तीन करोड़ और कुछ का प्रोविजन किया है। 50,000 रुपये माध्यमिक और एक लाख रुपये उच्च माध्यमिक विद्यालय, यह किया है। दूसरा, आपने वेकेंसीज सीक करके इस बजट में जो 2003 में क्रमोन्नत कक्षाएं हैं, उनको स्टाफ सृजन के लिए तीन करोड़ 21 लाख का प्रोविजन किया है क्या पहले के बजट में प्रोविजन नहीं थे जो स्कूल हमने रेज किये हैं उनके लिए इस बजट में आपने तीन करोड़ का प्रोविजन किया है, मुझे यह समझ में नहीं आया। आप लिख रहे हैं कि गत वर्ष विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं उनके बजट में टीचर्स के प्रोविजन इस बजट में रख रहे हैं, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही हैं कृपया आप इस ओर ध्यान दें जैसे गैस्ट फैकल्टी के बारे में आप कहते हैं कि हमने गैस्ट फैकल्टी...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(16.00 बजे)

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

मुझे दो मिनट और देंगे मैं केवल एक ही हूं अपने जिले से अपनी समस्याओं को तो कहूंगा जैसलमेर की।

मेरे यहां टीचर्स हैं नहीं, न प्राइमरी हैं, न माध्यमिक हैं । मेरे एजुकेशन थी ही नहीं, इसलिए गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से जैसलमेर जिले में, बाड़मेर जिले में हम अपने टीचर्स की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं । इसलिए उस क्षेत्र में आप मेहरबानी करके टीचर्स के अपाइंटमेंट्स करें। इस समानीकरण से हमारी समस्या कहीं नहीं सुलझी है, समस्या हमारी बढ़ गई है, इसलिए कृपया नये अपाइंटमेंट्स करिये। इसमें आप कोताही न करें । आप सारे बजट बंद कर दीजिये इस बजट के अलावा शिक्षा में ह्यूमन रिसोर्स के बजट्स को, यदि शिक्षक नहीं अपाइंट करेंगे तो क्या अपाइंट करेंगे? मेहरबानी करके उस ओर ध्यान करिये।

विशेष कर मेरे जिले में इंदिरा गांधी नहर का उपनिवेशन क्षेत्र आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि कुछ विद्यालयों में एग्रीकल्चर विषय निश्चित खोले जिससे कि बच्चे आगे बढ़ सके। मेरे जिले में मात्र एक प्राइमरी स्कूल एडेड है, अन्य जिलों में देखा है कि सैकड़ों विद्यालय एडेड होते हैं। यदि अच्छी शिक्षा नहीं दी गवर्नमेंट स्कूल्स में तो लोग प्राइवेट सैक्टर में जाते हैं। जो पिछड़ चुके हैं जिले, चाहे एडेड संस्थाएं नहीं हैं, कृपया उनको बंद करिये। बीस साल तक वे एड लेते रहे, नब्बे प्रतिशत तक लेते रहे, उनको कहिये कि अपनी एड कम करें और इसका इक्विल डिस्ट्रीब्यूशन करें। राजस्थान के सभी जिलों में संस्थाओं को जो अनुदान मिलता है, उस ओर निश्चित अपनी अनुदान कमेटी को बैठा कर चर्चा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा, संस्कृत मंत्री महोदया नहीं बिराजी हुई हैं, इस्टर्न राजस्थान में संस्कृत का प्रचार निश्चित है पर पश्चिम राजस्थान में जो संस्कृत विद्यालय खोले जा रहे हैं, मेरे गांव में विषय खोले दिया दसवीं का, मुझे बंद कराना पड़ा। तीन साल से वहां अध्यापक नहीं पहुंचा, मैंने हाथ जोड़कर कहा, उठा लीजिये इस विद्यालय को। मेरे खुद के गांव का मुझे बंद करना पड़ा। यदि खोलते हो तो जहां भी खोले वहां संस्कृत अध्यापक पहुंचना चाहिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। शिक्षा के मामले में इतनी सीरियस डिमाण्ड पर जो..

श्री राजेन्द्र पारीक : आपका क्या लेना-देना है? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अब वह तो छोड़ो। और ये अधिकारी ऐसे आपस में बातें कर रहे हैं।

डा. बी. डी. कल्ला : यह अपने स्थान से तो बोलें कम से कम।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, आपका लेना–देना ही क्या है शिक्षा से?

डा. बी. डी. कल्ला : अपने स्थान से बोले।

श्री राजेन्द्र पारीक: इनका शिक्षा से लेना–देना ही नहीं है कोई।

श्री धर्मपाल चौधरी : अपने स्थान से बोले लेंगे लेकिन..

श्री सभापति : अभी तो इन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया है, क्या व्यवस्था का सवाल उठाया है? प्लीज।

श्री धर्मपाल चौधरी : जो सरकारी अधिकारी बैठे हैं वे आपस में बातें कर रहे हैं। अधिकारियों को कंट्रोल में रखो कि वे आपस में बातें न करें। किसी की सुन नहीं रहे, बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य का शिक्षा से लेना–देना ही नहीं है कोई।

डा. बी. डी. कल्ला : व्यवस्था का प्रश्न तो है लेकिन सीट से तो बोलें।

श्री धर्मपाल चौधरी : बोल लेंगे सीट पर जाकर।

डा. बी. डी. कल्ला : आप अपनी सीट पर नहीं हैं, आप अपने स्थान से बोले।

एक माननीय सदस्य : माननीय धर्मपालजी, अपनी सीट से तो बोले ।

श्री सभापति : आप कृपया वाद–विवाद न करें, बैठिये। माननीय धर्मपालजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य का शिक्षा से लेना–देना ही क्या है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था का प्रश्न है तो सीट पर जाकर बोले।

श्री धर्मपाल चौधरी : अधिकारी किस तरह बातें कर रहे हैं यह बता रहे हैं हम आपको। आप अपने कंट्रोल में रखो उनको।

श्री सभापति : बिराजिए , बिराजिए।

डा. बी. डी. कल्ला : सीट से तो बोले, साहब।

श्री सभापति : अब, कल्ला साहब, पूरा कीजिये अपना स्पीच।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न तो यह है कि माननीय सदस्य का शिक्षा से लेना–देना ही क्या है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : संस्कृत मंत्री का मैं बहुत–बहुत आभारी हूं कि इन्होंने संस्कृत महाविद्यालय खोल कर राजस्थान में एक अग्रणी स्थान प्राप्त किया है, आशा करता हूं कि निश्चित ही कि हमारी देव भाषा संस्कृत को यह आगे बढ़ाएंगे।

तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय यहां बिराजे हुए हैं, मेरा निवेदन है कि आज

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

कम्प्यूटर युग में जब आप कम्प्यूटर चलाने जा रहे हैं तो जितने भी आई.टी.आइज आपके हैं उनमें कम्प्यूटर शिक्षा को कम्पलसरी कर दें कम से कम माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में सब में आप कम्प्यूटर कम्पलरी करने जा रहे हैं अगले सत्र से तो आपके आई. टी. आइज. जहां भी हैं, पोलिटैक्नीक कालेज जहां भी हैं वहां निश्चित कम्प्यूटर विषय को खोले। इंजीनियरिंग कालेजेज का विस्तार किया है इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। उच्च शिक्षा मंत्रीजी बिराजे हुए हैं यहां पर, मेरे जिले में दो महाविद्यालय हैं, एक स्नातकोत्तर है लड़कों का और बच्चियों का है स्नातक स्तर का, कम से कम विषय तो उनमें खोले। बंदिश कर दिया कि एक पोलिटिकल साइंस लेनी है तो पोलिटिकल साइंस ही लेनी है। आज के बच्चे कहीं जा नहीं सकते। हम कहते हैं कि हमको न तो लैक्चरर्स चाहिए, न आपका भवन चाहिए, आप विषय खोल दें। ऐसी कंजूसी क्यों है? जब हम कह रहे हैं कि विषय खोल दीजिये तो विषय खोले देना चाहिए। बच्चियों को भी आप्शन नहीं है। मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा जिला है, पोकरण सब डिवीजन मुख्यालय है कम से कम वहां भी कभी प्रोविजन करें, हम वहां कालेज खोलने की भी चर्चा करें। विश्वविद्यालयों की मैं चर्चा करूंगा कि आपने आज विश्वविद्यालयों का जाल फैला दिया कोटा, बीकानेर सब जगह खोले हैं तो डिवीजनल, रीजनल विश्वविद्यालय क्यों नहीं करते हो? मुझे नहीं लगता है कि रेजिडेंशियल विश्वविद्यालयों से कुछ ज्यादा कोई निकलने वाले हैं। जोधपुर डिवीजन का नहीं जोधपुर का विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालय हो सकते हैं इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कृपया उस ओर आप देखें।

अभी मेरे एक साथी ने चर्चा की आर.पी.एस.सी. से जो सलैक्टेड बैठे हुए हैं कुछ लैक्चरर्स, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया तो उनको गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से कुछ फिक्स वेजेज पर ले लें। हायर एजुकेशन भी यह निवेदन..

श्री सभापति : अब कल्ला साहब, बिराजिए आप ।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : कला और संस्कृति पर बोलूंगा, एक पन्ना मेरा रह गया।

श्री सभापति : कला संस्कृति पर कह दिया आपने, पहले में बोल गये थे आप।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : कला और संस्कृति पर बोलूंगा, नहीं बोला मैं कला-संस्कृति पर। महोदय, एक मिनट और दे दीजिये।

जैसलमेर जिला पुरातत्व से भरा पड़ा है। मेरे जैसलमेर नगर के पास छह सौ मोन्यूमेंट्स हैं जिनका सर्वे किया गया है।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

कण-कण में वहां पुरातत्व है। जैसलमेर का बादल विलास, मैं कई बार प्रश्न कर चुका हूं विधान सभा में, वह रायल पैलेस है उसको नहीं किया गया, बाकी सब प्राइवेट हवेलियों को कर दिया गया उस ओर विचार करें। पल्लीवालों की संस्कृति है, सिन्धु घाटी की संस्कृति है, मांड राग का वहां है। जैसलमेर की चित्रकला अलग से है। कालेज वहां जाते हैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी, हमारी अलग शैली है जैसलमेर की चित्रकला की बच्चे पढ़ें हायर सैकण्डरी से निकल कर जाते हैं तो कालेज में विषय नहीं है, कृपया कालेज में यह चित्रकला का विषय खोल दें। हमारा एक बच्चा उदयपुर में बैठा हुआ है, यदि वह आएगा तो निश्चित आगे बढ़ेगा। जैसलमेर में संग्रहालय है उस संग्रहालय का कैसे विस्तार करें, उस ओर भी हमारी कला और संस्कृति मंत्री जो भी हैं इसको नोट करें और हमारा जो वैभव बिखरा हुआ है उसको लाकर संग्रहालय में रखें। आपने समय दिया धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय गणेशीरामजी।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24-शिक्षा कला और संस्कृति के बारे में विचार चल रहा है। या शिक्षा स्व शिक्षा स अभिमुक्तये। शिक्षा का मानव जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है और जहां पर शिक्षा की कमी रहती है वह प्रदेश, देश विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अब यहां शिक्षा के महत्व का पता चला है।

श्री सभापति : पारीक साहब। (व्यवधान)

श्री गणेशीराम मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में इस समय जो

(16.07 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

विद्यालय चल रहे हैं वे विद्यालय गुणात्मक रूप से सही नहीं चल रहे हैं। सैकण्डरी विद्यालय है कहीं दो अध्यापक हैं, कहीं तीन अध्यापक हैं, कहीं चार अध्यापक हैं। मिडल स्कूल हैं गावों के अंदर, वहां भी अध्यापकों की बहुत रिक्तता है। और सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में तो विषय अध्यापक ही नहीं हैं, लैक्चरर्स नहीं हैं। हमारे प्रदेश के युवा तीन प्रकार से पिट रहे हैं। जो किसान के बेटे गांवों में रहते हैं नवीं-दसवीं के बच्चों को पढ़ाने वाले सीनियर टीचर नहीं हैं-न विज्ञान का अध्यापक है न गणित का है, न अंग्रेजी का है। बोर्ड के इम्तिहान चल रहे हैं नवीं और दसवीं के लड़के दर-दर भटक रहे हैं ट्यूशन के मारे। एक तो अकाल की मार, दूसरे उस अभिभावक को अपने बच्चे को पढ़ाने की मार। अध्यापक न होने

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

से बच्चों को प्राइवेट पढ़ाना पड़ता है। अब प्राइवेट पढ़ाए तो पैसे की आवश्यकता होती है। आज अकाल की स्थिति में फसलें नष्ट हो गईं, उनके कमाई के कोई सोर्सेज नहीं, तो ऐसी गम्भीर बनी हुई है। गांव का बच्चा , किसान का बेटा नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं के अंदर पढ़ नहीं सकता है। सीनियर सैकण्डरी स्कूलों के अन्दर फैकल्टीज बंद हो गई। सिर्फ कला वर्ग और कला वर्ग, में भी हिन्दी, इतिहास और पोलिटिकल साइंस तीसरा अगर आर्ट्स का विषय कोई बच्चा लेना चाहे अपनी रूचि का तो वह विषय उसको नहीं मिल सकता, क्योंकि विषय अध्यापक नहीं हैं। कामर्स फैकल्टी की तो बहुत बुरी हालत है और विज्ञान के अन्दर तो साइंस बायोलोजी और साइंस मैथेमेटिक्स दोनों में न तो फिजिक्स के लेक्चरर मिल रहे हैं न केमिस्ट्री के मिल रहे हैं, न बायोलोजी के, न मैथ्स के इस तरह से मेरी जालौर कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर जहां भी विज्ञान फैकल्टी चलती थीं, वहां सारी की सारी बंद हो गयी है। गुढ़ा, आहोर बाकरा, सियाण, राबसीर इनके अन्दर विज्ञान की फैकल्टी थी, बड़ी मुश्किल से लाखों रुपये खर्च करके वहां फर्नीचर और कमरे बनवाकर सरकार से मान्यता लेकर साइंस की फैकल्टी खोली गयी थी लेकिन उस फैकल्टी में बच्चों के लिए कोई पढ़ाने के लिए नहीं है।

दूसरा किसान का युवा बेटा या तो शिक्षाकर्मी में बैठा है अथवा पैराटीचर के रूप में राजीव गांधी पाठशाला में बैठा है। राजीव गांधी पाठशाला में जो पैराटीचर शिक्षा सहयोगी हैं, उनको निर्वाह योग्य भत्ता भी नहीं मिल रहा है। बड़ा परेशान है। शादीशुदा भी होता है, उसके बच्चे भी हैं मां बाप भी होते हैं, बारह सौ रुपये में किस तरह से पालन करेगा? नहीं कर सकता है। शिक्षाकर्मी के अन्दर भी किसान का बेटा पढ़ाई करा रहा है। 8-10 साल से पढ़ाता आ रहा है और उसने प्रशिक्षण के समकक्ष कितनी ही ट्रेनिंग प्राप्त कर ली हैं, लेकिन उसके भविष्य की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। न कोई सर्विस रूल्स बनाये हैं कि ये शिक्षाकर्मी बोर्ड कब तक रहेगा और चला जाएगा तो क्या हालत होगी उस बच्चे की युवा की, अध्यापक की, शिक्षाकर्मी की, वो अंधेरे में घूम रहा है। उसे प्रारम्भ के अन्दर त्यौहार उपहार भी मिलता था, इस समय वो भी बंद है। हर जनवरी माह के अन्दर उसका मानदेय बढ़ता था, इस समय वो भी बन्द हैं। उसकी बहुत बुरी हालत है। दूसरा बेटा किसान का एम.ए.,बी.एड., बी.ए., बी.एड. किया हुआ घूम रहा है सड़को में, गलियों में, इधर-उधर। स्कूलों के अन्दर जो रिक्त पड़े हुए पद हैं उन पदों पर उनको लगाया जा सकता है लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है।

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

वो भी किसान का बेटा है-एक शिक्षाकर्मी में, दूसरा पढ़ाई के अन्दर वहां भी व्यवस्था नहीं है अध्यापकों की। एक शिक्षाकर्मी में है उसको पूरा मानदेय नहीं मिल रहा है। एक बेरोजगार बैठा हुआ है घर में कितनी मुश्किल से किसान ने उस बेटे को पढ़ाया है। अब तीनों युवा बेटे किसान के मारे जा रहे हैं। हम कितना भी कुछ भी कहें कि हमने खूब नियुक्तियां दे दी, हमने वो व्यवस्था कर दी, स्कूलें खोल दीं लेकिन गांवों के अन्दर जाकर देखें, हम शहरों में बैठे हुए हैं बहुत बिगड़ी हुई हालत है हमारे किसान की। अभी मैंने प्रश्न पूछा था कि हमारे जालौर जिले में कितनी पोस्टें वेकेंट हैं प्रधानाध्यापकों की, तो 76 में से 38 प्रधानाध्यापक नहीं हैं। जिस सेना का सेनापति नहीं होता है वह सेना किस तरह से काम करती है? जिस विद्यालय के अन्दर हैड आफ दी इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, वहां अध्यापक क्या करते हैं? कोई पढ़ाता थोड़े ही है? समय पर न तो आते हैं न पढ़ाते हैं। बच्चे बाहर घूमते रहते हैं। जितनी भी पोस्टें खाली हैं-प्रिंसिपलों की पोस्टें खाली हैं, प्रधानाध्यापकों की पोस्टें खाली हैं, न सरकार की तरफ से कोई डी. पी. सी. की जा रही है। बी. जे. पी. के राज में जब शिक्षा मंत्री हमारे ये कटारियाजी थे, तब पहले से ही डी. पी. सी. बनी हुई थी जो प्रिंसिपल रिटायर हो गया, नैक्स्ट नंबर है उसको प्रिंसिपल लगा दिया वो हो गया तो नैक्स्ट नबंर है उसको प्रिंसिपल लगा दिया। वैसे ही सैकण्डरी स्कूल हैडमास्टर की भी डी. पी. सी. हुआ करती थी। हर एक की डी.पी.सी. बनी हुई होती थी लाइन से सौ, दो सौ, तीन सौ, चार सौ, पांच सौ, हजार आदमियों की, जैसे ही वह आदमी गया वह दूसरी जगह उसको लगा दिया। लेकिन आज हालत सरकार की वो नहीं है। डी. पी. सी. करने की उनको फुर्सत नहीं है, पद भरने की फुर्सत नहीं है। समानीकरण के नाम से ट्रांसफर की बात करते हैं, समानीकरण के नाम पर मास्टरों को इधर-उधर करने की बात चलती है, समानीकरण कहां होता है? जहां या तो अध्यापक अधिक हों, और बच्चे कम हों या जहां पर अधिक संख्या में लड़के हों और अध्यापक कम हों तो 1/40 रेशो के हिसाब से उसका समानीकरण होता है आज समानीकरण के नाम पर अपने चहेतों को जहां पद नहीं है वहां लगाया जाता है। जहां भी अध्यापक जाते हैं, जहां भी ट्रांसफर हुए हैं वहां, समानीकरण का तो नाम है और अपने चहेते अध्यापकों को अपनी-अपनी जगह पर भेजने का काम है।

श्री मदन दिलावर : बेईमानीकरण है साहब। यह समानीकरण के नाम पर बेईमानीकरण है...(व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर माननीय पर सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। माननीय सदस्य जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने काफी अपने तर्क दिये हैं, मैं भी अपने अनुसार कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं हमारे शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को खूबखूब धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रदेश में एक अच्छी शिक्षा प्रणाली लागू की जो चहुंमुखी विकास शिक्षा का हुआ है वह वास्तव में प्रदेश की जनता के लिये एक सराहनीय विषय है। आपने वर्ष 2002-03 में राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं, लगभग 21453 राजीव गांधी पाठशालाएं खोली हैं। हमारे दक्षिण अंचल में जो एक आदिवासी क्षेत्र राजस्थान के कोने में रहता है उस आदिवासी क्षेत्र के लिये राजीव गांधी पाठशाला की शिक्षा वास्तव में वरदान मानी जाती है क्योंकि हमारा एरिया पहाड़ी एरिया है पहाड़ी एरिया में दूरदराज पर स्कूलें, ढाणियां और लोग निवास करते हैं। वहां पर मुख्य मार्गों से हर अध्यापक जुड़ना चाहता है, दूरदराज पर कोई जाना नहीं चाहता है। आपने ऐसे नियम लागू किये, दूरदराज पर आपने राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं, उससे क्या हुआ? माननीय सभापति महोदय, अध्यापक वहां नहीं जाता था, लोकल कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहित किया गया और हमने उसी वार्ड में पाठशाला खोली तो उसी वार्ड का जो छात्र था, जो अध्यापक बना, वह समय पर नियमित रूप से स्कूल खोलता है और नियमित रूप से स्कूल बंद करता है। इस प्रकार से शिक्षाकर्मी को काफी बढ़ावा मिला है। लोक जुम्बिश से भी बढ़ाया मिला है, कि 6 से 14 साल के बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह जाते थे उनको वास्तव में जोड़ा है। शिक्षा आपके द्वार एक अच्छा कार्यक्रम जो दिया वह कार्यक्रम वास्तव में एक रचनात्मक दृष्टि का कार्यक्रम माना जाता है और उस कार्यक्रम से काफी छात्र-छात्राएं जुड़ें है। आज किसी घर में कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, यह हम कह सकते हैं जैसे हमारी सरकार ने जो 1000 प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये, 414 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया 386 माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कर के उच्च माध्यमिक विद्यालय किया।

इसी प्रकार से मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति की छात्राओं को आपने निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों से जोड़ा और निःशुल्क व्यवस्थाएं दीं। राजस्थान प्रदेश में चार साल से निरन्तर अकाल होने से यहां का आदिवासी बालक या अन्य पिछड़े वर्ग का या अन्य वर्ग का बालक जो भी हो वह पढ़ने में समर्थ नहीं था तो आपने जो छात्रवृत्ति की निः शुल्क व्यवस्थाएं दी हैं अन्य जो व्यवस्थाएं दी हैं, वास्तव में

(श्री शंकरलाल अहारी)

हमारी सरकार की यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर हमारे शिक्षा मंत्रीजी को हम धन्यवाद देते हैं कि यह एक सराहनीय और ऐतिहासिक कदम है। आपने विधवाओं के बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये विद्यालय, महाविद्यालय स्तर पर वर्ष 2002 और 2003 में निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था भी दी है। इसी प्रकार से उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थाओं के बी. एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो दृष्टिहीन विद्यार्थी हैं, सरकार द्वारा राजकीय शुल्क से उनको मुक्त किया गया है। ये कदम निरन्तर शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले कदम हैं, प्रशंसनीय कदम हैं। इसी ढंग से आपने साक्षरता, उत्तर साक्षरता और सतत् शिक्षा जो लागू की, उससे हम मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बालक-बालिकाएं शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। श्रीमान्, राजीव गांधी पाठशाला खोलकर आपने भवन बना दिये और भवन बनाने के बाद आपने परकोटों का निर्माण भी किया है। इसका निर्माण करने के साथ साथ वहां छात्र पानी की व्यवस्था से वंचित न रहे तो आपने हमारे हर राजीव गांधी पाठशाला में हैण्ड पम्प खोदने की व्यवस्था दी। आज वहां हैण्ड पम्प लग रहे हैं। सभापति महोदय, मैं इसके साथ साथ आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अन्य स्कूलों में भी हैण्ड पम्पों की व्यवस्था जहां नहीं हो वहां प्रदेश में करनी चाहिये ताकि उनको भी लाभ मिल सके। दूसरा, जो विद्यालय दूरदराज पर हैं, गावों में है, पहाड़ों में हैं, उन विद्यालयों में आने जाने के लिये, आवागमन के लिये सड़कों की व्यवस्था नहीं है। तो मुख्य मार्गों से हमारा प्रत्येक विद्यालय जुड़ जाना चाहिये, यह आपसे मेरी प्रार्थना है।

दूसरा, विशेष तौर पर हमारा बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिये की दृष्टि से आपने विद्यालय तो बहुत दिये परन्तु फिर भी हम विद्यालयों का अभाव महसूस करते हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि जितने भी पंचायत हैडक्वार्टर हैं उस पर जितने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मौजूद हैं उनको क्रमोन्नत किया जाए ताकि प्रत्येक मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय हो जाए। हमको शिक्षा की व्यवस्था अधिक से अधिक सुलभ हो सकेगी।

विशेष तौर पर हमने एक खामी देखी है कि प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी की व्यवस्था नहीं है। मंत्रीजी से मेरी प्रार्थना है कि आप चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति करें। निश्चित रूप से नियुक्ति देनी चाहिये क्योंकि बालक वहां पानी भरता हुआ नजर आएगा, दरी-पट्टियां बिछाते हुए, झाडू लगाता हुआ नजर आएगा, हम जो शिक्षा पाने के लिये वहां बच्चों को भेजते हैं बच्चे वहां काम करने पर आते हैं, वे शिक्षा पाना भूल जाते

(श्री शंकरलाल अहारी)

हैं। इसलिए मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन हैं कि वहां चपरासी होना अत्यन्त आवश्यक है ताकि पानी की व्यवस्था कर सके और उनकी सारी विद्यालय की जो व्यवस्था है वह सुलभ हो सके।

इसी प्रकार से मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र चौरासी है और चौरासी में डूंगरपुर से 60 किलोमीटर दूरी पर सिमोनरा आकर एक उपखण्ड, पंचायत समिति और तहसील हैडक्वार्टर है। मैंने आए दिन तारांकित और अतारांकित प्रश्न किए हैं, मैं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप मुझे वहां पर कालेज दीजिए वहां पर कालेज की आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वहां 3-4 हजार छात्रों के बीच कोई कालेज नहीं है। सीनियर विद्यालय है, इसलिए मेरी प्रार्थना है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : दो महीने बाद हमसे मांग करना। (व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी : आप तो शांति से रहिए, वह हमको देखना है कि दो महीने बाद कौन बैठता है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपकी इच्छा यह तो पूरी नहीं करेंगे।

श्री शंकरलाल अहारी : मैं अपनी तरफ से कालेज की मांग करूंगा, सीमावड़ा पंचायत समिति हैडक्वार्टर, उपखण्ड हैडक्वार्टर पर कालेज होनी चाहिए।

डूंगरपुर जिले में एक ही महाविद्यालय है। विद्यालय का भवन है वह जीर्णशीर्ण है, गिर गया है, भवन निर्माण के लिये ज्यादा से ज्यादा बजट देकर भवन निर्माण कराएं।

मैं माननीया संस्कृत मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि आपका दौरा हुआ था आप पीठाग्राम में पधारी। आपने संस्कृत विद्यालय का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जो खामियां पाई उनको आप स्वयं लिखकर लाए और खामियों को पूरा किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं परन्तु इसके बावजूद भी वहां ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है। आपसे खुश होकर मुझे महाविद्यालय दिया है आपकी छात्रछाया हम लोगों पर रहे जिससे वहां के आदिवासी बालक संस्कृत पढ़-लिखकर आगे आएं और विद्वानों का मुकाबला कर सकें। (व्यवधान)

यहां सदन में बात उठी, उस बात का भी मैं सर्मथन करता हुआ अनुरोध करूंगा कि एस. टी., एम. सी. का बैकलाग है वह नहीं भरा गया। आप चाहे पदोन्नति से भरे, या नियुक्तियों से भरे परन्तु भरने की अत्यन्त आवश्यकता है। दूसरा, शिक्षित बेरोजगारी है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, इसको हम कैसे रोके, यह भी हमारे सबके सामने एक प्रश्नवाचक

(श्री शंकरलाल अहारी)

चिन्ह है, कृपया इस ओर भी सरकार ध्यान दे। मैं मानता हूं कि जो अच्छा काम करेगा उसको बुराइयां मिलती हैं। परन्तु आने वाले समय में जरूर याद करते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है।.(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बैकलाग नहीं भरना अच्छा काम है न? एस. सी., एस.टी. का बैकलाग नहीं भरना अच्छा काम है न? आप लोग अच्छा मानते हो न? (व्यवधान) हद हो गई। कुछ तो देखो।

श्री शंकरलाल अहारी : मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, पिछले समय में आपने यह कहा...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पैराटीचर्स को चयनित वेतमान देना चाहिए। कौनसा वेतमान दे रहे हो यह भी बताना, शिक्षा मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी : हमारी सरकार के द्वारा जो काम पिछले समय में... (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि अभी यह भागने वाले हैं। (व्यवधान) मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि मेरी बात पहले ही आ जावे, नहीं तो आप बोलने नहीं...(व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी : पिछले 8 सालों के बीच में...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : आपने शिक्षाकर्मी योजना चालू की थी, आपने कौनसा वेतनमान दिया? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मुझे पता है। (व्यवधान) कल भी दुम दबाकर भागे सदन से...(व्यवधान) आज भी चेहरे से लग रहा है कि भागने वाले हैं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावरः माननीय सदस्य ने खड़े होकर यह कहा कि बुद्धिमान लोगों ने...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैकलाग की बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हम नहीं बोल रहे इसका मतलब बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे क्या? (व्यवधान) बैकलाग भरोगे न?

श्री सभापति : बैकलाग जो रहा है वह किस कारण से रहा है, वह भी आप सोच लीजिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बैकलाग अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों का भर दीजिए, नहीं तो चुनाव में सड़कों पर जनता निपटेगी, अब आपको छोड़ेगी नहीं। (व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी : विपक्ष के माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में कहीं भी स्कूल नहीं खोली।

(श्री शंकरलाल अहारी)

सभापति महोदय, पिछले 8 साल में हमने भी इसी तरह से निवेदन किया था कि हमारी स्कूल यहां खोलिए, यहां खोलिए लेकिन कहीं नहीं खोली, यह मोटी बात है। यह मैं कह रहा हूं इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी सरकार पारदर्शी है, पारदर्शिता के आधार पर सब जगह खोली है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम भी नहीं खोलेंगे, आप फिर हमसे निवेदन करते घूमोगे। हम भी नहीं खोलेंगे, वह दिन आपके वापस आने वाले हैं। (व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी: यह मौका आपको नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है कि आप जा रहे हैं और हम आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी : यह सही है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राठौड़ साहब, असत्य सपने देखने बंद करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, खेतसिंहजी राठौड़ कई मर्तबा कह चुके हैं कि यह जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी : हमारी सरकार ने ऐसे काम किए हैं जिन कामों के आधार पर...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि एवं न्याय मंत्री) : आप मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुगेंरीलाल के सपने नहीं, हम वास्तविकता देख रहे हैं।

श्री सांवर लाल : यह कुर्सी जाने वाली है। गलतफहमी में आप सपने मत लीजिए कि इसी पर बैठ जाओगे, इधर आना पड़ेगा अगर जीत गये तो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तिरंगे में जाने की तमन्ना छोड़ दीजिए। (व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी: मेरा अनुरोध है एक मोदर ग्राम है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : भीखाभाई की तरह पोस्ट नहीं मिलने वाली। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी पार्टी लीडरलैस पार्टी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारी पार्टी वसुन्धरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। हमारे नेता गुलाब चन्दजी कटारिया हैं, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि लीडरलैस पार्टी है? हमारी पार्टी हिन्दुस्तान पर शासन कर रही है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : अभी प्रदेश की कार्यकारिणी तो बना लीजिए, 6 महीने से अकेली अध्यक्ष बैठी हुई हैं। (व्यवधान) अभी

(श्री हरिसिंह)

इतना साहस नहीं कर पाई कि कार्यकारिणी का गठन कर लें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मोल-तोल करके कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हमारे लीडर हिन्दुस्तान में...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : सदन के नेता कितनी देर आते हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अटल बिहारी वाजपेयी का राज है और राजस्थान के अन्दर वसुंधरा का...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपके नेता कह रहे हैं महारानी हम आपकी पार्टी को...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हमारा लीडर इटली से नहीं आया, हिन्दुस्तान की धरती पर पैदा हुआ है। हमारा लीडर विदेशी लीडर नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपके नेता पूरे सदन में कितनी देर बैठे, विधान सभा में कितने रोज आये? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आप इस विवाद में पड़े हैं कि कौन आएगा कौन जाएगा वह तो होगा जब हो जाएगा आप भाषण चालू रखिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके लिए भी स्थान आरक्षित रखेंगे, हमें मालूम है कि आप बेमन से उधर हो, हमारे साथ हो। आप हमारे नेता रहे हो, आपके लिए भी सभापति महोदय, स्थान आरक्षित रखेंगे । आपको पीछे नहीं बिठाएंगे, आगे बिठाने का काम करेंगे, हम आगे बिठाएंगे आपको। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अभी तो यह आशा ही मत रखो। पहले भी धोखा दिया...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल: इस गलतफहमी में रहना, जगह नहीं है हमारे यहां पहले मान लिया हमने नेता आपको। (व्यवधान) अब जगह नहीं मिलेगी।

श्री सभापति : आप बिराजिए।

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य समझे ही नहीं , राठौड़ साहब का इशारा सदन के प्रतिपक्ष के नेता की तरफ था। क्या आप हाउस में कटारियाजी को नेता नहीं मानते हो क्या, फिर क्या वसुंधराजी की चर्चा कर रहे हैं हाउस में? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह मुख्य मंत्री बनेगी, यह गृह मंत्री बनेंगे। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान: कटारियाजी में कोई कमी है, यह मुख्य मंत्री नहीं बन सकते क्या?

श्री सभापति : माननीय सदस्य अहारी साहब, समाप्त कीजिए।

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

है, सरकार यह कहती है कि ऐसे चयनित गांवों में मूलभूत सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। इसके मैंने बारबार निवेदन किया, बारबार अनुरोध किया, हर बार विधान सभा में इसके लिये क्वेश्चन लगाते रहे और यही उत्तर मिलता रहा कि इसको क्रमोन्नत किया जाएगा। परन्तु जब भी अवसर आया, उसको क्रमोन्नत नहीं किया गया। इसी प्रकार से भावता, पूरी पट्टी में कोई सैकण्डरी स्कूल नहीं है। ग्रामवासियों ने वहां पर अच्छा भवन बना दिया, सारी सुविधाएं, सब औपचारिकताएं पूरी कर दीं, पात्रता है फिर भी उस विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं किया, इस प्रकार का पक्षपात। मिडल स्कूल को भी क्रमोन्नत नहीं किया गया।

शहरों में भी यह परिधि की बात अड़ा दी जाती है। शहरों में जहां विद्यालय हैं वहां कोई बहुत बड़ी जगह नहीं होती है इस कारण से पास में दूसरी और स्कूलें हो गयी हैं और उनमें भी इतनी बड़ी संख्या हो जाती है कि उनको क्रमोन्नत करने की आवश्यकता रहती है। परन्तु न नावां में की, न कुचामन सिटी में की। यदि शहरों में विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा तो वहां के बच्चे किस प्रकार से अध्ययन कर पाएंगे क्योंकि दूसरे विद्यालयों में तो जगह ही नहीं है? विद्यालयों के हालात ये हैं अभी नारा दे दिया मुख्य मंत्रीजी ने कि सबको पढ़ाओ, पर सबको पढ़ाएंगे कैसे जब वहां अध्यापक नहीं? अभी मैं नावां गया था तो हमको वहां यह जानकारी दी गयी कि वहां पर जो प्राथमिक विद्यालय नम्बर-6 है, उसमें ढाई सौ लड़के हैं लेकिन अध्यापक केवल एक है। वहां पर दूसरा विद्यालय वार्ड नम्बर-15 में है, वहां डेढ़ सौ लड़के हैं वहां पर 2 अध्यापक हैं, तीसरा विद्यालय, वहां पर साढ़े चार सौ लड़के हैं लेकिन वहां पर 3 अध्यापक हैं । तो जब इस प्रकार के हालात हैं कि इतनी-इतनी छात्र संख्या है और अध्यापक नहीं हैं तो उनकी पढ़ाई कैसे होगी? जब उनकी नींव ही कमजोर होगी तो आगे जाकर बच्चे किस प्रकार से पढ़ पाएंगे?

राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं की बात की जाती है। सरकार ने नाम दिया, कांग्रेस पार्टी के नेता थे इसलिये दे दिया, बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं पर इन विद्यालयों के हालात कैसे हैं आज? इन विद्यालयों में जो शिक्षक हैं वे हड़ताल पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। उनको कहा गया था कि 4 साल के बाद में तृतीय वेतन श्रृंखला दी जाएगी लेकिन नहीं दी गयी। बारबार उनके द्वारा मांग की जा रही है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हालत यह है कि वे बी.एड. किये हुए हैं, एस.टी.सी. किये हुए हैं लेकिन 12 सौ, 16 सौ रुपये में वे क्या कर पाते हैं? आज उनकी यह

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

हालत है। जब भी कोई जनप्रतिनिधि उधर से निकलते हैं वे अध्यापक उनको चिढ़ाने के लिये, उनको कहने के लिये हाथ पर चूना मसलते हैं थपथपी करते हैं। उससे जब पूछा जाता है कि मास्टरजी, यह क्या कर रहे हो तो कहते हैं कि 16 सौ, 12 सौ रुपये में तो चूना ही लगेगा। इस प्रकार की बात आज वे कहने लग गये हैं। उनके मन में वेदना है कि क्या करें। इस कारण से उन्होंने धरना दे रखा है।

अभी शिक्षाकर्मी पाठशाला की बात चली थी, शिक्षाकर्मी पाठशाला काफी पुरानी है। यह पाठशाला चली उसके 8 साल बाद में उनको वरिष्ठ शिक्षाकर्मी बनाने की बात थी। 8 साल के बाद में बनाये भी गये हैं, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी बनाकर उनको तृतीय वेतन श्रृंखला दी भी गयी है। लेकिन 4 साल से यह प्रकिया बंद है। ऐसे शिक्षाकर्मी भी 9 हजार हैं उनके मन में भी यह वेदना है कि हमको वेतन श्रृंखला क्यों नहीं दी जाती है। शिक्षाकर्मी पाठशाला के अध्यापकों तथा राजीव गांधी पाठशाला के अध्यापकों के लिये सरकार के मन में कोई टीस है, कोई योजना बनायी जा रही है तो दोनों ही पाठशालाओं के अध्यापकों को इस तरह की वेतन श्रृंखला दी जाए ताकि वे अपने घर का पालन-पोषण कर सके, अपना उत्तरदायित्व पूरा कर सके और अच्छी शिक्षा दे सके।

जहां पर कोई जगह नहीं है, आपने विद्यालय तो बना दिये लेकिन वे कहां बैठे उनके लिये समस्या है। भूमि का अलाटमेंट भी नहीं करा पाये आप इतने समय में, जबकि वहां खुली जमीनें पड़ी हैं। यदि उनके लिये भूमि का अलाटमेंट होता तो वहां पर भी कमरे बनते। लेकिन जमीनों का अलाटमेंट भी नहीं हुआ। डी.पी.ई.पी. में आपको वर्ल्ड बैंक से कितना पैसा मिल रहा है, प्राथमिक शिक्षा के लिये बारबार यह बात कही जाती है कि उसके लिये भवन बनाएंगे, लेकिन न तो उनके लिये भूमि है और जितना पैसा आपको मिला है वह पैसा भी खर्च नहीं हुआ। इस प्रकार के हालात आपने पैदा कर रखे हैं, इसलिये मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर भवन भी बनाएं और शिक्षा के लिये अच्छी व्यवस्था भी की जाए।

महोदय, अब मैं आपका ध्यान उच्च शिक्षा की तरफ दिलाना चाहूंगा हमारे यहां कुचामन महाविद्यालय वर्ष 78 से संचालित है और उसको अभी 90 प्रतिशत अनुदान मिलता है, इस प्रकार की अनुदान सूची में रखा गया है। संस्था के स्वीकृत अनुदानित पदों का वर्तमान मासिक व्यय 2,81,899 रुपये है जिसके भुगतान की प्रति माह सूचना यहां पर निदेशालय को भेजी जाती है, परन्तु उनको जो अनुदान मिलता है वह केवल 40 प्रतिशत मिल रहा है। कुछ कटौती तो इसलिये की जाती

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

है कि आडिट होगा, आडिट के बाद में वह पैसा मिलेगा। कुछ जो स्वीकृत पद हैं उन पर कोई रिटायरमेंट हो गया, उनकी जगह पर कोई रख लिया उसको नहीं दिया गया। हमने क्वेश्चन लगाया, बात पूछी। पिछली बार तो वहां पर आडिट भी हुई। 2001 के बाद में आडिट भी हुई, 10 माह से ज्यादा समय उसको हो गया है, आडिट होने के बाद में भी जो बकाया राशि है वह अभी तक उनको भुगतान नहीं की गयी है। ऐसी अवस्था में उस महाविद्यालय का संचालन कैसे हो सकता? उस महाविद्यालय में 135 गांव के छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं, वह अच्छा महाविद्यालय है। यदि उसको अनुदान पूरा नहीं दियां गया तो आज उस संस्था के सामने इस प्रकार की समस्या हो गई है कि किस प्रकार से उसको चलाया जाए। वहां पर अंग्रेजी का एक पद स्वीकृत है, रिक्त है तथा राजनीतिक विज्ञान के दो पद स्वीकृत हैं जिसमें से एक पद रिक्त है। ऐसे स्वीकृत न्यूनतम पदों पर भी सरकार नियुक्ति के बाद अनुदान नहीं देती है तो संस्था का सुचारू रूप से संचालन कैसे होगा, व्यवस्था कैसे बैठेगी, कार्य कैसे सम्पादित होगा? अनुदानित महाविद्यालयों को राज्य सरकार ने यू.जी.सी. वेतनमान 1996 से स्वीकृत किये हैं, किन्तु कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान देने पर राज्य सरकार अनुदान नहीं दे रही है। बिना अनुदान के वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान दे पाना संस्थाओं के लिए दुष्कर है। वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान के अभाव में वरिष्ठ अध्यापकों में तीव्र असंतोष है। विक्षोभ के कारण कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। राज्य सरकार का मैं इस तरफ ध्यान दिला रहा हूं कि उनको भी यह सुविधा दी जाए।

एक बात मूर्व सदस्यों ने भी कही है कि कालेज व्याख्याताओं में लगभग 1100 पद रिक्त हैं। आर.पी.एस. सी. द्वारा 400 व्याख्याताओं के पद भरने के पश्चात् 700 पद रिक्त हैं। उन्हें भरने के लिए राज्य सरकार ने एक गैस्ट फैकल्टी स्कीम चालू की। राजस्थान हाई कोर्ट ने गैस्ट फैकल्टी स्कीम के लिए स्थगन आदेश दिया कि क्योंकि आर.पी.एस.सी. द्वारा 300 व्याख्याताओं की आरक्षित सूची जारी की गई थी, उनके पदस्थापन नहीं होने पर गैस्ट फैकल्टी स्कीम

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

को लागू नहीं किया जा सकता। अतः गैस्ट फैकल्टीं स्कीम के बंद होने के पश्चात् कालेज व्याख्याताओं के रिक्त पदों को आर. पी. एस. सी. द्वारा बनाई गई आरक्षित सूची द्वारा भरा जाए ताकि महाविद्यालय में शैक्षणिक अव्यवस्था नहीं फैले। नई भर्ती में एक-दो साल लगने

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

के कारण आरक्षित सूची में से शीघ्र भरकर रिक्त पदों को पूरा किया जा सकता है। माननीय मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि एक संस्कृत विद्यालय भी हमारे यहां पर संचालित है और वह संस्कृत विद्यालय कुचामन सिटी में एक मिडल स्कूल तक है लेकिन इसमें भी वही अध्यापकों की कमी है। केवल दो अध्यापक हैं और उसमें 150 छात्र पढ़ते हैं, और उसमें भी आपको ताज्जुब होगा कि नाम संस्कृत विद्यालय है लेकिन संस्कृत विषय की जानकारी देने वाला उसमें कोई अध्यापक नहीं है। जो आपका यहां पर हैडमास्टर है, वह भी बराबर वहां पर जाता नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हरीशचन्द कुमावत : डयूटी बराबर देता ही नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि उसमें भी अच्छी व्यवस्था करें ताकि वहां पर सब अच्छी व्यवस्था हो। मुझे समय दिया उसके लिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही मैंने जो बात कही है उसकी पूर्ति की जाए, यह निवेदन करता हूं जयभारत। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री बाबूलालजी सिंगारिया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या-24 के पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया गया।

श्री बाबूलालजी सिंगारिया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : क्यों बारबार एक्सरसाइज करवा रहे हो मेरे से ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, रामस्वरूपजी का भाषण करवा दीजिए आज। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप जो बोल रहे हैं उनको सुनिये पहले।

श्री हरिसिंह (महुवा): देखिये, रामस्वरूपजी का बोलना आपने बंद किया है। आपने एजीटेशन किया था हाउस में और आपने मांग की थी कि रामस्वरूपजी को मंत्री बनाओ। आपके पास एक ही मुद्दा नहीं रहा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय सभापति महोदय, इनको बुलाओ आप। बीमार हो जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, रामस्वरूपजी बीमार हो जाएंगे। रामस्वरूपजी को पहले करवाओ। (व्यवधान)रामस्वरूपजी का।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, सबसे अनुशासित मंत्री हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय सभापति महोदय, मेडिकल बोर्ड बैठाओ आप। यह बीमार हो जाएंगे, यह बीमार हो जाएंगें। एक मेडिकल बोर्ड बैठाओ। नहीं, नहीं आप क्या बात कर रहे हो दम घुट गया इनका। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोल कर दिखाओ कि आपकी जबान में कुछ हो तो नहीं गया है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हाउस में ही काफी है, पर यह...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिजनस एडवाइजरी में इनकी मांग रखवा देते। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आप बोलकर तो दिखाओ। (व्यवधान) यह भी एक बीमारी है चुप रहे तो...(व्यवधान)

मांग संख्या-24 पर विचार

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2003-2004 की अनुदान की मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के पक्ष में मैं मेरे विचार प्रकट कर रहा हूं। आदरणीय सभापति महोदय, आजादी के पुरोधा और संविधान के रचीयता और अनुसूचित समाज के नेता आदरणीय बाबा भीमराव अम्बेडकरजी को...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा): राष्ट्र नेता।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : अन्तरराष्ट्रीय नेता, राष्ट्र के नेता और संविधान के रचीयता बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक मूल मंत्र दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उसको प्रतिपादित करते हुए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत ने बिजली बचाओ, पानी बचाओ और सबको पढ़ाओ...(व्यवधान) आदरणीय सभापति महोदय, वास्तव में निरक्षरता समाज के लिए कलंक है और संभ्य समाज के लिए अशिक्षा भी श्राप है।

श्री मदन दिलावर : यह सरकार चली जाएगी अभी नवम्बर-दिसम्बर में और डी.आई.जी. साहब तैयार हैं जेल के सीखचों में टिकाने के लिये...(व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये आप।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत और कांग्रेस पार्टी के संविधान की रीति-नीति है गांव के अन्तिम छोर पर बैठे हुए दरिद्र नारायण की सेवा करना। उस

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

गरीब व्यक्ति को साक्षर करना राजस्थान की सरकार का प्रथम कर्तव्य बनता है। उसको मद्देनजर रखते हुए जो मजरे, गांव और ढाणियों के अन्दर प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित थे उन प्रत्येक गांव, मजरों और ढाणियों के अन्दर गरीब किसान के बच्चे को साक्षर बनाने के लिए पूरे राजस्थान के अन्दर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत ने 28000 से ज्यादा राजीव गांधी पाठशालाएं खोली और गरीब के बच्चों को साक्षरता से जोड़ा। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, उसके बाद में जो बच्चे स्कूल से वंचित रह गये थे, राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक अभिनव प्रयोग करके "शिक्षा दर्पण योजना" चलाई। उस शिक्षा दर्पण योजना" के माध्यम से जो बच्चे...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, आपको पीठ दिखाकर खड़े हैं। आपको पीठ दिखा रहे हैं, यह आसन का अपमान है। आज तक ऐसा सदन में नहीं हुआ कि कोई मंत्री आसन की तरफ पीठ करके खड़ा हो। और तो देखो फिर...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री सोहन नायक : माननीय सभापति महोदय, आज तो शिक्षा पर बहस हो रही है, माननीय सदस्य शिक्षित की तरह तो बात कर लें। आज तो एक दिन के लिए। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : माननीय सभापति महोदय, जो बच्चे स्कूल से वंचित रह गये, नामांकन से वंचित रह गये, सात साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे, उनको जोड़ने के लिए राजस्थान की लोकप्रिय गहलोत सरकार ने "शिक्षा दर्पण योजना" चलाई। उसके बाद भी राजस्थान के अन्दर 23 लाख से ज्यादा जो बच्चे वंचित रह गये, राजस्थान की गहलोत सरकार ने "शिक्षा आपके द्वार" योजना के माध्यम से उनको स्कूलों से पुनः जोड़ा। राजस्थान में गांवों, मजरों और ढाणियों के अन्दर गरीब किसान के द्वार पर जाकर शिक्षकों ने वंचित रहे हुए बच्चों का नामांकन किया, उनको शिक्षा से जोड़ा। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, गरीब व्यक्ति का बच्चा ही उसका सहारा है, उनके बुढ़ापे की लकड़ी है, ऐसी अवस्था के अन्दर जो बच्चा खेत में जाता है, स्कूल का जो समय है, और पढ़ाई से जो वंचित रह जाता है, ऐसे बच्चों को भी साक्षरता से जोड़ने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने "शिक्षा मैत्री योजना" चलाई। उस "शिक्षा मैत्री योजना" के अन्तर्गत गांवों के अन्दर वंचित रहे बालक खेत से लौटने के बाद में, पशुपालन के कार्य से निपटने के बाद में समय वह तय करें कि 7.00 बजे पढ़ना है, रात्रि को 8.00 बजे पढ़ना है, रात्रि को 9.00 बजे पढ़ना है, और वही स्थान का चयन करेंगे कि चाहे वे आंगनबाड़ी केन्द्र में पढ़ना चाहेंगे,

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

गांव की हथाई पर बैठकर पढ़ना चाहेंगे या सामुदायिक केन्द्रों में बैठकर पढ़ना चाहेंगे 20 बच्चों के ऊपर वहीं गांव का मास्टर लगाकर "शिक्षा मैत्री योजना" के प्रयोग से शिक्षा से वंचित रहे हुए किसानों के, गरीबों के बच्चों को जोड़ने का काम राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने पूरे राजस्थान के अन्दर शिक्षा का अलख जगाया है।

(17.00 बजे)

इतना ही नहीं, पूर्व में जो शिक्षा मंत्री थे उनसे लेकर आज तक जो शिक्षा मंत्री हैं, इन लोगों ने लगातार साक्षरता की दर को आगे से आगे बढ़ाया है, लेकिन पिछले साल तो साक्षरता की दर 61 परसेंट रही। पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान राज्य प्रथम पर रहा, जिस पर केन्द्र सरकार ने भी राजस्थान राज्य की पीठ थपथपाई। इसके लिये मैं राजस्थान की गहलोत सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान के बच्चों का भविष्य पिछली सरकारों ने गर्त के अन्दर डाल दिया, बच्चों का भविष्य एक तरह से कर्ज के रूप में रख दिया गया। एक बणिये की दुकान खोल रखी थी। सभापति महोदय, पूर्व वक्ताओं ने भी कहा और सबको यह विदित भी है कि किस प्रकार स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात चली। पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तीन लाख रुपये लेकर प्राइमरी स्कूल से मिडल स्कूल तक क्रमोन्नत करना, पांच लाख रुपये लेकर...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखें, आसन के और वक्ता के बीच में होकर नहीं निकलें।(व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : पांच लाख रुपये लेकर मिडल स्कूल को सैकण्डरी स्कूल के अन्दर क्रमोन्नत करना सात लाख रुपये लेकर माध्यमिक स्कूल को उच्च माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत करना, एक तरह से बणिये की दुकान लगाकर बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना दिया, बच्चों के भविष्य को गिरवी रख दिया। जब से राजस्थान की गहलोत सरकार बनी, बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिये, उनका सर्वांगीण विकास करने के लिये, बच्चों को नैतिक शिक्षा देते हुए पूरे राजस्थान में एक हजार से भी ज्यादा प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडल स्कूलें निः शुल्क क्रमोन्नत की गयीं। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, जहां 400 से ज्यादा स्कूलें मिडल से सैकण्डरी के अन्दर क्रमोन्नत की गयीं, 200 से ज्यादा सैकण्डरी स्कूलों को हायर सैकण्डरी के अन्दर क्रमोन्नत किया गया। पूरी की पूरी स्कूलें निःशुल्क क्रमोन्नत की गयीं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हो कि राजस्थान

(17.01 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

की गहलोत सरकार साक्षरता के लिए पूरे राजस्थान के अन्दर शिक्षा का अलख जगा रही है और पूरे राजस्थान के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी ही तरक्की के साथ बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाया है। इतना ही नहीं, राजीव गांधी पाठशालाओं के अन्दर वहीं के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे बच्चे को वहीं का शिक्षक बनाया गया। साथ ही जहां 60 से ज्यादा छात्र संख्या बढ़ी, वहां पर एक पैराटीचर का प्रावधान किया गया और पैराटीचर भी आरक्षण पद्धति के माध्यम से वहां लगाये गये। रोस्टर प्रणाली से जो वार्ड जिस के लिए आरक्षित है, अगर वहां अनुसूचित का आरक्षण है, चाहे महिला का हो, चाहे सामान्य महिला का हो, चाहे ओ.बी.सी. महिला का हो, उसी प्रकार से चयन करके पैराटीचर्स को वहां लगाया गया। जितने भी शिक्षित बेरोजगार थे, दस हजार से ज्यादा पैराटीचर्स को थर्ड ग्रेड के अन्दर स्थायी नियुक्ति दे दी गयी है। यह राजस्थान की गहलोत सरकार का महत्वपूर्ण कदम रहा है।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर जितनी भी स्कूलें क्रमोन्नत की गयी हैं, जितनी भी राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गयी हैं, उनके अन्दर शिक्षा का जो स्तर है, उनमें गुणात्मक शिक्षा दी जा रही है, नैतिक शिक्षा दी जा रही है, बौद्धिक शिक्षा दी जा रही है। साथ ही बच्चे के शरीर के विकास के लिये, बच्चे के बौद्धिक विकास के लिये राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा के अन्दर बच्चों को मिड-डे मील देकर उनका शरीर सौष्ठव किया। 70 लाख से ज्यादा बच्चों को घूघरी और लापसी का वितरण करके बच्चों के प्रति तौर पर गहलोत सरकार ने ध्यान दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के आधुनिक निर्माता स्व. राजीवजी गांधी ने कम्प्यूटर शिक्षा का जिस प्रकार से सूत्रपात किया उसको देखते हुए राजस्थान के अन्दर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस चीज की पहल की कि हम बच्चों के हाथ में कम्प्यूटर देंगे, उनको कम्प्यूटर शिक्षा देंगे। ये लोग त्रिशूल दीक्षा की बात करते हैं, खंजर दीक्षा की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार कम्प्यूटर शिक्षा की बात करती है। इतना महत्वपूर्ण कदम राजस्थान की गहलोत सरकार ने उठाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आधुनिक वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी युग में तकनीकी शिक्षा का महत्व है और तकनीकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है राज्य में स्थित राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों की मांग के अनुरूप दस्तकार प्रशिक्षण से लेकर इंजीनियरिंग स्नातक तक प्रशिक्षित जनशक्ति को उपलब्ध करवाना, माननीय उपाध्यक्ष

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

महोदय, आई.टी.आई. के अन्दर जाब वर्क के मुख्य उद्देश्य रखे गये हैं, उसमें इन लोगों ने टैक्सटाइल टैक्नोलोजी को डवलप किया है। मैं समझता हूं कि छात्रों ने टैक्सटाइल टैक्नोलोजी पढ़-लिख कर पूरे राजस्थान के अन्दर हैण्डलूम का क्षेत्र हो, चाहे पावरलूम का क्षेत्र हो, इसको डवलप किया इसी की यह एक मिसाल है कि टैक्सटाइल टैक्नोलोजी के कारण से वह चीज आज डवलप हो पायी है।

तकनीकी शिक्षा के माध्यम से दस्तकार प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टैक्सटाइल टैक्नोलोजी की तरह लैदर टैक्नोलोजी का भी इसके अन्दर प्रावधान किया जाना चाहिये। टौंक के अन्दर लैटर टेनरी खोली, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पाया जिसके कारण आज टौंक के अन्दर लैदर की टेनरी बंद पड़ी है अरबों-खरबों रुपये उसके अदंर लगे हुए हैं, मैं चाहूंगा लैदर टैक्नोलोजी हमारे यहां डवलप होनी चाहिये क्योंकि इस काम में राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जाति समाज बहुत बड़ी तादाद में है जिनका मुख्य काम ज्यादातर चमड़े का कार्य करने का रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां संत रविदासजी जैसे महान समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने चमड़े की जूतियां बनाकर इस समाज के अन्दर एक नई दिशा दी। उन्होंने इस बात को सिद्ध करके दिखाया कि आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। उपाध्यक्ष महोदय, 6 फरवरी के दिन उनका जयन्ती दिवस मनाया जाता है और केन्द्र सरकार ने पहली बार संत रविदासजी का जयन्ती दिवस मनाया। संत रविदासजी का पुश्तैनी कार्य चमड़े का कार्य करते हुए आज भी राजस्थान के प्रत्येक गांव, मजरे और ढाणियों के अन्दर लोग मिलेंगे, मैं चाहूंगा कि उनको लेटेस्ट टैक्नोलोजी से जोड़े आज जहां इस धंधे का एक्सपोर्ट होना चाहिये था, इस धंधे का इम्पोर्ट हो रहा है। इससे यहां के पुश्तैनी कार्य बंद होते जा रहे हैं। हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वह आज भी शिक्षा को पढ़कर इस टैक्नोलोजी से नहीं जुड़ पायी है, इससे शनैः-शनैः हमारा पुश्तैनी धंधा खतम होता जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इस लैदर टैक्नोलोजी को डवलप करने के लिये इसका भी प्रशिक्षण संस्थान खोला जाए और इस विषय को भी अनिवार्य रूप से आई. टी. आई. के अन्दर खोला जाए। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नौजवान पीढ़ियों के अन्दर संत रविदासजी के प्रति भावना बनी रहे, इसके लिये इनका साहित्य बनवाकर, इनका इतिहास कायम करवाकर पुस्तकालय और संग्रहालय के अन्दर इनका साहित्य रखवाया जाए ताकि हमारा पुश्तैनी धंधा आज भी जीवित रहे।

साथ ही, शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, राम यह चूंकि नवीन

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

टैक्नोलोजी से जुड़ गया है इसलिए कानपुर और मद्रास के अन्दर जो कार्य अनुसूचित जाति का समाज करता था, आज इस कार्य को स्वर्ण जाति का समाज कर रहा है। जिसका हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, आज उसका इम्पोर्ट हो रहा है, तो इसका कारण यह रहा कि हमने नई टैक्नोलोजी को डवलप नहीं किया। तकनीकी शिक्षा के अन्दर यदि हम इस लैदर टैक्नोलोजी को डवलप करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे पुश्तैनी काम के अन्दर हम लोग एक्सपोर्ट करने में स्वावलम्बी बनेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो इसका विशेष ध्यान रखें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी स्तर पर हैण्डीक्राफ्ट के आज भी हाट बाजार लगे हुए हैं, आज उनके अन्दर भी इम्पोर्ट होता है और माल आकर इनमें बिकता है। इसकी तरफ भी अपन को विशेष ध्यान देना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये एन. डी. एस. आई. योजना के अन्तर्गत हाउस कीपिंग स्टाफ हेतु राशि का पुनर्भरण भारत सरकार द्वारा किया जाता है जो आज तक भी राजस्थान सरकार को नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय के माध्यम से इस राशि की डिमाण्ड की जाए ताकि राजस्थान में शिक्षा का स्तर गुणात्मक रूप से बढ़ सके। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा लगभग कुल 40 करोड़ रुपये का पुनर्भरण वर्ष 2000-2001 तक किया जाना था, जो अभी तक नहीं मिले। प्रति वर्ष बजट के अन्दर हम लोग डिमाण्ड करते हैं परन्तु आज तक रुपये नहीं मिले। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी इसकी डिमाण्ड रखें केन्द्र सरकार से ताकि यह 40 करोड़ रुपये का पुनर्भरण भारत सरकार से राज्य सरकार को मिले और राजस्थान के अन्दर शिक्षा का सुधार हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रघुवीर सिंह।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मेरे विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के बारे में थोड़े-से सुझाव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले बोलो न क्षेत्र की बात, आप राजस्थान की बोल रहे हो।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, केकड़ी महाविद्यालय में हमने पूर्व में भी पी. जी. कक्षाएं खुलवाने के लिए कई बार निवेदन फर्माया है, मैं आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि केकड़ी महाविद्यालय में पी. जी. कक्षाएं प्रारम्भ करें।

इसके साथ ही केकड़ी के अन्दर हम बालिका महाविद्यालय आबादी के अनुपात में खोलने का मापदण्ड रखते हैं, उसको खोला जाए। इसके साथ ही सरवाड़ के

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

अन्दर महाविद्यालय खोलने का मापदण्ड रखते हैं, उसको भी खोला जाए। उपाध्यक्ष महोदय, जहां उर्दू के अध्यापक नहीं लगे हैं उनको लगाया जाए। उर्दू के छात्रों की संख्या मिनिमम 15 होनी चाहिए, 24 से ज्यादा है, तो मैं चाहूंगा कि वहां पर उर्दू के अध्यापक लगाये जाएं, उर्दू के विषय खोले जाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं बोलना चाहते हो?

श्री बाबूलाल सिंगारिया : उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृत में बहुत पुराना उच्च माध्यमिक संस्कृत विद्यालय है, वह हर प्रकार से पूरे राजस्थान के अन्दर प्रथम है, प्राथमिक तौर पर पूरे माापदण्ड रखता है, उसको महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : साथ ही सरवाड़ के अन्दर पुराना किला पड़ा है, पुरातत्व विभाग से उसको जोड़ कर दर्शकों के लिए खोला जाए जिससे रेवेन्यू भी आएगी और साथ ही हमारे ही पुरातत्व विभाग का कला एवं संस्कृति की तरफ ध्यान भी जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह सब पहले ही बोलते न, आप तो हिन्दुस्तान की पालिसी पर डिस्कस कर रहे थे।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : इसके साथ ही जिस प्रकार से बी.पी.एल. परिवारों के शिक्षित बेरोजगारों के लिए 300 रुपये मासिक भत्ता देने की योजना रखी है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के बेरोजगार युवकों को भी 300 रुपये मासिक भत्ता देने का प्रावधान रखा जाए। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति के 60 हजार से ज्यादा पदों का बैकलॉग पड़ा है, उसको भी भरा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रघुवीर सिंह। विराजिये प्लीज, हो गया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : ताकि इसके माध्यम से जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके और हमारी राजस्थान की शिक्षा गुणात्मक बन सके। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट। डा. रघुवीर सिंह गौड़।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ : (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-24 पर विचार-विर्मश कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर साहब, आपके मुख्य सचेतकजी कह रहे हैं कि सब को पांच मिनट बुलाओ, तो आप ध्यान रखना ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : अभी कहा न आपने, यह क्या किया।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर नारों से ही सब कार्य पूरे हुए होते तो आज भारत की गरीबी दूर हो गयी होती और यदि नारों से ही सब कुछ होना है तो शायद पूरा राजस्थान बहुत जल्दी पढ़-लिख जाएगा। हमारी इस सरकार ने "सब को पढ़ाओ" का नारा लगाया लेकिन उसके लिए व्यवस्था क्या की, यह हमें देखने में नहीं आयी। यह ठीक है कि विशेष प्लान के अन्दर 21 हजार स्कूल खोल दिये गये, लेकिन क्या इससे सब शिक्षित हो जाएंगे? साक्षरता का आंकड़ा भी आपने 61 प्रतिशत कर दिया, यह ठीक है, लेकिन इससे हम शिक्षित नहीं हो सके हैं। शिक्षित का मतलब यही है कि व्यक्ति पढ़-लिख कर चारित्रिक, नैतिक रूप से, हर तरह से सक्षम होकर अपना निर्वाह कर सके और देश का कुछ दे सके। लेकिन स्थिति यह है कि हमारे यहां इतनी स्कूल्स होते हुए भी आप किसी भी गांव में जाइयेगा, हमारे पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, ऊपर से चाहे कितनी ही तारीफ करें लेकिन सब ने यह माना है कि उनके क्षेत्र में स्कूलों में कहीं भी अध्यापक नहीं हैं, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे वो कालेज हो। ऐसी स्थिति में हम अपनी इस नयी पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, कौनसी शिक्षा दे रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि अभी 2-3 साल से मिडल स्कूलों में मात्र एक या दो अध्यापक नजर आते हैं। कहीं तो केवल पी.टी.आई. ही नजर आता है। मेरी समझ में नहीं आता कि कौनसी विद्या इन बच्चों को पढ़ाई जा रही है। उनको मात्र भेड़-बकरियों की तरह एक जगह एकत्र करके 5-6 घंटे बाद छोड़ देना ही शिक्षा देना है तो निश्चित रूप से हमारे यहां खूब पढ़ाई की जा रही है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि शिक्षा देने के लिए सबसे पहले तो यह प्रकिया पूरी की जाए कि जुलाई और अगस्त तक जितने भी क्रमोन्नत या स्थानान्तरण होने हैं, वे पूरे हो जाएं और हर स्कूल में पूरे अनुपात में एक और पचास के अनुपात में छात्र और अध्यापक हों तब हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि अपने बच्चों को हम पढ़ने का मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन इसी में यह है कि पारम्परिक शिक्षा जो चल रही है, उसके अलावा रोजगार देने वाली शिक्षा भी हरके पंचायत समिति में निश्चित रूप से दी जानी चाहिए, नहीं तो उसके बिना कोई भी शिक्षा अधूरी है। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं, छात्र ग्रेजुएट होने के बाद भी ऐसी स्थिति में नहीं होता है कि वह हिन्दी में भी एक अच्छा प्रार्थना-पत्र लिख सके। तो ऐसी शिक्षा से वो क्या कर पाएगा? इसलिए

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

जो भी शिक्षा हो कानक्रीट हो और इस प्रकार की हो कि वह अपने जीवन में और क्षेत्र में कुछ कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के बारे में मैं कहना चाहूंगा, हमारे कोटपूतली में भी राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय की हालत यह है कि दो साल से वहां प्रधानाचार्य नहीं हैं, उप-प्रधानाचार्य नहीं हैं। वहां पर 23 व्याख्याता, अध्यापक और तृतीय श्रेणी अध्यापक जो होने चाहिए, नहीं हैं ऐसी स्थिति में कोटपूतली जैसी जगह, जो कि इस जिले का एक सबसे बड़ा डिवीजन है और वहां पर बहुत प्रतिभावान छात्राएं हैं, उनकी यह स्थिति हो सकती तो मैं नहीं समझ सकता कि राजस्थान के सुदूर जिलों में क्या स्थिति होती होगी। यही हालत वहां के राजकीय उच्च विद्यालय की है कि विज्ञान और गणित के शिक्षक नहीं हैं। इसके साथ पास में ही पावटा में सीनियर बालिका विद्यालय में प्रधानाचार्य नहीं हैं। हमारे क्षेत्र के चार मिडल स्कूलों में केवल एक या दो ही अध्यापक हैं जबकि 250-250 की संख्या छात्रों की है। प्राथमिक विद्यालयों की तो कुछ पूछिये ही मत, कहीं 250, कहीं 300 छात्र हैं लेकिन अध्यापक मात्र एक है। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम मेरे क्षेत्र में आप चाहे नये स्कूल नहीं खोलें लेकिन अध्यापक पूरी संख्या में हर स्कूल में हो जाएं तो मैं तो समझूंगा कि यहां बहुत होगा। जहां तक क्रमोन्नत का सवाल है, वह तो हमारे क्षेत्र में होना ही नहीं है हमारे निवेदन पर। मैंने कई बार हर स्तर पर निवेदन किया, हमारे यहां ऐसे स्कूल हैं जहां 20-20 साल से पंचायत हैडक्वार्टर पर भी प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं, वहां पर 250-250, 300-300 छात्र हैं, आस-पास दो-तीन स्कूल भी हैं जो उनको फीड कर रहे हैं लेकिन वहां पर भी अभी तक क्रमोन्नत नहीं किया गया है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी इस विषय में अगर क्षेत्र की कोई सहायता कर सकें तो मैं निवेदन करूंगा कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र में बीसियों वर्ष से इस आशा में बैठे हुए हैं कि कभी कोई उनकी सुध ले तो कृपया इसका ध्यान रखें। एक तो प्राथमिक स्कूल पण्डितपुरा है जो 15-20 साल से अभी तक प्राथमिक शाला बना हुआ है। दूसरा है जीणगौर, छोटी कोटड़ी। इसी प्रकार मिडल स्कूल धालेड़ा, करोड़ी, पाथेड़ी बसई, नांगल पण्डितपुरा, रामसिंहपुरा हैं, इनकी संख्या 450-500 हैं और यहां से माध्यमिक स्कूल चार-चार, पांच-पांच किलोमीटर दूर है इसलिए इन मिडल स्कूलों को माध्यमिक में क्रमोन्नत करना बहुत आवश्यक है। हमारे आस पास के क्षेत्र के छात्र गरीब छात्र हैं, दूर स्कूलों में नहीं जा सकते इसलिए मेरा निवेदन है कि इनका क्रमोन्नत बिना किसी भेदभाव

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

के करने की कृपा करें। हम पहले भी कई बार निवेदन कर चुके हैं लेकिन अभी तक इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है।

इसी प्रकार से महिला कालेज में संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। इस बार भी कम से कम 150 प्रदेश प्रथम वर्ष में होंगे। मैंने निवेदन किया था कि एक तो कक्षाएं बढ़ायी जाएं। दूसरा, इतिहास और अंग्रेजी के विषय के लिए मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं, वे पढ़ाये जाएं ताकि वहां की बालिकाओं को पढ़ने का मौका मिले और वे आगे बढ़ सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : इनका सब अनुसरण करेंगे तो सब बोल लेंगे। (व्यवधान) आप विराजो, आपको बुलवाएंगे चिन्ता मत करो।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, रिजर्वेशन की बात तो मैं कहूंगा लेकिन सबसे ज्यादा बौखलाहट मेरे विपक्षी साथियों को इसलिए है कि पिछले आठ साल तक जब इनका राज रहा तो ये वह काम नहीं कर पाये जो इन चार सालों में कांग्रेस की सरकार ने किया। इनकी सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि कहां हजार-बारह सौ इंजीनियरिंग की सीट हुआ करती थी और कहां इन चार सालों में नौ हजार इंजीनियरिंग की सीटें हैं, एक-डेढ़ दर्जन कालेज खुल गये। (व्यवधान) सुनते जाइये। बच्चे बैंगलौर और दूर जाते थे, राजस्थान का पैसा जाता था, मां-बाप तकलीफ पाते थे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को और तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी को जिन्होंने मेरे क्षेत्र के छोटे-से गांव नीमराना में इतना प्रतिष्ठित बढ़िया इंजीनियरिंग कालेज खोल दिया, मेरे क्षेत्र के लगभग एक-डेढ़ दर्जन बच्चे वहां बैठकर पढ़ रहे हैं। यह तकलीफ है आप सब लोगों के दिमाग में कि यह काम आप कर नहीं पाये थे।

इंफारमेंशन टैक्नोलोजी का इतना बड़ा संस्थान राज्य सरकार प्राइवेट सैक्टर में लेकर आ रही है, इसके बारे में आपकी सोच नहीं था। यह तकलीफ है आपको।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छह-छह नये विश्वविद्यालय खोल दिये, आप उनके बारे में कल्पना भी नहीं कर पाये थे। आज कोटा में, बीकानेर में, जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय ये जो खुले हैं और उससे जो जनता के अन्दर वातावरण शिक्षा के प्रति, उच्च शिक्षा के प्रति बना है, वह काम किया है। आप मन में मसोसते हैं, मरोड़े ये लगते हैं, तकलीफ इस बात की है कि यह काम हम क्यों नहीं कर पाये। प्रारम्भिक शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत घर-घर जाकर गांव के बच्चों को, गरीब के बच्चों को, झोपड़ी के बच्चों को स्कूल में लाना, उसका

(डा. करण सिंह यादव)

नामांकन करवाना, उसको दोपहर में दलिया और घूघरी खिलवाना, उन बच्चों को आगे पढ़ाना-इसकी प्रशंसा जो गांव-गांव में हो रही है, वह काम नहीं कर पाये यह बहुत बड़ी तकलीफ है। ऐसी-ऐसी अभिनव योजनाएं लेकर आये हैं। यह सही है कि अकाल की वजह से नये कालेज नहीं खोल पाये, नये, विषय नहीं खोल पाये, परन्तु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर जोशी साहब को, आदरणीय कल्ला साहब को जिन्होंने सैल्फ फाइनेंसिंग (स्ववित्त पोषित) की एक योजना लाकर सामने खड़ी कर दी। अगर जागरूक जनप्रतिनिधि हों, अच्छे जन सहयोगी सदस्य हों उस शाला विकास समिति के, तो आज विधायक अपने क्षेत्र में भी करवा सकता है। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी होती है कि मेरे बहरोड़ का कालेज जो पिछले 25 साल से मात्र स्नातक (आर्ट्स) की डिग्री देता था, आज वहां सैल्फ फाइनेंसिंग के आधार पर विज्ञान का संकाय है, आज वहां एम. ए. की क्लासेज चालू हैं। आधा दर्जन स्कूल हैं जिनके अन्दर हमने विज्ञान संकाय को चालू किया है गैस्ट फैकल्टी के आधार पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को, मेरे कुछ विधायक भाइयों को शायद जानकारी नहीं होगी कि इन कोर्सेज को चलाने के लिए आप अपने विधायक कोष से राशि दे सकते हैं रैकरिंग एक्सपेंडीचर के लिए जो गैस्ट फैकल्टी को पेमेंट करने के लिए काम में ली जा सकती है, एक ऐसा आप्शन कल्ला साहब और जोशी साहब आपने दिया है जिससे बहुत कुछ पूर्ति हो रही है इस इलाके में।

माननीय राठौड़ साहब ने जिक्र किया, आपके कार्यकाल में पिछले आठ सालों में राजस्थान विश्वविद्यालयों की स्थिति झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या अभी चर्चा कर रही थीं कि 1980 तक तो ठीक था और उसके बाद उसमें बिगाड़ होने लग गया। उपाध्यक्ष महोदय, उसका कारण मैं बताना चाहूंगा, और सदन में समय-समय पर बताना भी जा रहा हूं, कि राजस्थान विश्वविद्यालय के एक नियम 3 (3) जिसको अब राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है, उसके अन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्यालयों में बहुत-सी अवैध नियुक्तियां कर दी गयीं पिछले दरवाजे से, मर्जी आये जिन लोगों को, बिना एडवरटाइजमैंट किये। जो क्वालिफिकेशंस भी पूरी नहीं करते थे, ऐसे लोगों को लैम्चरर लगा दिया गया और उनकी सरकार आठ साल तक उनको नियमित करने के लिए अध्यादेश लाने की बात सोचती रही। ये वे नियुक्तियां हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्रशासनिक अधिकारी और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे प्रोफेसर वी.आई. राजगोपाल ने एक इतना बड़ा वोल्यूम लिखा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में उस समय में

(डा. करण सिंह यादव)

जो नियुक्तियां हुईं, उनमें किस से अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी को छोड़ दिया जाता था। नॉट फाउण्ड सूटेबल करके उसको छोड़ दिया जाता था, उसको रिजैक्ट कर दिया जाता था। उस बची हुई वेकेंसी को नीचे से लाकर एडहाक नियुक्ति दे देते थे और वे एडहाक नियुक्ति आज तक चल रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान पुनः दिलाना चाहूंगा कि तत्कालीन शिक्षा सचिव अनिल वैश्व स्वयं ने एक बहुत बड़ा रिसर्च डाकूमेंट पेश किया जिसके अन्दर उन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान विश्वविद्यालय में अस्थाई शिक्षकों में अधिकतम अनियमित नियुक्तियां वे हैं जो क्वालिफिकेशंस पूरी नहीं करते, जिनका कोई विज्ञापन नहीं हुआ। पत्नी डिलीवरी पर चली गयी, हसबैण्ड को लगा दिया। हसबैण्ड छुट्टी पर चले गये उनकी बहन को लगा दिया। ऐसे उदाहरण राजस्थान विश्वविद्यालय में मौजूद थे और वे 167 थे आपके कार्यकाल के दौरान, मुझे बार बार कहते हुए संकोच आता है कि तत्कालीन कुलपति महोदय सिगरेट की पन्नी पर, बिस्कुट के डिब्बे पर, अखबार के कागज पर, चलती हुई पर्ची के ऊपर नियुक्तियां देते थे। उनमें से 124 या 140 करके, आज 300 शिक्षक हैं अस्थाई, जो योग्य नहीं हैं और उनके लिए यहां लॉबीटंग की जा रही है। एक संगठित ग्रुप है जो चाहता है कि उनको नियमित कर दिया जाए, यह कहकर नियमित कर दिया जाए कि ये इतने दिन से काम कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ. बी. सी. का ही हक नहीं मारा है, उन्होंने अपने वर्गों के उच्च वर्गों के योग्यतम छात्रों का भी हक मारा है। झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई मैरिटोरियस लैक्चरर्स नहीं हैं, क्योंकि जॉब अपर्चुनिटी नहीं रही। इस सदन में तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय सी. पी. जोशी साहब ने कमिट किया था कि कोई अध्यादेश लाने से पहले राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यथियों को नियुक्तियों में पहले प्राथमिकता देगी, उसके बाद कोई अध्यादेश लाया जाएगा। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय शैलेन्द्र जोशी साहब स्वयं विधिवेत्ता हैं, अगर आप राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास में जाएंगे तो पाएंगे कि इन्होंने बार-बार अवहेलना की है। इन 307 अस्थाई शिक्षकों में से मात्र सात या आठ हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं, जबकि इन तीन सौ पदों में से 150 पद ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति से भरे जाने चाहिए। मुझे मालूम नहीं है कि माननीय गुलाब सिंह शक्तावत साहब की कमेटी ने क्या निर्णय लिये

(डा. करण सिंह यादव)

होंगे, लेकिन एक बात मैं पहले भी सदन में कहता रहा हूं और आज भी निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी स्वयं कानून के जानकार हैं, मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी को भी लगाइये लेकिन इन वर्गों का जो हक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के 150 पद आप पहले एडवरटाइज करवा दीजिए, उनकी भर्ती कर दीजिए। उसके बाद जो बचे उनको आप छांटकर ले जाइये। साजिश यह हो रही है, विश्वविद्यालय से पिछले कुलपति से यह लिखवाकर भिजवा दिया कि बाकी पद विश्वविद्यालय सृजित कर लेगा और एक प्रपोजल बनाकर दे दिया कि हम सौ-सवा सौ पद सृजित कर लेंगे। आज वित्तीय अभाव की स्थिति में एक पद स्वीकृत करवाना बड़ा मुश्किल का काम है, वहां सैकड़ों पदों के लिए लिखकर दे दिया। जब दूसरे कुलपति आये तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं कर सकते।

आज आपने वर्क लोड मंगवाया है। उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, वह वर्क लोड भी इस विश्वविद्यालय में इतना संगठित माफिया है कि आपको उसका असैसमैंट ही नहीं करने देता और आपके अधिकारियों को घुसने ही नहीं देता। वो इतनी ही इंफारमेशन देते हैं या आपके सामने जो सैल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज हैं उनका वर्क लोड लाकर दिखा देते हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह बहुत सेंसिटिव इश्यु है। अपनी पार्टी का भी स्टैण्ड है, सरकार का कमिटमेंट है कि हम पीछे के बैकलॉग को भरेंगे इसलिए जहां तक विश्वविद्यालय का मामला है, इस सेंसिटिव इश्यु पर यही निवेदन करना चाहूंगा कि कोई अध्यादेश पहली बात तो लाया नहीं जाए और लाने की बात सोचे भी तो उससे पहले आप उन सबको नियमित करें।

इसके अलावा मेरे एक-दो और सुझाव हैं। मैं समय की सीमा को समझ रहा हूं, सभी माननीय सदस्य जल्दी में हैं। माननीय मंत्री महोदय भी जवाब देंगे। एक तो जो सैल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज के लिए कालेजेज के अन्दर विधायक अपनी राशि दे सकता है, स्कूल की शाला विकास समिति को विधायक कोष से राशि दी जा सके इसका आर्डर अभी तक ग्रामीण विकास से नहीं निकला है। इसलिए माननीय कल्ला साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस मामले में पहल करें। विश्वविद्यालय, कल्ला साहब, आपने बहुत खोले हैं, पूर्वी राजस्थान में हम लोग बहुत पिछड़े हुए है, अलवर, भरतपुर करौली, धौलपुर, दौसा ये ऐसे क्षेत्र हैं कि जब भी कभी आगे विश्वविद्यालय की बात हो तो मत्स्य विश्वविद्यालय के मामले में कहीं कागजों के अन्दर प्लानिंग के अन्दर आप देखें क्योंकि उस क्षेत्र की जनता की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं।

(डा. करण सिंह यादव)

मैं दो-चार छोटे छोटे सुझाव दूंगा। स्कूलें आपने बहुत खोलीं जिसका राजस्थान में सभी जगह स्वागत हुआ है। चुनावी वर्ष है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस साल और स्कूल खोलें, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा। मेरे माननीय सदस्य कह रहे हैं नई भर्तियां करें। जो हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि पैराटीचर्स को हम रैगुलराइज करेंगे, तो उसके बारे में भी आप बताएं।

दूसरा, बोनस अंक के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले से जिन लोगों को नियुक्ति मिल गयी उनके समकक्ष दूसरे कैसेज हैं उनको भी उसी आधार पर नियुक्तियां मिले, इस बात के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा

प्रिंसिपल्स हैडमास्टर्स इनकी डी.पी.सी. अपेक्षित है जिससे कि खाली पद शीघ्र भरे जा सकें।

वेतन विसंगति लैक्चरर्स और हैडमास्टर्स के बीच में काफी अरसे से चल रही है। राजस्थान के जितने लैक्चरर्स हैं स्कूल में, वे कल्ला साहब, सदा आपका गुणगान करते हैं, आपके समय में लैक्चरर्स और हैडमास्टर्स एक ही ग्रेड में होते थे। लेकिन बाद में आदरणीय कटारिया साहब के जमाने में उसमें कुछ विसंगति पैदा हो गयी। उनका जो रेशो आफ सलेक्शन है टुवाईस प्रिंसिपल उसके अन्दर भी विसंगति हो। सोलह हजार लैक्चरर्स हैं, हैडमास्टर्स करीब चार हजार हैं, तो इसमें फिफ्टी-फिफ्टी परसेंट के बजाय लैक्चरर्स का कम्पोनेंट ज्यादा बढ़े, यह आम लोग मांग करते हैं।

राजस्थान आपके नेतृत्व में, शिक्षाविद हैं आप, आगे बढ़े तरक्की करे और स्कूलें खोले और पुनः लौटकर आएं और आप वहीं बैठे, जहां आप बैठे हैं, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा कला और संस्कृति पर चर्चा हो रही है, पिछले चार साल में सरकार ने घोषणाएं चाहे कितनी ही कीं लेकिन जो व्यवस्था शिक्षा की थी उस शिक्षा की व्यवस्था का बंटाधार करने का काम पिछले चार साल में सरकार ने किया है। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक प्राइमरी, मिडल सैकण्डरी, सीनियर, कालेज और विश्वविद्यालय कोई भी ऐसी संस्थान नहीं है शिक्षा का जहां शिक्षकों की कमी नहीं है। तदर्थ, उसको आप गैस्ट फैकल्टी कह दीजिए इस तरह की व्यवस्थाएं, अराजक व्यवस्थाएं, अस्थाई व्यवस्थाएं करने का मतलब मैं समझता हूं कि सरकार मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार नहीं है। जुलाई से शिक्षण संस्थाएं खुलती

(श्री अमराराम)

हैं और अक्टूबर में जाकर गैस्ट फैकल्टी का आप्शन भरा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वाकई उन इलाकों में जहां शिक्षा का स्तर कम है राजस्थान में जहां शिक्षा पिछड़ी हुई है, चाहे वे जिले हों, चाहे वह ग्रामीण इलाका हो शिक्षकों की कमी का सबसे बड़ा खामियाजा उन इलाकों को भोगना पड़ता है जो राजस्थान में शिक्षा में 55 साल की आजादी के बाद भी पिछड़े हुए हैं। जब भी शिक्षकों की कमी होगी तो जहां सुविधाजनक जगह होगी, जहां शिक्षा का स्तर ऊपर होगा, लोग वहां के शिक्षक नियुक्त होंगे। चाहे वह विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, चाहे वह विद्यालय हो, उनका लाभ केवल उन क्षेत्रों को मिलेगा जो शहरी क्षेत्र हैं, सुविधाजनक क्षेत्र हैं। उनका सबसे बड़ा खामियाज़ा उन क्षेत्रों को, ग्रामीण क्षेत्रों को भोगना पड़ता है जहां आज राजस्थान में शिक्षकों की चाहे वह थर्ड ग्रेड हो, सैकण्ड ग्रेड हो , स्कूल लैक्चरर्स हों, हजारों की संख्या में पोस्टें ख़ाली हैं। आज वह स्थिति नहीं है कि राजस्थान में शिक्षा में नियुक्त होने के लिए ट्रेण्ड व्यक्ति नहीं हों । केवल यह बहाना बनाया जाए कि राजस्थान की सरकार का खजाना खाली है, इस नारे से शिक्षा राजस्थान में आगे चली जाएगी?

पिछले चार साल में इस शिक्षा को जितना मंहगा किया गया है, मैं समझता हूं, पिछली कोई राजस्थान की ऐसी सरकार नहीं जिसने शिक्षा को इतना मंहगा करने का काम किया। चाहे वह एज़ुकेशन फ़ीस हो, चाहे वह एडमिशन फीस हो, जिस तरह से बढ़ायी गयी है, शायद राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं बढ़ायी गयी। जितनी शिक्षा मंहगी होगी, उतने लोग अनपढ़ ज्यादा होंगे। अभी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं कम्प्यूटर शिक्षा की, कम्प्यूटर शिक्षा में राजस्थान की सरकार का क्या है? राजस्थान की सरकार का कुछ नहीं है। राजस्थान की सरकार ने तो उन पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लूटने का काम किया है। पचास रुपये पर महीने के हिसाब से एक रुपया बोर्ड का होगा, एक रुपया स्कूल विकास का होगा, 39 रुपये उस कम्पनी का होगा और नौ रुपये विकास फण्ड में होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस कम्पनी के एक-एक कर्मचारी एक ही जिले में छह-छह स्कूलों से पेमेंट उठा रहे हैं, वह किस तरह से पढ़ाएगा, इसका अन्दाजा आप खुद कर सकते हैं। एक ही कम्प्युकाम का कर्मचारी जिसका नाम लिया नीमकाथाना से भी पेमेंट उठा रहा है, वह ग्वाला से भी उठा रहा है, वह गूंदड़ से भी उठा रहा है। मेरे समझ में नहीं आता कि एक आदमी चार स्कूलों में किस तरह से सौ किलोमीटर की दूरी तय करके विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है।

(श्री अमराराम)

वह पैसा उठाता रहे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। पचास रुपये पर महीने के हिसाब से पूरे बारह महीने की आपने लोगों से फीस ली है। विद्यार्थियों से, जबकि डेढ़ महीने-दो महीने की तो अल्टीमेटली छुट्टी होती है। डेढ़ महीने की ग्रीष्मकालीन होती है, एक महीने की दीपावली और दशहरे के पास होती है छुट्टी। अगर पूरी भी आप पढ़ाई मान ले तो भी दस महीने होगी, लेकिन फीस आपने बारह महीने की ले ली और कोई व्यवस्था नहीं। आपके ग्रामीण इलाके में कहां कम्प्यूटर चलेगा? मेरे समझ में नहीं आता, बिजली के बगैर किस तरह से कम्प्यूटर चल जाएगा? ग्रामीण इलाकों में जहां 90 परसेंट गावों में कोई बिजली नहीं है, आपका कम्प्यूटर किस तरह से चलेगा? लेकिन केवल लोगों में प्रचार करने के लिए हम शिक्षा को आगे ले जाने का काम करते हैं।

जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, निश्चित रूप से राजस्थान में यह नहीं थी। अभी डाक्टर साहब कह रहे थे कि कर्नाटक में जाते थे लेकिन आज जो व्यवसायीकरण किया गया है, राजस्थान में आठ साल पहले एक भी ऐसा संस्थान नहीं था कि जिस शिक्षण संस्था का व्यापारी किया गया हो।

उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह है, हम इंजीनियरों की बात कर रहे हैं, क्या फीस है? आप पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, क्या आपके इन इंजीनियरिंग कालेज में कोई जा सकता है जहां सत्तर हजार रुपये फीस है? वह दलित जो मजदूरी करता है 21 लाख बी.पी.एल. के परिवार हैं, अच्छे से अच्छा मैरिट होल्डर भी उन मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज में जा सकता है? केवल आरक्षित हो गयी कुछ लोगों के लिए। शिक्षा एक व्यापार का, सर्वोत्तम लाभ कमाने का काम हो गया, चाहे वह मेडिकल कालेज हो, चाहे आपकी ट्रेनिंग। जितनी भी टैक्निकल शिक्षा थी, आपके नर्सिंग स्टाफ के जितने भी दिए हैं, पहले कर्नाटक के लोग पैसा कमाते थे आज राजस्थान के लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन उस शिक्षा पाने वाले को वहां बेनीफिट हुआ? वही पैसा है। राजस्थान की सरकार उनकी व्यवस्था करती। कुछ लोगों के व्यवसाय के रूप में शिक्षा मुनाफा कमाने का आधार राजस्थान में हो गया, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो, टैक्निकल एजुकेशन हो, तमाम की तमाम यह हालत है। राजस्थान की सरकार जिस ओर बढ़ रही है, शिक्षा के निजीकरण की ओर बढ़ रही है उससे मैं समझता हूं कि राजस्थान की अस्सी प्रतिशत आबादी जो ग्रामीण और शहरी गरीब आबादी है वह उच्च शिक्षा और टैक्निकल शिक्षा से निश्चित रूप से बाहर हो जाएगी। कोई सरकार नहीं कर पाएगी। इसलिए यह जो आपने किया है, मैं समझता हूं, सबसे भयंकर है।

(श्री अमराराम)

उपाध्यक्ष महोदय, केवल यही नहीं है, किस तरह से घोटाले शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं। उच्च शिक्षा में विनोदिनी महाविद्यालय, खेतड़ी जिसको नब्बे प्रतिशत अनुदान है, जिसका भवन सरकार का भवन है, उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने जांच करवायी, वह संस्था अनुदान का दुरुपयोग करती है क्योंकि बड़े अफसरों का संस्थान है। सरकरी भवन है, 90 प्रतिशत अनुदान है, उसका दुरुपयोग किया जाता है। अशैक्षणिक कर्मचारी जिनकी बाध्यता है कि बैंक से उनका विदड्रा होगा, उनको केवल दैनिक मजदूरी पर रखा जाता है और अनुदान कर्मचारी के रूप में उठाया जाता है। डायरेक्टर के रूप में प्रबंधकों के परिवारजनों की नियुक्ति दिखायी जाती है, जो एक दिन भी विनोदिनी महाविद्यालय में फिजीकली नहीं गये। पूरे अनुदान का मिसयूज जिस तरह से विनोदनी महाविद्यालय, खेतड़ी ने किया है, जांच हो गयी। लेकिन आज तक उसके खिलाफ, सीनियर आई.ए.एस. अफसर है, एक आई.पी.एस. की घरवाली को डायरेक्टर के रूप में दिखाकर पैसे उठाये जा रहे हैं, पिछले आठ साल में एक दिन भी फिजीकली विनोदिनी महाविद्यालय में नहीं गयीं। विनोदिनी महाविद्यालय सरकारी बिल्डिंग है, 90 प्रतिशत आपका अनुदान है, आपने दूसरा महाविद्यालय वहीं खोल रखा है, अकाल राहत में खोल रखा है, 90 प्रतिशत आपका अनुदान है, क्यों नहीं दोनों महाविद्यालयों को टेकओवर करके एक साथ कर दें तो सरकार को भी चूना नहीं लगेगा, वहां के इलाके के लोगों के लिये भी फायदा होगा और जो लोग राजस्थान की जनता के पैसे को चूना लगा रहे हैं वह सब भी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि यह क्षमता नहीं है, डर लगता है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलेंगे, बोलेंगे। नम्बर आएगा तब बोलेंगे। बोलेंगे तभी ना... (व्यवधान) तसल्ली रखो। पेशेंस, पेशेंस।

श्री अमराराम (धोद) : जहां तक शिक्षा में रेशो बढ़ाने का सवाल है, जहां रेशो बढ़ना चाहिये था, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में रेशो की आवश्यकता नहीं प्राइमरी एजुकेशन में जरूरत थी, 1.40 का जो रेशो था, आपके बढ़ा दिया। समानीकरण है, इस रेशो को आप और आगे बढ़ा देंगे, 49 की बजाय 100 कर देंगे, जितने टीचर हैं ये भी एकस्ट्रा हो जाएंगे। आज यह हालत हो रही है कि आठ-आठ क्लास बाद दो-दो टीचर हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह शिक्षा की नींव कमजोर की जा रही है, मैं समझता हूं आने वाले समय में राजस्थान का भविष्य अंधकारमय होगा।

हमारे मंत्रियों की घोषणाओं का कहीं कोई राजस्थान में, मेरे विधान सभा क्षेत्र

(श्री अमराराम)

में बाबा खींवादास एक महाविद्यालय है, एक संत ने पैसे वालों से नहीं, गरीब लोगों से, दलितों से एक-एक रुपया इकट्ठा करके चार साल तक महाविद्यालय को चलाया। बाबा खींवादास जब मौजूद थे, आज वह धरती पर नहीं रहे हैं, इस सरकार के पूर्ववर्ती मंत्रीजी, दो मंत्रीजी और गये केबिनेट के, महाविद्यालय में जाकर घोषणा की कि जिस तरह का संगरिया का महाविद्यालय है उसी तरह का यह महाविद्यालय, जिसने बाबाजी होकर शिक्षा के प्रचार-प्रसार में एक-एक पैसा गरीबों दलितों से इकट्ठा करके महाविद्यालय शुरू किया ग्रामीण क्षेत्र में, तीनों मंत्रियों ने उस महाविद्यालय में जाकर घोषणा की कि इसका अनुदान 90 प्रतिशत हो जाएगा। तीन साल हो गये, वह मंत्रीजी चले गये, बाकी मंत्री बैठे हुए हैं, आज की तारीख तक 90 प्रतिशत अनुदान तो दूर 10 प्रतिशत अनुदान भी नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप। श्री अमराराम चौधरी।

श्री अमराराम (धोद) : मैं तो अभी समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अमरारामजी की जगह अमरारामजी को बुला रहा हूं, और क्या चाहिये आपको? एक ही बात हुई।

श्री अमराराम (धोद) : अभी कह रहे हैं स्ववित्त पोषित। इनकी बात की तो आलोचना कर रहे हैं कि सैकण्डरी स्कूल तीन लाख रुपये, सीनियर सैकण्डरी स्कूल पांच लाख रुपये, आपने क्या किया है? चाहे वह स्कूल में सब्जैक्ट खोले, महाविद्यालय में सब्जैक्ट खोले, उसका पूरा का पूरा स्ववित्त पोषित से वे तो केवल तीन साल का ले रहे थे, स्ववित्त पोषित योजना क्या है? ये तो तीन साल का खर्चा ले रहे थे, आप जिन्दगी भर का खर्चा लेना चाहते हैं। साइंस नहीं, जो भी सब्जैक्ट खोलना चाहे, महाविद्यालय में पी.जी. सब्जैक्ट खोलना चाहे, स्कूलों में कोई सब्जैक्ट, खोलना चाहे, स्ववित्त पोषित योजना के जो आपने आदेश निकाले हैं, राजस्थान के किसी भी विद्यालय और महाविद्यालय में सब्जैक्ट संकाय खुलेंगे तो हमेशा के लिये उसका वजन वहां की विद्यालय विकास समिति और महाविद्यालय विकास समिति को वहन करना पड़ेगा। तो आपने इसमें कौनसा तीर मार लिया? खुद जो पैसा खर्च करने वाले हैं, आज भी वे प्रांइवेट महाविद्यालयों में पढ़ाते हैं, प्राइवेट ही नहीं विदेशों में पढ़ाते हैं उनकी चिन्ता नहीं है। जो पैसा खर्च कर सकते हैं वे आपके स्ववित्त पोषित विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने के लिये नहीं जाएंगे, वे तो विदेशी में पढ़ाते हैं, उनकी चिन्ता मत कीजिये। उनकी चिन्ता कीजिये जो राजस्थान में पसीना बहाते हैं, जो आज भी पिछड़े हुए हैं। आर्थिक रूप से उनको सबल जब तक नहीं करेंगे, हम कितने ही नारे दे दें, राजस्थान को साक्षर नहीं

(श्री अमराराम चौधरी)

करा पाएंगे। केवल नारों से नहीं, शिक्षा में बजट का प्रोविजन करके, हमारी इच्छा शक्तियों को जाग्रत करके सरकार की इच्छा शक्ति होगा तब जाकर राजस्थान शिक्षित होगा। आपने समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरासम चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1951 से लगाकर हमारी साक्षरता का प्रतिशत जरूर बढ़ा है। जहां 1951 में साक्षरता का प्रतिशत 8.5 था, 1958 में यह बढ़कर 38.55 हुआ और 2001 में 61.03 प्रतिशत बढ़ा। शिक्षा में साक्षरता का प्रतिशत हम देखते हैं तो आंकड़ों के अनुसार जरूर बढ़ा है, लेकिन मानव शक्ति को शिक्षित किया जाना और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करना जिससे हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रगति कैसे हो, इस प्रकार की हम शिक्षा दें।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस लक्ष्य को लेकर हम शिक्षा देना चाहते हैं, उसमें हमने क्या इस प्रकार भागीरथ प्रयास किया जिससे हमारा मकसद पूरा हुआ, या नहीं? मैकाले की शिक्षा एक क्लर्क बना रही है, लेकिन उसकी भी आज जैसी दुर्गति हुई है इन चार सालों के अन्दर, बहुत ही चिन्ताजनक है। जितने स्कूल आपने खोले हैं, उनका क्या हाल है?

आज हमारा देश कृषि प्रधान कहलाता है, हम हर बार कहते हैं कि किसानों के लिये यह कर रहे हैं। किसानों के लिये आप क्या कर रहे हैं? आज हमारे माननीय सदस्य और अधिकारीगण यहां बैठे हैं, उनमें से एक का भी कोई बच्चा राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला में पढ़ रहा है? या सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है? नहीं। वह बहुत बड़े बड़े स्कूल जहां आधुनिक संसाधन होंगे, कम्प्यूटर की व्यवस्था पहली क्लास से होगी, वहां पढ़ाना शुरू करेंगे। उसके कंपीटीशन में अकालग्रस्त क्षेत्र के लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अकाल की भेंट चढ़ चुकी है, हैं उनके बराबर कब आएंगे?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। आज कोई भी भवन का निर्माण होता है, उसकी नींव यदि कमजोर हो गयी तो वह भवन ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, वह ढह जाएगा। क्या हम नींव को मजबूत कर रहे हैं ? अंधाधुंध जगह-जगह अलग-अलग प्रकार की स्कूलें खोल रहे हैं। आपके पास धन है, अभी आप कह रहे थे कि हम दो हजार रुपये स्कूल के अन्दर उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए देंगे। कई हजार मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें दे रहे हैं, पांच सौ रुपये शिक्षक को दे रहे हैं। यह सारी जो व्यवस्था की है, क्यों फिजूलखर्ची कर रहे

(श्री अमराराम चौधरी)

हैं? कोई ठोस रचनात्मक कार्य करें। जो प्राइमरी स्कूलें हैं उनको ऐसा मजबूत करें कि हमारे बच्चे आगे जाकर बहुत अच्छे बन सकें, क्योंकि हम कहते हैं ये बच्चे हमारे देश के कर्णधार हैं, ये राष्ट्र के भावी निर्माता हैं। आज उन निर्माताओं को आप किधर ले जाना चाहते हैं? मैं हकीकत कह रहा हूं। आज आपकी राजीव गांधी पाठशालाओं में कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रहा है। शिक्षाकर्मियों में मैं देखता हूं कि थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन उसमें भी जहां चयन होता है उसमें धांधली होती है। मेरा एक स्कूल है धामधांडिया, उसमें मौके पर चयन किया और डाक बंगले में आकर दूसरे का नाम कर दिया, उसका नाम सैकण्ड नम्बर पर। वह आदमी प्रजेंट नहीं, वहां का रहने वाला नहीं। अब वह लड़का 150 लड़कों को पढ़ा रहा है, उसने एक महीने की तनख़ाह ले ली। फिर मैंने जांच करवायीं, कलक्टर ने कहा कि यह फर्जीवाड़ा है और उसका निरस्त किया गया। उसका नाम बाद में एड हुआ। इनको कोई फुर्सत नहीं है कि हम जहां स्कूल खोल कर आये हैं, वहां पर हमने चयनित किया, वहां पर वह अध्यापक जो पढ़ा रहा है उसका नाम लिस्ट में है, उसको हम तनखाह के लिए कह दें। आठ-आठ महीने, दस-दस महीने तक, राजीव गांधी पाठशालाओं में जो हैं उनसे पूछें कि आपको क्या समय पर तनखाह मिल रही है? बारह सौ रुपये दे भी रहे हैं आज हमें तनखाह नहीं मिलें, आज किसी आई. ए. एस. को तनखाह नहीं मिले तो उसकी क्या हालत होती है? एक महीने के बाद में बाबू की क्या हालत होती है? बारह सौ रुपये मिलता है वह भी आप आठ-आठ, दस-दस, महीने में देते हैं, उससे बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। कई बार लिखने पर, कई बार धरना देने पर उनको आप तनखाह दे रहे हैं। इस बारे में सोचना पड़ेगा।

इन स्कूलों के अलावा, हमारे तो खैर स्कूलें खोली ही नहीं। आप कहते हैं कि हमने राजनीतिक पक्षपात किया ही नहीं। मैं आज चार वर्ष से कह रहा हूं गिड़ा तहसील उप मुख्यालय है, वहां पर मिडल स्कूल है, वहां पी.एच.सी. है, वहां पुलिस थाना है जो सन् 1950 से बना हुआ है वे बच्चों को कहां पढ़ावें? वहां पर दसवीं की स्कूल नहीं खोली है। आप कह रहे हैं कि हम पक्षपात नहीं करते हैं, क्या वहां सारे बच्चे बी.जे.पी. के ही पढ़ रहे हैं? कांग्रेस का उस गांव में कोई रहता ही नहीं है क्या? तहसील मुख्यालय पर स्कूल नहीं खोली। हमारे अमीन साहब यह चिंता जाहिर कर रहे थे कि हमें बोनस अंक मिलने चाहिए। आपने तो आठ मिडल स्कूल खुलायी हैं, आपने चार माध्यमिक पाठशालाएं खुलायी हैं, क्या एक भी हैडमास्टर है? बता दें एक भी मिडल

(श्री अमराराम चौधरी)

स्कूल में हैडमास्टर है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां पर रोड़वा खुर्द के अन्दर मिडल स्कूल में एक लैडीज टीचर है, कई दफे जैसा हो जाता है कि तीन महीने की छुट्टियां ले लेती है तो वहां पर कोई हैडमास्टर नहीं है। यही का यही खीतवाड़ा मिडल स्कूल में है, वहां एक टीचर है। आपके हाई स्कूलें जितनी भी हैं उनमें टीचर नहीं हैं। कोराना के अन्दर हमारे प्रधान के कहने से हाई स्कूल खुल गया लेकिन आज दिन तक कोई भी अध्यापक स्टाफ उस मिडल स्कूल में माध्यमिक बनने के बाद नहीं लगा।

श्री अमीन खान : वे सब अपडाउन करते हैं...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस रेगिस्तानी क्षेत्र में, अकालग्रस्त क्षेत्र में 50 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है कि उसमें आज मिडल स्कूल है लेकिन हाई स्कूल नहीं बनाया। माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां गये, जनता ने मांग की तो उन्होंने कि बात सही है, 50 किलोमीटर में सैकण्डरी स्कूल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि संविधान का 43वां और 74वां जो क्या प्रारम्भिक शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा से लिंक नहीं है? क्या आपने स्टाफ सैपरेट कर दिया? क्या आपने आप्शन लेकर किसी का इधर से उधर ट्रांसफर करवाया? आपने यह जो प्रगति पत्र दिया है, क्या पंचायती राज के अन्दर मिडल स्कूलें हैं। वाकई में मिडल स्कूल हैं उनको कौन गवर्न कर रहा है? सैक्रेटरी कहां है? आपने जो अधिकार पंचायती राज को दिया है, प्रारम्भिक शिक्षा पंचायती राज विभाग का प्रगति पत्र होना चाहिए था, यह आपने गलत प्रगति पत्र पेश किया है।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी विराजमान हैं, मैंने इनसे निवेदन किया था, मेरे यहां पर न तो प्रिंसिपल है, न वाइस प्रिंसिपल है बॉयज कालेज में, न लाइब्रेरियन है आपने जरूर चिंता जाहिर की है। शायद आजकल में आप लगा देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन परीक्षाएं शुरू हो गयीं, लैक्चरर क्या करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे वह आप जल्दी करें। आज बी.एड. किये हुए लड़के आपने शिक्षाकर्मी में भर्ती किये हैं, उनको वापस 40 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्यों फिजूलखर्ची कर रहे हैं? उनको आठवीं पास किये हुए लड़कों के साथ में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं गवर्नमेंट का फिर आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं हैं। क्या बी. एड. करने के बाद भी पहली-दूसरी क्लास को पढ़ा नहीं सकता? इस प्रकार की जो खामियां हैं, आपके विभाग में अंधाधुंध पैसा दूसरी तरफ जा रहा है और सही मायने में जो आपका थर्ड ग्रेड टीचर

(श्री अमराराम चौधरी)

लगना चाहिए था, आप उसको लगाते ही नहीं हैं। आज सब जगह थर्ड ग्रेड टीचर की आवश्यकता है। हमारे बाड़मेर में जैसे अमीन साहब ने कहा, आप उस क्षेत्र में बोनस अंक रखें। हमारा तो जो भी लड़का आएगा, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, वह अधिक नम्बर कहां से लाएगा? पचास किलोमीटर से आकर बालोतरा में पढ़ेगा, खुद खाना बनाएगा उसके नम्बर अच्छे आएंगे क्या? वह तो पीछे ही रहेगा। फिर बी. एड. में भी पीछे रहेगा। जिनके गांव में ही बी. एड. कालेज है, अन्य कालेज हैं वे लड़के तो आगे आएंगे ही फिर आपके ये अलवर वाले ही आएंगे जैसे आपके डाक्टर साहब कह रहे थे, उनके तो वोट ही इस बात के मिलते हैं कि बदली हुई तो वोट हैं, नहीं तो नहीं है। वह फिर हमारे यहां से ट्रांसफर होकर आ जाता है। हालांकि सुप्रीम कोट का फैसला है, सही बात है लेकिन इसमें कुछ संशोधन करें ।

श्री अमीन खान : बंद हो जाए तो पूर्वी राजस्थान में हाल बेहाल हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री अमराराम चौधरी : ठीक बात है, मेरा निवेदन है, तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी जो थे, पहले की सरकार में, उन्होंने यह किया था, पंचायत मुख्यालय है उसके अन्दर ही मिडल स्कूल खोलनी है तो सबको कराया। जो पहले हायर सैकडरी या मिडल स्कूल हो गयी 1962 में, उसको आपने क्रमोन्नत भी नहीं किया। बोलिये आप।

श्री हीरालाल विश्नोई : आठ साल में आपने कितनी करा दीं?

श्री अमराराम चौधरी : हमने हमारे राज में कितनी करायी थीं, वह आपको पता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री अमराराम चौधरी : वह एक नियम से था। पक्षपात की बात करते हो, मेरा निवेदन है कि सांतोली पुरोहितान में प्राथमिक विद्यालय के अन्दर 150 लड़के हैं और एक लैडी टीचर है, वह छुट्टी पर चली जाए तो फिर क्या हाल होगा? अभी झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने चिंता जाहिर की थी, राजीव गांधी पाठशालाओं में लगे हुए तीन पैराटीचर अपनी मांगों के लिए शहीद हुए।

(18.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : हो गई यह बात, बहुत हो गया, श्री सोहन नायक।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : शहीद हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। जीवित आदमी मर जाता है, इससे

(श्री अमराराम चौधरी)

आप उनकी पीड़ा को जानिए। उन लोगों के परिवारों के लिए आप क्या प्रबन्ध करने जा रहे हैं, जो लोग हमेशा के लिए इस संसार से चले गये? उस पर आपने कुछ नाम...(व्यवधान) और भी कुछ लोग जाएंगे यदि आप उनको परमानेंट नहीं करेंगे। राजीव गांधी पाठशालाओं के जो पैराटीचर दर-दर आज घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इनको आप थर्ड ग्रेड में परमानेंट नहीं करेंगे, आमरण अनशन कर रहे हैं, उनकी हालत बहुत खराब हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या कर रहे हो?

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24–शिक्षा, कला और संस्कृति की चर्चा में भाग लेता हुआ मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उनके नेतृत्व में हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमुखी आयाम स्थापित किये हैं, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे मेडिकल शिक्षा हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने दूरदराज के गांवों और ढाणियों में राजीव गांधी पाठशालाएं खोल कर उन बच्चों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जो शिक्षा से वंचित थे और उन बेरोजगारों को वहीं रोजगार उपलब्ध कराया जिनको शिक्षा प्राप्त होने पर भी रोजगार नहीं मिल पा रहा था। ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर-किसान के वे बच्चे जो मजदूरी करते थे, उनको शिक्षा से जोड़कर उनके मनमाफिक समय के अन्दर उनको पढ़ाने की जो व्यवस्था की, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी का तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विगत भाजपा सरकार ने शिक्षा का जो व्यावसायीकरण किया, स्कूलों को क्रमोन्नत करने के लिए लाखों रुपये लिये, इस कारण से उन गांवों में जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति बहुल साधनविहीन लोग रहते थे, वहां के स्कूल क्रमोन्नत होने से वंचित रहे। हमारी सरकार ने उन स्कूलों को नि:शुल्क क्रमोन्नत किया और वहां के आम आदमी को शिक्षा का लाभ पहुंचाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्वपोषित महाविद्यालय उप खण्ड स्तर पर खोलकर महिला शिक्षा के लिए जो कार्य किया है वह प्रशंसनीय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोपहर का भोजन देकर उन बच्चों को जो मजदूर वर्ग के थे, स्कूल आने में असमर्थ थे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र

(श्री सोहन नायक)

में शहीद भगत सिंह महाविद्यालय है जिसको 1984 में हमारी कांग्रेस सरकार ने 60 प्रतिशत अनुदान दिया था, वह आज 60 प्रतिशत अनुदान प्राप्त कर रही है, मेरी मांग है कि उसको 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाए क्योंकि उस संस्था की प्रबन्ध समिति उसको छोड़ गई है, विगत चार-पांच वर्ष से उसका प्रशासक उप खण्ड अधिकारी है। वह शहीद के नाम की शिक्षण संस्था है और रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र की 70 किलोमीटर की परिधि में कोई राजकीय उच्च शिक्षा संस्था नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन है कि शहीद भगत सिंह महाविद्यालय को 60 प्रतिशत अनुदान से 90 प्रतिशत अनुदान देकर बंद होने से बचाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजीव गांधी पाठशालाओं में जो पैराटीचर्स लगे हैं उनको नियमित करते वक्त विशेष ध्यान रखा जाए कि रोस्टर के आधार पर आरक्षण व्यवस्था सही तरीके से लागू हो। मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिन अनुदानित और गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियों में आरक्षण का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, ऐसी संस्थाओं पर उचित कार्यवाही की जाए। अनुदानित और गैर अनुदानित शिक्षण संस्था चाहे माध्यमिक स्तर की हो, उच्च माध्यमिक स्तर की हो, चाहे महाविद्यालय स्तर की हो, उसमें आरक्षण की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह बोले तो कोई समझ में भी आए। श्री नाथूलालजी ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष) : यह भी ऐसे ही बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वह बोलेंगे अभी।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति विभाग पर आज बहस हो रही है, उसमें मैं भाग ले रहा हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नीमकाखेड़ा में बहुत पुराना मिडल स्कूल है, माननीय धारीवालजी वहां से एम.एल.ए. रह चुके हैं, इनको भी वहां की सारी स्कूलों का ज्ञान था लेकिन इनके मन में कारण होंगे कोई जिससे नीमकाखेड़ा स्कूल बनना जरूरी था, लेकिन इन्होंने जानबूझकर उसको नहीं खोला। इसी तरह से ग्राम पंचायत सिलोट वहां पर मिडल स्कूल था, वहां पर जो जानबूझकर राजनीतिक कारणों से स्कूल नहीं खोला गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (पर्यटन मंत्री) : मैं आपको दुरुस्त कर दूं। इन दोनों स्कूलों की एप्लीकेशन गांव वालों की बहुत बाद में आयी।

श्री नाथूलाल गुर्जर : मैंने शुरू में ही दे दी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वरना ये दोनों बिलकुल वाजिब जगह थीं।

श्री नाथूलाल गुर्जर : नहीं, नहीं, एप्लीकेशन की जरूरत नहीं थी। वे तो आपके आधार हैं कि कितनी छात्र संख्या है, कितने बच्चे हैं, कितनी जनसंख्या है, कितनी बिल्डिंग है, आपके पास सारी जानकारी है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके भाग्य से छींका टूटेगा, सरकार में आप बैठेंगे तब समझेंगे इस बात को कि क्या चीज है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : आप तो रणछोड़दास हैं, आ गये कोटा। रणछोड़दास बनकर आ गये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, नहीं खोला, नहीं खोला, अब क्या है?

श्री नाथूलाल गुर्जर : इसी तरह से ग्राम पंचायत मुख्यालय है गुढ़ा, सैकण्डरी स्कूल है, वहां पर बच्चे-बच्चियों की संख्या को देखते हुए सरकार के मापदण्डों के अनुसार स्कूल खोलना अत्यंत जरूरी था। आपकी कांग्रेस अध्यक्षा गिरिजाजी व्यास, ग्राम पंचायत की मेन आम सभा में घोषणा करके आई थी कि अगर हमारा आदमी यहां से चुनाव जीत जाएगा तो आपको सीनियर सैकण्डरी स्कूल दे दी जाएगी। आपका कैंडीडेट वहां से नहीं जीता इसलिए आपने उस गांव के साथ, गुढ़ा नाथावत के साथ भेदभाव बरता, यह मैं खुला आरोप लगा रहा हूं आपके ऊपर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप हमारे साथ आ रहे हो, हम आपका ध्यान रखेंगे। अब आप तो खतम करो।

श्री नाथूलाल गुर्जर : इसी प्रकार ग्राम एटीपुरा में, ग्राम हस्तौली...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो खुल गये, उनके नाम बोल दो हिण्डौली में जो खुल गये उनके नाम बोल दो।

श्री नाथूलाल गुर्जर : बोल रहा हूं साहब, बोल रहा हूं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप इनके साथ जा रहे हो क्या?

श्री उपाध्यक्ष : वह तो हमारा भी नम्बर चलता है।

श्री नाथूलाल गुर्जर : हमारे विधान सभा क्षेत्र को लोक सभा में भीलवाड़ा में जोड़ा जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय की मेरे ऊपर ज्यादा मेहरबानी रहेगी, मेहरबानी है भी। इसी प्रकार पंचायत एटीपुरा ग्राम हस्तोली, वहां पर भी ओ.बी.सी. एस.सी. और एस.टी. के लोगों की ज्यादा संख्या है, वहां पर मिडल स्कूल खोला जाना अत्यंत जरूरी है। (व्यवधान) नहीं, इन्होंने अच्छा काम नहीं किया तभी तो इनको शिक्षा से हटा दिया। इनका डिपार्टमेंट चार-छह महीने में चैंज होता रहता है।

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत दादेड़ा

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

के नया गांव में मिडल स्कूल में लगातार आठ दिन तक ताले लगे रहे, कोई अध्यापक नहीं। जिला प्रशासन से हमने बार-बार निवेदन किया लेकिन आठ रोज तक एक भी अध्यापक स्कूल में नहीं था, आठ दिन तक ताले लगे रहे।

माननीय धारीवालजी ने एक हमें बड़ी उपलब्धि दी। इन्होंने थर्ड ग्रेड अध्यापकों को कार्यकर्त्ताओं के कहने के आधार पर कि ये नेकर वाले हैं, सवाईमाधोपुर और करौली जिलों में भिजवा दिया। अपने कार्यकर्त्ताओं के कहने के आधार पर नाजायज परेशान किया। (व्यवधान) मैं माननीय पूर्व शिक्षा मंत्रीजी के सामने इन बातों को रख रहा हूं। थर्ड ग्रेड अध्यापकों को करौली और सवाईमाधोपुर में भेजकर नाजायज परेशान किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूलाल गुर्जर : आपने नेकर वालों को तो भिजवा दिया, लेकिन बोतल वालों के कहने के आधार पर भिजवाया। नेकर वालों को तो भिजवाया, लेकिन बोतल वालों के कहने के आधार पर उनको सवाईमाधोपुर व करौली लगाया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नाथूलालजी सुने। थर्ड ग्रेड का एक भी अध्यापक एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर नहीं होता।

श्री नाथूलाल गुर्जर : मैं आपको सूची लाकर दे दूं? उनकी सूची कल सदन के सामने रख दूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप सूची दे दो मैं आपके साथ कल्ला साहब के पास चल चलूंगा।

श्री नाथूलाल गुर्जर : नहीं, नहीं, मैं कल सूची सदन में दे दूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कल्ला साहब के पास मैं आपके साथ चल चलूंगा।

श्री नाथूलाल गुर्जर : मैं सदन के सामने कापी रख दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे दे दें आप। एक-दो के नाम भी बता दो आप।

श्री नाथूलाल गुर्जर : फिर जब आपको यह जानकारी मिली...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक-दो के नाम ही बता दो आप।

श्री नाथूलाल गुर्जर : किन्हीं आदमियों के सामने तो आपने उस सूची को जारी कर दिया, लेकिन जब आपको वह गलती महसूस हुई तो उनको नैनवां लगाया गया हिण्डौली से । सूची तो मैं कल लाकर दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भरोसी लाल : करौली में देवस्थान ज्यादा हैं, मंदिरों के दर्शन करने के लिए अच्छा किया है।

श्री नाथूलाल गुर्जर : माननीय मंत्री महोदय, वहां शिक्षा विभाग से जो चतुर्थ श्रेणी के सरप्लस कर्मचारी हुए थे इनमें विधवा महिला भी है, बुजुर्ग भी है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कितनी तनखाह मिलती है, कैसे खर्चा चलाते हैं, उन कर्मचारियों को अन्य जिलों से कम से कम उस जिले में लाने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री नाथूलाल गुर्जर : एक सैकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : आपने दो मिनट कहा जिसके तो 11 मिनट हो गये।

श्री नाथूलाल गुर्जर : एक सैकण्ड, साहब। आपकी सरकार ने शिक्षा के मामले में न जाने कितनी योजनाएं चला रखी हैं- डी.पी.ई.पी., शिक्षाकर्मी राजीव गांधी पाठशाला, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, संस्कृत, कला, लोक जुम्बिश, उर्दू भाषा, प्रौढ़ शिक्षा, लेकिन आज गांवों में अध्यापक तो है नहीं, इन सारी संस्थाओं को गांव वाले नहीं जानते कि कहां पर क्या हमारा भला करने जा रहे हो। हमारे गांव का तो तब ही भला होगा जब उन स्कूलों में बराबर से अध्यापक जाएंगे और बराबर अध्यापक होंगे। आज सरकार लम्बी-लम्बी घोषणाएं कर रही है लेकिन 200 स्कूली बच्चों के ऊपर एक-एक, दो-दो अध्यापक लगे हुए हैं। आज जो मिडल स्कूल की लम्बी-चौड़ी घोषणा कर रहे हो, उनमें एक-एक अध्यापक है, माननीय मंत्री महोदय।

श्री घासीलाल मेघवाल : ज्यादा असत्य मत बोलो, नाथूजी।

श्री नाथूलाल गुर्जर : मैंने आज दिन तक असत्य नहीं बोला।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़ ।

श्री नाथूलाल गुर्जर : आप यदि मेरे साथ में चलेंगे तो मैं बताऊं?

श्री सोहन नायक : लेकिन आज बोल रहे हो क्या?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री नाथूलाल गुर्जर : आपकी सरकार हर किताब पर एक ही बात लिखती है पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ, लेकिन दो जून उसको रोटी नहीं मिलती ।

श्री घासीलाल मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब जब भी हमारे जिला लेवल पर मीटिंग होती है तो राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला की सबसे ज्यादा सिफारिश नाथूजी करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो, विराजो।

श्री नाथूलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय गांव के उन गरीब लोगों को जिनको शाम-सुबह की रोटी नहीं मिलती, भोजन नहीं मिलता वे अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे ? आप शिक्षा पर ध्यान दो, लेकिन गांव का गरीब तबके का वह व्यक्ति जिसको दो जून की रोटी नहीं मिलती यदि उसका पेट भरेगा तो वह अपने बच्चों को भी पढ़ा लेगा। यदि उसका दो जून पेट नहीं भरता तो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? शिक्षा के साथ-साथ उस गरीब का भी ध्यान दीजिए, तब इस शिक्षा में आगे बढ़ पाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री नाथूलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ही मैटर है। बूंदी विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जमीपुरा है वहां पर एक अध्यापक ग्राम सांदड़ी में है। आज वह 15 साल से सिर्फ तनखाह उठा रहा है, एक दिन भी स्कूल नहीं जाता और वह माननीय मंत्री महोदय का खास है। मैं खुला आरोप लगा रहा हूं, 15 साल के अन्दर एक दिन भी हाजिरी भरने के अलावा यदि उस स्कूल में ड्यूटी दी हो तो इसकी जांच करवा लें आप।

श्री घासीलाल मेघवाल : चार साल पहले तो आप थे।

श्री नाथूलाल गुर्जर : 15 साल से। उसका हमारे राज में ट्रांसफर कर दिया गया। हमारे राज में तो उसको वहां से हटा दिया था, लेकिन आप उसकी खुली जांच करा लो, योंही तनखाह उठा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी।

श्री नाथूलाल गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत धन्यवाद आपका। (व्यवधान) श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश की प्रगति का मुख्य केन्द्र बिन्दु शिक्षा है। समाज की प्रगति, देश और प्रदेश की प्रगति का मुख्य मेरूदण्ड भी शिक्षा है। पर पिछले चार वर्षों में इस सरकार ने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण और प्रगति और मानव सूचकांक के साथ जुड़े हुए विषय के साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया है, मैं समझता हूं राजस्थान निर्माण के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। नारों के अन्दर इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने की बहुत बातें कहीं पर आज हो क्या रहा है उपाध्यक्ष महोदय? पहले गांवों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के निजी विद्यालय नहीं हुआ करते थे, आप खुद गांव में से बिराजते हैं, आप आज चले जाएं राजस्थान के किसी भी गांव में, राजस्थान के गांवों के अन्दर अब निजी विद्यालय कुकुरमत्ते की तरह फैल रहे हैं। उसके पीछे महज कारण यह है कि सरकार के विद्यालय के ऊपर आम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जनता का विश्वास उठ गया है। विश्वास इसलिए उठ गया कि सरकार ने राजनैतिक रूप से राजीव गांधी पाठशाला की बात करें या दूसरे विद्यालयों की बात करें थोथी वाहवाही लूटने के लिए विद्यालयों की संख्या तो बढ़ा दी, लेकिन विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ एक भी नये अध्यापक की भर्ती नहीं की। आज हो क्या रहा है, उपाध्यक्ष महोदय? पहले शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात 1:49 था, आज सरकार ने समायोजन के नाम पर उसको 1:60 कर दिया। अब आप बताएं एक अध्यापक और 60 बच्चे, किस तरह की शिक्षा हम देना चाहते हैं? आज चाहे शिक्षा के सार्वजनीकरण की बात करें, चाहे शिक्षा दर्पण की बात करें, चाहे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र की बात करें, चाहे राजीव गांधी पाठशाला की बात करें, चाहे लोक जुम्बिश की बात करें, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन सबके ऊपर जाऊं तो मुझे मालूम है और आपकी घंटी से मुझे डर लगता है, परन्तु सारे के सारे कार्यक्रम जिनमें केन्द्र सरकार का पैसा है, जिसे अन्दर स्वीडिश सरकार का भी हमें अंशदान मिलता है, इस सरकार के चलते इन सब कार्यक्रमों का राजनीतिकरण हो गया। यही कारण है कि आज प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हम यह तो कह दें कि हमने नामांकन बहुत बढ़ा लिया, उपाध्यक्ष महोदय, इसी सरकार के मूल्यांकन विभाग ने एक किताब हम लोगों को दी है उसमें इन्होंने खुद ने यह कहा कि आपने निश्चित तौर पर नामांकन बढ़ा दिया, परन्तु बच्चों का प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ठहराव मात्र 36 प्रतिशत है। सरकार की खुद की पुस्तक यह कहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि हम नामांकन के नाम पर असत्य आंकड़े बढ़ाने की बात चाहे कर दें, पर हम जिस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं कि बच्चा बैठकर विद्यालय में पूरे साल शिक्षा लेता, वह नहीं हुआ, इसलिए ड्राप आउट ज्यादा हो रहा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हमने बड़ी संख्या में विद्यालय खोले, परन्तु रिक्त पदों पर आप दृष्टि डाले तो विद्यालय बिना शिक्षक के कैसे चलेगा। प्रधानाचार्य के राजस्थान में 1772 पद हैं, जिनमें 800 पद रिक्त हैं। प्रधानाध्यापक के 3341 पदों में से 1100 पद रिक्त हैं। व्याख्याता के 15725 पदों में से 6700 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ अध्यापक के 31779 पदों में से 7600 पद रिक्त हैं। थर्ड ग्रेड टीचर के 14366 में से 5000 पद रिक्त हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं थोथी वाहवाही में कुछ रखा नहीं।

इसके अलावा मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। यह सरकार सरकारी विद्यालयों के साथ तो अन्याय कर ही रही है, जो गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस राजस्थान के अन्दर उन लोगों को शिक्षा देने का है जो किसी न किसी तरह शिक्षा से वंचित रहते हैं, राजस्थान के अन्दर गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के अन्दर भामाशाहों ने, दानदाताओं ने भवन बना दिये, सरकार ने उसको अनुदान देने की बात कर दी। उसी अनुदान को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने अपना पैसा लगाकर अपनी पूंजी से भवन बनाने का काम किया। आज राजस्थान के अन्दर 1233 गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं जिनको 50 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक अनुदान मिलता है। इनमें से 738 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की हैं, 361 माध्यमिक स्तर की हैं और 75 महाविद्यालय हैं। अब इसमें यू.जी.सी. के मापदण्ड के अनुसार इन्होंने यह तय कर दिया कि वही अध्यापक प्रधानाध्यापक लगेगा, लैक्चरर लगेगा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सारी अर्हताएं पूरी करता हो। इन अनुदान नियमों में 1993 के बाद सरकार ने यह भी राइडर लगा दिया कि कोई भी मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति होगी उसका अनुमोदन भी सरकार से किया जाएगा। परन्तु इसके साथ हो क्या रहा है, उपाध्यक्ष महोदय? आज ये अनुदानित शिक्षण संस्थाएं जो एक मुख्य आधार है और हमारे शेखावाटी जनपद में तो इन शिक्षण संस्थाओं के भरोसे ही शिक्षा चल रही है, आज इनका जो अनुदान है उस अनुपात में लगातार सरकार कमी करती जा रही है। मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने इस साल के बजट को देखे, माध्यमिक शिक्षा में 2001-2002 में आपने 54.66 करोड़ का अनुदान देना तय किया था और 2002-2003 में 40 करोड़ रुपये दिये। 26 प्रतिशत अनुदान माध्यमिक विद्यालयों में इन्होंने कम किया। महाविद्यालय में तो इससे भी बुरी हालत है। 2001-02 में जहां 38.91 करोड़ रुपये का अनुदान सरकार ने देना तय किया था वहां इस बार 2002-03 में मात्र 23 करोड़ दिया है। यानी 51 प्रतिशत कम। अब किस तरह चलेंगे ये विद्यालय? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन विद्यालयों में आप अनुदान को लगातार कटौती कर रहे हैं। आप वहीं सैल्फ फाइनेंसिंग की बात कर रहे हो। जिनका जिक्र अभी धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने किया। हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले ये लोग कहते हैं कि हमने शिक्षा को बेचने का काम किया था, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सैल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के माध्यम से आप शिक्षा के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हो? आप राजस्थान की शिक्षा को किस मोड़ पर लाकर खड़ा करना चाहते हो, इसके बारे में आपको खुद को विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बड़े जोर शोर से कही कि 6-6 विश्वविद्यालय खोले दिये उच्चत्तर शिक्षा में क्रांति का सूत्रपात कर दिया इस सरकार ने। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2002-2003 के अन्दर इसी सदन के अन्दर बजट में कोटा और बीकानेर विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। आज एक साल बीत गया, आपको मालूम है उसको कितना पैसा दिया है? 10-10 लाख रुपये, और 10 लाख रुपये भी खर्च नहीं किये गये। आप थोथी बातें करते हो, धरती पर कुछ है नहीं। इसी तरह से, 1999-2000 में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मुख्य मंत्रीजी को खुश करना था, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय खोलने की बात कही। 2000-2001 में इसको 50 लाख रुपये आबंटित किये बजट में, खर्च हुए इसमें 17 लाख। 2001-2002 में 50 लाख फिर किये, उसमें खर्च हुए 24 लाख 2002-2003 में 75 लाख दिये और इसमें खर्च हुए हैं 28 लाख। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? राजस्थान के लोगों के साथ उच्च शिक्षा की दृष्टि से कैसा मजाक करना चाहते हो । अब राजस्थान में इन्होंने आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोलने की बात कही, 22 मार्च, 2002 को इस सदन में घोषणा करके लम्बा-चौड़ा भाषण तत्कालीन मंत्रीजी ने दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं एक नया पैसा इस आयुर्वेद विश्वविद्यालय पर खर्च नहीं हुआ। ये सारे के सारे विश्वविद्यालय जब एक्जिस्टेंट में आएंगे, जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इनको मान्यता देगा जितनी अर्हताएं हैं, कि कितना कैम्पस होना चाहिए, कितने टीचर्स होने चाहिए, टीचिंग यूनिट्स कितनी चाहिए, कितने संकाय होने चाहिए, वह पूरे करने की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसी तरह, राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय, मुझे तकलीफ इस बात की है क्योंकि राजस्थान में संस्कृत शिक्षा मंत्री विदुषी महिला हैं, सरकार में उप मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने भी जिस विश्वविद्यालय को 2.7.1998 को स्थापित करने घोषणा की थी, 6.2.2001 के बाद कागज में कहा कि यह विश्वविद्यालय आ रहा है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ थर्ड ग्रेड टीचर, सीनियर टीचर के पद खाली हैं प्राथमिक और माध्यमिक में, दूसरी तरफ राजस्थान के महाविद्यालयों में 740 पद रिक्त पड़े हैं, अनुदानित महाविद्यालयों में 353 पद रिक्त पड़े हैं। उच्च शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप खुद बता रहे हैं, आपने इस विधान सभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि राज्य में महाविद्यालयों में 740 पद रिक्त हैं, अनुदानित महाविद्यालयों में 353 पद रिक्त हैं, फिर आपने 94 व्याख्याताओं को प्रतिनियुक्ति पर क्यों ले रखा है? कौन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं ये व्याख्याता जो आज डाइरेक्ट रेट में 13-13, 14-14 बैठे हैं, तनखाह उठाते हैं किसी महाविद्यालय के नाम से और नौकरी कहां कर रहे है? आप क्यों नहीं कहते हैं, इनके नाम क्या है? आपने इन 94 व्याख्याताओं के माध्यम से उन महाविद्यालयों के साथ तो अन्याय किया ही है, आपने आब्लाइज करने की कोशिश की है अपने सहयोगियों को। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको उनको निश्चित तौर से हटाना चाहिए ।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ इतना अन्याय हुआ है कि 600 रुपये प्रति विद्यार्थी लेने का काम सरकार ने किया है। मैं उस चर्चा पर नहीं जाऊंगा जिसकी चर्चा इस सदन में पहले हो चुकी है। कम्प्यूकाम को जिन शर्तों पर इन्होंने ठेका दिया, उसके बाद उसने उसको सबलेट कर दिया, इसमें बू आती है। राजस्थान के अन्दर एक-दो नहीं 17 जिलों में छात्रों ने आन्दोलन किया, कानून व्यवस्था की बात उठी। राजस्थान के डी.जी.पी. ने पत्र लिखकर पूछा कि राजस्थान के अन्दर कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर क्या किस तरह का घोटाला हुआ है, यह आन्दोलन क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इसमें घोटाला हुआ है। आज क्या हश्र किया है? इन्होंने कहा है कि हम इसको लागू कर रहे हैं, हम नई तकनीक से राजस्थान के भविष्य का परिचय कराना चाहते हैं । यही नहीं, विश्वविद्यालय स्तर पर ही कम्प्यूटर शिक्षा के जो हालात बने, आज विश्वविद्यालय के अन्दर बी.सी.ए. और एम.सी.ए. का कोर्स चल रहा है, मेरा दावा है कि इनको जो पढ़ाने वाले प्राध्यापक एम.सी.ए. नहीं हो, मैं समझता हूं, उससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जिस तर्क पर यह सरकार चल रही है, सरकार ने बड़ी लम्बी-चौड़ी घोषणाएं की पैराटीचर्स को ये चाहते तो बहुत थे, इनकी बड़ी शानदार योजना थी, ये कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं को पहली खेप में इन्होंने कुछ कर भी लिये, परन्तु उसके बाद उच्च न्यायालय बीच में आ गया और उच्च न्यायालय बीच में आने के कारण इनको कुछ गाइड-लाइन बनानी पड़ी। राजस्थान का पैराटीचर गांवों में बैठकर 1200 रुपये लेता है, गांव के विद्यार्थी को पढ़ाता है मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि गांव में राजीव गांधी पाठशाला के अन्दर जो बी.पी.एल. से चयनित व्यक्ति है उसका बच्चा जरूर जाता है बाकी गांव के अन्दर प्राइवेट स्कूलों में लोगों ने बच्चे भेजने चालू कर दिये। 13 नवम्बर, 2001 को राजस्थान के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने पैराटीचर के साथ यह अनुबंध किया था कि चार साल की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सेवा पूरी होने के पश्चात् इन पैराटीचर्स को हम नियमित श्रृंखला देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने वादा कर लिया, आगामी वर्ष चौथा साल है, इस चौथे वर्ष में आपने बजट में कहीं प्रावधान किया हो तो मुझे बता दें आप क्या करना चाहते हैं? क्यों धोखा देना चाहते है? फिर जब वह पैराटीचर जिसकी आजीविका पूरी नहीं, जिसको पूरा पैसा मिलता नहीं, अपना घर चला नहीं सकता, फांसी का फंदा गले में लगाता है तब आप कहते हो कि नहीं, वह तो और दूसरी बीमारियों के कारण उसने आत्महत्या की है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपको निश्चित तौर पर इस बारे में सोचना चाहिए।

अभी यहां विद्यालय खोलने के बारे में कई तरह की चर्चा कई माननीय सदस्यों ने की। मैं, मंत्री महोदय, जानना चाहूंगा कि आपने बाड़ी क्षेत्र के साथ और मुण्डावर क्षेत्र के साथ क्यों अन्याय किया? बाड़ी क्षेत्र डांग का क्षेत्र है, वहां अपराधी पैदा हो रहे हैं। एक भी विद्यालय इस सरकार ने आने के बाद में उस क्षेत्र में नहीं खोला। इसी तरह से मुण्डावर क्षेत्र जिसे कहते तो सिंहद्वार हैं परन्तु शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ इलाका है उसमें भी एक भी विद्यालय आपने क्यों नहीं खोला? आप कह रहे हैं पैराटीचर के चयन के अन्दर बहुत बड़ी पारदर्शिता रही, इसी सदन के अन्दर मामला उठा था। पैराटीचर के मामले में बाड़ी पंचायत समिति के अन्दर संद्रावली ग्राम पंचायत में एक ऐसी पैराटीचर की नियुक्ति हो गई जो साक्षात्कर समिति के सामने नहीं गई। उसकी जांच हुई और जांच के पश्चात् प्रधानाध्यापक जिसने गलती की, उसको निलम्बित किया गया, उसको जेल भेजा गया। परन्तु वह पैराटीचर आज भी वहीं नौकरी कर रही है।

आपने लम्बी-चौड़ी घोषणा की थी कि उर्दू की शिक्षा को बढ़ावा देंगे। 400 अध्यापकों की नियुक्ति की बात आपने की थी, बजट के अन्दर आपने की थी। मेरा दावा है, दो साल गुजर जाने के पश्चात् आज मात्र 183 उर्दू टीचर्स को इन्होंने भर्ती करने का काम किया है। यहां मिड-डे मील के बारे में आपने अपनी पीठ थपथपाने की बुहत बड़ी बात कही कि हमने एक अद्वितीय काम किया है राजस्थान के अन्दर। मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं होता तो आप यह काम चालू करते? इस मिड-डे मील में आपको जो पोषाहार मिल रहा है वह कौन दे रहा है? परन्तु हो क्या रहा है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सुप्रीम कोर्ट का आर्डर राजस्थान के लिए ही नहीं है पूरे प्रदेशों के लिए है। किन किन प्रदेशों में यह योजना चालू कर दी, किन किन ने चालू कर दी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और प्रदेशों ने चालू कर दी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किस किस ने चालू कर दी, बताइये?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मध्य प्रदेश ने कर दी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मध्य प्रदेश ने नहीं की चालू, आपको मालूम ही नहीं है और ठोके जा रहे हो आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : वहां भी राजस्थान की ही सरकार है इसलिए कर दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस मिड-डे मील के नाम पर जो धांधलियां हो रही हैं, मैं उसकी एक बानगी सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक बी.डी.ओ. डूंगरगढ़ है उसने एस. डी. आई. महेन्द्र सिंह खींचड़ के खिलाफ 4.10.2002 को एफ.आई.आर. नं. 243 दर्ज कराई और कहा कि मिड-डे मील के रूप में जो पोषाहार मिला उस पोषाहार को उसने बाजार में दिया। वह सारी बात सरकार के पास आई तो उसको किसी तरह से दण्डित नहीं किया गया। उसको फिर फतेहपुर पंचायत समिति में भेज दिया और फतेहपुर पंचायत समिति में इन महानुभाव महेन्द्र सिंह खींचड़ ने 5661 क्विंटल पोषाहार की गड़बड़ की और वहां भी एक एफ. आई.आर.दर्ज हो गई। दो दो एफ.आई.आर. जिसके खिलाफ दर्ज हों और उसके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करना नहीं चाहो, मैं समझता हूं, अगर यही आपकी हालत रही तो आप कितनी ही चाहे झूठी वाहवाही कर लें, आप राजस्थान को शिक्षा की दृष्टि से रसातल में जाने का काम करेंगे।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो कुछ भी किया आज राजस्थान के आम-अवाम का तो राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं से विश्वास उठता ही जा रहा है। बड़ा आरोप लगाया था, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हमारे शासन के अन्दर यह कह रहे हैं विद्यालय आपने भी नहीं खोले, आपने भी राजनीति की। हमने नीति बनाई थी, हमारी नीति थी ढाई सौ की आबादी का राजस्व गांव, माननीय धारीवाल साहब, और रेगिस्तानी क्षेत्र में डेढ़ सौ की आबादी का उसमें हरेक में प्राथमिक विद्यालय हो यह हमारा सपना था जिस सपने को हमने पूरा किया। पूरी लिस्ट लेकर जितने भी ढाई सौ की आबादी के गांव थे, चाहे किसी के विधान सभा क्षेत्र में आते थे, वह खोलने का काम हमने किया। उसमें एक नहीं दो टीचर लगाने का काम हमने किया। ग्राम पंचायत में उच्च प्राथमिक विद्यालय भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खोलने का संकल्प लिया, किसी भी ग्राम पंचायत में खोलने का काम किया। प्रत्येक पंचायत समिति में कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने का काम किया उसमें

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहे किसी का नाम आया। (व्यवधान) वह आपको भी पता लग जाएगा।

श्री हीरालाल विश्नोई : आप यह भी बता दीजिए कि ये हालात क्यों हुए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं शिक्षा मंत्रीजी आपसे पूछना चाहता हूं, 13 नवम्बर, 2001 को राजस्थान के पैराटीचर्स के साथ आपसे सचिवालय में बैठकर जो समझौता किया, आप इस समझौते को लागू करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? पैराटीचर जब राजस्थान की विधान सभा के दरवाजे को खटखटाने आया तो उस पर आपने लाठी भांजी, पैराटीचर जिससे आपने खुद ने एग्रीमेंट किया, आप उसको नियमित वेतन श्रृंखला देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते है? आपने अगर नियमित वेतन श्रृंखला नहीं दी तो राजस्थान में यह पैराटीचर सड़क पर आएगा और सड़क पर आकर आपके साथ पर निपटेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने वेतन श्रृंखला देने का वादा कर लिया, पर बजट के अन्दर कहां प्रावधान किया, वह आप बता दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत कहना था, परन्तु आपको पता है कि मैं अनुशासित आदमी हूं और आप ज्यों ही मेरी तरफ तेज आंख निकाल कर देखते हो तो मैं घबरा जाता हूं। इसलिए मैं मेरी बात इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त कर रहा हूं कि इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के आम-अवाम के सपनों को तोड़ने का काम किया है, शिक्षा का राजनीतिकरण किया है और राजस्थान में इस सरकार के चलते शिक्षा मात्र नारों में चली है, शिक्षा मात्र कागजों में चली है। वह पैसा जो भारत सरकार का है, वह पैसा जो विदेशी सहायता का मिलता है उस पैसे का भी पूरा उपयोग नहीं किया गया। ये केवल ढिंढोरा पीट रहे हैं कि साक्षरता का हमने प्रतिशत बढ़ा दिया, साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने का श्रेय किसी को अगर जाता है तो तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत को जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिशत। आप विराजें।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय परिवार कल्याण मंत्रीजी ने हमारे वहां अनशन तुड़ाया था यह कह कर कि जुलाई में हम उनको पूरा पैसा दे देंगे और परमानेंट नियुक्ति कर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह पैराटीचर वाला तो जवाब दे दो।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसा है साहब, इन्होंने खुद ने माना है, आज राजस्थान...

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में जवाब क्यों चाहते हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पैराटीचर्स को नियमित करेंगे क्या?

श्री अमराराम चौधरी... : आत्महत्या कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। माननीय नेता, प्रतिपक्ष

श्री गुलाब चन्द कटारिया : रामनारायण जी बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न। आपने मना कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मना नहीं किया। रामनारायणजी का नाम है। दो मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष। (व्यवधान) दो मिनट में कोई बात समाप्त हो सकती है क्या? इम्पोसिबल बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो आपकी आज्ञा का हमेशा पालन करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बुजुर्ग आदमी हैं, क्या करें अब।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा, कला और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ विचार हो चुका, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में शिक्षा में, साक्षरता में पिछले सालों में जो प्रगति हुई है उसके लिए हम इस सदन के सदस्य काफी अर्से से हमेशा, जब भी कभी मौका आता है, वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों की सराहना करते हैं। इसका एक ही आधार था कि राजस्थान में जो जो सरकारें आई उसके अन्दर एक स्पष्ट शिक्षा नीति का निर्धारणा किया जाता था–स्पष्ट शिक्षा नीति के जरिये ग्रामीण तबका जो राजस्थान में 70–80 प्रतिशत है, वहां पर ढाणियों के अन्दर, गांवों के अन्दर किस प्रकार से शिक्षा का प्रसार किया जाए, प्राथमिक शिक्षा के ऊपर बहुत कुछ ध्यान दिया गया था। यही कारण है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आपमें और हमारे में से बहुत–से लोगों ने उसी शिक्षा के माध्यम से राजस्थान और हिन्दुस्तान के अन्दर, विदेशों के अन्दर बहुत तरक्की की और बहुत जगह पहुंचे। वह समय आ गया था जब राजस्थान के गांव में, झोपड़ियों में बसने वाले लोग डाक्टर, इंजीनियर आई.ए.एस. बने, और दूसरे अच्छे पदों पर गये। हमारे ग्रामीण परिवारों की जो आर्थिक स्थिति कमजोर हुआ करती थी, इससे उनकी स्थिति सुधरी थी। पर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि वह तो एक नीति थी और उस नीति के तहत सरकार में काम करने वाले व्यक्ति बिना किसी ऊपर के आदेश के काम किया करते थे, उनकी एक सोच थी। जो जो मुख्य मंत्री आये राजस्थान के अन्दर, वे राजस्थान की एक परिकल्पना शिक्षा के जगत में लेकर चले लेकिन ज्योंही यह मौजूदा सरकार आई, उन्होंने उन परिकल्पनाओं को छोड़ दिया। केवल एक ही आधार कि राजीव गांधी के नाम हो, केन्द्र को खुश करने की भी परवाह नहीं करके एकदम से

(श्री रामनारायण विश्नोई)

राजीव गांधी पाठशाला के हिसाब से 22-23 हजार जो विद्यालय खोले गये हैं, बहुत-से माननीय सदस्यों ने भी अपनी भावनाएं जाहिर कीं और मैं भी आपके माध्यम से राज्य सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि राजस्थान ने शिक्षा जगत के अन्दर जो तरक्की की थी उसको बिलकुल रोक दिया गया हैं, राजस्थान में आज यह स्थिति हो गई है, जिस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की गई है, शुरूआत में यह कहा गया कि राजीव गांधी पाठशाला के अन्दर नान मिडल, नान मैट्रिक, अनट्रेंड आदमियों को रोजगार दिया जाएगा और वे बच्चों को पढ़ाएंगे किस प्रकार से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, यह स्थित आपसे और हमसे छिपी हुई नहीं है। बहुत-से ट्रेंड गांव के विद्यार्थी जिन्होंने अपना खर्चा लगाकर बी.एस.टी.सी. और बी.एड. किया था, उन विद्यार्थियों को कई दिन तक तो नेताओं के दरवाजे खटखटाने पड़े और उसके बाद में मजदूर होकर उन्होंने अदालतों का सहारा लिया। अदालतों का सहारा लेने के बाद राजस्थान के उच्च न्यायालय ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्णय दिये कि इस प्रकार से राज्य के खजाने से अगर किसी को कोई पैसा दिया जाएगा, चाहे वह मानदेय होगा, 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये महीने के दोगे तो यह किसी की पर्सनल प्रापर्टी नहीं है, यह पब्लिक फण्ड है और पब्लिक फण्ड से आप किसी की भी नियुक्ति बिना किसी नियम के, बिना किसी आधार के, नियमावली के नहीं कर सकते। कोर्टों ने 1990 से लेकर 1996 और 1998 तक, 2000 तक जो निर्णय दिये थे, उच्चतम न्यायालय ने भी, बार बार उन निर्णयों में यह कहा गया था कि राजस्थान की प्राथमिक शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। प्राथमिक शिक्षा ही आधार है, प्राथमिक शिक्षा के आधार में ही छोटे बच्चों की कमजोरी रह जाएगी तो हम अच्छा नागरिक इस देश में पैदा नहीं कर सकते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को अभी तो समय है, फिर राज्य सरकार को मजबूर होकर यह करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने और राजस्थान के हाई कोर्ट ने निर्देश दिये हैं कि आप चाहे किसी भी प्रकार का समझौता कर लीजिये पैराटीचर्स से और शिक्षा सहयोगियों से, वह समझौता आप लागू नहीं कर सकते। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब पैराटीचर्स का प्रदर्शन और आन्दोलन हुआ 13.11.2001 को यह आश्वासन दिया गया कि पांचवें वर्ष की अवधि के अन्दर कार्यरत मानदेय प्राप्त शिक्षा सहयोगी, पैराटीचर्स के सेवा नियम बनाये जाने की प्रकिया तीन माह में पूरी कर ली जाएगी। शिक्षा सहयोगी, पैराटाचर्स के रूप में कार्यरत मानदेय प्राप्त

(श्री रामनारायण विश्नोई)

योग्यताधारी शिक्षा सहयोगियों को पांचवें वर्ष की सेवावधि के दौरान तृतीय श्रेणी अध्यापक की नियमित वेतन श्रृंखला 4000-7000 में नियमित करने की कार्यवाही की जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो परिस्थितियां सामने आई ट्रेंड टीचर्स ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि राज्य सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के नेता-नुमाइंदे उन पैराटीचर्स को यह विश्वास दिला रहे हैं कि हम आपको नियमित वेतनमान दे देंगे और वहां हाई कोर्ट के अन्दर राजस्थान की पैरवी करने के लिए जो एडवोकेट जनरल उपस्थित होते हैं वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम यह कर ही नहीं सकते क्योंकि यह सर्विस रैगुलर नहीं है। यह स्थिति है, राजस्थान सरकार की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं हम इस बात का जवाब चाहते हैं कि आखिर आपकी क्या सही पालिसी है और किस प्रकार से आप इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं? 1990 से पहले भी अनट्रेंड टीचर लगे थे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से 4 जनवरी, 2002 के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के कुछ तथ्य बताऊंगा-"After hearing the parties and in view of the order passed by this court earlier on 3.12.2001, it is clarified that there is no dispute on the issue that the appointments even on the post of shiksha sahyogis shall not be made without advertising the vacancies." इन्होंने बिना वेकेंसी निकाले ही नियुक्तियां देनी शुरू कर दी थी तब भी हाई कोर्ट ने कहा था यह कोई आपका प्राइवेट पर्सनल मामला नहीं है, आप बिना एडवरटाइजमेंट किये, अखबारों में छाया किये बिना पब्लिक पोस्ट के ऊपर पब्लिक फण्ड्स से कोई भी नियुक्ति नहीं कर सकते हो तो उसको भी उन्होंने रोका है और इसमें कहा है कि "...shall not be made without advertising the vacancies. Shri Mehta, learned Advocate General has made a statement at the Bar that if such posts have been filled up without advertising the vacancies, it shall be re-advertised and then be filled up according to the procedure prescribed in Mohan Lal versus state of Rajasthan, as decided on 16.5.2000 and if such appointments had already been made, it is open to any person to bring it to the notice of the officer concerned the Block Development officer to re-consider all the

(श्री रामनारायण विश्नोई)

the cases and where the posts have been filled up without advertising the vacancies, these shall be nullified and further appointments shall be made after advertising the vacancies."

In addition to that, Shri Mehta States that it will be open to any person to bring this fact to the notice of the concerned authorities. It is needless to say that advertisement shall be published in the local newspapers having wide circulation in the locality and in local language...It has further been brought to the notice of the court that the government had considered regularising the para teachers after completing their service for a period of 5 years as a Teacher-Grade III vide order dated 13.11.2001," जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया है—

"...in Nema Ram Jakhar versus State of Rajasthan considered this a spect. The learned advocate-General..."

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप अपनी जगह पर जाओ।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया गया कि 13.11.2001 को आश्वासन दिया गया है, उस समय लर्नेड एडवोकेट जनरल राजस्थान की ओर से अपीयर हुए हैं–

"The learned Advocate General had made the statement at the Bar that State Government has not considered the para teacher's services as service. It is neither governed by any statutory rule nor it is a service in a realistic sense." यह स्थिति है आपकी 25,000 या 20–22–23,000 आदमियों के साथ में, उन गरीब लोगों के साथ में बहुत जबरदस्त धोखा किया है। इधर कोर्ट में जाकर तो आप यह कह रहे हैं कि कोई सर्विस नहीं है, किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है और यहां आकर आप झूठा वादा करना चाहते हैं। यह आपके एडवोकेट जरनल ने कहा है...(व्यवधान) यह एडवोकेट जनरल ने कहा है...

श्री संयम लोढ़ा : ...आपकी तो वहां पर तीसरी सरकार है, आपकी सरकार क्या मानती है वहां पर?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : वह बैठे हैं, जवाब दे रहे हैं।

श्री सांवर लाल : नहीं, गुजरात से खतरा लग रहा है क्या आपको?

श्री रामनारायण विश्नोई : यह आपके बस की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : खतरा तो आपको लगेगा, हमको क्यों लगेगा? हिमालय में लग गया न आपको, जहां 99 प्रतिशत हिन्दू हैं, क्या दुर्गति हुई आपकी वहां पर? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजियें। समाप्त करने दीजिये उनको।

श्री रामनारायण विश्नोई : Sir, it is the final conclusion, आप फाइनल कनक्लूजन सुनिये-Thus, in view of the above, the aforesaid order of the government cannot be enforced at the apprehension of Shri Bishnoi that the para teachers would be regularised after completing 5 years... is without any foundation." That, thus, in view of the above.."

जो एडवोकेट जनरल ने कहा कि नहीं, साहब, कोई सर्विस नहीं है, कोई हम इनको किसी प्रकार की ग्रेड बगैरह तो नहीं देने जा रहे हैं इसलिए, That, thus, in view of the above, the aforesaid order of the government dated 13.11.2001 cannot be enforced at the apprehension of the counsel that para teachers would be regularised after completing 5 years, even according to learned Advocate-General, is without any foundation." तो यह स्थिति है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से और मुख्य मंत्रीजी से यह हम स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं...

श्री सांवर लाल : आपकी सरकार का विश्वास नहीं है क्या न्यायपालिका में ?

श्री रामनारायण विश्नोई : आखिरकार आपने 20-22 हजार पैराटीचर्स के साथ में इस प्रकार का व्यवहार और यह धोखाधड़ी क्यों की है? अगर इसी प्रकार से आपको करना ही था, स्पष्ट तौर पर कोई नीति निर्धारित करते। राजस्थान के अन्दर, मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, पहले एक स्पष्ट नीति थी और करीब 32-33 हजार प्राथमिक विद्यालय थे, करीब-करीब हर गांव में, हर ढाणी में प्राथमिक विद्यालय थे। आपकी सरकार ने और हमने जब कभी भी हमारी सरकार का मौका आया, जो एक मौलिक नीति थी उस नीति से कभी हटकर कोई काम नहीं किया। मुझे पता नहीं आपकी क्या भावना थी और क्या आप इससे चाहते थे, लेकिन राजस्थान प्रदेश में हिन्दुस्तान के उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो भी

(श्री रामनारायण विश्नोई)

प्रिंसिपल तय किये गये थे, जो दिशा निर्देश दिये गये थे, उनकी आपने परवाह नहीं की सस्ती लोकप्रियता के नाम पर, राजीव गांधी पाठशालाओं के नाम से, उन पाठशालाओं की क्या स्थिति है? आज जो प्रगति प्रतिवेदन दिया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर यह बताया गया है कि 20-22 हजार पाठशालाओं में से 8,000 पाठशाला तो भवनविहीन हैं। जहां किसी गांव में जाते हैं तो यहां पर पेड़ के नीचे बच्चे बैठे हैं, यहां पर पानी व्यवस्था नहीं, यहां पर सर्दी-गर्मी का कोई प्रबन्ध नहीं। पेड़ के नीचे कहीं 10 बच्चे बैठे हैं, कहीं 20 बच्चे बैठे हैं, मास्टर का कोई अता-पता नहीं, शिक्षा से उसको कोई मतलब नहीं। ऐसी स्थिति के अन्दर क्या राजस्थान में भविष्य के अच्छे नागरिक और शिक्षित नगरिक पैदा करेंगे ? शिक्षित नागरिक के बिना राष्ट्र कभी भी समृद्ध नहीं बन सकता। 21वीं सदी के अन्दर दुनिया में मजबूत राष्ट्र होने की हमारी जो एक कल्पना थी, उस कल्पना का राजस्थान की मौजूद सरकार ने सत्यानाश कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर 1989 से, 1980 से, 1990 से, हिन्दुस्तान के उच्चतम न्यायालय...

डा. रतन लाल जाट : बहुत महत्पूर्ण मामला है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कहां मना कर रहा हूं? महत्वपूर्ण है तो बोल रहे हैं। (व्यवधान) पैराटीचर्स के नेता हो रहे हैं वह तो। आर्डर, आर्डर (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय देश की संवैधानिक सबसे बड़ी अदालत है, इनका निर्णय हिन्दुस्तान में कानून माना जाता है। उन्होंने भी चिंता व्यक्त की और आज से कम से कम 10-10, 15-15 साल पहले जो निर्णय दिये थे उनमें स्पष्ट कर दिया था-"We are of the considered opinion that before teachers are allowed to teach innocent children, they must receive proper and adequtes training is a recognised training instituted...satisfying the prescribed norms otherwise the standard of education and career of the children will be jeopardised."

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी और माननीय उप मुख्य मंत्री महोदया जो यहां बैठी हैं, उनकी आत्मा जरूर इस बात के लिए दुःख पाती होगी कि इस प्रकार की नीति राजस्थान की सरकार ने क्या सोच-समझकर लगाई है क्या तय किया था आपने? क्या राजीव गांधी पाठशाला खुलने से ही सारे राजस्थान के अन्दर कांग्रेस पार्टी की वाहवाही हो जाती है? राजीव गांधी पाठशालाओं में कोई भवन का इंतजाम नहीं, टीचर्स बराबर लगाये नहीं, कोई पढ़ाना जानता नहीं, इसके बाद भी कहा है। जब कहा कि जो अनट्रेंड टीचर्स

(श्री रामनारायण विश्नोई)

लग गये, इनका क्या किया जाएगा, इन्होंने कहा है–"We are not less sympathetic to the petitioners who are out of jobs..."

नौकरी दे दी, वे कहते हैं हमें भी इनकी चिंता है–"We are not less sympathetic to the petitioners who are out of jobs but we cannot forget the welfare of those who are not before the court. They are the tiny tots who require proper handling by the well-trained teachers.

बार-बार कहा है। फिर आगे जाकर यह और कहा है कि यहां पर हमने कई बार और राजस्थान की हाई कोर्ट ने भी फैसले दिये हैं,

"Specific plea of denial of livelihood to some individuals like petitioners connot over-weigh the prospect of serious injury to the students of rural areas."

एक माननीय सदस्य : हाई कोर्ट के वकील हैं, यह जिरह करना शुरू कर दिया यहां पर।

श्री अमराराम चौधरी : यह तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट के भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं, यह खास तौर से चिंता व्यक्त की गई,

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको क्या लेना देना है कोर्टों से और न्याय प्रक्रियाओं से? (व्यवधान) आपने कोर्ट में एफिडेविट दिये, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिये और भाग गये, क्या लेना-देना है आपका कोर्टों से? (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : ठीक है, यह आपके बस की बात नहीं है।

"Specific plea of denial of livelihood to some individuals as the petitioners..."

श्री राजेन्द्र पारीक : समझ में तो उपाध्यक्षजी के भी नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हैं ये।

श्री रामनारायण विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, पैराटीचर्स के बारे में ये वाहवाही लेना चाहते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर पूरी रिप्लाई दी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब दे देना न।

श्री रामनारायण विश्नोई : बिना कोई पालिसी, बिना कोई नीति...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आपकी सरकार हाई कोर्ट में क्या बोल रही है? (व्यवधान) आपकी सरकार क्या बोल रही है यहां और हाई कार्ट में क्या बोल रही है, यह आपकी सरकार का है। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : अब आप केवल थोथी वाहवाही लेने के लिए, पैराटीचर्स की सिम्पैथी लेने के लिए उनकी पैरवी कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। पैराटीचर्स के बारे में घोषणा हो चुकी है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या घोषणा हो चुकी है? (व्यवधान) आप यह बताएं कि इनको नियमित वेतन कब दोगे? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह वाहवाही का सवाल नहीं है, शिक्षा मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि पैराटीचर्स के इस तरह से...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जोर से बोलने से कोई बात नहीं होती। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने 13 नम्बर को आश्वासन दिया था...(व्यवधान) आपकी सरकार को पूरे चार साल हो गये हैं। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : इस बात का कोई रेलेवेंस नहीं है यहां पर, कुछ नहीं लेना-देना है इससे। (व्यवधान) इसका कोई रेलेवेंस नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब, विराजिये विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आपकी सरकार कह रही है, राजस्थान की अदालत में कह रही है। (व्यवधान) करो घोषणा, करो घोषणा।

श्री सांवर लाल : हाई कोर्ट के सामने क्या कह रहे हैं, यहां पर क्या कह रहे हैं, आपका क्या इरादा है, पता चल रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये प्लीज, विराजिये।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, ये पैराटीचर्स को वेतनमान कब दे रहे हैं? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये वाहवाही की बात कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने अपना दोहरा चरित्र जनता के सामने पेश किया, राजस्थान के मुख्य मंत्री क्या कहते हैं और राजस्थान की सरकार राजस्थान के हाई कोर्ट में क्या कहती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, चार साल में गांव के बच्चों के भविष्य को चौपट कर दिया, खड़े होकर +++

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सांवर लाल)

यहां पर। (व्यवधान) मास्टर लगाये नहीं, पैराटीचर्स को पैसा दिया नहीं, बच्चे पढ़ नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये । माननीय सांवर लालजी, विराजिये विराजिये। (व्यवधान) एक मिनट विराजिये।

श्री मदन दिलावर : पैराटीचर्स का...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, एक मिनट विराजिये आप विराजें एक मिनट।

श्री मदन दिलावर : पैराटीचर का वेतनमान क्या होगा, यह बताएं?

श्री राजेन्द्र पारीक : सुनना नहीं चाह रहे हैं, एक-एक बात सुननी पड़ेगी आप लागों को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए प्लीज।

श्री मदन दिलावर : उनको नियमित करने के बाद उनको क्या वेतनमान दोगे, यह कोर्ट में...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : सारा बंटाधार करके मानोगे।

श्री सांवर लाल : सारे राजस्थान के कितने बच्चों का भविष्य चौपट करना है?

एक माननीय सदस्य : किस प्रकार शिक्षा की दुर्गति की है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हम सड़क छाप हो गये और ये शिक्षा देना चाहते हैं? हम किसी बिन्दु को उठाते हैं तो खट खड़े हो जाते हैं कि मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हाई कोर्ट में सरकार ने क्या कहा और यह कहते हैं कि मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी। आपने बजट में प्रावधान किया नहीं, कैसी बात करते हैं। (व्यवधान) आदेश निकालो, करो नियमित उनको। करो न नियमित उनको। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : करो न फिर नियमित।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप विराजिए।

श्री सांवर लाल : पहले तो घोषणा पत्र से धोखा किया, फिर उनको भर्ती करके कोर्ट में उलटी पैरवी कर रहे हो, यहां पर अलग जवाब दे रहे हो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह राजस्थान की जनता महसूस करती है, मुख्य मंत्रीजी की एक घोषणा पर उन्होंने अमल नहीं किया, सिर्फ घोषणाएं लगातार किये जाते हो...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब।

श्री हीरासिंह चौहान : और सारी शिक्षा का सत्यानाश कर दिया इन्होंने...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : घोषणा का काम आप करते हो। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : सब घोषणाओं पर अमल किया। (व्यवधान) कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान: यह पूरे बैठे वह जिम्मेदार हैं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जो घोषणा की उसका उलटा यह जो कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : हमने घोषणा की है तो उस घोषणा को पूरा किया जाएगा, आपकी तरह झूठे वादे नहीं किये हैं हमने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : भागना चाह रहे हैं यहां से।

श्री सोहन नायक : हमने घोषणा की है उस घोषणा को पूरा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्रियों को यह सुनना नहीं चाहते।

श्री सोहन नायक : आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप भागने की सोच रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो भागना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की है उस घोषणा को पूरा किया जाएगा, आपको जाना है तो जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भागेंगे, आप तो गेट बंद करवाओ, भागने मत दो इन्हें। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : उपाध्यक्ष महोदय, इनका भागने का मन बन चुका है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान के नौजवानों के साथ यह सरकार जिस तरह से कर रही है...

श्री सोहन नायक : हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की है उस घोषणा को पूरा करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या है, इनको बैठाओ न?

श्री राजेन्द्र पारीक : गेट बंद करवाइये, यह भागना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्य सदन कूप में आकर बोलने लगे)

डा. के. सी चौधरी : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पैराटीचर्स के बारे में अपनी सरकार का दृष्टिकोण...

श्री सोहन नायक : हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है उसको पूरा करेंगे। हमने हमारे घोषणा पत्र को

(श्री सोहन नायक)

सख्ती से लागू करने का निर्णय किया है तो वह लागू होगा। (व्यवधान) हमने हमारे घोषणा पत्र को लागू करने का निर्णय किया है तो वह लागू होगा। (व्यवधान) हम अपना निर्णय बदलने वाले नहीं हैं।

डा. के. सी. चौधरी : आपको पैराटीचर्स के साथ कोई भी सिम्पैथी नहीं है, उनके साथ क्यों राजनीति कर रहे हैं?

श्री गोवर्द्धन कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इनको जवाब सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, विराजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह भागना चाह रहे हैं, भागने मत दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, इनको। क्या तरीका हुआ यह? राजस्थान सरकार ने जो निर्णय लिये हैं, सुनाएंगे इनको।

श्री सोहन नायक : यह झूठे आंकड़ों पर बोल रहे हैं, इनके पास कोई सामान नहीं है...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है वह पूरी होगी। इनके झूठे आंकड़ों से हमारा निर्णय बदलने वाला नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए माननीय सदस्य। विश्नोई साहब, बिराजिए प्लीज।

श्री सांवर लाल : मुख्य मंत्रीजी की मौलासर में क्या हालत हुई, पता है क्या? मुख्य मंत्रीजी ने क्या किया...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवर लालजी, आप विराजिए। आप विराजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग यह प्रैक्टिस बना रहे हैं कि आप सरकार का जवाब नहीं सुनना चाहते। यह गलत बात है। I don't like it. (व्यवधान) आप चाहे कितना ही शोर करो, मैं सरकार का जवाब दिलाऊंगा, आप चाहे कितना ही शोर करो।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब सुनना चाहते हैं, यह कोई जवाब था क्या? बीच में इन्टरवीन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow it. आपको इतना फ्रीडम दे दिया बोलने का, उसके बाद भी आप कह रहे हैं, क्या मतलब है इसका ? ऐसा नहीं होगा। (व्यवधान) आपको सुनना है तो बैठो।

श्री सोहन नायक : सुनना पड़ेगा आज। आपने जो यह ट्रेंड बना रखा है जवाब नहीं सुनने का, आपको जवाब सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम आपको आश्वस्त करते हैं कि पूरा जवाब सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इधर के छह माननीय सदस्य बोले, आपके बारह माननीय सदस्यों को बुला दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई बात थी...

श्री उपाध्यक्ष : फिर प्रतिपक्ष के नेता को बुलाने जा रहे हैं, सुनने में...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आपकी कृपा है पर बोलने वालों का भी टोटा है, उधर बोलना नहीं चाहते कोई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह नहीं चलेगा। नहीं-नहीं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम पूरा जवाब सुनेंगे। हम पूरा जवाब सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Please keep the House in order. यह नहीं, कतई नहीं मानूंगा मैं।

श्री सांवर लाल : बारह बजे तक चलाओ, आप इनके पचास आदमियों को बुलाओ कौन मना कर रहा है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज, आप विराजिए। आप बैठिये नीचे। माननीय विश्नोई साहब, आप बैठिये। प्रतिपक्ष के नेता, आप बोलना चाहते हैं, बोलिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक...

श्री उपाध्यक्ष : No, Please sit down now. नहीं, अब नहीं बोलने दूंगा, खत्म करिये आप। नहीं, यह बात खतम करिये आप। प्लीज, आप बैठिये प्लीज।

श्री रामनारायण विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय, यह क्या बात हुई? सारे बोल लो और सरकार का जवाब नहीं सुनना चाहो, यह कौन-सी प्रैक्टिस हो गई आपकी? (व्यवधान) नहीं चलेगा ऐसा, नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा, आप समझ लो इस बात को।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, आप नाराज क्यों हो रहे हैं इससे...

श्री उपाध्यक्ष : आपको हाउस चलाना पड़ेगा आर्डर से, सरकार का जवाब पूरा सुनना पड़ेगा। आपको इतनी लिबर्टी दे रहे हैं बोलने की, उसके बाद आप सरकार का जवाब नहीं सुनना चाहते, यह नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा आपका। (व्यवधान) नो-नो, प्लीज सिट डाउन, आप बैठिये, यह तरीका नहीं है, माननीय।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप इनके भागने के रास्ते बंद करा दीजिये, ये भाग नहीं जाएं। जवाब सुनना पड़ेगा इनको।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, एक मिनट। आप पहले यह गारंटी लीजिये... (व्यवधान) आप बैठिये प्लीज, आप बैठिये। आप बैठिये, प्लीज, मैं अलाउ नहीं करूंगा, आप बैठिये।

श्री सोहन नायक : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, पहले प्रतिपक्ष के नेता से गारंटी लीजिये कि इनको सुनना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री रामनारायण विश्नोई : मैं माननीय मंत्रीजी से...

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए प्लीज, समाप्त कर चुके।

श्री रामनारायण विश्नोई : मैं आपकी परमिशन से माननीय...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप विराजिए प्लीज, आप समाप्त कर चुके बात।

श्री राजेन्द्र पारीक : कोई परमिशन नहीं है।

श्री रामनारायण विश्नोई : मेरी एक फलौदी की समस्या इनके सामने रख रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत बोल लिये, आप बिराजिए।

श्री रामनारायण विश्नोई : आपकी परमिशन से ही...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें प्लीज, आप एक मिनट विराजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप विराजिए प्लीज। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपको बोलने की इजाजत दे रहा हूं, उसके बाद सरकार का जवाब आपको सुनना पड़ेगा। यदि यह तैयारी है तो आप बोलिये, नहीं तो सरकार का जवाब आता है। यह नहीं चल सकता, ऐसे हाउस नहीं चल सकता कभी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं...

श्री सांवर लाल : यह आप ऐसी परम्परा मत डालिये, आप प्रतिपक्ष के नेता पर +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह ऐसे नहीं चलेगा...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : +++ उपाध्यक्ष महोदय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या है?

श्री धर्मपाल चौधरी : यह बात नहीं। उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री सांवर लाल : +++ नहीं मान सकते, आसन नियमों से चलेगा। उपाध्यक्ष महोदय +++ (व्यवधान)

डा. के .सी. चौधरी : व्यवस्था आसन ने दी है, आप उसको चुनौती दे रहे हैं। आसन की व्यवस्था सर्वोपरि है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नेता प्रतिपक्ष के साथ यह व्यवहार उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं।

श्री सोहन नायक : हम प्रतिपक्ष के नेता को नहीं सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसको बंद करना पड़ेगा। (व्यवधान) आपको पूरा जवाब सुनना पड़ेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : कोई कंडीशन नहीं है, साहब। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी कितनी ही आलोचना करो...(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह इस बात पर पाबंद नहीं होते हैं तो हम प्रतिपक्ष के नेता को नहीं सुनेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप प्रतिपक्ष के नेता से ऐसे नहीं कह सकते। किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं? आपने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आसन भी नियमों से बंधा हुआ है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : +++(व्यवधान) हम चुन कर आये हैं यहां।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : साहब, यह कोई व्यवधान थोड़े ही है? ऐसा नहीं है, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एहसान ही कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल : प्रतिपक्ष के नेता बोलते आये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की परम्परा रही है, इसमें कौन-सा एहसान है...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा : कोई भाषण नहीं करवाना, पारित कराओ मांग आप तो। सब के भाषण पढ़े हुए मान लो आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुने नहीं, चल सकता। आप विराजिए प्लीज। (व्यवधान) आपको इतनी लिबर्टी देते हैं उसके बाद भी फिर क्या बात है...?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, नहीं आपका जो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने कहा जो किया हमने, उसके बाद क्या अधिकार है आपका?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारा अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई अधिकार नहीं है आपका। आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम चुनकर आये हुए हैं, जनता ने चुनकर भेजा है विधान सभा में बोलने के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान : यह इकतरफा कार्यवाही चलेगा क्या? आसन भी नियमों से बंधा है, ट्रेडिशन रहा है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आसन भी नियमों से बंधा हुआ है। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आपको इस प्रैक्टिस को बंद करना पड़ेगा, आप चाहे... (व्यवधान) ऐसा नहीं है...

डा. के. सी. चौधरी : आप जनता की भलाई की बात भी सुनना ही नहीं चाहते, जनता के साथ कहां न्याय कर रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता, बोलिये। बोलिये प्लीज विराजिए...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर आसन की इच्छा नहीं हो तो नहीं बोले, कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि आपको पूरा अधिकार है, आपकी इच्छा हो जैसे चलाएं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आसन की इच्छा है बुलाने की, बिलकुल बुलाने की है। आपने जितने माननीय सदस्यों का कहा, उतनों को मैंने बुलाया है, उसके बाद आप बोलें I am allowing you लेकिन उसके बाद आप यह चाहो कि सरकार का जवाब नहीं सुनो, यह नहीं चलेगा। आप बोलिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा आपने कैसे सोच लिया कि हम जवाब नहीं सुनना चाहते?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, अभी यही वातावरण बना रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? (व्यवधान) क्या हो रहा है यह?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आसन का यह सोचना ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने की कह रहे हैं, यह आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। यह वेल में आ गये, ठीक बात है यह?

श्री सोहन नायक : परम्परा यहां डाल रखी है इससे यह पता लगता है...

डा. के. सी. चौधरी: आपका इतिहास ही यह रखा है, रोजाना ही कर रहे हैं आप।

श्री सोहन नायक : आपने जो यह परम्परा डाल रखी है इससे पता लगता है।

डा. के. सी. चौधरी : रोजाना यही, यह योजना में है कि हम बोल लेंगे और सरकार का जवाब नहीं सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, आप बोलिये। आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर। ऐसे थोड़े ही होता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि आसन के द्वारा जिस प्रकार से जो कुछ भी निर्देश दिये गये, लोकतंत्रीय परम्परा में मैं इसको ज्यादा ठीक नहीं मानता। हो सकता है...

श्री उपाध्यक्ष : आप मत माने, न मानते हैं तो। It doesn't matter यह जरूरी नहीं है कि आप कहे जो सही और मैं कहूं जो गलत, यह जरूरी नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : और आप द्वारा जो गैर अनुशासित व्यवहार किया जाए, वह लोकतंत्र में हैल्दी ट्रेडिशन मेनटेन करेगा?

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं चल सकता। आप विराजें प्लीज। माननीय मंत्रीजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके द्वारा जो ट्रेडिशन कल मेनटेन किया गया वह एक हैल्दी राउंड आफ प्रैक्टिस माना जाएगा, क्या यह भी आप कहना चाहेंगे? आप कहे तो सब कुछ सत्य और...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका कोई सोचा-समझा ही हो, पहले से ही तय हो न बोलने देने का, तो फिर उसी हिसाब से व्यवहार करें।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपने तय कर रखा हो तो तय कर लो, यह तो तैयार हैं जवाब देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : फिर उसी हिसाब से व्यवहार करें, अगर आप चाहते हैं तो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो वही चाहता हूं जो कायदा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर आप यही चाहते हैं तो...

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आप आसन को धमका रहे हैं क्या? आप क्या आसन को धमका रहे हैं? (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : इनके भाई को आपने उदयपुर में जमीन दिलाकर भेजा वह ठीक किया। यह सुरेन्द्रजी कटारिया को जमीन दिलाकर ठीक किया। उसका तो आप जवाब नहीं दे पाये, भाग गये वहां से तो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कौन-सा तरीका है?

श्री उपाध्यक्ष : आपके नेता महोदय बोले और आप वेल में आएं, यह कौन सी बात है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम अपनी बात नहीं कहेंगे और आप...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं कहोगे... (व्यवधान)

डा. के . सी. चौधरी : सुरेन्द्र कटारिया का मामला आया तब तो आप भाग लिये, आपने जवाब क्यों नहीं दिया, तब...? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जब आपके नेता खड़े हैं तो आप नहीं बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपका व्यवहार ठीक है, आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : जब नेता बोलते हैं तो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह उचित नहीं है।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपके लिए पक्ष और प्रतिपक्ष बराबर है, आपको बराबर बोलना चाहिए। आपकी व्यवस्था सदन के लिए है, सरकार और प्रतिपक्ष के लिए नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow आपकी इच्छा हो जो करो।

डा. के. सी. चौधरी : आपने बहुत ज्यादा छूट दी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नो-नो।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस की सीट नहीं है, यह न्याय की सीट है और इस न्याय की सीट पर बैठकर आप ऐसी बात करते हैं, यह ठीक बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, विराजिए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोलिये। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

(19.00 बजे)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा हो रही है और मुझे बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि हम सब लोग शिक्षा की इस चर्चा पर कितने गम्भीर हैं। इस विभाग पर कितनी हमारी गम्भीरता है, यह तो हमारे पिछले कार्यकाल से अपने-आप स्पष्ट हो जाता होगा। मैं सोचता हूं कि शायद यह पहली बार ही कोई राज बना होगा जिसने चार साल में चार शिक्षा मंत्री बदले हों। यह भी शायद पहली बार हुआ होगा कि राजस्थान के...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान) प्रधानमंत्री केन्द्र में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। माननीय चौधरीजी प्लीज। माननीय देवीलालजी, बैठिये। देवीलालजी, बैठिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : चार साल की अवधि में कौन-कौन शिक्षा सचिव रहा, उसकी अगर लिस्ट बनाएं तो लम्बी लिस्ट बनती है। डाइरेक्टर कौन रहा, कोई गिनती नहीं। यह सबसे पेचीदा विभाग है जिसकी अपनी कई प्रकार की समस्याएं हैं। विभाग कई अलग-अलग विभागों में बंटा हुआ है। कई अलग-अलग टुकडों के रूप में इस विभाग को हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है, हमारे सदन की आज जो चर्चा हुई उस चर्चा से मैं सोचता हूं, क्या हम इस विभाग के प्रति न्याय कर पाये? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है क्योंकि प्रारम्भ से वातावरण इस तरह का बनाया गया। मन की इच्छा थी कि राजनीतिक के ऊपर उठ करके कुछ बात कही जाए, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे लोकतंत्र का कि उसके कारण से हम सब अपने-अपने घरौंदे में बंधे हुए हैं और सही समस्या पर हम ठीक प्रकार से अपनी निगाहें केन्द्रित करना ही नहीं चाहते। आप बोलेंगे तो मुझे गालियां देंगे मैं बोलूंगा तो आपको दूंगा। मैं बार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बार इस बात को रिपीट करता हूं कि भगवान के लिए इतना लोकतंत्र का मखौल मत करो। यह समय है निकल जाएगा। कभी आप आएंगे, कभी हम जाएंगे। कभी कोई जिन्दा रहेगा कभी कोई मर जाएगा लेकिन यह मुल्क जिन्दा रहेगा। हमारा जिस प्रकार का व्यवहार है, आपने कभी इसको उठा कर देखने की कोशिश की? निष्पादन आय-व्ययक 2003-04 प्राथमिक शिक्षा राजस्थान इसमें जो वेतन है उस वेतन में आपका बी.ई. था 1,053 करोड़ आयोजना भिन्न में, योजना भिन्न में 26 करोड़ 50 लाख और केन्द्र प्रवर्तित योजना में 30 करोड़ 53 लाख। जब आप इसमें आर.ई. में गये तो एक हजार करोड़ रुपये और उसके बाद आयोजना में .01 और केन्द्र प्रवर्तित में 10 करोड़ 29 लाख। अब आप इसे देखिये, वेतन में ही, केवल प्राथमिक शिक्षा में। सारे राजस्थान का हर विधायक चाहे इधर से बोलना है, चाहे उधर से बोलना है, वो अपने मन के दर्द को कहीं न कहीं बोलता ही है और बोलना इसलिए है कि हमने वेतन में कितना पैसा पिछले एक साल में इस प्राथमिक शिक्षा में बचाया। इसमें आयोजना भिन्न में 53 करोड़ 95 लाख रुपये बचे, प्लान में 26 करोड़ 50 लाख रुपये बचे, केन्द्र प्रवर्तित योजना में 20 करोड़ 23 लाख रुपये बचे, टोटल केवल एलीमेंटरी में वेतन पेटे सौ करोड़ रुपये आपने बचाये। किसकी कीमत पर बचाये? उस बच्चे की शिक्षा की कीमत पर कि बिना अध्यापक के बच्चा पढ़ ले। यह तो आपने मेहरबानी की कि सौ करोड़ ही हुए, आपकी इच्छा होती तो पांच सौ करोड़ भी बचा लेते, बिना अध्यापक के तो। क्या इससे उस बच्चे का भला हो सकता है? तो एलीमेंटरी का है। सैकण्डरी एजुकेशन का भी ऐसा ही हाल है। सैकण्डरी एजुकेशन में योजना भिन्न में 1170.54 करोड़ रुपये खर्च किये, 134.49 करोड़ रुपये इसमें बचाये। इसके बाद आयोजन भिन्न आपने दशमलव .69 करोड़ रुपये बचाये। यह सारा मिलकर 133 करोड़ 81 लाख रुपये सैकण्डरी एजुकेशन में आपने तनखाह के पेटें बचायां। इसका मतलब यह तय हो गया कि हजारों पद खाली जिसके लिए चिल्ला रहे हैं सब लोग। वह वास्तव में आपके इन आंकड़ों से ही अपने-आप में सिद्ध हो गया कि हमने बिना अध्यापक लगाकर उस बच्चे की शिक्षा का काम पूरा करने की कोशिश की। इस पैसे को बचा कर उस बच्चे के साथ न्याय किया या अन्याय किया, यह तो आप अपने मन में सोच लीजिये कि इससे न्याय हुआ या अन्याय हुआ।

जब खड़े होते हैं तब भाषण तो बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन कभी उसको देखने की कोशिश भी की कि हम क्या बोलते हैं और क्या करते है? यह आपने अपने प्रगति प्रतिवेदन 2002-03 के पृष्ठ

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

संख्या-1 पर लिखा है "भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के अनुसरण में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने एवं प्राथमिक शिक्षा के संचालन में लोक भागीदारी बढ़ाने की दृष्टि से प्रारम्भिक शिक्षा का विषय एवं उससे सम्बन्धित निदेशालय, अभिकरणों, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, साक्षरता, सतत् शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं- शिक्षाकर्मी परियोजना, लोक जुम्बिश परियोजना, जिला प्राथमिक कार्यक्रम आदि राज्य स्तरीय प्रशासनिक नियंत्रण शिक्षा विभाग के स्थान पर पंचायती राज को हस्तान्तरित किया है।" पंचायती राज मंत्री को पूछो, है क्या यह। आपके पास है? आपके पास है न?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (पंचायती राज मंत्री) : मंत्री अलग हो सकते हैं, विभाग का जो सैक्रेटरी है वो पंचायती राज का है, विभाग का जो कमिश्नर है वो पंचायती राज का है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मतलब यह है कि जिस पंचायती राज को हम अधिकार देना चाहते हैं और पंचायतों को अधिकार देना चाह रहे हैं उसके मंत्री को अधिकार देना भी हमको नामुमकिन लग रहा है। कितना दुर्भाग्य है।

डा. बी. डी. कल्ला (शिक्षा मंत्री) : नीचे दिये हुए हैं। नीचे दिये हुए हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या दुर्भाग्य है। आपका तो और कुछ कहना ही नहीं। अभी आपके पास एडहाक चार्ज है। आपके पास शिक्षा विभाग का चार्ज अतिरिक्त चार्ज है। शिक्षा विभाग का पहली बार दुर्भाग्य होगा 52 साल के इस लोकतंत्र में कि किसी मंत्री के पास इसका पूरा चार्ज नहीं। दुनिया भर के डिपार्टमेंट लगाकर इसको कचरा करने का जो व्यवसाय हुआ है न, उसके कारण शिक्षा का बंटाधार तो वैसे ही हो जाएगा। आने वाला भविष्य बताएगा कि शिक्षा में हमने क्या पाया और क्या खोया है।

मैं सोचता हूं कि आपने सारे विभागों के प्रगति प्रतिवेदन बनाये, इसमें ही आपके मन में चोर था सारे कालम नीचे के खाली छोड़ दिये। इसमें कौन-कौन से डिपार्टमेंट थे, यहां पीछे तो आपने सारा दे रखा है कि ये-ये इनके पास हैं। यहां तो साक्षरता और यह सब इसके पास है और यहां इसको आपने छोड़ कर इस प्रगति प्रतिवेदन को दे दिया। आपकी मंशा ही नहीं है। 73वें संशोधन विधेयक का अर्थ क्या है? मैं, अभी मंत्रीजी हैं नहीं, सी.पी. जोशी साहब का और आपका भाषण भी पढ़ूंगा कि आपने क्या-क्या तो घोषणाएं की थीं- हमारी यह कल्पना है, हमारी यह कल्पना है, पंचायती राज में हमारी यह कल्पना है, क्या हुआ इन चार सालों में? कितनी बार इसके अधिकार पंचायती राज को गये

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और कितनी बार लौट करके आये? कितनी बार वहां का जो अधिकारी है...उसने ट्रांसफर आर्डर निकाला और कितनी बार उसको कैंसिल किया? कितनी बार आपस में झगड़े हैं ये दोनों डिपार्टमेंट? कोई धणी-धोरी नहीं। इस पंचायती राज के कारण से शिक्षा विभाग का जो बंटाधार हुआ ना हम भला करना चाहते हैं, मन में सोचते होंगे लेकिन हमारे क्रियाकलाप ऐसे हैं, जिनसे शिक्षा का सर्वनाश कर डाला हमने। सबसे कठिन डिपार्टमेंट है। बहुत ही फालतू का डिपार्टमेंट इसको मानते हैं। जो इस डिपार्टमेंट को निभाता है वो ही जानता है कि इस डिपार्टमेंट को कैसे पार किया जाता है उसमें भी जिस प्रकार की हमारी गति बंधी, मैं सोचता हूं कि शायद हमारी मंशा ठीक नहीं होगी।

आपने देखा होगा यह आपका भाषण 1999 का। मैं लेकर आया हूं, क्योंकि आप लोग क्या बोलते हो, भगवान जाने आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी सोते हैं या क्या करते हैं। जो मंत्री यहां घोषणा करते हैं उसकी पालना नहीं होती है। 1999 के भाषण की जो दुर्गति आपने कर रखी है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए बताता हूं "इस वर्ष पहली बार राज्य में उच्च प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का गठन" यह आपका भाषण ही है 6.4.1999 का, इस शिक्षा विभाग की डिमाण्ड पर जोर-जोर से भाषण किये थे। अब इन भाषणों का परिणाम देखे "इस वर्ष पहली बार राज्य में उच्च प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के गठन करने का एलान किया गया है जो मैं समझता हूं राज्य में शिक्षा के स्तर को गुणात्मक सुधार करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा" हो गया न? बोर्ड बन गया न? बन गया न? बता देना, बन गया कि नहीं बन गया। 1999 की घोषणा और अपने जीवन यात्रा के अन्तिम दौर में भी अगर हम इसके बारे में फैसला नहीं कर पाते हैं तो कौन दोषी है इसके लिए? इसी बात में आगे और लिखा आपने, इस प्रकार लिखा, अपने भाषण में आपने कहा है यह 1999 का भाषण पढ़ रहा हूं, अभी का नहीं। 1999 में लिखा, "30% राशि दानदाता देगा तो 70% राशि विद्यालय की मरम्मत के लिए राज्य सरकार मुहैया कराएगी।" यह कब का है? 1999 का भाषण यह बजट आपका कब का है, इसको देखा है? यह बजट है 2003-04, इसमें आपने क्या कहलाया? पता नहीं क्या दुर्भाग्य है, "जन सहभागी विद्यालय भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत 70% राशि राज्य सरकार द्वारा तथा 30% राशि जन सहयोग अथवा छात्रवृत्ति कोष से उपलब्ध कराने का प्रावधान है। आगामी वर्ष में इस योजना ...यह तो आप 1999 में कह चुके हैं, अब आकर इस बजट में वापस कहने की क्या जरूरत पड़ गयी? वह शायद ध्यान नहीं रहा होगा। आपने तो बोलकर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

संख्या-1 पर लिखा है "भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के अनुसरण में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने एवं प्राथमिक शिक्षा के संचालन में लोक भागीदारी बढ़ाने की दृष्टि से प्रारम्भिक शिक्षा का विषय एवं उससे सम्बन्धित निदेशालय, अभिकरणों, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, साक्षरता, सतत् शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं-शिक्षाकर्मी परियोजना, लोक जुम्बिश परियोजना, जिला प्राथमिक कार्यक्रम आदि राज्य स्तरीय प्रशासनिक नियंत्रण शिक्षा विभाग के स्थान पर पंचायती राज को हस्तान्तरित किया है।" पंचायती राज मंत्री को पूछो, है क्या यह। आपके पास है? आपके पास है न?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (पंचायती राज मंत्री) : मंत्री अलग हो सकते हैं, विभाग का जो सैक्रेटरी है वो पंचायती राज का है, विभाग का जो कमिश्नर है वो पंचायती राज का है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मतलब यह है कि जिस पंचायती राज को हम अधिकार देना चाहते हैं और पंचायतों को अधिकार देना चाह रहे हैं उसके मंत्री को अधिकार देना भी हमको नामुमकिन लग रहा है। कितना दुर्भाग्य है।

डा. बी. डी. कल्ला (शिक्षा मंत्री) : नीचे दिये हुए हैं। नीचे दिये हुए हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या दुर्भाग्य है। आपका तो और कुछ कहना ही नहीं। अभी आपके पास एडहाक चार्ज है। आपके पास शिक्षा विभाग का चार्ज अतिरिक्त चार्ज है। शिक्षा विभाग का पहली बार दुर्भाग्य होगा 52 साल के इस लोकतंत्र में कि किसी मंत्री के पास इसका पूरा चार्ज नहीं। दुनिया भर के डिपार्टमेंट लगाकर इसको कचरा करने का जो व्यवसाय हुआ है न, उसके कारण शिक्षा का बंटाधार तो वैसे ही हो जाएगा। आने वाला भविष्य बताएगा कि शिक्षा में हमने क्या पाया और क्या खोया है।

मैं सोचता हूं कि आपने सारे विभागों के प्रगति प्रतिवेदन बनाये, इसमें ही आपके मन में चोर था सारे कालम नीचे के खाली छोड़ दिये। इसमें कौन-कौन से डिपार्टमेंट थे, यहां पीछे तो आपने सारा दे रखा है कि ये-ये इनके पास हैं। यहां तो साक्षरता और यह सब इसके पास है और यहां इसको आपने छोड़ कर इस प्रगति प्रतिवेदन को दे दिया। आपकी मंशा ही नहीं है। 73वें संशोधन विधेयक का अर्थ क्या है? मैं, अभी मंत्रीजी हैं नहीं, सी.पी. जोशी साहब का और आपका भाषण भी पढ़ूंगा कि आपने क्या-क्या तो घोषणाएं की थीं-हमारी यह कल्पना है, हमारी यह कल्पना है, पंचायती राज में हमारी यह कल्पना है, क्या हुआ इन चार सालों में? कितनी बार इसके अधिकार पंचायती राज को गये

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और कितनी बार लौट करके आये? कितनी बार वहां का जो अधिकारी है...उसने ट्रांसफर आर्डर निकाला और कितनी बार उसको कैंसिल किया? कितनी बार आपस में झगड़े हैं ये दोनों डिपार्टमेंट? कोई धणी-धोरी नहीं। इस पंचायती राज के कारण से शिक्षा विभाग का जो बंटाधार हुआ ना हम भला करना चाहते हैं, मन में सोचते होंगे लेकिन हमारे क्रियाकलाप ऐसे हैं, जिनसे शिक्षा का सर्वनाश कर डाला हमने। सबसे कठिन डिपार्टमेंट है। बहुत ही फालतू का डिपार्टमेंट इसको मानते हैं। जो इस डिपार्टमेंट को निभाता है वो ही जानता है कि इस डिपार्टमेंट को कैसे पार किया जाता है उसमें भी जिस प्रकार की हमारी गति बंधी, मैं सोचता हूं कि शायद हमारी मंशा ठीक नहीं होगी।

आपने देखा होगा यह आपका भाषण 1999 का। मैं लेकर आया हूं, क्योंकि आप लोग क्या बोलते हो, भगवान जाने आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी सोते हैं या क्या करते हैं। जो मंत्री यहां घोषणा करते हैं उसकी पालना नहीं होती है। 1999 के भाषण की जो दुर्गति आपने कर रखी है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए बताता हूं "इस वर्ष पहली बार राज्य में उच्च प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का गठन" यह आपका भाषण ही है 6.4.1999 का, इस शिक्षा विभाग की डिमाण्ड पर जोर-जोर से भाषण किये थे। अब इन भाषणों का परिणाम देखे "इस वर्ष पहली बार राज्य में उच्च प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के गठन करने का एलान किया गया है जो मैं समझता हूं राज्य में शिक्षा के स्तर को गुणात्मक सुधार करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा" हो गया न? बोर्ड बन गया न? बन गया न? बता देना, बन गया कि नहीं बन गया। 1999 की घोषणा और अपने जीवन यात्रा के अन्तिम दौर में भी अगर हम इसके बारे में फैसला नहीं कर पाते हैं तो कौन दोषी है इसके लिए? इसी बात में आगे और लिखा आपने, इस प्रकार लिखा, अपने भाषण में आपने कहा है यह 1999 का भाषण पढ़ रहा हूं, अभी का नहीं। 1999 में लिखा, "30% राशि दानदाता देगा तो 70% राशि विद्यालय की मरम्मत के लिए राज्य सरकार मुहैया कराएगी।" यह कब का है? 1999 का भाषण यह बजट आपका कब का है, इसको देखा है? यह बजट है 2003-04, इसमें आपने क्या कहलाया? पता नहीं क्या दुर्भाग्य है, "जन सहभागी विद्यालय भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत 70% राशि राज्य सरकार द्वारा तथा 30% राशि जन सहयोग अथवा छात्रवृत्ति कोष से उपलब्ध कराने का प्रावधान है। आगामी वर्ष में इस योजना ...यह तो आप 1999 में कह चुके हैं, अब आकर इस बजट में वापस कहने की क्या जरूरत पड़ गयी? वह शायद ध्यान नहीं रहा होगा। आपने तो बोलकर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अपना पल्ला झाड़ लिया और जाकर दूसरे डिपार्टमेंट में बैठे गये, बाकी पीछे वाले आएं, रोएं, जो करें उसका काम है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं आप उस पर टालते हो, वो उस पर टालता है। वह उस पर डाल कर हट गया और विभाग का कचरा हो जाए, हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं।

उसके बाद अपने आगे कहा, आपने कभी अपने शब्दों को देखा भी नहीं होगा। आपने इस जगह खड़े होकर ही भाषण दिया था कि व्याख्याताओं के 80 पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये। 926 व्याख्याताओं को डी.पी.सी. के माध्यम से सलैक्ट किया गया और 1668 वरिष्ठ अध्यापकों को एड़हाक प्रमोशन देकर उन विभागों में नियुक्ति दी गई। इस प्रकार 2687 व्याख्याताओं की नियमित की गई। वर्तमान में 378 व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं, इसके लिये इमरजेंसी रिक्रूटमेंट की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। हो गई ना, हो गई? इमरजेंसी रिक्रूटमेंट हो गया? इमरजेंसी रिक्रूटमेंट का मतलब यह था कि हमको आर.पी.एस.सी. को देना था और अपने ही टीचर्स से उनकी परीक्षा लेकर इन पदों को भरना था। जो मेरे समय में मैं फाइल पर बना कर आया था, वह आज दिन तक वहीं रो रहा है। हम इसकी पूर्ति नहीं कर पाये और हमारे बच्चे व्याख्याताओं के अभाव में रो रहे हैं। किसी का अगर बच्चा पढ़ता होगा न तो उसके मां-बाप से पूछो कि उसके बच्चे का बिना व्याख्याता के क्या शिक्षण हो रहा है। यह हमने 1999 में घोषणा की थी लेकिन भाषण को दुबारा किसी को देखने की फुर्सत नहीं कि हम क्या घोषणा करते हैं और क्या बोलते हैं।

इसके बाद आपने आगे बोला है, मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि निजी शिक्षण संस्थाएं वास्तव में बहुत शोषण कर रही हैं। 1999 में ध्यान में था, अभी 2003 में नहीं। 1200-1200 रुपये एक प्रवेश फार्म से फीस ली जाती है। दूसरी कक्षा में लेबोरेटरी, कम्प्यूटर फीस, लेबोरेटरी की दूसरी कक्षा से आवश्यकता होती है? उन तक चीजों की फीस ली जा रही है। लेकिन ये सब समस्याएं हमें विरासत में मिली हैं, हम छोड़ गये थे, उसको ठीक करने के लिये समय लगेगा लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इसके सम्बन्ध में नियम बनाएंगे बन गये न नियम? अभी आपके पास ही होंगे, बाहर नहीं आये होंगे?

शिक्षा के जो हालात बनाये हैं, इसके बाद एक और मंत्री फिलोस्फर साहब अपना भाषण ठोक गये थे, मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, हो गया न वह सब? उसके बाद यह फिलोस्फर साहब का है, माननीय सी. पी. जोशी. साहब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का भाषण है, तारीख 11.4.2000, यह भी तुरन्त बाद ही आये। आते ही इन्होंने लिखा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, ''प्राथमिक शिक्षा को पंचायत राज से जोड़ने के पीछे जो मन की कल्पना है,'' वह कल्पना साकार हो गई न ? हो गई कल्पना साकार? उसके बाद और बोलते हैं, बजट को जो आधार बनाना चाहते थे वह बजट विधान सभा में डिस्कस नहीं हो। यह उनकी पंचायती राज की व्यवस्था है और हम पंचायतों पर बजट को डिस्कस कराएंगे, कर दिया? पता नहीं कैसे क्या है। इसके आगे लिखते हैं, ''जितनी भी विभाग की डी.पी.सी. हैं वह डी.पी.सी. नहीं की। आपने कोर्ट में कह कर डाइरेक्टर की कर दी या अपर डाइरेक्टर की कर दी। हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग में जितने पद थर्ड ग्रेड, सैकण्ड ग्रेड के-सीनियर टीचर्स लाना है, सीनियर टीचर्स से प्रिंसिपल लाना है, इन सबकी डी.पी.सी. हम दो महीने में करने की पूरी कोशिश करेंगे। हो गई न? हो गई पूरी? अब तो हो गई न?

डा. बी.डी. कल्ला : आप एक-एक की बात करना चाहते हो तो एक-एक का दे दूंगा, नहीं तो एक साथ जवाब दे दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : या तो दो महीनों की गिनती मेरे को नहीं आती है। अभी तक मुझे दो महीने गिनने नहीं आये तो मैं सीख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखते हैं, आज शहर में जिन स्कूलों को एफिलिएशन के नाम पर एप्लाई कर दिया, यह सारा आपने एफिलिएशन के नियम के बारे में कहा, ये बन गये न? इसके आगे आपने फिर कहा कि विनियम लेवल आफ लर्निंग, पांचवीं कक्षा तक मैं पंचायत समिति में बोर्ड बनाऊंगा और उसका एजुकेशन कराऊंगा। बन गया न पांचवीं का बोर्ड? 2002 में बना तो शायद ध्यान में अपने को नहीं आया होगा, आपको आया हो तो बता देना। इसके बाद फिर लिखते हैं, राजस्थान की जनता को मालूम होना चाहिये कि राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती नहीं हो रही है, नहीं होगी। यह आप लिख रहे हैं, नहीं हो रही है मतलब नहीं होगी। इस बारे में आपने जरूर पालना की। जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि बिना टीचर के ही काम चल जाता है।

इसी तरह से आपने अपनी ही बाइबल में भी कहा था, इस घोषणा पत्र में कहा था, थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपने इस विभाग को जैसा एक्सपेरीमेंटल विभाग बनाया, पंचायती राज और आपके बीच में शिक्षा को घुमा कर शिक्षा का सत्यानाश हो गया। बार-बार हम प्रयोग करते हैं। कोई एक प्रयोग जो भी करना हो, जो आपको ठीक समझ में आए, कर डालिए पर बार-बार इधर से उधर बदला-बदली

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करने से इस विभाग का कचरा हो गया और इस कारण से सारे शिक्षा के हालात वही हैं। संविधान के अनुच्छेद 40वें और 73वें संशोधन की भावनाओं के अनुरूप ही पंचायती राज संस्था को प्रशासनिक शक्तियों और आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने, संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित विषय की सभी योजनाओं को पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिया जाएगा। सौंप दिया न एजुकेशन को ? सरकार राजस्व का 65 प्रतिशत गांवों के विकास पर, यह तो छोड़िये पंचायती राज से सम्बन्धित है, ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में सन् 2000 तक तीनों संकायों के विषय खोल दिये जाएंगे और वहां सभी संकायों के अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाएंगी। खुल गये और अध्यापक भी लग गये? रो रहे हैं, व्याख्याता के अभाव में तो राजस्थान रो रहा है। यह कष्ट हमारे समय में भी था, मेरे समय में भी था। मैं इससे भी बहुत दुःखी हूं कि वास्तव में इतना सब प्रयास करने के बाद भी व्याख्याता उपलब्ध नहीं करा सके और उस बच्चे की पढ़ाई बिना व्याख्याता के जो कुछ भी उसके भाग्य में लिखा वह हो रही है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हो गई न? साक्षरता अभियान को जन आंदोलन बनाया जाएगा और आगामी पांच वर्षों में प्रदेश में निरक्षरता को समाप्त किया जाएगा। हो गया? सारा काम पूरा हो गया? मतलब इस प्रकार की घोषणाएं आप करते हैं, थोड़ा-सा देखने की भी कोशिश करो। आलोचना से मेरा भी कोई परपज हल नहीं होगा। मैं आलोचना करके अपने आपको बहुत तुर्रम समझता हूं, ऐसा स्वभाव मेरा नहीं है, मैं बहुत धरातल पर चलना चाहता हूं। पर दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का कि हम लोग जिस दिशा में जाना चाहिये उस दिशा में जाना नहीं चाहते और एक दूसरे की खींचतान करने में अपना काम पूरा कर रहे हैं।

यह जो आपका बजट व्यय है इस बजट व्यय को आप देखिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं किया। यह जो आप बार बार बोलते हैं, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। मुझे कहा कि यह कोई बनिये की दुकान थोड़े ही है। मैंने पैसे लेकर स्कूल खोले लेकिन रैगुलर बजट के स्कूल पहले खोले। अगर बजट प्रावधान 200 का था तो 200 के स्कूल मैंने पहले खोले। उसके बाद भी अगर लोगों की बहुत मांग थी तो यह निर्णय किया था सब लोगों ने कि कोई अपने को सहायता करे तो उनसे इतना खर्चा ले लें। उसके बाद भी उसको तुरन्त टीचर उपलब्ध करवाया। आपने तो फोकट के स्कूल तो खोल दिये लेकिन मास्टर एक भी नहीं दिया। उस बच्चे के साथ उससे भी ज्यादा दगा और धोखा हुआ कि नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हुआ? कैसी कैसी बातें करते हैं। हमने 1993-94 में एजुकेशन का बजट 630 करोड़ से लिया और 1519 करोड़ पर छोड़ा था, 141 परसेंट की बढ़ोतरी थी। और जब आपने ग्रहण किया उससे लेकर अब तक आपका 1930 करोड़ का बजट बना है और यह सारा मिलाकर केवल 27 परसेंट की बढ़ोतरी है। मैं सोचता हूं कि इन आंकड़ों को देखने की कोशिश कीजिए।

साक्षरता को लेकर आपका जो सदस्य खड़ा हो, दे आपको थप्पी, अरे! आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। हिन्दुस्तान में एकदम जादू की डण्डी इन दो ही साल में चला दी न? पहले तो कुछ धरातल था ही नहीं, आपने आते ही पेड़ बोया, उग गया? बच्चा पैदा हुआ और पढ़ना सीख गया था? हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया था? अपने पुराने पापों को भी देखो, आपका ही राज था। जिस पार्टी की यहां तारीफ कर करके थक रहे हो, उस पार्टी की पहले की गति देखी है? उस समय तो हम नहीं थे। 1951 में साक्षरता का प्रतिशत 9.95 था, आप पूरे 10 साल रहकर 18.12 पर लाये, 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की। इसी तरह से 1961 में 18 थी, 22 पर आई, 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। फिर 1971 से लेकर 22 से आप 30 पर आये। उसके बाद 1981 में आप 30 से 38 पर आये। पुरानी तो आपकी बहुत बढ़ोतरी थी जब आपके ही लोगों के पास सब कुछ काम था। तब तो हमारी साक्षरता की बढ़ोतरी का परसेंटेज क्या था ? बीच में हमने 8 साल झकमारी का काम किया और आपने आते ही चिराग उगा दिया और इसके कारण 22 प्रतिशत साक्षरता की बढ़ोतरी हो गई, सब थपथपा रहे हैं, कमाल कर दिया। तो हमने 8 साल तक शिक्षा में कोई झक मारने का काम तो नहीं किया था। हमने बहुत ईमानदारी से काम करने की कोशिश की। (व्यवधान) मैं सोचता हूं कि केवल थोथी बातों से नहीं, हमने विभिन्न योजनाओं के तहत प्रयास किया। और नहीं हो तो उस समय अक्टूबर में जो आल इण्डिया इंस्टीट्यूट ने सर्वे रिपोर्ट दी थी, उसकी कापी आपके पास पड़ी है, उसने अपने सर्वे में 20 लाख लोगों का सर्वे करने के बाद उस समय यह कहा था कि 56 प्रतिशत राजस्थान की साक्षरता उस समय थी। क्या बात करते हो आप आप केवल अपनी पीठ थपथपा रहे हो।

यह रिक्त पदों की स्थिति है, मैंने बजट में आपको बताया। बजट से समझ में नहीं आया तो इससे समझिए। राजस्थान की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। एक तरफ वह अध्यापक रो रहा है जो अपने मां-बाप के पैसे खर्च करके बी.एड. एम.एड. करके फुटपाथ पर पड़ा है। दूसरी तरफ वह बच्चा बिना अध्यापक के कारण

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से रो रहा है। इन दोनों को मिलाने की जिम्मेदारी किसी तीसरे की नहीं है, लोकतंत्र की व्यवस्था में इस सरकार की जिम्मेदारी है कि इन दोनों को मिलाने का प्रयास करे। इसमें कोई किसी पर एहसास नहीं करता है। मैं सोचता हूं कि हमारे राजेन्द्रजी ने सारी स्थिति बता दी हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में 18500 पद खाली हैं, सैकण्डरी में 21827 पद खाली हैं। महाविद्यालय में स्वीकृत पद 4803 हैं उसमें से 740 पद खाली पड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी की हालत देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में 378 पद रिक्त हैं आज की तारीख में, लैक्चरर से लेकर प्रोफ़ेसर तक। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में 276 पद खाली हैं। इसी तरह सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 139 पद खाली हैं। दयानन्द विश्वविद्यालय में 27 पद खाली हैं। वर्धमान कोटा खुला विशविद्यालय में 27 पद इस तरह 847 पद विश्वविद्यालयों में खाली पड़े हुए हैं। रिक्त पदों के ऊपर क्या लगाया? गैस्ट फैकल्टी। आप कल्पना करें, खैर। यह आपके साथ नहीं बीती, आपके बच्चे के साथ नहीं बीती इसलिए आपको कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन जो बच्चा गोल्ड मैडलिस्ट है जिसने पीएच.डी. कर रखी है, उस बच्चे को जब गैस्ट फैकल्टी से पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो उस बच्चे की आत्मा भी अन्दर से कितनी कुम्हलाती होगी। एक तरफ पद खाली पड़े हैं, उधर आपका आर.पी.एस.सी. कहता है हमारे पास वेटिंग लिस्ट पड़ी है। केवल पैसा बचाना, पैसा बचाना और वह भी शिक्षा जैसे पवित्र काम में से, क्यों आने वाली पीढ़ी को सत्यानाश की ओर मोड़ रहे हो, कम से कम इस पर विचार करिए। इस पैसे का लेन-देन, डूबना होगा डूब जाए। 50-52 हजार करोड़ तो वैसे ही कर्जे में डूबे हैं, अगर पढ़ाने से 400-500 करोड़ और डूब जाते हैं तो डूब जाने दो। 10 साल बाद तो कहीं न कहीं राजस्थान का भविष्य दिखेगा। राजस्थान के उस भविष्य को नहीं देखकर हम आंख बंद करके किस प्रकार से चल रहे हैं, इसके बारे में हमें विचार जरूर करना पड़ेगा।

आपके कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुसरण में व्याख्याताओं के पदों पर नियुक्ति देने में प्रतिबंधित किया जाता है, गैस्ट फैकल्टी को कोर्ट में ले गये और कोर्ट से प्रतिबंधित हो गया कि आप नहीं लगा सकते। इधर तो आप लगाएंगे नहीं और उधर रिजल्ट लिस्ट से मंगाओगे नहीं तो व्याख्याताओं के पद किस तरह से भरे जाएंगे? आपकी विज्ञप्ति निकली थी गैस्ट फैकल्टी के लिए बुलाने के लिए उस पर कोई गया था, कोर्ट ने फैसला दिया था कि आप इस तरह से भर्ती नहीं कर सकते।

यह आपकी विभागीय पदोन्नति है, आपने कहा कि दो महीने में कर देंगे।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दो महीने में हुई? अपर निदेशक की 1997-98 के बाद नहीं हुई। आपके रिकार्ड में से हैं, मेरे रिकार्ड में से कुछ भी नहीं उठा रहा हूं, जो कुछ कागज आपने यह प्रगति प्रतिवेदन दिया उसी में से उठा रहा हूं। संयुक्त उप निदेशक 1998-99 के बाद नहीं। उप निदेशक में 1997-98 के बाद नहीं हुई। जिला शिक्षा अधिकारी 1997-98 के बाद नहीं हुई। प्रधानाचार्य की आप लिख रहे हैं 2000-2001, मेरे पास इसके पीछे की लिस्ट लगी हुई है इसमें आपने दो टुकड़े किये। एक आपने एडहाक प्रमोशन भी किया, उस एडहाक प्रमोशन के आधार पर कुछ आपने प्रिंसिपल लगाए हैं, उनकी रैगुलर डी.पी.सी. नहीं हुई। एक रैगुलर डी.पी.सी. हुई और एक एडहाक डी.पी.सी. हुई वह भी नहीं हुई। इसी तरह से आपने उप प्रधानाचार्य की 1999-2000 की दी उसमें भी उप जिला शिक्षा अधिकारी 1998-99 और प्रधानाचार्य की 1999-2000 और कुछ सब्जैक्ट के व्याख्याताओं की 1999-2000 की बाकी अधिकांश सब्जैक्ट के 1998-99 के व्याख्याताओं की डी.पी.सी. अभी भी नहीं हुई। दो महीने पहले आते हैं या 2003 पहले आता है? मैं या तो समझता नहीं गणित, या मेरे समझने में कोई फर्क है। डी.पी.सी. क्यों नहीं कर सकते? किस कारण से नहीं कर सकते है? आखिर वह अध्यापक जो नौकरी करता है उसकी जिंदगी में भी अभिलाषा रहती है कि मेरा भी समय पर प्रमोशन हो। आपके बड़े-बड़े अधिकारी जो यहां आते हैं, राय देते हैं, अगर इनकी तीन महीने डी.पी.सी. नहीं हो तो इनको तो बहुत तकलीफ होती है। आपके साथ बैठते हैं, इनका प्रमोशन होना जरूरी है। वह थर्ड ग्रेड मास्टर भले ही रोता रहे, गांवों में धूल छानता रहे अपने बच्चे को लेकर, उसका प्रमोशन होना कोई जरूरी नहीं है इन कानून कायदों में शिक्षा विभाग में। इसके कारण से उसके मन में कितना दर्द, कितनी पीड़ा होती है, इसको वही समझ सकता है जिसके साथ चोटें बीतती हैं। लोग 15-15 साल से एक जगह पड़े हुए हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इसमें भी वरिष्ठता सूची तो 1995-96 के बाद बनी ही नहीं। क्या बात करते हो आप।

ये प्रतिनियुक्तियां, एक क्वेश्चन का जवाब आया है, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो हमारे पास कालेज में लैक्चरर नहीं हैं, दूसरी तरफ प्रतिनियुक्तियां केवल राजस्थान में नहीं, उड़ीसा में, आसाम में, दिल्ली में, ट्रांसफर होकर जाते हैं तो अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जाते हैं। प्रतिनियुक्ति पर यह नाटकबाजी चल रही है यह सूची, आप चाहो तो मैं एक-एक पढ़ देता हूं। क्या मजाक हो रही है इस विभाग में? पढ़ना चाहता हूं,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किस तरह से श्रीमती सोनल सिंघवी, यह नागौर में अंग्रेजी की व्याख्याता थी, यह उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश सरकार की राजकीय संस्था, सहारनपुर में प्रतिनियुक्ति पर लगी हुई है।

श्री शैलेन्द्र जोशी (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) : कब से लगी हुई है, आप यह भी बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह 26.8.02....

श्री शैलेन्द्र जोशी : और इससे पहले जो आपके पास लिस्ट है आप पूरी पढ़कर सुना दीजिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरे पास जो प्रश्न इसमें आया है...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस प्रश्न में जो भी आया है उन सभी के नाम बता दें और सन् भी बता दीजिए, ज्यादा श्रेष्ठतर स्थिति होगी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां, बिलकुल, चाहोगे तो यहां सूची पढ़ दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी श्रम मंत्रीजी से नहीं बनती है। (व्यवधान)

आपकी श्रम मंत्रीजी से नहीं बनती इसलिए आप उनकी बीवी का नाम हमसे कहलवाना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : कुछ भी बोलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो सही बात है वह सही रहेगी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 2001 की भी है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके सन् में आप बताइये सबसे ओल्ड डैपुटेशन पर कौन, कब गया था? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरे यहां 96 (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपके शासन काल में आपने मध्य प्रदेश में नियुक्तियां नहीं कराई? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी जोशी जी से भी नहीं बनती...(व्यवधान) आपकी सी.पी. जोशीजी से भी नहीं बनती है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : डैपुटेशन की हैल्दी ट्रेडिशन है, नये-नये डिपार्टमेंट खुलते हैं। डैपुटेशन शब्द जोइंट ट्रेडिशन हुआ है एजुकेशन में जो भी सिस्टम डिपार्टमेंट है उनमें भेजना पड़ता है। आपने भी भेजा, इसमें अब नई बात क्या कर रहे हो? आप यह सोचते हो कि आपके श्रीमुख से जो आप बोले वह सत्य है, कमाल की बात है। एक सत्य के आप ही देवदूत निकले? किसी को सत्य बोलना आता ही नहीं है? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दुर्भाग्य है, मैं सोचता हूं...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप क्या सोचते हैं? आप वह सोचते हैं जो मैं नहीं सोचता।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

मैं यह नहीं सोचता कि किसी को कैसे गुमराह किया जाता है। क्या बात करते हैं आप? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब चालू हो गया क्या? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : प्रतिनियुक्ति पर 1952 से लेकर...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप अपना जवाब दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : 1952 से लेकर आज तक प्रतिनियुक्ति पर जाते रहे। आपके शासनकाल में भी जाते रहे इसमें विसंगति क्या है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : फिर मंत्रीजी को भी नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब दे देना। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह ठीक नहीं है प्रतिपक्ष के नेता के बीच में बोलना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जवाब दे देना न।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह असत्य आरोप नहीं हैं, अनर्गल बातें हैं, इनको हम नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : असत्य आंकड़े और पुराने तक बता दीजिए, आपने भी तो किये होंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, आपको जवाब देने का अवसर मिलेगा, जवाब दे देना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : विधान सभा तारांकित प्रश्न–467 (उच्च शिक्षा) श्री हरजीराम बुरड़क, विधान सभा सदस्य के अभी इसी सत्र के प्रश्न का जवाब आया उसमें यह सूची आई है। क्या प्रतिनियुक्ति के लिए विभाग ने कोई नियम बना रखे हैं, यदि हां, तो नियमों में क्या व्यवस्था है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। आपने कहा–जी नहीं, विभाग के अलग से कोई नियम नहीं हैं। आपने दिया है। फिर इन्होंने यह सूची मांगी–क्या यह सही है कि राज्य के कालेज शिक्षकों को अन्य विभागों पर प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है? यदि हां, तो किस किस को कब कब से और कहां कहां, किस किस विभाग में लगा हुआ है? उसमें सूची आपने यह दी। इसमें 1996 का भी एक है, 1996 का अमित गिल जो परियोजना निदेशक के पद पर यहीं लगा हुआ है। एक लोक जुम्बिश, जयपुर में ही है। एक और जो लगा हुआ है, 1996 वाले जयपुर में हैं। आपके जो लगे इनमें अधिकांश सब इस प्रदेश से बाहर है। पढ़ूं एक–एक? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बिलकुल पढ़िएगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी अपने कुलीग्स से बनती नहीं है, वह कहलवाना चाहते हैं आप। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं हरेक चीज का तार्किक उत्तर देने के लिए इस सदन में तैयार हूं, आप बोलिएगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दे देना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? (व्यवस्था) यह सूची तो आपकी ही दी हुई है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : फिर आप अपने आपकी क्या उपलब्धि मान रहे है? यह तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आपको जवाब देना है उस समय दे देना। आप बोलोगे न...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, एक सिस्टम है डैपुटेशन भेजने का , इसमें नई वाहवाही क्यों लूट रहे हैं? यह वाहवाही आपने किसी और डिपार्टमेंट में ली होगी। (व्यवधान) इस तरह की तथ्यात्मक करके भूल नहीं लूट सकते।

डा. के. सी. चौधरी : हर विभाग में डैपुटेशन भेजने का सिस्टम है। खाली शिक्षा विभाग की बात थोड़े ही है, हरेक विभाग से भेजते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी , मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, आप उस वक्त बोल लेना। (व्यवधान) इंटरप्ट करके समय खराब कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह सारी सूची है जो आपने प्रश्न के जवाब में अभी इस सत्र में लगा भेजी है। इसमें से अधिकांश जो लोग हैं जिसमें डाक्टर रेणु बाफना हैं, ये भी दिल्ली में हैं, ये भी 7.7.2000 से हैं। ये सारी की सारी लिस्ट में कुछ पहले लगे हुए हैं, सन् 96 के भी हैं। वे सब जयपुर में हैं । किसी न किसी अलग–अलग विभाग में लगे हुए हैं। यह सूची सारी आपकी दी हुई है। मेरा कहना यह है कि यह प्रतिनियुक्ति पर...(व्यवधान) प्रतिनियुक्ति पर यह जो भेजने का तरीका है यह प्रतिनियुक्ति का कोई तो आप नियम बनाइये।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको अब का तो अफसोस है, 1996 वालों पर भी अफसोस है कि नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको 1996 वालों पर भी अफसोस है कि नहीं?

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह राज्य की ख्याति की बात है, राज्य की ख्याति की बात है कि हमारी लैक्चरर्स साहिबान को बुलाया जाता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी , क्या है यह?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारे बच्चे सफर करें, हमारे यहां तो पढ़ाने के लिये अध्यापक नहीं हों...

श्री संयम लोढ़ा : कोई ख्याति की बात नहीं है, मंत्रीजी। इन्होंने गलती की है अगर तो आप निरस्त करो न प्रतिनियुक्ति।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय संयमजी ।

श्री संयम लोढ़ा : क्यों भट्टा बैठा रहे हो कालेज एजुकेशन का । क्या जरूरत है बाहर भेजने की, जब राजस्थान में पद खाली पड़े हुए हैं तो? आप निरस्त कीजिए प्रतिनियुक्ति को।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरा कहना इतना ही है कि हमारे यहां...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय मंत्रीजी, मैं फिर रिक्वैस्ट कर रहा हूं, मेहरबानी करके इनको सुन लें । आपको जवाब देने का मौका मिलेगा तब आप जवाब दे दीजिए। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से और सारे सदन से निवेदन करता हूं कि हमारे व्याख्याताओं के इतने पद खाली हैं, केवल किसी को आब्लाइज करने के लिये अगर यह परिपाटी मैंने शुरू की या किसी ने भी शुरू की है, इसे रोकिये। निश्चित रूप से इसका कोई तरीका निकालिये, क्योंकि हमारा वह पद यहां खाली बताता है रिकार्ड में, हम उसकी जगह दूसरी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चे सफर करते हैं और उसके कारण से हमको नुकसान होता है। इस परिपाटी के कारण से बाकी लोग भी हम पर दबाव डालकर फायदा लेते हैं। इसको बंद करिये, जिस तरीके से भी कर सकते हो। नियम के बारे में पूछा, कोई नियम बना दीजिए जिससे भविष्य में इस प्रकार से बच्चों के साथ खिलवाड़ न हो।

यह जो समानीकरण है, शिक्षा मंत्रीजी, इस समानीकरण से जो घपलाकरण हो गया। एक स्कूल में अभी 2 महीने पहले तो समानीकरण से उसको हटाया, फिर उसी स्थान पर आपने दूसरी जगह से लाकर वापस उसको रिक्त बताते हुए भर्ती कर दिया। तो यह लोगों को आब्लाइज करने के लिये शहर से बाहर निकालो और फिर अच्छे परिचित लोगों को वापस शहर में ले आओ, यह तरीका ठीक नहीं है। समानीकरण के भी अपने कुछ नियम हैं, और अगर नियम हैं और किसी आपके अधिकारी ने या आपने या किसी से भी राजकीय आर्डर से भी अगर कर दिया तो एक बार उन पर निगाह डालो कि पहले उस विद्यालय से क्यों हटाया और फिर इसके बाद वहां लाकर हमने क्यों नया बिठाया। या तो पहले गलती थी, बाद में थी। उसके कारण से शिक्षा का सारा ढांचा, यह समानीकरण अगर आपको करना है तो गर्मियों की छुट्टियों में करें। जितने भी स्कूल में बच्चे बैठे हैं, आपको भी सब लिस्ट पता है कि कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है, उसके आधार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पर कोई साइंटिफिक तरीका बनाकर जहां अध्यापक ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं, हटाइये वहां से, कोई दिक्कत नहीं है, और जहां बच्चे ज्यादा हो वहां उसको भेजिये। लेकिन समानीकरण का मतलब कोई आब्लाइज करने वाला धन्धा नहीं है कि मर्जी चाहे जिसको जहां ले जाकर बैठा दो और बच्चों को सफर करने दो।

फिर यह ट्रांसफर सबसे ज्यादा समस्या इस विभाग की है। सबसे ज्यादा अगर इस डिपार्टमेंट का कहीं कचरा हो रहा है तो यह ट्रांसफर के कारण से हो रहा है। भविष्य के लिये अभी कोई ट्रांसफर पालिसी बनाओ। मैंने बनायी थी, बहुत से लोगों से बुरा बनकर और सारे लोगों का एक तरह से टार्गेट बना। लेकिन मैंने सोचा था कि इस विभाग को अगर सुधारना है तो किसी न किसी ट्रांसफर पालिसी के तहत हमको चलना पड़ेगा तब इस विभाग में कुछ नियमितता आएगी और तभी क्रम बनेगा। लेकिन कोई ट्रांसफर पालिसी नहीं, आए दिन आपको शिकायतें मिलती हैं, हमको शिकायतें मिलती हैं। ट्रांसफर एक व्यवसाय बन गया, इसको रोकिये। इसे इस कारण से मत रोकिये कि व्यवसाय रोके, पर उस बच्चे के लिये रोकिये। साल में 3-3 बार ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर करने के लिये निश्चित समय है, जुलाई के महीने में आपको जो कुछ करना है, कर लो अब इधर तो परीक्षाएं आ रही हैं उधर आपके ट्रांसफर की लिस्ट निकल रही है। क्या बच्चा पढ़ेगा, क्या बोर्ड की परीक्षा में जाएगा। क्या यह ट्रांसफर का? आखिर कहीं न कहीं, आपको इस कारण से कोई यह सोचे कि हमको आब्लाइज करना पड़ता है, एक बार सिस्टम बन जाता है तो कुछ आब्लाइज नहीं करना पड़ता है।

हमारे यहां एक परफैक्ट नियम था टीचर्स के सलेक्शन का। हमारी जो मेरिट लिस्ट बनती थी वह बाहर लगती थी उसको नम्बर मिलता था कि 176 मेरिट पर आप हो, डाक से जाता था। यदि 176वां अध्यापक आएगा तो वही आता था। आपने उसको गुड़-गोबर करके उन सारे बच्चों को तो एक तरफ कर दिया और सिफारिशी सारे घुसकर चले आये नौकरी में। क्या होगा उन बच्चों का जो टेलेंटेड बच्चे थे जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था? उसके मन में कोई पीड़ा नहीं होगी क्या? हमने बहुत सालों के प्रयास के बाद राजस्थान में कम से कम नौकरी के बारे में ऐसा फुल-प्रूफ बना दिया था कि कोई भी अंगुली उठाने की हिम्मत नहीं करता था कि यहां कोई गड़बड़ हो सकती है। उसको आपने सारा का सारा करके जिस प्रकार के हालात बनाये हैं, इसको आप रोकिये।

अब ये निजी शिक्षण संस्थाएं, जो मैंने बात बतायी, इन निजी शिक्षण संस्थाओं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को कंट्रोल करने का कोई तरीका निकलेगा कि नहीं निकलेगा? भाषण के लिये हम सब लोग यहां बोलेंगे और बाद में वही ढाक के तीन पात। आपसे स्वयं ने लिखा, राजस्थान में जयपुर शहर की जो टाप संस्थाएं हैं 10, उन 10 शिक्षण संस्थाओं का 25 हजार से लेकर 30 हजार का शुल्क लें, कोई बात नहीं, 50 हजार भी लेओ, हमें कोई एतराज नहीं। पर 50 हजार की कम से कम बैलेंस शीट तो साल में एक बार इस विभाग को भेजे कि जिस बच्चे से 25 हजार रुपया लिया उस बच्चे का खर्चा कितना किया, कितना बैलेंस रहता है। क्या इतना भी हम इनको पाबन्द नहीं कर सकते ? मैं समझता हूं कि कोई अधिक फीस लेता है, कोई अधिक पैसा देकर पढ़ाना चाहता है, जाने दीजिए, कोई चिन्ता की बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना कंट्रोल तो उसको करिये कि वह बैलेंस शीट भेजे। मैं समझता हूं कि सारी इण्डस्ट्रीज फेल हो रही है और सारे के सारे इण्डस्ट्रियलिस्ट इन विद्यालयों में आ रहे है ताकि यहां से लोगों की जेब काटकर गरीब को लूटा जा सके। एक नया रास्ता निकाल दिया है। जहां एक ओर विकास जुड़ा हुआ है, मैं उसको मानता हूं लेकिन विकास के पीछे लोगों को लूटने का जो धन्धा प्रारम्भ हुआ इसको रोकिये। इस पर किसी तरह से चैक लगाइये। वह उसी एक आधार से लगेगा कि वर्ष में एक बार उनको अपनी बैलेंस शीट जरूर भेजनी पड़ेगी। उस बैलेंस शीट के आधार पर आपका विभाग उसकी छानबीन करे और उस आधार पर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे, तब जाकर हम कर सकेंगे।

अब यह जो आपका डी.पी.ई.पी. है, डी.पी.ई.पी. को स्टार्ट करने के पीछे अपनी मंशा क्या थी? क्या उस मंशा की हम पूर्ति कर पाये? मैं सोचता हूं, मंत्री महोदय, कि आप इतने ज्यादा दबाव में हैं, और आपके पास इतने विभाग मिल गये हैं, क्या इसके साथ न्याय होगा? केवल खुश रहने के लिये खुश रहो। डी.पी.ई.पी. प्रोजेक्ट की जो मंशा थी- To reduce differences in enrolment and drop-out and learning ... achievement amongst gender and social groups to less than 5% हो गयी न यह उपलब्धि ? जिस मंशा से यह डी.पी.ई.पी. हम लाये और 19 जिलों में हर जिले को 40 करोड़ रुपये का पैसा मिला-उसमें 85 प्रतिशत अनुदान है, कर्जा नहीं है। हमको तो केवल 15 प्रतिशत मिलाना है, 85 प्रतिशत जो अनुदान हो और हमारे पास 800 करोड़ रुपया हाथ में हो, उसके बाद ऐसी स्थिति हो। दूसरा है-To reduce primary drop out rate for all students to less than 10%" 10 प्रतिशत हो गया ड्राप आउट हमारा? नहीं। तो जो परपज इस डी.पी.ई.पी. के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

माध्यम से शिक्षा के गुणात्मक सुधार का था, वह हमारा फेल हो गया। डी.पी. ई.पी. के पीछे मंतव्य यह था कि हम 6 प्रतिशत करेंगे हमारे प्रशासनिक खर्चे पर, 24 प्रतिशत खर्चा करेंगे हम बिल्डिंग, मटीरियल और सुविधाओं के लिये और 70 प्रतिशत पैसा हम शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये करेंगे। अब आपने इस बजट को देखने की कोशिश की कभी कि वास्तव में क्या खर्चा हुआ, क्या नहीं? आप जब तक कसोगे नहीं, केवल राज में आने की भूख हमको सताती रहेगी तो हम तो जिन्दा रहेंगे लेकिन प्रदेश का शिक्षा का ढांचा मर जाएगा। इसके बारे में विचारो, हम मर जाएं लेकिन हमारा प्रान्त आगे बढ़े। यह जीना-मरना चलेगा, कल का भी किसी को पता नहीं है। जो चीज हमको देखनी है, 70 प्रतिशत खर्चा जिस पर हमको करना है, आप जब जवाब दो तब बताना, उस 70 प्रतिशत पैसे में आपने क्या खर्चा किया जो शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये था? आपको सुनकर ताज्जुब होगा, हम सब चिल्लाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं जबकि हमारे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं कि वह हम खर्च नहीं कर सकते। सन् 1999 से लेकर 2000 तक प्रथम फैज था और उसमें 10 जिले आइडेंटीफाई किये थे। इन 10 जिलों को अपन ने 411 करोड़ रुपया दिया था, हमको यह वर्ल्ड बैंक से मिला था 411 करोड़ रुपया। इस 411 करोड़ में से मात्र 142 करोड़ रुपया हम खर्च कर पाये। 142 करोड़ रुपया फर्स्ट फैज का। सैकण्ड फैज 2001 से लेकर 2006 तक का है, इसमें भी हमको 372 करोड़ रुपया मिला। इस 372 करोड़ में से कितना खर्चा हुआ? 2 साल निकल गये, इस 2 साल में मात्र 47 करोड़ रुपया हमने खर्चा किया है। 594 करोड़ रुपया इन हैण्ड है, अभी हमारे पास बचा हुआ है। हम एक तरफ तो रो रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा है, शिक्षा के गुणात्मक सुधार का पैसा है हम इसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन हमने तो वही चश्मा चढ़ा दिया राजीव गांधी, राजीव गांधी। चढ़ाओ, कोई चिन्ता नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे, करो।

इसी तरह से आपका यह जो ड्राप आउट है, इस ड्राप आउट को थोड़ा देखिये, बड़े आश्चर्यजनक फिगर आपके सामने आएंगे ड्राप आउट के। कक्षा एक में जो बच्चा भर्ती होता है और जब पांचवीं में आता है तो मात्र 11 बच्चे बचते हैं। मात्र 11, जबकि एवरेज है कि कम से कम 18 बच्चे बचने चाहिए। हम ड्राप आउट रोक नहीं पा रहे हैं। मेरे पास और भी फिगर हैं ड्राप आउट के, मैं आपको हर साल का भी फिगर बताऊंगा जो ड्राप आउट हमारे टाइम पर 1994 में था उस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से भी आपका ड्राप आउट 2 परसेंट बढ़ा है। यह केवल मेरे कहने के कारण से एलर्जी नहीं होना चाहिए। आपके आंकड़ों के आधार पर कुछ है, इसका आप मानिटरिंग करिये कि हम ड्राप आउट बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं और जिसके लिए हम सारा का सारा खर्च कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि इससे हमारे सारे कार्यक्रम की मंशा खतम हो जाएगी।

उसका कारण है। यह क्यों हो रहा है? क्यों इस डी.पी.ई.पी. को कोई देख नहीं पाता है? क्योंकि हमारे दिल-दिमाग ही साफ नहीं है। यह इसलिए नहीं है कि डी.पी.ई.पी. का जो 800 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, इसमें कितने डाइरेक्टर बदले है? पहले बी. एन. शर्मा, फिर ए. के. सिंह, फिर संजय दीक्षित , फिर अतुल शर्मा फिर ए. के. ओंकार, इतने से समय में पांच-पांच डाइरेक्टर जो इसको देखने वाला है, एक आदमी जो अच्छा लगे उसको रख दो न, किसी को क्या एतराज हो सकता है? यह प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की पालना के लिए आखिर किसी आदमी को जब तक उत्तरदायी नहीं बनाओगे और ऐसे बदल दोगे, एक आदमी प्रयास करेगा और फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा करेगा। पैसा पड़ा है, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। हमारी केवल इसी प्रकार से यह स्थिति बनी हुई है।

इस डी.पी.ई.पी. में सारा का सारा जो हमने बनाया, जिले को केन्द्र बनाया है और जिला कलक्टर को उसका अध्यक्ष बनाया है। सब प्रकार के काम की देखभाल करने का अधिकार उसको दिया पर हमने उसमें भी दखलंदाजी की। हमें दुःख इस बात का है कि परचेज आप यहां करने लग गये। कमीशन का ऐसा भूत चढ़ा हुआ है लोगों को कि उसके कारण से परचेज कमेटी वहां बनायी ताकि वे अपनी आवश्यकता की सामग्री वहां से खरीदे, लेकिन आपने फिर सैंट्रलाइज परचेज शुरू कर दिया उसके बाद कोटा कलेक्टर ने आपका जो.डी.ई.पी. का वहां अधिकारी था उसके लिए लिखा था कि इसको तुरन्त इस डिपार्टमेंट से हटा देना चाहिए, वह हट गया क्या ? वह आज भी वहीं पर लगा हुआ है। आज भी वहीं पर लगा हुआ है। इसी तरह से करौली के जिला परियोजना निदेशक का है, उसी व्यक्ति को वापस वहां डी.पी.सी. बनाकर वहां रखा हुआ है। इसी तरह से सीकर के कलक्टर ने फोटो स्टेट मशीन खरीदने में अनियमितता में चार्जशीट दी, विभाग ने वह प्रकरण वहीं पर दबा दिया। डी.पी.ई.पी. की क्यों दुर्गति हुई? क्योंकि जिला कलक्टर ने प्रयास किये, एफर्ट्स किये लेकिन आपने उस बात की अनदेखी की राजनीतिक आधार पर और आपने उन लोगों को वहीं पर लगाये रखा। उनकी रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में जब चली गई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तो उन्होंने भी चिन्ता करना छोड़ दिया। जयपुर कलक्टर ने जहां एक ए.पी.सी. को जिले की अनियमितता के लिए हटाया, विभाग ने उन्हें फिर मुख्यालय पर लगा दिया। इसी तरह से कार्यक्रम में निश्चित लक्ष्य रखे हुए, उसमें से कितने पूरे हुए हैं? सर्व-शिक्षा अभियान, ये सारे के सारे इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, सब कुछ है। यह आपके प्रश्न के उत्तर में भी आपने दिया है। आपने इसमें लिखा है कि प्रत्येक जिले को अलग-अलग कितना पैसा मिलता है। हरेक में 38-38 करोड़ रुपया दिया लेकिन इसके बाद भी खर्च नहीं हुआ। एक तारांकित प्रश्न में इसका फिर जवाब है। इस डी.पी.ई.पी. योजना को, इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे मंशा यह थी कि हम प्राइमरी एजुकेशन को किसी तरह से स्ट्रेंथन करें। उसको हम कर नहीं पाये। मैं सोचता हूं कि इस दृष्टि से आप निश्चित रूप से विचार करें। अभी आपकी प्रारम्भिक शिक्षा की जो हालत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्राथमिक स्तर पर जो यह बच्चों का रेशो है 40 पर एक, यह हमारा रेशो था न? एक स्टैण्डर्ड रेट थी 40 पर एक अध्यापक, अब वह 40 की बजाय घटता-घटता कहां तक आ रहा है? अभी हमारी जो टीचर स्ट्रेंथ है और जो बच्चों की संख्या है उसके आधार पर मैंने जो निकाला, 69 बच्चों पर एक अध्यापक आ रहा है। 69 बच्चों पर। यह अनुपात है तो आप क्या एजुकेशन में सुधार सकेंगे? अध्यापकों की संख्या 1993-94 में एक लाख 28 हजार थी और 2003 में इस संख्या में केवल 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। और बालकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? 49 परसेंट। मतलब, पहले जो 74 लाख बच्चे थे, वह बढ़कर एक करोड़ 10 लाख बच्चों का एनरोलमेंट सारा आपकी इन सूचियों से आता है। इतने बच्चे हैं। आपकी टीचर्स की बढ़ोतरी मात्र 24 परसेंट है और बच्चों की बढ़ोतरी 49 परसेंट है, तो टीचर्स स्टूडेंट रेशो किस तरह से कहां जा रहा है?

इसी तरह से रिक्त पदों के बारे में है, मैंने पहले भी आपको बताया था। इसी तरह आपकी ठहराव दर है। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि और जगह कर लेना जो करना हो फिर लेकिन कम से कम इस शिक्षा के क्षेत्र को तो बिगाड़ने का प्रयास मत करो। इसमें राजनीति घुसाकर आप अमर नहीं हो जाएंगे। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में ठहराव दर की स्थिति दोनों में, प्राथमिक विद्यालय में 1994-95 में 43.4, उसके बाद 1995 में 43.71 फिर उसके बाद 1996-97 में, वहीं 43.4, उसके बाद 44 परसेंट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

1998–99 आ गया 40 परसेंट ठहराव, उसके बाद 99 में फिर 40 परसेंट और 2000–2001 में ठहराव है 34.24, ठहराव घटा है। जिस ठहराव को बढ़ाना चाहिए वह ठहराव घटा है आपका। यह एलीमेंटरी का है। इसी तरह से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ठहराव है, यह था, 1994–95 में 79.6, यह घटकर अब आया है 76.74 मतलब, यह ठहराव भी घट रहा है, तो आपका यह सारा जो प्रयास आप कर रहे हो, एक प्रकार से बेकार जा रहा है।

अब आप कहते हो कि हमने भेदभाव से स्कूल खोले हैं, हमने पैसे लेकर खोले हैं। मैं सोचता हूं कि इस आरोप में मुझे बहुत पीड़ा है। मैंने यह सारी एम.एल.ए. वाइज लिस्ट बना रखी है, मैं आपको दे देता हूं, आप इसको मनन कर लेना, पढ़ लेना और उसके बाद मुझ पर आरोप लगाना, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मैंने अपने लोगों को नाराज करके भी नियम के तहत विद्यालयों को खोलने की कोशिश की, बालक की आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास किया। मैं कह सकता हूं, हिन्दुस्तान में पहला राज्य राजस्थान होगा जिसने स्कूल एटलस बनाकर सारे क्षेत्र में कहां विद्यालय है, इसके इसको आउट करने की कोशिश की है। लम्बी दूरी में बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़े, इसके लिए प्रयास किया था। वह कापी आपके पास भी पड़ी होगी, उसको उठाकर देखना। पंचायत समितिवाइज स्कूल के डॉट लगाये, ग्रामवाइज लगाये कि कहां मिडल स्कूल है, कहां प्राइमरी स्कूल है, कहां पर सैकण्डरी है, कहां सीनियर है, कहां कालेज है, कहां क्या है। यह सारा एटलस बनाने की कोशिश की है, लेकिन कोई इसको देखने वाला नहीं है।

आपने इसमें विद्यालय जो खोले हैं, मेरे पास यह भी प्रश्न के जवाब में ही है, ऐसे विद्यालय खोले हैं जो अभी तो मिडल स्कूल है, अगले साल सैकण्डरी बना और उसके ठीक अगले साल सीनियर सैकण्डरी। आप चाहे तो मैं नाम पढ़ता हूं। बालिका माध्यमिक विद्यालय, विद्यानगर, नगर–2001 में मिडल स्कूल था, यह फिर माध्यमिक विद्यालय बन गया 2002–2003 में और उसके बाद उसमें केवल चार अध्यापिका हो तो सीनियर बन गया। इसी तरह से चरमावदा द्वितीय, यह आठवीं का था, इसमें पांच लड़के ही नहीं थे फिर भी स्कूल बनाया, पांच लड़के थे। इसी तरह कम्प्यूटर शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया, मैंने पहले भी कहा था कि इस जिद में मत पड़ो कि यह कम्प्यूटर सिस्टम के कारण से हम फेल हैं। हमारा बच्चा कम्प्यूटर सीख नहीं पा रहा है और बिना बात के उससे पैसे लिये जा रहे हैं। 600 रुपये देने के बाद भी प्रोपर विद्यालय में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कम्प्यूटर सीखने का उसे मौका मिल जाता, हम फिर भी संतुष्टि करते लेकिन मेरी गारंटी है, आज भी गांव के विद्यालय में कम्प्यूटर सिखाने वाला जिस प्रकार की ट्रेनिंग लिया हुआ होना चाहिए, वह नहीं है। 494 विद्यालय तो ऐसे हैं, आपने मेरे एक प्रश्न के जवाब में दिया है कि जहां पर इलैक्ट्रिक कनेक्शन ही नहीं है। वहां कैसे कम्प्यूटर चलेगा? टेलीफोन का कनेक्शन नहीं है और आप उससे एग्रीमेंट करते हैं-ई-मेल कनेक्शन होगा, एयर कंडीशनर होगा, फलां होगा। वह तो केवल मीडियेटर है, बीच का पैसा इकट्ठा करके अपना कमीशन खा रहा है। उसने दूसरे को सबलैट कर दिया, सबलैट वाला रो रहा है। उनके पिताजी की पेंशन का सारा पैसा लगाकर वहां कम्प्यूटर लगा दिया, वहां स्कूलों में उनको ठीक प्रकार से आमदनी नहीं होती है। वह उधर रो रहा है, यह इधर अपने हिस्से की राशि हर महीने इकट्ठा कर रहा है। बोर्ड ने भी पैसा इकट्ठा करने की एक अच्छी एजेंसी बना लिया, ताकि उसका जो निश्चित शेयर है पर स्टूडेंट पर, पर मंथ वह भी कमाए। और यह भी कमाए लूटो चाहे जिस प्रकार से उस गरीब के बच्चे को। मैं चाहूंगा कि कम्प्यूटर हमारा बच्चा जरूर सीखे। क्या जरूरी है यह कम्प्यूटर की शिक्षा हम ही दें? अगर हम देने में सफल नहीं हैं तो आप कहीं भी सीख सकते हो, आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। पास होंगे तब ही आपको आगे की डिग्री मिलेगी। वह उसमें तो सीख सकता है, लेकिन नहीं अभी आपके डाइरेक्टर ने जब कम्प्यूटर के लिए निविदाएं निकालीं तो आपकी निविदा पर स्टूडेंट 27 रुपये आयी, जबकि आप उस बच्चे से कितना पैसा ले रहे हो फीस का कम्प्यूकाम पर ? फिर उसकी एक साल की अवधि बढ़ाने के पीछे क्या बदबू नहीं आती? इससे कुछ मंशा नहीं लगती? यह जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है न, आप कम से कम कुछ कृपा करके इसको देखा करो। मैंने भी इन आंकड़ों को वापस इतनी नजदीक से टटोला, सैकण्डरी का परीक्षा परिणाम घट रहा है। मेरे पास जो आंकड़े हैं, ये मैंने आपकी किताब से निकाले हैं, मैंने अपने हिसाब से नहीं निकाले। या तो यह प्रगति प्रतिवेदन गलत है या ये गलत है। दोनों में से कोई एक गलत है। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिशत 1996 में 60 था, फिर उसके बाद 1997 में 64, फिर 1998 में 56, फिर 1999 में 50, फिर उसके बाद 2000 में 54 प्रतिशत और अब की बार 57 प्रतिशत यह 64 और 68 प्रतिशत तक पहुंचा हुआ नीचे आ रहा है। यह एक साल कभी ऊंचा-नीचा हो गया तो मत मानो परन्तु इसमें जो निरन्तर कमी आ रही है इस कमी को देखे। उसमें

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी आपको तो मालूम होगा कि बोर्ड के परीक्षा परिणामों को सुधारने के लिये हमारे बोर्ड के अध्यक्ष ने क्या कारीगरी की। बोर्ड के भी नियम हैं ग्रेस देने के कि इतने नम्बर का ग्रेस दे सकते हैं, कितने सबजैक्ट पर दे सकते हैं। पिछली बार आपको नाम, सब्जैक्ट, कौनसे स्कूल का बच्चा, उसके पिताजी का क्या नाम है, मैंने पूरी सूची आपके सामने रखी थी, चार-चार विषय में जो फेल है उसको नम्बर जोड़-जोड़कर पास करके प्रतिशत बढ़ाने वाला अध्यक्ष क्या भला कर पाएगा? हो सकता है वह आपका मिलने वाला हो। रखो, हमें कोई एतराज नहीं है। पर उस बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा। जिन बच्चों को आप इस तरह से पास करोगे, सारे अखबारों ने, मैं सोचता हूं अजमेर का कोई अखबार ऐसा नहीं बचा होगा जिसने इस सारे का पूरा पोस्टमार्टम करके नहीं रखा। लेकिन कार्यवाही क्या हुई? वही ढाक के तीन पात। कितने भी आपके सामने घपले लाकर रखो, कितनी सच्चाई लाकर रखी, लेकिन आपकी आंखों पर जो चश्मा चढ़ा हुआ है, मैं सोचता हूं उस प्रकार से नहीं लगता।

अब कालेज शिक्षा के बारे में कहूंगा यहां ट्राइबल मिनिस्टर साहब बैठे हैं। ट्राइबल मिनिस्टर साहब, थोड़ा ध्यान देओ कि हमारे ट्राइबल एरिये में बच्चों को थोड़ी बहुत जो कुछ भी स्कालरशिप मिलती है, वह पैसा भी नहीं पहुंचता है। कभी देखने की कोशिश की? मैं केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा का बता रहा हूं। आप लोगों के मन में कोई बात की पीड़ा नहीं कि हमारे बच्चों को जो पैसा पहुंचना चाहिये, वह पैसा नहीं पहुंचा अभी भी। 30 प्रतिशत जो पैसा वहां पहुंचना था, अभी भी नहीं पहुंचा है। डूंगरपुर में 14 लाख रुपया पहुंचाना चाहिये, वह आज तक नहीं पहुंचा है। इसी तरह से माहेड़ा, बांसवाड़ा में तीन लाख पचास हजार रुपया जो स्कालरशिप का उनको पहुंचाना चाहिये, वह आज दिन तक नहीं पहुंचा। पी.जी. कालेज, बांसवाड़ा में आठ लाख रुपया आज दिन तक इन बच्चों को मिलता है छात्रवृत्ति का, वह नहीं पहुंचा है।

इसी तरह से संस्कृत विश्वविद्यालय है, आप इस क्वेश्चन के जवाब को देखो। आप यह कहते हो हमने विश्वविद्यालय खोल दिया, बहुत अच्छा है। यादव साहब बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन भगवान के लिये इन विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक की जन्म पत्री भी पढ़ा करो कि इनकी जन्म पत्री में क्या-क्या, कहां-कहां ग्रह मर रहे हैं। क्या इनकी तरक्की हुई कि हम केवल अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। क्या हमने प्रोग्रेस की, नहीं की, यह एक क्वेश्चन के जवाब में आया है। आपने एक करोड़

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रुपया दिया था बीकानेर को, एक करोड़ रुपया दिया था आपने कोटा को, लेकिन केवल दस-दस लाख रुपये खर्च कर पाये आप। (व्यवधान) वह संशोधित बाद में किया दस लाख। एक करोड़ देकर दस लाख और उसमें भी आपने लिखा है, 2000-2001 में केवल एक लाख रुपया खर्च हुआ। उसके बाद में 2001-2002 में 25 लाख रुपया खर्च हुआ। उसके बाद में इसमें दस लाख रुपया दिया तो 23 लाख खर्च हुआ। और आगे प्रश्न के जवाब में क्या लिखा है? गत वर्षों की बचत से व्यय किया। गत वर्ष की बचत कैसे हो सकती है? जैसे ही पैसा बचता है, ट्रैजरी से ही नहीं निकला तो बचत कहां होती है? यह क्या प्रश्न का जवाब बनाकर भेजते हैं, कभी देखने की कोशिश नहीं। यह कोई पैसा बचता है? साल की 31 तारीख के बाद में कोई पैसा नहीं बचता है। उसका भी आप यह जवाब भेजते हो पुरानी बचत में से, पुरानी कोई बचत ही नहीं होती है। पता नहीं किस तरह से हम प्रश्नों का जवाब बनाकर भेजते हैं। हम बार-बार आपसे आग्रह करते हैं, मैं आपस से भी निवेदन करता हूं, हमारे अधिकांश प्रश्नों का जवाब ठीक नहीं आता, पर हम जाकर कहां चिल्लाएं किसको कहे? कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रश्नों का जवाब ठीक नहीं आता। नोटिस देते हैं छह-छह महीने तक उसका वापस कोई जवाब नहीं आता है। बीकानेर विश्वविद्यालय की ऐसी स्थिति है। मैंने जितने आंकड़े निकाले हैं, और कहीं से नहीं निकाले आपके दिये हुए डाकूमेंट के आधार पर निकाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विनम्र प्रार्थना है, शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में आप हमको दोषी बताओ, हम आपको बताएं, मैं आज भी आपको चुनौती देता हूं, मेरे शिक्षा मंत्री काल में पांच साल तक शिक्षा मंत्री शायद कोई बिरला ही रहा होगा, इस पागलखाने में, जिसको मैंने निभाया है। मैंने निभाया। मैं कहता हूं इतना कठिन है इस डिपार्टमेंट को चलाना और सम्भालना, लेकिन मेरे मन की इच्छा थी, चाहे मेरा 1994 का भाषण उठाकर देख लेना। मैं जब पहली बार बोलने के लिये खड़ा हुआ था तब मैंने कहा था कि मेरे पास ऐसा विभाग है कि मैं दुबारा इस विधान सभा की शक्ल नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मैं इसमें गुणात्मक सुधार करूंगा और मैंने पूरी हिम्मत के साथ गुणात्मक सुधार करने का प्रयास किया था। मैंने जिन टीचर्स का रिजल्ट बढ़िया था उनको व्यक्तिगत दस हजार रुपये का पुरस्कार दिया है। मैंने उनको स्टेट लेवल पर सम्मानित किया। और जिनका जीरो प्रतिशत रिजल्ट आता था उनको मैंने जिला बदल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाला। जो टाइम पर नहीं पहुंचता था, उसका मैंने ट्रांसफर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किया। मैंने विद्यालय का जो प्रिंसिपल या हैडमास्टर था, उसको खुला अधिकार दिया था कि अगर कोई टीचर ठीक तरह से काम नहीं करे तो आपको अधिकार है, उसको रिलीव करके डी.ई.ओ. के आफिस में भेज दो। उसके बाद लगेगा, प्रशासन में चुस्ती आएगी। न हमारा पुस्तकालय का पैसा खर्च होता है। समय की सीमा है और यह सोच कर भी कि बहुत लोग बोले हैं, मैंने विषय को शार्ट किया। मैंने बाकी कई आस्पैक्ट्स को नहीं छुआ।

मैं आपसे यह जरूर निवेदन करूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी आपकी नाराजगी जाहिर होती है, मैं उस स्वभाव का आदमी नहीं हूं। मैं हर अच्छी बात को स्वीकार करने के लिये हर समय तैयार रहता हूं, लेकिन यह जो कीचड़ फेंकने की आदत है कोई भी खड़ा होता है कह देता है यह बणिये की दुकान है तो मैं मेरे घर ले गया था पैसे? अगर ले गया तो आपके पास सरकार है, मुझे सजा दे दो। अगर मैंने कुछ गलत किया तो आपके पास डाकूमेंट पड़े हैं। मैं सोचता हूं कि जितना जो कुछ भी किया जा सकता है, उतने अच्छे मन से करने की मैंने कोशिश की। आज दिन तक भामाशाह योजना के तहत किसी ने सम्मानित करने की कोशिश की? मैंने उस योजना को प्रारम्भ किया और मैंने मेरे कार्यकाल में ही 32 करोड़ रुपये राजकीय विद्यालय में, कोई फूटी कौड़ी नहीं लगाता था हमारे विद्यालयों में, बिलकुल जर्जर पड़े रहते थे, हमने इसको शुरू किया। हमने गार्गी पुरस्कार शुरू किया। कोई मतलब आपको समझ में नहीं आता। हमने प्रत्येक बच्ची को सैकण्डरी कक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लेकर आने पर दो साल की स्कालरशिप एक-एक हजार रुपये देकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं सोचता हूं हमने काम अच्छा किया, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता है। एक भी पद रिक्त नहीं है ताकि 31 तारीख के दिन डी. ई.ओ. से यह कागज मंगाता था कि मेरे यहां उस मेरिट का बच्चा कोई भी उस दिन नौकरी से वंचित नहीं रह जाए। तब जाकर चलता था। मैं सोचता हूं केवल एक जगह मैं जरूर फेल हुआ व्याख्याताओं के प्रमोशन क्योंकि व्याख्याता जाइन नहीं करता है। व्याख्याता और हैडमास्टर के बीच का जो झगड़ा था उसके कारण उसकी जाइनिंग बहुत कम होती थी। लोग सोचते थे अब रिटायरमेंट पर तो आ ही गये हैं, प्रमोशन नहीं होगा तो नहीं होगा। वह जाना नहीं चाहता अपने स्थान से उसके कारण से व्याख्याता के लिये हमने इमरजेंसी रिक्रूटमेंट निकाला था। मैंने शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये डी.ई.ओ. के 50 प्रतिशत डायरेक्ट सलेक्शन की फाइल मूव कर रखी है। जो आपके पास पड़ी है। चार साल से वह दफ्तरदाखिल है। टेलेंट बच्चे, कम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उम्र के बच्चे सलेक्ट होकर डी.ई.ओ. की पोस्ट पर आएंगे, इस विभाग को ठीक करने के लिये प्रयास करेंगे कि मैं इस विभाग को कैसे सुधारूं। लेकिन हम लोग कुछ नहीं करना चाहते सुधार के लिये और हम एक प्रयोगशाला बनाकर कभी इधर भेजते हैं, कभी उधर भेजते हैं। पंचायती राज मिनिस्टर की आपने जो हालत बनाई, हमारे टाइम पर भी कम से कम प्राइमरी स्कूल तो उन्हीं के पास था। आज तो आपने सब अधिकार अपने हाथ में ले रखे हैं और पंचायती राज को इससे बिलकुल अलग करके रख दिया है। 73वें संविधान संशोधन की आपने कौनसी पालना की? इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप अपना भाषण दे तब मैंने जो बिन्दु खड़े किये हैं कृपा करके उनका जरूर जवाब दें।

यह पैराटीचर्स और शिक्षाकर्मी का है। शिक्षाकर्मी योजना 1987–88 से लागू हो गयी। जब वे लोग आपके नार्म्स के हिसाब से नौकरी कर रहे हैं, उनमें भी अगर क्वालिफाइड हैं तो आप उनको परमानेंट क्यों नहीं करते? उनको टीचर्स की ग्रेड क्यों नहीं देते? इन पैराटीचर्स के बारे में आपने समझौता कर लिया पर कोर्ट में आप कुछ और वर्शन देते हैं, यहां कुछ और वर्शन बताते हैं। इन दोनों के बीच में क्या तालमेल है? आखिर वहां भी आपको प्रतिनिधि के रूप में जाकर कोई रिप्रजेंट करता है। इन दोनों के बीच में आपने शिक्षा का एक तरह से कचरा कर दिया है। शिक्षा को आपने सोचा फालतू का काम है। मैं सोचता हूं कि एलीमेंट्री एजुकेशन पर जोर देने की जरूरत है। हमारे से सम्भव नहीं होता है, हम इतना वजन नहीं उठा सकते हैं तो जैसे हमने प्राथमिक विद्यालय की मान्यता समाप्त की, आप मिडल स्तर तक की मान्यता समाप्त कर दीजिये, कोई चिन्ता की बात नहीं है। गांव में स्कूल अपने आप खड़े हो जाएंगे। केवल जो अच्छे स्कूल हैं उनको कुछ न कुछ आपको सहायता देनी पड़ेगी ताकि वहां के अध्यापकों को ठीक प्रकार से वेतन मिल सके। प्राइवेट विद्यालय में अगर कोई हजार रुपये तनखाह देता है तो उसमें तो आप केस बनाते हो, डी.ई.ओ. जाकर उसको चैक करता है और आप स्वयं 1,500 रुपये और 1,200 रुपये में अध्यापक लगा रहे हो, उसका शोषण हो रहा है। आपका बच्चा बी.एड. किया हुआ 1,200 रुपये की तनखाह लेकर अगर तीन महीने बाद आपके घर लौटे? वे 1,200 रुपये भी हर महीने नहीं मिलते। तीन महीने बाद जाए तो घर के लोग रोते हैं बैठकर। आखिर उस 1,200 रुपये में किस ढंग से पालन हो सकता है? कोई शोषण की पराकाष्ठा हो सकती है। हमने तो एक एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट के नीचे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एक लाइन और लिख देते हैं कि तुझे चार वर्ष के बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो भी वह बच्चा दस्तखत करता है क्योंकि वह जानता है कि अगर मुझे नौकरी मिलेगी तो इसी रास्ते से मिलेगी। इस कारण से मजबूर होकर यह बैठा हुआ है। इन सारी समस्याओं को आपको समझना होगा।

प्राथमिक शिक्षा का आपने जो कूंडा किया है इस राजीव गांधी के नाम से, आप कितने ढोल पीट लो, कुछ भी कर ले, आने वाली पीढ़ी, यह जो बच्चा पढ़ कर आएगा, आप में से किसी का बच्चा राजीव गांधी में पढ़ता हो तो खड़ा हो जाए। मुझे आप बताएं कि मेरा बच्चा राजीव गांधी में पढ़ता है। हमारा बच्चा तो राजीव गांधी में नहीं पढ़ेगा, ठेला चलाने वाले का बच्चा राजीव गांधी में पढ़ेगा ताकि वह अंगूठा ठोकता रहे पचास साल की आजादी के बाद में भी। तुम्हारा बच्चा कलक्टर बनेगा और उसका बच्चा चपरासी की नौकरी के लिये भी मोहताज रहेगा।

(20.00 बजे)

क्या शिक्षा में आप दो टुकड़े कर रहे हो। समान शिक्षा की बात सोचते थे वह तो रसातल में डाल दी आपने। जिसके मां-बाप पैसे वाले हैं वह तो अच्छे कांवेंट स्कूल में पढ़ कर नौकरी प्राप्त करेगा और गरीब के बच्चे के लिए एकमात्र राजकीय विद्यालय जो साधन है उस राजकीय विद्यालय का भी कचरा कर डाला आपने। न वहां अध्यापक है, न कोई देखने वाला है कि क्या निरीक्षण की स्थिति है, कौन निरीक्षण करता है। आपकी रिपोर्ट में आया कि 7000 निरीक्षण हुए, साल भर के 7000 निरीक्षण से आपके 45 हजार स्कूल चल सकते हैं? कोई एक बार जाकर देखने वाला नहीं, कोई इसको समझने के लिए तैयार नहीं। इस कारण से आपने शिक्षा को जिस तरह से रसातल में डाला है, मैं आपको अपने दुःखी मन से कहता हूं कि भगवान आपको इसकी सजा जरूर देगा। यह मेरा मन कहता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी कल्ला साहब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नहीं, सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया आपको?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, एक बात पर है।

श्री नाथूराम : यह हरदम खड़े होते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या है? यह बोल ले उसके बाद पूछ लेना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, वह आपसे ही अर्ज है।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लेना बाद में। आप बिराजिये प्लीज। वह बोल ले उसके

(श्री उपाध्यक्ष)

बाद पूछ लेना आप। आई बिल अलाउ यू, अलाउ करूंगा। पहले इनकी सुन लो आप, बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : कायदा यह है कि आप उनकी सुन लीजिये उसके बाद आप कोई क्वेश्चन कर लीजिये।

डा. बी. डी. कल्ला (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के 20 माननीय सदस्यों ने शिक्षा, कला और संस्कृति की मांग संख्या–24 के ऊपर अपने उपयोगी–विचार दिये और कटौती प्रस्तावों के माध्यम से राजस्थान में शिक्षा में गुणात्मक सुधार, प्राथमिक शिक्षा के बारे में, माध्यमिक शिक्षा के बारे में और इससे सम्बन्धित विषयों के बारे में अपने उपयोगी सुझाव दिये, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, लोक जुम्बिश, डी.पी.ई.पी., जनशालाएं और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जब से यह सरकार सत्ता में आयी, हमारी यह पूरी कोशिश रही कि हम राजस्थान में साक्षरता के प्रतिशत को नियमित रूप से बढ़ाएं। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति कुछ बनना चाहता है। हर व्यक्ति जीवन में कुछ बनना चाहता है। अभी प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे थे, कोई व्यक्ति कलक्टर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति डाक्टर बनना चाहता है। व्यक्ति अलग–अलग तरीके से अपने–अपने क्षेत्र में बढ़ना चाहता है लेकिन बढ़ वही सकता है जब शिक्षा उसका माध्यम बनती है। बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बन सकता। शिक्षा व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। इसलिए कहा गया है–"सा विद्या या विमुक्तये विद्या। ददाति विनयम... और विनयन शोभते। तो ये सब चीजें शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त हम कर सकते हैं। शिक्षा से विनयशीलता आती है। शिक्षा से व्यक्ति विनयशील बनता है और वह उसको शोभा देती है। ऐसा भी कहा गया है: "विद्या नाम नरस्य रूप वदिकम्

प्रछन्न गुप्तम धनम्,
विद्या भोग करी यशः सुख करी,
विद्याम् गुरूणाम गुरु,
विद्या बंधुजनों विदेश गमने,
विद्या परादेवता,
विद्या राजस्व पूज्यते न तु धनम्,
विद्या विहीनम् पशुः।"

विद्या मनुष्य का रूप है, प्रछन्न और गुप्त धन है। हमारे यहां राजस्थानी में कहते हैं "माल गंठे और विद्या कंठे," यदि कठं में विद्या नहीं है तो वह कोई काम की नहीं है। इसी प्रकार विद्या यश और सुख को देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेशी में जाने पर विद्या बंधु के समान सहायता होती है। राज, शासन में धन की पूजा नहीं होती, विद्या

(डा. बी. डी. कल्ला)

की पूजा होती है। विद्याविहीन मनुष्य पशु के समान होता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो-जो उपयोगी सुझाव दिये हैं मैं उनके ऊपर निश्चित रूप से खुले मन से विचार करूंगा और उन उपयोगी सुझावों से शिक्षा के जितने भी कार्य निष्पादित करते हैं उसमें उसका उपयोग लेने की चेष्टा करूंगा। शिक्षा विभाग की बजट मांगों पर आज जो चर्चा हुई उसमें खास तौर से मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि 2001 की जनगणना हुई उसमें साक्षरता का प्रतिशत 61.03 आया। पुरुषों का साक्षरता का 76.46 परसेंट और महिलाओं का 44.34 परसेंट है। यह गत दशक की तुलना में क्रमशः 22.48 परसेंट, 21.47 परसेंट एवं 23.90 परसेंट अधिक है। हम, सारे माननीय सदस्य इस बात पर गौर कर सकते हैं कि राजस्थान का साक्षरता का प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ा है और इसीलिए राजस्थान को भारत सरकार ने पुरस्कार दिये हैं। पिछले वर्ष हमको जैसलमेर और दौसा में पुरस्कार मिला, इस साल बीकानेर को सत्येन मैत्रेय पुरस्कार मिला। यह सब इस बात का परिचायक है कि राजस्थान ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा जम्प लिया है। उसमें अब जो हमारा लक्ष्य है वह यह है कि हम 2003 की जुलाई, अगस्त और सितम्बर में शत-प्रतिशत नामांकन 6 से 14 वर्ष की वय के विद्यार्थियों का करना चाहते हैं।

मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्व शिक्षा मंत्रियों ने, चाहे वो सी.पी.जोशी साहब हो, चाहे हमारे धारीवाल साहब हो, उन्होंने मेहनत करके जो काम किया शिक्षा आपके द्वार योजना चलायी उसके पहले 23 लाख से अधिक व्यक्ति राजस्थान में नामांकन के दायरे से बाहर थे, इन लोगों ने जो प्रयास किया उससे करीब-करीब 21 लाख 96 हजार व्यक्तियों ने अपना नामांकन कराया। जो 1 लाख 16 हजार व्यक्ति व्यक्ति बंचे हैं और जो इस साल 6 वर्ष के हो गये हैं, उन विद्यार्थियों को, हमको सबको मिल कर, मैं पूरे सदन के माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं, यह अभियान मेरा नहीं है, आप सब का है, पूरे राजस्थान का है इसलिए टीम स्पिरिट से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर 'ईच वन टीच वन' का संकल्प लें। मुझे खुशी होगी यदि आम लोग भी अपने-अपने क्षेत्रों में शत-प्रतिशत नामांकन के लिए एक-एक गांव में जाकर इस अभियान को सफल बनाने में मुझे सहयोग देंगे। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 2003 से पहले-पहले हम शत-प्रतिशत नामांकन का काम कर लेंगे। उसके बाद 2007 तक हम कम से कम प्राथमिक शिक्षा सभी लोगों को दे पाएंगे और 2010 तक आठवीं तक की शिक्षा

(डा. बी. डी. कल्ला)

हम सारे राजस्थान के बच्चों को दे पाएंगे।

सारे के सारे माननीय सदस्य कह रहे थे, प्राथमिक शिक्षा को कम्पलसरी किया जाए, प्राथमिक शिक्षा को एक तरह से अनिवार्य किया जाए। यह काम हम कर रहे हैं, और तभी तो हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2003 तक शत-प्रतिशत नामांकन हो, 2007 तक प्राथमिक शिक्षा सभी को मिले और 2010 तक आठवीं तक की शिक्षा राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को मिले, ताकि हम प्रारम्भिक शिक्षा 2010 तक जो इस वय के विद्यार्थी हैं उनको बराबर दे सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान में 21453 राजीव गांधी पाठशालाएं , 32331 प्राथमिक विद्यालय, 21956 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 5673 माध्यमिक विद्यालय और 2927 उच्च माध्यमिक विद्यालय हमारे राजस्थान में चल रहे हैं जिनमें 6 से 11 वर्ष के 87 लाख 22 हजार विद्यार्थी, 11 से 14 वर्ष के 23 लाख 12 हजार विद्यार्थी और 14 से 17 वर्ष की उम्र के 15 लाख 42 हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 2003 तक राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता मिशन के माध्यम से हमने राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर और ग्राम स्तर पर समितियों का गठन कर दिया है और ये समितियां प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य कर रही हैं। अकेले राजीव गांधी पाठशालाओं में 12 लाख विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जैसा अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे, राजीव गांधी पाठशालाओं में क्या कोई अलग पाठ्यक्रम है? सारी शिक्षण संस्थाओं में एक जैसा पाठ्यक्रम राजस्थान में चल रहा है, कहीं कोई अलग-अलग पाठ्यक्रम पूरे राजस्थान में नहीं चल रहा है। एक जैसे पाठ्यक्रम राजीव गांधी पाठशालाओं में, प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं में चल रहे हैं, कहीं कोई भेद नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर बताना चाहूंगा कि 19 जिलों में डी.पी.ई.पी. का कार्यक्रम चल रहा है-जिला प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम और 13 जिलों में लोक जुम्बिश का कार्यक्रम चल रहा है, 21 जिलों में शिक्षाकर्मी योजनाएं चल रही हैं और 4 शहरों में जनशाला कार्यक्रम चल रहा है। इन सब का उद्देश्य यही है कि कहीं पर भी कोई भी बच्चा जो एक तरीके से स्कूल नहीं जा रहा है, उसको हम किसी न किसी रूप में स्कूल से जोड़े और शत-प्रतिशत नामांकन हो। अभी हमने कुछ जिलों में चल विद्यालय भी शुरू किये हैं जो हमारी पुरानी रोडवेज की बसों में चल रहे हैं। यह प्रयोग भी काफी अच्छा रहा है। इसमें काफी विद्यार्थी नामांकन की दृष्टि से जुड़े हैं।

(डा. बी. डी. कल्ला)

19 नवम्बर, 2001 को "शिक्षा आपके द्वारा" कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था और इस कार्य में हमको दशकीय साक्षरता पुरस्कार और दशाब्दी महिला साक्षरता पुरस्कार भारत सरकार ने दिया। कक्षा एक से एक लेकर पांच तक की बालक-बालिकाएं इन सबको राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल से हम निःशुल्क पुस्तकें दे रहे हैं और कक्षा एक से आठ तक की बालिकाओं को सबको हम निःशुल्क पुस्तकें वितरित कर रहे हैं। इस वर्ष कक्षा नौ से लेकर कक्षा बारह तक के विद्यार्थी जो एस.सी. और एस.टी. के हैं, उनके लिए हमने बुक बैंक योजना चालू की है ताकि उनको निःशुल्क पुस्तकें मिल सकें।

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा 13 करोड़ 70 लाख रुपये की राशि के कार्य स्वीकृत किये गये हैं, उनकी प्रोग्रेस चल रही है।

सैकण्डरी स्कूल के परीक्षा परिणामों के बारे में अभी कुछ माननीय सदस्यों और प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कुछ बातें कहीं। मैं बताना चाहूंगा कि सन् 1993 में बोर्ड का परीक्षा परिणाम 41.95 प्रतिशत था और मेरे पास है, आप चाहे तो, इस साल 2002 का परिणाम 55 प्रतिशत रहा है। 1994 में 45.5 प्रतिशत, 1995 में 47.79 प्रतिशत, 1996 में 47.08 प्रतिशत, 1997 में 47.01 प्रतिशत, 1998 में 46.87 प्रतिशत, 1999 में 45.82 प्रतिशत और 2002 में 55 प्रतिशत बोर्ड का परीक्षा परिणाम रहा है। (व्यवधान) एक मिनट। आप बाद में बोल लें। प्लीज। मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सैकण्ड, मैं इतना ही पूछ रहा हूं कि आप राजकीय विद्यालयों का प्रतिशत बता रहे हैं या टोटल विद्यालयों का बता रहे हैं? मेरा कहने का मतलब यह है कि राजकीय विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी व्यवस्था हम करते हैं, उन बच्चों के परिणाम का प्रतिशत क्या है?

डा. बी. डी. कल्ला : यह टोटल बोर्ड का परीक्षा परिणाम है, वह आपको बताया है।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बातें कही गयीं, शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए भी हमने काफी प्रयत्न किये हैं। ग्यारहवीं कक्षा के लिए समान वार्षिक परीक्षा योजना लागू की गयी है ताकि पूर्व बोर्ड परीक्षा का उसको अभ्यास करने का मौका मिले, और मैं समझता हूं यह प्रयोग काफी अच्छा रहा है, इसके अच्छे परिणाम हमारे सामने आये हैं। बालिका शिक्षा के लिए 407 माध्यमिक एवं 372 उच्च माध्यमिक विद्यालय केवल बालिकाओं के लिए शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और इनमें भी हम एक से आठ तक जो कक्षा में पढ़ते हैं उनको निःशुल्क पुस्तकें वितरित

(डा. बी. डी. कल्ला)

कर रहे हैं। कक्षा नौ से बारह तक के लिए बुक बैंक की योजना खास तौर से चलाने की बात कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम के बारे में मैंने आपको अभी बताया।

अब मैं आपको खास तौर से यह बताना चाहता हूं कि जो बच्चियां बोर्ड की परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से ज्यादा मार्क्स लेकर आती हैं उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। यह निश्चित रूप से आपके समय की योजना है जिसको हमने चालू रखा है और प्रति बालिका एस.सी., एस.टी., अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के जितने भी बच्चे-बच्चियां अपने-अपने ग्रुप में फर्स्ट रहती हैं उनको पांच हजार रुपये प्रियदर्शिनी पुरस्कार के रूप में दे रहे हैं।

इसके अलावा बालिका शिक्षण शिविर, लोक जुम्बिश के माध्यम से शिक्षा मित्र केन्द्र, स्वास्थ्य शिक्षा केन्द्र, बालिका मेला, किशोरी मंच बालिका मोटीवेटर, महिला प्रेरक और डी.पी.ई.पी. इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने का हमने पूर्ण प्रयास किया है। इसके अलावा वर्ष 2001-2002 में 11वीं एवं 12वीं कक्षा हेतु 624 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा हमने लागू की। 1619 मदरसों के लिए दो करोड़ आठ लाख रुपये की राशि हमने खर्च की और इसके अन्तर्गत हर मदरसे में निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया, वहां पैराटीचर्स का इन्तजाम किया। उर्दू अध्यापकों की भर्ती पूर्ववर्ती सरकार ने बिलकुल नहीं की थी, हम लोगों ने 302 अध्यापक थर्ड ग्रेड के और 200 वरिष्ठ अध्यापक सैकण्ड ग्रेड के उर्दू के भरे।

इसके अलावा इस सदन को खास तौर से यह बताना चाहता हूं कि भारत-पाक युद्ध के दौरान कारगिल युद्ध में जो लोग शहीद हुए उनके नाम से हमने राज्य के 66 प्राथमिक, 52 उच्च प्राथमिक और 85 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नामकरण किया।

उपाध्यक्ष महोदय, दृष्टिहीन (अन्ध) विद्यालयों को शत-प्रतिशत अनुदान देने का काम इस सरकार ने किया जिसकी कोई मांग नहीं थी। बी.एड. जो दृष्टिहीन विद्यार्थी करते हैं, उनसे भी किसी प्रकार का कोई राजकीय शुल्क नहीं लिया जाएगा। विधवाओं के बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर वर्ष 2002-03 से निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में पदों को भरने के लिए काफी बातें माननीय सदस्यों ने अलग-अलग तौर पर उठायीं, मैं उनका नाम न लेकर एक साथ उनका उत्तर देना चाहूंगा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक पदों

(डा. बी. डी. कल्ला)

को भरने की प्रक्रिया/कार्य योजना तैयार कर ली गयी है, अगले सत्र में इन सभी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। सभी संवर्ग के पद जो डी.पी.सी. से भरे जाने हैं, उनकी डी.पी.सी. आयोजना की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

विपक्ष के नेता महोदय शायद इस बात को जानते हैं कि डी.पी.सी. की कार्यवाही राजस्थान के किसी भी विभाग में, कुछ मामले न्यायालय में चल रहे थे, न्यायालय की प्रकिया के अन्तर्गत डी.पी.सी. रुकी हुई थी। अब सभी विभागों में डी.पी.सी. शुरू हो गयी है और शिक्षा विभाग में डी.पी. सी. की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कब रुकी और कब चालू हुई, यह तारीख बता दो?

डा. बी. डी. कल्ला : शीघ्र ही पदोन्नति की बैठक आयोजित कर चयनित आशार्थियों से रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। सीधी भर्ती के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक के 529 पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संवीक्षा परीक्षा आयोजित की जाकर भर्ती प्रकिया जारी है। इसी प्रकार 1281 व्याख्याताओं के पदों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया जारी है। कुछ लोग सलैक्ट होकर आ गये हैं उनका हमने पदस्थापन कर दिया है।

अध्यापक ग्रेड सैकण्ड के 1658 पदों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी थी जिनमें से 496 पदों को भर दिया गया है। शेष पद माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण लम्बित हैं। गैस्ट फैकल्टी योजना के अन्तर्गत वर्तमान में रिक्त 1715 व्याख्यताओं के पदों पर तथा वरिष्ठ अध्यापकों के 2046 पदों पर अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपरेशन ब्लैक बोर्ड विस्तार योजना के अन्तर्गत राज्य के 4500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दो करोड़ 61 लाख की दरी-पट्टी एवं फर्श उपलब्ध कराये जाएंगे। वर्ष 2002-03 में क्रमोन्नत 414 माध्यमिक विद्यालयों के लिए कक्षा दस के स्टाफ का सृजन किया जाएगा जिस पर लगभग 3.12 करोड़ रुपये व्यय सम्भावित है।

श्री रामसिंह विश्नोई (कृषि मंत्री) : सोच-समझ कर बोलना वरना अगली बार वह उधर से ही बोलेंगे।

डा. बी. डी. कल्ला : हां, समझकर बोलूंगा। विषय एवं संकाय की मांग को ध्यान में रखते हुए दस नये विषय एवं दस नये संकाय राजकीय विद्यालयों में खोले जाएंगे। जोधपुर एवं बीकानेर में क्रमशः मूक, बधिर एवं अन्य विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु तीन करोड़ इकसठ लाख रुपये तथा बांसवाड़ा में नवीन

(डा. बी. डी. कल्ला)

मूक बधिर विद्यालय की स्थापना के लिए एक करोड़ तिहेत्तर लाख रुपये व्यय किये जाएंगे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए बुक बैंक हेतु एक करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य के एक हजार माध्यमिक तथा एक हजार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पन्द्रह करोड़ रुपये की लागत के फर्नीचर एवं उपकरण उपलब्ध करवाये जाएंगे। 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय के लिए फर्नीचर एवं उपकरण हेतु एक करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। विद्यालय सहभागी मरम्मत योजनान्तर्गत भवन निर्माण एवं कक्षों के निर्माण हेतु दो करोड़ रुपये की राशि इस बजट में प्रावधित की गयी है। इसी प्रकार विद्यालयों में भवन मरम्मत, अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। एडीशन एवं अल्ट्रेशन के लिए तीन करोड़ पांच लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। कक्षा एक से आठ तक के छात्र-छात्राओं के लिए राज्य के विद्यालयों में बाल सभा के आयोजनों की व्यवस्था की गयी है। आगामी शिक्षा सत्र जो जुलाई से प्रारम्भ हो रहा है, राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा एक से बारह तक के बालक-बालिकाओं के लिए बाल सभा का आयोजन प्रभावी रूप से किया जाएगा।

इसके अलावा अध्यापक-अभिभावक की एक महीने में कम से कम एक मीटिंग रखी जाएगी। सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास समिति का गठन किया जा रहा है जैसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किया गया था।

सभी राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित रूप से वार्षिकोत्सव मनाये जाने के आदेश किये जा रहे हैं। (व्यवधान) अब मैं एक और, उपाध्यक्ष महोदय, फिर मैं जो माननीय सदस्यों ने बोला है उसके बारे में कटौती प्रस्तावों के बारे में जवाब दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो बोल नहीं रहे हो न आप।

डा. बी. डी. कल्ला : आगामी वर्ष से सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सतत् शिक्षा केन्द्र के तहत सार्वजनिक ग्रामीण पुस्तकालय व वाचनालय खोले जाने की योजना है ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षित एवं नव साक्षर ग्रामीण इसका लाभ उठा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर पश्चिम से आने वाले माननीय सदस्य ने लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के बारे में कुछ प्रकाश डाला और उसके बाद नई शिक्षा नीति के बारे में बातें कहीं। नई शिक्षा नीति पूरे देश के बुद्धि-जीवियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री

(डा. बी. डी. कल्ला)

राजीव गांधीजी ने लागू की और उसके अच्छे परिणाम रहे। शिक्षा को व्यवसाय से, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन से जोड़ा गया। लेकिन मुझे अफसोस है कि वह व्यवसायिक शिक्षा पूर्ववर्ती सरकार ने समाप्त कर दी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने लागू कर दी न चार साल में?

डा. बी. डी. कल्ला : इसी प्रकार से बालिका शिक्षा के लिए शाला भवनों की समस्या, राजीव गांधी पाठशालाओं के लिए भवनों की समस्या की बात यहां उठाई गयी थी, मैं कहना चाहता हूं कि लगभग पन्द्रह हजार राजीव गांधी पाठशालाओं के भवन बन गये हैं, उनके पीने के पानी का इंतजाम प्राय: प्राय: कर दिया गया है और मैं चाहता हूं आने वाले समय में जिनके भवन बचे हैं या जो हैण्ड पम्पूस वगैरह लगने हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करनी है उनको एक सुनियोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत हम कर देंगे।

इसके अलावा सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने शिक्षा के पिछड़ेपन के बारे में और गुणात्मक सुधार के बारे में कुछ सुझाव दिये। आपने कुछ रिक्त पदों को भरने के बारे में भी सुझाव दिये। वर्ष 1999-2000 में जितने भी पदों की आवश्यकता थी और जो स्कूलें क्रमोन्नत की गयी थीं, उनके पद सृजित कर दिये गये। राजस्थान की अकाल और अभाव की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा, एक तरफ हमें केन्द्र सरकार की तरफ से पूरी मदद नहीं मिलती, हमको अपनी योजनाओं और अन्य हमारे जो आवश्यक खर्चे हैं उनमें कटौतियां मजबूरी से करनी पड़ती हैं, जिसके कारण से वित्त विभाग चाहते हुए भी हमको पद नहीं दे पाया। लेकिन मुझे विश्वास है, हमारा शिक्षा विभाग वित्त विभाग से निरन्तर एप्रोच कर रहा है कि हम आने वाले इस एक वर्ष में पिछले दो वर्ष के जितने भी पद सृजित होने चाहिए थे, उसको कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ऐसा मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अकाल का पैसा उधर दिया है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पैसा कहां है? बजट में प्रोविजन किया नहीं, क्यों थोथी घोषणा करते हो?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनो।

डा. बी. डी. कल्ला : शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने समानीकरण के बारे में बात की, मैं समझता हूं प्रतिपक्ष के नेता जब स्वयं शिक्षा मंत्री थे तो बहुत करते थे, समानीकरण की आग में आपने उंगली नहीं डाली।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : डाली है।

डा. बी. डी. कल्ला : यह तो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान जलदाय विभाग के मंत्री और हमारे वर्तमान पर्यटन

(डा. बी. डी. कल्ला)

मंत्री और मैंने, तीनों ने अपने अपने कार्यकाल में समानीकरण किया। एक एक वर्ष में पन्द्रह हजार अध्यापकों को जो शहरों में बैठे हुए थे, जहां काम नहीं था उनको हमने गांवों में लगाया और वैटर मैनेजमेंट करके राजस्थान की शिक्षा का प्रबंधन हमने अच्छे तरीके से किया। पन्द्रह हजार शिक्षकों को हमने निकाल कर गांवों में जहां अध्यापक नहीं थे वहां पर लगाया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इतना-सा बता दे कि यह समानीकरण मेरे कार्यकाल में हुआ कि नहीं हुआ? पूछकर बता देना।

डा. बी. डी. कल्ला : आपने क्या किया, आप बात दीजिए क्या प्रगति हुई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं कह रहा हूं समानीकरण मेरे समय में प्रारम्भ किया और सौ करोड़ रुपया उसी साल मैंने समानीकरण में बचाया। वित्त विभाग इसकी...

डा. बी. डी. कल्ला : आपने कितने शिक्षकों को लगाया समानीकरण में?

श्री संयम लोढ़ा : तीन सौ करोड़ बचाया...(व्यवधान) अब आपको क्या दिक्कत आ रही है उसमें?

डा. बी. डी. कल्ला : हमने 300 करोड़ रुपये बचाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी बोलिए। उसमें क्या फर्क पड़ता है आपने क्या नहीं किया, इन्होंने क्या किया?

डा. बी. डी. कल्ला : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी समानीकरण के बारे में कुछ बातें बताई जिसका मैं उत्तर दे चुका हूं। इसी प्रकार आपने फर्नीचर की मांग की, फर्नीचर के बारे में इस बजट में काफी प्रावधान है, जो मैंने आपको बता दिया है।

बैर से आने वाली माननीय सदस्य ने जो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन का सुझाव दिया था उसके बारे में गुंणावगुण के आधार पर विचार करेंगे। नैतिक शिक्षा के ऊपर निश्चित रूप से हम बल दे रहे हैं ताकि व्यसन मुक्त समाज की संरचना हो। आज हर बालक-बालिका के जेब में कोई गुटखा, चुटकी वगैरह रहता है। हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम शिक्षकों के प्रशिक्षण में इस बात को जोड़े कि वह व्यसन मुक्त समाज की संरचना करने के लिए एक अच्छे शिक्षक का दायित्व निभाए और हमारी आने वाली पीढ़ी व्यसन मुक्त बने।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : पूर्व मंत्रीजी की जेब में गुटखा है तो शिक्षक और विद्यार्थी कैसे बचेगा?

श्री रतनाराम चौधरी : कल्लाजी, थोड़ा पैराटीचर्स पर भी प्रकाश इसमें जरूर डालना।

डा. बी. डी. कल्ला : मैं लास्ट में बोलूंगा। झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने शिक्षाकर्मी योजना के बारे में यह बताया कि इसके लिए चार सौ करोड़ रुपये का बजट...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 240...

डा. बी. डी. कल्ला : 240/123/98 करोड़ यह आपने बताया। मैं इस सम्बन्ध में आपसे खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि शिक्षाकर्मी योजना को 2003 के बाद हम जिस तरीके से लागू कर रहे हैं उसमें पर्याप्त बजट हमारा खर्च हुआ है, 200 करोड़ से ऊपर का बजट खर्च हो चुका है और जो फंडिंग एजेंसी है उन्होंने इस बात की सराहना की है कि राजस्थान अच्छा काम कर रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके प्रगति प्रतिवेदन से ही बताया। मैंने बताया कि 98 करोड़...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : पैराटीचर्स की आत्महत्याओं के बारे में जो बातें बतायी...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 123 करोड़ रुपये (व्यवधान) खर्च किया है।

डा. बी. डी. कल्ला : उसका मैं खण्डन करता हूं। जिन जिन लोगों ने आत्महत्याएं की, अपने सामाजिक और पारिवारिक कारणों से उन्होंने आत्महत्या की। इसका मैं खण्डन करता हूं। (व्यवधान)

बोनस अंकों के आधार पर नियुक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 10.10.2002 को जो फैसला दिया था उसी को लागू करने के निर्देश जारी कर दिये हैं और कई स्थानों पर जिला परिषदों में नियुक्तियां भी कर दी गयी हैं। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रेगिस्तानी इलाकों में...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप मुझे एक भी जिला परिषद् का नाम बता दीजिए जहां नियुक्ति हो गयी है। एक का बता दो आप। एक जिला परिषद् का बता दो, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा।

डा. बी. डी. कल्ला : आपको अलग से सूचना दे दूंगा। मेरे पास पर्याप्त सूचना है कि जिला परिषदों ने नियुक्तियां निकाल दी हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक जिला परिषद् का नाम बता दे न?

श्री अमराराम (धोद) : एक का ही बता दो अलग से क्या।

डा. बी. डी. कल्ला : मैं बता दूंगा आपको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या बता देंगे आप? आपके पास नाम तो है नहीं, क्या बता देंगे?

श्री अमराराम (धोद) : 32 जिला परिषदें हैं उनमें से एक का बता दो।

श्री संयम लोढ़ा : आप तो सबका लिखित में भिजवा देना जवाब। मंत्री महोदय, सबका लिखित में भिजवा देना जवाब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या मतलब हुआ? एक का नाम नहीं बता सकते, लिखित में भिजवा देंगे जवाब?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपका दुःख तो झुंझुनूं जिला परिषद् का है जहां शीशरामजी के सुपुत्र जिला परिषद् के प्रमुख हैं। वह नहीं करते हैं आपका, बाकी सब जगह हुए हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पूरे राजस्थान के 32 जिलों में से किसी एक जिले का नाम तो बता दें, झुंझुनूं की बात तो छोड़िए। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, 23 प्रकरणों में 130 अभ्यर्थी थे, 124 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। छह को नियुक्ति नहीं दी गयी है। दो जैसलमेर में मेरिट में जो स्टैण्ड नहीं करते थे, उनको नहीं दी। एक ने इंटरव्यू नहीं दिया और तीन सर्टिफिकेट वैरीफिकेशन के लिए भेजे गये हैं-124 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कब दी, यह तो बता दीजिए? तारीख तो बताइये।

डा. बी. डी. कल्ला : 10.10.2002 के निर्णय के बाद, अब मैं एक एक का आपको बताऊंगा कि कब दे दी गयी. (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक को भी नहीं दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न माननीय मंत्रीजी।

डा. बी. डी. कल्ला : नावां से आने वाले माननीय सदस्य ने सैकण्डरी स्कूल और सीनियर सैकण्डरी स्कूलों की क्रमोन्नति की मांग की है, जब स्कूलें खुलेंगी तब गुणावगुण के आधार पर विचार कर लिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी पाठशालाओं में केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, आरक्षण का ध्यान रखा। यह निश्चित सही बात है। पूर्ववर्ती सरकार ने शिक्षाकर्मी योजना लागू की, आरक्षण का बिलकुल ध्यान नहीं रखा। लेकिन हमारी सरकार ने शुरू से ही राजीव गांधी पाठशालाओं में जो आरक्षित वार्ड है, चाहे वह एस.सी., एस.टी. या ओ.बी.सी. का हो, आरक्षित वार्डों में उन्हीं जातियों के अध्यापकों की नियुक्ति की ताकि किसी भी प्रकार का बैकलाग न रहे।

इसी प्रकार बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने व्याख्याताओं के वेतनमान का मामला बताया। यह वित्त विभाग और हमारे दोनों के बीच विचाराधीन है।

धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कम्प्यूटर फीस के बारे में कुछ बातें बतायीं। इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के स्कूलें में कम्प्यूटर की फीस निकालने के लिये पारदर्शिता के आधार पर टेण्डर किये गये थे और उसके आधार पर 50 रुपये न्यूनतम फीस है। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में 50 रुपये फीस बता दीजिये। सौ रुपये, डेढ़

(डा. बी. डी. कल्ला)

सौ रुपये, दो सौ रुपये, पांच सौ रुपये तक की फीस कम्प्यूटर के नाम पर प्राइवेट स्कूलें वसूल कर रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) एक मिनट, मेरे बोलेन के बाद आप बोल लेना...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पारदर्शिता की परिभाषा क्या है?

श्री अमराराम (धोद) : पचास रुपये प्रति महीने ले रहे हैं तो फिर छह सौ किस बात के ले रहे हैं?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी :...(व्यवधान) जो ध्यान रखता था उनके लिये तो कम करो...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रताप सिंहजी, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, फीस की बात नहीं है, कम्प्यूटर ही नहीं है।

श्री मदन दिलावर : शब्द को बदनाम कर दिया इन्होंने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जहां कम्प्यूटर नहीं है वहां फीस नहीं वसूली जाएगी और जब कम्प्यूटर उपयोग में आएगा तभी से फीस ली जाएगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : वहां विद्युत कनेक्शन ही नहीं है।

डा. बी. डी. कल्ला : जब कम्प्यूटर नहीं होंगे उस समय कोई फीस नहीं ली जाएगी, ऐसा परिपत्र जारी कर दिया गया है। पचपदरा से आने वाले माननीय सदस्य ने...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जिस जगह ले ली गयी है उसको वापस करेंगे क्या? जो फीस ले ली गयी है उसको वापस कब तक करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : बैठो।

डा. बी. डी. कल्ला : जहां कम्प्यूटर नहीं था और फीस ले ली गयी है वह फीस उसी दिन की चार्ज नहीं की जाएगी। जब कम्प्यूटर काम करेगा वहीं से फीस ली जाएगी। इसका आगे एडजस्टमेंट कर लिया जाएगा। उस फीस को आगे की फीस में एडजस्ट कर लिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कब तक वापस कर दोगे? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जो फीस ले ली गयी है उसको कब तक वापस करोगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रताप सिंहजी (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : बिजली का मीटर टैस्ट कर लिया जाए, कई स्कूलों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, ले ली गयी फीस वहां...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वह फीस वापस होनी चाहिये, कनेक्शन ही नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : फिर खड़े हो गये आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एडजस्ट का नहीं है, बिजली का कनेक्शन ही नहीं हुआ और कम्प्यूटर रखे हुए हैं, उनके लिये क्या सोचते हैं आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उन बच्चों की परीक्षा कैसे होगी? कम्प्यूटर जहां नहीं हैं, उनकी परीक्षा कैसे होगी? वहां कैसे पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, कैसे परीक्षा में बैठेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज माननीय प्रताप सिंहजी, बैठिये आप। माननीय सदस्य, मैंने आपको निवेदन कर दिया इनका समाप्त होने दीजिये, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लें फिर क्या बात है? कह दिया न मैंने Why are you so agitating? That is for him to decide. I cannot...

आपके कहने से क्या होता? कहे जो वो मान लेते हैं, फिर क्या बात है?

डा. बी. डी. कल्ला : धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने विषय खोलने के बारे में बातें बतायीं। इस साल दस नये विषय खोले जाएंगे और बजट के अलावा कोई भी संस्था नया विषय खोलती है तो उसके लिये स्ववित्त पोषित योजना है।

इसके अलावा हमने कम से कम पूर्ववर्ती सरकार की तरह यह तो नहीं किया कि पांचवीं तक की स्कूल खोलनी है तो दो लाख रुपये सरकार में जमा कराओ, पांच लाख जमा कराओ, सात लाख जमा कराओ। शिक्षा का जो विस्तार...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : प्राइमरी के लिये नहीं था, सैकण्डरी सीनियर सैकण्डरी के लिये था। गलत बात क्यों कर रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सैकण्डरी सीनियर सैकण्डरी. के लिये था, प्राइमरी के लिये कोई पैसा नहीं था...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरा रामजी। माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठिये। यह कोई तरीका नहीं है, आप बैठिये।

डा. बी. डी. कल्ला : पिछले चार वर्षों में राजस्थान में लगभग 42,500 संस्थाएं खुली हैं, इससे राजस्थान में शिक्षा में साक्षरता का प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कितना पैसा लिया गया, यह बताएं? प्राइमरी स्कूल खोलने के लिये कितना पैसा कब लिया गया, माननीय मंत्री महोदय बताएं? यह विधान सभा में गलतबयानी कर रहे हैं। पांचवीं क्लास खोलने के लिये कितना पैसा लिया गया, यह बताएं? चाहे जो +++ मंत्री महोदय के मन में आए जो ही +++ यह सदन है या मजाक है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. बी. डी. कल्ला : विपक्ष के नेता महोदय ने एस्टीमेट्स को लेकर यह बता दिया कि यहां इन्होंने इतना बचा लिया,

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. बी. डी. कल्ला)

यहां इतना बचा लिया। आप स्वयं इस बात को समझते हैं कि जो नान प्लान का बजट है उसमें तो राज्य सरकार को बचत करनी चाहिये। यह बजट एस्टीमेट है और बजट...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : निष्पादन व्यय है...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : एस्टीमेट्स में निश्चित रूप से एक साल का कोई बजट बता दें इस राजस्थान की विधान सभा में, जब बजट एस्टीमेट्स और एक्चुअल खर्चे में कभी कोई अन्तर नहीं रहा हो। इसलिये इन किताबों को दिखाना, हमने भी बहुत किताबें दिखायी हैं। लेकिन इन चीजों को लेकर मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान में शिक्षा का बजट निरन्तर बढ़ा है और पिछले चार सालों में रिमार्केबल प्रगति हुई है राजस्थान में। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या चाहते हो, कह रहे हो? (व्यवधान) कम है, यूं फालतू ही? टू दी पाइंट है कि 133 करोड़ रुपया बचाया। बता दो 133 करोड़ बचा कि नहीं बचा? क्या बात कर रहे हैं आप? 233 करोड़ रुपया बचा कि नहीं बचा सैलेरी हैड में? ऐसे ही कहते हैं? क्या चाहते हैं, आप बताएं? एक प्रश्न का तो जवाब देते नहीं और बिना बात की बात करते हैं। ठहराव के बारे में तो बताया नहीं। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : हमने तीन सौ करोड़ रुपया समानीकरण में बचाया है, हमने शिक्षा का प्रबंधन किया है।

प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने शारीरिक शिक्षकों के लिये कहा कि इनकी नियुक्तियां बिलकुल नहीं कीं। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताया चाहता हूं कि सैकण्ड ग्रेड के 90 अध्यापकों की नियुक्ति की गयी, थर्ड ग्रेड के 288 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की गयी, 784 पैरा शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की गयी...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हद हो गयी। लिखा हुआ पढ़ते हो, कोई मजाक है।

डा. बी. डी. कल्ला : अब आप यह कहते हो, गैस्ट फैकल्टी की व्यवस्था आपके वक्त में भी थी और हमारे वक्त में भी है...(व्यवधान) लेकिन मैं सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चहता हूं कि गैस्ट फैकल्टी में अब हम न केवल सेवानिवृत्त, बल्कि जो पात्र लोग हैं, बी.एड., एम.एस.सी., एम.कॉम., एम.ए. किये हुए लोग हैं, ऐसे शिक्षित बेरोजगारों को भी सम्मिलित करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न बहुत।

डा. बी. डी. कल्ला : इसके अलावा आपने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के जो

(डा. बी. डी. कल्ला)

सुझाव दिये हैं उन सुझावों का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन कई बार आदमी स्वयं की बड़ाई करके बहुत समा जाता है। हम यह कहना चाहते हैं, आप भी कम से कम जब शिक्षा के बारे में सोचे तो एक ऐसा इनडिपेंडेंट आपको विचार रखना चाहिये कि जो हमने अच्छाई के काम किये हैं उनके बारे में भी गौर करें।

आपने कहा कि मैंने शिक्षा का एटलस बनाया, मैं कहता हूं आपने अच्छा काम किया। लेकिन हम लोगों ने उस एटलस को और आगे बढ़ाया। हमने राज्य में जो राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं, यहां दो सौ में से कोई एक भी सदस्य यह कह सकता है कि हमने उसमें भेदभाव किया है? भेदभाव कोई नहीं किया। पूरे राज्य में जितने भी गांव दो सौ की आबादी के हैं और जहां चालीस विद्यार्थी मिल गये हैं, रेगिस्तानी और आदिवासी इलाकों में जहां पच्चीस विद्यार्थी मिल गये हैं, हमने राजीव गांधी पाठशालाएं खोली हैं। गांवों में, मजरों में, ढाणियों में, सब स्थानों पर, एक भी सदस्य ने नहीं कहा कि मेरे यहां राजीव गांधी पाठशाला नहीं खुली। क्यों नहीं कहा? इसलिये नहीं कहा कि हमने सारे राज्य में समानता के आधार पर राजीव गांधी पाठशालाएं खोली।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बहुत अच्छा, बहुत अच्छा...

डा. बी. डी. कल्ला : और प्राय: प्राय: हर पंचायत मुख्यालय पर हमने उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले हैं। एक-दो स्थानों पर नहीं खुले हैं तो मेरी यह कोशिश रहेगी कि माननीय वित्त मंत्रीजी से मैं इसी वर्ष कुछ उच्च प्राथामिक शालाओं की स्वीकृति लूं और जो पंचायत मुख्यालय हैं, उच्च प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह गये हैं, उनको प्राथमिक के आधार पर मैं खोलने का प्रयास करूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या हुआ ठहराव, ठहराव?

डा. बी. डी. कल्ला : माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव अलग-अलग प्रस्तुत किये हैं, मैं उनका लिखित में जवाब विभाग की ओर से भिजवाऊंगा।

अंत में, पैराटीचर्स के बारे में जो बातें आपने उठायीं, पैराटीचर्स की कहां नहीं लगे हुए है? क्या गुजरात में नहीं लगे, मध्य प्रदेश में नहीं लगे हुए हैं? वहां पर क्या स्थिति है? कुछ राज्य 800 रुपये पैराटीचर्स को दे रहे हैं, कुछ राज्य 1100, 1200 रुपये दे रहे हैं। राजस्थान में पैराटीचर्स को 1200 रुपये पहले साल में, दूसरे साल 1400 रुपये, तीसरे साल 1600 रुपये और चौथे साल 1800 रुपये दे रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गवर्नर एड्रेस का प्रत्युत्तर देते समय यह घोषणा की थी कि हम इसके बारे में नियमों में संशोधन कर रहे हैं और चार साल के जो पैराटीचर्स

(डा. बी. डी. कल्ला)

हैं उनको अनुभव के आधार पर थर्ड ग्रेड टीचर्स में बदलने का प्रयास करेंगे।

श्री मदन दिलावर : जब इस सरकर की अंतिम सांसें निकलेगी तब करोगे क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बुलाऊंगा न आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 19 नबम्बर, 2001 को जो समझौता किया था उसको लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सरकार और पैराटीचर्स के बीच में जो समझौता हुआ उसको लागू कर रहे हैं कि नहीं, यह बताइये आप? समझौता आपने किया, आपने कहा चार साल बाद नियमित उनको वेतन देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्रजी, बैठिये।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जो थर्ड ग्रेड टीचर्स की पात्रता रखेगा, ऐसे व्यक्तियों को चार साल के अनुभव के बाद हम थर्ड ग्रेड टीचर्स बनाने के लिये नियमों में संशोधन करने जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, विराजिये, माननीय सदस्य।

डा. बी. डी. कल्ला: उपाध्यक्ष महोदय, जो थर्ड ग्रेड टीचर्स की पात्रता रखेगा, ऐसे व्यक्तियों को चार साल के अनुभव के बाद हम थर्ड ग्रेड टीचर्स बनाने के लिये नियमों में संशोधन करने जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, विराजिये, माननीय सदस्य।

डा. बी. डी. कल्ला : अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करता हूं कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान) क्या पूछ रहे थे आप?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, there is no controversy about it,

मंत्रीजी, मैं आपको आपकी बात के ऊपर ही कह रहा हूं कि यह कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, आपने कोर्ट में कोई भी ज़वाब दिया होगा, कोर्ट में तो आपको केस कंटेस्ट करना पड़ता है। आप रेस्पांसिबिलिटी को ओन नहीं कर सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने महामहिम के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो जवाब दिया है वह महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा हूं कि आप इसको इलेबोरेट करें कि आप किस तरह से इनको नियमित करेंगे और कब-कब लेंगे, क्योंकि मूल सिद्धांत की जो घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की थी कि चार साल की सर्विसेज के बाद में उन सबको रैगुलराइज करेंगे।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

अभी आपने इंस्टालमेंट में दस हजार या कुछ संख्या बतायी है, लेकिन सिर्फ एक वर्ग को आपने लिया है। पैराटीचर्स डी.पी.ई.पी. में भी हैं, पैराटीचर्स शिक्षा सहयोगी भी हैं, पता नहीं कितने नाम और जिनको चार साल हो गये, उनको आप करने का विचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप तो जो मुख्य मंत्रीजी की घोषणा है उसके अनुरूप थोड़ा-सा मार्गदर्शन कर दें, इलेबोरेट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न उन्होंने

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न, क्या नहीं कहा है? आप क्या बोल रहे हैं? what is this?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन यह है कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करनी है, पैराटीचर्स बहुत परेशान हैं, वह थोड़ा जवाब आ जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, आ जाएगा, आ जाएगा, विराजें भाटीजी।

श्री ललित भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो मैंने मेरी अभिव्यक्ति के दौरान कही थी, राजस्थान में अगर यह हादसा हुआ तो वह एक अकेला विद्यालय होगा। मैंने आपका ध्यानाकर्षित करते हुए कहा था कि पांच-छह सौ बालिकाएं शिड्यूल्ड कास्ट की, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की, माइनोरिटी की, ओ.बी.सी. की पढ़ रही हैं और वह भी सैकण्डरी में पढ़ रही हैं, 30 जून के बाद उनके सामने एक संकट खड़ा हो रहा है उसके ऊपर तो आपने कोई बात ही नहीं कही है।

श्री उपाध्यक्ष : इनको बोल लेने दो।

डा. बी. डी. कल्ला: उपाध्यक्ष महोदय, इस संस्था के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

श्री ललित भाटी : वही मैं जानना चाहता था क्योंकि हम उन्हीं गलियों से इन गलियारों में आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, हो गयी न बात।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो मैंने फिगर्स दिये थे, हम जितनी योजनाएं प्राथमिक शिक्षा में लाये हैं, सब ठहराव को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए लाये हैं। डी.पी.ई.पी. के प्रोजेक्ट के पीछे भी मंशा यही थी कि हम ड्राप आउट को 10 प्रतिशत लाएंगे और उसी के लिये हमको 800 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक ने दिये थे। मैंने जो आंकड़े दिये हैं आपका ठहराव और कम होता चला जा रहा है। मैं 1994-95 से आंकड़े देते हुए ठेठ नीचे तक आया हूं कि दोनों में ही, प्राथमिक में भी और उसके बाद

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उच्च प्राथमिक में भी ठहराव कम हुआ है। एक तो आप इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि आपका जो 133 करोड़ रुपया बचा है, पिछले साल प्राथमिक में और माध्यमिक में यह सैलरी हैड का, टीचर नहीं लगाने का बचा है कि नहीं बचा है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे रेल विभाग ने थर्ड क्लास को अब हटा ही दिया, माननीय मंत्री महोदय यह थर्ड ग्रेड का जो टीचर्स पर आपने लेबल चस्पा कर रखा है, उसको थर्ड ग्रेड के बजाय मात्र अध्यापक रखने का विचार रखते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब। विराजें, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : आपने कहा है कि हम अध्यापकों के पद नई भर्ती से भरेंगे, तो क्या एक जुलाई से एक भी विद्यालय में अध्यापक का पद रिक्त नहीं रहेगा?

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो ठहराव के बारे में प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने बताया, ठहराव का आकलन तो हम 2003 में परीक्षाएं होंगी उसमें कितने विद्यार्थी बैठेंगे उसके बाद में करेंगे। बीच में कैसे बता सकते हैं कि ठहराव कितना रहा है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको नहीं समझा पाया। मैंने आपको हर साल के ठहराव के आंकड़े दिये हैं, 1993-94 से दिये हैं, और मैंने कहा है कि 1998 के बाद ठहराव घट रहा है। मैंने एक साल के नहीं दिये हैं, 1993-94 से शुरू किया है और 2000-2001 तक आ गया। 34 प्रतिशत ठहराव ठहर गया है। हर साल के आंकड़े दिये हैं, इस साल का तो दिया ही नहीं है।

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है ड्रांप आउट की प्राब्लम को हल करने के लिए "शिक्षा आपके द्वार" कार्यक्रम चलाया था और मैंने इस सदन को बताया था कि जिसके माध्यम से 23 लाख से अधिक बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे थे या ड्राप आउट हो रहे थे उनमें से 21 लाख से ऊपर विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत नामांकन के अन्तर्गत ले लिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप ठहराव का मतलब समझ रहे हैं?

डा. बी. डी. कल्ला : आप ड्राप आउट को नहीं समझ रहे हैं, ठहराव और ड्राप आउट एक ही बात है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ठहराव का मतलब यह होता है कि पहली में एडमिशन के बाद पांचवीं में कितने बच्चे रह जाते हैं, यह है ठहराव।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप क्या कह रहे हैं, बोले।

डा. बी. डी. कल्ला : हर कक्षा का ठहराव का अलग–अलग होता है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें प्लीज। आप क्या कह रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा : मंत्री महोदय ने जो अभी बताया, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि प्रारम्भिक शिक्षा में गुजरात में शिक्षा सहयोगी को विद्या सहायक के रूप में लेते हैं और आज की तारीख में वहां विद्या सहयोगी को 2500 रुपया महीना देते हैं, तो आप भी उनका पैसा बढ़ाओ। आज की तारीख में विद्या सहयोगी को 2500 रुपया दे रहे हैं इसलिए आप भी उनका पैसा बढ़ाओ।

श्री उपाध्यक्ष : डा. श्रीमती कमला। आर्डर प्लीज आर्डर प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पैराटीचर्स के बारे में था...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, विराजें।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं भी कहना चाहता हूं... (व्यवधान)

डा. कमला : बहुत पूछ लिया और आपके पास में लिखित में आ जाएगा। (व्यवधान) बहुत समय हो गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य, हो गया।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): नियम बनाकर एक जुलाई से जिनको चार साल पूरे हो गये हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये। माननीय सदस्य विराजें। अंकित नहीं हो। माननीय सुमित्रा सिंहजी, विराजें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्रीमती सुमित्रा सिंह : XXX

डा. श्रीमती कमला : वह लिखित में भेजेंगे इसलिए बैठ जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी, प्लीज, हो गयी बात। यह डिबेट थोड़े ही है, आपने पूछ लिया न? आप सैटिस्फाई नहीं हो?

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम चौधरी : XXX

डा. श्रीमती कमला : उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने बताया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : XXX

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, आपके मंत्रियों के आदेशों की पालना की अवहेलना के बारे में बताना चाहता हूं। आपके द्वारा किये गये स्थानान्तरणों की पालना के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य।

डा. बी. डी. कल्ला : पैराटीचर्स के बारे में जो माननीय मंत्रीजी ने घोषणा की है...

श्री उपाध्यक्षः विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः विराजें, विराजें।

श्री श्रवण कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में मंत्रियों के आदेशों की अवहेलना के बारे में, उसकी पालना के बारे में बताना चाहता हैं, आप सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार : बहुत जरूरी बात है। हमारी सुनना ही नहीं चाहते हैं, हमारी बात सुनें। बहुत इम्प्लीमेंट करने वाली बात है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे क्या? नियमों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, अगस्त माह में पंचायत समिति के अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये, उनकी पालना पंचायत समिति के प्रधान और बी.ई.ओ. ने नहीं की। मंत्रीजी ने बार-बार लिख दिया, सैक्रेटरी ने बार-बार लिख दिया, वे कागज को फाड़ कर फेंक देते हैं और कहते हैं कि मंत्रीजी को वापस दे दो। मुझे बड़े खेद और दुःख के साथ कहना पड़ता है, सदन में दुनिया भर के भाषण देने के बाद हमारे आदेशों की पालना एक प्रधान नहीं करता है। इसमें कोई संशोधन करने जा रहे है? यह केवल झुंझुनूं जिले की बात कर रहा हूं, मैं बाड़मेर, जैसलमेर की नहीं कह रहा हूं। अगस्त मांह से वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन अध्यापकों को जाइन नहीं करवाया जा रहा है। मंत्रीजी बड़े दुःख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है, फिर मंत्री किस बात के होते हैं, जबकि प्रधान और बी.ई.ओ. ही उसकी पालना नहीं करता है और सैक्रेटरी ने बार-बार लिख दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बहुत हो गया, विराजें।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री श्रवण कुमार : क्या हो गया? मंत्री जी जवाब दें, इसका जवाब तो दें कम से कम।

श्री उपाध्यक्षः आप विराजें। आप बोलते न डिबेट पर, किसने रोका आपको?

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, पैराटीचर्स के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में जो घोषणा की है, उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। जो अभी चिड़ावा से आने वाले सदस्य ने...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : नवम्बर, 2001 से जो समझौता हुआ था, उसको लागू करें। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : चिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह मुझे लिखित में दे दें, मैं उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, चार वर्ष जिन अध्यापकों को पूरे हो गये, उनकी सेवा आप नियमित कब तक कर देंगे, आप सीधा स्पष्ट करें, मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुसार? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं, स्वयं मंत्री रहे हैं, नियम वगैरह बनाने में समय तो लगता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कहां के नियम बनाएंगे, सारे नियम तो बने हुए हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप तो मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के अनुरूप यह बता दें, यह कृपा करें, समयबद्ध बता दे कि जुलाई तक, अगस्त तक या कब तक यह आदेश...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्लाः समय सीमा आप जानते हैं कि ये नियम ला से होते हैं, हमारी कोशिश रहेगी, विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है, आप जानते हैं कि आश्वासन कर दिया, इसलिए उसकी क्रियान्विति होगी।

श्री उपाध्यक्षः आप विराजें, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यासः आप सुने, इनके मुख्य मंत्री रहने तक और आपके शिक्षा मंत्री रहने तक क्रियान्विति हो जाएगी क्या?

श्री उपाध्यक्षः माननीय सुरेन्द्रजी विराजें...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावरः नवम्बर, 2001 में पैराटीचर्स और सरकार के बीच में जो समझौता हुआ था वह कब लागू कर रहे हैं? लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री मदन दिलावरः हां, मैं तो बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्षः वह बता रहे हैं।

श्री मदन दिलावरः मैं पैराटीचर्स के बारे में बात कर रहा हूं कि नवम्बर, 2001 में जो समझौता हुआ था पैराटीचर्स और सरकार के बीच में, वह समझौता क्या था और आप उसको कब लागू कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्षः वह जवाब दे रहे हैं, आप विराजें।

श्री मदन दिलावर : आप बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : काड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। माननीय मंत्रीजी, सीधी बात है, ये पूछ रहे हैं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की उसका इम्प्लीमेंटेशन कब तक हो जाएगा, बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब कह रहे हैं, नवम्बर 2001 का फैसला...

डा. बी. डी. कल्लाः उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि नियम बनने में समय लगता है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, वह सब जानता हूं। आप चार महीने, छह महीने, आठ महीने, कहना हो जो कह दो, अब क्या तकलीफ है?

डा. बी. डी. कल्लाः शीघ्रातिशीघ्र।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह कोई जवाब नहीं है।

डा. बी. डी. कल्लाः जल्दी से जल्दी लागू करने का प्रयास करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : काड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। आपके एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं, वह बात गलत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 13 नवम्बर, 2001 को जो फैसला हुआ...(व्यवधान) 13 नवम्बर 2001 को पैराटीचर्स के साथ आपने जो फैसला किया...

श्री उपाध्यक्षः और क्या चाहिए आपको?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह गलत बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ः 13 नवम्बर, 2001 को जो फैसला किया...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्लाः यह लागू नहीं होगा। यह सरकार घोषणा करना चाहती है...(व्यवधान) ये तो, उपाध्यक्ष महोदय, केवल मात्र मुख्य मंत्रीजी ने एकतरफा घोषणा कर दी है इसलिए क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये राजनीतिक बात करते हैं। इनको पता है कि जब सदन में हमने आश्वासन दिया है तो हम नियम आगामी महीनों में बना देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंहः 13 नवम्बर, 2001 को शिक्षा मंत्रीजी ने उनके साथ लिखित समझौता किया, उसका क्या हुआ? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला: आगामी तीन महीनों में नियम बना देंगे। तीन महीनों में बना देंगे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप तो घोषणा करो कि पैराटीचर्स को थर्ड ग्रेड टीचर बना देंगे। (व्यवधान)

डा. श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने तीन महीने का आश्वासन दिया है, तीन महीने के अन्दर लागू हो जाएगा। अब विराजिए। समयावधि बता दी न आपको तीन महीने। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 13 नवम्बर, 2001 को तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी ने लिखित समझौता किया था उनके साथ, उसकी ही पालना नहीं हुई तो अब आपको विश्वास कौन करेगा? कैसे करें?

श्री गुलाब चन्द कटारिया: उसकी पालना नहीं की। एक चीज का जवाब देते नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास: कह रहे हैं करवा देंगे। मैं तो खड़े-खड़े बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कर दूं पास? (व्यवधान) क्या फायदा?

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)

डा. श्रीमती कमला : अभी आपने माननीय उपाध्यक्ष महोदय से जो वादा किया था, उस वादे को आप तोड़ रहे हैं। (व्यवधान) आपने कहा था कि जवाब सुनेंगे। अब सुन नहीं रहे हैं। सुनिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फिर आचार संहिता लागू हो जाएगी और आप तो यूं ही रिकसोगे। (व्यवधान)

डा. श्रीमती कमला: लागू कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लागू करो।

डा. श्रीमती कमला : लागू कर रहे हैं। (व्यवधान) ऐसी जिद् करना उचित नहीं। (व्यवधान) मेरी मानहानि हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो विभाग है उसके माध्यम से मैं इनको यही समझाना चाहती हूं कि आप किस प्रकार से एक जिम्मेदार प्रतिनिधि बन सकते हैं लेकिन ये बनना ही नहीं चाह रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, ये सुनना नहीं चाहते हैं तो डिमाण्ड तो पास करवाइए। डिमाण्ड को पास करवाइए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : शिक्षा की डिमाण्ड को पास करवाइए।

डा. बी. डी. कल्ला: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि जल्दी से जल्दी इस काम को कर देंगे, फिर क्या दिक्कत है?

मांग संख्या-24 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 38,84,63,75,000/-(अड़तीस अरब चौरासी करोड़ तिरेसठ लाख पचहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 22 मार्च, 2003 के प्रांत: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.55 बजे, शनिवार, 22 मार्च, 2003 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-"क"

(तारांकित प्रश्न संख्या-386 का विवरण)

निगम प्रोसेस हाउस के मई, 2001 में अन्य विभागों/निगमों/बोर्डों में समायोजित कर्मियों के सेवा समायोजन निगम में सेवा अवधि में चयनित वेतनमान लाभ दिए जाने/नहीं दिए जाने की स्थिति निम्नानुसार है

क्र. सं.	सेवा समायोजन किए गए कार्मिक का नाम	सेवा समायोजन हेतु निगम के आदेश की तिथि	समायोजन के समय निगम में की गई सेवा अवधि का विवरण	9 वर्ष सेवा पश्चात् चयनित वेतनमान लाभ दिया गया /नहीं दिया गया
1.	श्री प्रभु सिंह	24.05.2001	11 वर्ष 9 माह	दिया गया
2.	श्री मनोहर सिंह	24.05.2001	11 वर्ष 6 माह	नहीं दिया गया
3.	श्री मालूम सिंह	24.05.2001	10 वर्ष 9 माह	नहीं दिया गया
4.	श्री घासी लाल शर्मा	24.05.2001	11 वर्ष 9 माह	नहीं दिया गया

परिशिष्ट-ख

निगम प्रोसेस हाउस के मई, 2001 में अन्यत्र सेवा समायोजन किये गये चार कार्मिकों के मार्च, 2001 एवं अप्रैल, 2001 में देय बकाया वेतन व अन्य परिलाभों का विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	बकाया वेतन व अन्य परिलाभ का विवरण		
		मार्च, 2001	अप्रैल, 2001	योग
1.	श्री प्रभु सिंह	3297.00	3297.00	6594.00
2.	श्री मनोहर सिंह	3185.00	3185.00	6370.00
3.	श्री मालूम सिंह	3191.00	3191.00	6382.00
4.	श्री घासी लाल शर्मा	3202.00	3202.00	6404.00
	योग	**12875.00**	**12875.00**	**25750.00**

निगम में आर्थिक संकट एवं निगम कोष में पर्याप्त राशि के अभाव में उक्त बकाया का भुगतान अब तक नहीं किया जा सका है। निगम की आर्थिक स्थिति ठीक होने पर भुगतान कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट–''ग''

उक्त प्रोसेस हाउस के कर्मियों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश अनुसार लाभ देने सम्बन्धी आदेश की तिथि का विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पांचवें वेतन आयोग का लाभ देने के आदेश की तिथि
1.	श्री प्रभु सिंह	20.7:2001
2.	श्री मनोहर सिंह	03.07.2001
3.	श्री मालूम सिंह	03.07.2001
4.	श्री घासी लाल शर्मा	10.07.2001

उक्त कर्मियों को पांचवें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने के कारण लगभग 1,41,860 रुपया बकाया है। निगम की आर्थिक स्थिति ठीक होने पर भुगतान कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट–2

परिशिष्ट–"क"

(तारांकित प्रश्न संख्या–388 की प्रति)

विद्यालय खोलने/क्रमोन्नत करने हेतु निर्धारित मानदण्ड

1. प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु मानदण्ड

क्र. सं.	मानदण्ड	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी/जनजाति क्षेत्र/ मेवात क्षेत्र
1.	ग्रामों की जनसंख्या	1000	500
2.	कक्षा–5 की छात्र/छात्रा संख्या	20	15
3.	कक्षा–1–5 तक की कुल छात्र संख्या	100	75
4.	फीडर प्राथमिक विद्यालय	2	2
5.	2 किलोमीटर परिधि में अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा का नहीं होना		

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर तथा जन प्रतिनिधियों की मांग के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते रहे हैं।

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उत्तर)

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार

389. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों में नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र दिनांक 31.7.2002 तक मांगे गये थे?

(2) उक्त आवेदकों में से क्या सरकार साक्षात्कार व भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उपरोक्त सन्दर्भ में प्राप्त आवेदकों में से साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी बुलाने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट दिनांक 21.3.2003 एवं 22.3.2003 को लिया जा रहा है। तदुपरान्त इस टेस्ट में जो अभ्यर्थी क्वालीफाई करेंगे उन्हें साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा।

यूनानी चिकित्सकों के रिक्त पद

390. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य में यूनानी चिकित्सकों एवं उप हकीमों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने कब से और उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा?

(2) क्या गत पांच वर्षों में यूनानी हकीमों के नये पद सृजित करने हेतु कोई घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त की क्रियान्विति क्यों नहीं हुई और अब कब तक क्रियान्विति कर दी जायेगी?

(3) क्या राज्य में अलग से यूनानी विभाग बनाने का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) दिनांक 15.2.2002 तक यूनानी चिकित्सकों के 16 पद रिक्त थे। रिक्त पदों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

उप हकीमों के नाम से कोई पद स्वीकृत नहीं है। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरना सम्भव हो सकेगा।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(2) जी हां। वर्ष 1999–2000 के बजट भाषण में 50 नवीन यूनानी औषधालय खोलने की घोषणा की गई थी, फलस्वरूप 50 यूनानी चिकित्सकों के पद भी सृजित किये गये थे, किन्तु वित्तीय स्वीकृति के अभाव में इसकी क्रियान्विति नहीं की जा सकी है। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् क्रियान्विति सम्भव होगी।

(3) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिनांक 15.2.2003 को आयुर्वेद विभागान्तर्गत यूनानी चिकित्सकों के रिक्त पदों का वर्षवार विवरण

वर्ष	रिक्त पदों की संख्या (यूनानी चिकित्सक)
1995	1
1996	1
1997	—
1998	—
1999	—
2000	1
2001	7
2002	4
2003	2
योग	16

ग्राम पालड़ी (जयपुर) में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

391. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या ग्राम पालड़ी, तहसील विराट नगर, जिला जयपुर में चरागाह माफी मन्दिर, जंगलात सिवाय चक व कब्रिस्तान भूमि पर भू–माफियाओं द्वारा अवैध रूप से व नियम विरुद्ध आबंटन कराकर मिलीभगत से फर्जी रजिस्ट्री करवाने के सम्बन्ध में माननीय विधायक अटरू (बारां) व रामगढ़ (अलवर) द्वारा राजस्व सचिव व जिला कलक्टर जयपुर को पत्र लिखे गये थे? यदि हां, तो कब–कब?

(2) उक्त पत्रों के सम्बन्ध में राजस्व सचिव व जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा

(श्री रामप्रताप)

किस-किस को, क्या-क्या निर्देश व आदेश दिये तथा अब तक उक्त पर क्या कार्यवाही हुई?

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरणों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमियों को कब तक बेदखल कर दिया जावेगा?

(4) क्या उप खण्ड अधिकारी, जयपुर (पूर्व) ने अपने पत्र क्रमांक 3773 दिनांक 22.11.2000 से जिला कलक्टर, जयपुर को उक्त प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है? क्या उक्त में भू-माफिया गिरोह को षडयंत्र का दोषी माना है? यदि हां, तो अब कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) ग्राम पालड़ी तहसील विराटनगर जिला, जयपुर में चरागाह माफी मन्दिर, जंगलात, सिवाय चक व कब्रिस्तान भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से व नियम विरुद्ध आबंटन कराने व फर्जी रजिस्ट्री करवाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञानदेव आहूजा विधायक रामगढ़ (अलवर) एवं स्थानीय व्यक्ति श्री अशोक कुमार शर्मा दत्तक पुत्र स्व. श्री रतन लाल शर्मा, निवासी ग्राम पालड़ी द्वारा जिला कलक्टर, जयपुर को पत्र लिखे गये हैं। श्री ज्ञानदेव आहूजा द्वारा दिनांक 16.10.2002 को व श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 22.2.1999 को शिकायत पत्र लिखे गये हैं।

(2) उक्त शिकायत पत्रों की तहसीलदार विराटनगर, उप खण्ड अधिकारी कोटपूतली व उप खण्ड अधिकारी, जयपुर पूर्व से जांच करवाई गई है व अतिरिक्त कलक्टर, कोटपूतली को भी जांच कर समुचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। एक व्यक्ति का एक से अधिक बार भूमि नियम/आबंटन कराने के विरुद्ध आबंटन निरस्त करवाने हेतु न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, कोटपूतली के यहां नियम 14(4) के तहत रेफरेंस विचाराधीन है एवं दोषी के विरुद्ध थाना, विराटनगर में एफ.आई.आर. दर्ज है, जिसमें अनुसंधान जैरकार है। माफी मन्दिर के सम्बन्ध में सम्भीय आयुक्त, जयपुर के यहां से फैसला होकर-ना.सं. 145 दिनांक 29.7.2002 को माफी मन्दिर के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत हो चुका है।

(3) इस बिन्दु का जवाब बिन्दु संख्या 2 के अनुसार है। सिवाय चक, चरागाह भूमि पर अतिक्रमियों को मौके से बेदखल किया जा चुका है। आज की स्थिति में अतिक्रमण नहीं है।

(4) जी हां। उप खण्ड अधिकारी, जयपुर (पूर्व) द्वारा अपने पत्र संख्या 3773 दिनांक 22.11.2000 से जिला कलक्टर, जयपुर को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

(राजस्व मंत्री)

इस रिपोर्ट में भू–माफिया गिरोह को षड्यंत्र का दोषी माना है। आबंटन निरस्ती का प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, कोटपूतली के यहां विचाराधीन है व चरागाह भूमि के कम अधिक के लिये एल.आर. एक्ट की धारा 136 के तहत प्रकरण उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के यहां विचाराधीन है। दोषियों के विरुद्ध थाना, विराटनगर में एफ.आई.आर. दर्ज की जाकर मु.नं. 56/2001 अनुसंधान जैरकार है।

प्रश्न संख्या–392

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के विद्यालयों में रिक्त पद

393. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने पद अध्यापकों के स्वीकृत हैं?

(2) उक्त विद्यालयों में कितने पद अध्यापकों, लेब टेक्नीशियन, कम्प्यूटर प्रशिक्षकों के रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को इस शिक्षा सत्र में भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा कुशलगढ़ में संचालित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पदों की संख्या इस प्रकार से है :–

पदनाम	स्वीकृत
व्याख्याता	41
वरि. अध्यापक	101
अध्यापक	43
प्र.शा. सहायक	04

(2) उक्त क्षेत्र में अध्यापकों, लैबटेक्निशियन, कम्प्यूटर प्रशिक्षक के रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से हैं:

पदनाम	स्वीकृत
व्याख्याता	22
वरि. अध्यापक	25
अध्यापक	16
प्र.शा. सहायक	00

कम्प्यूटर प्रशिक्षक के नाम से पद स्वीकृत नहीं है।

(3) जी हां। व्याख्याताओं के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को विभिन्न विषयों की 1281 अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी है। वरिष्ठ अध्यापक से सीधी भर्ती के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने की परिधि में आने के

(शिक्षा मंत्री)

परिणामस्वरूप नियमों में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पद भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। डी.पी.सी. पर लगाया गया प्रतिबन्ध 28.12.2002 को हटा लिये जाने के परिणामस्वरूप डी.पी.सी. से भरे जाने वाले पदों हेतु डी.पी.सी. की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में कृषकों को फव्वारा सैट हेतु अनुदान

394. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) फव्वारा सैटों पर कितनी राशि का "अनुदान" दिया जाता है? वर्ष 1999 से फरवरी, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में कितने कृषकों को फव्वारा सैट दिये जाने के लक्ष्य थे? क्या निर्धारित लक्ष्य सम्बन्धित वर्षों में पूर्ण करा लिये गये? यदि नहीं, तो क्यों? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अनुदानित फव्वारा सैटों के लिए उक्त पंचायत समितियों के कितने कृषकों के आवेदन कब-कब से विचाराधीन हैं? इन्हें अब कब तक फव्वारा सैट उपलब्ध करवा दिये जायेंगे?

(3) क्या सरकार किसानों को समय पर ऋण व अनुदान मिले इस हेतु सम्बन्धित बैंकों को पाबन्द/दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) फव्वारा संयंत्र हेतु सामान्य कृषकों को नाबार्ड द्वारा निर्धारित फव्वारा सैट की इकाई लागत या निर्माता की अंकित दर (जो भी कम हो) का 33.33% या अधिकतम रुपये 7,000/- प्रति सैट तथा लघु/सीमान्त/अ.जा./अ.ज.जा./महिला कृषकों को 50 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 10,000/-(जो भी कम हो) प्रति सैट अनुमान देय है। वर्ष 1999 से वर्ष 2002-03 तक पंचायत समिति बस्सी व चाकसू को फव्वारा संयंत्रों के क्रमश: 1281, 1282 लक्ष्य निर्धारित थे। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के अभाव, कृषकों द्वारा आक्षेपों की पूर्ति नहीं करने एवं फव्वारा संयंत्र स्थापित नहीं करने के कारण पत्रावलियां लम्बित हैं। लम्बित पत्रावलियों को आगामी वर्ष में सम्मिलित करते हुये प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण किया जाता है। वर्ष 2002-03 में कुल 449 पत्रावलियां लम्बित हैं जिन पर कार्यवाही जारी है। वर्ष 1999 से अब तक वर्षवार लक्ष्य व अनुदान स्वीकृति का विवरण (परिशिष्ट-1) पर संलग्न है।

(2) अनुदानित फव्वारा संयंत्रों के लिये पंचायत समिति बस्सी व चाकसू के

(कृषि मंत्री)

वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 एवं 2002-2003 के दौरान की क्रमशः शून्य, 272, 90 एवं 87 पत्रावलियां विचाराधीन है। विभाग द्वारा फव्वारा सैट उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं बल्कि कृषकों द्वारा क्रय किये गये संयंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। विचाराधीन कुल 449 शेष पत्रावलियों पर चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान उपलब्ध कराने की कार्यवाही जारी है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) किसानों को समय पर ऋण व अनुदान मिले, इस हेतु दिशा-निर्देश में पूर्व से ही प्रावधान है।

परिशिष्ट–"1"

विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति, बस्सी व चाकसू की प्राप्त फव्वारा पत्रावलियों व उनके निस्तारण का विवरण

क्र. स.	वर्ष	लक्ष्य		गत वर्ष की लम्बित पत्रावलियां			वर्ष में प्राप्त पत्रावलियों की संख्या			कुल पत्रावलियों की संख्या			अनुदान स्वीकृत संख्या			निरस्त पत्रावलियों की संख्या			शेष पत्रावलियों की संख्या		
		प.सं. बस्सी	प.सं. चाकसू	प.सं. बस्सी	पं.सं. चाकसू	योग	प.सं. बस्सी	पं.सं. चाकसू	योग	प.सं. बस्सी	पं.सं. चाकसू	योग	प.सं. बस्सी	पं.सं. चाकसू	योग	प.सं. बस्सी	पं.सं. चाकसू	योग	प.सं. बस्सी	पं.सं. चाकसू	योग
1.	1999-2000	481	481	76	39	115	676	163	839	752	202	954	367	110	477	17	-	17	368	92	460
2.	2000-2001	339	339	368	92	460	920	103	1023	1288	195	1483	405	26	431	55	35	90	828	134	962
3.	2001-2002	317	317	828	134	962	324	18	342	1152	152	1304	420	31	451	326	75	401	406	46	452
4.	2002-2003	144	144	406	46	452	113	-	113	519	46	565	104	11	115	1	-	1	414	35	449

परिशिष्ट–"2"

विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति, बस्सी व चाकसू की विचाराधीन पत्रावलियों का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	लम्बित पत्रावलियों की संख्या			बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति नहीं करने के कारण			कृषकों द्वारा आक्षेप की पूर्ति नहीं करने के कारण एवं संयंत्र न मिलने के कारण		
		पं.स बस्सी	पं.स. चाकसू	योग	पं.स बस्सी	पं.स. चाकसू	योग	पं.स बस्सी	पं.स. चाकसू	योग
1.	1999-2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	2000-2001	245	27	272	197	26	223	48	1	49
3.	2001-2002	82	8	90	51	8	59	31	—	31
4.	2002-2003	87	—	87	67	—	67	20	—	20
	योग	414	35	449	315	34	349	99	1	100

प्रश्न संख्या-395

(स्थगित)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में बारानी भूमि का आबंटन

396. श्री अमीन खान (शिव): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग कार्यक्रम में रेगिस्तानी जिलों में बारानी भूमि आबंटन के रकबों को चयनित किया है? यदि हां, तो जोधपुर डिवीजन में कौन-कौन से जिलों व तहसीलों में?

(2) ज़िला बाड़मेर व जैसलमेर में कितना रकबा कौन-कौन से पटवार सर्कलों में काबिल काश्त हैं और उसमें कितना रक़बा भूमिहीन किसानों को आबंटित किया है और बाकी रकबा कितने समय में आबंटित किया जायेगा?

उत्तर

(1) राजस्व विभाग द्वारा रेगिस्तानी जिलों में राजकीय कृषि भूमि के भूखण्डों के कृषि प्रयोजनार्थ आबंटन एवं नियमन पर लगे प्रतिबन्ध को राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(6)राज./6/97/7 दिनांक 27.8.2001 के द्वारा हटाया जाकर आबंटन/नियमन किये जाने के निर्देश दिये गये। उक्त परिपत्र के अनुसार काजरी द्वारा निर्धारित किये गये भूमि वर्गीकरणों के अनुसार ही आबंटन किया जा सकता है। उक्त परिपत्र के प्रावधानानुसार जोधपुर डिवीजन के जिले व तहसीलों में चयन का विवरण परिशिष्ट "अ" में है।

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में काबिल काश्त भूमि की सूची मय रकबा संलग्न है। जिला जैसलमेर में किसी भी भूमिहीन किसानों को भूमि का आबंटन नहीं किया गया है। चयनित रकबे का अनुमोदन सम्भागीय आयुक्त महोदय के अधीन गठित समिति से हो जाने के पश्चात् आबंटन कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

जिला बाड़मेर में भूमिहीन किसानों को आबंटित की गई भूमि की सूची संलग्न है। शेष भूमि के आबंटन हेतु तहसील स्तरीय भू-चिन्हीकरण समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं जिला स्तरीय अलाटमेंट क्लियरेंस कमेटी द्वारा अभिशंसा अनुसार भूमि आबंटन योग्य पाये जाने पर प्रस्ताव सम्भागीय स्तरीय समिति से अनुमोदन होने की कार्यवाही विचाराधीन है।

परिशिष्ट-''अ''

जोधपुर डिवीजन के जिले व तहसीलों का विवरण

1. जिला जोधपुर	जोधपुर जिले की 7 तहसीलों जोधपुर, लूनी, शेरगढ़, बिलाड़ा भोपालगढ़, फलौदी, औसियां में काजरी के भूमि वर्गीकरण के अनुसार आबंटन योग्य भूमि का चयन किया जाकर आबंटन किया गया।
2. जिला जैसलमेर	जैसलमेर की तीनों तहसीलों जैसलमेर, पोकरण व फतेहगढ़ में आबंटन योग्य भूमि का चयन किया गया।
3. जिला पाली	पाली जिले में तहसील जैतारण व रायपुर में आबंटन योग्य भूमि का चयन किया गया है।
4. जिला बाड़मेर	जिला बाड़मेर की समस्त 8 तहसीलों बाड़मेर, रामसर, बायतु, शिव, गुढ़ामलानी, चौहटन, पचपदरा व शिवाना में आबंटन योग्य भूमि का चयन किया गया है।
5. जिला जालौर	जालौर जिले की समस्त 7 तहसीलों जालौर, सायला, आहोर, भीनमाल, रानीवाड़ा, जसवन्तपुरा व सांचौर में आबंटन योग्य भूमि का चयन किया गया है।
6. जिला सिरोही	सिरोही जिला रेगिस्तान की श्रेणी में नहीं आंता है।

आबंटन योग्य भूमि की पटवार मण्डल एवं तहसीलवार सूचना जिला जैसलमेर

नाम पटवार वृत	रकबा काबिल काश्त (बीघों में)	नाम पटवार वृत	रकबा काबिल काश्त (बीघों में)
1	2	1	2
तहसील : जैसलमेर		**तहसील : पोकरण**	
1. सोनु	39851.11	1. ऊंजला	1186.03
2. राधवा	17753.10	2. पोकरण	3780.05
3. खईयाला	52260.15	3. रामदेवरा	653.09
4. सिपला	7505.02	4. लंवा	6186.17
5. खाहड़ी	5361.07	5. डेडानिया	1712.17
6. कनोई	36839.03	6. केलावा	1402.16
7. दामोदरा	22296.05	7. छायण	1732.11
8. डेढा	4865.08	8. मोडरड़ी	4869.11
9. रायमला	244125.04	9. लोहारकी	7102.16
10. शाहगढ़	60748.06	10. नेहान	21593.11
11. रामगढ़	1699.16	11. सांकड़ा	2853.13
12. लोगोवाला	169477.09	12. रातडिया	19.05
13. हाबूर	104922.15	13. माडवा	276.14
14. पारेवर	76188.01	14. जैमला	3960.08
15. सम	81428.07	15. बारटका गांव	134.12
16. धायसर	24984.09	16. झाबरा	40.02
17. साढाकोर	1875.06	17. भनियाना	3740.06

1	2	1	2
18. चान्धन	23327.14	18. सरदारसिंह की ढ़ाणी	789.02
19. भादासर	35937.09	19. बलाड़	207.11
20. मोहनगढ़	96.13	20. बान्धेवा	63.05
21. रूपसी	7271.08	21. राजमथाई	1152.15
22. भू	5730.10	22. दान्तल	7.00
23. बडोड़ागांव	21986.04	23. राजगढ़	608.09
24. बरमसर	14067.00	24. ओला	589.19
25. थईयात	11548.15	25. लाठी	2686.15
26. दरबारी का गांव	8027.19	26. खोतोलाई	4487.12
27. डाबला	4206.12	27. लूणाकलां	4180.06
28. काहला	25207.15	28. भैसड़ा	974.18
29. हमीरा	15098.19	योग:	77393.08
30. काणोद	42414.19		
31. देवा	14522.17		
32. काठोड़ी	42079.18		
33. पिथला	6642.12		
34. अमरसागर	5256.06		
35. हरनाऊ	2837.16		
योग :	1238444.00		

आबंटन योग्य भूमि की पटवार मण्डल एवं तहसीलवार सूचना जिला जैसलमेर

नाम पटवार वृत	रकबा काबिल काश्त (बीघों में)
1	2
तहसील : फतेहगढ़	
1. झिझिनयाली	16544.00
2. पोकरण लखा	3954.12
3. कूण्डा	10995.06
4. तेजमालता	10063.14
5. बईया	18881.12
6. मोढा	5226.17
7. चेलक	8700.14
8. सितोडाई	27008.17
9. अडबाला	13623.09
10. छतांगढ	33855.00
11. रामा	15090.04
12. कोटड़ी	21011.12
13. नरसिंगोकी ढाणी	5749.03
14. देवीकोट	47978.029 (नव बिस्वा)
15. मूलाना	51066.07
16. रासला	73396.14
17. डांगरी	21662.19
18. फतहगढ़	18196.02
19. रिवड़ी	39935.07
20. कपूरिया	14402.06
21. देवड़ा	21758.15
22. मण्ड़ाई	20360.00
23. सांगड़	8931.12
24. कोता	12787.02
योग	**521180.13**

जिला बाड़मेर की काबिल काश्त भूमि की सूची

क्र.सं.	नाम तहसील	रकबा (बीधों में)
1.	बाड़मेर	1948.00
2.	शिव	31695.04
3.	रामसर	5981.06
4.	बायतु	11959.19
5.	चौहटन	22092.19
6.	गुढ़ामलानी	495.05
7.	पचपदरा	12986.15
8.	सिवाना	389.06
	योग	77544.08

जिला बाड़मेर में आबंटन की सूची

क्र. सं.	नाम तहसील	पटवार मण्डल	आबंटित रकबा
1.	शिव	1. गूंगा	36.00
		2. पूबड़	961.15
		3. बलाई	713.01
		4. हडवा	242.04
		5. राजडाल	422.00
2.	पचपदरा	1. रेवाड़ा	309.02
		2. सूरपूरा	18.03
		3. बाणियावास	2.03
		4. मूगड़ा	108.09
		5. कल्याणपुर	11.11
3.	सिवाना	1. करमावास	206.03
		2. बामसीन	109.07

राममालिया से रुघनाथगढ़ (अजमेर) सड़क का डामरीकरण

397. श्री सांवर लाल (भिनाय): क्या सार्वजनिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र भिनाय के राममालिया से रुघनाथगढ़ सड़क का डामरीकरण पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण होगा एवं उक्त पर कितनी राशि व्यय होगी?

उत्तर

जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की नीति के अनुसार रघुनाथगढ़ को डामर सड़क से जोड़ने का कार्य 2007 तक किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य पर वर्तमान दर से 50.00 लाख रुपये व्यय होना सम्भावित है।

कनिष्ठ लिपिकों के वेतनमान में वृद्धि

398. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है पूर्व सरकार ने कनिष्ठ लिपिकों के संघों से वेतनमान के सम्बन्ध में कोई समझौता किया है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त का वेतनमान 4000–6000 के बीच समझौते के तहत किया गया है?

(3) क्या उक्त समझौता पूर्व में लिखित रूप में किया गया है? यदि हां, तो वर्तमान सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। राज्य सरकार वेतनमान विसंगति के प्रकरणों की जांच हेतु श्री यतीन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं पूर्व अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया है, जो अभी परीक्षणाधीन है।

जिला धौलपुर में मिलावट विरोधी अभियान

399. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने वर्ष 2001–2002 में जिला धौलपुर में मिलावट के विरुद्ध अभियान चलाया था? यदि हां, तो कुल कितने मामले दर्ज किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त जिले में किस–किस फर्म पर छापे मारे गये व नमूने लिये गये तथा उक्त फर्मों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान जिला धौलपुर में मिलावट के विरुद्ध अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान उक्त अवधि में 5 फर्मों से खाद्य पदार्थ के नमूने लिये गये तथा 4 डीजल/पैट्रोल के नमूने लिये गये। कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में खाद्य पदार्थों की निम्न 5 फर्मों के यहां छापे मारे गये व नमूने लिये गये:

1. श्री रामगोपाल पुत्र श्री छिंग्गालाल, निवासी बाडी
2. श्री भूपेन्द्र पुत्र श्री रामनिवास, निवासी बाड़ी
3. श्री राजेश पुत्र श्री प्रयागराज निवासी मानियां गली, राजाखेड़ा
4. श्री महेश चन्द पुत्र श्री द्वारका प्रसाद वैश्य, धौलपुर
5. श्री महेश चन्द पुत्र श्री गोपीलाल वैश्य, धौलपुर

इसी प्रकार निम्न तीन पैट्रोल पम्पों पर छापे मारे गये व चार नमूने लिये गये जो इस प्रकार है:

1. मै. प्रेस फिलिंग स्टेशन, बाड़ी-एक सैम्पल
2. मै. राधेश्याम एण्ड संस, धौलपुर-दो (डीजल/पैट्रोल)
3. मै. रतनचन्द्र एण्ड संस, धौलपुर-एक सैम्पल

खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिये भेजे गये। जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ शुद्ध पाये जाने के कारण मामले दर्ज नहीं किये गये। पैट्रोल/डीजल के चार सैम्पलों में से तीन की रिपोर्ट में पैट्रोल/डीजल सही पाये गये, एक सैम्पल की रिपोर्ट प्रयोगशाला से प्राप्त नहीं हुई हैं अतः इसमें मामले दर्ज नहीं हुये। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"1"

1) माह जनवरी, 2002 में लिये गये नमूनों में सम्बन्धित फर्मे
   1. श्री रामगोपाल पुत्र श्री छिंग्गालाल, निवासी बाड़ी
   2. श्री भूपेन्द्र पुत्र श्री रामनिवास, निवासी बाड़ी
   3. श्री राजेश पुत्र श्री प्रयागराज निवासी मनियां गली, राजाखेड़ा
   4. श्री महेश चन्द पुत्र श्री द्वारका प्रसाद वैश्य, धौलपुर
   5. श्री महेश चन्द पुत्र श्री गोपीलाल वैश्य, धौलपुर
2) माह मार्च, 2002 में लिये गये नमूनों से सम्बन्धित फर्मे
   1. मै. प्रेम फिलिंग स्टेशन, बाड़ी
   2. मै. राधेश्याम एण्ड संस, धौलपुर
   3. मै. रतनचन्द्र एण्ड संस, धौलपुर

ग्राम बिखरनिया (नागौर) के मृतक आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति

400. श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम बिखरनिया, तहसील डेगाना जिला नागौर के मृतक अध्यापक श्री घनश्याम धौलपुरिया के आश्रित को अनुकम्पा पर नौकरी देने हेतु मुख्य मंत्री ने विशेष छूट कब दी थी?

(2) क्या उक्त को नियुक्ति दे दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) अब उक्त मृतक आश्रित को कब तक नियुक्ति दे दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम बिखरनिया तहसील डेगाना जिला नागौर के मृतक अध्यापक श्री घनश्याम धौलपुरिया के आश्रित को अनुकम्पात्मक नौकरी देने का कोई प्रकरण मुख्य मंत्री द्वारा छूट देने का विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। अपितु ग्राम बिखरनिया तहसील डेगाना के मृतक अध्यापक श्री छोटूराम के आश्रित पुत्र श्री घनश्याम धौलपुरिया को नियुक्ति देने के सम्बन्ध में शासन द्वारा पत्र दिनांक 12.10.2001 के द्वारा छूट प्रदान की गई हैं।

(2) जी नहीं। नियुक्ति दिये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(3) प्रश्नोत्तर भाग संख्या-2 के अनुसार।

विधान सभा क्षेत्र भादरा के सिंचाई सुविधा विहीन ग्राम

401. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा के अनेक गांव ऐसे हैं जो क्षेत्र की भाखड़ा सिंचाई प्रणाली एवं राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना दोनों स्कीमों से सिंचाई सुविधा से वंचित रह गये हैं? यदि हां, तो उक्त गांवों को सिंचाई सुविधा से वंचित रखे जाने के क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार उक्त वंचित गांवों को शीघ्र सिंचाई सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भादरा के 13 गांवों के क्षेत्रों को निम्न कारणों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जानी सम्भव नहीं हो सकी है।

अ-13 गावों के क्षेत्रों का भू-स्तर भाखड़ा सिंचाई प्रणाली एवं राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना के अन्तर्गत नहरों के जल स्तर (फुल सप्लाई लेवल) से ऊंचा है।

(सिंचाई मंत्री)

ब-इन क्षेत्रों का लिफ्ट के माध्यम से सिंचन प्रस्तावित करने पर लाभ लागत अनुपात निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं आता है।

स-अन्तरराज्यीय जल समझौते के अन्तर्गत सिद्धमुख परियोजना हेतु उपलब्ध 0.47 एम.ए.एफ. जल का उपयोग वर्तमान में फ्लो इर्रिगेशन से सिंचित होने वाले क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है।

(2) जी नहीं।

जिला डूंगरपुर के भवन रहित छात्रावास

402. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डूंगरपुर में कितने छात्रावास हैं और उक्त में भवन रहित छात्रावास कितने हैं और क्या सरकार भवन रहित छात्रावासों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि छात्रावासों में वार्डन नहीं हैं? यदि हां, तो कितने छात्रावासों में?

(3) क्या सरकार वार्डन रहित छात्रावासों में वार्डनों को पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 23 राजकीय छात्रावास हैं। उक्त में से भासौंर, बनकोड़ा, कुआं, बोखलापाल, डूंगरसारण, विकास नगर, गैंजी, सरोदा, डूंगरपुर कुल 9 छात्रावासों के राजकीय भवन नहीं हैं। उक्त 9 में से भासौंर व बनकोड़ा के भवनों का कार्य निर्माणाधीन है।. छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य बजट के अभाव में करवाया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(2) जिले में संचालित 23 राजकीय छात्रावासों में से पूनाली, भीलूड़ा, बुचियाबड़ा, बिछीवाड़ा, डूंगरपुर, चिंखली व बनकोड़ा कुल 7 छात्रावासों में वार्डन नहीं हैं।

(3) जी हां। रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर निश्चित मानदेय पर सेवानिवृत राज्य कर्मचारियों को लगाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की प्रस्तावित सड़कें

403. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की शकरगढ़ से मान्थला वाया बान्धा का खेड़ा मरड्या सड़क व ग्राम पंचायत मुख्यालय कचौला की सड़कें बनाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो किस योजना में?

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

(2) क्या उक्त प्रस्तावित सड़कों का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व फरवरी, 2003 तक कितना कितना कार्य अपूर्ण रहा और अपूर्ण सड़कों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायत मुख्यालय छाबड़िया के नया गांव को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की शकरगढ़ से मान्थला वाया बंधा का खेड़ा, मरड्या सड़क की किसी भी योजना में स्वीकृति न होने से बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय काछोला की सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनाया जाना प्रस्तावित है।

(2) उक्त सड़कों में से शकरगढ़ से मान्थला वाया बंधा का खेड़ा, मरड्या सड़क की कोई स्वीकृति नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव नहीं हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित ग्राम पंचायत मुख्यालय काछोला की सड़क का कार्य निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर वर्ष 2003-04 में पूर्ण कराना जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) ग्राम पंचायत मुख्यालय छाबड़ियों का नया गांव को सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित है तथा स्वीकृति मिलने पर 2007 तक कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

ठेकेदारों में शराब/डोडा पोस्त की बकाया

404. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2002-03 के लिये राज्य के शराब तथा डोडा पोस्त बिक्री के ठेके किन-किन व्यक्तियों/समूहों को कितनी कितनी राशि के दिये गये?

(2) फरवरी, 2003 के अन्त तक उक्त को कितनी-कितनी राशि जमा करवानी थी तथा इन्होंने कितनी-कितनी राशि जमा करवाई है?

(3) क्या उक्त में से कोई ऐसे व्यक्ति या समूह भी हैं जिनमें पिछला बकाया है?

उत्तर

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' के अनुसार संलग्न है।

(2) वर्ष 2002-03 के मदिरा समूहों की माह जनवरी, 2003 तक रुपये 74025.82 लाख जमा करवाई जानी थी जिसके विरुद्ध रुपये 72620.49 लाख वसूल की जा चुकी है।

(3) जी नहीं।

मदिरा समूह वर्ष 2002-03 का विवरण　　परिशिष्ट-"अ"

क्र.सं.	समूह का नाम	ए.वि. राशि (वार्षिक)	फरवरी, 2003 की कमी	जमा नकद एवं बैंक गारंटी
1.	अजमेर	5505.00	299.44	1101.00
2.	अलवर	4887.23	328.93	982.27
3.	भरतपुर	2282.13	155.07	456.42
4.	धौलपुर	1092.66	69.30	218.54
5.	जयपुर-दौसा	15851.51	934.87	2694.76
6.	टौंक	1776.00	113.15	355.20
7.	झुंझुनूं	2845.00	214.84	569.00
8.	सीकर	3480.00	206.41	696.00
9.	सवाईमाधोपुर-करौली	2027.00	103.45	405.40
10.	बाड़मेर-जैसलमेर	1981.33	33.64	396.26
11.	बीकानेर	2577.84	39.74	515.56
12.	चूरू	1677.78	111.45	335.56
13.	श्रीगंगानगर	4100.00	222.65	820.00
14.	हनुमानगढ़	3313.80	181.80	662.76
15.	जोधपुर	4367.27	239.10	873.45
16.	नागौर	2272.00	59.91	454.40
17.	पाली	2501.20	0.00	500.24
18.	सिरोही-जालौर	3079.90	0.00	615.98
19.	भीलवाड़ा	2679.90	201.75	535.80
20.	बारां	1452.00	84.67	246.84
21.	बांसवाड़ा-डूंगरपुर	1630.00	0.00	326.00
22.	चित्तौड़गढ़	2627.35	249.12	525.47
23.	झालावाड़	1625.34	0.00	276.31
24.	कोटा-बूंदी	6013.93	0.00	1202.78
25.	उदयपुर-राजसमन्द	5443.93	0.00	1088.78
	कुल योग	**87089.20**	**3849.29**	**16854.78**

परिशिष्ट–"ब"

भांग डोडा पोस्त समूह वर्ष 2002–03 का विवरण

(राशि रु. में)

क्र.सं.	समूह का नाम	वास्तविक अनुज्ञा राशि
1	2	3
1.	अजमेर	151.55
2.	अलवर	62.51
3.	भरतपुर–धौलपुर	42.22
4.	जयपुर	126.00
5.	दौसा	18.92
6.	टौंक	42.06
7.	झुंझुनूं	94.38
8.	सीकर	72.62
9.	सवाईमाधोपुर–करौली	11.39
10.	बाड़मेर	202.85
11.	जैसलमेर	79.61
12.	बीकानेर	288.90
13.	चूरू	149.03
14.	श्रीगंगानगर	861.06
15.	हनुमानगढ़	1129.00
16.	जोधपुर	200.83
17.	नागौर	112.07
18.	पांली	100.09
19.	सिरोही	37.09
20.	जालोर	72.12

1	2	3
21.	भीलवाड़ा भांग	11.52
22.	भीलवाड़ा डोडा पोस्त	52.00
23.	बूंदी	28.51
24.	बारां भांग	9.30
25.	अटरू–छीपाबड़ौद–छबड़ा	115.00
26.	बांसवाडा–डूंगरपुर–खैरवाड़ा–सलूम्बर–धरियावाद	19.11
27.	चित्तौड़गढ़–गंगरार	135.00
28.	कपासन–राशमी	122.00
29.	बेगूं–रावतभाटा	142.00
30.	छोटी सादड़ी	78.00
31.	प्रतापगढ़	127.00
32.	डूंगला	152.00
33.	झालावाड़–खानपुर–अकलेरा	129.00
34.	पचपहाड़–गंगधार	52.00
35.	कोटा	—
36.	रामगंज मण्डी	65.30
37.	उदयपुर शहर–सायरा–गोगुन्दा–झाड़ोल	29.88
38.	मावली	60.00
39.	राजसमन्द	52.29
	योग	5234.21

प्रवर्तन अधिकारी वल्लभनगर (उदयपुर) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

405. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अधिकारी वल्लभगर जिला उदयपुर के विरुद्ध इनके पदस्थापन के पश्चात् कब कब, क्या–क्या शिकायतें अनियमितता की प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रवर्तन निरीक्षक वल्लभनगर द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर निर्धारित आबंटन के अतिरिक्त केरोसीन होलसेल के जबरदस्ती से खाली करवाया गया? गत तीन वर्षों में प्रत्येक डीलर को माहवार कितना केरोसीन आबंटित किया?

(3) क्या प्रवर्तन निरीक्षक, वल्लभनगर के विरुद्ध एक प्रकरण थाना खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर में पंजीबद्ध है? यदि हां, तो उक्त की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रवर्तन निरीक्षक, वल्लभनगर को निलम्बित कर उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करवाकर उनको दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रवर्तन निरीक्षक वल्लभनगर जिला उदयपुर के विरुद्ध इनके पदस्थापन के पश्चात् एक शिकायत दिनांक 7.9.2002 को केरोसीन वितरण के सम्बन्ध में प्राप्त हुई जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट–1)

(2) प्रवर्तन निरीक्षक वल्लभनगर द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर निर्धारित आबंटन के अतिरिक्त केरोसीन खाली नहीं करवाया है व होल सेलर्स द्वारा तहसील वल्लभनगर में आबंटन के अनुसार ही केरोसीन खाली किया गया। गत तीन वर्षों में तहसील वल्लभगर के प्रत्येक डीलर को माहवार केरोसीन आबंटन व वितरण की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–2)

(3) थाना अधिकारी खेरोदा तहसील वल्लभनगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रवर्तन निरीक्षक वल्लभनगर के विरुद्ध थाना खेरोदा तहसील वल्लभनगर में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। थाने से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट–3)

(4) शिकायत की जांच उप खण्ड अधिकारी वल्लभनगर से करवाई गयी, शिकायत निराधार पाई जाने के कारण कार्यवाही आवश्यक नहीं है। जांच प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट–4)

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विधान सभा क्षेत्र दानपुर की भवन रहित राजीव गांधी पाठशालाएं

406. श्री भाणजी (दानपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में कितनी राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गई?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की भवन रहित पाठशालाओं में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में 340 राजीव गांधी पाठशालाएं संचालित हैं।

(2) जी हां। विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं में उपलब्ध वित्तीय प्रावधानान्तर्गत राजीव गांधी पाठशालाओं के भवन निर्माण करवाये जाते हैं।

पंचायत समिति बागीदौरा में अपूर्ण एनीकट

407. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति बागीदौरा के ग्राम खूंटा नगारत में एनीकट कार्य कितनी राशि का कब स्वीकृत हुआ?

(2) उक्त एनीकट पर कितनी राशि कम की गई और कितने मजदूरों ने कुल कितने दिवस कार्य किया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या स्वीकृत राशि अनुसार कार्य मौके पर करवाया गया है? क्या उक्त कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है?

(4) क्या उक्त एनीकट का कार्य अपूर्ण है? क्या उक्त बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) एनीकटों का निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई मद से नहीं किया जाता है, परन्तु एक नोडल एजेंसी के रूप में टाडा, माडा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सांसद/विधायक कोष से प्राप्त स्वीकृति पश्चात् ही किया जाता है। ग्राम खूंटा नगारत एनीकट कार्य पर वर्ष 1996-97 (सम्वत् 2052) अकाल राहत के अन्तर्गत राशि रुपये 5.00 लाख एवं सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में राशि रुपया 5.00 लाख, कुल राशि रुपये 10.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

(2) उक्त एनीकट पर व्यय राशि, मजदूरों एवं कार्य दिवस का विवरण प्रपत्र "अ" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं, कुल राशि 5.57 लाख रुपये खर्च कर कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

जी हां।

(4) जी नहीं।

जी नहीं।

प्रपत्र–"अ"

ग्राम खूंटा नगारात में एनीकट पर व्यय की गई राशि, मजदूरों द्वारा किये गये मानव कार्य दिवस का विवरण

क्र. सं.	योजना मद का का नाम	व्यय की गयी राशि लाख रु. में	कार्य समय	श्रमिक	मानव कार्य दिवस
1.	अकाल राहत सम्वत् 2052	0.57	8.4.1996 से 15.6.1996 तक	50	2415
2.	सुनिश्चित रोजगार योजना	5.00	3.3.1997 से 14.6.1997 तक	50 से 60	3602
	सुनिश्चित रोजगार योजना		18.11.1997 से 31.3.1998 तक	30 से 50	4188

अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मियों का बैकलाग

408. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) एवं श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या फरवरी, 2003 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याण हेतु संचालित योजना के क्रियान्वयन की समीक्षात्मक बैठक ली है? क्या बैठक में उक्त अध्यक्ष ने सरकार को निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो सरकार निर्देशों की पालना में क्या कार्यवाही कर रही है?

(2) वर्तमान में राज्य में सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों का विभिन्न पदों पर नियुक्तियों में कितना बैकलाग है? सरकार बैकलाग को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 10.2.2003 को राज्य स्तरीय बैठक ली गई थी। उक्त बैठक का कार्रवाई विवरण अब तक आयोग से प्राप्त नहीं हुआ हैं।

(2) दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के संकलन के अनुसार विभिन्न सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण अवशेष की स्थिति निम्नप्रकार है:

अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
सीधी	पदोन्नति	योग	सीधी	पदोन्नति	योग
9640	4664	14304	11692	6035	17727

(समाज कल्याण मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा उक्त वर्ग के आरक्षित रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में समय समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही सम्बन्धी स्थिति निम्नप्रकार प्रस्तुत है :

संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा भारत के संविधान में सम्मिलित अनुच्छेद 16(4ख) के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य सरकार ने, आरक्षण पर की 50 प्रतिशत की सीमा लागू करने के सम्बन्ध में, कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 9.10.2000 के द्वारा नियमों में संशोधन करते हुए, कि सीधी भर्ती तथा पदोन्नति, जहां कहीं लागू होती हो, के सभी मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां, जो कि पूर्व वर्ष (वर्षों) में बिना भरे रह गई हैं, अर्थात् बैकलाग तथा/या अग्रनीत रिक्तियां, एक अलग तथा विशिष्ट समूह के रूप में मानी जाएंगी तथा इन्हें जिस वर्ष में भरा जा रहा है उस वर्ष में होने वाली कुल रिक्तियों के आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा निर्धारित करने में नहीं गिना जायेगा। दूसरे शब्दों में, आरक्षित रिक्तियों को भरने की 50 प्रतिशत की सीमा केवल वर्तमान वर्ष में होने वाली आरक्षित रिक्तियों पर लागू होगी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पूर्ववर्ती वर्षों का बैकलाग/अग्रनीत आरक्षित रिक्तियां एक अलग तथा विशिष्ट समूह के रूप में मानी जाएंगी तथा किसी सीमा के अध्यधीन नहीं होगी, समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को बैकलाग रिक्तियों के निर्धारण करने और बैकलाग रिक्तियों के साथ-साथ वर्तमान रिक्तियों को भी नियमों के अनुसार भरे जाने के प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया है।

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 10.10.2002 के द्वारा नियमों में संशोधन कर यह भी व्यवस्था कर दी गयी है कि किसी वर्ष विशेष में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रनीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का/के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता है/जाते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किसी भी रिक्ति को पदोन्नति और साथ ही सीधी भर्ती द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा। तथापि, आपवादिक मामलों में, जहां लोकहित में नियुक्ति प्राधिकारी यह महसूस करता है कि किसी रिक्त आरक्षित पद (पदों) को अर्जेंट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के

(समाज कल्याण मंत्री)

अभ्यर्थियों से पदोन्नति द्वारा भरना आवश्यक है वहां नियुक्त प्राधिकारी मामला कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट कर सकेगा और कार्मिक विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अर्जेंट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी को पदोन्नत करके ऐसे पद को पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख करते हुए भर सकेगा कि सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी को, जिसे अनुसूचित जातियों या यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त पद के प्रति अर्जेंट अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है, जब कभी भी उस प्रवर्ग का/के अभ्यर्थी उपलब्ध होगा/होंगे वह पद रिक्त करना होगा।

इसके अतिरिक्त पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में नियमों में संशोधन करते हुए, कि पदोन्नति से भरे जाने वाले पद दिनांक 01.04.1997 से पूर्व की वरिष्ठता सूची के आधार पर भरे जा सकेंगे, समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि लम्बित विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जावे।

उपरोक्त वर्णित निर्देशों/नियमों में संशोधन के पश्चात् बैकलाग रिक्तियों के साथ-साथ वर्तमान रिक्तियों नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा नियमानुसार भरी जा सकेंगी।

ग्राम बापी (दौसा) में सड़क सीमा पर अतिक्रमण

409. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 11-ए दौसा से 20 किलोमीटर डांगरवाड़ा (जयपुर) तक की सड़क सीमा का अन्तर 200, 150, 100 फीट किस-किस के द्वारा किस नियम के तहत तय किया जाकर तैयार किया गया है? उक्त के तरमीमशुदा नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क का तैयार किया गया अन्तिम तरमीमशुदा नक्शा राजस्व विभाग दौसा को अब तक भी नहीं भिजवाया गया है? यदि हां, तो उक्त के लिए किस अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की गई है और क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग जिला कार्यालय दौसा में उक्त तरमीमशुदा नक्शा अब तक ही भिजवाने से उक्त सड़क सीमा में आई भूमि के पश्चात् शेष भूमि का सीमाज्ञान निष्पक्ष व सही नहीं किया गया है? यदि हां, तो कब तक उक्त सड़क में शेष रही भूमि का नक्शा मय रिपोर्ट के राजस्व विभाग दौसा को भिजवा दिया जावेगा?

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(4) क्या सरकार अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त सड़क की अवाप्त भूमि का समय रहते सीमाज्ञान करा कर तारबन्दी द्वारा रोकथाम कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम बापी के लोगों द्वारा उक्त सड़क सीमा पर विभाग की मिलीभगत में अतिक्रमण कर पक्के निर्माण तथा पत्थरों द्वारा दीवार लगाकर कब्जा कर लिया है? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण अब कब तक हटा दिया जावेगा?

(6) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग की कहां-कहां कितनी-कितनी सड़क सीमा तय कर तैयार किया गया है? विवरण मय नक्शा के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग-11ए दौसा से 20 किलोमीटर डागरवाड़ा (जयपुर) तक की सड़क सीमा (चौड़ाई) 150 फीट व 200 फीट है। आवश्यकतानुसार नियमों के अधीन भूमि अवाप्ति राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तरमीमशुदा नक्शे की प्रति संलग्न है।

(2) भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत-2 व वृत-3 जयपुर के पत्र क्रमांक क्रमशः 495-501 दिनांक 26.3.1992 एवं 228-236 दिनांक 4.12.1998 के द्वारा भिजवा दिये गये हैं।

(3) बिन्दु संख्या-2 के उत्तर के अनुसार।

(4) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवाप्त भूमि पर तारबंदी का प्रावधान नहीं है।

(5) जी नहीं।

(6) संलग्न नक्शों के अनुसार।

(नक्शों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

शाहजहांपुर-गौनेड़ा एवं भिवाड़ी में विक्रय कर चोरी

410. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

वर्ष 2001 व 2002 तक सैल्स टैक्स विभाग ने शाहजहांपुर-गौनेड़ा एवं भिवाड़ी में सैल्स टैक्स चोरी करते कितने ट्रकों को पकड़ा और उक्त पर कितना-कितना जुर्माना किया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

शाहजहांपुर, भिवाड़ी एवं गौनेड़ा चैक पोस्ट पर कर चोरी में संलिप्त पकड़े गये ट्रकों की संख्या एवं जुर्माना की वसूल की गई राशि निम्नानुसार सूचिबद्ध है:

(वित्त मंत्री)

चैक पोस्ट का नाम	वर्ष	ट्रकों की संख्या	वसूल किया गया जुर्माना राशि रु. में
गौनेड़ा	2001-02	–	–
गौनेड़	2002-03	6	86285
शाहजहांपुर	2001-02	301	14015000
शाहजहांपुर	2002-03	177	6682000
भिवाड़ी	2001-02	230	10079000
भिवाड़ी	2002-03	225	7851000
योग		939	38713285

शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा उर्दू शिक्षकों के सम्बन्ध में जारी निर्देश

411. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा निदेशालय, बीकानेर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को निरन्तर ऐसे निर्देश दिये जाते हैं कि अल्प भाषा उर्दू के स्वीकृत पदों पर उर्दू शिक्षक ही लगाये जाने चाहिए तथा इन पदों पर सामान्य शिक्षक को नहीं लगाया जावें? क्या इसके विपरीत कार्य करने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सत्र 2002-03 में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर द्वारा किये गये नीति विरुद्ध स्थानान्तरणों द्वारा उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर सामान्य शिक्षकों को लगा दिया गया है? यदि हां, तो कितने पदों पर?

(3) क्या सरकार उक्त नीति-विरुद्ध किये गये उर्दू शिक्षकों के पदों पर सामान्य शिक्षकों के स्थानान्तरण निरस्त कर उर्दू शिक्षकों के पद पर उर्दू शिक्षक नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा ऐसे निर्देश जारी किये गये हैं। इन आदेशों के विपरीत अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति बगैर अपने स्तर पर कार्य करने पर ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा जारी परिपत्रों की प्रतियां परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। 20 पदों पर सामान्य शिक्षकों को लगाया गया है।

(3) उर्दू शिक्षक पदों के विरुद्ध कार्यरत सामान्य अध्यापकों का एवं सामान्य अध्यापक पदों के विरुद्ध कार्यरत उर्दू अध्यापकों का नये सत्र में समायोजन आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण

412. **श्री रामनारायण विश्नोई** (फलौदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 से अब तक कितने नये राजस्व न्यायालय कौन-कौन से स्थानों पर स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अधीन कितने राजस्व वाद मार्च, 1999 तक लम्बित थे व उसके बाद दिसम्बर, 2002 तक कितने वाद निर्णित हुए एवं कितने वाद लम्बित रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे मामलों का अति शीघ्र निस्तारण करने के लिए विशेष प्रयास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार राजस्व वादों के निस्तारण में अत्यधिक देरी लगने के कारणों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व वादों को राजस्व न्यायालयों से हटाकर सिविल न्यायालयों को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 से अब तक 82 सहायक कलक्टर न्यायालयों को क्रमोन्नत कर उपखण्ड स्थापित किये गये हैं तथा पिड़ावा (जिला झालावाड़) में नया उपखण्ड स्थापित किया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राज्य के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अधीन (अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में) मार्च, 1999 तक 2,20,711 वाद लम्बित थे। 3,40,222 वाद नये दर्ज हुए। इनमें से दिसम्बर, 2002 तक 3,78,909 वाद निर्णित हुये एवं 1,82,024 वाद लम्बित रहे। राजस्व मण्डल में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अधीन मार्च, 1999 तक 9,332 वाद लम्बित थे। 15,317 वाद नये दर्ज हुए। इनमें से दिसम्बर, 2002 तक 12,472 वाद निर्णित हुए एवं 12,177 वाद लम्बित रहे।

(3) जी हां। दिनांक 1.41996 से पूर्व के दर्ज राजस्व वादों/प्रार्थना पत्रों का अन्तिम रूप से निस्तारण दिनांक 31.3.2001 तक किये जाने हेतु समस्त राजस्व न्यायालयों को निर्देश दिये गये थे। इसके पश्चात भी प्रकरण लम्बित रहने पर दिनांक 8.8.2002 को अप्रैल, 1996 से पूर्व के दर्ज राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण तथा अप्रैल, 1996 से मार्च, 1998 के मध्य दर्ज हुए राजस्व प्रकरणों का 50 प्रतिशत निस्तारण 31.3.2003 तक किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। पुराने प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने हेतु राजस्व मण्डल में विशेष बैच का गठन किया गया है।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट-''अ''

वर्ष 1999-2000 से अब तक राज्य में सहायक कलक्टर न्यायालयों को क्रमोन्नत कर उप-खण्ड अधिकारी न्यायालय स्थापित किये गये राजस्व न्यायालयों की सूची

क्र.सं.	नाम जिला	राजस्व न्यायालय का नाम मय मुख्यालय	अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	अलवर	1. उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी	प.9(12)राज-1/2002-II दिनांक 26.4.2002
		2, उपखण्ड अधिकारी, बानसुर	——''——
		3. उपखण्ड अधिकारी, कठूमर	——''——
		4. उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर	——''——
		5. उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़	——''——
2.	भरतपुर	6. उपखण्ड अधिकारी, बैर	——''——
		7. उपखण्ड अधिकारी, रूपवास	——''——
		8. उपखण्ड अधिकारी, नदबई	——''——
		9. उपखण्ड अधिकारी, नगर	——''——
3.	जयपुर	10. उपखण्ड अधिकारी, चौमूं	——''——
		11. उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा	——''——
		12. उपखण्ड अधिकारी, दूदू	——''——
		13. उपखण्ड अधिकारी, फागी	——''——
4.	नागौर	14. उपखण्ड अधिकारी, जायल	——''——
		15. उपखण्ड अधिकारी, डेगाना	——''——
		16. उपखण्ड अधिकारी, मकराना	——''——
		17. उपखण्ड अधिकारी, नावां	——''——
5.	टौंक	18. उपखण्ड अधिकारी, निवाई	——''——
		19. उपखण्ड अधिकारी, उनियारा	——''——
		20. उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह	——''——

1	2	3	4
6.	चूरू	21. उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर	प.9(12)राज–1/2002–II दिनांक 26.4.2002
		22. उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़	—— ''——
7.	हनुमानगढ़	23. उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा	—— ''——
		24. उपखण्ड अधिकारी, रावतसर	—— ''——
8.	धौलपुर	25. उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा	—— ''——
9.	सीकर	26. उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	—— ''——
10.	दौसा	27. उपखण्ड अधिकारी, लालसोट	—— ''——
		28. उपखण्ड अधिकारी, सिकराय	—— ''——
		29. उपखण्ड अधिकारी, महुआ	—— ''——
11.	पाली	30. उपखण्ड अधिकारी, देसूरी	—— ''——
12.	कोटा	31. उपखण्ड अधिकारी, दीगोद	—— ''——
		32. उपखण्ड अधिकारी, सांगोद	—— ''——
13.	बून्दी	33. उपखण्ड अधिकारी, केशवरायपाटन	—— ''——
14.	करौली	34. उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा	—— ''——
15.	बारां	35. उपखण्ड अधिकारी, अटरू	—— ''——
		36. उपखण्ड अधिकारी, मामरोल	—— ''——
16.	उदयपुर	37. उपखण्ड अधिकारी, धरियावाद	—— ''——
		38. उपखण्ड अधिकारी, मावली	—— ''——
17.	चित्तौड़गढ़	39. उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा	—— ''——
		40. उपखण्ड अधिकारी, गंगरार	—— ''——
18.	भीलवाड़ा	41. उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर	—— ''——
19.	हनुमानगढ़	42. उपखण्ड अधिकारी, भादरा	—— ''——

1	2	3	4
20.	जोधपुर	43. उपखण्ड अधिकारी, औसिंया	प.9(12)राज-1/2002-II दिनांक 26.4.2002
21.	सवाईमाधोपुर	44. उपखण्ड अधिकारी, बामनवास	——"——
22.	बीकानेर	45. उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर	——"——
23.	भरतपुर	46. उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर	प.9(12)राज-1/2002-II दिनांक 27.4.2002
24.	अजमेर	47. उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद	प.9(12)राज-1/2002-II दिनांक 16.5.2002
		48. उपखण्ड अधिकारी, मसूदा	——"——
25.	भीलवाड़ा	49. उपखण्ड अधिकारी, माण्डल	——"——
		50. उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा	——"——
26.	नागौर	51. उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं	——"——
27.	टोंक	52. उपखण्ड अधिकारी, पीपलू	——"——
28.	श्रीगंगानगर	53. उपखण्ड अधिकारी, घड़साना	——"——
29.	हनुमानगढ़	54. उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी	——"——
30.	जयपुर	55. उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर	——"——
		56. उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़	——"——
31.	धौलपुर	57. उपखण्ड अधिकारी, बसेड़ी	——"——
32.	झुंझुनूं	58. उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा	——"——
		59. उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी	——"——
33.	सीकर	60. उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़	——"——
		61. उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़	——"——
34.	जोधपुर	62. उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़ (जोधपुर)	——"——
35.	बाड़मेर	63. उपखण्ड अधिकारी, शिव	——"——

1	2	3	4
36.	जैसलमेर	64. उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ़	प.9(12)राज–1/2002–II दिनांक 16.5.2002
37.	जालौर	65. उपखण्ड अधिकारी, आहोर	—— ,, ——
38.	पाली	66. उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर	—— ,, ——
39.	सिरोही	67. उपखण्ड अधिकारी, रेवदर	—— ,, ——
40.	बून्दी	68. उपखण्ड अधिकारी, इन्द्रगढ़	—— ,, ——
41.	झालावाड़	69. उपखण्ड अधिकारी, ,खानपुर (झालावाड़)	—— ,, ——
42.	करौली	70. उपखण्ड अधिकारी, मण्डरायल	—— ,, ——
		71. उपखण्ड अधिकारी, टोडाभीम(करौली)	—— ,, ——
43.	उदयपुर	72. उपखण्ड अधिकारी,कोटड़ा	—— ,, ——
44.	बांसवाड़ा	73. उपखण्ड अधिकारी, पाटोल	—— ,, ——
45.	डूंगरपुर	74. उपखण्ड अधिकारी, सिमलवाड़ा (मु. धम्बोला)	—— ,, ——
46.	राजसमन्द	75. उपखण्ड अधिकारी, कुम्भगढ़	—— ,, ——
47.	अलवर	76. उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम	—— ,, ——
48.	सवाईमाधोपुर	77. उपखण्ड अधिकारी, बाली	—— ,, ——
49.	कोटा	78. उपखण्ड अधिकारी, इटावा	—— ,, ——
50.	बीकानेर	79. उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़	—— ,, ——
51.	जालौर	80. उपखण्ड अधिकारी, रानीवाड़ा	—— ,, ——
52.	बून्दी	81. उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौली	—— ,, ——
53.	बारां	82. उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज	—— ,, ——
54.	झालावाड़	83. उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा	प.9(12)राज–1/2002–II दिनांक 19.7.2002

इस विभाग की अधिसूचना सं. पं.9 (12)राज–1/2002–II दिनांक 19.7.2002 द्वारा जिला झालावाड़ में नया उपखण्ड स्थापित कर इसका मुख्यालय पिड़ावा में रखा गया है।

ओगना-गोगुन्दा के बीच नदी पर काजवे निर्माण

413. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या ओगना तहसील झाड़ौल, जिला उदयपुर से गोगुन्दा के बीच नदी पर काजवे नहीं होने तथा बड़ी नदी होने से पानी की आवक ज्यादा होने के कारण जनता को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त के समाधान के लिए कोई उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत राशि रुपये 27.00 लाख की ओगना से अटारिया सड़क पर वेंटेड काजवे निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के अपूर्ण भवन

414. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना की ग्राम पंचायत खण्डप के जरियों की ढाणी में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला कब स्वीकृत की गई एवं उसमें कुल कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त राजीव गांधी पाठशाला के भवन निर्माण की स्वीकृति अकाल राहत एवं लोक जुम्बिश परियोजना के अन्तर्गत की गई है? यदि हां, तो क्या उक्त पाठशाला का भवन डेढ़ वर्ष से अपूर्ण है?

(3) क्या यह भी सही है कि निदेशक, लोक जुम्बिश परियोजना, जयपुर द्वारा उक्त स्कूल भवन को पूर्ण करने हेतु जिला कलक्टर बाड़मेर को पत्र लिखा गया है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त स्कूल की स्वीकृति के बाद उक्त विधान सभा क्षेत्र में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा एवं अकाल राहत में डबटेलकर राजीव गांधी पाठशालाओं के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई? यदि हां, तो जरिये की ढाणी खण्डप के अपूर्ण भवन को पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना की ग्राम पंचायत खण्डप की जरियों की ढाणी में राजीव गांधी पाठशाला दिनांक 13.5.1999 को स्वीकृत की गई। जिसमें वर्तमान में 15 छात्र तथा 13 छात्राएं कुल 28 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। उक्त पाठशाला का भवन अपूर्ण है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की सुराघाटा फीडर योजना

415. श्री. के. सी. चौधरी (ब्यावर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के ग्राम राजियावास में कोई सरकारी तालाब है? यदि हां, तो क्या उक्त तालाब को भरने के लिये सरकार के पास कोई योजना है?

(2) क्या सुराघाटा फीडर नाम की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति हेतु सरकार क्या कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। राजियावास तालाब को सुराघाटा फीडर के माध्यम से भरने की योजना विचाराधीन है।

(2) जी हां। सुराघाटा परियोजना का विस्तृत सर्वेक्षण कर तखमीना तैयार किया जा रहा है। उक्त परियोजना तकनीकी दृष्टि एवं लाभ लागत अनुपात में सही पाये जाने पर क्रियान्विति सम्भव हो सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना की सड़कों का सुदृढ़ीकरण

416. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय विधायकों की अभिशंसा पर 60 किलोमीटर पक्की सड़कों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण की योजना को मंजूरी दी गई है? यदि हां, तो उक्त योजना कब से लागू की गई?

(2) उक्त योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 2002-03 के दौरान कितनी किलोमीटर कौन-कौनसी सड़कों का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। योजना को वर्ष 2001-02 में मंजूरी दी गई।

(2) उक्त योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 2002-03 के दौरान किये गये कार्यों का विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2002-03 में डेगाना विधान सभा क्षेत्र में उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण द्वारा कराई गई सड़कों का विवरण प्रपत्र- "अ"

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत का प्रसंग	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी. में)	कार्य की वर्तमान स्थिति (कि.मी. में)
1	2	3	4	5
(अ) आर.यू.पी. फैज प्रथम				
1.	कुचेरा से निम्बड़ी चांदावता किमी. 0/0 से 4/0 जॉब नं. 1651/5054/ नाबार्ड/2001-2002	एफ.2(28)पीडब्ल्यूएएस/ 2001-02/24.11.2001	4.0	4.0 डामर कार्य पूर्ण
2.	डेगाना से खाटू सड़क कि.मी.0/0 से 5/0 एवं 13/0 से 23/0 जॉब नं. 1652/ —— "——	—— "——	15.0	15.0 — "—
3.	रेण से सांजू सड़क कि.मी.0/0 से 6/0 एवं 24/0 से 29/0 जॉब नं. 1686/ —— "——	—— "——	11.0	11.0 — "—
4.	सम्पर्क सड़क झागडवास बाईपास लुंगोड कि.मी.0/0 से 4/0 एवं जॉब नं. 1687/ —— "——	—— "——	4.0	4.0 — "—
5.	सांवला से पुरोहितासनी सड़क कि.मी.0/0 से 3/0 जॉब नं. 1688/ —— "——	—— "——	3.0	3.0 — "—
6.	सम्पर्क सड़क आकेली 0/0 से 4/0 6/0 से 8 जॉब नं. 1709/ —— "——	—— "——	6.0	6.0 — "—

1	2	3	4	5
7.	— ''— रातादूण्डा कि.मी.0/0 से 4/0 जॉब नं. 1710/ — — ''— —	— — ''— —	4.0	4.0 — ''—
8.	डेगाना से बगड़ सड़क कि.मी.7 एवं 8 जॉब नं. 1711/ — — ''— —	— — ''— —	2.0	2.0 — ''—
9.	डेगाना से हरसौर सड़क कि.मी.9/0 से 15/0, 17/500 से 18/500 19/0 से 22/0 एवं 24/0 से 25/0	— — ''— —	11.0	11.0 — ''—
			60.0	60.0
(ब)	आर.यू.पी.फैज-द्वितीय			
1.	पुरोहितासनी से सांवला सड़क 8/0 से 18/0 जॉब नं. 1275/2002-03	एफ.2(9)पीडब्ल्यूएएस 2002/डी-305 दि.1.7.2002	10.0	10.0 डामर कार्य पूर्ण
2.	सम्पर्क सड़क चुआ चुई से बामणा कि.मी.2/0 से 7/0 जॉब नं. 1281/ — — ''— —	— — ''— —	5.0	5.0 — ''—
3.	जैतारण-मेड़तासिटी-डेगाना 8/0 से 10/0 13/0 से 14/0, 20/0 से 25/0 (मु.जि. सड़क संख्या 24) जॉब नं. 2177/ — ''—	— — ''— —	8.0	8.0 देनदारियां बकाया.

1	2	3	4	5
4.	नसीराबाद पीसांगन गोविन्दगढ़ रियां पादू 18/0 से 27/0 (एमडीआर. 39)जॉब नं. 2178/ —— "——	—— "——	9.0	9.0 — "—
5.	दांतीवाडा पीपाड़ मेड़ता परबतसर रोड 122/0 से 145/0 (एस.एच.21)जॉब नं. 2179/ —— "——	—— "——	23.0	23.0 — "—
6.	बाड़ीघाटी डेगाना डीडवाना रोड कि.मी.85/0 से 90/0 (एस.एस.18)जॉब नं. 2180/ —— "——	—— "——	5.0	कार्य प्रगति पर
			60.0	55.0
		महायोग	120.0	115.0

परिशिष्ट–4

परिशिष्ट–"1"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-588 की सूची)

राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों की राज्यवार संख्या की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	3199
2.	हरियाणा	2342
3.	मध्य प्रदेश	455
4.	दिल्ली	599
5.	पंजाब	362
6.	हिमाचल प्रदेश	85
7.	महाराष्ट्र	164
8.	गुजरात	170
9.	बिहार	89
10.	आन्ध्र प्रदेश	45
11.	गौवा	1
12.	कर्नाटक	51
13.	बंगाल	99
14.	उड़िसा	6
15.	जम्मू कश्मीर	6
16.	नेपाल	41
17.	केरल	837
18.	तमिलनाडु	22
19.	त्रिपुरा	22
20.	चंडीगढ़	19
21.	सिक्किम	2
22.	आसाम	3
23.	मणीपुर	9
24.	उत्तरांचल	74
25.	छत्तीसगढ़	1
	योग	**8703**

परिशिष्ट-5

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-592 का विवरण)

जनवरी, 2002 से फरवरी, 2003 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा एवं आयोग द्वारा उनके घोषित किए गए परिणाम का विवरण

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	परिणाम घोषित होने की दिनांक
1	2	3	4
1.	मोटर वाहन उप निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा, 2001	101	दिनांक 20.4.2002 को लिखित परीक्षा परिणाम एवं दिनांक 3.12.2002 को साक्षात्कार का परिणाम घोषित किया गया।
2.	उप निरीक्षक पुलिस प्रतियोगी परीक्षा, 2001	200	दिनांक 23.1.2003 को लिखित परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा व साक्षात्कार आयोजित किया जाना शेष है। नियमानुसार उक्त औपचारिकता पूर्ण होने पर यथासमय अन्तिम परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जावेगा।
3.	राजस्थान अधीनस्थ (भूतपूर्व सैनिक) की भर्ती) परीक्षा, 1999	20	दिनांक 24.10.2002 को लिखित परीक्षा परिणाम घोषित किया गया तथा दिनांक 15.11.2002 को साक्षात्कार का परिणाम घोषित किया गया।
कालेज शिक्षा विभाग :			
1.	व्याख्याता राजनीति विज्ञान	63	30.5.2002
2.	व्याख्याता इतिहास	28	30.5.2002
3.	व्याख्याता चित्रकला	06	10.4.2002
4.	व्याख्याता संस्कृत	32	24.4.2002
5.	व्याख्याता भूगोल	36	10.4.2002
6.	व्याख्याता लोक प्रशासन	05	10.4.2002
माध्यमिक शिक्षा विभाग (विद्यालय शिक्षा)			
7.	प्राध्यापक अर्थशास्त्र	44	11.7.2002
8.	प्राध्यापक रसायन शास्त्र	12	12.7.2002

1	2	3	4
9.	प्राध्यापक अंग्रेजी	242	20.7.2002
10.	प्राध्यापक हिन्दी	339	11.9.2002
11.	प्राध्यापक इतिहास	120	13.12.2002
12.	प्राध्यापक समाज शास्त्र	1	24.10.2002
13.	प्राध्यापक राजनीति विज्ञान	170	नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् यथासमय परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जावेंगे।
14.	प्राध्यापक गणित	53	—— ''——
15.	प्राध्यापक संस्कृत	86	—— ''——
16.	प्राध्यापक भूगोल	84	—— ''——
17.	प्राध्यापक जीव विज्ञान	23	—— ''——
18.	प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय एवं समकक्ष) माध्यमिक शिक्षा विभाग	529	—— ''——
19.	सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी अभियोजन विभाग	87	—— ''——

परिशिष्ट-6

परिशिष्ट-"अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-605 की प्रति)

कार्यालय जिला कलक्टर, अजमेर

क्रमांक राजस्व/2000/वि./46 दिनांक 3.1.2003

निमित्त :

शासन उप सचिव,

राजस्व (ग्रुप-3) विभाग,

राज. जयपुर।

विषय : भूमि की अदला बदली का प्रकरण श्रीमती कंचन देवी भण्डारी वगैरह ग्राम गेगल।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक प-2(345)राज/ग्रुप-3/2002 दिनांक 20.6.2002.

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रार्थिया श्रीमती कंचन देवी वगैरह के भूमि विनिमय का प्रकरण पत्रावली के पेज सं: 30 पर उल्लिखित कारणों से उत्पन्न होने के कारण भूमि विनिमय के प्रस्ताव पर चरागाह भूमि के अलावा अन्य भूमि जो समकक्ष खातेदारी की भूमि के हो, के प्रस्ताव चाहे गये थे। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अवगत कराया है कि ग्राम उदयपुर कलां तहसील किशनगढ़ के खसरा नम्बर 14/1 रकबा 396-18-00 किस्म गै.मु. पहाड़ सिवाय चक खाते में दर्ज है। उक्त रकबे में से 15 बीघा भूमि काश्त योग्य है। खातेदार की ग्राम गेगल स्थित भूमि की कीमत डी.एल.सी. अनुसार 1,75,000/- रुपये प्रति बीघा है जिसके अनुसार 1-15-00 बीघा भूमि की कीमत 3,06,250/- रुपये होती है। प्रस्तावित ग्राम उदयपुर कलां की भूमि की कीमत 22000/-रुपये प्रति बीघा है इसके अनुसार 13-18-08 बीघा भूमि देय बनती है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम के नियम 24 कक (2) तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 16(1) के परिप्रेक्ष्य में भूमि विनिमय का प्रस्ताव है। कृपया राज्य सरकार के निर्णय से अवगत करावें।

भवदीय,

ह०/-

संलग्न : मूल पत्रावली किता-38.

कलक्टर, अजमेर

राजस्थान सरकार **परिशिष्ट–"ब"**

राजस्व (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प.2 (345)राज./ग्रुप–3/02 जयपुर, दिनांक 25.1.2003

जिला कलक्टर

अजमेर।

विषय : भूमि की अदला बदली का प्रकरण श्रीमती कंचन देवी भण्डारी वगैरह ग्राम गेगल।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक–46 दिनांक 3.1.2003

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में निदेशानुसार लेख है कि प्रकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव किस्म काबिल काश्त भूमि का भिजवायें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

ह०/–

शासन उप सचिव

कार्यालय जिला कलक्टर, अजमेर

क्रमांक राजस्व/03/वि./1200 दिनांक 7.2.2003

निमित्त :

श्रीमती कंचन देवी भण्डारी,

पत्नी श्री वीरबहादुर सिंह भण्डारी,

निवासी–किशनगढ़ शहर तहसील किशनगढ़।

विषय : भूमि की अदला बदली का प्रकरण।

विषयान्तर्गत आप द्वारा ग्राम उदयपुर कलां की नाकाबिल काश्त भूमि को बदले में देने के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा निरस्त किये जा चुके है। अतः काबिल काश्त भूमि के प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

अति. कलक्टर, अजमेर।

परिशिष्ट–7

परिशिष्ट- "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-611 की सूची)

पंचायत समिति कोटड़ा में पंचायतवार राशन कार्ड वितरण सूची

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	ए.पी.एल.	बी.पी.एल.
1	2	3	4
1.	बड़ली	525	498
2.	बेकरिया	350	490
3.	बिकरनी	456	508
4.	बुढ़िया	615	353
5.	डांग	300	299
6.	धंधमता	413	337
7.	ढेडमारिया	612	499
8.	गोगरुद	530	555
9.	गुरा	543	460
10.	झड़	313	626
11.	जांगीवड़	400	723
12.	जूड़ा	359	541
13.	खजूरिया	270	382
14.	साखरिया	664	420
15.	कूकावास	618	368
16.	कोटड़ा	1312	713
17.	क्यारी	500	515
18.	लाम्बाहल्दू	503	479
19.	मादड़ा	400	450

1	2	3	4
20.	महाद	535	679
21.	महाड़ी	491	363
22.	मालना का चोरा	587	415
23.	गामेर	685	431
24.	माण्डवा	595	698
25.	मेड़ी	350	386
26.	मेरपुर	313	737
27.	मेवाड़ों का मठ	365	453
28.	नयाबास	390	714
29.	पड़ावली कलां	590	507
30.	पडावली खुर्द	245	513
31.	समीजा	565	585
32.	सामोली	576	484
33.	सड़ा	275	594
34.	तेजा का बास	400	350
35.	उखलियात	511	276
36.	बास	545	301
	योग	17701	17702

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट-"अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-616 की सूची)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला के चार खण्ड हैं।

प्रथम कामन सैम्पल कलेक्शन विभाग।

द्वितीय बायोकेमेस्ट्री विभाग

तृतीय पैथोलोजी विभाग

चतुर्थ माइक्रोबायोलोजी विभाग

केन्द्रीय प्रयोगशाला में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी बायोकेमेस्ट्री, पैथोलोजी एवं माइक्रोबायोलोजी से सम्बन्धित है एवं इन्हीं विभागों के अधीन केन्द्रीय प्रयोगशाला में पदस्थापित है। केन्द्रीय प्रयोगशाला में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की सूची निम्नांकित है :

बायोकेमेस्ट्री विभाग

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद	कार्य
1.	डा. प्रवीण शर्मा	प्रोफेसर (बायो.)	इंचार्ज बायो. लैब एवं जांच कार्य
2.	डा. महीप सिन्हा	सह आचार्य	जांच कार्य
3.	डा. चित्रा उपाध्याय	सहायक आचार्य	जांच कार्य
4.	डा. संध्या मिश्रा	सहायक आचार्य	जांच कार्य
5.	डा. अल्पना गोयल	वरिष्ठ प्रदर्शक	जांच कार्य
6.	डा. पियूष अजमेरा	बायोकेमिस्ट	जांच कार्य
7.	डा. जागृति झा	बायोकेमिस्ट	जांच कार्य

इसी सन्दर्भ में यह भी लेख है कि डा. प्रवीण शर्मा, आचार्य, डा. महीप सिन्हा, सह आचार्य, डा. चित्रा उपाध्याय, सहायक आचार्य, डा. संध्या मिश्रा, सहायक आचार्य एवं डा. अल्पना गोयल, वरिष्ठ प्रदर्शन जांच कार्य के अतिरिक्त अध्यापन का भी कार्य करते हैं।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	कार्य
1	2	3	4
1.	श्री सतीश कुमार सविता	व. टेक्नीशियन	रक्त नमूना संग्रहण कार्य
2.	श्री दिनेश माथुर	व. टेक्नीशियन	रक्त नमूना संग्रहण कार्य
3.	श्री रामगोपाल भट्ट	टेक्नीशियन	रक्त नमूना संग्रहण कार्य
4.	श्री रोशनलाल बैरवा	टेक्नीशियन	रक्त नमूना संग्रहण कार्य
5.	श्री भौंरी लाल शर्मा	टेक्नीशियन	रक्त नमूना संग्रहण कार्य
6.	श्री कैलाश चन्देल	टेक्नीशियन	रक्त नमूना संग्रहण कार्य
7.	श्री कन्हैया लाल बागड़ा	टेक्नीशियन	रक्त नमूना संग्रहण एवं परीक्षण
8.	श्री युगल बिहारी यादव	टेक्नीशियन	सैम्पल प्रोसेसिंग
9.	श्री सुभाष योगी	टेक्नीशियन	सैम्पल प्रोसेसिंग
10.	श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा	टेक्नीशियन	रक्त सैम्पलों का परीक्षण कार्य
11.	श्री रामकुमार वर्मा	टेक्नीशियन	रक्त सैम्पलों का परीक्षण कार्य
12.	श्री राजेन्द्र कसाना	टेक्नीशियन	रक्त सैम्पलों का परीक्षण कार्य
13.	श्री जान एफ	टेक्नीशियन	रक्त सैम्पलों का परीक्षण कार्य
14.	श्री रामप्रताप रैगर	टेक्नीशियन	रक्त सैम्पलों का परीक्षण कार्य
15.	श्री नरेन्द्र सिंह	एल.ए.	रक्त सैम्पलों का परीक्षण कार्य
16.	श्री हरीश जोशी	टेक्नीशियन	इमरजेंसी जांच परीक्षण
17.	श्री राकेश भारद्वाज	टेक्नीशियन	परीक्षण कार्य
18.	श्री रमेश चौहान	टेक्नीशियन	परीक्षण कार्य
19.	श्री सुभाष शर्मा	टेक्नीशियन	परीक्षण कार्य
20.	श्री सुभाष जैन	टेक्नीशियन	इमरजेंसी जांच परीक्षण
21.	श्री त्रिलोक चन्द्र	टेक्नीशियन	इमरजेंसी जांच परीक्षण

1	2	3	4
22.	श्री कृष्ण मुरारी	टेक्नीशियन	इमरजेंसी जांच परीक्षण
23.	श्री शिवराम चौहान	टेक्नीशियन	इमरजेंसी जांच परीक्षण
24.	श्री सुरेश यादव	टेक्नीशियन	इमरजेंसी जांच परीक्षण

माइक्रोबायोलोजी विभाग

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	कार्य
1.	डा. सुमन ऋषि	प्रोफेसर	इंचार्ज एवं जांच कार्य
2.	डा. रजनी शर्मा	सहायक आचार्य	जांच कार्य
3.	डा. रेखा	व. प्रदर्शक	जांच कार्य
4.	डा. प्रशान्त	व. प्रदर्शक	जांच कार्य
5.	डा. दीप्ति	रेजीडेंट	जांच कार्य
6.	श्री राजीव वर्मा	टेक्नीशियन	जांच कार्य
7.	श्री किशन लाल	टेक्नीशियन	जांच कार्य
8.	श्री जगदीश	टेक्नीशियन	जांच कार्य
9.	श्री नन्द किशोर	टेक्नीशियन	जांच कार्य
10.	श्री गंगानारायण	टेक्नीशियन	जांच कार्य

पैथोलोजी विभाग

1.	डा. वीणा सक्सेना	सह आचार्य	इंचार्च एवं जांच कार्य
2.	डा. संध्या गुलाटी	सहायक आचार्य	जांच कार्य
3.	डा. रंजना सोलंकी	व. प्रदर्शक	जांच कार्य
4.	डा. सपना गांधी	व. प्रदर्शक	जांच कार्य
5.	डा. एकता रसानिया	व. प्रदर्शक	जांच कार्य
6.	डा. राजेन्द्र जैन	रेजीडेंट	नियमित एवं इमरजेंसी जांच कार्य
7.	डा. रेणु मिद्धा	रेजीडेंट	नियमित एवं इमरजेंसी जांच कार्य

1	2	3	4
8.	डा. निधि जैन	रेजीडेंट	नियमित एवं इमरजेंसी जांच कार्य
9.	डा. कल्पना शर्मा	रेजीडेंट	नियमित एवं इमरजेंसी जांच कार्य

उपरोक्त लिखित जांच कार्य के अतिरिक्त अध्यापन का कार्य भी करते हैं।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	कार्य
1.	श्री महेन्द्र जैन	टेक्नीशियन	नियमित एवं इमरजेंसी जांच कार्य
2.	श्री नरेन्द्र बंगा	टेक्नीशियन	नियमित एवं इमरजेंसी जांच कार्य
3.	श्री प्रेम खन्ना	टेक्नीशियन	नियमित एवं इमरजेंसी जांच कार्य
4.	श्री सुभाष जौहरी	टेक्नीशियन	नियमित एवं इमरजेंसी जांच कार्य
5.	श्री गोवर्धन मीणा	टेक्नीशियन	नियमित एवं इमरजेंसी जांच कार्य
6.	श्री डाल चन्द्र सैनी	टेक्नीशियन	नियमित एवं इमरजेंसी जांच कार्य
7.	श्री गेंदा लाल	टेक्नीशियन	नियमित एवं इमरजेंसी जांच कार्य
8.	श्री अनिल शर्मा	टेक्नीशियन	नियमित एवं इमरजेंसी जांच कार्य
9.	श्री रामेश्वर माली	टेक्नीशियन	नियमित एवं इमरजेंसी जांच कार्य
10.	श्री संदीप अग्रवाल	टेक्नीशियन	नियमित एवं इमरजेंसी जांच कार्य
11.	श्री अलोक टॉक	टेक्नीशियन	नियमित एवं इमरजेंसी जांच कार्य
12.	श्री श्रीराम मिश्रा	टेक्नीशियन	नियमित एवं इमरजेंसी जांच कार्य
13.	श्री शम्भुदयाल गुप्ता	टेक्नीशियन	नियमित एवं इमरजेंसी जांच कार्य

परिशिष्ट –"अ"

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-617 की सूचना)

विभिन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों की सूचना

वशिष्टता	पद का नाम	रिक्ति वर्ष	डीपीसी की तिथि	कुल रिक्ति	डीपीसी से भरे पद	डीपीसी के बाद शेष रिक्त पद	कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1. सर्जरी	आचार्य	2001–2002	30.12.2002	3	3	—	—
2. कार्डियोवस्कूलर एवं	आचार्य	2002–2002	21.12.2002	1	1	—	—
थोरेसिक सर्जरी	सह आचार्य	2002–2003	23.12.2002	1	1	—	—
3. शिशु शल्य	आचार्य	2002–2003	21.12.2002	2	2	—	—
	सह आचार्य	2002–2003	21.12.2002	2	1	1	एस.सी. के लिए आरक्षित है परन्तु तदर्थ पदोन्नति आरआर से भर दिया गया है।
4. दन्त आरल सर्जरी	आचार्य	2002–2003	28.2.2003	1	1	—	—
5. निश्चेतन	आचार्य	2001–2002	28.2.2003	5	2	3	एस.सी. व एस.टी. के आरक्षित है इस कारण रिक्त रखे गये हैं।
6. बायोकेमेस्ट्री	आचार्य	2001–2002	23.12.2002	5	3	2	योग्य अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रखे गये हैं।
	सह आचार्य	2001–2002	22.1.2003	5	3	2	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	सहायक आचार्य	2000–2001	5.8.2002	4	4	—	—
	सहायक आचार्य	2002–2003	22.1.2003	2	1	1	एस.सी. के लिए पद आरक्षित है अतः रिक्त रखा गया है।
7. फार्माकोलोजी	आचार्य	2001–2002	21.12.2002	2	2	—	—
	सह आचार्य	2000–2001	—	2	1	1	योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रखा गया है।
		2001–2002	—	6	—	6	—
8. एनोटोमी	आचार्य	2001–2002	30.12.2002	2	2	—	—
	सह आचार्य	2001–2002	10.3.2003	4	3	1	एस.सी./एस.टी. के लिए आरक्षित है पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं है।
	सहायक आचार्य	2002–2003	19.10.2002	6	3	3	एस.सी./एस.टी. के लिए आरक्षित है पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं है।
9. फिजियोलोजी	आचार्य	2001–2002	22.1.2003	2	2	—	—
	सहायक आचार्य	2001–2002	3.7.2002	8	3	5	पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं है।
	सहायक आचार्य	2002–2003	—	5	2	3	एस.सी./एस.टी के लिए आरक्षित है।
10. पीएसएम	सहायक आचार्य	2000–2001	23.8.2002	4	1	3	
		2001–2002	23.8.2002	3	3	—	
11. अस्थि रोग	आचार्य	2002–2003	30.12.2002	2	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
12. चर्म एवं रतिरोग	आचार्य	2001–2002	30.12.2002	2	—	—	—
	आचार्य	2002–2003	30.12.2002	2	—	—	एस.टी का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रखा गया है।
13. गेस्ट्रोएंट्रोलोजी	सह आचार्य	2001–2002	22.1.2003	1	1	—	—
14. कार्डियोलोजी	सह आचार्य	2000–2001	10.3.2003	1	1	—	—
	सह आचार्य	2001–2002	10.3.2003	1	1	—	—
15. न्यूरोलोजी	सह आचार्य	2001–2002	10.3.2003	1	1	—	—
16. चर्म एवं रतिरोग	सह आचार्य	2001–2002	10.3.2003	2	2	—	—
		2002–2003	10.3.2003	1	1	—	—
17. पैथोलोजी	आचार्य	2001–2002	23.12.2002	3	3	—	—
		2002–2003	28.2.2003	4	2	2	एक–एक पद क्रमश: एस.सी/एस.टी. के लिए रिक्त रखा गया है। अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है।
	सह आचार्य	2001–2002	10.3.2003	5	5	—	—
18. माइक्रोबायोलोजी	आचार्य	2001–2002	21.12.2002	4	3	1	एस.सी. अभ्यर्थी का पद रिक्त रखा गया है चूंकि अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है।
	सह आचार्य	2000–2001	22.1.2003	1	1	—	—
	सहायक आचार्य	2000–2001	22.1.2003	2	2	—	—

परिशिष्ट- ''अ''

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-618 की सूचना)

गत 5 वर्षों में राज्य के मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों के लिए नान प्लान एवं प्लान में किया गया बजट प्रावधान (राशि लाखों में)

नाम मेडिकल कालेज	बजट प्रावधान वर्ष 1998-99		बजट प्रावधान वर्ष 1999-2000		बजट प्रावधान वर्ष 2000-2001		बजट प्रावधान वर्ष 2001-2002		बजट प्रावधान वर्ष 2002-2003	
	नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान
1. जयपुर	5361.62	491.00	5698.15	595.53	6012.84	677.87	6552.91	813.30	7328.12	153.50
2. अजमेर	1784.10	225.00	1841.91	205.50	1905.33	108.00	2089.83	130.00	2137.74	40.50
3. जोधपुर	2814.32	269.05	2776.60	207.80	2920.90	232.42	3255.49	274.41	3397.72	150.00
4. बीकानेर	2034.05	209.06	1736.54	232.12	2010.50	208.18	2109.99	205.00	2259.59	005.00
5. कोटा	0137.92	995.85	138.83	448.23	145.50	55.80	0169.92	662.32	1632.00	100.00
6. उदयपुर	1923.79	133.44	2315.03	149.18	2333.35	150.47	2566.23	167.07	2671.16	040.86

परिशिष्ट-11

परिशिष्ट -"अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-620 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र के पाटन में विधायक कोष से स्वीकृत कार्य वर्ष 1999 से जनवरी, 2003 तक

क्र. सं.	स्वीकृत कार्यों का नाम	स्वीकृत लागत	स्वीकृति के पेटे प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि (4-5)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	खाल पर पुलिया निर्माण बेड़ियामाल से खेड़िया दुर्जन	5.00	—	0.01	-0.01	स्वीकृति निरस्त
2.	सम्पर्क सड़क निर्माण कार्य काली तलाई से नया गांव	4.00	3.60	3.77	-0.17	कार्य पूर्ण
3.	डामरीकरण वार्ड नं. 9 कबीरपुरा से भैंरूलाल के मकान तक	1.12	1.08	0.86	0.22	कार्य बन्द
4.	बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य कब्रिस्तान (ईदगाह) के. पाटन	1.00	0.90	1.00	-0.10	कार्य पूर्ण
5.	खरंजा निर्माण वार्ड नं. 5 ग्राम रोटेदा	0.50	0.50	0.50	—	कार्य पूर्ण
6.	खटीक मौहल्ला वार्ड नं. 5 ग्राम रोटेदा में खरंजा निर्माण	0.50	0.50	0.50	—	कार्य पूर्ण
7.	ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य बोरदामाल से काली तलाई	5.00	4.86	4.86	—	कार्य पूर्ण
8.	प्राचीन बावड़ी का जीर्णोद्धार नया गांव पंचायत हिंगोनिया	2.00	2.00	2.00	—	कार्य पूर्ण
9.	प्राथमिक विद्यालय बालीथा के बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य	0.50	0.25	0.01	0.24	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7
10.	चारदीवारी निर्माण कार्य मक्कीशाह की दरगाह के पास, के.पाटन	1.00	0.73	0.73	—	कार्य पूर्ण
11.	वार्ड नं. 9 व 4 लालबाई मन्दिर से रोटेदा तक सी.सी. रोड	1.00	0.90	0.90	—	कार्य पूर्ण
12.	ग्रेवल सड़क कार्य बीरज गांव से चौथमाता के मन्दिर तक	1.00	0.90	0.30	0.60	कार्य बन्द
13.	भवन निर्माण कार्य राजकीय माध्य विद्यालय बड़ा खेड़ा	2.00	1.00 -1.00	—	—	टेण्डर निरस्त राशि वापस डीआरडीए को
14.	कमरा निर्माण कार्य रा.उ.प्रा.वि. नोताड़ा धरावण	1.00	0.90	0.86	0.04	कार्य पूर्ण
15.	खरंजा निर्माण कार्य नोताड़ा धरावण में जैन मन्दिर से	0.90	0.81	0.74	0.07	कार्य पूर्ण
16.	गिट्टी सीमेंट रोड ग्राम अरड़ाना में चरभुजा मन्दिर तक	1.00	1.00	1.00	—	कार्य पूर्ण
17.	भवन निर्माण कार्य रा.उ.प्रा.वि. नोताड़ा	1.00	0.90	0.93	-0.03	कार्य पूर्ण
18.	ग्राम हांड्याखेड़ा से काप्रेन रोटेदा तक ग्रेवल सड़क	4.00	3.60	2.57	1.03	कार्य पूर्ण
19.	खरंजा निर्माण गेण्डोली खुर्द गोपाल छीपा के मकान से	0.75	0.67	0.58	0.09	कार्य पूर्ण
20.	भवन निर्माण कार्य रा.बा.मा. विद्यालय काप्रेन	2.00	1.80	0.88	0.92	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7
21.	बजरंग घाटी सड़क निर्माण कार्य	1.00	0.50	—	0.50	वन विभाग द्वारा आपत्ति करने से बन्द
22.	विश्रामगृह निर्माण कार्य पं.स. के पाटन	1.50	—	—	—	स्वीकृति निरस्त
23.	पंचायत मुख्यालय साधोराजपुरा से जागरूण तक ग्रेवल सड़क	1.00	0.50	0.05	0.45	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ
24.	कमरा निर्माण कार्य रा.प्रा.वि. बालीथा	0.90	—	—	—	प्रशासनिक स्वीकृति कम होने से तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की गई
	योग	**39.67**	**26.90**	**23.05**	**3.85**	

परिशिष्ट-12

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-622 का विवरण)

कोशिथल से मोखुन्दा पेव्रर रोड की पटरियों पर किये गये कार्य का विवरण

क्र.सं.	आइटम (संक्षिप्त में)		किये गये कार्य का विवरण मात्रा
1.	ड्रेसिंग बर्म्स कार्य		27000 वर्ग मी.
2.	क्वारी रबिश संग्रहण		1269 घन मी.
3.	क्वारी रबिश परिवहन		
	किलोमीटर	1.	52 घन मी.
		2.	58 — " —
		3.	38 — " —
		4.	63 — " —
		5.	—
		6.	39 — " —
		7.	43 — " —
		8.	65 — " —
		9.	105 — " —
		10.	112 — " —
		11.	52 — " —
		12.	100 — " —
		13.	90 — " —
		14.	120 — " —
		15.	119 — " —
		16.	118 — " —
		17.	95 — " —
		18.	— " —
		19.	— " —
		20.	— " —
4.	क्वारी रबिश बिछाई एवं कुटाई		1269 घन मी.
5.	मिट्टी का कार्य (खुदाई)		304.33 घन मी.
6.	जोड़ना-एम्बेकर्मेंट कार्य (मिट्टी)		304.33 घन मी.

परिशिष्ट-13

परिशिष्ट-''क''

(अतारांकित प्रश्न संख्या-627 का विवरण)

मोंटेसरी शिक्षा सदन, जसवन्तगढ़ तहसील-लाडनूं की प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची

1. श्री बजरंग लाल तापड़िया, जसवन्तगढ़
2. श्री बृजमोहर बगड़िया, जसवन्तगढ़
3. श्री डूंगरमल तापड़िया, जसवन्तगढ़
4. श्री तुलसीराम, बिहानी, जसवन्तगढ़
5. श्री श्रीराम तापड़िया, जसवन्तगढ़
6. श्री मदनलाल राठी, जसवन्तगढ़
7. श्री भगवती प्रसाद दादली, जसवन्तगढ़
8. श्री जुगल किशोर बिहानी, जसवन्तगढ़
9. श्री नन्दलाल मिश्रा, जसवन्तगढ़
10. श्री रामचन्द्र तोषनीवाल, जसवन्तगढ़
11. श्री कन्हैया लाल दाधीच, जसवन्तगढ़
12. श्री कन्हैया लाल दायमा, जसवन्तगढ़
13. श्री दिनेश चन्द्र पाराशर, जसवन्तगढ़
14. श्री मुरारी लाल जोशी, जसवन्तगढ़
15. श्री बंशीगोपाल नाई, जसवन्तगढ़
16. श्री रमेश चन्द्र पारीक, जसवन्तगढ़
17. श्रीमती पुष्पा गगड़, जसवन्तगढ़
18. शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि

परिशिष्ट-"ख"

मोंटेसरी शिक्षा सदन, जसवन्तगढ़ तहसील-लाडनूं में अनुदानित/गैर अनुदानित पदों पर कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं का विवरण

क्र. सं.	नाम	शैक्षिक योग्यता	प्रशिक्षण वर्ष	नियुक्ति तिथि	वेतन श्रृंखला
अनुदानित पद					
1.	श्रीमती कमलेश गौड	एम.ए. संगीत डिप्लोमा	1980	1.1.1983	(4500-7000)
2.	श्री संजय कुमार मिश्रा	बी.ए., बी.एड.	1996	2.7.1997	(4500-7000)
3.	श्री रामरतन शर्मा	बी. कॉम, बी.एड.	1997	1.2.2000	(4500-7000)
गैर अनुदानित पद					
1.	श्री बंशीगोपाल नाई	एम.काम., बी.एड.	1998	1.7.2002	2000/-
2.	श्री हाकिम अली	बी.ए., बी.एड.	2000	1.7.2002	2000/-
3.	श्री मदन लाल रांकावत	बी.ए., बी.एड.	1998	1.7.2002	2000/-
4.	श्री जयप्रकाश जांगिड़	बी.एससी., बी.एड.	1998	1.7.2002	2000/-
5.	सुश्री रेखा स्वामी	एम.ए., डी.पी.एड.	2000	1.7.2002	2000/-

परिशिष्ट–"ग"

मोंटेसरी शिक्षा सदन, जसवन्तगढ़ तहसील लाडनूं की प्राथमिक विद्यालयों को सहायता/अनुदान के लिये खर्च राशि एवं अनुमोदित व्यय के अधिकतम सीमा

1.	वेतन	राजस्थान सरकार के वेतन क्रमअनुसार
2.	भविष्य निधि	वेतन व डी.ए. के 8.33% से अधिक नहीं
3.	महंगाई भत्ता	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई दरों से अधिक नहीं
4.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	रुपये 600/–प्रतिवर्ष
5.	पानी एवं रोशनी खर्च	रुपये 600/–प्रतिवर्ष
6.	साज सामान पर अवर्तक	रुपये 300/–प्रतिवर्ष
7.	साधारण मरम्मत	1. भवन–पक्के भवन के लिये लागत का एक प्रतिशत प्रतिवर्ष एवं कच्चे भवन के लिये 2% प्रतिवर्ष अधिकतम 25000/–
		2. फर्नीचर एवं उसका प्रतिस्थापन 500/– प्रतिवर्ष
8.	भवन किराया	वास्तविक खर्च या सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये निर्धारण प्रमाण–पत्र जो कम हो
9.	पुस्तकालय की पुस्तकें व वाचनालय पर व्यय	रुपये 800/–प्रतिवर्ष
10.	खेल–कूद, शा.शिक्षा व अन्य कार्यों पर व्यय :	
	1. क्राप्ट व्यय	रुपये 300/–प्रतिवर्ष
	2. अध्यापकों द्वारा सम्मेलन में यात्रा पर यात्रा व्यय	सरकार द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ते के अनुसार।
	3. डाक व्यय	रुपये 300/–प्रतिवर्ष
	4. अन्य फुटकर व्यय	रुपये 500/–प्रतिवर्ष

टिप्पणी : पुस्तकालय की पुस्तकों एवं वाचनालय प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या 200 से अधिक हो तो 150/– रुपये स्वीकार किया जायेगा।

परिशिष्ट-14

परिशिष्ट-"क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-629 का विवरण)

राज्य में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों/योजनाओं की सूची

1. मैटिनेश एवार्ड
2. गार्गी जूनियर/सीनियर पुरस्कार
3. अध्ययन हेतु प्रोत्साहन योजना
4. सेवापूर्व प्रशिक्षण में आरक्षण
5. बालिका छात्रावास
6. बालिका फाउण्डेशन की स्थापना
7. दत्तक जानकी योजना
8. निःशुल्क शिक्षा
9. कक्षा 1 से 8 तक छात्र निधि शुल्क से मुक्ति
10. अध्ययन की सुविधा
11. बालिका विद्यालयों में सुविधाएं
12. प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना
13. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण
14. पोशाक वितरण
15. छात्रवृत्ति योजना
16. शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा शिक्षा से वंचित बालिकाओं हेतु शिविरों का आयोजन
17. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में बालिका शिक्षा हेतु निम्नलिखित गतिविधियां संचालित है :-

- सकुल संदर्भ केन्द्र गर्ल चाइल्ड मोटीवेटर का प्रावधान उन जिलों के लिये जहां महिला साक्षरता 15 प्रतिशत से कम है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग की अधिकांश बालिकाएं विद्यालय से नहीं जुड़ी हो।

- अनामांकित एवं ड्राआउट बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु ब्रिज कोर्स।
- सकुल संदर्भ केन्द्र पर बालिका शिक्षा की समीक्षा हेतु महिला प्रेरक दल की बैठकों का आयोजन।

18. लोक जुम्बिश परिषद् द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन

अ. वैकल्पिक शिक्षा

- सहज शिक्षा केन्द्र
- शिक्षा मित्र केन्द्र
- आवासीय बालिका शिक्षण शिविर (अध्ययनरत समस्त बालिकाएं)

ब. महिला/बालिका मेला

स. किशोरी मंच

द. किशोरी समागम मेला कार्यशाला

य. स्कूली लड़के–लड़कियों की कार्यशाला

परिशिष्ट- "ख"

राज्य में वर्ष 1999 से 2002 तक प्रोत्साहित बालिकाओं का विवरण

क्र.सं.	सत्र	माध्यमिक शिक्षा	प्रारम्भिक शिक्षा
1.	1999-2000	791350	2084556
2.	2000-2001	809837	2342810
3.	2001-2002	907855	2669220

राज्य में विभिन्न परियोजनाओं में प्रोत्साहित बालिकाओं का विवरण

1. लोक जुम्बिश परियोजना

क्र.सं.	नाम कार्यक्रम	वर्ष में नामांकित बालिकाओं की संख्या			
1.	वैकल्पिक शिक्षा	1999	2000	2001	2002
	अ. सहज शिक्षा केन्द्र	35989	32367	32701	121673
	ब. शिक्षा मित्र केन्द्र	—	—	17927	34751
	स. आवासीय बालिका शिक्षण शिविर	407	—	—	7155
	लाभान्वित बालिकाओं की संख्या वर्षवार				
2.	किशोरी मंच	—	3917	6937	8763
3.	किशोरी समागल, मेला/कार्यशाला	—	—	—	8281
4.	स्कूली लड़के-लड़कियों की कार्यशाला	759	—	—	2567

2. बालिका शिक्षा फाउण्डेशन

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	1999	2000	2001	2002
1.	गार्गी जूनियर	538	538	538	538
2.	गार्गी सीनियर	5027	5358	4909	6009
3.	प्रियदर्शिनी	—	—	15	15

उक्तानुसार प्रत्येक बालिका का गार्गी पुरस्कार स्वरूप 1000 रुपया एवं प्रियदर्शिनी पुरस्कार हेतु प्रत्येक बालिका को 5000 रुपया का पुरस्कार दिया जाता है।

3. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.)

- वर्ष 2002 तक प्रथम चरण में 506 गर्ल्स चाइल्ड मोटीवेटर लगाई गई।
- 1662 महिला प्रेरक बैठकों में 50480 बालिकाएं/महिलाएं लाभान्वित की गई।
- 29 ब्रिज कोर्सों में 967 बालिकाएं लाभान्वित की गई।

परिशिष्ट- ''ग''

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में जिन-जिन योजनाओं को प्रोत्साहित किया गया उनकी सूची

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष		
		1999-2000	2000-2001	2001-02
1.	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण	13093	19915	15792
2.	छात्रवृत्तियां			
	अ. अनुसूचित जाति (पूर्व मैट्रिक)	90	90	112
	ब. अनुसूचित जाति (उत्तर मैट्रिक)	65	57	71
	स. अनुसूचित जनजाति (पूर्व मैट्रिक)	300	130	351
	द. अनुसूचित जाति (उत्तर मैट्रिक)	24	16	30
	च. प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा छात्रवृत्ति	—	—	97

गत दो वर्षों में पुरस्कृत बालिकाओं का विवरण निम्नानुसार है

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन

क्र.सं.	पुरस्कार का नाम	2002	2003
1.	गार्गी जूनियर	2	2
2.	गार्गी सीनियर	23	21

प्रत्येक बालिका को पुरस्कार स्वरूप 1000 रुपये की राशि दी जाती है।

परिशिष्ट- "क"

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-633 का विवरण)

रिक्त पदों की सूचना

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	प्रधानाचार्य		उप प्रधानाचार्य		प्रधानाध्यापक		व्याख्याता		वरिष्ठ अध्यापक		अध्यापक	
		स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	रा. उ. मा. वि., लक्ष्मणगढ़	1	—	—	—	—	—	5	—	6	—	3	—
2.	" पनलावा	1	1	—	—	—	—	5	1	5	—	1	—
3.	" रसीदपुराखुड़ी	1	—	—	—	—	—	8	1	6	1	1	—
4.	" जाजोद	1	—	—	—	—	—	7	—	6	—	2	—
5.	" काछवा	1	—	—	—	—	—	5	3	4	1	3	—
6.	" पालड़ी	1	—	—	—	—	—	4	2	5	—	2	—
7.	" बीदासर	1	—	—	—	—	—	5	4	6	—	1	—
8.	" रहनावा माधोपुरा	1	—	—	—	—	—	5	4	5	—	2	—
9.	" पाठोदा	—	—	—	—	1	1	—	—	6	—	4	1
10.	" बाटड़ानाउ	1	1	—	—	—	—	5	1	5	—	3	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	रा. उ. मा. वि., बलारां	1	—	—	—	—	—	5	3	6	1	—	—
12.	रा.बा.उ.मा.वि., लक्ष्मणगढ़	1	—	—	—	—	—	5	2	5	—	5	1
13.	" नेछवा	—	—	—	—	—	—	5	—	4	2	3	3
14.	रा.उ.मा.वि., बगड़ी	—	—	—	—	1	—	—	—	6	1	1	—
15.	" गाडोदा	—	—	—	—	1	1	—	—	6	1	2	1
16.	" नरोदड़ा	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	1	—
17.	" भोजासर बड़ा	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	2	—
18.	" मंगलूणा	—	—	—	—	1	—	—	—	7	1	3	—
19.	" मीरण	—	—	—	—	1	—	—	—	5	1	2	—
20.	" घाणा	—	—	—	—	1	1	—	—	5	1	1	1
21.	" सोला	—	—	—	—	1	—	—	—	5	2	1	1
22.	" घस्सू माधोपुरा	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	3	—
23.	" बीदसर	—	—	—	—	1	—	—	—	5	1	1	—
24.	" सूटोट	—	—	—	—	1	—	—	—	5	2	1	—
25.	" नेछवा	—	—	—	—	1	—	—	—	6	1	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	" रुल्याणी	—	—	—	—	1	—	—	—	6	2	1	—
27.	" रूल्याणामाली	—	—	—	—	1	1	—	—	5	—	1	1
28.	" बठोठ	—	—	—	—	1	—	—	—	6	2	1	1
29.	" हड़वा	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
30.	" बिड़ोदी बड़ी	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
31.	" सांखू —	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	1	—
32.	" दिसनाउ	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	3	—
33.	" बासनी	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	1	—
34.	" रा.बा.मा.वि., बलारां	—	—	—	—	1	—	—	—	4	1	1	1
	कुल योग	11	2	0	0	22	4	59	21	174	21	58	11

परिशिष्ट–16

परिशिष्ट–"क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–637 की प्रति)

राजस्थान सरकार

पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग

कमांक : प.5 (17)प्राशि/2002 जयपुर, दिनांक 31.10.2002

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान–बीकानेर।

विषय : स्थानान्तरण करने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न कार्मिकों के स्थानान्तरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है :

क्र.सं.	नाम, पदनाम व पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान
1	2	3
1.	श्री प्रेम राज, अध्यापक, रा.उ.प्रा.वि. खुड्डी–राजगढ़ (चूरू)	उ.प्रा.वि. बाल किरतान, राजगढ़, चूरू
2.	श्री रमा प्रसाद शर्मा, प्र.अ. उ.प्रा.वि. बाधसरा पूर्वी, सुजानगढ़ (चूरू)	राजगढ़ अथवा तारानगर के किसी भी विद्यालय में
3.	श्रीमती सुनिता विश्नोई, अध्यापिका बा.उ.प्रा.वि. शीतलामाता, चाकसू, जयपुर	उप्रावि. शेखावाटियों का बैर, जयपुर रिक्त/वरिष्ठता के स्थान पर
4.	श्रीमती सुनिता टण्डन, अध्यापिका उ.प्रा.वि., पासु खुर्द, दूदू, जयपुर	उ.प्रा.वि. करतारपुरा, जयपुर रिक्त/वरिष्ठता के स्थान पर
5.	श्रीमती रतन पारीक, अध्यापिका उ.प्रा.वि. बडौदिया, चाकसू	उ.प्रा.वि. वसुन्धरा कालोनी, जयपुर रिक्त/वरिष्ठता के स्थान पर

1	2	3
6.	श्री गफूर खां, वरिष्ठ अध्यापक उ.प्रा.वि. निवारू, जयपुर	उ.प्रा.वि. नांगलजैसा बोहरा, जयपुर रिक्त/वरिष्ठता के स्थान पर
7.	श्री महेश यादव, अध्यापक रा.प्रा.वि. प्रतापुरी, जोबनेर, जयपुर	उ.प्रा.वि. मीनावाला, जयपुर रिक्त/ वरिष्ठता के स्थान पर
8.	श्रीमती प्रीता माथुर, अध्यापिका उ.प्रा.वि. भूरथल, आमेर, जयपुर	प्रा.वि. सिन्धी पंचायत स्कूल,अनाज मण्डी, मालवीय नगर, जयपुर रिक्त/ वरिष्ठता के स्थान पर
9.	श्रीमती रेखा रानी शर्मा, सहायक अध्यापक प्रा.वि. आमेट, राजसमन्द	पं.स. झोटवाड़ा, जयपुर के किसी भी विद्यालय में रिक्त पद/वरिष्ठता के स्थान पर
10.	श्री लालाराम गुर्जर, अध्यापक. पं. स. थानागाजी, अलवर	पं.सं. तिजारा, अलवर में रिक्त/ रिक्त/वरिष्ठता के स्थान पर

उक्त प्रस्ताव पर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। अतः कृपया स्थानान्तरण आदेश तत्काल जारी करवा कर आदेश की प्रति इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें।

भवदीय

ह०/-

उप शासन सचिव

परिशिष्ट-"ख"

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर

कमांक : शिविरा/प्रारं/संस्था/एफ-4/998/बोल-/2002

जयपुर, दिनांक 18.11.2002

उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा),
शिक्षा विभाग,
जयपुर/चूरू।

विषय : राज्य सरकार से प्राप्त स्थानान्तरण आदेश जारी करने हेतु।

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.05/(17)प्राशि/2002 जयपुर दिनांक 31.10.2002 एवं स्वीकृति समसंख्यक पत्र दिनांक 15.11.2002 द्वारा अधीनस्थ जिलों में शिक्षकों के स्थानान्तरण प्रकरणों की संलग्न सूची प्राप्त हुई है, आपके अधीनस्थ जिलों की सूची संलग्न कर लेख है कि सूची के अनुसार तत्काल स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी से जारी करवाकर आदेश की तीन प्रतियां मण्डल को समेकित करते हुए विशेष वाहक के साथ तीन दिवस में इस कार्यालय को भेजे। प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायत समिति के शिक्षकों के आदेश अलग-अलग पृथक रूप से जारी करावें। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थानान्तरण आदेशों में राज्य सरकार का पत्र क्रमांक एवं दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित करावें।

ह०/-
(पी. के. गोयल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
राजस्थान, बीकानेर।

संलग्न : सूची मय नाम
जयपुर-10 (दस)
चूरू- 08 (आठ)

परिशिष्ट-"क"

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-638 का विवरण)

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या					कब से रिक्त					रिक्त रहने का कारण				
		व्या.	व.अ.	अ.	शा.शि.	शा.शि.	व्या.	व.अ.	अ.	शा.शि.	शा.शि.	व्या.	व.अ.	अ.	शा.शि.	शा.शि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	रा.उ.मा.वि., डूंगरगढ़	05	0	01	01	01	10/02 8/01 1/01	10/02	10/02	10/02	10/02	स्थाना.	स्थाना.	स्थाना.	पदसर्जन	स्थाना.
2.	—"— दुलचासर	03	—	03	01	01	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना.	पदों से	—
3.	—"— मोमासर	03	03	0	01	—	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना.	पदों से	—
4.	—"— ऊपनी	04	02	0	01	01	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना.	पदों से	—
5.	—"— गुसाईसरबड़ा	03	03	0	01	01	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना.	पदों से	—
6.	मावि., उदरासर	—	03	03	01	—	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना.	पदों से	—
7.	—"— कीतासर	—	03	0	—	—	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना.	पदों से	—
8.	—"— तोलियासर	—	01	0	—	—	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना.	पदों से	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	—''— बेनीसर	—	01	03	—	—	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना.	पदों से	—
10.	—''— रिड्डी	—	04	03	—	—	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना.	पदों से	—
11.	—''— सानियासर	—	04	03	—	—	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना.	पदों से	—
12.	—''— बीग्या	—	02	03	—	—	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना.	—	—
13.	—''— बरजांगसर	—	03	03	01	01	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना.	—	स्थाना.
14.	—''— ठुकरिया	—	02	03	02	—	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना.	—	—
15.	—''— आड्सर	—	02	03	02	—	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना.	—	—
16.	—''— बाना	—	02	03	—	—	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना.	—	—
17.	—''— सैरुणा	—	01	03	—	—	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना.	—	—
18.	रूपादेवी मा. वि.डूगरगढ़	—	01	03	—	—	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना.	—	—
19.	रामावि. सबतसर	—	03	03	—	—	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना.	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20. — ''—	पुनरासर	—	02	03	—	—	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना.	—	—
21.रा.बा.उ.मा.वि.	डूगरगढ़	03	03	03	—	—	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना. पदों	—	—
22.	राबामावि. मोमासर	—	02	03	—	—	4/94	—	7/2000	1/2000	—	सेवानिवृत्ति	—	स्थाना. पदसर्जन	—	—

परिशिष्ट-''अ''

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-644 की सूची)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक, जयपुर प्रथम, जयपुर

चित्रकला अध्यापकों की पात्रता 2002-2003 जिनको कि सामान्य अध्यापकों की वरिष्ठता सूची में अन्तर्लियन करने के पश्चात् योग्यता धारक अध्यापकों की सूची

क्र.सं.	वरि. क्रमांक अवधि	नाम अध्यापक/ पिता का नाम कार्यरत स्थान	जन्म तिथि	शै. योग्यता	प्र.शै.यो.	विभागीय चयन दिनांक	कार्यारम्भ दिनांक
1.	014 क (84-88)	श्री शिवदयाल शर्मा/हरदयाल शर्मा रा.उ.मा.वि., हरमाड़ा	14.3.66	बी.ए.-92 एम.ए.-96	डिप्लोमा- बी.एड.-94	5.3.06	19.9.78 जिले में आने से
महिला वर्ग :-							
2.	395 ए से ऊपर (71-03)	रामकुमारी/राधाकृष्ण रा.मा.वि., बोराज	15.8.44	बी.ए.-76 एम.ए.-80	डिप्लोमा-78 बी.एड.-91	6.1.79	25.12.78
3.	234 व (84-90)	श्री इन्द्र शर्मा/कृष्णचन्द्र शर्मा उ.मा.वि., वाटिका	31.8.63	एम.ए.-86	बी.एड.-84	18.2.80	1.7.88

जिला शिक्षा अधिकारी, मा. प्रथम
जयपुर

परिशिष्ट–19

परिशिष्ट-"अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-646 की प्रति)

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), जयपुर

कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार, श्रीमती अंजू भाटेजा, अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बहमी खुर्द (सांगानेर) जयपुर का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बाढ़ मोहनपुरा (सांगानेर) में किया जाता है।

सम्बन्धित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि इन्हें अविलम्ब कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाकर पालना से इस कार्यालय को अवगत करावें।

ह०/-
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

परिशिष्ट–20

परिशिष्ट–"क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–648 का विवरण)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	पदनाम	विषय	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त
1	2	3	4	5	6
1.	रा.उ.मा.वि., भीनमाल	व्या.	अंग्रेजी–1 वाणिज्य–2 इतिहास–1 चित्रकला–1	(5)	12/01/1990 1997, 7/01 1997
2.	रा.उ.मा.वि., बागोड़ा	व्या.	अंग्रेजी–1 इतिहास–1	(2)	3/01, 7/01
3.	रा.उ.मा.वि., बाड़ाभाड़वी	—"—	भूगोल–1	(1)	3/2000
4.	रा.उ.मा.वि., दसवा	—"—	रा.विज्ञान–1	(1)	2/2000
5.	रा.उ.मा.वि., भीनमाल	—"—	अंग्रेजी–1 गृह विज्ञान–1	(2)	7/01, 2/98
6.	रा.उ.मा.वि., भीनमाल	व.अ. II ग्रेड	अंग्रेजी–1 विज्ञान–2, सामान्य–1	(4)	8/01, 3/2000 7/2001
7.	रा.उ.मा.वि., बाड़ाभाड़वी	व.अ.	अंग्रेजी–1	(1)	7/2001
8.	रा.उ.मा.वि., सुराणा	व.अ.	अंग्रेजी–1 विज्ञान–1	(2)	7/2001 9/10/02
9.	रा.उ.मा.वि., जीवाना	व.अ.	अंग्रेजी–1 गणित–1	(2)	8/2000 7/2001
10.	रा.ब.उ.मा.वि., बागोड़ा	व.अ.	गणित/विज्ञान	(2)	7/01, 2/98
11.	रा.बा.उ.मा.वि., भीनमाल	व.अ.	विज्ञान–1	(1)	4.10.2002
12.	रा.मा.वि., जूनीवाली	व.अ.	अंग्रेजी/गणित	(2)	11/02, 9/02

1	2	3	4	5	6
13.	रा.मा.वि., धुम्बड़िया	व.अ.	अंग्रेजी/विज्ञान	(2)	8/2000, 3/01
14.	रा.मा.वि., सेवड़ी	व.अ.	अंग्रेजी/विज्ञान	(2)	10/2000, 3/01
15.	रा.मा.वि., नरता	—"—	अंग्रेजी–1	(1)	10/2001
16.	रा.मा.वि., रंगाला	—"—	गणित/विज्ञान अंग्रेजी	(3)	10/02 , 7/01 7/2000
17.	रा.मा.वि., बोरटा	—"—	अंग्रेजी/गणित विज्ञान	(3)	7/01, 10/02 7/01
18.	रा.मा.वि., रोपसी	—"—	अंग्रेजी	(1)	1/2000
19.	रा.मा.वि., सागाना	—"—	अंग्रेजी/गणित सामान्य	(3)	3/2000, 3/2000 14.11.2002
20.	रा.मा.वि., दासवा	—"—	अंग्रेजी/सामा.	(2)	3/01, 3/01
21.	रा.मा.वि., भालनी	—"—	गणित/विज्ञान	(2)	3/01, 3/01
22.	रा.मा.वि., कोरा	—"—	विज्ञान	(1)	7/2001
23.	रा.मा.वि., धानसा	—"—	विज्ञान	(1)	3/2001
24.	रा.उ.मा.वि., बाड़ाभाड़वी	शा.शि. II ग्रेड	—	(1)	3/2000
25.	रा.उ.मा.वि., बोगोड़ा	—"—	—	(1)	3/01
26.	रा.बा.उ.मा.वि., भीनमाल	—"—	—	(1)	7/99
27.	रा.उ.मा.वि., बाड़ाभाड़वी	अध्यापक	—	(1)	9/2000
28.	रा.मा.वि., थोबाउ	—"—	—	(3)	8/2000
29.	रा.मा.वि., सेवड़ी	—"—	—	(1)	10/2000
30.	रा.मा.वि., नरता	—"—	—	(2)	10/01, 9/02
31.	रा.मा.वि., रूगाला	—"—	—	(1)	3/2000

1	2	3	4	5	6
32.	रा.मा.वि., कोरा	—"—	—	(1)	3/2000
33.	रा.मा.वि., बोरटा	—"—	—	(3)	8/2000
34.	रा.बा.मा.वि., दासवा	—"—	—	(2)	10/99, 1/01
35.	रा.मा.वि., भालनी	—"—	—	(1)	13.12.2000
36.	रा.मा.वि., मोदराना	—"—	—	(1)	4/2000
37.	रा.उ.मा.वि., बोगोड़ा	—"—	—	(1)	4/2001
38.	रा.उ.मा.वि., जीवाना	—"—	—	(1)	2/2001
39.	रा.मा.वि., सांगाना	—"—	—	(2)	8/2001
40.	रा.मा.वि., बाड़ाभाड़वी	शा.शि. III ग्रेड	—	(1)	15.10.2002
41.	रा.मा.वि., भालीनी	—"—	—	(1)	3/2001
42.	रा.मा.वि., कोरा	—"—	—	(1)	5.10.2002
43.	रा.मा.वि., धानसा	—"—	—	(1)	7/2001
44.	रा.मा.वि., मोदरान	—"—	—	(1)	29.1.02
45.	रा.बा.मा.वि, दासवा	—"—	—	(1)	6/2001

परिशिष्ट–21

प्रपत्र "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–651 की सूची)

खारी बांध की दायीं व बायीं मुख्य नहर पर गत पांच वर्षों में व्यय की गई राशि का विवरण

दायीं मुख्य नहर

वर्ष	कार्य का नाम	व्यय की गई राशि (लाखों में)		
		अकाल मद	रख–रखाव	कुल योग
1	2	3	4	5
1998–99	दायीं मुख्य नहर	—	0.62	0.62
1998–99	दायीं मुख्य नहर	—	0.66	0.66
1999–2000	दायीं मुख्य नहर चैन 360 से 730	3.97	0.35	4.32
	खारी बांध की दायीं मुख्य नहर की बठेडा माइनर	2.99	—	2.99
	दायीं मुख्य नहर दुदिया माइनर	3.38	—	3.38
	दायीं मुख्य नहर बरसनी माइनर	2.38	—	2.38
	दायीं मुख्य नहर आमेसर माइनर	1.82	—	1.82
	दायीं मुख्य नहर सवाई भोज माइनर	1.98	—	1.98
	दायीं मुख्य नहर खतोला माइनर	1.99	—	1.99
	दायीं मुख्य नहर आदर्श धोरा	1.99	—	1.99
2000–01	खारी बांध की दा.मु.न.चैन 0 से 360	2.95	0.33	3.28
	खारी बांध की दा.मु.न.चैन 360 से730	2.52	—	2.52
	खारी बांध की बठे माइनर	1.77	—	1.77
	खारी बांध की शंभूगढ़ माइनर	1.95	—	1.95

1	2	3	4	5
	खारी बांध की आमेसर माइनर	0.54	—	2.09
2001-02	खारी बांध की दा.मु.न.चैन 0 से 180	1.48	0.61	1.48
	खारी बांध की दा.मु.न.चैन181 से 360	3.45	—	3.45
	खारी बांध की दा.मु.न.चैन500 से 800	1.26	—	1.26
	खारी बांध की आमेसर माइनर	1.30	—	1.30
	खारी बांध की बठेडा माइनर	1.97	—	1.97
	कुल योग :	**39.69**	**2.57**	**42.26**

बार्यी मुख्य नहर

वर्ष	कार्य का नाम	व्यय की गई राशि (लाखों में)		
		अकाल मद	रख-रखाव	कुल योग
1997-98	बार्यी मुख्य नहर	—	—	—
1998-99	बार्यी मुख्य नहर	—	—	—
1999-2000	बार्यी मुख्य नहर	3.12	—	3.12
2001-01	बार्यी मुख्य नहर	1.51	—	1.51
2001-02	बार्यी मुख्य नहर	2.04	—	2.04
	कुल योग :	6.67	—	6.67

परिशिष्ट–22

प्रपत्र- "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-653 का विवरण)

नागौर जिले में निर्मित बांधों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	तहसील	भराव क्षमता (मि. घ. फुट में)
1	2	3	4
1.	सुरजनिया बास	नागौर	8.66
2.	कानालाव का बाला	,,	8.99
3.	सोलियाना बांध	,,	22.00
4.	मेडीमोरचन्द बांध	,,	4.48
5.	रूण बांध	,,	12.50
6.	विताणी बांध	,,	11.23
7.	हिलारी बांध	,,	2.04
8.	खंवर बांध	जायल	10.52
9.	डिडिया कल्ला	,,	27.18
10.	बड़ी खाटू बांध	,,	5.00
11.	फिरोजपुरा बांध	,,	2.80
12.	बरनेल बांध	,,	2.50
13.	छाजोली बांध	,,	2.90
14.	डाबरयानी बांध	मेड़ता	9.53
15.	हरसौलाव बांध प्रथम	,,	17.80
16.	हरसौलाव बांध द्वितीय	,,	3.45
17.	खडूड़ी बांध	,,	12.90
18.	कलरू बांध	,,	52.09

1	2	3	4
19.	मालियो का धोरा	मेड़ता	11.15
20.	ढाढासनी बांध	,,	3.23
21.	मोकाला बांध प्रथम	,,	17.27
22.	बासनी बांध	,,	4.62
23.	धनापा बांध प्रथम	,,	12.97
24.	धनापा बांध द्वितीय	,,	2.40
25.	शेखासनि बांध	,,	4.05
26.	सतलास बांध	,,	6.35
27.	बायड़ बांध प्रथम	,,	13.20
28.	बायड़ बांध द्वितीय	,,	12.56
29.	बीठन बांध	,,	10.10
30.	कुण्डल बांध	,,	20.06
31.	बीजाल बांध	,,	9.66
32.	पुण्डलू बांध	,,	54.35
33.	गगराना बांध	,,	78.50
34.	माता डूंगरी बांध	मेड़ता	9.37
35.	लापोलाई बांध	,,	5.90
36.	मोकाला बांध द्वितीय	,,	35.93
37.	राजलाटा बांध	डेगाना	17.86
38.	माताजी का बाला	,,	13.39
39.	पंचरण्डा बांध प्रथम	,,	6.76
40.	पंचरण्डा बांध द्वितीय	,,	7.56

1	2	3	4
41.	कालेतरा बांध	डेगाना	9.44
42.	खाटा रपट	,,	4.96
43.	लेगो की ढाणी	,,	2.00
44.	भैंरून्दा बांध	,,	91.44
45.	डोडीयाना बांध	,,	17.06
46.	सुथाना बांध	,,	23.52
47.	नृरसिंग बासनी बांध	,,	15.08
48.	लाछपूरा बांध	,,	6.60
49.	राताडून्डा बांध	,,	10.20
50.	पीपलीया बांध प्रथम	,,	11.65
51.	पीपलीया बांध द्वितीय	,,	5.30
52.	हरसौर बांध	,,	89.00
53.	प्रताप सागर बांध	,,	9.16
54.	बामन देवी बांध	,,	2.71
55.	मण्डावरी बांध	परबतसर	30.85
56.	मंगलाना बांध	,,	28.23
57.	गंगवा बांध	,,	13.21
58.	धोकलिया बांध	,,	17.06
59.	नारी का नाका बांध	,,	13.24
60.	लेजा बांध	,,	10.30
61.	छिपोलाई	,,	4.50
62.	बिडीयाद	,,	8.00

1	2	3	4
63.	बिल्लू बांध प्रथम	परबतसर	15.15
64.	कर्मा कुड़ी	"	8.40
65.	पीरजी का नाका	"	45.05
66.	भादवा	"	43.40
67.	मोकलघाटा	"	9.47
68.	पालड़ी करवा	"	6.56
69.	गुलर	"	6.42
70.	झालरा	"	45.94
71.	भकरी	"	301.00
72.	कालेतरा	"	6.80
73.	बाजवास	"	1.15
74.	भड़सिया	"	45.94
75.	बांसेड़	"	12.07
76.	जून की घाटी	"	63.83
77.	कुण्डरी	"	22.05
78.	बवाल प्रथम	"	6.40
79.	डासरिया का नाका	"	27.85
80.	छापोलाई गांगवा	"	6.02
81.	खारी वाली	"	30.66
82.	खोखरीया	"	12.25
83.	बिल्लू द्वितीय	"	9.54
84.	बवाल द्वितीय	"	13.02

1	2	3	4
85.	बावड़ी बांध	नावां	49.66
86.	दलेलपुरा बांध	,,	9.99
87.	भूणी बांध	,,	25.57
88.	पलाड़ा बांध	,,	25.68
89.	जीणवार बांध	,,	5.13
90.	पांचोटा बांध	,,	16.80
91.	बरजन बांध	,,	2.28
92.	रघुनाथपुरा बांध	डीडवाना	2.59
93.	बालिया बांध	,,	8.12